

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४२७३

क्रम मध्या

काल न०

खण्ड

२२

तुलसी

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला

ग्रन्थ : २

निर्गमं पाठयणं

आगम-अनुसंधान-ग्रन्थमाला
ग्रन्थ-३

उत्तरउभयणाणि (भाग २)

(उत्तराख्ययन-टिप्पण)

वाचना प्रमुख
आचार्य तुलसी

विवेचक सम्पादक
मुनि नथमल
(निकाय सचिव)

प्रकाशक
जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
(आगम-साहित्य प्रकाशन समिति)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१

ग्रन्थ-सम्पादक :
श्रीधर रामपुरिया, बी० कॉम०, बी० एल०

सकलक -
आदर्श साहित्य सघ
चूरु (राजस्थान)

आर्थिक-सहायक :
श्री रामलाल हंसराज गोसछा
विराटनगर (नेपाल)

प्रकाशन-तिथि
१ दिसम्बर, १९६७

मुद्रित प्रति
१५००

पृष्ठांक
४०४

मुद्रक :
श्री रोशन प्रिन्टिंग वर्क्स
३१/१, लोअर चितपुर रोड
कलकत्ता-१

मूल्य : रु० १६

JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA AGAM-GRANTHAMALA
GRANTHA : 2

UTTARAJJHAYANANI
(THE UTTARADHYAYANA SUTRA)

PART II

Tippana, etymology of words and discussion on variant readings

VACANA PRAMUKH
ACARYA TULASI

EDITED & ANNOTATED
BY

MUNI NATHMAL
Nikaya Saciva

PUBLISHER
JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA
AGAM-SAHITYA PRAKASHAN SAMITI
3 Portuguese Church Street
CALCUTTA-1 (INDIA)

First Edition : 1967
Copies Printed : 1500

Price . Rs, 16 00/-

Managing Editor :

Shreechand Rampuria, B Com., B .L.



Manuscript compiled by .

Adarsha Sahitya Sangha

Churu (Rajasthan)



Financial Assistance -

Sri Ramlal Hansraj Golchha

Biratnagar (Nepal)



Printer :

Raphael Art Press

31, Burtolla Street,

CALCUTTA-7.



ALL RIGHTS RESERVED

स म र्प ण

विलोडिय आगम दुद्ध मेव,
लद्धं सुलद्ध णवणीय मच्छं ।
सज्जाय सज्जाण रयस्स निच्चं,
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुब्बं ॥

जिसने आगम-दोहन कर कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत्-सद् ध्यान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्ये को विमल भाव से ॥

विनयावनत :
आचार्य तुलसी

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिर्वर्चनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उस और सिद्धित वृम-निकुञ्ज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है उस कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। संकल्प फलवान् बना और बसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सलन्न हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं। मक्षेप में वह संविभाग इस प्रकार है :

विवेचक और सम्पादक : मुनि नथमल

सहयोगी : मुनि मीठालाल

: मुनि दुलहराज

संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुस्तर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समर्पित किया है उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

—आचार्य तुलसी

ग्रन्थानुक्रम

समर्पण	
अन्तस्तोष	
प्रकाशकीय	
सम्पादकीय	पृ० १
टिप्पण	१-३३२
परिशिष्ट :	
(१) शब्द-विमर्श	१
(२) पाठान्तर-विमर्श	२७
(३) प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची	१
शुद्धि-पत्रम्	११

प्रकाशकोय

'उत्तरउभयगणि' (उत्तराध्ययन सूत्र) मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एव टिप्पण अलकन होकर दो भागों में आपके हाथों में है ।

वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एवं उनके द्दगित और आकार पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले मुनि-वृन्द की यह समवेत कृति आगमिक कार्य-क्षेत्र में युगान्तरकारी है । इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं, पर सत्य है । बहुमुखी प्रकृतियों के केन्द्र प्राणपुञ्ज आचार्य श्री तुलसी ज्ञान-क्षितिज के एक महान् तेजस्वी रवि हैं और उनका मण्डल भी शुभ मक्षत्रों का तपोपुञ्ज है । यह इस अत्यन्त श्रम-साध्य कृति से स्वयं फलीभूत है ।

गुरुदेव के चरणों में मेरा विनम्र सुभाष रहा—आपके तत्त्वावधान में आगमों का सम्पादन और अनुवाद हो—यह भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय की एक मूल्यवान् कड़ी के रूप में चिर-अपेक्षित है । यह अत्यन्त स्थायी कार्य होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन नहीं अपितु अचिन्त्य भावी पीढ़ियों को प्ररक्षि होता रहेगा । मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि मेरी मनोभावना अकुरित ही नहीं, पर फलवती और रसवती भी हुई है ।

प्रस्तुत 'उत्तरउभयगणि' आगम-अनुसंधान ग्रन्थमाला का द्वितीय ग्रन्थ है । इससे पूर्व प्रकाशित 'दसवेआलिय' (मूल पाठ, संस्कृत-छाया, हिन्दी अनुवाद एव टिप्पण युक्त) को अब अनुसन्धान ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ समझना चाहिए ।

'दसवेआलिय' एक जिल्द में प्रकाशित है । उसमें टिप्पण प्रत्येक अध्याय के बाद में है । 'उत्तरउभयगणि' में टिप्पणों की अलग जिल्द इस द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित है ।

टिप्पणों के प्रस्तुत करने में निर्युक्ति, चूर्णि, टीकाओं आदि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सहारा लिया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-३ में दे दी गई है । प्रथम परिशिष्ट में शब्द-विमर्श और द्वितीय परिशिष्ट में पाठान्तर-विमर्श समाहित हैं । इस तरह टिप्पण भाग अपूर्व अध्ययन के साथ पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रयुक्त ग्रन्थों के सन्दर्भ सहित उद्धरण पाद-टिप्पणियों में दे दिये गये हैं, जिससे जिज्ञानु पाठक की तृप्ति हाथों हाथ हो जाती है और उसे सदमं देखने के लिए इधर-उधर दौडना नहीं पडता ।

तेरापथ के आचार्यों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन चूर्णि, टीका आदि ग्रन्थों का बहिष्कार कर दिया । वास्तव में इसके पीछे तथ्य नहीं था । सत्य जहाँ भी हो वह आदरणीय है, यही तेरापथी आचार्यों की दृष्टि रही । चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने पुरानी टीकाओं का कितना उपयोग किया था, यह उनकी भगवती जोड़ आदि रचनाओं से प्रकट है । 'दसवेआलिय' तथा 'उत्तरउभयगणि' तो इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीकाओं आदि का जितना उपयोग प्रथम बार वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एव उनके चरणों में सम्पादन-कार्य में लगे हुए निकाय सचिव मुनि श्री नथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुओं ने किया है, उतना कितनी भी अद्यावधि प्रकाशित सानुवाद संस्करण में नहीं हुआ है । सारा अनुवाद एव लेखन-कार्य अभिनव कल्पना को लिए हुए है । मौलिक विस्तार भी उनमें कम नहीं है । बहुश्रुतता एव गभीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से झलकते हैं । यह भाग पाठकों को अनेक नई सामग्री प्रदान करेगा ।

पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि

आचार्य श्री के तत्त्वावधान में सन्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने का कार्य आदर्श साहित्य सभ (चूरू) द्वारा सम्पन्न हुआ है, जिसके लिए हम सभ के सचालकों के प्रति कृतज्ञ हैं ।

अर्थ-व्यवस्था

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का ध्यय बिराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा द्वारा श्री हंसराजजी हुलासचन्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता श्री धापीदेवी (धर्मपत्नी श्री रामलालजी गोलछा) की स्मृति में प्रदत्त निधि से हुआ है । एतदर्थ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है ।

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेख के लिए निम्न सजनों की एक उपसमिति गठित की गई है :—

- १—श्रीमान् हुलासचन्दजी गोलखा
- २— „ मोहनलालजी बाँठिया
- ३— „ श्रीचन्द रामपुरिया
- ४— „ गोपीचन्दजी चौपड़ा
- ५— „ केवलचन्दजी नाहटा

सर्व श्री श्रीचन्द रामपुरिया एवं केवलचन्दजी नाहटा उक्त समिति के संयोजक चुने गये हैं ।

आगम-साहित्य प्रकाशन-कार्य

महासभा के अन्तर्गत आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों हृदय में आनन्द का पारावार नहीं । मैं तो अपने जीवन की एक साथ ही पूरी होते देखा रहा हूँ । इस अवसर पर मैं अपने अनन्य बन्धु और साथी सर्व श्री मोबिन्दरामजी खराबगी, मोहनलालजी बाँठिया एवं खेमचण्डी सेठिया को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

आभार

आचार्य श्री की सुदीर्घ दृष्टि अत्यन्त भेदिनी है । जहाँ एक ओर जन-मानस को आध्यात्मिक ओर नैतिक चेतना की जागृति के व्यापक आन्दोलनों में उनके ब्रह्मत्व जीवन-मग्न लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जैन-संस्कृति के मूल संदेश को जन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनन्य ओर स्तुत्य है । जैन-भाग्यों को अभिलषित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख ला देने की आकांक्षा में आचार्य प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने कंधों पर लिबा है, उसके लिए जैन ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी ।

निकाय सचिव मुनि श्री नयमलजी का सम्पादन-कार्य एवं तेरापथ-संघ के अन्य विद्वान् मुनि-वृन्द के सक्रिय सहयोग भी वरतुत बक्षिण्यनीय है ।

इस आचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जन-हितकारी पवित्र प्रवृत्ति के लिए ऋतमस्तक हैं ।

जैन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१

श्रीचन्द रामपुरिया

संयोजक

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति

सम्बन्धकीय

प्रस्तुत ग्रन्थ भागवत-अनुसन्धान ग्रन्थ-माला का दूसरा ग्रन्थ है। इसमें उत्तराध्ययन के शब्दों तथा शब्दगत हार्दों को स्पष्ट किया गया है। इस स्पष्टीकरण में उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, वैदिक व लौकिक (अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि) साहित्य का उपयोग किया गया है। साहित्य की सभी धाराओं में शब्द-प्रयोग व अर्थाभिप्यक्ति की एकरूपता रहती है। इसलिए किसी शाताब्दी के ग्रन्थ को उसके समसामयिक ग्रन्थों के आलोक में ही आलोचित किया जा सकता है। एक युग था, जिसमें प्रत्येक वर्णन के विद्यार्थी की अध्ययन की सीमा संकुचित थी। वह अपनी परम्परा के शास्त्रों को पढ़ता था। दूसरी परम्परा के शास्त्रों को या तो पढ़ता नहीं था और पढ़ना था तो उनका खण्डन करने के लिए। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि विकसित नहीं थी।

आज का युग तुलनात्मक अध्ययन का युग है। इसमें विद्यार्थी के अध्ययन की सीमा व्यापक हो गई है। अध्ययन की दृष्टि में खण्डन की प्रधानता नहीं, किन्तु समन्वय की प्रधानता है। इसलिए आज के विद्यार्थी को सभी धाराओं में सत्य की एक श्रृङ्खलात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कोई भी और किसी भी विषय का ग्रन्थ हो समसामयिक भाषा-प्रयोगों और अर्थाभिप्यक्ति के प्रकारों का अन्वय नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र की इसी दृष्टि से व्यख्यातव्य होते हैं। हजार-दो हजार वर्ष की लम्बी अवधि में शब्दों के अर्थ में उत्कर्ष और अक्षय हो जाता है। इसलिए उच्च स्तर के साहित्य के संदर्भ में ही उनके मूल अर्थ का स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम कुछेक शब्दों की चर्चा करेंगे।

ज्वरज—ठीसरे अध्ययन के चौदहवें श्लोक में आगत 'ज्वरज' (यक्ष) शब्द का अर्थ आज के अर्थ-प्रवाह से करने पर वहाँ अर्थ की संगति नहीं होती। इसका मूल अर्थ समझने के लिए 'यज्' धातु के उस वातावरण में जाने की अपेक्षा होती है, जिसमें इसी धातु से निष्पन्न यक्ष की एकाग्रता प्रतिष्ठा थी। वर्तमान में 'यक्ष' शब्द का अर्थ कुछ निम्न कोटि के असुरों की अभिव्यक्ति देता है और उक्त प्रकरण में इसका प्रयोग उत्तम जाति के देव के अर्थ में हुआ है।

धूमण्डल—पन्द्रहवें अध्ययन के आठवें श्लोक में 'धूमण्डल' (धूमनेत्र) शब्द आता है। इसे आयुर्वेदीय-साहित्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। विशेष वर्णन के लिए देखिए—टिप्पण संख्या ८, पृ० १२६-१२७।

धर्म-शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों और धर्म सम्बन्धी विधि-निषेधों का विशदीकरण होता है। किन्तु किसी भी विषय की व्याख्या पारिपार्श्विक वातावरण को छोड़ कर नहीं की जा सकती। इसलिए धर्म-शास्त्रों में भी प्रसंगवशा राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्त्र-विद्या, इतिहास, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शाखाओं की चर्चा आ जाती है। इन प्रासंगिक निरूपणों की व्याख्या तद्विषयक शास्त्रों के प्रकाश में ही की जा सकती है।

पन्द्रहवें अध्ययन के सातवें श्लोक (टिप्पण संख्या ७, पृ० १२५-१२६) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और अष्टांग-निमित्त की सात शाखाओं का उल्लेख मिलता है।

कापोती वित्ती—उन्नीसवें अध्ययन के तेतीसवें श्लोक (टिप्पण संख्या १३, पृ० १४५) में कापोती-वृत्ति का उल्लेख मिलता है। जैन-साहित्य में अन्विकोशल विद्याधारी के लिए 'गोचरी' या 'माधुकरि' का प्रयोग हुआ है। कापोती की व्याख्या महाभारत में मिलती है।

पासण्ड—तेइसवें अध्ययन के उन्नीसवें श्लोक में 'पासण्ड' शब्द मिलता है। इसका हार्द हम तब तक नहीं बकट सके, जब तक वार्तमानिक अर्थ के आवरण को तोड़ कर अतीत के आलोक में नहीं पहुँच पाये थे। आवश्यक सूत्र में 'परपासण्ड' शब्द का प्रयोग है। वह सदा सटकता रहा। 'पासण्ड' के साथ 'पर' लगाने की आवश्यकता ही क्या? वह 'स्व' कैसे होगा, 'पर' ही होगा। दशवैकालिक निर्युक्ति (भाषा १६४-१६५) में मुनि का एक नाम 'पासण्ड' है। किन्तु उससे अर्थ की स्पष्टता नहीं हुई। अशोक के शिलालेखों में आत्म-पाण्डो और

पर-पाषण्डी—ये दोनों प्रयोग हैं। वहाँ अपने धर्म-परंपराय के लिए आत्म-पाषण्ड और पर-धर्म-सम्प्रदाय के लिए पर-पाषण्ड का प्रयोग किया गया है। इस तिलालेख के संदर्भ में पाषण्ड शब्द का आशय स्पष्ट हो गया। विशेष विवरण के लिए देखिए—टिप्पण संख्या ६, पृ० १६८-१६९।

विभिन्न धर्म-शास्त्रों व अन्य शास्त्रों में समान शब्द-प्रयोग चले थे। इसका तुलनात्मक अध्ययन बड़ा विस्मयकर होता है। 'युगमात्र' शब्द (टिप्पण संख्या ३, पृ० १७१-१७२) जैन-साहित्य, बौद्ध-साहित्य व आयुर्वेद-साहित्य में समान रूप से प्रयुक्त होता रहा है। इसी प्रकार 'धमनि-सतत' शब्द (टिप्पण संख्या ३, पृ० १६) भी अनेक धाराओं में सक्रान्त रहा है।

आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग मिलता है—

शुष्कस्फिगुवरघ्नीवो धमनीजालसंततः ।

त्वगस्त्रिशोबोऽतिकृशः सूक्ष्मवर्षानरोमत ॥ (चरक सूत्रस्थान, अ० २१)

यह हमें बाद में प्राप्त हुआ, इसलिए इसका टिप्पण में उपयोग नहीं किया जा सका।

शब्दों के अर्थानुसंधान में हमारा यत्किञ्चिन् प्रयत्न रहा है और हमने यथासंभव उनका आशय स्पष्ट करने की चेष्टा की है। फिर भी विशाल श्रुत-समुद्र की याह पा लेना सहज-सरल कार्य नहीं है। पुनर्निरोक्षण से ज्ञात होता है कि अनेक अनुभव्य शब्द हमारी दृष्टि से बच कर रह गए हैं। जन्मोपवे अध्ययन के पौरोहित्य इतिहास में 'लोहमार' शब्द है। यहाँ 'भार' शब्द सामान्य बोझ का बोझ नहीं है, किन्तु इसका विशेष अर्थ है। शार्ङ्गधर संहिता (अ० १, श्लो० ३१) के अनुसार "पञ्चानो द्विसहस्र च, भार एव प्रकीर्तित" — दो हजार पलों का एक भार होता है।

आचार्य श्री तुलसी ने हमें हर क्षण सत्य की परिधि में रहने की सजग रखा है। इसीलिए हमारा प्रयत्न किसी भी पूर्वग्रह में लिप्त न हो कर सत्य की शोच करा रहा है। इस संग्रहण में उत्तराध्ययन की निर्युक्ति, चूर्ण तथा वृत्तियों का प्रचुर उपयोग किया गया है। इनके उपयोग से केवल अर्थ की स्पष्टता ही नहीं हुई है, किन्तु कार्यक्रम के अनुसार अर्थ की एकता या परिवर्तित दत्ता का इतिहास भी सामने आया है। हमने अनेक स्थानों पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। कहीं-कहीं केवल आचार्यों के अभिमत मात्र उल्लिखित किए हैं, हमारे अभिमत का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन प्रकरण में हमारा अभिमत बही है, जो हमने अनुवाद में स्वीकृत किया है।

हम प्राचीन ग्रन्थ-राशि से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, इसलिए मैं उसके प्रणेता आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूँ। इस अनुभवान-काय में मुनि षोडशलालजी और मुनि दुर्गराजजी ने मेरा पर्याप्त सहयोग किया है। मुनि मनुहरजी, मुनि सुवलालजी और मुनि श्रीचन्द्रजी 'कमल' ने भी यत्र-तत्र इस कार्य में योग दिया है। उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित करने की ओक्षा उनके सहयोग के सातत्य की कामना को अधिक कार्यकर मानता हूँ। मुनि मुनेश्वरजी 'सुमन' और मुनि हीरालालजी ने प्रतिलिपि करने व उसका सशोधन करने में यथेष्ट प्रयास किए।

आचार्य श्री तुलसी हमारी आगम वाचना के प्रमुख सूत्रधार हैं। उनके पथ-दर्शन, निर्देशन व प्रत्यक्ष सहयोग से हमारी काय-दिशाएँ सदा आलोकित रही हैं। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कामना प्राप्त करने के लिए मुझे अभी और अधिक लक्ष्मी तराशा करनी होगी।

सागर-सदन,
शाहीबाग, अहमदाबाद-४
२३ अगस्त, १९६७

सुनि नथमल

उत्तराध्ययन-टिप्पण

अव्ययन १

विणय-सुयं

श्लोक १

१-संयोग से (संजोगा ऋ) :

संयोग का अर्थ है—सम्बन्ध । वह दो प्रकार का होता है—बाह्य और आन्तरिक । माता-पिता आदि का पारिवारिक सम्बन्ध 'बाह्य संयोग' है और विषय, कषाय आदि का सम्बन्ध 'आन्तरिक-संयोग' । भिक्षु को इन दोनों संयोगों से मुक्त होना चाहिए ।^१

२-अनगार है, भिक्षु है, उसके (अणगारस्स भिक्खुणो ख) :

वृक्ष चलने नहीं इसलिए उगते 'अण' कहा जाता है । प्रायः घर वृक्ष की लकड़ी (काठ) में बनाए जाते थे इसलिए घर का नाम 'अणगार' हुआ । जिसके 'अणगार' नहीं होता, वह 'अनगार' है ।^२

प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ की दृष्टि से 'अनगार' और 'भिक्षु' दोनों एककार्यवाची शब्द हैं । शान्त्याचार्य ने बताया है कि यहाँ 'अनगार' का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा दो शब्दों की सार्थकता मिट्ट नहीं होती । 'अणगार' का अर्थ है 'घर' । जिसके 'घर' न हो वह 'अनगार' कहलाना है ।^३

नेमिचन्द्र के अनुसार भिक्षु दूसरों के लिए बने हुए घरों में रहने हुए भी उन पर ममत्व नहीं करना इसलिए वह 'अनगार' है ।^४

शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'अणगार' और 'अम्मभिक्षु' ऐसा पदच्छेद किया है । जो भिक्षा लेने के लिए जाता, कुल आदि जता कर दूसरों को आत्मीय न बनाए, उसे 'अ-म्बभिक्षु' (मधाजीवी) कहा जाता है ।^५

३-विनय को (विणयं ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके सम्बन्ध में दो किए हैं—विनय और विनत । विनय का अर्थ है आचार और विनत का अर्थ है नम्रता ।^६

१-सुखबोधा, पत्र १

'सयोगान् सम्बन्धाव बाह्याभ्यन्तरभेदमिग्नान, तत्र मात्राविधिषयात् बाह्याय कषायाविधिषयाच्चान्तरान् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६ -

न गच्छन्तीत्यगा-वृक्षा इत्यर्थ, अगैः कृतमगार गृहमित्यर्थ नास्य अगार विद्यत इत्यनगार ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १९

'अनगारस्ये'ति अविद्यमानमगारमस्येत्यनगार इति व्युत्पन्नोऽनगारशब्दो गृह्यते, यस्त्वव्युत्पन्नो रुद्रिशब्दो यतिवाचक, यथोक्तम्—

अनगारो मुनिर्मोनी, साधु प्रव्रजितो व्रती ।

धमण क्षणश्चैव, यतिश्चैकार्थवाचका ॥१॥

इति, स इह न गृह्यते, भिक्षुशब्देनैव तदर्थस्य गतत्वात् ।

४-सुखबोधा पत्र, १

'अनगारस्य' परकृतगृहनिवासित्वात्तत्राऽपि ममत्वमुत्तरधानं सगर्हितस्य ।

५-बृहद् वृत्ति पत्र, १९ :

अथवा—'अनगारसमिभिक्षुणो' ति अम्बेषु भिक्षुरसमिभिक्षु—जाःयादनाजीवनादनाधीकृतत्वेनानाजीवनेव गृहणोऽग्नावि भिक्षत इति कृत्वा स च यतिरेव, ततोऽनगारत्वासावस्वभिक्षुस्य अनगारास्वभिक्षु ।

६-वही, पत्र १९ :

विशिष्टो विधिषो वा नयो—नीतिर्धिनय.—साधुजनासेवितः समाचारस्त, विनयन वा विनतम् ।

मुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से प्रछा—“भन्ते । आपके धर्म का मूल क्या है ?” थावच्चा पुत्र ने कहा—“मुदर्शन । हमारे धर्म का मूल—विनय है । वह दो प्रकार का है—अगार-विनय और अनगार-विनय । बारह व्रत और भ्यारह उपासक प्रतिमाएँ अगार-विनय है और पाँच महाव्रत, छठा रात्रिभोजन विरमण व्रत, अट्ठारह पापों का विरमण, दस प्रत्याख्यान और बारह भिक्षु प्रतिमाएँ यह ‘अनगार-विनय’ है ।”^१

औपपानिक में विनय के सात प्रकार बनाए हैं—ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चरित्र-विनय, मन-विनय, वचन-विनय, काय-विनय और लोकोपचार-विनय ।^२ प्रम्जुन अध्ययन में विनय के दोनो अर्थों—आचार और नम्रता पर प्रकाश डाला गया है ।

श्लोक २

४-जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है (आणानिद्देशकरे क) :

चूर्ण के अनुसार ‘आज्ञा’ और ‘निर्देश’ समान अर्थवाची हैं । वैकल्पिक रूप में वहाँ आज्ञा का अर्थ आगम का उपदेश और निर्देश का अर्थ आगम से अविरुद्ध गुरु-वचन किया गया है ।^३

गान्ध्याचार्य ने आज्ञा का मुख्य अर्थ—आगमोक्त विधि और निर्देश का अर्थ—प्रतिपादन किया है । गौण रूप में आज्ञा का अर्थ गुरुवचन और निर्देश का अर्थ—“मैं यह कार्य आपके आदेशानुसार ही करूँगा”—इस प्रकार का निश्चयात्मक विचार प्रगट करना है ।^४

उनके सामने ‘आणानिद्देशये’ पाठ था । अत उन्होंने ‘यर’ शब्द के ‘कर’ और ‘तर’ दोनो रूपों की व्याख्या की है—आज्ञा-निर्देश को करने वाचा और आज्ञा-निर्देश के द्वारा ससार-ममूह को नग्ने वाला । आगे लिखा है कि भगवद्-वाणी के अनन्त पर्याय होने के कारण अनेक व्याख्या-भेद सभव हो सकते हैं । किन्तु मन्त्रमनियों के लिए यह व्यामोह का हेतु न बन जाय । इसलिए प्रत्येक सूत्र की व्याख्या में अनेक विकल्प वर्णन का प्रयत्न नहीं किया गया है ।^५

५-शुश्रूषा करता है (उत्रवायकारण ख) :

चूर्ण में इसका अर्थ ‘शुश्रूषा करने वाला’^६ और टीका में इसका अर्थ ‘समीप रहनेवाला’—जहाँ बँटा हुआ गुरु को दीव्य और उनका

१-ज्ञाताधर्मकथा, ११४ । मू० ६५ ।

२-औपपानिक, सूत्र २० ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २६

आज्ञाप्यतेऽनया यस्य आज्ञा, निर्देशत निर्देश, आज्ञैव निर्देशा, अथवा आज्ञा—सूत्रोपदेश, तथा निर्देशस्तु तदविरुद्धं गुरुवचनं, आज्ञानिर्देशं करोतीति आणानिद्देशकरो ।

४-बृहद वृत्ति, पत्र ४४

आङ्गिति स्वस्वभावावस्थानात्मिकया मर्यादयाऽभिध्याप्या वा ज्ञायन्तेऽर्था अनपेत्याज्ञा—भगवदभिहितागमरूपा तस्या निर्देश—उत्सर्गापवादाभ्या प्रतिपादनमाज्ञानिर्देश, इवमित्यं विधेयमिदमित्य वेत्येवमात्मक तत्करणशीलस्तबनुलोमानुष्ठानो वा आज्ञा-निर्देशकर, यद्वाऽऽज्ञा सोऽप्य । इदं कुरु इदं च मा कार्षीरिति गुरुवचनमेव, तस्या निर्देश—इवमित्यमेव करोमि इति निश्चया-मिथान तत्कर ।

५-वही, पत्र ४४

आज्ञानिर्देशेन वा तरति भवाम्भोधिमि याज्ञानिर्देशातर इत्यावयोऽनन्तगमपर्यायत्वाद् भगवद्वचनस्य व्याख्यामेवा सम्भवन्तोऽपि मन्त्रमतीना व्यामोहहेतुनया बालाबलादिबोधोत्पादनार्थत्वाच्चास्य प्रयासस्य न प्रतिसूत्र प्रदर्शयिष्यन्ते ।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २६

उपपत्तनमुपपात, शुश्रूषाकरणमित्यर्थ ।

७-बृहद वृत्ति, पत्र ४४

उप—समीपे पत्तन—स्थानमुपपात. दृग्बचनविषयवेशावस्थानं तत्कारक—तबनुष्ठाता, न तु गुर्वावेशादिभीत्या तद्व्यवहितवेश-स्थायीति यावत् ।

शब्द सुन मके वहाँ रहने वाला अर्थात् आदेश के भय से दूर न बँठनेवाला' किया गया है। उपपात, निर्बन्ध, आज्ञा और विनय इन्हें एकार्षक भी माना गया है।^१

६—इंगित और आकार को (इगियागार ग) :

इंगित और आकार—ये दोनों शब्द शरीर की चेष्टाओं के वाचक हैं। किसी कार्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए गिर आदि को थोडा-मा हिलाना इंगित है। यह चेष्टा सूक्ष्म होती है। इसे निपुण मनि वाले लोग ही समझ सकते हैं।

आकार को म्थूल बुद्धिवाले लोग भी पकड़ सकते हैं। आमन को शिथिल करते हुए देख सहज ही यह जाना जा सकता है कि ये प्रस्थान करना चाहते हैं। उसी प्रकार दिखाओ को देखना, जम्भाई लेना और चादर ओढना—ये सब प्रस्थान की सूचना देने वाले 'आकार' हैं।^२

इंगित और आकार पर्यायवाची भी माने गए हैं।^३

७—जानता है (संपन्ने ग) :

चूर्णि और मुखबोधा में इसका अर्थ 'युक्त' और बृहद् वृत्ति में 'सम्प्रज्ञ' (जाननेवाला) एवं 'युक्त' दोनों अर्थ किए गए हैं। यहाँ बृहद् वृत्ति का पहला (सम्प्रज्ञ) अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।^४

श्लोक ५

८—चावलो की भूमी को (कणकुण्डग क) :

चूर्णि और टीका में इसके दो अर्थ किए गए हैं—चावलो की भूमी अथवा चावल मिश्रित भूमी। चूर्णिकार ने इसे पुष्टिकारक तथा मूल्यवान् प्रिय भोजन कहा है।^५

१—व्यवहारभाष्य, ४।३५४

उपवाओ निद्वेसो आणा विणओ य होति एगट्ठा ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

इंगित—निपुणमतिगम्यं प्रवृत्ति-निवृत्तिसूचकमीषद्भ्रूशिर कम्पादि आकार स्मृलधीसवेद्य प्रस्थानादि भावाभिव्यक्तो विगवलोकनादि आह च—'अवलोक्येण विसाण विषमण साड्यस्स संठवण ।

आमण-सिद्धिलीकरणं पट्टियलिगाइ एगाइ ॥

३ (क) अमिधानप्पवीपिका, ७६४

आकारो इंगितं इंगो ।

(ख) वही, ९८१ :

आकारो कारणे वुनो, सण्ठाने इंगितेपि च ।

४ (क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ २७

संपन्नवान् सपन्न ।

(ख) मुखबोधा, पत्र १

सम्पन्न युक्त ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

सम्पक् प्रकर्षेण जानाति इंगितकारसम्प्रज्ञ यद्वा-इंगितकाराभ्या गृहगतभावपरिज्ञानमेव कारणे कार्योपघागाविज्ञि-
ताकारशब्देनोक्त, तेन सम्पन्नो — युक्त ।

५- (क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७

कणा नाम तडुला , कुंडगा कुक्कसा , कणाना कुडगा कणकुडगा , कणमिस्सो वा कुंडक कणकुडक , सो य बुद्धिकरो,
सूयराण प्रियवच ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४५

कणा —तन्बुलास्तेषां तन्मिभो वा कुण्डक —ततक्षोवनोत्पन्नकुक्कुसः कणकुण्डकस्तम् ।

श्रावक धर्म-विधि प्रकरण में एक कथा आई है, जिसका आशय है कि एक राजा को खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसने किसी प्रकार के भोजन बनवाए। वह सब कुछ खा गया। यहाँ तक कि 'कण-कुडग, मंडक आदि भी खा गया।' इस कथानक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'कण-कुडग' चाबलों का कूडा नहीं पर कोई खाद्य विशेष था।^१

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कण-कुण्डक शब्द कई स्थानों में आया है (२।१५।५२, ५६, २।२१।४३)। वहाँ कुण्डक का अर्थ—'लाल चूर्ण जो कि छिलके के अन्दर चावल में चिपटा रहता है'—किया है।^२ जातक में 'आचामकुण्डक' शब्द आया है। वहाँ आचाम का अर्थ 'चावल का मांड' है।^३ आयाम का अर्थ 'चावल से बना हुआ यूप' भी है।^४

श्लोक ७

६-बुद्ध-पुत्र (आचार्य का प्रिय शिष्य) और मोक्ष का अर्थी (बुद्ध-पुत्र नियागद्वी ग) :

आचार्य नेमिचन्द्र के अनुसार 'बुद्ध-पुत्र' का अर्थ है—आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य और 'नियागद्वी' का अर्थ है—मोक्षामिलायी।^५

चूर्ण और बृहद् वृत्ति में 'बुद्धउत्त' पाठ है। 'बुद्धउत्त' और 'नियागद्वी' इन दोनों शब्दों को एक मानकर इसका सम्स्कृत रूप—'बुद्धोक्त-निजकार्थी'—तीर्थङ्कर आदि द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलाषी—किया गया है।^६

बृहद् वृत्ति में ये दो पाठान्तर माने गए हैं—

(१) 'बुद्धवृत्त'—बुद्धव्यक्त अर्थात् आगम।

(२) 'बुद्धपुत्र'—बुद्धपुत्र अर्थात् आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य।

ऋणिकार ने इस अध्ययन के बीमर्षे श्लोक में भी 'नियागद्वी' का अर्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का अर्थी—किया है।

आगम-साहित्य में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। इसका अर्थ है—आचार्य, तीर्थङ्कर, वीतराग, ज्ञानी, गुरु आदि-आदि। बौद्ध-साहित्य में इन अर्थों के साथ-साथ 'शाक्यपुत्र' के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है। महात्मा शाक्य मुनि को जब बोधि-लाभ

१—श्रावक-धर्मविधि प्रकरण, पत्र २४, २५।

२—The red powder which adheres to the rice under the husk. (Chulders)

३—Jatak 254, pp 1-2.

Acāma is scum of boiling rice

४—Ayāma, "A thin rice porridge" (Leumann Aupapatik S ५)

५—सुखबोधोपा, पत्र ३

बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र,—'पुत्रा य सीसा य सम विमत्ता' इतिवचनान्, स्वरूपविशेषणमेतत्, नियागार्थी मोक्षार्थी ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

बुद्धैस्त्वत्तं बुद्धोक्तं ज्ञानमित्यर्थं तदेव च नियाकं निजकमात्मीयं शेषं शरीरादि सर्वं पराक्यम्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६

बुद्धे—अवगततत्त्वैस्तीर्थकरादिभिरुक्तम्—अभिहित, तच्च तन्निजमेव निजकं च—ज्ञानादि तस्यैव बुद्धेरात्मीयत्वेन तस्यैव उत्तरज्ञानं, बुद्धोक्तं निजकं, तदर्थयने अभिलषणीत्येवंशीलं बुद्धोक्तं निजकार्थीं ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

पठन्ति च—'बुद्धवृत्तं गियामं द्वे त्ति' बुद्धे—उत्तररूपैर्युक्तो—विशेषेण अभिहित, स च द्वादशभागरूप आगमस्तस्मिन् स्थित इति गम्यते, यद्वा बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र ।

८—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३५

गियामं गिवाणं नियागमित्यर्थं णाणात्तित्तिं वा गियामं आत्मीयमित्यर्थः तेषां शरीरादि सर्वं पराक्यं, गियाएणद्धो जस्स सो गियागद्वी ।

हुवा तब वे बुद्ध कहलाए^१ और उनका दर्शन भी इसी नाम से अभिहित होने लगा। परन्तु महात्मा बुद्ध बोलते समय अपने लिए विशेषतः 'तथागत' शब्द का ही प्रयोग करते थे।

श्लोक ८

१०—(निसन्ते क—अट्टजुत्ताणि ग—निरट्टाणि घ) :

निसन्ते—चूर्ण और वृत्ति के आधार पर इसके तीन अर्थ फलित होते हैं^२—

- (१) जिसका अन्त करण क्रोधयुक्त न हो।
- (२) जिसका बाह्याकार प्रशान्त हो।
- (३) जिसकी चेष्टाएँ अत्यन्त शान्त हों।

अट्टजुत्ताणि इसके तीन अर्थ प्राप्त हैं—

- (१) आगम-वचन^३ (२) मोक्ष के उपाय^४ (३) अर्थ सहित^५

निरट्टाणि—चूर्णिकार ने निरर्थक शब्द के तीन उदाहरण दिए हैं—

- (१) भारत, रामायण आदि। ये लोकोत्तर अर्थ से शून्य हैं।
- (२) दिव्य, दवित्य, पाखंड आदि। ये अर्थ गा निरुक्त शून्य शब्द हैं।
- (३) स्त्री-कथा आदि। ये मुनि के लिये अनर्थक या अप्रयोजनीय हैं।^६

१- बुद्ध और बौद्ध साधक, पृ० १५।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

अहिय शान्तो निशान्त अक्रोधवानित्यर्थः, अत्यन्तशान्तचेष्टो वा।

(ख) सुल्लबोधा, पत्र ३

निशान्त नितरामुपशमवान् अन्त क्रोधपरिहारेण बहिषच्च प्रशान्ताकारतया।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

अर्थेन युक्तानि सूत्राण्युपदेशपदानि।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६, ४७

अर्थेन—गम्यत इति अर्थ, स च हेय उपादेयश्चोभयस्याप्यर्थ्यमाणत्वान्, तेन युक्तानि—अन्वितानि अर्थयुक्तानि, तानि च हेयोपादेयाभिधायकानि, अर्थादागमवचांसि।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

मुमुक्षुनिरर्थ्यमानत्वावर्थो—मोक्षस्तत्र युक्तानि—उपायतया सगतानि।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७ :

अर्थ वा अभिधेयमाभिव्य युक्तानि—यतिजनोचितानि।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८ :

न वेवामर्थो विद्यत इति निरस्थाणि 'भारहरामायणादीणि' अथवा चित्तो दवित्तो पाखंड इति, अथवा इत्थि कहादीणि।

श्लोक ६

११-क्रीडा (क्रीडां ष) :

इसका सामान्य अर्थ है—खेल-कूद, किलोल आदि । शात्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—अन्त्याक्षरी, प्रहेलिका आदि से उत्पन्न कुतूहल किया है ।^१ चूर्णिकार ने विकल्प में दोनो शब्दों (हासकीडं) का समुच्चयार्थ 'क्रीडापूर्वक हास्य' किया है ।^२

श्लोक १०

१२-चण्डालोचित कर्म (क्रूर-व्यवहार) (चण्डालिय क) :

चूर्ण में इसका मुख्य अर्थ क्रोध और अनृत दिया है ।^३ बृहद् वृत्ति में इसका मुख्य अर्थ क्रोध के वशीभूत हो अनृत भाषण करना और विकल्प में क्रूर-कर्म किया है ।^४ शात्याचार्य दूसरे विकल्प में 'भा अचण्डालिय' में अचण्ड को शिष्य का सम्बोधन मानकर 'अलीक' का अर्थ अनृत करते हैं ।^५ नेमिचन्द्र ने केवल क्रोध के वशीभूत होकर 'अनृत भाषण करना' यही एक अर्थ माना है ।^६ किन्तु चण्ड और अलीक इन दो शब्दों को भिन्न मानने की अपेक्षा चाण्डालिक एक शब्द मानना अधिक उपयुक्त है ।

१३-अकेला रहकर ध्यान करे (भाएज्ज एगगो ष) :

इस शब्द से एक लौकिक प्रतिपत्ति का संकेत मिलता है कि ध्यान अकेला करे, अध्ययन दो व्यक्ति करें और भ्रामान्तर-गमन तीन आदि व्यक्ति करें ।^७ भोजन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियाँ मण्डली में की जाती हैं ।^८ ध्यान मण्डली में नहीं किन्तु अकेले में किया जाता है । इस प्राचीन परम्परा का हा यहाँ निर्देश है ।

१-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

क्रीडा च अन्त्याक्षरिकाप्रहेलिकादानाविजनिताम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

अह्वा ज क्रीडपुष्पग हास्य तद् ।

३-वही, पत्र २९—बड़ो नाम क्रोध, ऋत सत्यं, न ऋतमनृतं, पागते तु तमेव अलियं, चंड च अलिय च चंडालियं ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

चण्ड —क्रोधस्तद्वशादलीकम्—अनृतभाषणं चण्डालीकम् । यद्वा —चण्डेनऽऽसमस्य चण्डेन वा कलितचण्डालः, स चातिक्रूरत्वा-
च्चण्डालजातिस्तस्मिन् भव चाण्डालिकं कर्मेति गम्यते ।

५-वही, पत्र ४७

अथवा अचण्ड । सौग्य । अलीकम्—अव्ययात्विधानाद्विभिरसत्य ।

६-सुखबोधा, पत्र ३

चण्डः क्रोधस्तद्वशाद् अलीकम्—अनृतभाषणं चण्डालिकं, लोभादलीकोपलक्षणमेतत् ।

७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

उक्तं हि—'एकस्य ध्यानं द्वयोर-ध्ययनं त्रिप्रवृत्तिप्राम', एवं लौकिका. संप्रतिपन्ना. ।

८-प्रवचन सारोद्धार, पा० ६९२

सुखे अथे अयोग काले आबस्तए च सञ्जाए ।

संधारे चेष तहा सत्तेया पंउछी जइणो ॥

श्लोक १२

१४-(गलियस्स क—आइण्णे ग) :

गलियस्स—इसका अर्थ है अबिनीत घोडा ।^१ गडी, गली और मराली ये तीन शब्द कुष्ठ घोड़े और बैल के पर्यायवाची हैं ।^२ गंडी—उछल-कूद करने वाला—पेटू । मराली—बाइन में जोतने पर लात मारने वाला या जमीन पर लेटने वाला ।

प्राइण्णे—इसका अर्थ है विनीत घोडा ।^३ आकीर्ण, विनीत और भद्रक ये तीन शब्द विनीत घोड़े और बैल के पर्यायवाची हैं ।^४

श्लोक १८

१५-आचार्यों के (किच्चण ख) :

कृति का अर्थ है—बन्दना । जो बन्दना के योग्य होते हैं उन्हें कृत्य—आचार्य कहा जाता है ।^५

श्लोक १६

१६-(पल्हत्थियं क—पक्खपिण्डं ख) :

पल्हत्थियं—घुटनों और जघाओं को कपड़े से बांधकर बँठने को पर्यन्तिका कहा जाता है ।^६

कुषाणकालीन मूर्तियों में, जो मधुरा से प्राप्त हुई हैं, यक्षकुवेर या साधु आदि अपनी टांग या पेट के चारों ओर वस्त्र बांधकर बँठे हुए दिखाए जाते हैं । उसे उस समय की भाषा में 'पल्हत्थिया' (पल्लौथी) कहते थे । ये दो प्रकार की होती थीं समग्र पल्हत्थिया या पूरी पलथी और अर्ध पल्हत्थिया या आधी पलथी ।

आधी पलथी दक्षिण ओर वाम अर्थात् दाहिना पैर या बाया पैर मोड़ने में दो प्रकार की होती थी । पलथी लगाने के लिए साटक, बाहुपट्ट, चर्मपट्ट, बल्कलपट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बन्धन बाँधा जाता था ।—ये पल्हत्थिका पट्ट रङ्गीन, चित्रित अथवा सुवर्ण—रत्न-मणि-मुक्ता खचिन भी बनाए जाते थे ।^७

पक्खपिण्डं—दोनों बाहुओं से जघाओं को वेष्टित कर बैठना, पक्ष-पिण्ड कहलाता है ।^८

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

गलि.—अबिनीत, स चासाधरवन्ध गल्यस्व ।

२-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गा० ६४

गडी गली मराली अस्से गोणे य वृत्ति एगट्टा ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

आकीर्णो—विनीत, स चेह प्रस्तावावध ।

४-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ६४

आइण्णे य विणीए भद्दए बावि एगट्टा ॥

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५४

कृति —बन्धन क तवर्हन्ति कृत्या. 'वण्डावित्वाद यप्रत्यय' ते चार्थादाचार्यादय

६-बही, पत्र ५४

'पर्यस्तिका' जानुजङ्घोपरिवस्त्रवेष्टनाऽऽत्मिकाम् ।

७-अगचिज्जा भूमिका, पृ० ५९ ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५

पक्खपिण्डो बोहिंवि बाहाहि उरुगजाणूणि घेत्तूण अच्छणं ।

श्लोक २०

१७-समीप रहे (उवचिद्वं घ) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'पास में बैठना' किया है।^१ टीकाओं में इसका अर्थ है—'मैं आपका अभिवादन करता हूँ'—ऐसा कहता हुआ सविनय गुरु के पास चला जाय।^२

श्लोक २५

१८-दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही (उभयस्सन्तरेण घ) :

टीकाओं में इसका अर्थ है—दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा प्रयोजन के बिना।^३ चूर्ण में इसका अर्थ दो या बहुत व्यक्तियों के बीच में बोलना—किया है।^४

श्लोक २६

१९-(समरेसु अगारेसु क सन्धीसु ख) :

'समरेसु'—चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ 'लोहार की शाला' है।^५ शान्त्याचार्य इसका अर्थ नाई की दुकान, लोहार की शाला और अन्य नीच-स्थान करते हैं। उन्होंने समर का दूसरा अर्थ यद्ध भी किया है।^६ नेमिचन्द्र के अनुसार इसका अर्थ नाई की दुकान है।^७

सर मोनियर विलियम्स ने समर का अर्थ 'समूह का एकत्रित होना' किया है।^८ यह भी अर्थ प्रकरण की दृष्टि में ग्राह्य हो सकता है। समर का संस्कृत रूप स्मर भी होता है। इसका अर्थ है कामदेव मन्वन्त्री या कामदेव का मंदिर।^९ अनुवाद में हमने यही अर्थ किया है। इस शब्द के द्वारा मन्वेहास्तद म्यान का उल्लेख इष्ट है।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५ .

उपेत्य तिष्ठेत वा चिद्वेजा ।

२-(क) बृहद वृत्ति, पत्र ५५

'उपतिष्ठेत' मस्तकेनाभिवन्द इत्यादि बहव सविनयमुपसर्प्ये ।

(ख) सुखबोधो, पत्र ८ ।

३-(क) बृहद वृत्ति, पत्र ५७

'उभयस्स' त्ति आत्मन परस्य च, प्रयोजनमिति गम्यते 'अनरेण व' त्ति बिना वा प्रयोजनमित्युपरकार ।

(ख) सुखबोधो, पत्र १० ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३६, ३७ ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

समर नाम जाय हेट्टा लोहयारा कम्मं करेति ।

३-बृहद वृत्ति, पत्र ५७

समरेषु खरकुटीषु

उपलक्षणत्वादस्यान्येष्वपि नीचास्पदेषु

अथवा सममरिभिर्बर्तन् इति समरा ।

७-सुखबोधो, पत्र १०

समरेषु-खरकुटीषु ।

८- Sanskrit-English Dictionary, 1170

Samara—coming together meeting, concourse, confluence

९-(क) पाइअ सद् महण्णवो, पृ० १०८५ ।

(ख) अणविजा भूमिका, पृ० ६३

समर-स्मर-गृह या कामदेव गृह ।

'अगारेषु'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'शूल्यागार' और शान्त्याचार्य ने केवल गृह किया है ।^२

'संधीषु'—घरों के बीच की संधि । दो दीवारों के बीच का प्रच्छन्न स्थान ।^३

श्लोक २७

२०—(सीएण फल्लेण ऋ) :

'सीएण'—प्रकरणवशा चूर्णिकार ने 'शीत' का अर्थ 'स्वादु' (मधुर), शान्त्याचार्य ने 'उपचार सहित' और नेमिचन्द्र ने 'आह्लादक' किया है ।^४

'फल्लेण'—चूर्णिकार ने 'परुष' का अर्थ स्नेह-वर्जित या निष्ठुर और बृहद् वृत्तिकार ने कर्कश किया है ।^५ गच्छाचार की वृत्ति में सुई के तुल्य चुमने वाले वचन को खर, बाण तुल्य चुमने वाले वचन को परुष और भाले के समान चुमने वाले वचन को कर्कश कहा है ।^६

श्लोक ३०

२१—हाथ-पैर आदि से चपलता न करे (अप्यकुक्कुए ष) :

चूर्ण में 'अप्य' का अर्थ निषेध है ।^७ शान्त्याचार्य ने 'अप्य' शब्द के अर्थ 'थोडा' और 'नही'—दोनों किए हैं ।^८ नेमिचन्द्र ने केवल 'थोडा' किया है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

अगार नाम शूल्यागारं ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०

अगारेषु—गृहेषु ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

संधाणं संधि, बहूण वा घराणं तिष्णं घराणं यवंतरा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७ :

'गृहसन्धिषु च' गृहव्यागतरालेषु च ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

शीतेन स्वादुना इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

'शीतेन' सोपचारवचसा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १०

शीतेन—उपचाराच्छीतलेनाऽऽह्लादकेनेत्यर्थः ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७

परुषं—स्नेहवर्जितं यत्परोक्षं निष्ठुरामिषानम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

'परुषेण' कर्कशेण ।

६—गच्छाचार, पत्र ५६

खरा शूचीतुल्या । परुषा बाणतुल्या । कर्कशा कुन्ततुल्या ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३८

'अप्यकुक्कुए' ति न गात्राणी स्यद्यती न वा अन्नद्वाराणो भवति, अन्नस्थुसास-शीससितादी अत्यस्नेह मुक्त्वा शेषमकुक्कुषो ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८, ५९

'अप्यकुक्कुए' ति अत्यस्वग्नेन, करादिभिरत्यमेव चलन, यथा—अत्यशब्दोऽभाषामिषायी, ततश्चाल्पम्—असन्न कुक्कुयं ति

कौक्कुच—कर-वरण-भ्रू-भ्रमणाद्यतच्छेष्टात्मकमत्येत्यल्पकौक्कुच ।

९—सुखबोधा, पत्र ११ ।

श्लोक ३२

२२-प्रतिरूप में (मुनि-वेष में) (पङ्क्तिवेषेण ग) :

प्रस्तुत श्लोक में प्रतिरूप शब्द है और २६वें अध्ययन के ४३वें सूत्र में प्रतिरूपता ।

इस श्लोक की व्याख्या में चूर्णिकार ने प्रतिरूप के तीन अर्थ किए हैं^१—

(१) प्रतिरूप—शोभन रूप वाला ।

(२) प्रतिरूप—उत्कृष्ट वेष वाला अर्थात् रजोहरण, गोच्छन्न और पात्रधारी ।

(३) प्रतिरूप—जिन प्रतिरूपक—यानि तीर्थंकर की भाँति हाथ में भोजन करने वाला ।

इनका प्रकरणगत अर्थ यह है कि मुनि—स्थविर कल्पी या जिन कल्पी—जिस वेष में हो उसी वेष में भिक्षा करे ।

वृत्ति-काल में इसका अर्थ—'चिरंतन मुनियों के समान वेष वाला'—ही मुख्य रहा है ।^२

प्रतिरूप का अर्थ प्रतिबिम्ब है । वह तीर्थंकर का भी हो सकता है और चिरंतन मुनियों का भी हो सकता है । यहाँ चिरंतन मुनियों के समान वेष वाला—यह अर्थ प्रासंगिक है और २६।४३ में तीर्थंकर के समान वेष वाला प्रासंगिक है । देखें २६।४३ का टिप्पण ।

श्लोक ३३

२३-श्लोक ३३ :

इससे पूर्ववर्ती श्लोक में 'मिय कालेण भक्सेए' इस पद द्वारा भोजन-विधि का उल्लेख हो चुका है । फिर भी इस श्लोक में पुनः भिक्षाटन करने की जो बात कही है, उसकी सगति इस प्रकार होती है—साधु सामान्यतः एक बार ही भिक्षा के लिए जाए परन्तु ग्लान के निमित्त या जो आहार मिला उससे क्षुधा गान्त न होने पर वह साधु पुनः भिक्षा के लिए जाए । इसको पुष्टि में टीकाकार दशवैकालिक (अ०५ उ०२) के निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं—

• • • • • जइ तेण न सथरे ॥२॥

ततो कारणमुपन्ने, भत्तपाण गवेसए ।

• • • • • ॥३॥

इस ३३वें श्लोक का विस्तार दशवैकालिक ५।२।१०, ११, १२ में मिलता है ।

श्लोक ३४

२४-श्लोक ३४ :

इस श्लोक का प्रथम चरण 'नाइउच्च व नीए वा'—ऊर्ध्वमालापहृत और अधोमालापहृत नामक भिक्षा के दोषों की ओर संकेत करता है । इनकी विवेक जानकारी के लिए दशवैकालिक ५।१।६७, ६८, ६९ देखें । इसी श्लोक का दूसरा चरण 'नासन्ने नाइदुरओ'—गोचराग्र गाए हुए मुनि के गृह-प्रवेश की मर्यादा की ओर संकेत करता है । इसका विस्तार दशवैकालिक ५।१।२४ में मिलता है । तीसरे चरण में आए हुए दो शब्द 'फासुया', 'परकड' 'पिण्ड', का विस्तार दशवैकालिक ८।२३ और ८।५१ में मिलता है ।

१-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३९ ।

पङ्क्तिवेषेण नाम सोमणस्सं, जहा पासवीये वरिसवीजे अहिरुवे पङ्क्तिवे, रूपं रूपं च प्रति यद्वन्यरूपं, तत्प्रतिरूपं, सर्वथर्मभूतेभ्यो हि तद्रूपमुत्कृष्टं, तत्तद्रूपहरण-गोच्छ-पङ्क्तिमाह माताए, जे वा पाणिपङ्क्तिव्या जिणकप्पिता तेसि गहणं, तेसि जिणकप्रतिरूपक भवति, यतस्तेन प्रतिरूपेण ।

२-(क) बृहद् वृत्ति पत्र, ५९ :

प्रतिप्रतिबिम्बं चिरंतनमुनीनां यद्रूप तेन, उभयत्र पलद्घृहादिधारणात्मकेन सकलान्यधार्मिकविलक्षणैः ।

(ख) सुजबोधा, पत्र ११ ।

श्लोक ३५

२५--(अप्पाणेऽप्यबीयंमि क) :

'अप्पाणे'—इसका अर्थ है—प्राणी-रहित स्थान में । दोनों टीकाकार 'पाण' शब्द से द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों का ग्रहण करते हैं । परन्तु चूर्णिकार इस शब्द के द्वारा समस्त प्राणियों—स्वावर व त्रस—का ग्रहण करते हैं ।^१

यहाँ शान्त्याचार्य ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इस चरण में आए हुए दो शब्दों 'अल्प-प्राण' और 'अल्पबीज' में अल्पबीज शब्द निरर्थक है क्योंकि प्राण शब्द से समस्त प्राणियों का ग्रहण हो जाता है । बीज भी प्राण है ।

इस तर्क का उन्होंने इन शब्दों में समाधान किया है—मुख और नासिका के द्वारा जो वायु निकलती है, उसे प्राण कहते हैं । लोक में 'प्राण' का यही अर्थ रूढ़ है । प्राण द्वीन्द्रिय आदि में ही होता है । एकेन्द्रिय जीवों में वह नहीं होता । अतः 'अल्पबीज' का निर्देश सप्रयोजन है ।^२

चूर्णिकार का अभिमत है कि यहाँ अर्थ को दृष्टि से 'अप्पाणे' पाठ होना चाहिए, किन्तु उसमें श्लोक रचना ठीक नहीं बैठती । इस दृष्टि से 'अपाणे' के स्थान में 'अप्पाणे' का प्रयोग किया गया है ।^३

टीकाकार की दृष्टि में भी अल्प शब्द अभाववाची है ।^४ इसमें भी चूर्णिकार का मत समर्थित होता है ।

'अप्यबीयमि'—इसका शब्दार्थ है—बीज रहित स्थान में । उपलक्षण से इसका अर्थ समस्त स्वावर जन्तु रहित स्थान में होता है ।^५ बीज सहित स्थान वर्जनीय है तो हरियाली सहित स्थान अपने आप वर्जनीय हो जाता है ।^६

२६--(पडिच्छन्नंमि संवुडे ख) :

'पडिच्छन्नमि'—ऊर से ढके हुए उपाश्रय में ।

यहाँ प्रतिपाद्य यह है कि साधु खुले आकाश में भोजन न करें । क्योंकि वहाँ से ऊर से गिरने वाले सूक्ष्म जीवों का उपद्रव हो सकता है । अतः ऐसे स्थान में आहार करें जो ऊर से छाया हुआ हो ।^७

'संवुडे'—पार्श्व में भित्ति आदि के संबृत उपाश्रय में ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

प्राणग्रहणात् सर्वप्राणीनां ग्रहणम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६० :

ननु चाल्पप्राण इत्युक्ते अल्पबीज इति गतार्थं, बीजानामपि प्राणत्वाद्, उच्यते, मुखनासिकाभ्या यो निर्गच्छति वायुः स एवेह-लोके ह्यित प्राणो गृह्यते । अयं च द्वीन्द्रियादीनामेव सम्भवति, न बीजाद्येकेन्द्रियाणामिति ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४०

अप्पाणेति वतब्धे अधाणुलोमे अप्पाणे ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०

अत्या—अविद्यमानाः प्राणा —प्राणिनो यस्मिन्स्तदल्पप्राणम् ।

५—बृही, पत्र ६० :

अत्यानि अविद्यमानानि बीजानि शाल्यादीनि यस्मिन्स्तदल्पबीजं तस्मिन्, उपलक्षणत्वाच्चास्य सकलैकेन्द्रियविरहिते ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

बीजग्रहणात् तद्भेदाः यत्रिवा बीजाऽपि वर्जयन्ति, किमुत हरितत्रसाद्य ?

७—सुखबोध्या, पत्र १२

प्रतिच्छन्ने—उपरिप्रावरणाऽन्विते, अन्यथा संपातिसत्त्वसंपातसंभवात् ।

चूर्णिकार ने 'संबुडे' को साधु का विशेषण मानकर इसका अर्थ संयत या सर्वेन्द्रिय गुत किया है।^१ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसे स्थान का विशेषण माना है।^२ अनुवाद का आधार यह दूसरा अर्थ रहा है। शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'संबुडे' को साधु का विशेषण भी माना है।^३

मिलाइए दशवैकालिक ५।१।२३, टिप्पण संख्या २०३।

२७—(समयं ग.....जय अपरिसाडियं च) :

'समयं'—इसका अर्थ है—साथ में। इस शब्द के द्वारा गच्छवासी साधुओं की सामाचारी का निर्देश हुआ है। जो मण्डली-भोजी साधु हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने सहधर्मी साधुओं को निमंत्रित कर उनके साथ भोजन करें, एकाकी न जाएँ। इस आशय का स्पष्ट उल्लेख दशवैकालिक ५।१।२५ में मिलता है।

दोनों टीकाकार प्रधानतः इसी अर्थ को मान्य करते हैं और दशवैकालिक ५।१ का २५वाँ श्लोक उद्धृत करते हैं। शान्त्याचार्य ने विकल्प में इसका अर्थ—'सरस-विरस आहार आदि में अनासक्त होकर'—भी किया है।^४

चूर्ण में बताया गया है कि अकेला भोजन करे वह समतापूर्वक करे और मण्डली-भोजन करने वाला साधुओं को निमंत्रित कर भोजन करे।^५

'जयं अपरिसाडियं'—यह पद दशवैकालिक ५।१।२६ में ज्यो-का-त्यो आया है।

श्लोक ३६

२८—श्लोक ३६ :

देखिए दशवैकालिक ७।४१ टिप्पण संख्या ६७।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ४०
संबुडो नाम सन्विवियुतो ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०, ६१
'सकृते' पार्षस कटकृत्यादिना सकटद्वारे, अटव्या कुडंगादिषु वा ।
(ख) सुखबोधा, पत्र १२।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१
सकृतो वा सकलाभ्यमविरमणात् ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६१
'समकम्' अन्यैः सह, न त्वेकाक्येव रसलम्पटतया समूहासहिष्णुतया वा, अत्राह च—
साहवो तो चियसेण, निमतेज्ज जहकम ।
जइ तत्थ केइ इच्छेजा, तेहि सडि तु मुंजए ॥
सि, गच्छन्थितसामाचारी जेय गच्छस्यैवं जिनकल्पिकादीनामपि भूलत्वव्यापनायोक्ता ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ४० ।

समतं नाम सम्यग् रागद्वेष विमुक्त एकाकी मुक्ते, यस्तु मडलीए मुक्ते सोऽधिसमग सजएहि मुंजेज्ज, सहाय्यैः साधुभिरिति, अहवा समयं जहारासिणो लवणे गेण्हइण्णे वा, तथा अविक्कितवचनो गेण्हति ।

श्लोक ४०

२९—आचार्य का उपवात करनेवाला न हो (बुद्धोपवाही न सिया ण) :

बुद्ध या आचार्य की उपवात के तीन प्रकार हैं—

- १—ज्ञान-उपवात— यह आचार्य अल्प-भूत है या ज्ञान का गोपन करता है ।
- २—दर्शन-उपवात— यह आचार्य उन्मार्ग का प्ररूपण करता है या उसमें श्रद्धा करता है ।
- ३—चारित्र-उपवात— यह आचार्य पार्ष्वस्व या कुशील है ।

इस प्रकार जो व्यवहार करता है, वह आचार्य का उपवाती होता है ।

इसका दूसरा अर्थ यह है—जो शिष्य आचार्य की वृत्ति का उपवात करता है, वह भी 'बुद्धोपवाती' कहलाता है । आचार्य को दीर्घजीवी देख शिष्य सोचते हैं—'हम लोग कब तक इनकी परिचर्या करते रहेंगे, कोई ऐसा प्रयत्न करें, जिससे ये अनशन कर लें ।' वे शिक्षा में पूर्ण नीरस आहार लाते हैं और कहते हैं—'भते ! क्या करें ? श्रावक लोग अच्छा आहार देते ही नहीं ।' उधर श्रावक लोग यह सोचकर कि आचार्य बुद्ध हैं, सौभाग्य से हमारे यहाँ स्थान-स्थित हैं, अतः हम स्वतः प्राप्त प्रणीत-भोजन उन्हें दें, शिक्षा के लिए आने वाले साधुओं को प्रणीत आहार देना चाहते हैं पर वे साधु उन्हें कहते हैं—'आचार्य प्रणीत-भोजन नहीं लेना चाहते । वे संलेखना कर रहे हैं—अनशन की तैयारी के लिए काया को कृश कर रहे हैं ।' श्रावक आचार्य को कहते हैं—'भगवन् ! आप महान् उद्योतकारी आचार्य हैं इसलिए असमय में ही संलेखना क्यों करते हैं ? आप हमारे भारभूत नहीं हैं । हम शक्तिभर आपकी सेवा करना चाहते हैं । आपके विनीत साधु भी आपकी सेवा करना चाहते हैं । वे भी आपसे खिन्न नहीं हैं ।' आचार्य इस सारी स्थिति को जानकर सोचते हैं—'इस अप्रतीतिहेतुक प्राण-धारण से क्या अर्थ है ? धर्मार्थी पुरुष को अप्रीति उत्पन्न करना उचित नहीं ।' वे तत्काल श्रावकों से कहते हैं—'मैं नियत-बिहारी होकर कितने दिन तक इन विनीत साधुओं को और आपको रोके रहूँगा । अच्छा है, अब मैं उत्तम-अर्थ का अनुसरण करूँ ।' इस प्रकार श्रावकों को समझाकर आचार्य अनशन कर लेते हैं ।

शिष्यों की ऐसी चेष्टा भी आचार्य की उपवात करने वाली कहलाती है । इसलिए विनीत शिष्य बुद्धोपवाती न हो—आचार्य को अनशन आदि के लिए बाध्य करने वाला न हो ।^१

३०—छिद्रान्वेषी (तोत्तगवेसए ष) :

जिसके द्वारा व्यथा उत्पन्न होती है उसे तोत्त—तोत्र कहा जाता है । द्रव्य तोत्र हैं—चाबुक, प्रहार आदि और भाव तोत्र हैं—दोषोद्भावन, तिरस्कारयुक्त वचन, छिद्रान्वेषण आदि-आदि ।^२

१—(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० ४२ ।

बुद्धो—आचार्यो, बुद्धानुपहृत्तुं शीलं दाय स ररुवति बुद्धोपवाती, उपेय घातः उपवात, स तु त्रिविध जाणावि, जाणे अप्यसुतो एस वेसं गोप्यवइ इओ वंसणे उग्गमां पणवेति सहहति वा, करणे वासत्थो वा कुशीलो वा एवमाशी, अहवा आचरियस्स वृत्तिमुपहंसि, जहा एको आचरियो अ (बवा) यमयो (अगमओ), तरस सीसा चित्ति—केचिं कालं अभूहि एयस्स वट्ठि-वव्वंति ?, तो तथा काहामो जहा अत्तं पच्चवस्सति, ताहे अत्तं एव (चिरत्तं अत्तं) उचवेति, अणति य—ण वेति सग्धा, किं करेओ ?, सादयाअ अ कहेति—अहा आचरिया पणीयं पाणमोयणं ण इच्छति, संलेहणं करेत्तिसि, ततो सग्धा मागतुण अणति—किं अमासमया ! संलेहणं करेह ?, ण वयं पडिधारणा वा णिअण्णसि, ताहे ते जाण्डण तेहि वेव चारित्ति अणति—किं मे सिस्सेहि बुध्मेहि वाऽधरोहिएहि ?, उत्तमाचरिय उत्तमत्ठं पडिअजानि, प०२ अत्त पच्चवस्सति, इत्येवं बुद्धोपवाती न सिया ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ६२, ६३ ।

२—(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० ४२ ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ६२ ।

श्लोक ४७

३१—कर्म-सम्पदा (दस-विध सामाचारी) से सम्पन्न (कर्म-संपदा च) :

प्राचीन काल में क्रिया की उप-सम्पदा के लिए साधुओं की विशेष निष्पत्ति होती थी। वे साधुओं को दस-विध सामाचारी का प्रशिक्षण देते और उसकी पालना कराने का ध्यान रखते थे। शूर्णि में 'कर्म-सम्पदा' का अर्थ 'योगज विभूति सम्पन्न' किया है।^१
बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ किए गए हैं—सामाचारी से सम्पन्न और योगज विभूति से सम्पन्न।^२

श्लोक ४८

३२—(मलपंकपुञ्ज्यं च अप्पर ए च) :

मलपंकपुञ्ज्यं—मनुष्य शरीर का निर्माण मल और पंक (रक्त और वीर्य) से होता है, इसलिए उसे मल-पंक-पुञ्जक कहा जाता है।^३
अप्परए—जो 'अत्परत' होता है—मोह जनित क्रीडा से रहित होता है, उसे 'अत्परत' कहा जाता है। जिसके वर्तमान-कर्म अल्प होते हैं उसे 'अत्परजा' कहा जाता है। 'अप्परए' के ये दोनों अर्थ हो सकते हैं।^४

१—उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० ४४

अशक्तीणमहाणसीयाविल द्विजुसो ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६६

कर्म—क्रिया दशविधकृत्वास्तसामाचारीप्रसृतिरितिकर्तव्यता तस्याः सम्पत्—सम्पन्नता तथा, लक्षणे तृतीया, ततः कर्मसम्पदोपलक्षितस्तिष्ठतीति सम्बन्ध, '... 'कर्म-सम्पदा' यत्यनुष्ठानमाहात्म्यसमुत्पन्नगुलाकाविल विषयस्यस्या ।

३—बही, पत्र ६७

'मलपंकपुञ्ज्यं' ति जीवशुद्ध्यपहारितया मलमल्ल स चासौ 'पावे बज्जे वेरे पंके पणए य' ति बच्चलात् पङ्कज्य कर्ममलपङ्क स पूर्व—कार्यात् प्रथमभावितया कारणमस्येति मलपङ्कपूर्वकं, यद्वा—'माओउयं पिऊसुपकं' ति बच्चान् रक्तपुङ्के एव मलपङ्कौ तत्पूर्वकम् ।

४—बही, पत्र ६७

'अप्परए' ति अल्पमिति—अविद्यमानं रतमिति—क्रीडितं मोहनीयकर्मोदयजनितमस्येति अत्परतो—सकससमाधिः, अत्परजा च प्रतनुबध्यमानकर्म ।

अध्ययन २

श्लोक २

१-श्लोक २ :

परीषह प्रकरण में 'क्षुधा परीषह' को स्थान क्यों दिया गया ? चूर्णिकार ने इसका समाधान 'क्षुधासमा नास्ति शरीर-वेदना'— भूल के समान दूसरी शारीरिक वेदना नहीं है—कहकर किया है ।^१

वेमिचन्द्र यहाँ एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं—

पंचसत्त्वा नत्वि जरा, वारिहसतो य परिमबो नत्वि ।

वरणसत्त्वं नत्वि मयं, क्षुधासत्त्वा वेदना नत्वि ॥^२

पथ के समान कोई बुढ़ापा नहीं है, दरिद्रता के समान कोई पराभव नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है और क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है ।

श्लोक ३

२-काक-जंघा (काली-पञ्च क) :

इसका अर्थ है 'काक-जघा' नामक तृण । इसे हिन्दी में घुघची या गुजा का वृक्ष कहा जाता है ।

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'तृण विणेष' जिसको कई लोग 'काक-जघा' कहते हैं, किया है ।^३

टीकाकार भी इसी अर्थ को मान्य करते हैं ।^४ परन्तु आधुनिक विद्वान् डॉ० हरमन जेकोबी, डॉ० माडेमरा आदि ने 'काक-जंघा' का अर्थ कौए की जघा किया है ।^५

बौद्ध-साहित्य में अल्प-आहार से होने वाली शारीरिक अवस्था के वर्णन में 'काल-ग्वानि' शब्द आया है ।^६

राहुलजी ने इसका अर्थ 'काल वृक्ष के पर्व' किया है ।^७ यह अर्थ टीकाकारों के अर्थ से मिलता-जुलता है ।

काल जघा नामक तृण-वृक्ष के पर्व स्थूल और उसके मध्यवेग कृश होते हैं । उसी प्रकार जिम भिक्षु के घटने, कोहनी आदि स्थूल और जघा, ऊरु (माथल), बाहु आदि कृश होते हैं, उसे 'काली-पञ्चग-संक्रामे' (काली पर्व मकाशाङ्ग) कहा जाता है ।^८

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५२ ।

२-सुखबोधा, पत्र १७ ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३ ।

काली नाम तृणवितेसो, केह काकजघा मजंति, तीसे पासतो पञ्चाणि तुलाणि तणूणि ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ८४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १८ ।

५-(क) The Sacred Books of the East, Vol. XLV, page 10 : emaciated like the joint of a crow's (leg).

(ख) उत्तराध्ययन, पृ० १७ ।

६-मज्झिम निकाय, १२।६।१९ ।

७-बही, अनुवाद पृ० ५० ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३

कालीतृणपर्वणः पर्वन्निरगानि संक्रामानि यस्य स भवति कालीतृणपर्वणसंक्रामः, तानि हि कालीपर्वणि तस्मिन् थूराणि मध्ये कृशानि, एवमसावपि भिक्षु छुहाए जानुकुप्परसत्थिषु शरो भवति, जघोस्कालाधिकबाहुसु कृश ।

३-धमनियों का ढाँचा (धमणि-सतए ष) :

इसका भावार्थ है—अत्यन्त कृपा । जिसका शरीर केवल धमनियों का जाल-मात्र रह गया हो ।^१

बौद्ध-ग्रन्थों में भी 'किस धमनिसन्धत' ऐसा प्रयोग आया है । उसका अर्थ—दुबला-गूला और नसों से मढ़े शरीर वाला है ।^२ इस प्रयोग से एक तर्क होता है कि एक ओर तो बौद्ध तपस्या का लक्षण करते हैं और दूसरी ओर 'किस धमनिसन्धत' को ब्रह्मा बताते हुए उसे ब्राह्मण का लक्षण मानते हैं । इसका क्या कारण है ? इस प्रयोग को तथा मज्झिम निकाय (१२।६।१६।२०) के विवरण को देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौद्धों पर जैन-साहित्य और तपस्या-विधि का प्रभाव रहा है ।

भागवत में भी—“एवं चीर्णेन तपस्या, मुनिधर्मनिसन्धत” —ऐसा प्रयोग आया है ।^३

इससे यह प्रतीत होता है कि तीनों (जैन, बौद्ध और वैदिक) धार्मिक परम्पराओं में कुछ रेखाएँ समान रूप से खींची हुई हैं ।

श्लोक ४

४-सचित्त पानी (सीओदगं ग) :

शीत का अर्थ है ठण्डा । शीत-उदक—यह स्वरूपस्थ (शास्त्र से अनुपहृत या सजीव) जल का सूचक है ।^४ डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ Cold Water 'ठण्डा पानी' किया है । यह शब्द का लाक्षणिक अर्थ है, जो आमक भी है । ठण्डा पानी सचित्त भी हो सकता है और अचित्त भी । यहाँ सचित्त अर्थ अभिप्रेत है ।

श्लोक ८

५-स्वेद, मैल या प्यास के दाह से (परिदाहेण ष) :

दाह दो प्रकार के होते हैं—बाह्य दाह और आन्तरिक दाह । स्वेद, मैल आदि द्वारा शरीर में जो दाह होता है वह बाह्य-दाह है और प्यास जनित दाह को आन्तरिक-दाह कहते हैं । यहाँ दोनों प्रकार के दाह अभिप्रेत हैं ।^५ चूणिकार ने इस प्रसंग में एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है -

उर्वरि तावेह रषी, रषिकरपरितापिता बहूह मूमी ।

सम्बावो परिदाहो, वसमल्यरिगतंगा तस्त ॥^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ८४

धमनय.-शिरास्तामि सन्ततो-व्यासो धमनिसतत ।

२-धम्मपब, २६।१३

पंसूकूलधरं जन्तुं, किसं धमनिसन्धतं,

एक वनस्मि भायत, तमहं वूभि ब्राह्मणं ।

३-भागवत, ११।१८।६ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ८६

शीतं-शीतलं, स्वरूपस्थतोयोपलक्षणमेतत्, तत्त. स्वकीयाविशास्त्रानुपहृतम् अत्रासुकमित्यर्थ ।

५-बही, पत्र ८९ :

परिदाहेन—बहिः स्वेदमलान्ध्यां बह्निना वा, अगतस्य कृष्णया जमित्तवाहृत्स्वरूपेण ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५७ ।

श्लोक ११

६-संत्रस्त न हो (न संतसे क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए—किया है ।^१

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

(१) दशमशक आदि से संत्रस्त न हो ।

(२) हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए ।^२

डॉ० हरमन जेकोबी और डॉ० साडेसरा ने इसका अर्थ—प्राणियों को त्रसित न करना—किया है ।^३

इसमें परम्पर कोई विरोध नहीं है परन्तु परीषद् का प्रकरण है इसलिए शान्त्याचार्य का प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

इस श्लोक में आया हुआ 'एगया' शब्द मुनि की जिनकल्पिक और स्वविरकल्पिक अवस्थाओं तथा वस्त्राभाव आदि अवस्थाओं की ओर संकेत करता है ।

चूर्णिकार के अनुसार—मुनि जिन-कल्प अवस्था में 'अचेलक' होता है । स्वविर-कल्प अवस्था में वह दिन में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में बरसात न आने तक भी अचेलक रहता है । शिशिर-रात्र (पौष और माघ), वर्षा-रात्र (भाद्र और आश्विन), बरसात गिरते समय तथा प्रभात काल में भिक्षा के लिए जाते समय वह 'सचेलक' रहता है ।^४

इससे यह लगता है कि एक ही मुनि एक ही काल में अचेलक और सचेलक—दोनों अवस्थाओं में रहता है ।

शान्त्याचार्य के अनुसार जिन-कल्प अवस्था में मुनि अचेलक होता है और स्वविर-कल्प अवस्था में भी जब वस्त्र दुर्लभ हो जाते हैं या सर्वथा मिलते ही नहीं अथवा वस्त्र होने पर भी वर्षा ऋतु के बिना उनको धारण न करने की परम्परा होने के कारण अथवा वस्त्रों के फट जाने पर—वह अचेलक हो जाता है ।^५ नेमिचन्द्र का अभिमत भी संक्षेप में यही है ।^६

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५९

न संत्रसति अंगानि कंपयति विक्रियति वा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ९१

'न संत्रसेल' नो द्विजेत्, दंशाविभ्य इति गम्यते, यद्वाऽनेकार्थत्वाद्वाऽतूनां न कम्पयेत्तेस्तुङ्गमानोऽपि, अङ्गानीति शेष ।

३-(क) The Sacred Books of the East vol. XLV, p. 11 He should not scare away (insects)

(ख) उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० १९ त्रास आपयो नही... ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६० :

एगता नाम जडा जिषकप्य पडिबज्जति, अहवा विवा अचेलगो मवति, ग्रीष्मे वा, वासासृषि वासे अपडिते ष पाउणति, एषमेव एगता अचेलगो मवति, 'सचेले वावि एगता' संख्या—किस्किररासीए बरिसारसे वासावासे पडते मिवस हिंडते ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ९२-९३ :

'एकवा' एकस्मिन् काले जिनकल्पप्रतिवस्तौ स्वविश्वरूपेण दुर्लभवस्त्रादौ वा सर्वथा चेलाभावेन, सति वा चेले विना वर्षादि-निमित्तमप्राचरणेन, जीर्णाविवस्त्रतयत् वा 'अचेलक' इति गम्यन्तोऽपि मवति ।

६-सुब्रह्मणेया, पत्र २२ :

'एकवा' किनकल्पिकावस्थायां सर्वथा चेलाभावेन जीर्णाविवस्त्रतया वा अचेलको मवति सचेलक 'एकवा' स्वविरकल्पिकावस्थायात् ।

हेमस्त के चले जाने और प्रीष्म के आ जाने पर मुनि एक शाटक या अचेल हो जाए—यह आचारांग में बताया गया है।^१ रान को हिम, ओस आदि के जीवों की हिंसा से बचने के लिए तथा बरसात में जल के जीवों से बचने के लिए वस्त्र पहनने-ओढ़ने का भी विधान मिलता है।^२

स्थानाग में कहा है—पाँच स्थानों से अचेलक प्रवास्त होता है—

- (१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती है।
- (२) उसका लाघव (उपकरण तथा कषाय की अल्पता) प्रवास्त होता है।
- (३) उसका रूप—वेष वैश्वसिक (विश्वास योग्य) होता है।
- (४) तपोनुज्ञात—उसका तप (प्रतिसलीनता नामक बाह्य तप का एक प्रकार—उपकरण-संलीनता) जिनानुमत होता है।
- (५) उसके विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है।^३

तीसरे स्थान में कहा है—तीन कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थनियों वस्त्र धारण कर सकती हैं—

- (१) लज्जा निवारण के लिए।
- (२) जुगुप्सा—घृणा निवारण के लिए।
- (३) परीषह निवारण के लिए।^४

इसी अध्ययन के चौतीस ओर पैंतीसवें श्लोक में जो वस्त्र निषेध फलित होता है, वह भी जिन-कृती या विशेष अभिग्रहचारी मुनि की अपेक्षा से है—यह प्रस्तुत श्लोक से ममझा जा सकता है।

श्लोक १८

८—सयम के लिए (लाढे क) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ—'एषणीय-आहार' अथवा 'मुनि-गुणों के द्वारा जीवन यापन करने वाला'—किया है। उनके अनुसार यह श्लाघावाची देशी शब्द है।^५ चूर्णिकार और नेमिचन्द्र भी संक्षेप में यही अर्थ करते हैं।^६ यह विशेषण चर्या के प्रमंग में आया है और इसके अगले चरण में परीषहो को जीतने की बात कही है तथा इसे श्लाघावाची शब्द कहा है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान देने में इसका मूल अर्थ 'लाढ' या 'राढ' देश लगना है। भगवान् महावीर ने वहाँ विहार किया था, तत्र वहाँ अनेक कष्ट सहे थे।^७ आगे चरकर वह शब्द कष्ट महेने वालों के लिए श्लाघा सूचक बन गया।

अ० १५ श्लो० २ में लाढ का अर्थ—सन् अनुष्ठान से प्रधान—किया है।^८

१—आचारांग, १।८।४।५०-५२।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ९६

तह निसि चाउकालं तज्जायज्जाणसाहणमिसीणं ।

हिममहियाबासोसारयाइरफलाणिमित्त तु ॥

३—स्थानाग, ५।३।४।५५।

४—वही, ३।३।१७१।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

'लाढे' त्ति लाढयति प्रासुकैषणीयाहारेण साधुगुणैर्वाऽऽत्मानं यापयतीति लाढः, प्रसंसाभिधायि वा देशीपदभेदतन् ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६६ ।

लाढे इति फासुएण उगमाधिगुद्वेण लाढेति, साधुगुणैर्हि वा लाढय इति ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१ लाढयति—आत्मानं प्रासुकैषणीयाहारेण यापयतीति लाढः ।

७—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ४८२ :

लाढेसु अ उवसग्गा, घोरा ... । ततो भगवान् लाढासु जन्मपदे गतः तत्र घोरा उपसर्गा अन्नघन् ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ 'लाढे' त्ति सबकुष्ठानतया प्रधानः ।

१-अकेला (राग-द्वेष रहित होकर) (एग एव क) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—राग-द्वेष विरहित अथवा एकाकी । द्वितीय अर्थ की पुष्टि के लिए वे इसी सूत्र के ३२ वें अध्ययन का पाँचवाँ श्लोक उद्धृत करते हैं ।^१ नेमिचन्द्र ने केवल प्रथम अर्थ ही स्वीकार किया है ।^२

इसी अध्ययन के बीसवें श्लोक के दूसरे चरण में 'एगओ' शब्द आया है । शान्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

(१) एकग-प्रतिमा का आचरण करने के लिए अकेला जाने वाला ।

(२) एक—अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला ।^३

किन्तु उसका प्रकरणगत अर्थ एकक—अकेला युक्त है ।

श्लोक १९

१०-असदृश (असाधारण) (असमाणो क) :

चूणिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं—

(१) असन् (असन्निहित)— जिसके पास कुछ भी नहीं है ।

(२) गृह्ण्य के असदृश— जो गृह्ण्य के समान नहीं है ।

(३) अनुन्यविहारी— जिमका विहार अन्य तीर्थिकों से भिन्न है ।^४

शान्त्याचार्य ने मान—अहंकार रहित—यह अर्थ चूणि से अधिक किया है ।^५

श्लोक २०

११-(सुमाणे क, रुक्ख-मूले ख) :

मुनि को किम प्रकार के स्थान में रहना चाहिए इसका विचार कई अध्ययनों में किया गया है । देखें—१५।४, १६।सू० ३ श्लो० १, ३०।१२, १३, १६, ३५।४-६ । श्मशान शून्य-गृह और वृक्ष-मूल ये सब एकान्त स्थान के उदाहरण मात्र हैं । श्मशान और वृक्ष-मूल में मर्यादना विशिष्ट साधना करने वाले मुनि ही रहते हैं ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

'एक एवे'ति रागद्वेषविरहित. 'चरेन' अप्रतिबद्धविहारेण विहरेण, सहाययैकत्वतो वैकस्तथाविध गीतार्थो, यथोक्तम्—

ण या लभिञ्जा गिउणं सहाय, गुणाहियं वा गुणतो सम वा ।

एकओऽवि पावाइ विबज्जंतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

२-सुखबोधा, पत्र ३१ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १०६

'एक' उक्तरूप स एवैकक, एको वा प्रतिमाप्रतिपत्त्यादौ गच्छतीत्येकग, एकं वा कर्मसाहित्यविगमतो मोक्षं गच्छति — तत्राप्तियोग्यानुष्ठानप्रवृत्तेर्यातीत्येकग ।

४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ६७

असमान इति असमाहि(नि)क, असन्निहित इत्यर्थः .. अथवा असमाण इति नो गृहितुल्यत .. अथवा असमान अनुन्यविहार अन्यतीर्थिके ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

न विद्यते समानोऽस्य गृहिण्याभयामूर्च्छितत्वेन अन्यतीर्थिकेषु वाऽनियतविहारादिनेत्यसमान — असदृशो, यद्वा समान — साहङ्कारो न तथेत्यसमान, अथवा '(अ)समाणो' ति प्राकृतत्रावसन्निवासन्, यत्रास्ते तत्राप्यसन्निहित एवेति ह्ययम् ।

६ ब्राह्मकालिक, १०।१२ ।

'सुसाणे'—कई बौद्ध-भिक्कु भी क्षमसान में रहने का व्रत लेकर चलते थे। उनका यह व्रत 'क्षमसानिकांग' कहलाता है। यही ग्याह्रवाँ 'धुतांग' है।^१

'लक्ष्म-मूले'—कई बौद्ध भिक्षु वृक्षों के नीचे भी रहते थे। वे छाए हुए घरों में नहीं रहते थे। उनका यह व्रत 'वृक्षमूलिकांग' कहलाता है। यही नौवाँ 'धुतांग' है।^२

श्लोक २४

१२—प्रति क्रोध (पडिसंजले ख) :

इसका अर्थ है—गाली सुन पुन गाली देने की भावना रखना। 'संजले' का प्रयोग २६ वें श्लोक में भी आया है। वहाँ चूर्णिकार ने संज्वलन का अर्थ रोषोद्गम या मानोदय किया है। उसका लक्षण बताते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है^३—

कपत्ति रोषादग्नि संभुसितवच्च द्वीप्यतेऽनेन ।

त प्रत्याक्रोशात्पाहंति च मन्येत येन स मतः ॥

अर्थात् जो क्रोध से काँप उठता है, अग्नि की भाँति जल उठता है, आक्रोश के प्रति आक्रोश और हनन के प्रति हनन करता है, वह संज्वलन का फल है।

१३—(सरिसो होइ बालाणं ग) :

इस चरण का तात्पर्य यह है कि जो मुनि गाली का उत्तर गाली से देता है वह उस अज्ञानी के समान ही हो जाता है। यहाँ एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है—

"एक क्षपक मुनि था। देवता उसकी सेवा करता था। क्षपक जो क्रुद्ध कहता, देवता उसका पालन करता था। एक बार मुनि का एक नीच जाति वाले व्यक्ति से झगडा हो गया। वह हूष्ट-गुष्ट था। उसने मुनि को पछाड दिया। रात को देव वन्दना करने आया। मुनि मौन रहे। देव बोला—"क्ष्मा कोई मेरा अपराध हुआ है ?" मुनि ने कहा—"तू ने उम दुष्ट आदमी को डाँटा तक नहीं।" देव बोला—"गुरुदेव ! मैं वहाँ आया तो था पर पहचान नहीं सका कौन था दुष्ट आदमी और कौन था श्रमण ? वे दोनों एक जैसे ही थे।"

श्लोक २५

१४—ग्राम-कंटक (प्रतिकूल) (गाम-कण्टगा ख) :

यहाँ ग्राम शब्द इन्द्रिय-ग्राम (इन्द्रिय-समूह) के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रकरण में ग्राम-कटक का अर्थ है—कानों में काँटों की भाँति चुभने वाली।^४ मूलाराधना में 'गामवचीकटगोहिं' है। उसका अर्थ है—ग्राम्य लोगों के बचन रूपी काँटों से।^५ प्रस्तुत श्लोक में 'गाम-कण्टग' का प्रयोग है। यहाँ मध्यपद 'वची' का लोप मान लेने पर उसका अनुवाद ग्राम्य लोगों की काँटों के समान चुभने वाली भाषा—किया जा सकता है।

१—विशुद्धिमार्ग, पृ० ६० ।

२—वही, पृ० ६० ।

३—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७२ ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७० :

प्रसत इति ग्रामः—इन्द्रिय-ग्राम तस्य इन्द्रिय-ग्रामस्य कंटगा, जहा पंचे गच्छतापं कंटगा विघ्नाय, तथा सदावयोचि इन्द्रिय-ग्रामकटया मोक्षिणां विघ्नायेति ।

(ख) वेदो—वराहकालिक १०।११ का टिप्पण, संख्या ३९ ।

५—मूलाराधना, आशवास ४, श्लोक ३०१, मूलाराधना वर्णन वृत्ति, पत्र ५१५ ।

दुस्सहपरीसहेहिं य, गामवचीकंटगोहिं लिक्खोहिं ।

अभिपूवा वि हु संता, मा भम्मधुरं पमुज्जेह ॥३०१॥

गामवचीकंटगोहिं यागयाजामविधित्तजानार्ता वचनानि एव कटकास्तैराक्रोशावचनैरित्यर्थः ।

इलोक २६

१५—मुनि-धर्म ('भिक्षु-धर्म') :

मुनि-धर्म^१ स्थानाग (१०।७।२) तथा समवायांग (समवाय १०) के अनुसार दस प्रकार का होता है—

- | | |
|---------------------------------|--|
| (१) क्षान्ति, | (६) सत्य, |
| (२) मुक्ति—निर्लोभता, अनामक्ति, | (७) संयम, |
| (३) मार्दव, | (८) तप, |
| (४) आर्जव, | (९) त्याग— अपने साम्भोगिक साधुओं को भक्त आदि का दान देना, और |
| (५) लाघव, | (१०) ब्रह्मचर्य । |

इलोक २७

१६—श्रमण को (समणं क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'समान मन काला' किया है।^२ शान्त्याचार्य ने इस अर्थ के साथ-साथ श्रमण भी किया है।^३ नेमिचन्द्र ने तपस्त्री किया है।^४ संस्कृत में इस शब्द के दो रूप हो सकते हैं—श्रमणम् और समणम् । विस्तार के लिए देखें—दसवेप्रालिख्यं (भाग २), १।३, टिप्पण सख्या १४।

१७—“आत्मा का नाश नहीं होता” (नत्थि जीवस्स नासु चि ग) :

पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव—आत्मा— का नाश नहीं होता । इस चिन्तन का पूर्व पक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि को गाली दे तो मुनि यह सोचे कि—चलो गाली ही देता है, पीटता तो नहीं । पीटने पर सोचे—चलो पीटता ही है, मारता तो नहीं । मारने पर सोचे—चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता—आत्म-धर्म का हनन तो नहीं करना, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूर्त है ।

इस प्रेक्षा से मुनि अगले बड़े उपताप को सामने रखकर जो छोटा उपताप प्राप्त होता है, उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है ।

इलोक २८

१८—हाथ पसारना सरल नहीं है (पाणी नो सुप्पसारए ख) :

याचना के लिए दूसरो के आगे हाथ पसारना—मुझे दे—यह कहना सरल नहीं है । जैसे—

धणवइससोऽपि वो अक्खराइ लउजं मयं च मोत्तूण ।

देहिति जाव ण भवति पइइ मुहे नो परिमवत्त ॥^५

१—सुल्लबोधा, पत्र ३५

'भिक्षुधर्म-प्रतिधर्म', यद्वा 'भिक्षुधर्म' क्षाम्यादिक वस्तुस्वरूपम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७२

समो सम्बल्य मणो जस्स भवति स समणो ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ११४

'समणं'—श्रमणं सममनसं वा—तथा विधिवधेऽपि धर्मं प्रति प्रहितचेतसम् ।

४—सुल्लबोधा, पत्र ३६ 'श्रमण' तपस्विनम् ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ७२

अक्कोसहणममारणधम्ममंसंसाण बालसुल्लभाणं ।

लास मन्वति धीरो जहुत्तराण अमावंसि ॥

६—वही, पृ० ७४ ।

अर्थात् कुबेर के समान धनवान् व्यक्ति भी जब तक लज्जा और भय को छोड़कर 'वेहि' (वे) यह नहीं कहता तब तक उसका कोई तिरस्कार नहीं करता—अर्थात् धनवान् व्यक्ति 'मुझे दो' ऐसा कह दूसरों के आगे हाथ पसारता है तब वह भी तिरस्कार का भागी बन जाता है ।

याचना करना मृत्यु के तुल्य है । नीतिकार ने कहा है—

मात्रमगः स्वरे शैवं, प्रस्येवो वेपथुस्तथा ।

मरणे यानि चिन्तानि, तानि चिन्तानि याचने ॥

अर्थात् मृत्यु के समय जो लक्षण प्रकट होते हैं—शरीर के अवयवों का ढीला पड़ जाना, बाणी में दीनता, पसीना तथा कंपन आदि—वे सभी याचना के समय भी प्रकट होते हैं ।

श्लोक ३३

१९-चिकित्सा न करे, न कराए (जं न कुज्जा न कारवे ष) :

सहज ही प्रश्न होता है—क्या यह विषयन समस्त साधुओं के लिए है ? इसके समाधान में कहा है—'चिकित्सा न करे, न कराए'—यह उपदेश जिन-कल्पिक मुनियों के लिए है । स्थविर-कल्पी मुनि सावद्य चिकित्सा न करे, न कराए ।^१

चूर्णिकार ने जिन-कल्पी और स्थविर-कल्पी का उल्लेख नहीं किया है । उन्होंने सामान्यतः बताया है कि मुनि न तो स्वयं चिकित्सा करे और न बंधों के द्वारा कराए । श्रामण्य का पालन नीरोग अवस्था में किया जा सकता है, यह बात अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इसमें भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुनि रोगी होने पर भी सावद्य किया का मेहनत नहीं करता । यही उसका श्रामण्य है ।^२ विशेष जानकारी के लिए देखें—दसवेअलिय (भाग २), ३१४ टिप्पण सख्या २६ ।

श्लोक ३६

२०-(अणुक्कसाई अप्पिच्छे क, अन्नाएसी ख) :

'अणुक्कसाई'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'अल्प कषाय वाला' किया है ।^३ शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'अनुत्कषायी-संस्कार आदि के लिए उत्कण्ठित न रहने वाला' किया है और वैकल्पिक अर्थ—'अणु-कषायी-संस्कार आदि न करने वालो पर क्रोध नहीं करने वाला तथा संस्कार होने पर अभिमान नहीं करने वाला' किया है ।^४ नेमिचन्द्र भी इसी का अनुसरण करते हैं ।^५

१- बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

जिनकल्पिकाद्यपेक्ष चैतन, स्थविरकल्पापेक्षया तु 'जं न कुज्जा' इत्यादौ सावद्यमिति गम्यते, अयमत्र भाव—यस्मात्करणादिभिः सावद्यपरिहार एव श्रामण्य, सात्रद्या च प्रायश्चित्तचिकित्सा, ततस्तां नाभिनन्देद् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७ :

यदुरधनेषु तत्प्रतिकारायोद्यमं न कुर्वते, तत्रमत्रयोगलेपादिभि स्वयं करणं, न स्नेहविरेक्षणादिना स्वयं करोति, कारापणं तु वैद्यादिभिः, शक्य हि नीरोगेण श्रामण्यं कर्तुं, यस्तु रोगवानपि न सावद्यक्रियाभारमते तं प्रतीत्योच्यते—एयं तु तस्स सामन्न ।

३-वही, पृ० ८१

'अणुक्कसायो' अणुशब्द स्तोकार्थः, अनो नेस्यनु, कषयतीति कषायो क्रोधाद्या ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १२४

उत्कण्ठित. संस्कारादिषु शेत इत्येवं शील उत्कषायी न तथा अनुत्कषायी, यद्वा प्राकृतत्वाद्यणुकषायो 'सर्बधमादिस्वादि'भिः, कोऽर्थः ?—न संस्काराधिकमकुर्वते कुप्यति, तत्सम्यसौ वा नाहङ्कारवान् भवति ।

५-सुखबोधा, पत्र ४९ ।

१५।१६ की टीका में शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं। वहाँ 'अनुकषायी' के स्थान पर 'अनुकषायी' माना है।
(१) अनुकषायी—अल्प कषाय वाला। (२) अनुकषायी—जिसके कषाय प्रबल न हों।^१

'अल्पेच्छे'—अल्पेच्छ—अल्प इच्छा वाला। जो मुनि धर्मोपकरण के अतिरिक्त कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं करता, सत्कार-पूजा आदि की वाञ्छा नहीं करता, वह 'अल्पेच्छ' कहलाता है।^२ शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) थोड़ी इच्छा वाला (२) इच्छा रहित—निरीह।^३

'अज्ञातैषी'—जो अज्ञात रहकर—तप, जाति आदि का परिचय दिए बिना आहार की एषणा करना है, उसे 'अज्ञातैषी' कहा जाता है। अपरिचित कुलों से एषणा करने वाला भी 'अज्ञातैषी' कहलाता है।^४ मनुस्मृति में भी भोजन के लिए कुल-गोत्र का परिचय देने वाले ब्राह्मण को 'वान्ताषी' कहा है।^५

श्लोक ४३

२१-(उवहाणं, क पडिमं ख) :

उवहाण—आगम-पठन के समय निश्चित विधि के अनुसार जो तप किया जाता है उसका नाम उपधान है।^६

आगमो के अध्ययन-काल में आचाम्न (आयबिल) आदि तपस्या करने की परम्परा रही है।^७ प्रत्येक आगम के लिए तपस्या के दिन निश्चिन किए हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए देखें—आचार दिनकर, विभाग १, योगोद्ग्रहणविधि, पत्र ८६-११०।

११।१४ में उपधान करने वाले के लिए 'उवहाणवं' (उपधानवान्) का प्रयोग मिलता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२० ;

अणव—स्वल्पा. सञ्चलननामान इति यावन् कषाया.—क्रोधादयो यस्येति 'सर्वधनावित्वावि'नि प्रत्ययेऽनुकषायो, प्राकृतत्वात्सूत्रे ककारस्य द्वित्वं, यद्वा उत्कषायी—प्रबलकषायी न तथाऽनुकषायी।

२—सुखबोधो, पत्र ४९

'अल्पेच्छ.' धर्मोपकरणप्राप्तिमात्रामिलाषी, न सत्काराद्याकांक्षी।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १२५।

४—(क) उत्तराध्ययन वर्णि, पृ० ८१

'अज्ञातैषी' न ज्ञापयत्यहमेवंभूत पूर्वमासीत्, न वा क्षपको बहुधुतो वेति।

(ख) वही, पृ० २३५.

अज्ञातमज्ञातेन एषते—मिक्षते असौ अज्ञातैषी, निश्चाविरहित इत्यर्थ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४.

अज्ञात—तपस्विताविर्मिगुणैरनवगत एषयते—प्रासाविकं गवेषयतीत्येवशीलोऽज्ञातैषी।

५—मनुस्मृति, ३।१०९

न भोजनार्थं स्वे विप्र कुलगोत्रे निवेद्येत।

भोजनार्थं हि ते शसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधे ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र १२८

उपधानम्—आगमोपचाररूपमाचाम्लादि।

७—वही, पत्र १४७ :

उपधानम्—अज्ञानद्वाग्धयनादौ यथायोगमाचाम्लावितपोविशेष।

पश्चिमं—प्रतिमा का अर्थ कायोत्सर्ग है ।^१ चूर्ण और बृहद् वृत्ति में इसका अर्थ मासिकी आदि भिक्षु-प्रतिमा किया है ।^२

किन्तु यह सांकेतिक है । वस्तुन प्रतिमा शब्द स्थान-मुद्रा का सूचक है । बंटी या खड़ी प्रतिमा की तरह स्थिरता से बंठने या खड़े रहने को प्रतिमा कहा गया है । प्रतिमाओ में उपवास आदि की अपेक्षा कायोत्सर्ग व आमनों की प्रधानता होती है । इसलिए उनका नाम उपवास प्रधान न होकर कायोत्सर्ग प्रधान है । वे बारह हैं । विशेष जानकारी के लिए देखें—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ७ ।

श्लोक ४४

२२-ऋद्धि (इड्डी ष) :

यहाँ ऋद्धि का अर्थ है—नास्या आदि से उत्पन्न होने वाली विशेष शक्ति-योगज विभूति ।^३ पातञ्जलयोग दशान के विभूति-पाद में जैसे योगज विभूतियों का वर्णन है वैसे ही जैन-भागमों में तपोजनित ऋद्धियों का वर्णन मिलता है ।^४ शान्त्याचार्य ने उभ प्रसंग पर दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

पादरजसा प्रशामन सर्वरुजां साधव' क्षणात्कुर्य ।
त्रिभुवनविस्मयजनमान् दद्यु कामास्तृणाघाहा ॥
धर्माद्भ्रूलोन्मथितकाञ्चनवर्षाविसर्गसामर्थ्यम् ।
अवयुतमीमोरशिलासहस्रसम्पातशक्तिरथ ॥”

१-मूलाराधना वर्णन, ८।२०७१

पश्चिमा कायोत्सर्ग ।

२-(क) उत्तराध्ययनं चूर्ण, पृ० ८५

पश्चिमा नाम मासिकादिता ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १०८ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १३१

‘ऋद्धिर्षा’ तपोमाहात्म्यख्या ...सा च आमशौष-आदि ।

४-औपपातिक, सूत्र १५ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र १३१ ।

अध्ययन ३

श्लोक ४

१—(खत्तियो क, चण्डाल-वोक्कसो ख) :

इस श्लोक में आए हुए तीन शब्द—क्षत्रिय, चाण्डाल और बुक्कस—सग्राहक हैं। क्षत्रिय शब्द से वैश्य, ब्राह्मण आदि उत्तम जानियो, चाण्डाल शब्द से निषाद, श्वपच आदि नीच जातियो और बुक्कस शब्द से मूत, वंदेह, आयोगत आदि सकीर्ण जानियो का ग्रहण किया गया है।^१

'खत्तियो'—जैन और बौद्ध परम्परा में क्षत्रिय का स्थान सर्वोच्च रहा है। कल्प-सूत्र में ब्राह्मणों की गिनती भिक्षुक या तुच्छ-कुल में की है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव आदि शलाका-पुरुष ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते। दीघनिकाय^२ और निदान^३ कथा के अनुसार क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों में ऊँचा है।

'चण्डाल'—इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) मातंग और (२) शूद्र से ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति।^४ उत्तरवर्ती वैदिक-साहित्य के अनुसार चण्डाल अनार्य वर्ग की एक जाति है। वह ऋग्वेद के समय के पश्चात् आर्यों को गंगा के पूरब में मिली थी।^५

मनुस्मृति (१०।११, ५२) में चण्डाल के कर्त्तव्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

चण्डालश्वपचानां तु बहिर्प्रानात्प्रतिश्रय ।
अपपात्राश्च कर्त्तव्या धनमेषा श्वगर्दभम् ॥
वासांसि मृतचेलानि भिन्नमाण्डेषु भोजनम् ।
काष्णायिसमलंकार परिवर्ज्या च नित्यश ॥

'वोक्कसो'—इसके संस्कृत रूप चार मिलते हैं—वुक्कम, पुक्कस, पुक्कस और पुक्कम।

बुक्कम क्षमणान पर पायं करने वाले बुक्कम कहलाते हैं।^६

पुक्कम जो म' हुए कुत्तों को उठाकर बाहर फेंकने ह, उन्हें पुक्कम कहा जाता है।^७

पुक्कस—चाण्डाल और पुक्कम—पर्यायवाची ही माने गए हैं।

पुक्कस—भगी।

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९६।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२, १८३

इह च क्षत्रियग्रहणादुत्तमजातय चण्डालग्रहणान्नीचजातयो बुक्कसग्रहणाच्च सकीर्णजातय उपलक्षिताः।

(ग) मनुस्मृति, १०।२५, २६, ४८।

२—दीघनिकाय, ३।१।२४, २६।

३—निदान कथा, १।४९।

४—सुखबोधो, पत्र ६७।

'चाण्डालः' मातङ्गः यदि वा शूद्रेण ब्राह्मण्या जातश्चाण्डालः।

५—हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, पृ० ३४।

६—अभिधान चिन्तासणि, ३।५९७।

७—वही, ३।५९७।

८—वही, श्लो० ८२

समो चाण्डालपुक्कसो।

९—महाभारत, शांतिपर्व १८०।३८।



मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कार्यों का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार 'पुक्कस' का कार्य बिलों में रहने वाले गोह जादि को मारना या बाँधना है।^१ अभिधानप्यदीपिका में 'पुक्कस' का अर्थ फूल तोड़ने वाला किया गया है।^२

चूर्णिकार और टीकाकार इसका अर्थ 'वर्णान्तरजन्मा' करते हैं। जैसे—ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में उत्पन्न प्राणी निषाद, ब्राह्मण से वैश्य स्त्री में उत्पन्न प्राणी अम्बष्ठ और निषाद से अम्बष्ठ स्त्री में उत्पन्न प्राणी बोक्कस कहलाता है।^३ कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में इससे भिन्न मत का उल्लेख है। मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न अम्बष्ठ और ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न निषाद कहलाता है। इसको पारशव भी कहते हैं।^४ कौटिल्य अर्थशास्त्र (पृष्ठ १६५, १६६) में 'पुक्कस' का अर्थ निषाद से उग्री में उत्पन्न पुत्र और मनुस्मृति में निषाद से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र किया गया है।^५ महाभारत^६ में चाण्डाल और पुक्कस का एक साथ प्रयोग मिलता है। 'पुक्कस' का प्राकृत रूप 'बुक्कस' हो सकता है। पुक्कस और चाण्डाल अर्थात् भंगी और चाण्डाल।

श्लोक ५

२-(आवट्ट-जोणीसु क, कम्म-किब्बिमा ख, मन्वट्टेसु व खत्तिया घ) :

'आवट्ट-जोणीसु'—आवर्त्त योनि—योनिचक्र। जीवों के उत्पत्ति स्थान को 'योनि' कहते हैं। वे ८४ लाख हैं। अनादिकाल से जीव इन योनियों में जन्म-मरण करता रहा है। जन्म-मरण का यह आवर्त्त है।^७

'कम्म-किब्बिमा'—कर्मों में मलिन अथवा चिनके कर्म मलिन हों, वे कर्म-किल्बिष कहलाते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभानवन्धो और अशुभानवन्धो। जिनके अशुभानवन्धो कर्म होते हैं वे 'कर्म किल्बिष' होते हैं।^८

१-मनुस्मृति, १०।४६

अश्रुपुक्कसायां तु बिलौकोबधबन्धनम् ।

२-अभिधानप्यदीपिका, पृ० ५०८

पुक्कसो पुण्यछद्दुको ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९६

बुक्कसो वर्णान्तरभेद, यथा ब्रमणेण सुदीए जातो निसादोत्ति बुच्चति, ब्रमणेण वेसीते जातो अबट्टेत्ति बुच्चति, तत्त्व निसाएण अबट्टीए जातो सो बोक्कसो भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ग) सुखबोधो, पत्र ६७ ।

४-मनुस्मृति, १०।८

ब्राह्मणाद् वैश्य वश्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।

निषाद शूद्रकन्यायां, य पारशव उच्यते ॥

५-बही, १०।१८

जातो निषादाच्छूद्राया जात्या भवति पुक्कस ।

६-महाभारत, शान्तिपर्व, १८०।३८

न पुक्कसो न चाण्डाल, आत्मान त्यक्तुमिच्छति ।

तया मुष्ट स्वया योग्या, माया पश्यस्व यादृशीम् ॥

७-सुखबोधो, पत्र ६८

आवर्त्त —परिवर्त्तः तत्प्रधाना योनय —अतुरशीतिलक्षप्रमाणानि जीवोत्पत्तिस्थानानि आवर्त्तयोनयस्तासु ।

८-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९७ ।

'कम्मकिब्बिसा' इति कम्मेहिं किब्बिसा कम्मकिब्बिसा, कर्माणि तेषां किब्बिसाणि कर्मकिब्बिसा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८३

कर्मणा—उत्तरूपेण किब्बिसा—अथवा कर्मकिब्बिसा, प्राकृतत्वाद्वा पूर्वापरनिषात, किब्बिसाणि—किल्बिषतया निष्कृतान्यशुभानुबन्धोनि कर्माणि येषां ते किब्बिषकर्माणि ।

'सम्बद्धेषु व क्षतिया'—जिस प्रकार राजा आदि सर्वार्थ-मानवीय काम-भोगों को भोगते हुए उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में पुन-पुनः जन्म-मरण करते हुए भवाभिनन्दी व्यक्ति उसी में (संसार में) आसक्त हो जाते हैं।

श्लोक ८

३-(तवं खन्तिमर्हिसयं ष) :

इस चरण में 'तप' के द्वारा तपस्या के बारह भेदों का, 'खन्ति' के द्वारा दस-विध श्रमण-वर्म और 'अर्हिसा' के द्वारा पाँच महाव्रतों का ग्रहण किया गया है, ऐसा सभी ध्याख्याकारों का मत है।^१

श्लोक ९

४-(नेआउयं ग, बहवे परिभस्मई ष) :

'नेआउयं'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ ले जाने वाला किया है।^२ टीका में इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया गया है।^३ डॉ० ल्यूमेन ने औपपत्तिक सूत्र में तथा डॉ० पिगल, डॉ० हरमन जेकोबी आदि ने इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया है।^४

बौद्ध-साहित्य में नैर्यातृक का अर्थ दुःखद्वय की ओर ले जाने वाला, पाग ले जाने वाला किया गया है।^५ चूर्णिकार के अर्थ का इससे निकट का सम्बन्ध है।

इस अर्थ के आशय पर 'नेआउयं' का संस्कृत रूप नैर्यातृक होना चाहिए।

नैर्यातृक के प्राकृत रूप 'नेआइयं' और 'नेआउयं' दोनों बन सकते हैं। सूत्रकृताग चूर्ण में ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ इनका अर्थ मोक्ष की ओर ले जाने वाला किया गया है।^६

'बहवे परिभस्मई'—इस पद में चूर्णिकार और शाग्याचार्य ने जमाली आदि निद्वन्द्वों का उल्लेख किया है।^७ ये सभी निद्वन्द्व कुछ एक शक्तियों को लेकर नैर्यातृक-मार्ग—निर्ग्रन्थ प्रवचन से अष्ट हो गए थे—दूर हो गए थे।

नेमिचन्द्र ने सानो निद्वन्द्वों का विवरण उद्धृत किया है।^८ वह आवश्यक निर्मुक्ति में भी उपलब्ध है।^९ डॉ० ल्यूमेन ने *Indischen*

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८४ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८, १९२ ।

नयनशीलो नैयायिक ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १८५

नैयायिक, न्यायोपपन्न इत्यर्थ ।

४-देखे—उत्तराध्ययन चाल सरपेन्डियर, पृ० २९२ ।

५-बुद्धचर्या, पृ० ४६७, ४८९ ।

६-(क) सूत्रकृताग चूर्णि, पृ० ४५७ ।

नयनशीलो नैयायिको मोक्ष नयतीत्यर्थ ।

(ख) वही, पृ० ४५५

मोक्षं नयनशीलो नैयायिको ।

७-(क) उत्तराध्ययन, चूर्णि, पृ० ९८ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८५ ।

८-सुखबोध, पत्र ६६-७५ ।

९-आवश्यक निर्मुक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ४०१ ।

Studen, vol XXII, pp 91-135 में निह्वानो का विवरण सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉ० हरमन जेकोबी ने अपने अन्वेषणात्मक निबन्ध—'श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति'—में भी इस विवरण का उपयोग किया है।

श्लोक १२

५—(निव्वाण ग, घय-सिच्च घ) :

'निव्वाण'—चूर्ण में उसका अर्थ मुक्ति है। शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं - (१) स्वाम्थ्य और (२) जीवन्मुक्ति। स्वाम्थ्य का अर्थ है अपने आपमें अवस्थिति, आत्म-रमण। जिम व्यक्ति का जीवन अर्मानगत होता है उसमें आत्म-रमण की स्थिति महज हो जाती है। यही सही अर्थ में स्वाम्थ्य है। आत्म-रमण की अवस्था महजानन्द की अवस्था है। उसमें मुग्ध निरन्तर बढ़ता रहता है। आगम के अनुसार एक मास की पर्याय वाला श्रमण व्यन्तरदेवो की तेजोलिंग्या का अतिक्रमण कर जाता है। स्वमथ श्रमण चक्रवर्ती के मुखो को भी लौंघ जाता है। यह परम-मुग्ध की अन्भूति आत्म-मापेक्ष होती है यही स्वाम्थ्य या निर्वाण है। जीवन्मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन में मुक्ति।

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'प्रशमन्ति' का एक श्लोक उद्धृत किया है—

निर्जितमदमदनानां, वाक्कायमनोबिकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपरागानामिहैवमोक्ष सुषिहितानाम् ॥२३८॥

नेमिचन्द्र ने इस शब्द का अर्थ जीवन्मुक्ति किया है और मुनि-मुग्ध की अध्याना को लक्ष्यकर एक दूसरा श्लोक भी उद्धृत किया है—

तणसथारनिवन्तो वि, मुणिवरो भट्टरायमयमोहो ।

ज पावइ मुत्तिसुह, कत्तो त चक्कवट्टी वि ॥

नागार्जुनीय परम्परा में यह श्लोक भिन्न रूप में मिलता है, ऐसा चर्णिकार और शान्त्याचार्य ने उल्लेख किया है—

चउड्डा सपयं लडु, इहेव ताव सायते ।

तेयते तेजसपन्ने, घयसित्तेव पावए ॥

'घय-सिच्च'—पलाक, उपक आदि के द्वारा अग्नि उत्पन्न होती होती जितनी कि वह घृण के मिचन में होती है, इसलिए यहाँ घृत-सिचन की उपमा को प्रधानता दी है।

यहाँ निर्वाण की तुलना घृत-गिन्न अग्नि से की गई है। घन में अग्नि पञ्चालेन होती है बुझती नहीं इसलिए निर्वाण का अर्थ 'मक्ति' की अपेक्षा 'दीप्ति' अधिक उपयुक्त है। मक्ति, स्वाम्थ्य या जीवन्मुक्ति से मानी जाती है पञ्चालेन—तेजसमय अवस्था के नाम है। इस दृष्टि को सामने रखकर निर्वाण का इनमें से कोई भी अर्थ किया जा सकता है। किन्तु उसका अर्थ 'बुझना' उपासना के साथ भासना नहीं रखना।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९

निर्यत्ति — निर्वाणम् ।

२—बृहद वृत्ति, पत्र १८५, १८६

'निर्वाणं निवृत्तिर्निर्वाण स्वार्थप्रमित्यर्थ 'परमं' प्रकृष्टम् 'एगमासपरियाए समणे वतरियाण तेयत्तेम वीईवयत्ति' इत्याद्यागमेनोक्त 'नेवास्ति राजराजस्य तत्सुख' मित्यादिना च वाचकवचनेनाभूवितम् ।

३—बृहद वृत्ति, पत्र १८६

यद्वा निर्वाणमिति जीवन्मुक्तिम् ।

४—सुखबोधो, पत्र ७६ ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९ ।

६—बृहद वृत्ति, पत्र १८६ ।

७—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९९

घृणतुषयलालकरीषादिभिरीधनविशेषैरियमानो न तथा दीप्यते यथा घृतेनेत्यतोऽनुमानान ज्ञायते यथा घृतेनाग्निविस्तोऽधिकं भाति ।

श्लोक १४

५—(जक्खा ल, महासुक्का ग) :

'जक्खा'—यक्ष । यक्ष शब्द 'यज्' धातु से बना है ।^१ पहले इसका अर्थ देव था । उत्तरवर्ती साहित्य में इसका अपकर्ष हो गया और यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए व्यवहृत होने लगा ।

'महासुक्का'—चन्द्र, सूर्य आदि अतिशय उज्ज्वल प्रभा वाले होते हैं इसलिए उन्हें महाशुक्ल कहा गया है ।^२ 'सुक्क' का संस्कृत रूप शुक्र भी हो सकता है । उसका एक अर्थ अग्नि भी है । यह मान लेने पर इसका अर्थ होगा—महान् अग्नि ।

श्लोक १५

६—(कामरूप-विउच्चिणो ल, पुत्वा वाससया बहू ष) :

'कामरूप-विउच्चिणो'—का अर्थ है—इच्छानुसार रूप करने में समर्थ, आठ प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त ।^३ तत्त्वार्थवार्तिक में एक साथ अनेक आकार वाले रूप-निर्माण की शक्ति को कामरूपीत्व कहा है ।^४ चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'कामरूपविकुर्विण' और शास्त्राचार्य तथा नेमिचन्द्र ने 'कामरूपविकरणा' दिया है ।^५ 'विकुर्विण' प्राकृत का ही अनुकरण है ।

'पुत्वा वाससया बहू'—८४ लाख को ८४ लाख से गणन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्व कहा जाता है । सत्तर लाख छप्पन हजार करोड़ वर्षों—७०५६००००००००००—को पूर्व कहा जाना है । बहु अर्थात् असंख्य । असंख्य पूर्व या असंख्य सौ वर्षों तक । इसका तात्पर्य है पन्थोपम के असंख्यातवें भाग तक । देवों की क्रम से क्रम इतनी स्थिति तो होती ही है । मुनि पूर्वजीवी या शतवर्षजीवी होते हैं इसलिए उन्हीं के द्वारा उनका माप बनलाया गया है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

इज्यन्ते पूज्यन्ते इति यक्षा ।

२—वही, पत्र १८७

'महाशुक्ला' अतिशयोज्ज्वलतया चन्द्रादित्यादयः ।

३—(क) सुखबोधो, पत्र ७७

'कामरूपविकरणा' यथेष्टरूपादिनिर्वर्तनशक्तिसमन्विता ।

(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१ :

अष्टप्रकारैश्वर्ययुक्ता इत्यर्थः ।

४—सत्त्वार्थवार्तिक ३।३६, पृ० २०३

युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्ति कामरूपित्वमिति ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१

काम्यते कमनीया वा कामा, रोचते रोचयति वा रूपं, कामतो रूपानि विकुर्वितुं शील येषां ते इमे कामरूपविकुर्विणः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

'कामरूपविउच्चिणो' ति सूत्रत्वात्कामरूपविकरणा ।

(ग) सुखबोधो, पत्र ७७ ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

पूर्वाणि—वर्षसप्ततिकोटिलक्ष-षट्पचाशकोटिसहस्र-परिमितानि बहूनि, जघन्ततोऽपि पत्न्योपमरिषित्वात्, तत्रापि च तेषा-
मसङ्ख्येयानामेव सासवान्, एव वर्षशतायपि बहूनि, पूर्ववर्षशतादुषामेव धरणयोम्यत्वेन विशेषतो देशनौचित्यमिति व्यापनार्थ-
मित्यनुपपत्त्यास इति ।

श्लोक १६, १७, १८

७—श्लोक १६, १७, १८ :

दस अंग इस प्रकार हैं—

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (१) चार काम-स्कन्ध । | (६) नीरोग । |
| (२) मित्रवान् । | (७) महाप्राज्ञ । |
| (३) ज्ञातिमान् । | (८) विनीत । |
| (४) उच्चगोत्र । | (९) यशस्वी । |
| (५) वर्णवान् । | (१०) सामर्थ्यवान् । |

चार काम-स्कन्धों का निरूपण सतरहवें श्लोक में और शेष नौ अंगों का उल्लेख अट्ठारहवें श्लोक में है ।

'चत्वारि काम-अंगानि'— 'काम-ख्य' का अर्थ है—मनोज्ञ शब्दादि के हेतुभूत पुद्गल समूह अथवा विलास के हेतुभूत पुद्गल समूह ।^१ वे चार हैं—

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (१) क्षेत्र—वास्तु । | (३) पशु । |
| (२) हिरण्य । | (४) दाम पौष्येय । |

'क्षेत्र'—क्षेत्र । क्षेत्र शब्द 'क्षि' धातु से बना है । उस धातु के दो अर्थ हैं—निवाम और गति । जिसमें रहा जाए उसको क्षेत्र कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति के अनुसार ग्राम, आगम आदि क्षेत्र कहलाते हैं ।^२ जहाँ अनाज उत्पन्न होता है, वह भी क्षेत्र कहलाता है । उसके तीन प्रकार हैं^३—

- (१) मेषु-क्षेत्र—जहाँ फमल सिंचाई से होती है ।
- (२) वेतु-क्षेत्र—जहाँ फमल वर्षा से होती है ।
- (३) मेषु-केतु-क्षेत्र—जहाँ ईख आदि सिंचाई और वर्षा—दोनों से उत्पन्न होते हैं ।

'वत्यु'—वास्तु । वास्तु का अर्थ है—अगार—गृह । चूर्णिकार ने उसके तीन भेद किए हैं—

- (१) मेषु-वास्तु ।
- (२) केतु-वास्तु ।
- (३) मेषु-केतु-वास्तु ।

अथवा

- (१) खान ।
- (२) उच्छ्रित ।
- (३) स्वातोच्छ्रित ।

१—सुखबोधो, पत्र ७७

कामा—मनोज्ञशब्दावयव तद्वैतव स्कंधा—तत्सत्पुद्गलसमूहा कामस्कन्धा ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

'क्षि मिवासगस्यो' क्षियन्ति निवसत्यस्मिन्निति क्षेत्रम्—ग्रामारामादि ।

३—उत्तराख्ययण चूर्णि, पृ० १०१ .

तत्र क्षेत्रं मेषुं केतुं मेषुं केतुं वा, मेषुं रगृहादि, केतुं वरितेषु निष्कल्पते, इत्यादि मेषुं केतुम् ।

उनकी व्याख्या के अनुसार—भूमिगृह को सेतु, अथवा प्रासाद को केतु और उभयगृह (भूमिगृह के ऊपर के प्रासाद) को सेतु-केतु कहा जाता है।^१ यही अर्थ शास्त्र, उच्छिन्न और क्षातोच्छिन्न का है।

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने दूसरे विकल्प का उल्लेख किया है। अर्थ में तीनों एक मत हैं।^२

‘दास-बोध’— दास का अर्थ है—खरीदा हुआ और मालिक की सम्पत्ति समझा जाने वाला व्यक्ति—गुलाम। उसके जीवन पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था। अपनी जन्म-जात दास्य-स्थिति को बदलना उनके कर्ष में नहीं होता था और न वह सम्पत्ति का स्वामी हो सकता था। दास और नौकर-चाकर में यही अन्तर है कि नौकर-चाकर पर स्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं होता, वह स्वामी की सम्पत्ति नहीं समझा जाता और वह अनिश्चित काल के लिए वेतन पर रखा जाता है।

निम्नीय चूर्णि में छह प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) परम्परागत।
- (२) खरीदकर बनाया हुआ।
- (३) कर्ज न चुकाने पर निगृहीत किया हुआ।
- (४) दुर्भिक्ष आदि होने पर भोजन आदि के लिए जिसने दासत्व ग्रहण किया हो।
- (५) किसी अपराध के कारण जुर्माना न देने पर राजा द्वारा जो दास बनाया गया हो।
- (६) बन्दी बनाकर जो दाम बनाया गया हो।^३

मनुस्मृति में सात प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) ध्वजाहृत दाम— मग्नम मे पराजित दास।
- (२) भक्त दाम— भोजन आदि के लिए दास बना हुआ।
- (३) गृहज दाम— अपनी दासी में उत्पन्न दास।
- (४) क्रीत दास— खरीदा हुआ दास।
- (५) दत्त दाम— किसी द्वारा दिया हुआ दास।
- (६) पंतुक दास— पंतुक धन रूप में प्राप्त दास।
- (७) दण्ड दाम— ऋण निर्यातन के लिए बना हुआ दाम।^४

मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दाम ‘अधन’ होते हैं। वे जो धन एकत्रित करते हैं वह उनका हो जाता है जिनके वे दास हैं।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१

वस्तुं पि सेतुं भूमिघरादि, केतु यदभ्युच्छिन्नं प्रासादाद्यं, उभयथा गृह सेतुकेतुं भवति, अथवा वस्तुं क्षायं ऊसिय खातूसिय, क्षात भूमिघर ऊसित प्रासादो क्षातूसित भूमिघरोवरि प्रासादो।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

तथा बसन्त्यस्मिन्निति वास्तु— क्षातोच्छिन्नोभयारभकम्।

(ख) सुखबोधा, पत्र ७७।

३—निम्नीय चूर्णि, पृ० ११।

४—मनुस्मृति, ८।४।५

ध्वजाहृतो भक्तदासो, गृहज क्रीतदत्तमौ।

पैत्रिको दण्डदासवच, सप्तैते दासयोनय ॥

५—बही, ८।४।६ :

मार्या पुत्रवच दासवच, त्रय एवाधना स्मृताः।

यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥

निक्षीप-पूर्णि और मनुस्मृति की दास-सूची सट्टा है। मनुस्मृति में केवल दक्षिण दास का विशेष उल्लेख हुआ है।

याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वानेदवर ने पन्द्रह प्रकार के दास बतलाए हैं—उनमें मनुस्मृति में कथित प्रकार तो हैं ही, साथ में जुए में जीते हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्भिक्ष के समय बचाए हुए आदि-आदि अधिक हैं।^१

सूत्रकार ने 'दास-पौरुष' को काम-स्कन्ध—धन-सम्पत्ति माना है। दास-पौरुष शब्द से यह पता चलता है कि उस समय 'दास-प्रथा' बहुत प्रचलित थी। टीकाकारों ने दास का अर्थ पोष्य या प्रेष्य वर्ग और पौरुष्य का अर्थ पदाति समूह किया है।^२

अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं Slave और Servant। ये दोनों दास और नौकर के पर्यायवाची हैं।

जैन-साहित्य के अनुसार बाह्य-परिग्रह के दस भेद हैं। उनमें 'दुण्य' अर्थात् दो पैर वाले दास-दासियों को भी बाह्य-परिग्रह माना गया है।

कोटलीय अर्थशास्त्र में गुलाम के लिए 'दास' और नौकर के लिए 'कर्मकर' शब्दों का व्यवहार किया गया है। इसमें दासकल्प नाम का एक अध्याय है।^३

अनंगारधर्माश्रम की टीका में पण्डित आशाधरजी ने 'दास' शब्द का अर्थ—खरीदा हुआ कर्मकर किया है।^४

आजकल लोगों की धारणा है कि 'दास' शब्द का अर्थ क्रूर और जगली लोग हैं। पर 'दास' शब्द का मूल अर्थ यह नहीं जान पड़ता। दास का अर्थ दाता (जिसे अंग्रेजी में Noble कहते हैं) रहा होगा।^५ ऋग्वेद की कई ऋचाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सप्त-सिन्धु' पर दासों का आधिपत्य था।^६ जान पड़ता है कि दास लोग राजपूतों की तरह शूर थे। नमूचि, शबर आदि दाम बड़े शूरवीर थे।^७

इस आर्य पूर्व जाति पर आधुनिक अनुसन्धाताओं ने बहुत प्रकाश डाला है।

१—याज्ञवल्क्य स्मृति, २।१४, पृ० २७३।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

दास्यते—दीयते एव्य इति दासाः—पौव्यवर्गरूपारते च पोरुसति—सूत्रत्वात्पौरुषेय च—पदातिसमूह दासपौरुषेयम्।

(ख) सुखबोध्या, पत्र ७७

दासाश्च—प्रेष्यरूपा।

३—धर्मस्थीय, ३।१३, शकरण ६५।

४—अनंगारधर्माश्रम, ४।१२१।

५—भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० ११।

६—ऋग्वेद, १।३२।११, ५।३०।५।

७—भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० १३।

अध्ययन ४

असंख्यं

श्लोक २

१—(पावकम्मेहि क, पास ग, वेराणुबद्धा ष) :

'पावकम्मेहि'—चूर्णि में पाप-कर्म का अर्थ—हिंसा, अन्त, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि कर्म—किया है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'पाप के उपादान-भूत अनुष्ठान'^२ और नेमिचन्द्र ने 'कृषि, वाणिज्य आदि अनुष्ठान'^३ किया है।

'पास'—चूर्णि और बृहद् वृत्ति में 'पास' का अर्थ—पश्य 'देख' किया गया है।^४ नेमिचन्द्र ने इसे 'पाश' शब्द माना है।^५ उन्होंने दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं—

बारी गवाण जालं तिस्रीण हरिणाण वगुरा जेव ।

पासा य सउणयाण, णराण बंधत्थमित्थीओ ॥१॥

उन्नयसाणा अब्बलिय-परक्कमा पडिया कई जे य ।

महिलाहिं अंगुलीए, तच्चाचिज्जति ते चि नरा ॥२॥

अर्थात् हाथी के लिए वारि—श्रृंखला, मछलियों के लिए जाल, हिरणों के लिए बागुरा और पक्षियों के लिए पाश जैसे बन्धन है, उसी प्रकार मनष्यों के लिए म्त्रियाँ बन्धन हैं। उन्नत और अम्बलित पराक्रम वाले पण्डित और कवि भी महिलाओं की अंगुलियों के सकेत पर नाचते हैं।

'वेराणुबद्धा'—'त्रेरे वज्जे य कम्मे य'—इस वचन के अनुसार वर के दो अर्थ होते हैं—वज्र और कर्म। यहाँ इसका अर्थ कर्म है। शान्त्याचार्य के अनुसार 'वेराणुबद्ध' का अर्थ 'कर्म से बद्ध'^६ और नेमिचन्द्र के अनुसार 'पाप से बद्ध'^७ होता है।

१—उत्तरा-धयन चूर्णि, पृ० ११०

पातयते तमिति पापं, क्रियत इति कर्म, कर्माणि हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहादीनि ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

'पापकर्मभि' इति पापोपादानहेतुमिरनुष्ठानै ।

३—सुखबोधा, पत्र ८०

'पापकर्मभि' कृषिवाणिज्यादिभि अनुष्ठानै ।

४—(क) उत्तरा-धयन चूर्णि, पृ० ११०

पस्सत्ति ओतुरामत्रणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

'पश्य' अबलोकय ।

५—सुखबोधा, पत्र ८०

पासा इव पासा ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र २०६ :

वरं—कर्म 'तेम अनुबद्धा'—सततमनुगता ।

७—सुखबोधा, पत्र ८०

वेरानुबद्धा—पापेन सततमनुगता ।

श्लोक ३

२-संघ लगाते हुए (संधि-ग्रहे क) :

इसका शाब्दिक अर्थ है—संघ के द्वार पर।^१ चूर्णिकार और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की संघ बतलाई हैं—कलशाकृति, नंघावर्ताकृति, पद्माकृति, पुरुषाकृति आदि-आदि।^२

शूद्रक द्वारा लिखित संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिक' (३।१३) में सात प्रकार की संघ बतलाई गई हैं—पद्म (कमल) के आकार की, सूर्य के आकार की, अर्धचन्द्र के आकार की, जलकुंड के आकार की, स्वस्तिक के आकार की, उभरे वर्तन (पूर्णकुम्भ) के आकार की और आयनाकार :

पदम व्याकोशां मास्कर बालचन्द्रं,
बापी विस्तीर्णं स्वस्तिक पूर्णकुम्भम् ॥

इस प्रसंग पर चूर्ण (पृष्ठ ११०, १११), बृहद् वृत्ति (पत्र २०७, २०८) और सुखबोधा (पत्र ८१, ८२) में दो कथाओं का उल्लेख हुआ है। उनमें दूसरी कथा की तुलना 'मृच्छकटिक' (३।१३) में आई हुई कथा से होनी है। उनमें चारुदत्त की विशाल हबेली की दीवार के निकट खड़ा निष्णात चोर 'शविलक' मोच रहा है—“तन्मत्ता मे आश्चर्यादिति इस भित्ति में संघ कंमे लगाई जाए ? संघ देखने के बाद लोग विस्मयाभिभूत हो उनकी प्रशंसा न करें तो मेरी संघ लगाने की विवेकता ही क्या हुई ?”

चूर्ण और टीका की दूसरी कथा में भी चोर अपने द्वारा लगाई गई संघ की प्रशंसा मुनकर हर्षान्तरेक से संघ न रखने के कारण पकड़ा जाता है। दोनों कथाओं में अपने द्वारा लगाई गई संघ की प्रशंसा की अभिलाषा का साम्य है।

श्लोक ५

३-अंधेरी गुफा में जिमका दीप बुझ गया हो (दीव-प्यणट्टे ग) :

निर्युक्तिकार ने प्राकृत के अनुसार 'दीव' के दो अर्थ किए हैं—आश्वाम-दीप और प्रकाश दीप। जिसमें ममूट में निमग्न मनुष्यों को आश्वामन मिलना है उसे 'आश्वाम-दीप' और जो अन्धकार में प्रकाश फैलाता है, उसे 'प्रकाश-दीप' कहा जाता है। आश्वाम-दीप के दो भेद हैं—मन्दीन और अमन्दीन। जो जलजलावन आदि में नष्ट हो जाता है, उसे 'मन्दीन' और जो नष्ट नहीं होता उसे 'अमन्दीन' कहते हैं।

प्रकाश-दीप के दो भेद हैं—सयोगिम और असयोगिम। जो तैल, वनि आदि के संयोग में प्रदीप्त होता है वह 'सयोगिम' कहलाता है और सूर्य, चन्द्र आदि के बिम्ब 'असयोगिम' कहलाते हैं।^३

यहाँ प्रकाश-दीप अभिप्रेत है। कई धातु-वादी धातु प्राप्ति के लिये भूगर्भ में गए। दीप, अग्नि और ईंधन उनके पास थे। प्रमादवश दीप बुझ गया, अग्नि भी बुझ गई। अब वे उस गहन अन्धकार में उस मार्ग को नहीं पा सके, जो पहले देखा हुआ था।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २०७

सन्धि — क्षत्रं तस्य सुखमिध सुख—द्वार तस्मिन् ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १११

खस्ताणि य अगेगानाराणि कलसागिति-अवियावत्त-पट्टित्त (ताणि) पपुमासि (सुमासि) ति पुत्ताफिति वा ।

(ल) बृहद् वृत्ति, पत्र २०७ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८१ ।

३-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २०६, २०७ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र २१२, २१३ ।

सरपेण्टियर शान्त्याचार्य के द्वीप परक अर्थ को गलत मानते हैं ।^१

किन्तु शान्त्याचार्य ने निर्युक्तिकार के मत का अनुसरण कर 'दीब' शब्द के सम्भावित दो अर्थों की जानकारी दी है । उनमें प्रस्तुत अर्थ प्रकाश-दीप को ही माना है—अत्र च प्रकाशदीपेनाधिकृतम् ।^२

श्लोक ६

४—(सुत्सेमु क, पडिबुद्ध क, घोरा मुहुत्ता ग) :

'सुत्सेमु'—सुप्त शब्द में उन दोनों का समावेश होता है, जो सोया हुआ हो और जो धर्माचरण के लिए जागृत न हो ।^३

'पडिबुद्ध'—प्रतिबुद्ध शब्द में भी उन दोनों का समावेश होता है, 'जो नींद में न हो' और 'जो धर्माचरण के लिए जागृत हो ।'^४

'घोरा मुहुत्ता'—इन शब्दों द्वारा यह संकेत किया गया है कि प्राणी की आयु अल्प होती है और मृत्यु का काल अनिश्चित होता है, न जाने वह कब आ जाए और प्राणी को उठा ले जाए ।

यहाँ 'मूर्च्छा' शब्द से समस्त काल का ग्रहण किया गया है । प्राणी की आयु प्रतिपल क्षीण होती है—इस अर्थ में काल प्रतिपल जीवन का अपहरण करता है इसीलिए उसे घोर—रोद कहा है ।^५

५—भारण्ड पक्षी (भारण्ड-पक्षी घ) :

जैन-साहित्य में 'अप्रमत्त अवस्था' को बताने के लिए इस उपमा का प्रयोग अनेक स्थलों में किया गया है ।

कल्पसूत्र में भगवान् महावीर को—'भारण्ड पक्षी इव अप्रमत्ते'—भारण्ड पक्षी की भाँति अप्रमत्त कहा गया है । चूर्ण और टीकाओं के अनुसार ये दो जीव संयुक्त होते हैं । उन दोनों के तीन परं होने हैं । बीच का परं दोनों के लिए सामान्य होता है और एक-एक परं व्यक्तिगत । वे एक-दूसरे के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं, मतलब जागरूक रहते हैं ।^६

छठ्ठी शताब्दी की रचना बभ्रुदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ (पृ० २४६) में भारण्ड पक्षी का वर्णन देने हुए लिखा है—ये पक्षी रत्नद्वीप में आते हैं, इनका शरीर बहुत विशाल होता है और ये बाघ, रीछ आदि विशालकाय जानवरों का मांस खाते हैं ।

कल्पसूत्र की किरणावलि टीका में भारण्ड पक्षी का चित्रण निम्न प्रकार में किया गया है—

द्विजिह्वा द्विसुखाश्चैकोदरा मिन्यफलैश्चिषण ।

पचनत्र के अपरीक्षित कारक में भारण्ड पक्षी में सम्बन्धित कथा का उल्लेख हुआ है । उसका प्राग्वर्ती श्लोक यह है—

एकोदरा पृथग्ग्रीवा, अन्योन्यफलमक्षिण ।

असंहता चिनश्यन्ति, भारण्डा इव पक्षिण ॥

१—The Uttarādhyayana Sūtra, p. 295 :

दीबपण्टे is a composition of which the two parts have a wrong position one to the other, the word ought to be प्रणष्टद्वीप But S also thinks it possible to explain दीब^० by द्वीप—I think that would give a rather bad sense.

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २१२ ।

३—वही, पत्र २१३

सुप्तेषु—द्रव्यत शयानेषु नावतस्तु धर्म प्रत्यजायत ।

४—वही, पत्र २१३

प्रतिबुद्ध—प्रतिबोधः द्रव्यतो जाग्रता नावतस्तु यथावस्थित-वस्तुतत्त्वावगम ।

५—सुखबोधा, पत्र ९४ ।

घोरा—रौद्राः सततमपि प्राणिनां प्राणापहारित्वात् मुहुत्ता—कालबिषोधा, दिवसाद्युपलक्षणमेतत् ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ११७ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २१७ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ९४ ।

एक सरोवर के तट पर भारण्ड पक्षी का एक युगल रहता था। एक दिन दोनों पति-पत्नी भोजन की खोज में समुद्र के किनारे-किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा समुद्र की तरंगों के बेग से प्रवाहित होकर अमृत फलों का एक समूह तटपर विस्तीर्ण पड़ा है। उनमें से बहुत सारे फलों को नर भारण्ड पक्षी खा गया और उनके स्वाद से तृप्त हो गया। इसके मुख से फलों के स्वाद को सुनकर दूसरे मुख ने कहा—अरे भाई! यदि इन फलों में इतना स्वाद है तो मुझे भी कुछ चबाओ, जिसे कि यह दूसरी जीभ भी उस स्वाद के मुख का सनिक अनुभव कर सके। यह सुनकर भारण्ड पक्षी ने कहा—हम दोनों का पेट एक है। इसलिए एक मुख से खाने पर भी दूसरे को तृप्ति हो ही जाती है। इसलिए और खाने से क्या लाभ? परन्तु फलों का जो अवशिष्ट भाग है, वह मादा भारण्ड पक्षी को दे देना चाहिए ताकि वह भी उसका स्वाद ले सके। अवशिष्ट फल स्त्री को दे दिए गए। परन्तु दूसरे मुँहको यह उचित नहीं लगा। वह सदा उदासीन रहने लगा और येन-केन-प्रकारेण इसका बदला लेना चाहा। एक दिन संयोगवशा दूसरे मुख को एक विष-फल मिल गया। उसने अमृत-फल खाने वाले मुँह से कहा—अरे अधम और निरपेक्ष! मुझे आज विष-फल मिला है। अब मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसे खा रहा हूँ। यह सुनकर पहला मुँह बोला—अरे मूर्ख! ऐसा मत कर। ऐसा करने से हम दोनों मर जायेंगे। परन्तु वह नहीं माना और अपमान का बदला लेने के लिए विष-फल खा गया, विष के प्रभाव से दोनों मर गए।

इस पक्षी के लिए भारण्ड, भारण्ड और भण्ड—ये तीन शब्द प्रचलित हैं। आचार्य हेमचन्द्र की देशीनाममाला में भारण्ड का नाम भोरुड है—भारुडयमि भोरुडओ (६।१०८)। उनकी अनेकार्थक नाममाला (३।१७३) में “भेरुण्डो भीषण खग” — भेरुण्ड खग पक्षी, यथा—विसंहिता विनश्यति, भेरुण्डा इव पक्षिण” —यह उल्लेख मिलता है।

वमुदेवहिण्डी में एक कथा है—

कई एक बनजारे व्यापार के लिए एक साथ निकले। प्रवास करते-करते वे अजयप्र^१ नामक देश में आ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे सभी व्यापारी ‘वज्रकोटि संस्थित’ नामके पर्वत को लौंघकर आगे निकल गए। परन्तु अति शीत के कारण बकरे कांपने लगे। उनकी आँसो पर मे से पट्टियाँ हटा ली गईं और बाद में जिन पर बँठकर यहाँ आए थे उन सभी बकरों को मारकर उनकी चमड़ी से बड़ी-बड़ी मसकों का निर्माण किया। तदनन्तर रत्नद्वीप जाने के इच्छुक व्यापारी इन मसकों में एक-एक छुरा लेकर बैठ गए और अन्दर से उन्हें बन्द कर लिया।

उस पर्वत पर भय की खोज में भारण्ड पक्षी आए और इन मसकों को मास का लोटा समझकर उठा ले गए। रत्नद्वीप में नीचे रखने ही अन्दर बैठे हुए व्यापारी छूरे में मसक को काटकर बाहर निकल गए। तदनन्तर वहाँ से यथेष्ट रत्नों का गट्टर बाँधकर पुन मसक में आ बैठे। भारण्ड पक्षियों ने उन मसकों को पुन उस पर्वत पर ला छोड़ दिया।

प्रातः सामग्री के आचार पर यह भारण्ड पक्षी का संक्षिप्त परिचय है। प्राचीन काल में ये पक्षी यत्र-तत्र गोचर होते थे परन्तु आज कल उनका कोई इतिवृत्त नहीं मिलता। अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व हमने एक पत्र में पढ़ा कि एक दिन एक विशालकाय पक्षी आकाश में नीचे उतर रहा था। उसकी गति से उठी हुई आवाज हवाई जहाज की आवाज जैसी थी। ज्यों ही वह जमीन के पास आया, त्यों ही वहाँ खड़े हुए कई पशु (व्याघ्र, सिंह आदि) स्वतः उसकी ओर खिच गए और वह उन्हें खा गया।

श्लोक ७

६—थोड़े से दोष को भी (जं किञ्चि ख) :

‘यत् किञ्चित्’ का प्रासंगिक अर्थ थोड़ा सा प्रमाद या दोष है। दुश्चिन्तित, दुर्भाषित और दुष्कार्य—ये सब प्रमाद हैं। जो दुश्चिन्तन करता है वह भी बन्ध जाता है। जो दुश्चिन्तन कर उसे क्रियान्वित करता है, वह तो अवश्य ही बन्धता है। इसलिए यत् किञ्चित् प्रमाद भी पाश है—बन्धन है।^१ शान्त्याचार्य ने ‘यत् किञ्चित्’ का मुख्य आशय गृहस्थ में परिचय करना और गोण आशय प्रमाद किया है।^२

१—वह बेग जहाँ बकरो पर प्रवास किया जाता है। उस बेग में बकरो की आँसो पर पट्टी बाँधकर सवारी की जाती है।

२—उत्तराध्ययन धूर्ति, पृ० ११७ .

अंकिञ्चि अण्याना पमादं पासति दुश्चित्तादि, दुश्चित्तिण्णावि बद्धति, कि पुण जो चित्तिसु कम्मना सफलीकरेति, एव दुष्मासित्तुश्चित्ताति जं किञ्चि पासं ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २१७ :

‘अंकिञ्चिद्’ गृहस्थसंस्तबाद्यल्पमपि ‘जं किञ्चि’ त्ति यत्किञ्चिदल्पमपि दुश्चित्तादि प्रमादपदं सुसुगुणदिमासिन्मज्जनक-तया बन्धहेतुत्वेन ।

श्लोक १३

७-जीवन सांघा जा सकता है (संख्या ७):

पूर्णि में संस्कृत का पहला अर्थ—'संस्कृत बचन वाले धर्मात् सर्वज्ञ के बचन में दोष दिसाने वाले' और दूसरा अर्थ 'संस्कृत बोलने में रुचि रखने वाले' किया गया है।^१ शाक्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ—'संस्कृत सिद्धान्त का प्ररूपण करने वाले'—किया है। उनका सकेत निरन्वयोच्छेदवादी बौद्धों, एकान्त-नित्यवादी साक्ष्यो और संस्कारवादी स्मृतिकारों की ओर है। बौद्ध लोग वस्तु को एकान्त अनित्य मानकर फिर 'सत्त्वान' मानते हैं तथा सांख्य उसे एकान्त-नित्य मानकर फिर 'आधिर्भाव तिरोभाव' मानते हैं। इसलिए ये दोनों 'संस्कृत धर्मवादी' हैं। स्मृतिकारों के अभिमत में प्राचीन ऋषियों द्वारा निरूपित सिद्धान्त का प्रतिषेध और उसका पुनः संस्कार करके स्मृतियों का निर्माण किया गया—इसलिय वे भी संस्कारवादी हैं।^२

डॉ० हरमन जेकोबी तथा अन्य विद्वानों ने मूल में 'असंख्यता' शब्द माना है। डॉ० सांडेसरा ने इसका तात्पर्यार्थ असहिष्णु, असमाधानकारी किया है।^३

पहले श्लोक के पहले चरण में जीवन को असंस्कृत कहा है। उसके सदर्थ में 'संस्कृत' का अर्थ—'जीवन का संस्कार हो सकता है, वह फिर सांघा जा सकता है, ऐसा मानने वाले'—यह अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।

१-उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० १२६ :

संस्कृता नाम संस्कृतबचना सर्वज्ञबचनवत्तदोषा., अथवा संस्कृतानिधानरुचयः ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २२७ :

यद्वा संस्कृतागमप्ररूपकत्वेन संस्कृताः, यथा सौगताः, ते हि स्वागमे निरन्वयोच्छेदमभिधाय पुनस्तेनैव निर्वाह्यपरम्यतः परमार्थतोऽ-
ग्वधिग्रह्यरूपमेव सत्त्वानमुपकल्पयाम्बुधुः, सांख्याश्चैकान्तमित्यतामुक्षया तत्त्वतः परिणामरूपा चे (पावे) च पुनराधिर्भावतिरो-
भावावुक्तमस्तौ, यथा वा—

“उस्तामि प्रतिविद्धानि, पुनः सम्भावितानि च ।

सापेक्षनिरपेक्षानि, ऋषिवाक्यान्वयेकशः ॥१॥”

इतिबचनाद्बचननिषेधनसम्भवादिनिष्कृतस्मृत्यादिसास्त्रा मन्वाद्ययः ।

३-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० ३७ फुट नो० २ ।

अध्ययन ५ अकाम-मरणज्जं

श्लोक २

१—(अकाम-मरणं ग, सकाम-मरणं घ) :

'अकाम-मरण'—जो व्यक्ति विषय में आसक्त होने के कारण मरना नहीं चाहता किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मरता है, उसका मरण विषयाता की स्थिति में होता है इसलिए उसे अकाम-मरण कहा जाता है ।^१ इसे बाल-मरण (अविरति का मरण) भी कहा जा सकता है ।

'सकाम-मरण'—जो व्यक्ति विषयों के प्रति अनासक्त होने के कारण मरण-काल में मयभीत नहीं होता किन्तु उसे जीवन की भाँति उत्सव-रूप मानता है उस व्यक्ति के मरण को सकाम-मरण कहा जाता है ।^२ इसे पंडित-मरण (विरति का मरण) भी कहा जा सकता है ।

श्लोक ३

२—श्लोक ३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि पंडित (चारित्रवान्) व्यक्तियों का 'सकाम-मरण' एक बार ही होता है । यह कथन 'किंवदो' की अपेक्षा से ही है । अन्य चारित्रवान् मुनियों का 'सकाम-मरण' सात-आठ बार हो सकता है ।^३

इसमें आग हुग, बाल और पंडित शब्दों का विशेष अर्थ है ।

बाल—जिस व्यक्ति के कोई व्रत नहीं होता उसे बाल कहा जाता है ।

पंडित—सर्वव्रती व्यक्ति को पंडित कहा जाता है ।

श्लोक ५

३—(काम-भोगेषु क, कूडाय ख, न मे दिट्ठे परे लोए ग, चक्खु-दिट्ठा इमा रई घ) :

'काम-भोगेषु'—इसमें दो शब्द हैं—काम और भोग । शब्द और रूप को 'काम' तथा सर्वा, रम और गन्व को 'भोग' कहा जाता है ।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४२ -

ते हि विषयाभिष्वङ्गतो मरणमनिच्छन्त एव ज्ञियन्ते ।

२—वही, पत्र २४२ :

सह कामेन—अभिलाषेण वर्तते इति सकामं सकामविष सकामं मरणं प्रत्यसंभ्रस्ततया, तस्मात्वं चोत्सवमृतत्वात् तादृशा मरणस्य, तथा च वाचकः—

“सचित्तपोधमानां नित्यं व्रतनियमसयमरतानाम् ।

उत्सवमृतं मन्ये मरणमनपराभकृतीनाम् ॥१॥”

३—वही, पत्र २४२

तत्र 'उत्सवेषु' उरुधर्मोपलक्षितं, केवलिसम्बन्धीत्यर्थ, अकेवलिनो हि समयजीवितं दीर्घमिच्छेयुरपि, कुत्सवाप्तिः इत-स्याचित्ति, केवलिससु तदपि मेच्छन्ति, आस्तां मवजीवितमिति, तन्मरणस्योत्सवेषु सकामता 'सकृद्' एकवारमेव भवेत्, अवन्त्येन तु दोषचारित्र्यः ससाह वा बारान् भवेदित्याकृतमिति सूत्रार्थः ।

४—वही, पत्र २४२ में उद्धृत :

“कामा बुविहा पण्णसा—सहा क्खा य, भोगा तिबिहा पण्णसा, संजहा—यथा रसा फासा य” ति ।

'कूटाय'—कूट के दो अर्थ किए गए हैं—(१) तरक और (२) विद्या-मन्त्र । यहाँ विद्या-मन्त्र अधिक संगत लगता है ।^१

'न मे किंठे परे लोए, बकु-विट्ठा दमा रई'—परलोक तो मैंने देखा नहीं यह रति (अमन्य) तो बकु-दृष्ट है—जानों के सामने है—इन दो पदों में अनात्मवादियों के अभिमत का उल्लेख है । वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा कूट और अनामत को अवास्तविक । कामासक व्यक्तियों का यह चिन्तन अस्वाभाविक नहीं है ।

श्लोक ६

४—(हत्यागया इमे कामा न, कालिया जे अणागया न) :

बूणिकार ने लिखा है—कोई मूल भी अपनी गॉठ में बन्धे हुए चाबलों को छोड़कर भविष्य में होने वाले चाबलों के लिए आरम्भ नहीं करता ।^२

शान्त्याचार्य ने लिखा है—हाथ में धार्य हुए द्रव्यों को कोई भी पैरों से नहीं रौंदता ।^३

जो आत्मा, परलोक व धर्म का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नहीं छोड़ना । इसलिए अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ नहीं है । इसकी चर्चा नवें अध्यायन के श्लोक ५१-५३ में भी हुई है ।

श्लोक ७

५—क्लेश (केमं घ) :

काम-भोग में होने वाला क्लेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।^४ सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“वरि विषु सुंजित मं विसय, एकस्मि विसिष्य वरति ।

नर विसयाऽामिसमोहिषा, बहुसो नरइ परति ॥”^५

इसका आशय है कि विष पीना अच्छा है, विषय नहीं । मनुष्य विष से एक ही बार मरते हैं किन्तु विषय रूप मांस में मोहित मनुष्य अनेक बार मरते हैं—तरक में जाते हैं ।

श्लोक ८

६—प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही (अट्ठाए य अणट्ठाए न) :

हिंसा के दो प्रकार हैं—अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है—

एक भाला था । वह प्रतिदिन बकरियों को चराने जंगल में जाता था । मध्याह्न में बकरियों को एक बट-वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं सीधा सोकर बाँस के गोफन से बेर की गुठलियों को फेंक बरगद के पत्रों को छेदता था । इस प्रकार उसने प्रायः पत्तों को छेद डाला । एक बार एक राजपुत्र उस बट-वृक्ष की छाया में जा बैठा । उसने छिदे हुए पत्रों को देखकर भाले से पूछा—ये किसने छेदे हैं ? उसने कहा—

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ :

कूटमिष कूटं—प्रभूतप्राणिनां य.तनाहेतुबान्तरक इत्यर्थः, ... अथवा कूट इव्यतो भावतन्त्र, तत्र इव्यतो कृगाविवन्त्रं, भावतस्तु सिध्याभावणावि ।

२—उत्तराध्यायन बूणि, पृ० १३२

न हि कश्चिद् सुभोऽपि ओदन बहुलेनकं सुक्त्वा कालिकस्योदमस्यारम करोति ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ ।

४—वही, पत्र २४४ .

'क्लेशम्' इह परत्र च विविधवाचात्मकम् ।

५—सुखबोधा, पत्र १०३ ।

ये देने छेदे ह । राजपुत्र ने कहा—किसलिए ? ज्वाले ने कहा—विनोद के लिए । तब राजपुत्र ने उसे वन का प्रलोभन देते हुए कहा—मैं कहीं कि उसकी आँखें बँध हो, तो उसकी आँखें क्या तू बँध देगा ? ज्वाले ने कहा—हाँ, मैं बँध सकता हूँ, यदि वह मेरे नजदीक हो । राजपुत्र उसे अपने नगर ले गया । राजपुत्र में आए हुए प्रसाद में उसे ठहरा दिया । उस राजपुत्र का भाई राजा था । वह उसी मार्ग से जम्बरुव पर चढकर जाता था । राजपुत्र ने ज्वाले से कहा—इसकी आँखें फोड़ डाल । उस ज्वाले ने अपने गोफन से उसकी दोनों आँखें फोड़ डालीं । अब वह राजपुत्र राधा बन गया । उसने ज्वाले से कहा—बोल, तू क्या चाहता है ? उसने कहा—आप मुझे वह गाँव दें जहाँ मैं रहता हूँ । राजा ने उसे वही गाँव दिया । उसी सीमान्त के गाँव में उसने ईँक की खेती की और तुम्बी की बेल लगाई । गुड़ हुआ और तुम्बे हुए । उसने तुम्बों को गुड़ में पका गुड़-तुम्बक तैयार किया । उसे खाता और गाता—

अट्टमट्टं च सिद्धिजा, सिद्धिस्यं च विरत्स्यं ।

अट्टमट्टपसाएच, मुंजए गुडतुम्बयम् ॥'

अर्थात् उटपटांग जो भी हो सीसना चाहिए । सीसा हुआ व्यर्थ नहीं जाता । इसी अट्टमट्ट के प्रसाद से वह गुडतुम्बा मिल रहा है । ज्वाला पत्तों को बिना प्रयोजन छेदता था और उसने आँखों को प्रयोजनबन्ध छेदा ।

यह उदाहरण एक स्थूल भावना का स्पर्श करता है । साधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा की आँखें फोड़ डाली गईं—यह वस्तुतः जनार्ण हिंसा ही है । अर्थ-हिंसा उसे कहा जा सकता है, जहाँ प्रयोजन की अनिवार्यता हो ।

श्लोक ९

७—वेश परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला (सढे ळ) :

इसका सामान्य अर्थ है—धूर्त, मूढ, आलसी । यहाँ इसका अर्थ—वेश परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला है ।^२ टीकाओं में 'मंडिक चोरवत्' ऐसा उल्लेख किया है । मंडिक चोर की कथा इसी आगम के चौथे अध्ययन के सानत्रे श्लोक की व्याख्या में है ।

श्लोक १०

८—(दुहओ ग, सिसुणागु ष) :

'दुहओ'—द्वाम्या—दो प्रकार से । चूर्णिकार ने दो प्रकार के अनेक विकल्प किए हैं । जंमे—स्वयं करता हुआ, या दूसरो से करवाता हुआ, अन्त करण से या वाणी से, राग से या द्वेष से, पुण्य या पाप का, इहलोक बन्धन या परलोक बन्धन—संचय करता है ।^३

'सिसुणागु'—शिघुनाग का अर्थ है—छोटा सर्प, गण्डूपद या अलसिया । वह मिट्टी खाता है । उमका शरीर स्निग्ध होता है । इसलिए उसके शरीर पर भी मिट्टी चिपक जाती है । इस प्रकार वह अन्दर और बाहर दोनों ओर मिट्टी का मंचय करता है ।^४

१—दुह्व् दृत्ति, पत्र २४४, २४५ ।

२—वही, पत्र २४५ :

'शठः' तत्तल्लोपध्यादिकरणतोऽन्यथासूतमात्मानमन्यथा दर्शयति ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३४ :

द्विधा—दुहओ मृत्नाति तमिति मलं, स्वयं कुर्वन् परैश्च कारयन्, अथवा अन्त करणेन बाह्येन वा, सप्तागत करणं नाम मन-बाह्यं बाह्यिकं, अथवा रागेण द्वेषेण च, अथवा पुन पाप च, अथवा इहलोयबंधनं वेज्जं च ।

४—(क) वही, पृ० १३४

शिशुरेव नाम शिशुनाग गण्डूपव इत्यर्थः, मृद्यति तमिति मृत्तिका, स हि शिशुनागः स्रवं मुक्त्वा अतो मल संक्षिपति बहिरवाहं माषत्वाद् बेहस्य, स हि पांगुत्करेषु सर्पमाण सर्वो रजसा विकार्यते, ततो धर्मरश्मिकिरणैरापीतस्नेहः सामिरेव बहिरंतश्च प्रतसाभिर्मृद्भि, शीतयोनिर्निर्बाह्यमानो विमाध्यमाणोति ।

(ख) दुह्व् दृत्ति, पत्र २४६

'शिशुनागो' गण्डूपदोऽलस उच्यते, स इव मृत्तिकां, स हि रिनाधतमुतया बहिरैणुभिरबगुपुड्यते, तामेव चारपीते इति बहिरंतश्च द्विषापि मलमुपचिनोति ।

श्लोक १३

९—(उबवाइयं क, आहाकम्मेहि ग) :

'उबवाइय'—जीवों की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं—गर्भ, सम्मूर्धन और उपपात। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि गर्भज होते हैं। द्वीन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्धनज और तारक तथा देव औपपातिक होते हैं।

औपपातिक जीव अन्तर्मूर्त मात्र में पूर्ण शरीर वाले हो जाते हैं, अतः वहाँ उत्पन्न होते ही वे नरक की वेदना से अभिभूत हो जाते हैं।^१

'आहाकम्मेहि'—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'कर्मों के अनुसार' किया है। शान्त्याचार्य ने इसका मूल अर्थ 'अपने किए हुए कर्मों के द्वारा' किया है और विकल्प में इसका अर्थ किया है—'कर्मों के अनुसार'।^२

श्लोक १६

१०—एक ही दाव में (कलिना घ) :

चूर्णिकार कलि के विषय में यौन हैं।^३ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने 'कलिना दायेन' इतना कहकर छोड़ दिया है।^४

किन्तु अन्य प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जुए में दो प्रकार के दाव होते थे—कृतदाव और कलिदाव। 'कृत' जीत का दाव है और 'कलि' हार का। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

सूत्रकृताग के अनुसार जुआ चार अक्षों से खेला जाता था। उनके नाम हैं—

- (१) कलि—एकक।
- (२) द्वापर—द्विक।
- (३) त्रैता—त्रिक।
- (४) कृत—चतुष्क।

चारों पासे सीधे या ओधे एक से पड़ते हैं, उसे 'कृत' कहा जाता है। यह जीत का दाव है। एक, दो या तीन पासे उलटे पड़ते हैं उन्हें क्रमशः कलि, द्वापर, त्रैता कहा जाता है। ये हार के दाव हैं। कुशल जुआरी इन्हें छोड़ 'कृतदाव' ही लेता है।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३५ :

उपपातासंजातमौपपातिकं, न तत्र गर्भधुक्रातिररितं येन गर्भकालान्तरितं तन्नरकदुःखं स्यात्, ते हि उत्पन्नमात्रा एव नरकवेदनाभिरभिपूयन्ते।

२—(क) वही, पृ० १३५ :

आधाकम्मेहि यथाकर्मणि।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४७ :

'आहाकम्मेहि'ति आधामनाधाकरणम्, आत्मनेति गम्यते, तदुपलक्षितानि कर्माध्यायाकर्मणि, तैः आधाकर्मणि—स्वकृतकर्मणि, यद्वाऽर्थात्, 'आहेति' आधाय कृत्वा, कर्माणीति गम्यते, ततस्तरेव कर्मणिः, .. यद्वा—'यथाकर्मणिः' नमिष्यन्नाध्यायपुण्यैः तीक्ष्णतरास्तनुयायान्तिरैः।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २४८।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

६—सूत्रकृताग, १।२।२।३३।

काशिका में लिखा गया है कि पंचिका नाम का जुआ अन्न या पौष शकाकाओं से खेला जाता था। जब पौषों पास सीधे या भीधे एक से गिरते हैं तब पासा फेंकने वाला जीतता है, इसे 'कृनदाव' कहते हैं। 'कलिदाव' इनमें विपरीत है। जब कोई पासा उलटा या सीधा गिरता है तब उसे 'कलिदाव' कहते हैं।

भूरिदत्त जातक में 'कलि' और 'कृत' दोनों को एक दूसरे के विपरीत माना है।^१

छान्दोग्य उपनिषद् में भी 'कृत' जीत का दाव है।^२ महाभारत (सभापर्व ५२।१३) में साकुनि को 'कृनहृन्त' कहा गया है अर्थात् जो सदा जीत का दाव ही फेंकता है।

पाणिनि के समय दोनों प्रकार के दाव फेंकने के लिए भाषा में अलग-अलग नामवानुएँ चत्र गई थीं। ग्रिनका सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है—

कृतं गृह्णाति—कृतयति, कलिं गृह्णाति—कलयति। (३।१।२१)^३

विष्णु पञ्चित जातक में भी 'कृन गृह्णाति कलिं गृह्णाति' ऐसे प्रयोग हुए हैं।^४

जुएँ के खेल के नियमों के अनुसार जब तक किसी खिलाड़ी का 'कृनदाव' आना रूग्ना, वही पासा फेंकता जाता था। पर जेमे ही 'कलिदाव' आता, पासा डालने की बारो दूसरे खिलाड़ी की हो जाती।

श्लोक १८

११-जितेन्द्रिय पुरुषों का (बुसीमओ ष) :

यहाँ बहुवचन के स्थान में एकवचन है। बृहद् वृत्ति में इसका संस्कृत रूप है 'वश्यवान्'। जात्मा और इन्द्रिय जिनके वश्य—प्रधीन होते हैं, उसे 'वश्यवान्' कहा जाता है। 'वमीम' के दो अर्थ और किए गए हैं—(१) साधु गुणों से बनने वाला और (२) सविग्न।^५

सरपेन्द्रियर ने लिखा है कि इसका संस्कृत रूप 'वश्यवन्त' वाक्यात्पद है। मैं इसके स्थान पर दूसरा उचित शब्द नहीं दे सकता। परन्तु इसके स्थान पर 'वश्यवन्त' शब्द की योजना कुछ हद तक संभव हो सकती है।^६

सरपेन्द्रियर की यह मभावना बहुत उपयोगी नहीं है। वस्तुतः 'बुमीम' शब्द या तो देगी है जिसका संस्कृत रूप कोई होता ही नहीं और यदि यह देशी नहीं है तो इसका संस्कृत रूप 'बुमीमन्' होना चाहिए।

'बुमी' का अर्थ है—'मुनि का कुश आदि का आसन'।^७ सूत्ररूपाय में श्रमण के उाकरणों में 'बुपिह' (भिमिग) का उल्लेख है।^८ इसके सम्बन्ध से मुनि को 'बुमीमान्' कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से 'बुमीम' का संस्कृत रूप 'बुमीमन्' होता है। इसका प्रवृत्ति लक्ष्य अर्थ है—मुनि, सयमी या जितेन्द्रिय।

१-जातक, सख्या ५४३।

२-छान्दोग्य उपनिषद्, ४।१।४ यथा कृतायविजितायाधरेया संयत्येवमेनं सर्वं तवमितमेति।

३-पाणिनीकालीन भारतवर्ष, पृ० १६७।

४-जातक, सख्या ५४५।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २४९

'बुसीमतो' ति, आर्षस्वाह्वयवतां वश्य इत्यावन्त, स वेहात्मा इन्द्रियाणि वा, वश्यानि विद्यन्ते येषां ते अमी वश्यवन्त तेषाम्, अयमपर सम्प्रवायार्थ —वसन्ति वा साधुगुणेहि बुसीमन्त, अहवा बुसीमा—संविगां तेषि'ति।

(ख) उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० १३७

'बुसीमतो' वशे येषामिन्द्रियाणि ते मवन्ति बुसीमं, वसन्ति वा साधुगुणेहि बुसीमन्त, अथवा बुसीमन्त. ते संविगा, तेषि बुसीमतां संविगाणं वा।

६-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० २९९ का फुटनोट १८।

७-अभिधान चिन्तामणि, ३।४८०।

८-सूत्रकृतान्त, २।२ सू० ३२ वरुण वा, छतगं वा, मण्डनं वा, मत्तनं वा, लङ्घिं वा, निसिगं वा।

निशीथ भाष्य में इसी अर्थ में 'बुसिराती' (सं० बृषिरामिन्) तथा 'बुसि' (सं० बृषिन्) शब्द प्राप्त होते हैं । 'बुसि' का अर्थ 'सविन् किया गया है ।'^३

सूत्रकृताग में 'बुसीमओ' का अनेक बार प्रयोग हुआ है । चूर्णिकार ने उसके अर्थ इस प्रकार किए हैं—

बुसिमतां वसूनि ज्ञानादीनि (१।८।१६ चूर्णि, पृष्ठ २१३) ।

बुसिमानिति संयमवान् (१।११।१५ चूर्णि, पृष्ठ २४५) ।

बुसिमांसव भगवान्—साधुर्वा बुसीमान् (१।१५।४ चूर्णि, पृष्ठ २६६) ।

बुसियं बुसिमं वुत्तो (२।६।१४ चूर्णि, पृष्ठ ४२३) ।

पहले अर्थ पर से लगना है कि चूर्णिकार 'बसुमओ' पाठ की व्याख्या कर रहे हैं । आचाराग १।१।७।६२ में 'बसुम' शब्द मुनि के लिए प्रयुक्त हुआ है । शीलांक सूरि ने उसका अर्थ 'वसुमान्—नम्यक्त्व आदि वन से धनी—किया है ।^४ दूसरे अर्थ में 'बुसि' संयम का पर्यायवाची है । तीसरे में वही भगवान् या साधु के लिए प्रयुक्त है । चौथा अर्थ स्पष्ट नहीं है । शीलांक सूरि ने वहाँ 'बुसिम' का अर्थ संयमवान् किया है ।^५ लगता यह है 'बुषी' उपकरण के कारण बुषीमान (बुसीम) मुनि का एक नाम बन गया ।

श्लोक १६

१२—(नाणा-सीला ग, विषम-सीला घ) :

'नाणा-सीला'—गृहस्थ नानाशील—विविध शील वाले, विभिन्न हवि वाले और विभिन्न अभिप्राय वाले होते हैं ।^६ इसकी व्याख्या करते हुए नेमिचन्द्र ने लिखा है—'कई कहते हैं—'गृहस्थाश्रम का पालन करना ही महाव्रत है' । कई कहते हैं—'गृहस्थाश्रम से उत्कृष्ट धर्म न हुआ है और न होगा । जो शूरीर होते हैं, वे इसका पालन करते हैं और क्लीब व्यक्ति पाखण्ड का आश्रय लेते हैं' । कई कहते हैं—'सात सौ शिक्षापद गृहस्थो के व्रत है' आदि-आदि ।'^७

'विषम-सीला'—साधु भी विषम शील वाले—विषम आचार वाले होते हैं । शान्त्याचार्य ने लिखा है—कई पाँच यम और पाँच नियमो को, कई कन्द, मूल, फल के आहार को और कई आत्म-तन्त्र के परिज्ञान को ही व्रत मानते हैं ।^८

१—निशीथ भाष्य, गाथा ५४२० ।

२—वही, गाथा ५४२१ ।

३—वही, गाथा ५४२१ ।

४—आचाराङ्ग १।१।७।६२, वृत्ति—

माव वसूनि सन्यक्त्वादीनि तानि यस्य यस्मिन् वा सन्ति स वसुमान् इव्यवानित्यर्थ ।

५—सूत्रकृताग २।६।१४, वृत्ति—

बुसिमति संयमवान् ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३७

नानार्थांतरत्वेन शील्यति तद्विति शीलं-स्त्रमाव, अगारे तिष्ठतीत्यागारतया, ते हि नानाशीला नानास्त्रयो—नानाच्छंदा भवति ।

७—सुखबोधा, पत्र १०६ :

तेषु हि गृह्णिस्तावद अत्यन्तमानाशीला एव, यत केचिन् 'गृहाश्रमप्रतिपालनमेव महाव्रतमिति प्रतिपन्ना

गृहाश्रमपरो धर्मो, न सूतो न भविष्यति ।

पालयन्ति नराः शूराः, क्लीबाः पाखण्डमाश्रिताः ॥१॥

इति ब्रह्मण । अन्ये तु 'सप्तशिक्षापदशतानि गृहिणां व्रतम्' इत्याद्यनेकधैव ब्रुवते ।

८—बृहद वृत्ति, पत्र २४९

'विषमम्' अतिदुर्लभतयाऽस्तिगहनं विसदृश वा शीलमेवां विरमशीला, निषयोऽप्यत्यन्तं विषमशीला एव, यतस्तेषु केषांश्चि-
त्संशयमनियमात्मकं व्रतमिति वर्णनम्, अगरेषां तु कन्वमूलफलाशितैव इति, अन्येषामात्मतत्त्वपरिज्ञानमेवेति विसदृशाशीलता ।

वृत्तिकार के अनुसार—कुछ कुप्रवचन-भिन्नु अम्युदय की ही कामना करते हैं, जैसे तापस और पांडुरक (शिवभक्त संन्यासी) । जो मोक्ष चाहते हैं, वे भी उसके साधन को सम्यक् प्रकार से नहीं जानते । वे आरम्भ से मोक्ष मानते हैं । लोकोत्तर भिन्नु भी सबके सब निदान और शौच रहित नहीं होते, आर्षाभा रहित तप करने वाले नहीं होते, इसलिए भिन्नुओं को विषम-शील कहा है ।'

श्लोक २०

१३--श्लोक २० :

तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—अन्नती, देशन्नती और सर्वन्नती । इस श्लोक में बताया गया है कि अन्नती या नामधारी भिन्नुओं से देशन्नती गृहस्थ संयम से प्रधान होते हैं और उनकी अपेक्षा सर्वन्नती भिन्नु संयम से प्रधान होते हैं । इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है—

'एक श्रावक ने साधु से पूछा—'श्रावक और साधुओं में कितना अन्तर है ?' साधु ने कहा—'सरसों और मन्दर पर्वत बितना ।' तब उसने पुनः आकुल होकर पूछा—'कुर्लिंगी (देवधारी) और श्रावक में कितना अन्तर है ?' साधु ने कहा—'वही, सरसों और मन्दर पर्वत बितना ।' उसे समाधान मिला । कहा भी है—

सुबिहित आचार वाले मुनियों के श्रावक देवा विरत होते हैं ।
कुतीर्थिक उनकी सौधी कला को भी प्राप्त नहीं होते ।

श्लोक २१

१४--श्लोक २१ :

इस श्लोक में बत्कल धारण करने वाले, चर्म धारण करने वाले, नद्य रहने वाले, जटा रखने वाले, संघाटी रखने वाले और मुड़ रहने वाले—इन विभिन्न लिंगधारी कुप्रवचन-भिन्नुओं का उल्लेख हुआ है । ये सारे वाद उस समय के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सूचक हैं । मिलाइए—

(क) न नगचरिया न जटा न पंका, नानासका बंडिलसायिका वा ।
रज्जो च जत्कं उक्कटिकप्पवानं, सोर्धेति मच्चं अचित्तिण्णकंसां ॥

(धम्मपद १०।१३)

(ख) तथा च वाचक.—

वर्नाबत्कलचीराणि, कूर्धमुण्डशिलाजटा ।
न व्यपोहन्ति पापानि, शोधकौ तु ब्यावमौ ॥

(मूलबोधा, पत्र १२७)

१-उत्तराध्ययन वृत्ति, पृ० १३७

कुप्रवचनभिक्षावोऽपि केचिदम्युदयावेव यथा तापसाः पांडुरागाश्च, येऽपि भोजाघोषिता तेऽपि तमायया वस्यति ... तथैव लोकोत्तरभिक्षावोऽपि न सत्त्वे अग्निवाणकरा निस्सहा वा, न वा सत्त्वे आसंतापयोग-निश्चयहृततपसो सर्वात्त इत्यतो विसमसीला य भिक्षुणो ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २५०

तथा च बृहत्सम्प्रदाय—एगो सावगो साधु पुरच्छति—सावगानं साहूणं किञ्चत्तरं?, साधुणा मण्यति—सरिसवमंवरंत्तरं, ततो सो वाजलीहमो पुणो पुच्छति—कुर्लिंगीयं सावगाण य किञ्चत्तरं?, तेज मण्यति—तथैव सरिसवमंवरंत्तरं, ततो समासासितो, ज्ञतो मण्यं—

“केचिन्नेतद्विरत्या सज्जानं सावगा सुबिहित्थं ।
केचिं वरपासंया सत्तिमं पि कलं न ज्ञयंति ॥”

'वीर'— चूर्ण में इसका अर्थ बल्कल^१ और बृहद् वृत्ति में बीबर किया गया है ।^२

'गणित्थि'— इसका अर्थ है नम्रता । यहाँ चूर्णकार ने उस समय में प्रचलित कुछ नम्र सम्प्रदायों का नामोल्लेख किया है । मृगचारिक, उहृष्टक (हाथ में दण्ड ऊँचा रख कर चलने वाले तापसों का सम्प्रदाय) और आजीविक सम्प्रदाय के साधु नम्र रहते थे ।^३

'संघाटी'— संघाटी—कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया साधुओं का एक उपकरण ।^४ इस शब्द के द्वारा सूत्रकार ने सम्भवतः बौद्ध-श्रमणों के प्रति संकेत किया है । महात्मा बुद्ध ने तेरह घुतांगों का वर्णन किया है । उसमें दूसरा घुतांग है—श्रीचीवरिकाङ्ग । संघाटी, उत्तरासंग और अन्तर-वासक—बौद्ध भिक्षु के ये तीन वस्त्र हैं । जो भिक्षु केवल इन्हीं को धारण करता है उसे श्रेणीवरिक कहते हैं और उसका यह घुतांगव्रत श्रेणीवरिकाम कहलाता है ।^५

'मुष्टिण'—जो अपने सिद्धान्त के अनुसार छोटी कटाते थे उन संन्यासियों के आचार का मुष्टिण शब्द के द्वारा उल्लेख किया गया है ।^६

श्लोक २३

१५—गृहस्थ-सामायिक के अंगों का (अगारि-सामाह्यंगानि) क :

सामायिक शब्द का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र । उसके दो प्रकार हैं—अगारी (गृहस्थ) का सामायिक और अनगार का सामायिक । चूर्णकार ने अगारि-सामायिक के बारह अंग बतलाए हैं ।^७ वे श्रावक के बारह व्रत कहलाते हैं ।

शाल्याचार्य ने अगारि-सामायिक के तीन अंगों का उल्लेख किया है—निःशंकभाव, स्वाध्याय और अणुव्रत ।^८

विशेषावश्यक भाष्यकार ने सामायिक के चार अंग बतलाए हैं—(१) सम्यक् दृष्टि सामायिक, (२) श्रुत सामायिक, (३) देशव्रत (अणुव्रत) सामायिक, (४) सर्वव्रत (महाव्रत) सामायिक ।^९ इनमें प्रथम तीन अगारिसामायिक के अंग हो सकते हैं ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८

वीर— बल्कलम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २५० :

वीराणि च—बीबरानि ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ .

मियमं नाम नन्वा एव, यथा मृगचारिका उहृष्टकाः आजीविकाश्च ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २५० .

संघाटी—वस्त्रसंहतिजनिता ।

५—विशुद्धिमार्ग १।२, पृ० ६० ।

६—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २५० .

'मुष्टिणं' ति यत्र शिक्षाऽपि स्वसमयतविद्यते, तत प्राग्बत मुष्टित्वम् ।

(ख) सुसन्तोषा, पत्र १०६ ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३९

अगारिस्त्यास्तीति अगारी, अगारिसामाह्यस्त वा अंगानि अगारिसामाह्यंगानि, सम्य एव सामाह्य, अङ्ग्यस्तेऽनेनेति अंगं तस्य अंगानि बारसविधो सावगवन्मो, ताम्बनारसामाह्यंगानि, अगारिसामाह्यपरस वा अंगानि ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र २५१

अगारिणो—गृहस्थि सामायिकं—सम्यक्त्वश्रुतवेशविरतिरूपं तत्याङ्गानि—निःशंकताकालाध्ययनाणुव्रतादिकृमाणि अगारि-सामायिकाङ्गानि ।

९—विशेषावश्यक भाष्य, पाथा ११९६ :

सम्प्रदायवेससव्यवसाय, सामाह्ययाच नेवकपि ।

१६-पोषध को (पोसहं ग) :

इसे द्वाैताम्बर साहित्य में 'पोषध' या 'प्रोषध' (उत्तराध्ययन चूर्ण पृ० १३६), दिगम्बर साहित्य में 'प्रोषध' और बौद्ध साहित्य में 'उपोसध' कहा जाता है । यह श्रावक के बारह व्रतों में ग्यारहवाँ व्रत है । इसमें अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य का तथा मणि, सुवर्ण, माला, उषटन, विलेपन, शस्त्र प्रयोग का प्रत्याख्यान और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ।^१ इसकी आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या—इन पर्व तिथियों में की जाती है ।^२ शंख श्रावक के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि अन्न, पान आदि का त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था ।^३

बसुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषध के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । उत्तम प्रोषध में चतुर्विध आहार और मध्यम प्रोषध में जल को छोड़कर त्रिविध आहार का प्रत्याख्यान किया जाता है । आर्यविल (आचाम्ल), निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहा जाता है । विशेष जानकारी के लिए देखें—बसुनन्दि श्रावकाचार श्लोक २५०-२६४ ।

स्थानाग में 'पोषधोपवास' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं । पोषध (पर्व दिन) में जो उपवास किया जाता है, उसे पोषधोपवास कहा जाता है ।^४ पर्व तिथियों में दिन-गन तक आहार, शरीर-संस्कार आदि को त्याग ब्रह्मचर्य पूर्वक जो धर्मारोधना की जाती है उसे परिपूर्ण पोषध कहा जाता है ।^५

उक्त वर्णन के आधार पर पोषध की परिभाषा इस प्रकार बनती है—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि पर्व-तिथियों में गृहस्थ उपवास पूर्वक धार्मिक आराधना करता है, उस व्रत को पोषध कहा जाता है ।^६ बौद्ध साहित्य में भी चतुर्दशी और पूर्णिमा को उपोसध करने का वर्णन मिलता है ।^७ शान्ताचार्य ने आमसेन का एक श्लोक उद्धृत किया है । उसमें भी अष्टमी और पूर्णिमा को पोषध करने का विधान है ।^८ 'पोसह' शब्द का मूल 'उपवसध' होना चाहिए । 'पोसह' का संस्कृत रूप पोषध किया जाना है और उसकी व्युत्पत्ति की जाती है—पोषध अर्थात् धर्म की पुष्टि को धारण करने वाला । यह इस व्रत की भावना को अभिव्यक्त नहीं करती ।

चतुर्दशी आदि पर्व-तिथियों को उपवास करने का विधान है, इसलिए वे तिथियाँ भी 'उपोसध' कह जाती हैं ।^९ और उन तिथियों में की जाने वाली उपवास आदि धर्मारोधना को भी उपोसध कहा जाता है ।^{१०} उपोसध के उकार का अन्तर्धान और 'ध' को 'ह' करने पर उपोसध का 'पोसह' रूप भी हो सकता है ।

बौद्ध-सम्मत उपोसध तीन प्रकार का होता है—(१) गोपाल-उपोसध, (२) निर्ग्रन्थ-उपोसध और (३) आर्य-उपोसध ।

(१) गोपाल-उपोसध :

जैसे भाला मालिकों को गावें सौंपकर यह सोचता है कि आज गावों ने अमुक-अमुक जगह चराई की, कल अमुक-अमुक जगह

१-मगवती, १२।१ ।

२-स्वामांग, ४।३।३१४ ।

३-मगवती, १२।१ ।

४-स्वामांग, ३।१।१५०, ४।३।३१४ ।

५-वही, ४।३।३१४ ।

६-गृह्य सृष्टि, पत्र ३१५ :

पोष-धर्मपुष्टिं धत्त इति पोषध-—अष्टम्यावितिथिषु धत्तविशेष ।

७-विष्णुद्विजार्ण, पृ० २७३ ।

८-गृह्य सृष्टि, पत्र ३१५

आह आसत्तेन .—

'सर्वेष्वपि तपोयोगः, प्रसस्तः कालपर्वतु ।

अष्टम्यां पंचवस्यां च, नियतं पोषधं वसेत् ।

९-अभिधमनिकाय, पृ० ४५६ ।

१०-वही, पृ० ३३८ ।

करेंगी। उसी प्रकार उपोसथ व्रतों को ऐसा सोचना है कि आज मैंने यह खाया, कल यह खाऊँगा आदि। यह लोभवृत्त चित्त ने दिन गुजार देना है, यह गोपाल-उपोसथ-व्रत है। इसका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान् विस्तार।^१

(२) निर्ग्रन्थ-उपोसथ :

निर्ग्रन्थ अपने अनुयायियों को इस प्रकार व्रत लिखाते हैं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में ली-सी योजन तक जितने प्राणी हैं वृ उन्हें बण्ड से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ के प्रति दया ध्यक्त करते हैं और कुछ के प्रति नहीं। निर्ग्रन्थ कहते हैं—तू सभी बन्धुओं को त्यागकर इस प्रकार व्रत ले। न मैं कहीं किसी का हूँ और न मेरा कहीं कोई कुछ है—ऐसा व्रत लेना मिथ्या है, झूठा है। वे मृषावादी हैं—उस रात्रि के बीतने पर वह उन त्यक्त बन्धुओं को बिना किसी के दिये ही उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार वे चोरी करने वाले होते हैं। इस व्रत का न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान्-विस्तार।^२

(३) आर्य-उपोसथ :

आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करना है। उसका चित्त मेल रहित हो जाता है। आर्य श्रावक धर्म का, सच का, देवताओं का अनुस्मरण करता है। वह हिंसा, चोरी, अन्नह्यचर्य, मृषावाद का त्याग करता है, एकाहारी होता है।

पापं न हाने न चाक्लिन्नं आचिये ।

मुसा न भासे न च मज्जयो सिया ॥

अन्नह्यचर्यां चिरमेव्यं तेषुना ।

रस्ति न सुजेव्यं विकालप्रोजन ॥

माल न धारेव्यं न च गन्धआचरे ।

मचे छमाय वसयेव सन्धते ॥

एतं हि अट्ठंगिकमाहुपोसथं ।

बुद्धेन बुक्खंतगुणं पकासितं ॥^३

आमुदसी पंचदसी धाव पक्खस्स अट्ठमी

पाटिहारियपक्खंच अट्ठगसुसमागत

उपोसथं उपवसेव्यं, यो पंत्स माविसो नरो ॥^४

इन प्रकारों में निर्ग्रन्थ-उपोसथ पर कुछ आक्षेप किए गए हैं। किन्तु उपोसथ की साधना अमुक काल के लिए की जाती है और उसके व्रत भी अमुक काल तक स्वीकार किए जाते हैं—इस तथ्य को अनाग्रह-बुद्धि से समझने का प्रयत्न किया जाना तो ये आक्षेप आवश्यक नहीं होते।

श्लोक २४

१७—(छवि-पञ्चाओ न, जक्ख-सलोगयं प) :

'छवि-पञ्चाओ'—छवि का अर्थ है चमडी और पर्व का अर्थ है शरीर के सवि स्थल—घुटना, कोहनी आदि। छवि-पर्व का तात्पर्य है—ओदारिक शरीर—चर्म, अस्थि आदि से बना हुआ शरीर।^५

१-अगुत्तर-विकाय, भा० १ पृ० २१२।

२-बही, पृ० २१२ १३।

३-बही, पृ० २१३ २२१।

४-बही, पृ० १४७।

५-सुक्खबोधो, पत्र १०७ :

छविरव—त्वक् पञ्चाणि च—आनुकुर्यादीनि छवियं तद्भोगाद् ओदारिकशरीरमपि छविरव तत्त ।

'अन्व-सलोकता'—यज्ञ-सलोकता—देवों के तुल्य लोक अर्थात् देवगति ।^१ ऐतरेय आरण्यक^२ और बृहदारण्यक उपनिषद्^३ में 'सलोकता' का प्रयोग मिलता है ।

ऐतरेय आरण्यक—स य ...वेदाह सायुज्यं सखतां सलोकता भवन्ते । (३।२।१।७, पृष्ठ २४२, २४३)

बृहदारण्यक—एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयसि । (१।५।२३, पृष्ठ ३८८)

आचार्य सायण और शंकराचार्य ने सलोकता का अर्थ 'समान-लोक या एक स्थान में बसना' किया है ।^२

दीर्घनिकाय के अनुवाद में भी इसका यही अर्थ है ।^३ दीर्घनिकाय मूल में सलोकता के अर्थ में सहृदयता का प्रयोग मिलता है—बान्दिम-सुरियाना सहृदयताय यथा देसितुं—अजयमेव उजु-मनो । (१।१३, पृष्ठ २७३)

श्लोक २६

१८—मोह रहित (विमोहाइं क) :

चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—अन्वकार रहित और स्त्रियों से रहित ।^४ शात्याचार्य के अनुसार वे कामात्मक मोह से रहित होते हैं । द्रव्य-मोह (अन्वकार) तथा भाव-मोह (मिथ्यादर्शन) ये दोनों वहाँ नहीं होते इसलिए उन्हें विमोह कहा गया है ।^५

श्लोक २७

१९—अभी उत्पन्न हुए हों—ऐसी कान्ति वाले (अङ्गुणोपपन्न-संकासा ग) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—अभिनव उत्पन्न की तरह किया है ।^६ टीकाकारों ने इसका अर्थ 'प्रथम उत्पन्न देवता के तुल्य' किया है । इसका तात्पर्य है कि उनमें औदारिक शरीर गत अवस्थाएं नहीं होती । वे न बालक होते हैं और न बृद्धे, सदा एक से रहते हैं । उनका रूप-रंग और लावण्य जैसा उत्पत्ति के समम होता है वैसा ही अन्तकाल में होता है ।^७

१—सुखबोधा, पत्र १०७

यथा:—वेवा, समानो लोकोऽप्येति सलोकस्तदुवाच: सलोकता, यथै: सलोकता यज्ञसलोकता ताम् ।

२—(क) ऐतरेयारण्यक, पृ० २४३

सलोकतां समानलोकवासित्वमभवन्ते ।

(ख) बृहदारण्यक उपनिषद्, पृ० ३९१ :

सलोकतां समानलोकता वा एकस्थानत्वम् ।

३—दीर्घनिकाय, पृ० ८८ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४०

'विमोहाइं' विमोहानीति निस्तमासीत्यर्थः, तमो हि बाह्यमाभ्यन्तरं च, बाह्य तावद्यन्वेष्येति देवलोकेषु तमो नास्ति, किं पुनरनुत्तरविमानेषु ? अभ्यन्तरतममधिकृत्यापक्षिप्यते—सर्व एव हि सम्यग्दर्शयैव, अथवा मोहयति पुरुष मोहसंज्ञात स्त्रियः, ताः तत्र न ।

५—कृद् वृत्ति, पत्र २५२ :

विमोहा इवात्यवेवाविमोहनीयोदयतया विमोहा, अथवा मोहो विधा—प्रथमो भावतश्च, प्रथमोऽन्वकारो नावतरच मिथ्या-दर्शनाधिः, स द्विविधोऽपि सततग्लोचोतितत्वेन सम्यग्दर्शनस्यैव च तत्र सम्भवेन विगतो येषु ते विमोहाः ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४० ।

'अङ्गुणोपपन्नसंकासा' अभिनवोपपन्नस्य देहस्य सर्वस्यैवाभ्यधिका वृद्धिर्भवति अनुत्तरेणपि ।

७—(क) कृद् वृत्ति, पत्र २५२

अङ्गुणोपपन्नसंकासाः प्रथमोत्पन्नदेवतुल्याः, अनुत्तरेषु हि वर्णदृश्यादि यावद्यायुस्तु तावेषु भवति ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०८ ।

श्लोक २६

२०—श्लोक २६ :

इस श्लोक का प्रतिपाद्य है कि सयत मुनि मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु के समीप जाने पर वे त्रास नहीं पाते, वे मृत्यु को उसव मानते हैं। इसको पुष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

सुपहियसवपत्यथा, विशुद्धसम्मस-भाष-चारिता ।

मरणं उत्सवभूयं, यन्मंति समाहियन्वाचो ॥

अर्थात् जिनके पास तपस्वी पाष्ये है, जिनका श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य विशुद्ध है, वे समाहित आत्मा वाले मुनि मरण को 'उत्सव' मानते हैं।

श्लोक ३२

२१—शरीर का त्याग करता है (आघायाय समुत्सयं च) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'बाह्य और आन्तरिक शरीर का नाश करता हुआ' किया है।^१ इस अर्थ के आधार पर इसका संस्कृत रूप—'आघातयन् समुच्छ्रयम्' बनता है। इस चरण का दैकल्पिक अर्थ 'शरीर के विनाश का ३ वसर आने पर' भी किया गया है। यह अर्थ करने में विभक्ति का व्यत्यय मानना पडा, अतः इसमें उसका संस्कृत रूप भी बदल गया, जैसे—'आघाताय समुच्छ्रयस्य'^३। आचाराग (१।४।४।२) वृत्ति में समुच्छ्रय का अर्थ 'शरीर' किया गया है। बौद्ध साहित्य में समुच्छ्रय का अर्थ 'देह' मिलता है।^४ इस श्लोक में 'आघायाय' शब्द 'आघायाये' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है—ऐसा सरपेन्टियर ने लिखा है और उन्होंने पिसेल का नामोत्लेख कर अपनी बात की पुष्टि की है।^५

२२—(तिण्डमन्नयरं मुणी च) :

भक्त-परिज्ञा, इगिनी और पाशोपगमन—ये अनशन के तीन प्रकार हैं। मुनि को इन तीनों में से किसी एक के द्वारा देह-त्याग करना चाहिये। इसलिए उसके मरण के भी ये तीन प्रकार हो जाते हैं। चतुर्विध आहार तथा बाह्य और आभ्यन्तर उपधि का जो यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है उस अनशन को भक्त-परिज्ञा कहा जाता है। इगिनी में अनशन करने वाला निश्चित स्थान में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। पाशोपगमन में अनशन करने वाला कटे हुए वृक्ष की भीति स्थिर रहता है और शरीर की सार-संभाल नहीं करता।^६

१—सुब्रह्मणेय, पत्र १०८।

२—वृहद् वृत्ति, पत्र २५४ :

'आघायाय' सि आर्षत्वात् आघातयन् सलेखनादिभिरप्यङ्गणकारणैः समस्ताद् घातदन्—विनाशदन्, कं ?—समुच्छ्रयम्—अन्तःकार्मणशरीरं बहिरौदारिकम् ।

३—वही, पत्र २५४ :

महा—'समुत्सयं' सि सुब्यत्ययात्समुच्छ्रयस्याघाताय—विनाशाय काले सम्प्राप्त इति ।

४—महाबस्तु, पृ० ३६९ ।

५—उत्तराध्ययन, पृ० ३०१ ।

६—उत्तराध्ययन निर्णय, पाया २२५ ।

अध्ययन ६ सुष्टागनिर्यठिज्जं श्लोक १

१—अविद्यावान् (मिथ्यात्व से अभिभूत) (अविज्जा ५) :

जिसमें तत्त्वज्ञानात्मिका विद्या न हो, उसे अविद्य कहा जाता है। अविद्य का अर्थ सर्वथा अज्ञानी नहीं किन्तु अतत्त्वज्ञ है। जीव सर्वथा ज्ञान-वान्य होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर जीव और अजीव में कोई भेद ही नहीं रह जाता।^१

श्लोक २

२—(पास-जाईपहे ६, अप्पणा सच्चं १) :

'पास-जाईपहे'—चूर्णि में 'पास' का अर्थ 'पस्य' और 'जाति-पथ' का अर्थ चौरासी लाख जीवयोनि किया गया है।^२ टीका में 'पास' का अर्थ 'स्त्री' आदि का सम्बन्ध है। वे एकेन्द्रिय आदि जातियों के 'भार्य' होते हैं, इसलिए उन्हें जाति-पथ कहा गया है। 'पाशाजातिपथ' अर्थात् एकेन्द्रिय आदि जातियों में ले जाने वाले स्त्री आदि के सम्बन्ध।^३ हमने 'पास' और 'जाईपहे' को असमस्त मानकर अनुवाद किया है।

'अप्पणा'—इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे। परामिथेय—दूसरों के दबाव से, भय से अथवा लोक-रजन के लिए सत्य की गवेषणा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि सर्वत्र सदा आत्मना—स्वयं अपनी स्वतंत्र भावना से—सत्य की मार्गणा करे।

'सच्चं'—सत् अर्थात् जीव। उसके लिए जो हिनकर होता है उसे सत्य कहा जाता है। यथार्थ-ज्ञान और संयम जीव के लिए हिनकर होते हैं। इसलिए ये सत्य कहलाते हैं।^४

इस श्लोक में बताया गया है कि सत्य की खोज वही कर सकता है जो बंधनों की समीक्षा में पंडित हो। सत्य को वही पा सकता है जो स्वतंत्र चेतना से उसकी शोध करता है। सत्य की शोध का नवनीत विश्वमेवो—सर्वभूत मेत्री है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २६२ ।

वेदनां विद्या—तत्त्वज्ञानात्मिका, न विद्या अविद्या—मिथ्यात्वोपहतकुत्सितज्ञानात्मिका, तत्त्वज्ञानाः पुस्वाः अविद्या-पुस्वा, अविद्यमाना वा विद्या येषां ते अविद्यापुस्वाः, इह च विद्या शब्देन प्रभूतभूतदुष्ये, न हि सर्वथा भुतानावः जीवस्य, अन्यथा अजीवत्वप्राप्तेः, उक्तं हि—

'सत्त्वजीवार्थं य ए अक्षरस्संभूतभागो विष्णुधाठितो ।

अवि सोऽवि आचरिज्जेज्ज सो भं जीवो अजीवत्तं पावेज्जा ॥'

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४९

'पास' सि पास, जायस इति जाती, जातीनां पंथा जातिपंथाः, अतस्ते जातिपंथा बह्वं 'सुक्तीति सलु लोए जोषीणं पमुहसयसहस्ताई ।'

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २६४

पाशा—अत्यन्तपारकथ्यहेतवः, कलत्राविसम्बन्धास्त एव तीव्रनोहोदयाविहेतुतया जातीनाम्—एकेन्द्रियादिजातीनां पश्यातः—सत्प्रापकत्वागमार्गः पाशाजातिपथा. तान् ।

४—वृही, पत्र २६४ :

सद्बुधो—जीवादिभ्यो हित—संयम रजन—प्रकथ्यादिभिः सत्य—संयमः सदागमो वा ।

श्लोक ४

३-(सपेहाए क, पासे समियदंसणे ल, गेहिं सिणेहं ग) :

'सपेहाए'—बूर्णि में इसका अर्थ 'सम्यक्बुद्धि से' है ।^१ शारत्थाचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—उभयक्-बुद्धि से अथवा अपनी बुद्धि से ।^२ नेमिचन्द्र ने केवल 'अपनीबुद्धि से' किया है ।^३ यही शब्द ७।१६ में आया है, वहाँ इसका अर्थ 'सम्यक्-आलोचना करके' किया गया है ।^४ अपनी बुद्धि से—यह अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

'पासे'—बूर्णिकार ने इसका अर्थ 'पास'—बन्धन किया है ।^५ टीकाकारों ने इसे क्रिया मानकर इसका अर्थ 'दिले'—ब्रह्मचारण करे ऐसा किया है ।^६

'समियदंसणे'—जिसका मिथ्या-दर्शन समित हो गया हो उसे समिन-दर्शन अथवा जिसे दर्शन समित—प्राप्त हुआ हो, उसे समिन-दर्शन कहा जाता है । इन दोनों का अर्थ है—सम्यक् दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति ।^७

'गेहिं सिणेहं'—बूर्णिकार का कहना है कि गृद्धि द्रव्य, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बन, शान्य आदि में होती है और स्नेह बन्धुजनों के प्रति होता है ।^८

श्लोक ६

४-सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है (पियायए ल) :

बूर्णि और इतियो में इसकी व्याख्या प्रियात्मक या प्रियदय के रूप में की गई है ।^१ सरपेन्टियर ने इस शब्द की भीमांसा करते हुए लिखा है कि पाली साहित्य में 'पियायति' धातु का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है चाहना, उग्रामना करना, सत्कार करना आदि और संभव

१-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५० :

सम्यक् प्रेक्षया सपेहाए ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४ :

'सपेहाए' सि प्राकृतत्वात् संप्रेक्षया—सम्यग्बुद्ध्या स्वप्रेक्षया वा ।

३-सुखबोधो, पत्र ११२ :

स्वप्रेक्षया—स्वबुद्ध्या ।

४-बही, पत्र १२१ :

'सपेहाए' सि सम्प्रेक्ष्य—सम्यगालोच्य ।

५-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५० :

पास्यतेऽनेनेति पास ।

६-सुखबोधो, पत्र ११२ :

'पास्येत्' अथधारयेत् ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४ :

शक्तिं वर्णानं प्रस्ताभात् मिथ्यात्वात्मकं येन स तयोक्त, यद्विना स-प्रक-इत्—गर्भं जोवाचिरवार्येषु वर्णानं—दृष्टिरथेति समिन वर्णानं, कोऽर्थः ?—सायनदृष्टिः ।

८-उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५१ :

गृद्धिः द्रव्यगोमहिष्यजाविकाशतधान्याविषु स्नेहस्तु बान्धवेषु ।

९-(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० १५१ :

'पियायए' प्रिय आत्मा येषां ते प्रियात्मानः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २६५ :

'पियायए' सि आत्मन्त् सुखप्रियत्वेन प्रिया इया—रत्नं येषां तान् प्रियवयान्, प्रियमात्मा येषां तान् प्रियात्मकान् वा ।

(ग) सुखबोधो, पत्र ११२ ।

है यही क्रिया जैन महाराष्ट्री में भी आई हो। अतः इस धातु के 'पियायइ', 'पियायए' रूपों से 'पियायए' रूप भी सहज गम्य हो जाता है। इस रूप को मानने पर ही प्रथम दो चरणों का अर्थ सहज सुगम हो जाता है।^१

यदि हम टीकाकारों का अनुसरण करते हैं तो हमें 'दिस्स' शब्द को दोनों ओर जोड़ना पड़ता है और यदि हम 'पियायए' को धातु मान लेते हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ता और अर्थ में भी विपर्यास नहीं होता। इसके अनुसार 'पाणे पियायए' का अर्थ होगा—प्राणियों के साथ मैत्री करे।

किन्तु आचाराग के—सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुणखपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्बेसिं जीविय पिअं (१।२।३।६३,६४) संदर्भ में इस श्लोक को पढ़ते हैं तो 'पियायए' का अर्थ प्रियायुष् (प्रियायुष) संभव लगता है और अर्थ-संगति की दृष्टि से भी यह उचित है। 'पियायए'—यहाँ पियाउए पाठ की परावृत्ति हुई है—ऐसा लगता है।

आचाराग वृत्ति में 'सब्बे पाणा पियाउया' का पाठान्तर है—'सब्बे पाणा पियायया'। शीलक सूरी ने 'पियायया' का अर्थ—जिन्हें अपनी आत्मा प्रिय हो वे प्राणी—क्रिया है।^२ पियायया प्रथमा का बहुवचन है और पियायए द्वितीया का बहुवचन। इस प्रकार घृम-फिर कर हम फिर 'पियायय' के प्रियात्मक अर्थ पर ही आ पहुँचते हैं।

श्लोक ७

५—(नरयं क, दोगुंछी ग, अप्पणो पाए ग, दिन्नं च) :

'नरय'—परिग्रह नरक का हेतु है। अतः कारण में कार्य का उपचार कर उसे नरक कहा गया है।^३ आचाराग (१।१।२।२४) में भी ऐसा प्रयोग हुआ है। वहाँ हिंसा आदि को नरक कहा गया है।

'दोगुंछी'—चूर्णिकार के अनुसार जुगुप्सा का अर्थ 'संयम' है। जो असंयम से जुगुप्सा करता है वह जुगुप्सी है।^४

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—आहार किए बिना धर्म करने में असमर्थ शरीर से जुगुप्सा करने वाला—क्रिया है।^५

पहले अर्थ की ध्वनि है—असंयम के प्रति जुगुप्सा करने वाला और दूसरे की ध्वनि है—शरीर की असमर्थता के प्रति जुगुप्सा करने वाला।

'अप्पणो पाए'—चूर्णिकार ने कहा है—संयमी-जीवन के निर्वाह के लिए पात्र आवश्यक है। वह परिग्रह नहीं है।^६ मुनि अपने

१—उत्तराध्ययन, पृ० ३०३।

२—आचाराग १।२।३।६३, वृत्ति पत्र ११०, १११

पाठान्तर वा 'सब्बेपाणा पियायया', आयत — आत्माऽनाद्यनन्ततत्तवान स द्विये येषा ते तथा सर्वेपि प्राणिनः प्रियात्मानः ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २६६

नरककारणत्वात्नरकम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२ :

दुगुंछा—संयमो, किं दुगुंछति ?, असंयमम् ।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६६ :

जुगुप्सते आत्मानमाहारं बिना धर्मधराधरणाक्षममित्येवशीलो जुगुप्सी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११२ ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२ :

पात्रि जीवन्मात्मानं वा तेनेति पात्रं, आत्मीयपात्रग्रहणात् वा सुकरिचत्परपात्रे गृहीत्वा उच्यति तेन पात्रग्रहणं, न सो परिग्रह इति ।

पात्र में भोजन करे, गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। इसके समर्थन में शान्त्याचार्य ने "पञ्चाकम् पुरेकम्" (दशबैकालिक ६।५२) श्लोक उद्धृत किया है। उन्होंने इस उद्धरण के पूर्व 'शय्याम्नवाचार्यः' का उल्लेख किया है।^१

'पाए दिन्न'—मिलाए बौद्धों का छूटा घुतांग 'पात्र-पिठिकाग'। (विशुद्धि मार्ग १।२, पृष्ठ ६०)

श्लोक ८

६-आचार को (आयरियं ग) :

शूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'आचरित' और शान्त्याचार्य ने 'आर्यम्' किया है। नेमिचन्द्र ने 'आयरियं' पाठ मानकर इसका संस्कृत रूप 'आचारिकम्' किया है। आचरित का अर्थ आचार^२, आर्य का अर्थ तत्त्व^३ और आचारिक का अर्थ अपने-अपने आचार में होने वाला अनुष्ठान है^४।

डॉ० हरमन जेकोबी ने पूर्व व्याख्याओं को अमान्य किया है। वे इसका अर्थ 'आचार्य' करते हैं।^५

'आयरियं' के संस्कृत रूप आचरित और आचार्य दोनों हो सकते हैं, इसलिए आचरित को अमान्य करने का कोई कारण प्राप्त नहीं है। हाँ, 'आर्यम्' अवश्य ही चिन्तनीय है। किन्तु इस श्लोक में एकान्तिक ज्ञानवाद का निरसन है। साख्य आदि तत्त्वज्ञता, भेदज्ञान या विवेकज्ञान से भोक्ष मानते हैं। उनकी सुप्रसिद्ध उक्ति है—

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो, यत्र सत्राभ्यमे रतः ।

शिक्षी मुष्ठी जटी वापि, मुच्यते नात्र संशयः ॥

'आर्य' का अर्थ तत्त्व भी है इसलिए प्रकरण की दृष्टि से शान्त्याचार्य की व्याख्या अनुपयुक्त नहीं है। वे 'आयरियं' के संस्कृत रूप 'आर्य' होने में स्वयं सदिग्ध थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को सौत्रिक बदलाया। 'आयरियं' का संस्कृत रूप आचारित भी होता है। आचारित अर्थात् आह्वान-वचन। जो लोग केवल आह्वान-वचनो—मंत्रों के जप से सर्व दुःख मुक्ति मानते हैं, प्रत्याख्यान या संयम करना आवश्यक नहीं मानते। 'आयरियं' पाठ के आधार पर यह व्याख्या भी हो सकती है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २६६

पात्रग्रहणं तु व्याख्याद्वयेऽपि मा शून् निष्परिग्रहताया पात्रस्याप्यग्रहणमिति करयच्चिद् ध्यामोह इति व्यापनार्थं, तद्यपरिग्रहे हि तथाविधलक्षणाद्यभावेन पाणिमोक्षतृषामावाद्गृहिमाजन एव भोजनं प्रवेत्, तत्र च बहुबोधसम्भवः, तथा च शय्याम्नवाचार्यः—

पञ्चाकम् पुरेकम्, सिया तत्त्व न कल्पद् ।

एयमट्ठं न मुञ्जंति, जिजांषा गिहिमायणे ॥

२-उत्तराध्यायन शूर्णि, पृ० १५२

आचारे निषिद्धमाचरितं, आचरणीयं वा ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २६६ :

'आयरियं' ति सूत्रस्याय आराद्यातं सर्वकुपुस्तितम्य इत्यार्यं तत्त्वम् ।

४-सुखबोधा, पत्र ११३ :

'आचारिकं' निष्कमिजाऽआचारमन्वयमुष्ठानमेव ।

५-Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p. 25

श्लोक १०

७-(चित्ता क, विज्जाणसासनं ञ) :

'चित्ता'—'चित्रा' भाषा का विशेषण है। वह धातु, उपसर्ग, सन्धि, तद्धित, काल, प्रत्यय, प्रकृति, लोप, आगम आदि भेदों से विभिन्न शब्दों वाली,^१ अथवा प्राकृत, संस्कृत आदि विभिन्न रूपों वाली होती है इसलिए उसे विचित्र कहा गया है।^२

'विज्जाणसासनं'—इसका अर्थ है—मन्त्र आदि का शिक्षण।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ—दार्शनिक शिक्षण—किया है।^४

श्लोक ११

८-श्लोक ११ :

'मन, वचन और काया से शरीर में आसक्त होते हैं' इसे स्पष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने कहा है—'हम सुन्दर और मोटे शरीर वाले कैसे बनें'—मन से सतत यह चिन्तन करना, काया से सदा रमायन आदि का उपायोग कर शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करना और वाणी से रसायन आदि सम्बन्धित प्रबल करते रहना आसक्ति है।^५

श्लोक १२

९-सत्र दिशाओं (उत्पत्ति स्थानों) को (सन्वदिसं ग) :

यहाँ दिशा शब्द से समस्त भाव-दिशाओं का ग्रहण किया गया है। भाव-दिशा अठारह प्रकार की होती है। जैसे—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, मूलबीज, मूलबीज, अपबीज, पर्वबीज, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यञ्चयोनिक, नारक, देव, सम्पूर्णनज, कर्म-भूमिज, अकर्म-भूमिज, अन्तर-द्वीपज।^६

श्लोक १३

१०-आत्मा देह से भिन्न है (अथवा मोक्ष संसार से बाह्य और ऊर्ध्व है) (बहिया उड्डं क) :

लोकायत मानते हैं कि—'ऊर्ध्व देहात् पुरुषो न विद्यते, देह एव आत्मा'—देह से ऊर्ध्व—परे कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा है। इसका निरसन करते हुए सूत्रकार ने कहा है—'बहिया उड्डं'—शरीर से परे भी आत्मा है। यह शूर्णि को व्याख्या है।^७ वृत्तियों के अनुसार 'बहिया उड्डं' का अर्थ मोक्ष है। जो सत्तार से बहिर्भूत है और सबसे ऊर्ध्ववर्ती है उसे 'बहि ऊर्ध्व' कहा जाता है।^८

१-उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० १५३ ।

चित्रानाम धातुपसर्गसन्धितद्धितकालप्रत्ययप्रकृतिलोपापगमविशुद्ध्या ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६७

'चित्रा' प्राकृतसंस्कृताविरूपा आर्यविषय ज्ञानमेव सुस्वयंमिन्याविका वा ।

३-बही, पत्र २६७

विदत्तयनया तद्वनिति विद्या—विचित्रमन्त्रात्मिका तस्या अनुशासनं—शिक्षण विद्यानुशासनम् ।

४-Sacred Books of the East, Vol XL V, Uttarādhyayana, p 26

५-सुखबोधा, पत्र ११३, ११४ ।

६-(क) उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० १५४ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८ ।

७-उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० १५५ ।

८-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८ :

'बहिय' सि बहिः, कोऽर्थः ?—बहिर्भूतं नवाहिति गम्यते, ऊर्ध्वं सर्वोपरिस्वितम् अर्धान्मोक्षम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

श्लोक १४

११—(काल-कंक्षी ष, पिण्डस्स पाणस्स ग)

'कालकंक्षी'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ—पण्डित-मरण के काल की आकांक्षा करने वाला अर्थात् आजीवन संयम की इच्छा करने वाला—किया है ।^१

शास्त्राचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ क्रियोचित काल की आकांक्षा करने वाला किया है ।^२ 'कालकंक्षी परिव्रए'—ये दो शब्द आचार्याग १।३।२।११२ में ज्यो-के-त्यो आए हैं ।

'पिण्डस्स पाणस्स'—इस श्लोक में केवल दो शब्द—पिण्ड और पाण आए हैं । अन्यत्र अनेक स्थानों में—असनं, पाणं, खाइमं, साइमं—ऐसे चार शब्द आते हैं । चूर्णिकार ने पिण्ड शब्द को अशन, खाद्य और स्वाद्य—इन तीनों का सूचक माना है ।^३ मुनि खाद्य और स्वाद्य का प्रायः उपभोग नहीं करते, ऐसा वृत्तिकारों का अभिमत है ।^४ अभयदेव सूत्रि ने भी स्थानाग वृत्ति में ऐसा ही मत प्रकट किया है ।^५ चौदह प्रकार के दान जो बतलाए हैं उनमें खाद्य, स्वाद्य भी सम्मिलित हैं ।^६ इन दोनों प्रकारों के उल्लेखों से यही जान पड़ता है कि इनका ऐकात्मिक निषेध नहीं है ।

श्लोक १५

१२—संयमी मुनि लेप लगे उतना भी संग्रह न करे—त्रासी न रखे (सन्निहिं च न कुञ्जेज्जा क, लेवमायाए संजए ष) :

सन्निधि का अर्थ है—अशन आदि को स्थापित करके रखना, दूसरे दिन के लिए संग्रह करना ।^१

निशीथ चूर्ण में थोड़े नमय के बाद विकृत हो जाने वाले दूध, दही आदि को सन्निधि और चिरकाल तक न बिगड़ने वाले घी, तेल आदि को सचय कहा है ।^२

लेप मात्र का अर्थ है—जितनी वस्तु से पात्र पर लेप लगे उतनी मात्रा । मात्रा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५५ .

कालनाम याववापुष तं पंडितमरणकालं काङ्क्षमाणः ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८, २६९

कालम् अनुष्ठानप्रस्तावं काङ्क्षान इत्येवंशील कालकाङ्क्षी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५५

पिण्डग्रहणात् त्रिविध आहारः ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ :

'पिण्डस्य' ओषधनादेरनस्य 'पाणस्य च' आयामादेः, खाद्यास्वाद्यानुपादानं च यत्ते. प्रायस्तत्परिभोगासम्भवात् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

५—स्थानाग ९।६६३, वृत्ति, पत्र ४४५ .

खाद्यस्वाद्ययोरुत्सर्गतो यतीनामयोव्यत्वात्पानभोजनयोश्च ह्यनिति ।

६—उपासकवत्ता २ :

असनपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेमाणस्स बिहरित्तए ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र १६९ :

सन्निधिः—प्रातरिवं अबिज्यतीत्याद्यमसन्धितोऽतिरिक्ताशनादिस्थापनम् ।

८—निशीथ चूर्णि, उद्देशक ८, सूत्र १८ ।

शिवर्षे क्रियायोमे, मर्यादायां परिच्छदे ।

परिणामे धने चेति, मात्रा गण्य-प्रकीर्तितः ॥

यहाँ मात्रा शब्द परिमाण के अर्थ में है ।^१ शान्त्याचार्य ने इसे मर्यादा के अर्थ में भी माना है । उनके अनुसार इसका अर्थ होगा—
मुनि अपने काष्ठ पात्र पर गाढ़े तेल या रोगन आदि का लेप लगाए उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सन्निधि न रखे ।^२

१३—(पक्षी की भाँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे) (पक्षी पक्ष
समादाय ग, निरवेक्षो परिच्छेत्) :

यहाँ 'पक्ष' शब्द में श्लेष है । इसके दो अर्थ होते हैं—पत्र (पक्ष) और भिक्षा-पात्र । चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है—जैसे पक्षी
अपने पंखों को साथ लिए उड़ता है, इसलिए उसे पीछे की कोई अपेक्षा—चिन्ता नहीं होती, वैसे ही भिक्षु अपने पात्र आदि उपकरणों को जहाँ
जाए वहाँ साथ ले जाए, संग्रह करके कहीं रखे नहीं अर्थात् पीछे की चिन्ता से मुक्त होकर—निरपेक्ष होकर बिहार करे ।^३

वृत्तिकारों ने इसका तात्पर्यार्थ किया है कि संयोज्यकारी पात्र आदि उपकरणों की सन्निधि करने में दोष नहीं है ।^४
शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक अर्थ में 'पक्ष' को पात्र मानकर व्याख्या की है ।^५ हमारा अनुवाद इसी पर आधारित है ।

श्लोक १७

१४—ज्ञातपुत्र (नायपुत्रे ग) :

चूर्ण में नायपुत्र का अर्थ—ज्ञातकुल में प्रसूत सिद्धार्थ क्षत्रिय के पुत्र—है ।^६ वृत्तियों में ज्ञात का अर्थ उदार-क्षत्रिय, प्रकरण वशा सिद्धार्थ
किया गया है । ज्ञातपुत्र अर्थात् सिद्धार्थ पुत्र ।^७ आचाराङ्ग में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया है ।^८ भगवान् इक्ष्वाकु वशा में उत्पन्न
हुए, यह भी माना जाता है ।^९ भगवान् ऋषभ इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे । इसीलिए वे आदि काश्यप कहलाते हैं । भगवान् महावीर भी

१—सुखबोधा, पत्र ११४

'लेपमात्रया' यावतापात्रमुपलियते तावत्परिमाणमपि ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ .

लेप—शकटाक्षादिनिष्पादित-पात्रगत परिगृह्यते, तस्य मात्रा—मर्यादा, मात्राशाब्दस्य मर्यादावाचित्वेनापि क्लृप्त्वात्...
लेपमात्रतया, किमुक्तं भवति ?—लेपमेकं मर्यादीकृत्य न स्वल्पमप्यन्यत् सन्निवधीत ।

३—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५६

मयाऽसौ पक्षी तं पत्रमार समादाय गच्छति एवमुपकरणं भिक्षुरादाय निरवेक्षी परिच्छेत् ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६९ :

तथा च प्रतिबिम्बसंयमवलम्बनीरतया पात्राद्दुन्दुकरणसन्निधेः रणेऽपि न दोष ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११५ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २६९

पक्षीच निरपेक्षः, पात्र पतत्प्रहादिमाजनमर्षासन्निधौ ग व समादाय व्रजेद्—भिक्षार्थं पर्यटन्, इवमुक्तं भवति—मनुकरचुरया हि
तस्य निर्बहणं, तर्हि तस्य सन्निधिना ?

६—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५६ .

जालकुलम्पू (सू) ते सिद्धत्थसत्तियपुत्रे ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २७० .

ज्ञातः—उदारक्षत्रिय. स केह प्रस्तावान् सिद्धार्थः तस्य पुत्रो ज्ञातपुत्रः—वर्तमानतीर्षाधिपतिर्गहावीर इति यावत् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११५ ।

८—आचारांग २।१।१७

समभस्स भं ज्ञमवमो महावीरस्स पिमा कासकगोसेण ।

९—अभिधान चिन्तामणि, १।३५ ।

इक्ष्वाकुवंशी और काश्यप गोत्री थे। 'ज्ञात' काश्यप गोत्रियों का कोई भवान्तर भेद था या सिद्धार्थ का ही कोई दूसरा नाम था अथवा 'नाय' का मूल अर्थ समयक्रम में भ्रम हुआ है। हो सकता है उसका अर्थ नाग हो और ज्ञात समझ लिया गया हो।

बड़ौदा देश के शासक लिच्छवियों के नौ गण थे। ज्ञात या नाग उन्हीं का एक भेद था। देखें—दशार्धकालिक ६।२० का टिप्पण, संख्या ४०।

१५—वैशालिक (वैशालिए व) :

चूर्णिकार ने वैशालिक के कई अर्थ दिए हैं—जिसके गुण विशाल हों, जिसका शासन विशाल हो, जो विशाल इक्ष्वाकुवंश में जन्मा हो, जिसकी माता वैशाली हो, जिसका कुल विशाल हो, उसे वैशालिक कहा जाता है।^१ इसके संस्कृत रूप वैशालीय, वैशालिय, विशालिक, विशालीय और वैशालिक हैं।

जैनाग्रमों में स्थान-स्थान पर भगवान् महावीर को 'वैशालिय' कहकर सम्बोधित किया गया है। कारण कि भगवान् का जन्म स्थान कुण्ड ग्राम था। वह वैशाली के वास था। जन्म स्थान के विषय में दशेताम्बर और दिगम्बर एक मत नहीं हैं परन्तु वैशालिय शब्द पर ध्यान जाते ही वैशाली की याद आ जाती है।

भगवान् की माता त्रिशला वैशाली के गणराज्य के अक्षिपति चेटक की बहिन थी। इसके अनुसार चूर्णिकार का यह अर्थ—वैशाली जिसकी माता हो—बहुत सगत लगता है।

१—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० १५६, १५७

'वैशालीए' ति, गुणा अरय विशाला इति वैशालीयः, विशालं शासनं वा, विशाले वा इक्ष्वाकुवंशे सवा वैशालिया,
"वैशाली जलमी यस्य, विशाल कुलमेव च ।
विशालं प्रवचनं वा, तेन वैशालिको जिनः ॥"

अध्ययन ७

श्लोक १

१—श्लोक १ :

चूर्णिकार और टीकाकार ने यहाँ एक कथा प्रस्तुत की है। कथा के प्रसंग में निर्युक्ति की एक गाथा है—

आउरकिन्नाई एयां, जाई चरह नंविजो ।

सुखत्मेहिं लाडाहि एवं दीहाउत्सवसम् ॥^१

गाय ने अपने कण्ठ से कहा—“वत्स ! यह नंदिक—मेवना जो खा रहा है, वह आपुर का चिन्ह है। रोमी अन्तकाक में पन्थ या अपन्थ जो कुछ मांगता है, वह सब उसे दे दिया जाता है। वत्स ! सूखे तिनकों से जीवन चलाना दीर्घायु का लक्षण है।”

इसकी तुलना मुनिक जातक (न० ३०) के श्लोक से होती है—

मा मुनिकत्स पिहपि, आतुरन्मानि मुंजति ।

अप्यो सुपको सुसं खाव, एतं दीघायुत्सवसम् ॥

२—पाहुने के (आएसं क) :

चूर्णिके अनुसार 'आएसं' के सम्बन्धन रूप दो होते हैं—आवेश और आवेश।^२ इसका अर्थ है—पाहुना^३ ।

३—मूंग, उड़द आदि (जवसं ग) :

चूर्णिकार और टीकाकारों ने इसका अर्थ 'मूंग, उड़द आदि धान्य' किया है।^४ शब्द-कोश में इसका अर्थ—तृण, घास, गेहूँ आदि धान्य किया गया है।^५

डॉ० हरमन जेकोबी ने इस शब्द पर टिप्पणी देते हुए लिखा है कि भारतवर्ष में धान्य कर्णों द्वारा पोषित भेड़ का मांस अच्छा गिना जाता है।^६

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २४९ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० १५८ ।

आएसं जावतिसि आइसो, आवेसो वा, आविशति वा वेवमनि, तत्र आविशति वा गत्वा इत्याएसा ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

आविस्यते—आजाप्यते विविधव्यापारेषु परिजनोऽस्मिन्मायात इत्यादेशः—अभ्यर्हितः प्राहुमकः ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० १५८ :

जवसो मुग्गमासादि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ ।

'जवसं' मुद्गमासादि ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ११९ ।

५—(क) पादयसहमहण्णवो, पृ० ४३९ ।

(ख) अग्निमान चित्तामणि, ४।२६१ ।

६—Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p. 27, Foot-note 3. Mutton of gramfed sheep is greatly appreciated in India.

४-अपने आंगन में (सयंगणे ५) :

इसका अर्थ है—अपने घर के आंगन में ।^१ पूर्णिकार ने मूक में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयंगणे' मानकर 'विसय' का अर्थ 'गृह' और 'आंगन' का अर्थ 'आंगन' किया है । विषयांगण अर्थात् गृहांगण । इसका दूसरा अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की गणना करता हुआ—चिन्तन करता हुआ—किया गया है ।^१

श्लोक ३

५-बेचारा (दुही ५) :

सूत्रकार ने उस उपचित मेघने को दुःखी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुखोपभोग करते हुए भी वह दुःखी क्यों है ? पूर्णिकार और नेमिकन्द्र इसका समाधान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार भारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलंकृत करना तत्पतः दुःखी करना ही है । वैसे ही इस मेघने को झिजाए जाने वाले ओदन आदि तत्पतः दुःख देने वाले हैं ।^३

शान्त्याचार्य ने 'सेजुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'अदुही' की है ।^४ परन्तु वहाँ 'दुही' शब्द 'अदुही' की ओर अधिक अर्थ देता है ।

श्लोक ८

६-द्यूत आदि के द्वारा गंवाकर (हिचित्रा ६) :

इसका सामान्य अर्थ है—छोड़कर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है—द्यूत आदि व्यक्तियों के द्वारा गंवाकर ।^५ नेमिकन्द्र ने इसी आशय का एक श्लोक उद्धृत किया है—

द्यूतेन मद्येन पणाङ्गनामिः तोयेन नूपेन हुताशनेन ।

मस्मिन्नुत्तेनाऽप्यहरेण नाशं, नोपेत विसं ब्रह्मणे शिवरत्नम् ॥

१-गृहद् वृत्ति, पत्र २७२

'स्वकाङ्गणे' स्वकीयगृहाङ्गणे ।

२-(क) उत्तराध्ययन पूर्ण, पृ० १५८

जो अस्त विसासि स तस्त विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय, एवं यद्यस्य विषयो भवति, लोकेऽपि वक्तारो भवन्ति सर्वे ह्यात्मगृहे राजा, अंगति तस्मिन्निति अंगनं, गृहांगनमित्यर्थ, अथवा विषया रसादयः तान् गणयन्—प्रीणितोऽस्य मातेन विषयान् भोक्त्यामीति, अथवा विषयान् इति ।

(ख) गृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

यदि वा 'पोसेऽजा विसयंगणे'ति विसान्त्यस्मिन् विषयो—गृह तस्याङ्गणं विषयाङ्गणं तस्मिन्, अथवा विषयं—रसलक्षणं वचनव्यत्ययाद् विषयाऽथा गणयन्—संप्रधारयन् धर्मनिरपेक्ष इति भावः ।

३-(क) उत्तराध्ययन पूर्ण, पृ० १५९ :

कहं दुही जबसोबनेऽपि बीघमाने ?, उच्यते, बधस्य बध्यमाने इष्टाहारे वा बध्यालंकारेण वाऽलंक्रियमाणस्त किमिव सुखं ?, एवमसौ जबसोदगाविसुखेऽपि सति दुःखमानेवा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११७ :

'दुहि' ति बध्यमण्डनमिवाऽजयोऽनवानादीनि तत्पतो दुःखमेव तदस्यास्तीति दुःखी ।

४-गृहद् वृत्ति, पत्र २७३ ।

'सेजुहि'ति अकारप्रस्तेवान् स इत्युरजोऽङ्गुली सुखो सन्, अथवा बध्यमण्डनमिवाऽयौवनवानादिनीति तत्पतो दुःखितेवात्येति दुःखी ।

५-सुखबोधा, पत्र ११७ ।

'हित्वा' द्यूताद्यसव्ययेन त्यक्त्वा ।

श्लोक ६

७-मेमना (अय ग) :

शान्ताचार्य ने 'अज' का अर्थ 'पशु तथा प्रस्तावानुसार उरभ्र (मेमना)' किया है।^१ अज शब्द अनेकार्थक है। इसके बकरा, भेड़, मेंढा, आदि अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ इसका अर्थ-भेड़ या मेंढा है। इसके स्थान में एक ओर उरभ्र ये दो शब्द और यहाँ प्रयुक्त हैं। एक का अर्थ-मेंढा और बकरा भी हो सकता है किन्तु उरभ्र का अर्थ भेड़ व मेंढा ही है।

श्लोक १०

८-आसुरीय दिशा (नरक) की ओर (आसुरियं दिसं ग) :

यहाँ सूर्य न हो उसे आसुरिय (असूर्य) कहा जाता है। इसका दूसरा अर्थ 'आसुरीय' किया गया है। रौद्र कर्म करने वाला असुर कहलाता है। असुर की जो दिशा होती है उसे 'आसुरीय' कहा जाता है। इसका तात्पर्यार्थ है—नरक। वहाँ सूर्य नहीं होता तथा वह क्रूर-कर्म करने वालों की दिशा है इसलिए वह 'आसुरीय' है।^२ प्रथम अर्थ के अनुसार 'असुरियं' पाठ होना चाहिए और द्वितीय अर्थ के अनुसार वह 'आसुरीय' होना चाहिए।

श्लोक ११

९-श्लोक ११ :

इस श्लोक में दो कथाओं का संकेत है—

१—एक काकिणी के लिए सहस्र कार्षापण को हारना।

२—आम्रफल में आसक्त हो राजा के द्वारा अपने जीवन और राज्य को लो देना।

मिलाए—

सीलन्वयाह जो बहुफलाद्, हंतूण सुख महिलसह ।

भिद्रुबुबलो तबस्ती, कोडीए कागिणि किणइ ॥ (उपदेश माला श्लो० १८८)

१०-काकिणी के (कागिणि क) :

चूर्ण के अनुसार एक रूपे के अस्तीवें भाग तथा विसोवग के चौथे भाग को काकिणी कहा जाता था।^३ वि (वी) सोवग—विशोपक—देशी शब्द है। यह एक प्रकार का सिक्का था। यह रूपे का बीमवां भाग था।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २७५

अजः—पशुः, स चेह प्रक्रमावुरभ्रः ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १६१ ।

मास्थ सूरौ विज्जति, आसुरियं वा नारका, जेसि चक्खिबियमभावे सूरौ उद्योत्तो षट्ठि, जहा एणेंधियानं विता मावविता खेतविताधि धेप्पति, असतीत्यसुरा, असुराणामियं आसुरीयं, अधोगतिरित्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७६

अविद्यमानसूर्याम्, उपलक्षणत्वाद्ग्रहनक्षत्रविरहितां च, दिश्यते नारकावित्तेनारयां संसारीति विक् ताम, अर्थात् मावविताम्, अथवा रौद्रकर्मकारी सर्वोऽप्यसुर उच्यते, ततस्त्वासुराणामियमासुरी या तामासुरीयाम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १६१

काकिणी नाम रूपेणस् अस्तीतिमो भागो, वीसोवणस् चतुर्भागो ।

४-पाञ्चसंहस्रहण्यव, पृ० १००७ ।

शान्वाचार्य ने लिखा है—बीस कौड़ियों की काकिणी होती है ।^१ मोनियर-मोनियर विलियम्स के अनुसार बीस कौड़ियों की अथवा 'पण' के चतुरस्र की एक काकिणी होती है । बीस मासों का एक 'पण' होता है, पाँच मासों की एक काकिणी ।^२

इस विवरण से यह स्पष्ट पता लगता है कि उस समय अन्यान्य सिक्कों के साथ-साथ काकिणी, बीसोपण, पण, कौड़ी आदि भी चलते थे । यदि हम रुपये को अब्ज-किन्दु मानकर सोचते हैं तो—

८० काकिणी	१ रूपया
२० बीसोपण	१ रूपया
२० पण	१ रूपया
१६०० कौड़ियाँ	१ रूपया
२० कौड़ियाँ	} १ काकिणी
$\frac{१}{४}$ बीसोपण	
$\frac{१}{४}$ पण अथवा ५ मासा	

अनुयोगद्वार (सूत्र १३२) में सोना, चाँदी, रत्न आदि तोलने के बाटों में गुजा, काकिणी आदि का उल्लेख हुआ है । काकिणी को सवा रस्ती परिमाण का माना है । यह भी उपर्युक्त तालिका से सही लगता है । पाणिनी की व्याकरण में 'काकिणी' का प्रयोग नहीं हुआ है । इससे यह अनुमान किया जाता है कि उस समय इस सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ होगा । चाणक्य ने ताम्बे की घुबि में इसका नाम दिया है (कौटिलीय अर्थशास्त्र, २।१६) । बौद्ध साहित्य में काकिणी तथा कार्षापण का उल्लेख मिलता है । आठ काकिणी का एक कार्षापण होता था । चार काकिणी के तीन मासे होते थे ।^३ कार्यायन ने सूत्र ५।१।३३ पर दो बार्तिकों में काकिणी और अर्ध काकिणी का उल्लेख किया है । वहाँ एक, डेढ़ और दो काकिणी से मोल ली जाने वाली वस्तु के लिए काकणीक, अर्धकाकणी और द्विकाकणीक प्रयोग सिद्ध किए गए हैं । देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण ।

११—हजार (कार्षापण) (सहस्त्रं ल) :

'सहस्त्रं' शब्द के द्वारा हजार कार्षापण उपलक्षित किए गए हैं ऐसा ब्रूणि और वृत्ति का अभिमत है ।^४ कार्षापण एक प्रकार का सिक्का है । इसका मान, जो बालु तोली जाती है उसके आधार पर भिन्न-भिन्न होता है । जैसे यदि सोना हो तो १६ मासा, यदि चाँदी हो तो १६ पण अथवा १२०० कौड़ियाँ, यदि तौबा हो तो ८० रत्तिकाएँ अथवा १७६ ग्राम आदि ।^५ नारद (जिनका समय १०० और ३०० ई० के बीच में पड़ता है) ने एक स्थान में कहा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में बालू या और प्राच्य देश में वह २० पण के बराबर था और पंचनद प्रदेश में बालू कार्षापण को वे प्रमाण नहीं मानते थे ।^६ विशेष विवरण के लिए देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २७२, 'काकिणिः'—विंशतिकपर्यन्तः ।

२. A Sanskrit English Dictionary p. 267 A small coin or a small sum of money equal to twenty Kapardas or Cowries or to a quarter of a Pana.

३—(क) संयुक्त भिक्काय, ३।२।३ ।

(ख) बुल्लस्तेहि आसक ४, प्रथम खण्ड, पृ० २०३ ।

४—(क) उत्तराध्ययन ब्रूणि, पृ० १६२ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७६ :

'सहस्रं' बससतात्मकं, कार्षापणानामिति कथ्यते ।

५—Monier Monier-Williams, Sanskrit English Dictionary. p. 276

६—हिन्दू सभ्यता, पृ० १७४, १७५ ।

श्लोक १३

१२-अनेक वर्ष नयुत (असंग्रहकाल) की (अणेगवासानउपा ५) :

वर्षों के अनेक नयुत—अर्थात् पत्थोपम सागरोपम । 'नयुत' एक संख्यावाची शब्द है । वह पदार्थ की गणना में भी प्रयुक्त होता है और आयुष्य काल की गणना में भी । यहाँ आयुष्य काल की गणना की गई है । अतः इसके पीछे वर्ष शब्द जोड़ना पडा । 'वर्ष नयुत' वर्षों की संख्या देता है । 'नयुत' में जितने वर्ष होते हैं उनका परिमाण इस प्रकार है—

८४००००० वर्ष	१ पूर्वाङ्क
८४००००० पूर्वाङ्क	१ पूर्व
८४००००० पूर्व	१ नयुतांग
८४००००० नयुतांग	१ नयुत

(८४ लाख × ८४ लाख × ८४ लाख × ८४ लाख) = १ नयुत । अर्थात् एक नयुत में इतने—४६७=६१३६ ०००, ०००, ००० ०००, ०००, ०००, ००० वर्ष होंगे ।

श्लोक १७

१३-लोलुप और बंचक पुरुष (लोलयासडे ५) :

यहाँ 'लोलया' शब्द चिन्तनीय है । यह पुरुष का विशेषण हो तो इसका रूप 'लोलए' होना चाहिए । 'लोलए सडे' का अर्थ 'लोलुपता मे शठ' हो तो उक्त पाठ हो सकता है किन्तु यह अर्थ मान्य नहीं रहा है । वृत्तिकार ने 'लोलया' पाठ की मगति इस प्रकार की है—'तो मनुष्य मास आदि में अत्यन्त लोलम होता है, वह उमी में तन्मय हो जाना है । उसी तन्मयता को प्रगट करने के लिए यहाँ लोल (लोलुप) को भी लोलना (लोलुपता) कहा गया है ।^१ या के आ को अन्तर्लक्षित माना जाए तो लोलय का लोलक बनता है—लोलक अर्थात् लोलुप ।

शठ का अर्थ है—आलसी या विषयमन व्यक्तियों को ठगने वाला ।^२ मासाहार नरकगति और बंचना निर्भङ्गति में उन्नत होने के हेतु हैं ।^३ इसलिए इस श्लोक में 'लोलय' और 'शठ' का प्रयोग सापेक्ष है ।

श्लोक २०

१४-श्लोक २० :

इस श्लोक मे विमात्र शिक्षा, गृहिमुघ्न और कर्ममत्य—ये तीन शब्द विशेष अर्थवान् हैं ।

चूर्णि में शिक्षा का अर्थ शास्त्र-कलाका कौशल है ।^४ आन्त्याचार्य ने शिक्षा का अर्थ—प्रकृति भद्रता आदि गुणों का अग्राम— किया है ।^५ प्रम्नुत प्रकरण में यह अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

'लोलयासडे' ति लोलया-पिशिताविलाम्पद्य सद्योगाज्जनुरपि तन्मयत्वख्यापनार्थं लोलनेत्युक्त ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४ :

न धर्मचरणोद्यमवान् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २८० .

शाब्दयोगाच्छठ — विषयस्तजनबंचक ।

३-स्थानांग ४।४।३७३ ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५

शिक्षानाम शास्त्रकलासु कौशल्यम् ।

५-बृहद् वृत्ति, २८१ :

'शिक्षाभि' प्रकृतिभद्रकत्वाद्यभ्यासख्याभिः ।

धूर्ति में सुव्रत का अर्थ 'ब्रह्मचरणशील' है।^१ धातुशास्त्रकार्य ने सुव्रत का अर्थ—प्रत्युत्थोचित, अविषाद आदि गुणों से युक्त— किया है।^२ यहाँ व्रत का प्रयोग आगमोक्त श्रावक के बाह्य व्रतों के अर्थ में नहीं है। उन व्रतों को धारण करने वाला 'देवगति' (वैश्वानर) में ही उत्पन्न होता है।^३ यहाँ सुव्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बतलाई गई है। इसलिए यहाँ व्रत का अर्थ—प्रकृति-भद्रता आदि का अनुशीलन होना चाहिए। स्वानांग में बताया है कि मनुष्य-गति का बन्ध चार कारणों में होता है—

१—प्रकृति-भद्रता ।

२—प्रकृति-विनीतता ।

३—सानुक्रीयता ।

४—अमत्सरता ।^४

जीव जैसा कर्म-बन्ध करते हैं, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें कर्म-मत्स्य कहा है।^५ जीव जो कर्म करते हैं उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जीवों को कर्म-सत्य कहा है।^६ जिनके कर्म (मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ) सत्य (अविस्वादी) होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^७ जिनके कर्म विचित्र रूप से फल देने वाले होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^८ 'कम्मसच्चा हू पाणिणो' यह अर्थान्तरन्यास है।

श्लोक २१

१५-विपुल शिक्षा (विडला मिक्खा क) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—ग्रहण अर्थात् जानना और आसेवन अर्थात् ज्ञान-विषय का अभ्यास करना।^१ ज्ञान के बिना आसेवन मय्यक् नहीं होता और आसेवन के बिना ज्ञान सफल नहीं होता इसलिए ज्ञान और आसेवन दोनों मिलकर ही शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं। जिन

१-उत्तराध्ययन धूर्ति, पृ० १६५

ब्रह्मचरणशीला सुव्रता ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २८१ :

'सुव्रताश्च' धृतसत्युत्थव्रता', ते हि प्रकृतिभद्रकत्वाद्यन्यासानुभावात् एव न विषयपि विधीयन्ति सदाचारं वा नावधीरपत्नोरथादि-गुणान्विताः ।

३-वही, पृ० २८१ :

आगमविहितव्रतधारणं त्वमोषामसम्भाव, देवगतिहेतुतयेव तवनिधानात् ।

४-स्वानांग ४।४।३७३

अजहि ठाणेहि जीवा मगुस्सत्ताते कम्म पगरेत्ति, तंजहा—पगतिमहत्ताते पगतिविणीययाए सागुक्कोसयाते अनच्छरित्ताते ।

५-उत्तराध्ययन धूर्ति, पृ० १६५ :

कम्मणि सच्चाणि जेसि ते कम्मसच्चा, तस्स जारिस्ताणि से ताव विधि गति लभति, त सुममसुम वा ।

६-वही, पृ० १६५ -

अथवा कम्मसत्या हि, सच्चं कम्म, कम्म अथेवे नथेइत्ति, यदि हि कृत कम्मं न वेइत्ते ततो न कम्मसत्या स्युरिति ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र २८१

कर्मणा—मनोवाक्यायक्रियालक्षणेन सत्या—अविस्वादिन कर्ममत्या ।

८-वही, पत्र २८१ :

सत्याणि—अवश्यकलानि कर्मणि—ज्ञानावरणादीनि प्रेषा ते सत्यकर्मणि ।

९-सुखबोधोपा, पत्र १२२ :

'शिक्षा' ग्रहणाऽऽसेवनात्मिका ।

व्यक्तियों की शिक्षा विपुल होती है—सम्यक्-दर्शन युक्त अनुभवों या महाव्रतों की आराधना से सम्पन्न होती है'—वे श्लोक में उत्पन्न होते हैं ।

श्लोक २६

१६—पूतिदेह (औदारिक शरीर) का (पूइदेह ग) :

इसका तात्पर्यार्थ है—औदारिक शरीर । शरीर पाँच प्रकार के होते हैं—औदारिक, बंक्रिय, आहारक, तंजस और कर्मण । औदारिक शरीर रक्त, मांस, हड्डी आदि से युक्त होता है । अतः उसे 'पूतिदेह' दुर्गन्ध पैदा करने वाला शरीर माना गया है ।

श्लोक २७

१७—(श्रुती जुई जसो वण्णो क, सुहं ख) :

श्रुति—स्वर्ण आदि ।

श्रुति—शरीर की कान्ति ।

यथा—पराक्रम से होने वाली प्रसिद्धि ।

वर्ण—गांभीर्य आदि गुणों से होने वाली कलावा अथवा गौरव ।

सुख—इष्ट विषयों की उपलब्धि से होने वाला आह्लाद ।^२

१—श्रुद् वृत्ति, अत्र २८२ :

'विपुला' निःसंकिन्तावितसम्यक्त्वाकाराणुव्रतमहाव्रतादिविषयत्वेन विस्तीर्णा ।

२—सुखबोधा, अत्र १२३ :

'श्रुतिः' कर्मकावित्तनुवाय, 'श्रुतिः' शरीरकान्तिः, 'यथा' पराक्रमकृता प्रसिद्धिः, 'वर्ण' गांभीर्यशिशुभेः कलावा गौरवत्वादि वा, 'सुखं' यथेच्छित्तविषयावाप्त्तौ आह्लादः ।

अध्याय ८ काविलीयं श्लोक १

१—अध्रुव, अज्ञानत (अधुवे असासयमि क) :

ये दोनों शब्द एकार्थवाची हैं। इनमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योंकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष बल देते समय पुनरुक्त दोष नहीं होता।^१

श्लोक २

२—(पुञ्जसंजोगं क, दोसपओसेहि ष) :

'पुञ्जसंजोगं'—संसार पहले होता है और मोक्ष पीछे। असंयम पहले होता है और संयम पीछे। ज्ञातिजन पहले होते हैं, उनका त्याग पीछे किया जाता है—इन भावनाओं के आधार पर चूर्णिकार ने पूर्व-संयोग का अर्थ—संसार का सम्बन्ध, असंयम का सम्बन्ध और ज्ञाति का सम्बन्ध किया है।^२ शान्खाचार्य और नेमिचन्द्र ने पूर्व-संयोग का अर्थ—पूर्व-परिचितों का संयोग अर्थात् माता-पिता आदि तथा घन आदि का सम्बन्ध किया है।^३

'दोसपओसेहि'—यहाँ दो शब्द हैं—दोष और प्रदोष। दोष का अर्थ है—मानसिक संताप आदि। प्रदोष का अर्थ है—नरक गति आदि।^४

श्लोक ३

३—उन पाँच सौ चोरों की मुक्ति के लिए (तेसि विमोक्खणट्टाए ग) :

कपिल ने पूर्व-भव में इन सभी पाँच सौ चोरों के साथ संयम का पालन किया था और उन सबके द्वारा यह सकेन दिया हुआ था कि समय आने पर हमें सम्बोधि देना। उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हें सबुद्ध कर रहे हैं—उनकी मुक्ति के लिए प्रवचन कर रहे हैं।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २८९

एकार्थ वा पबुहयम्, उपदेशात्वावतिशयख्यापकरवाच्च न पौनरुक्त्यम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१ :

पुञ्जो नाम संसारो, पञ्चा मोक्खो, पुञ्जेण संजोगो पुञ्जरस वा सजोगो पुञ्जसजोगो अथवा पुञ्जसंजोगो असंजमेण जातीहि वा ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९०

पुरा परिचिता मातृपित्रादय पूर्वगण्डेनोच्यन्ते ततस्तै, उपलक्षणत्वादन्यैश्च स्वजनघनादिभि संयोग—सम्बन्ध पूर्वसंयोग ।

(ख) सुल्लबोधा, पत्र १२६ ।

४—सुल्लबोधा, पत्र १२६

बोधा —इहेष मनस्तापादय, ऽबोधा —परत्र नरकगत्यादय ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१ .

तेसि चोरानं, तेहि सम्बोधि पुञ्जमे सह कविलेण एगट्ट संजमो कतो आसि, ततो तेहि सिगारो कतिसुओ जग्हा अम्हे संबोधितब्बेति ।

श्लोक ४

४—कलह का (कलहं क) :

गाल्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'क्रोध'^१ और चूर्णिकार ने 'भण्डन' किया है।^२ भण्डन का अर्थ है—शक्-कलह, गाली देना और क्रोध।

डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ 'निरस्कार'—वृणा किया है।^३ मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसके मुख्यतः तीन अर्थ किए हैं—भगडा, झूठ या घोला, गाली-गलौज।^४

कलह क्रोध पूर्वक होता है। अतः कारण में कार्य का उच्चारण कर 'कलह' को क्रोध कहा गया है।

५—आत्म-रक्षक मुनि (ताई ष) :

इसके सस्कृत रूप दो होते हैं—तायी और त्रायी।^५ जालं सरपेन्टियर टीकाकारों द्वारा किए गए इस अर्थ को ठीक नहीं मानते। उनका अभिमत है कि ताई को तादि—ताटक के समान मानना चाहिए। तब इसका अर्थ होगा—उस जैसा वैसा। वे कहते हैं कि कालान्तर में इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ और इसका अर्थ—उस जैसा अर्थात् बुद्ध जैसा—यह हुआ। तदनन्तर इसका अर्थ—पवित्र संत व्यक्ति आदि हुआ। इस आशय का आधार प्रस्तुत करते हुए वे चाइल्डर्स S V और दीषनिकाय पृ० ८८ पर फ्रॉक का नोट देखने का अनुरोध करते हैं।^६ सरपेन्टियर का यह अभिमत सगत लगता है। विशुद्धिमार्ग पृ० १८० में तादिन शब्द का प्रयोग एक जैसे रहने वाले के अर्थ में हुआ है—

यस्मा नत्थि रहो नाम, पापकम्मेसु ताविनो ।

रहामावेन तेनेस, अरहं इति विस्युतो ॥

श्लोक ५

६—भोगामिष (आमक्ति-जनक भोग) (भोगामिस क) :

वर्तमान में आमिष का सीधा अर्थ 'मास' किया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में होता था। इसी आगम के चौदहवें अध्ययन में इसका छ बार प्रयोग हुआ है।^७ अनेकार्थ कोष में आमिष के—फल, सुन्दर-आकृति, रूप, सम्भोग, लोभ और लंघा—इतने अर्थ मिलते हैं।^८ उत्तराध्ययन १४।४६ में यह मास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^९ पंचासक प्रकरण में यह आहार या फल आदि के अर्थ में प्रयुक्त

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

कलहहेतुत्वात्कलह—क्रोधस्तम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

कलाम्यो हीयते येन स कलह भण्डनमित्यर्थः ।

३—Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p 33

४—Sanskrit English Dictionary, p 261

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

सायते—त्रायते वा रक्षति दुर्गतेरात्मानम् एकेन्द्रियादिप्राणिनो वाऽवश्यमिति सायी—त्रायी वा ।

६—उत्तराध्ययन, पृ० ३०७, ३०८ ।

७—उत्तराध्ययन १४।४१, ४६, ४९ ।

८—अनेकार्थ कोष, पृ० १३३० :

आमिषं—फले सुन्दराकाररूपादौ सम्भोगे लोभलंघयोः ।

९—बृहद् वृत्ति पत्र ४१०

सहामिषेण—पिशितरूपेण वर्तत इति सामिष ।

हुवा है।^१ आसक्ति के हेतुभूत जो पदार्थ होते हैं उन सबके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। बौद्ध-साहित्य में भोजन व विषय-भोग—एत
अर्थों में भी 'आमिष' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

“मन्ते । आमिष (भोजन आदि) के (विषय में) कैसे करना चाहिए ?”

“सारिपुत्र । आमिष सबको समान बाँटना चाहिए ।”^२

“भिक्षुओ । ये दो दान हैं—आमिष-दान और धर्म-दान । इन दो दानों में जो धर्म-दान है, वह श्रेष्ठ है ।” इस प्रकार आमिष-संविभाग
(अनुग्रह) और आमिष-योग (पूजा) के प्रयोग मिलते हैं।^३ भोग-सन्निधि के अर्थ में आमिष-सन्निधि का प्रयोग किया गया है।^४ अभिधानप्यदी-
पिका के श्लोक २८० में आमिष को मास का तथा श्लोक ११०४ में उसे अन्नाहार का पर्यायवाची माना है।

भोग अत्यन्त आसक्ति के हेतु होते हैं, इसलिए यहाँ उन्हें आमिष कहा गया है।^५

चूर्णिकार के अनुसार जो वस्तु सामान्य रूप से बहुत लोगों द्वारा अभिलषणीय होती है, उसे आमिष कहा जाता है। भोग बहुत लोगों
के द्वारा काम्य हैं, इसलिए उन्हें आमिष कहा है। भोगामिष अर्थात् आमक्ति-जनक भोग अथवा बहुजन अभिलषणीय भोग।^६ देखिए १४।४१
का टिप्पण।

७—विपरीत (बोच्चस्थे ख) :

चूर्ण में 'बोच्चस्थ' का अर्थ विपरीत और बृहद् वृत्ति में विपर्ययवान् या विपर्यस्त किया गया है। बुद्धि का विशेषण माना है वहाँ
विपरीत या विपर्यस्त जोर बाल का विशेषण माना है वहाँ विपर्ययवान् किया गया है।^७ इसका संस्कृत रूप व्यत्यस्त होना चाहिए। डॉ० पिसेल
ने इसका मूल उच्चस्थ माना है।^८ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'विपरीत मंथुन-क्रिया' किया गया है।^९ सम्भव है उस समय यह शब्द इसी
अर्थ में प्रयुक्त रहा हो और बाद में इस अर्थ के एकाक्ष को लेकर इसका अर्थ 'विपरीत' रूढ़ बन गया हो। इसका मूल उच्चस्थ की अपेक्षा व्यत्यस्त
में दृढ़ता अधिक उपयुक्त है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि में यह बोच्चस्थ के अधिक निकट है।

१—पंचासक प्रकरण ९।३१ ।

२—बुद्धचर्या, पृ० १०२ ।

३—इतिवृत्तक, पृ० ८६ ।

४—बुद्धचर्या, पृ० ४३२ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

भोगा.—मनोज्ञा. शब्दावय ते ख ते आमिषं चात्यन्तबुद्धिहेतुतया भोगामिषम् ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७२ :

मुञ्चंत इति भोगा, यत् सामान्य बहुभिः प्रार्थ्यते तद् आमिषं, भोगा एव आमिष भोगामिषम् ।

७—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७२ .

बुच्चिस्थोत्ति जस्त हिते नि.श्रेयते अहितानि.श्रेयससंज्ञा, विपरीतबुद्धिरित्यर्थ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

तत्र तयोर्बा 'बुद्धि' तत्राप्युपायविषया मतिः तस्या विपर्ययवान् सा वा विपर्यस्ता यस्य स हितनिःश्रेयसबुद्धिविपर्यस्तः

विपर्यस्तहित-नि श्रेयसबुद्धिर्बा, विपर्यस्तशब्दस्य तु परनिपात प्राग्वन्, यद्वा विपर्यस्ता हिते नि शेषा बुद्धिर्यस्य स तथा ।

८—प्राकृत भाषाओ का व्याकरण, पृ० ४७९

बोच्चस्थ (विपरीत रति देशी० ७, ५८)=उच्चस्थ जो उच्च में सम्बन्धित है ।

९—देशीनाममाला, ७।५८, पृ० २९६ ।

८-श्लेष्य में (खेलमि ष) :

पूर्णि में खेल का अर्थ 'चिह्न' किया है ।^१ बृहद् वृत्ति में खेल का अर्थ 'श्लेष्य' किया है ।^२ किन्तु श्लेष्य इसकी संस्कृत छाया नहीं है । जार्ज सरपेन्टियर ने इसका संस्कृत रूप—'श्वेट'-'श्वेद' दिया है ।^३ 'श्वेड' का भी एक अर्थ चिकनाई—श्लेष्य होता है । राजवार्तिक में इसका संस्कृत रूप 'श्वेल' मिलता है ।^४ यही सर्वाधिक उपयुक्त है ।

श्लोक ७

६-पापमयी दृष्टियों से (पापियार्हि दिट्ठीहि ष) :

शान्दाचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—प्रापिकामिदृष्टिमि और पापिकामिदृष्टिमि । प्रथम का अर्थ है—'नरक को प्राप्त करने वाली दृष्टि ।' दूसरे का अर्थ है—'पापमयी, परस्पर विरोध आदि दोषों से दूषित दृष्टि' अथवा पाप-हेतुक दृष्टि' । वास्तविक अर्थ यही है । पापिकादृष्टि के आशय को स्पष्ट करते हुए कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं । जैसे—

“न हित्यात् सर्वभूतानि ।”

“श्वेतं छागमालमेत वायव्यां विशि त्रुतिकाम ।”

“ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत, इन्द्राय क्षत्रियं, मरुदभ्यो वैश्य, तपसे शूद्रम् ।”^५

तथा च—

“यस्य बुद्धिर्न लिप्यते, हत्वा सर्वमिदं जगत् ।

आकाशमिदं पकेन, न स पापेन लिप्यते ॥”

अर्थात् एक ओर वे कहते हैं—'सब जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए ।' दूसरी ओर वे कहते हैं—ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को वायव्यकोण में श्वेत बकरे की, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण की, इन्द्र के लिए क्षत्रिय की, मरुत के लिए वैश्य की और तप के लिए शूद्र की बलि कर देनी चाहिए । यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है ।

जैसे आकाश पंक से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सारे ससार की हत्या करके भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पाप से लिप्त नहीं होता । यह पाप-हेतुक दृष्टिकोण है ।

१-उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० १७२ :

खेलेण चिह्नणेण ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

'खेले' श्लेषमणि ।

३-उत्तराध्ययन, पृ० ३०२ ।

४-तत्त्वार्थ राजवार्तिक ३।३६, पृ० २०३

श्वेलो निष्ठीवनमौषधि येषां ते श्वेलौषधिप्राप्ताः ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र २९२ :

'पापियार्हि' ति प्रापयन्ति नरकमिति प्रापिकास्तामि, यद्वा—पापा एव पापिकास्तामि, परस्परविरोधाविदोषात् स्वश्वेणे च कुत्सितामि ।

६-बही, पत्र २९०, ०९३ ।

श्लोक ११

१०—यात्रा (संयम-निर्वाह) के लिए ग्रास की एषणा करे (जायाए घासमेसेज्जा ग) :

सयम-जीवन की यात्रा के लिए भोजन की गवेषणा करे—इस प्रसंग में शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

जह सगड्ढकोबंगो, कीरह भरवहनकारणा वचर ।

तह गुणभरवहनत्वं, आहारो बंनयारीजं ॥

अर्थात् जैसे गाड़ी के पहिए की धुरी को भार-वहन की दृष्टि से चुपड़ा जाता है, वैसे ही गुणभार के वहन की दृष्टि से ब्रह्मचारी आहार करे, शरीर को पोषण दे ।^१

इसी सूत्र में छह कारणों से आहार करने और छह कारणों से आहार न करने का उल्लेख है ।^२

श्लोक १२

११—श्लोक १२ :

इस श्लोक में प्रान्त-भोजन का विधान है । 'पंताणि चैव सेवेज्जा' की व्याख्या दो प्रकार से होती है—'प्रान्तानि च सेवेतैव' और 'प्रान्तानि चैव सेवेत ।' गच्छवामी मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भोजन मिले तो उसे खाए ही, किन्तु उसे फेंके नहीं । गच्छनिर्गत (जिनकल्पी) मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भोजन ही करे । प्रान्त का अर्थ है—नीरस-भोजन । शीतपिण्ड (ठण्डा आहार) आदि उसके उदाहरण हैं ।^३ गच्छवासी की अपेक्षा से 'ज्वणट्टाए' का अर्थ होगा—यदि प्रान्त-आहार से जीवन-यापन होता हो तो खाए, वायु बढ़ने से जीवन-यापन न होता हो तो न खाए । गच्छनिर्गत की अपेक्षा से इसका अर्थ होगा—जीवन-यापन के लिए प्रान्त-आहार करे ।^४

'कुम्भाम' (उड्ड)—शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'राजमाष'—बड़े उड्ड किया है ।^५

मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ 'तरल और खट्टा पेय-भोजन, जो फलों के रस में अथवा उबले हुए चावलों से बनाया जाता है' किया है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२८ ।

२—उत्तराध्ययन, २६।३२, ३४ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २९४, २९५ ।

'प्रान्तानि' नीरसानि, अप्रयामानीति गम्यते, च शब्दावन्तानि च, एवाऽवधारणे, स च निम्नक्रम सेविज्जा इत्यस्यान्तर इष्टव्यं, ततश्च प्रान्तान्यन्तानि च सेवेतैव न त्वसाराशीति परिष्ठापयेद्, गच्छनिर्गतापेक्षया वा प्रान्तानि चैव सेवेत, तस्य तथाविधानामेव ग्रहणानुष्ठानात्, कानि पुनस्तानीत्याह—'शीतपिण्डं' ति शीतल पिण्डः—आहारः, शीतवचासौ पिण्डश्च शीतपिण्ड ।

४—वही, पत्र २९५ ।

यापनार्थमिन्त्येनेतत् सूचितं—यदि शरीरयापना भवति तदैव निषेधेत, यदि त्वतिवातोऽत्रोकादिना तद्यापनैव न स्यात्ततो न निषेधेतापि, गच्छतापेक्षमेतत्, तन्निर्गतत्वैतान्येव यापनार्थमपि निषेधेत ।

५—वही, पत्र २९५ ।

(क) 'कुम्भाषाः' राजमाषा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ ।

६—A Sanskrit English Dictionary, p 296 Sour gruel (prepared by the spontaneous fermentation of the juice of fruits or boiled rice)

अभिधानपदीयिका में कुल्माष व्यंजन को 'सूप' कहा है।^१ विबुद्धिमार्ग में इसी अर्थ को मान्य कर 'कुल्माष' का अर्थ 'दाल' किया है।^२

सिंहलसन्नाय (व्याख्या) में 'कुल्माष' शब्द का अर्थ—'कोमु' अर्थात् पिट्टा लिखा गया है। 'कुल्माष' के अनेक अर्थ हैं—कुलशी (उडव की जाति का एक मोटा अन्न), मूँग आदि द्विदल, कांजी। उस समय ओदन, कुल्माष, सत्तू आदि प्रचलित भोजन थे।^३ 'कुल्माष' वरिद्ध लोगों का भोजन था। यह उडव आदि द्विदल में थोड़ा जल, गुड या नमक और चिकनाई डालकर बनाया जाता था। देखो दसवेआलिख (भाग २), ५।१।६८ का टिप्पण संख्या २२१।

'बुद्धसं'—चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—'नीमन अथवा सुरा के लिए पसाए हुए आटे का शेष भाग।'^४

शान्त्याचार्य और नेमिबन्ध ने इसका अर्थ—मूँग, उडव आदि की कणियों से निष्पन्न अन्न अथवा जिसका रस निकाल लिया गया हो, वैसा अन्न किया है।^५

'पुलागं'—चूर्णिकार ने 'पुलाक' के दो अर्थ किए हैं—

१—बल्ल, चने आदि रूखे अनाज।

२—जो स्वभाव से नष्ट हो गया हो (जिसका बीज भाग नष्ट हो गया हो) वह अनाज।^६

शान्त्याचार्य ने असार बल्ल, चने आदि को 'पुलाक' कहा है।^७

'मधुं'—इसका अर्थ है—बैर^८ का चूर्ण, सत्तू का चूर्ण।^९ यह बहुत रूखा होता है, इसलिए इसे प्रान्त-भोजन कहा है।^{१०} देखो दसवेआलिख (भाग : २), ५।१।६८ का टिप्पण संख्या २२८।

श्लोक १३

१२—श्लोक १३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि जो मुनि लक्षण-विद्या, स्वप्न-विद्या और अंग-विद्या का प्रयोग करते हैं, वे मही अर्थ में मुनि नहीं हैं।

१—अभिधानपदीयिका, पृ० १०४८ -

सूपो (कुल्मास व्यंजने)।

२—विबुद्धिमार्ग, १।११, पृ० ३०५।

३—विनयपिटक, ५।१७६।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

बुद्धसो नाम कुसण्णिकमाडणं च, अथवा सुरागलितसेसं बुद्धसो भवति।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

'बुद्धसं' मुद्गमाषादि नक्षिकानिष्पन्नमन्नमतिःनिषीदितरसं वा।

(ख) सुसबोधा, पत्र १२९।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५ -

पुलागं नाम निस्साए गिष्पाए षण्णादि यद्वा विनष्टं स्वभावत तत् पुलागमुं ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५ -

'पुलाकम्' असारं बल्लचनकादि।

८—सुसबोधा, पत्र १२९

'मधुं' बधरादि चूर्णम्।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५ :

मध्यसे इति मधुं सत्तुबुल्लति।

१०—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

मधुं वा—बधरादि चूर्णम्, अतिरूखतया चास्य प्रान्तत्वम्।

वेदिकान्द्र ने इन तीनों के विषय में प्राचीन श्लोक और प्राकृत भाषाएँ उद्धृत की हैं। उनकी तुलना डॉ० जे० व्ही० जेडोल्फिम द्वारा सम्पादित जमदेव की स्वप्न-चिन्तामणि से की जा सकती है। जार्ज सरवेन्टियर ने इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है, केवल एक-दो श्लोक उद्धृत किए हैं।

बौद्ध-ग्रन्थों में अंग-निमित्त, उत्पाद, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओं को 'तिर्यक्-विद्या' कहा है। इनसे आजीविका करने को मिथ्या-आजीविका कहा है। जो इनसे परे रहता है वही 'आजीव-परिशुद्धिशील' होता है।^२

'लक्षण'—शरीर के लक्षणों, चिह्नों को देखकर शुभ-अशुभ फल कहने वाले शास्त्र को 'लक्षण-शास्त्र' या 'सामुद्रिक-शास्त्र' कहते हैं।^३ कहा भी है—'सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम्'—यभी (शुभाशुभ फल देने के लक्षण) जीवों में विद्यमान हैं। जैसे—

अस्विज्जर्वा सुखं मांसे, त्वचि भोगाः स्त्रियोऽकिमु।

गतौ यानं स्वरे चाज्ञा, सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥^४

अर्थात् अस्विय में धन, मांस में सुख, त्वचा में भोग, आँखों में स्त्रियाँ, गति में वाहन और स्वर में आज्ञा—इन प्रकार पुरुष में सब कुछ प्रतिष्ठित है।

यह शब्द इसी सूत्र के १५।७, २०।४५ में भी आया है।

'मुविण'—स्वप्न शब्द यहाँ 'स्वप्न-शास्त्र' का वाचक है। स्वप्न के शुभाशुभ फल की सूचना देने वाले शास्त्र को 'स्वप्न-शास्त्र' कहा जाता है।^५

'अंगविज्ज'—शरीर के अवयवों के स्फुरण से शुभाशुभ बताने वाले शास्त्र को 'अंग विद्या' कहा जाता है।^६

चूर्णिकार ने अंग-विद्या का अर्थ 'आरोग्य शास्त्र' किया है। किन्तु प्रकरण की दृष्टि में अंग-विचार अधिक सगत लगता है।^७

श्लोक १४

१३—असुर-काय में (आसुरे काए ष) :

चूर्णि में इसके दो अर्थ किए गए हैं—असुर देवों के निकाय में अथवा रौद्र तिर्यक् योनि में।^८ बृहद् वृत्ति में केवल पहला ही अर्थ है।^९

१—बि उत्तराध्ययनसूत्र, पृ० ३०९-३१२।

२—बिशुद्धिभाग, १।१, पृ० ३०, ३१।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५.

लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं, सामुद्रवत्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५ :

'लक्षण ष' शुभाशुभसूचकं पुखलक्षणानि, रुद्धित' तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि लक्षणम्।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

५—वही, पत्र २९५।

'स्वप्नं वे' त्यत्रापि रुद्धित स्वप्नस्य शुभाशुभफलसूचक शास्त्रमेव।

६—वही, पत्र २९५ :

अगविद्यां ष शिर.प्रसृत्यगस्फुरणतः शुभाशुभसूचिकाम्।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

अगविद्या नाम आरोग्यशास्त्रम्।

८—वही, पृ० १७५, १७६।

असुराणामयं आसुर, ते हि वा (बहिष्ठा) रियसमणा असत्यभावणाभाविद्या असुरेसु उषवज्जन्ति, अथवा असुरसदृशो भाव आसुर, क्रूर इत्यर्थः, 'उषवज्जन्ति आसुरे काए' तिरौत्रेषु तिर्यग्धोनिकेषु उषवज्जन्ति।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६ :

'आसुरे' असुरसम्बन्धि-निकाये, असुरनिकाये इत्यर्थः।

श्लोक १५

१४—बोधि प्राप्त होना (बोधी ष) :

बोधि का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रात्मक जिन-धर्म की प्राप्ति।^१

स्थानाग में इसके तीन प्रकार बतलाए गए हैं—ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि और चारित्र बोधि।^२

श्लोक १८

१५—ग्रन्थि (गंड ष) :

यहाँ गंड का अर्थ—ग्रन्थि (गाँठ) या फोड़ा हो सकता है। स्तन मांस की ग्रन्थि^३ या फोड़े के समान^४ होते हैं, इसलिए उन्हें गंड कहा गया है।

१६—राक्षसी की भाँति भयावह स्त्रियों में (रक्खसीसु क) :

यहाँ स्त्री को राक्षसी कहा है। जिस प्रकार राक्षसी समस्त रक्त को पी जाती है और जीवन हर लेती है, वैसे ही स्त्रियाँ भी मनुष्य के ज्ञान आदि गुणों तथा जीवन और धन का सर्वनाश कर देती है।^५ राक्षसी शब्द लाक्षणिक है, कामासक्ति या वासना का सूचक है। पुरुष के लिए स्त्री वासना के उद्दीपन का निमित्त बनती है, इस दृष्टि से उसे राक्षसी कहा है। स्त्री के लिए पुरुष वासना के उद्दीपन का निमित्त बनता है, इस दृष्टि से उसे राक्षस कहा जा सकता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६

'बोधि.' प्रेत्य जिनधर्मावाप्ति ।

२—स्थानाग, ३।२।१५४ ।

३—वेराय्य शतक, श्लोक २१ ।

स्तनौ मांस-ग्रन्थी कनककलशाचिद्रूपमितौ ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९७

गण्डं—गडु, इह चोपचितपिग्नात्पिण्डरूपतया गलत्पूतिरुधिरार्द्रं तासम्भवाच्च तदुपमत्वादुगण्डे कुष्ठावुक्तौ ।

५—बोही, पत्र २९७ ।

राक्षस्य इव राक्षस्य —स्त्रिय तासु, यथा हि राक्षस्यो रक्तमवस्वमपकर्षन्ति जीवितं च प्राग्निनामपहरन्ति एषमेता अपि, तस्वतो हि ज्ञानादीन्वेष जीवितं च अव्ययं (सर्वस्वं) तानि च तामिरपह्लियन्त एव, तथा च हारिल —

‘बातोद्धूतो बहति हुतमुषेहमेक नराणा,
मत्तो नाग कुपितमुजगस्वैकदेहं तथैव ।
ज्ञानं शीलं विनयविमर्शौदार्यविज्ञानवेहान् ।
सर्वानर्षान् बहति वनितान्ऽऽमुष्मिकानैहिकांश ॥’

अध्ययन ६

नमिपठव्रज्जा

श्लोक १

१—पूर्व-जन्म की स्मृति हुई (सरई पोरानियं जाइं ष) :

जाति का अर्थ उत्पत्ति या जन्म है। आरम्भवाद के अनुसार जन्म की परम्परा बनादि है। इसलिए उसे पुराण कहा है। पुराण-जाति अर्थात् पूर्व-जन्म। पूर्व-जन्म की स्मृति को 'जाति-स्मृति ज्ञान' कहा जाता है। यह मतिज्ञान का एक प्रकार है।^१ इसके द्वारा पूर्ववर्ती संबंधीय जन्मों की स्मृति होती है।^२

किसी हेतु से संस्कार का जागरण होता है और अनुभूत-विषय की स्मृति हो जाती है। संस्कार मस्तिष्क में संचित होते हैं, प्रयत्न करने पर वे उद्बुद्ध हो जाते हैं। आजकल मस्तिष्क पर यांत्रिक व्यायाम कर शिशु-जीवन की घटनाओं की स्मृति कराई जाती है। यह सारी वर्तमान जीवन की स्मृति की प्रक्रिया है। पूर्व-जन्म के संस्कार सूक्ष्म-शरीर—कार्मण-शरीर में संचित रहते हैं। मन की एकाग्रता तथा पूर्व-जन्म को जानने की तीव्र अभिलाषा से अथवा किसी अनुभूत घटना की पुनरावृत्ति देख जाति-स्मृति हो जाती है। जैन-धार्मिकों में इसके अनेक उल्लेख हैं। वर्तमान में भी इससे सम्बन्धित घटनाएँ सुनी जाती हैं।

श्लोक २

२—(भयवं क) :

'भयव'—भगवान्। 'भग' शब्द के अनेक अर्थ हैं—धैर्य, सौभाग्य, माहात्म्य, यज्ञ, सूर्य, श्रुत, बुद्धि, लक्ष्मी, तप, अर्थ, योनि, पुण्य, ईश, प्रयत्न और तनु। यहाँ प्रकरणवश उसका अर्थ बुद्धि या ज्ञान है। भगवान् अर्थात् बुद्धिमान्।^३

श्लोक ४

३—एकान्तवासी (एगन्तमहिद्विओ ष) :

एकान्त शब्द के तीन अर्थ किए गए हैं—मोक्ष, विजन स्थान और एकत्व भावना। जो मोक्ष के उपाय—सम्यक् दर्शन आदि का सहारा लेता है, वह यहीं जीवन-मुक्त हो जाता है इसलिए वह एकान्तविहित कहलाता है। उद्यान आदि विजन स्थानों में रहने वाला तथा 'मैं अकेला

१—आचारारङ्ग, १११११४ वृत्ति पत्र १८ . जातिस्मरणं त्वामिनिबोधिकाविशेषः ।

२—बही, १११११४ वृत्ति पत्र १९ . जातिस्मरणस्तु निबन्धतः संबन्धेयात् ।

३—बृहत् वृत्ति, पत्र ३०६ :

मगसब्धो अद्यपि धैर्यादिगुणैकेषु अर्थेषु वर्तते, यदुक्तं—

धैर्यसौभाग्यमाहात्म्ययशोऽकथुतधीभिय' ।

तपोऽर्थोपस्थपुण्येताप्रयत्नतनवो मगा ॥

इति, तथापीह प्रस्तावाद् बुद्धियथन एव गृह्यते, ततो मगो—बुद्धिर्यस्यास्तीति मगवात् ।

हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ । मैं उसको नहीं देखता कि जिसका मैं होऊँ और जो मेरा हो वह भी मुझे नहीं देखता'—
इस प्रकार अकेलेपन की भावना करने वाला भी एकान्ताधिष्ठित कहलाता है ।^१ एकान्तबासी में ये तीनों अर्थ गभित हैं ।

श्लोक ६

४-(माहण ग) :

उत्तराध्ययन में 'माहण' शब्द का प्रयोग निम्न स्थलो पर हुआ है—

- (१) ६।६, ३८, ५५
- (२) १२।११, १३, १४, ३०, ३८
- (३) १४।५, ३८, ५३
- (४) १५।६
- (५) १८।२१
- (६) २५।१, ४, १८-२७, ३२, ३४, ३५

शान्त्याचार्य ने इन विभिन्न स्थलो में प्रयुक्त 'माहण' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—

- १—माहनरूपेण—ब्राह्मणवेषेण (बृ० प० ३०७)
 ब्राह्मणावच—द्विजा (बृ० प० ३१४)
 ब्राह्मण रूपम् (बृ० प० ३१८)
- २—माहणाना—ब्राह्मणानाम् (बृ० प० ३६०)
 ब्राह्मणा द्विजा (बृ० प० ३६१)
 ब्राह्मणानाम् (बृ० प० ३६२)
 ब्राह्मणो द्विजाति (बृ० प० ३६७)
 माहना ब्राह्मणा (बृ० प० ३७०)
- ३—माहनस्य ब्राह्मणस्य (बृ० प० ३६७)
 ब्राह्मणेन (बृ० प० ४०८)
 ब्राह्मण , ब्राह्मणी (बृ० प० ४१२)
- ४—माहना ब्राह्मणा (बृ० प० ४१८)
- ५—'माहण'ति मा वधीत्येवरूप मनो वाक् क्रिया च यस्यासौ माहन , सर्वेषातव पचादिषु दृश्यन्त इति वचनात्पचादि-
 त्वाद् च (बृ० प० ४४२)

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०७

'एगंत' ति एक —अद्वितीयः कर्मणामन्तो यस्मिन्निति, मयूरध्वंसकादित्यात् समासः, तत् एकान्तो—मोक्षस्तम्ब 'अधिष्ठित' इव
 आधिष्ठितानिआधिष्ठितः, तदुपायसम्यग्दर्शनाद्यासेवनादधिष्ठित एव वा, इहैव जीवन्मुक्त्यवाप्तेः, यद्देकान्त—दृश्यन्तो विद्वन्-
 मुद्यानादि भावतश्च तथा—

एकोऽहं न च मे कश्चिन्माहमगस्य कस्यचित् ।

न त पश्यामि यस्याह नासौ दृश्योऽस्ति यो मम ॥

इति भावनात् एक एवाहमित्यन्तो—मित्यय एकान्तः, प्राण्यत् समासः, तन्वधिष्ठितः ।

६—ब्राह्मणकुलसभृत	(वृ० प० ५२२)
ब्राह्मणसम्पद	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मण	(वृ० प० ५२६)
वयं ब्रह्मो ब्राह्मणम्	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मणः माह्वणः	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मणत्वम्	(वृ० प० ५२६)

उक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शान्त्याचार्य ने १८१२ में प्रयुक्त 'माह्वण' शब्द की व्याख्या अहिंसक के रूप में की है और शेष म्थानों में प्रयुक्त 'माह्वण' का अर्थ उन्होंने ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित माना है। ब्राह्मण का प्राकृत रूप 'बंभण' बनता है किन्तु इस आगम में ब्राह्मण के लिए 'बंभण' का प्रयोग २५।१६, २६, ३०, ३१ में हुआ है। इसके सिवा सर्वत्र 'माह्वण' का प्रयोग मिलता है। 'माह्वण' और 'बंभण' की प्रकृति एक नहीं है। 'माह्वण' अहिंसा का और 'बंभण' ब्रह्मचर्य (ब्रह्म-आराधना) का सूचक है। अहिंसा के बिना ब्रह्म की आराधना नहीं हो सकती और ब्रह्म की आराधना के बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता। इस प्रगाढ सम्बन्ध से दोनों शब्द एकार्थवाची बन गए। आगमिक व्याकरण के अनुसार ब्राह्मण का 'माह्वण' रूप बनता है, यह भी संभव है। ब्राह्मण के लिए 'माह्वण' शब्द के प्रयोग की प्रचुरता को देखते हुए इस सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मलयगिनि ने 'माह्वण' का अर्थ परम गीनार्थ श्रावक भी किया है।^१ इस प्रकार 'माह्वण' शब्द साधु, श्रावक और ब्राह्मण इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। यह आगम की व्याख्याओं से प्राप्त होने वाला निष्कर्ष है। पर वह कहाँ साधु के लिए, कहाँ श्रावक के लिए और कहाँ ब्राह्मण के लिए है—इसका निर्णय करना बहुत विवादास्पद रहा है।

श्लोक ७

५—प्रासादों और गृहों में (पासाएसु गिहेसु ष) :

मात मजिल वाला या इससे अधिक मजिल वाला मकान 'प्रासाद' कहलाता है और माधारण मकान 'गृह'। प्रासाद का दूसरा अर्थ देवकुल और राज-भवन भी है।^२

श्लोक ८

६—हेतु और कारण से (हेउकारण ष) :

साध्य के बिना जिसका न होना निश्चित हो उसे हेतु कहा जाता है। इन्द्र ने कहा—'तुम जो अभिनिष्क्रमण कर रहे हो वह अनुचित है (पक्ष), क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण ममूचे नगर में हृदय-वेधी कोलाहल हो रहा है (हेतु)।'^३

जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति न हो सके और जो निश्चित रूप से कार्य का पूर्ववर्ती हो उसे कारण कहा जाता है। यदि तुम अभिनिष्क्रमण नहीं करते तो इतना हृदय-वेधी कोलाहल नहीं होता। इस हृदय-वेधी कोलाहल का कारण तुम्हारा अभिनिष्क्रमण है।^४

१—राजप्रतनीय वृत्ति, पत्र ३००

'माह्वण' परमगीतार्थ. श्रावकः।

२—गृहवृत्ति, पत्र ३०८.

'प्रासादेषु'—सप्तमूमादिषु, 'गृहेषु' सामान्यवेशमसु, यद्वा 'प्रासादो वेधतानरेन्द्राणा'मितिवचनान्न प्रासादेषु वेधतानरेन्द्र-सम्बन्धित्वात्प्रासादेषु 'गृहेषु' तदितरेषु।

३—सुखबोध्या, पत्र १४६ :

अनुचितमिदं संबततोऽभिनिष्क्रमणमिति प्रतिज्ञा, आक्रन्द्यादिवाक्यशब्दहेतुत्वादिति हेतुः।

४—अहो, पत्र १४६.

आक्रन्द्यादिवाक्यशब्दहेतुत्वं संबद्धमिनिष्क्रमणानुचितत्वं विनामुपपन्नमित्येतावन्मात्र कारणम्।

श्लोक ६

७-चैत्य-वृक्ष (चेद्दए वच्छे क) :

चूर्ण और टीका में चैत्य-वृक्ष का अर्थ उद्यान और उसके वृक्ष किया गया है ।^१ किन्तु वस्तुतः 'चेद्दए वच्छे' का अर्थ 'चैत्य-वृक्ष' होना चाहिए । चैत्य को वियुक्त मानकर उसका अर्थ उद्यान करने का कोई प्रयोजन नहीं है ।

पीपल, बड़, पाकड़ और अश्वत्थ—ये चैत्य-जाति के वृक्ष हैं ।^२ मछिनाथ ने रथ्या-वृक्षों को चैत्य-वृक्ष माना है ।^३ शान्त्याचार्य के अनुसार जिस वृक्ष के मूल में चबूतरा बना हुआ हो और ऊपर मण्डा लगा हुआ हो, वह चैत्य-वृक्ष कहलाता है ।^४ चैत्य शब्द को उद्यान वाची मानने पर वृक्ष शब्द को तृतीया विभक्ति का बहुवचन (वच्छेहि) और उसका (हि) लोप मानना पडा ।^५ किन्तु 'चेद्दए' को 'वच्छे' का विशेषण माना जाता तो वंसा करना भावश्यक नहीं होता और व्याख्या भी स्वयं सहज हो जाती । स्थानाग में 'चेद्दयस्मत्' शब्द मिलता है ।^६ उससे भी यह प्रमाणित होता है कि 'चेद्दए वच्छे' का अर्थ 'चैत्य-वृक्ष' ही होना चाहिए ।

श्लोक १८

८-(पागारं क, गोपुरद्वालगाणि ख, उस्त्रलगसयग्धीओ ग) :

'पागारं'—परकोटा । प्राचीन काल में नगर या किले की सुरक्षा के लिए मिट्टी या ईंटों की एक सुदृढ़ दीवार बनाई जाती थी, उसे प्राकार या परकोटा कहा जाता था ।^७

'गोपुरद्वालगाणि'—बुर्ज वाले नगर-द्वार । गोपुर का अर्थ 'नगर द्वार' है ।^८

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८१, १८२ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९

अयनं चिति — इह प्रस्तावान् पत्रपुष्पाद्युपचय, तत्र साधुरित्यस्तः ऽजावेराकृतिरथात्वात् स्थादिनेऽणि चैत्यम्—उद्यानं तस्मिन्, 'वच्छे' ति सूत्रत्वादिशब्दलोपे वृक्षे ।

२-कालीदास का भारत, पृ० ५२ ।

३-नेचपूत, पूर्वार्द्ध, श्लोक २३ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९

चितिरिष्टिकाविचय, तत्र साधु—योष्यश्चित्य प्राखन, स एष चैत्यस्तस्मिन्, किमुक्त भवति ? — ऋषोब्रह्मपीठिके उपरि चोच्छ्रितपताके . वृक्ष इति शेषः ।

५-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८२ .

एष्य सिलोगमंगमया हिकारस्त लोचो कयो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३०९ .

'वच्छे' ति सूत्रत्वादिशब्दलोपे वृक्षे ।

६-स्थानाग, ३।१।१३४ .

तिहिं ठाणेहि देवानं चेद्दयस्मत्ता चलेजा ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ .

प्रकर्षेण मर्यादया च कुर्वन्ति तस्मिन् प्राकारस्तं—धूलीष्टकाविचिरचितम् ।

८-अभिधान चिन्तामणि, ४।४७ .

गुह्ये गोपुरम् ।

टीकाकार ने इसका प्रतोली-द्वार—नगर के बीच की सड़क का या गली का द्वार किया है।^१ अट्टालक का अर्थ 'बुज' है।^२ गोपुर-अट्टालक—बुज वाले नगर-द्वार सुरक्षा तथा पर्यवेक्षण के लिए बनाए जाते थे। वाल्मीकि रामायण में गोपुराट्टालक और साट्ट-गोपुर के प्रयोग मिलते हैं।^३

'उत्सूलग'—खाई।^४ खाई शत्रु-सेना को पराजित करने के लिए बनाई जाती थी। वह बहुत ही गहरी और चौड़ी होती थी। उसमें जल भरा रहता था इसलिए शत्रु-सेना उसे सहज ही पार नहीं कर पाती थी। 'उत्सूलग' का इसरा अर्थ अगर में ढंका हुआ गड्ढा भी किया गया है।^५ जार्ल सरपेन्टियर के अभिमत में 'उत्सूलग' का अर्थ 'खाई' यथार्थ नहीं है।^६ सर्वार्थसिद्धि में 'उच्छूलग' शब्द है।^७ शृणि, बृहद् वृत्ति और सुखबोधा में 'उत्सूलग' है। बीसवें श्लोक के 'तिगुत्त' शब्द की व्याख्या में, बृहद् वृत्ति में 'उच्छूलक' और सुखबोधा में 'उच्छूलक' पाठ है।^८ इससे जान पड़ता है कि 'उत्सूलग' और 'उच्छूलग' एक शब्द के ही दो रूप हैं।

जार्ल सरपेन्टियर ने इसका अर्थ 'ध्वज' किया है।^९ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 'ओचूलग' (अवचूलक) शब्द आया है। वृत्तिकार ने उसका अर्थ 'अधोमुखान्तर—नीचे लटकता हुआ वस्त्र' किया है।^{१०} इसलिए 'उत्सूलग' या 'उच्छूलक' का अर्थ 'ध्वज' भी किया जा सकता है। किन्तु 'तिगुत्त' शब्द को देखते हुए इसका अर्थ खाई या गड्ढा होना चाहिए। नगर की गुप्ति—सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में खाई का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।^{११}

'सयग्धी'—शतघ्नी। यह एक बार में सौ व्यक्तियों का सहार करने वाला यंत्र है।^{१२} कौटिल्य ने इसे 'बल-यंत्र' माना है।^{१३} अर्थ-शास्त्र की व्याख्या के अनुसार शतघ्नी का अर्थ है—दुर्ग की दीवार पर रखा हुआ एक विशाल स्तंभ, जिस पर मोटी और लम्बी कीलें लगी हुई हों। आचार्य हेमचन्द्र ने 'सयग्धी' को देशी शब्द भी माना है। इसका पर्यायवाची शब्द 'घरट्टी' है।^{१४} शेषनाममाला में इसके दो पर्यायवाची नाम हैं—चतुस्ताला और लोहकण्टकसंचिता।^{१५} इसके अनुसार यह चार बालिष्ठ की और लोहे के काँटों से संचित होती थी। इसे एक बार में सैकड़ों पत्थर फेंकने का यंत्र, आधुनिक तोप का पूर्व रूप कहा जा सकता है।

प्राकार, गोपुर-अट्टालक, परिखा और शतघ्नी—ये प्राचीन नगरो, दुर्गों या राजधानियों के अभिन्न अंग होते थे।^{१६}

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ :

गोभिः पूर्वन्त इति गोपुराणि—प्रतोलीद्वाराणि ।

२—बही, पत्र ३११ :

अट्टालकानि प्राकारकोष्ठकोपरिबर्तीनि आयोधनस्थानानि ।

३—वाल्मीकि रामायण, ५।५८।१५८ ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ :

'उत्सूलग' ति खातिका ।

५—बही, पत्र ३११ :

परबलयात्तार्थमुपरिच्छादितगर्ता वा ।

६—The Uttarādhyayana Sūtra p 314

७—सर्वार्थसिद्धि, पृ० २०७ .

'उच्छूलग' ति खातिका ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ ; सुखबोधा, पत्र १४८ ।

९—The Uttarādhyayana Sūtra, p 314

१०—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ३।६१ ।

११—कालीदास का भारत, पृ० २१८ , रामायणकालीन संस्कृति, पृ० २१३ ।

१२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ .

शातं ज्वलीति शतघ्न्य , तास्य यंत्रचिरोत्तरूपा ।

१३—कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय १८, सूत्र ७ ।

१४—शेषनाममाला ८।५, पृ० ३१५ ।

१५—शेषनाममाला, श्लोक १५०, पृ० ३६९ .

शतघ्नी तु चतुस्ताला, लोहकण्टकसंचिता ।

१६—कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय ३, सूत्र ४ ।

श्लोक २०

६—(अगलं ख, त्रिगुत्तं घ) :

'अगलं'—अगला । गोपुर (सिंहद्वार), किवाड और अगला—ये तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं । सिंहद्वार को किवाडों पर भीतर से अगला देकर बन्द किया जाता था । वास्त्याचार्य ने गोपुर शब्द के द्वारा अगला^१—कपाट का सूचन किया है । अगला शब्द गोपुर का सूचक है ।

'त्रिगुत्तं'—बुर्ज, खाई और शतपत्नी से सुरक्षित । त्रिगुत्तं प्राकार का विशेषण है । इसमें अठारहवें श्लोक के अट्टालग, उस्सूलग और सगम्भी—इन तीनों शब्दों का संग्रह किया गया है । इनके द्वारा जैसे प्राकार सुरक्षित होता है वैसे ही मन, बचन और काया की गुणियों से जमा-रूपी प्राकार सुरक्षित होता है ।^२

श्लोक २१


१०—मूठ (केयणं ग) :

धनुष के मध्य भाग में जो काठ की मुष्टि होती है, उसे 'केयण' कहा जाता है ।^३

श्लोक २४

११—(बद्धमाणगिहाणि ख, बालगगपोइयाओ ग) :

'बद्धमाणगिहाणि'—चूर्ण और टीका में इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है । मोनियर-मोनियर-बिलियम्स ने इसका अर्थ 'बहु घर जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो' किया है ।^४ मत्स्यपुराण का भी यही अभिमत है ।^५ वास्तुसार में घरों के चौसठ प्रकार बतलाए हैं । उनमें तीसरा प्रकार वर्धमान है ।^६ जिसके दक्षिण दिशा में मुखवाली गाबी शाला हो, उसे वर्धमान कहा है ।^७ उसका संस्थान इस प्रकार है^८—



१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११ ।

गोपुरग्रहणमगलाकपाटोपलक्षणम् ।

२—वही, पत्र ३११ ।

त्रिगुत्ति — अट्टालकोच्छूलकशतपत्नीसंस्थानीयाभिर्मनोगुप्थाधिभिर्मुत्तिभिः गुप्तं त्रिगुत्तं, मयूरभ्यंसकादित्वाव समाप्तः ।

३—वही, पत्र ३११ ।

'केयणं' शङ्खमयधनुर्मध्ये काष्ठमयमुष्टिकास्त्वकम् ।

४—A Sanskrit English Dictionary, p 926.

५—मत्स्यपुराण, पृ० २५४

दक्षिणद्वारहीनं तु वर्धमानमुवाहृतम् ।

६—वास्तुसार, ७५ पृ० ३६ ।

७—वही, ८२, पृ० ३८ ।

८—वही, ८२, पृ० ३९ ।

ओं हस्मिन् जेकोबी ने बराहमिहिर की संहिता (५३।३६) के आधार पर माना है कि यह समस्त गृहों में सुन्दर होता है ।^१
वर्षमान गृह धनप्रद होता है ।^२

'बालगपोइयाओ'—यह देशी शब्द है । इसका अर्थ 'बलभी' है । बलभी के अनेक अर्थ हैं—यहाँ चन्द्रशाला या जलाशय में निर्मित लघु प्रासाद है ।^३

श्लोक २६

१२—श्लोक २६ :

इस श्लोक में राजर्षि ने कहा—“यह घर एक पथिक का विश्रामालय है, जहाँ मुझे जाना है वह स्थान अभी दूर है । पर मुझे एक विश्वास है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पहुँच कर ही मैं अपना घर बनाऊँगा । जिस व्यक्ति को यह संशय होना है कि मैं अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँच सकूँगा या नहीं, वही मार्ग में घर बनाता है ।”

राजर्षि ने कहा—“मुझे मुक्ति-स्थान में जाना है । वहाँ पहुँचने के साधन सम्यक्-दर्शन आदि मुझे प्राप्त हो चुके हैं । मैं उनके सहारे गन्तव्य की ओर प्रयाण कर चुका हूँ । फिर मैं यहाँ किसलिए घर बनाऊँ ?”^४

'सासय'—शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप 'स्वाश्रय' और 'शाश्वत' किए हैं । स्वाश्रय अर्थात् अपना घर और शाश्वत अर्थात् नित्य । यहाँ ये दोनों अर्थ प्रकरणानुसारी हैं ।^५

श्लोक २८

१३—श्लोक २८ :

इस श्लोक में आमोष, लोमहार, ग्रन्थि-भेद और तस्कर—ये चार शब्द विभिन्न प्रकारों से धन चुराने वाले व लूटने वाले व्यक्तियों के वाचक हैं । तस्कर का अर्थ 'चोर' है । शेष तीन शब्दों के अर्थ चूर्ण और टीका में समान नहीं है । चूर्ण के अशुभार आमोष का अर्थ 'पंच-मोषक—बटमार, राह में लूट लेने वाला' है ।^६ लोमहार का अर्थ 'पेड़गमोचक' है ।^७ यहाँ पेड़ग का सं-कृत रूप सम्भवन पीडन है । पीडनमोषक अर्थात् पीडा पहुँचा कर लूटने वाला । जो युक्ति-सुवर्ण—योगिक या नकली मोना बनाकर तथा इसी कोटि के दूसरे कार्यों द्वारा लोगों को ठगना

१—Sacred Books of the East, Vol. XLV, The Uttarādhyayana Sūtra, p. 38, Foot Note, 1

२—बाल्मीकि रामायण, ५।८

इक्षिणद्वारहितं वर्षमानं धनप्रदम् ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८३ :

बालगपोइयाओ नाम भूतियाओ, केचिदाहु—ओ आगासतलायस्त मज्जे सुहुलओ पासाओ कज्जति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२ .

'बालगपोइयाओ य' स्ति देशीपदं बलभीवाचकं, ततो बलभीवच कारयित्वा, अन्ये स्वाकासतलागमध्यस्थितं सुल्लकप्रासादमेव 'बालगपोइया य' स्ति देशीपदाभिधेयमाहुः ।

४—सर्षार्षिसिद्धि, पृ० २०८, २०९ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२ .

स्वल्प—आत्मन आश्रयो—वेरम स्वाश्रयस्तं, यद्वा शाश्वतं—नित्यं, प्रकृमाद्गृहमेव ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८३ :

आमोषसंतीत्यामोषका पंचमोषका इत्यर्थ . ।

७—बृहद् वृत्ति, पृ० १८३ :

लोमहारा नाम वेल्हनमोसगा ।

है, उसे ग्रन्थि-भेदक कहा जाता है।^१ टीकाओं में आमोष की केवल व्युत्पत्ति दी गई है।^२ लोमहार का अर्थ 'मारकर सर्वम्ब का अपहरण करने वाला'^३ तथा ग्रन्थि भेदक का अर्थ 'गिरह-कट' किया है।^४

श्लोक ३०

१४-श्लोक ३० :

इस श्लोक में राजषि ने वस्तुस्थिति का मर्मोद्घाटन किया है। उन्होंने कहा—“मनुष्य में अज्ञान और अहंकार आदि दोष होते हैं। उनके बंधीभूत होकर वह निरपराध को भी अपराधी की भाँति दण्डित करता है और अज्ञानवश या घूस लेकर अपराधी को भी छोड़ देता है। अज्ञानी, अहंकारी और लालची मनुष्य मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है। इससे नगर का क्षेम नहीं हो सकता।”

‘मिच्छादण्डो’ मिथ्या का अर्थ—‘भूटा’ और दण्ड का अर्थ ‘देश-निष्कासन व शारीरिक यातना देना’ है।^५

श्लोक ३८

१५-श्लोक ३८ :

ब्राह्मण-परम्परा में यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना—इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।^६ जैन-अनुश्रवणों में इनका पूर्व-पक्ष के रूप में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। देखें—उत्तराध्ययन, १४।६, सूत्रकृतांग, २।६।२६।

श्लोक ४०

१६-श्लोक ४० :

ब्राह्मण ने राजषि के सामने यज्ञ, ब्राह्मण-भोजन, दान और भोग-सेवक—ये चार प्रश्न उपस्थित किये थे। राजषि ने उनमें से केवल एक दान के प्रश्न का उत्तर दिया, शेष प्रश्नों के उत्तर इमी में गर्भित हैं।

१-उत्तराध्ययन कूर्ण, पृ० १८३

ग्रन्थि भिदंति ग्रन्थिभेदका, जुत्तिसुबण्णगाबोहि ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२

आ—समन्तान् श्रुण्वन्ति—स्तैन्यं कुर्वन्तीत्यामोषा ।

३-बही, पृ० ३१२

लोमानि—रोमानि हरन्ति—अपनयन्ति प्राणिना ये ते लोमहारा ।

४-बही, पृ० ३१२ :

ग्रन्थि—ग्रन्थिसम्बन्धिनं भिदन्ति—घुर्षुरकट्टिकसिंहादिना विदारयातीति ग्रन्थिभेदाः ।

५-बही, पत्र ३१३

‘मिथ्या’ व्यलीक, किमुक्त भवति ?—अनपराधिष्वज्ञानाहकाराबिहेतुन्निरपराधिष्विव-दण्डन २।६ — देश-धार-शरीरनिष्प्राप्ति ।

६-(क) पद्मपुराण, १।५।३७

तप-कृते प्रशंसन्ति, त्रेतायां ज्ञान-कर्म च ।

द्वापरे यज्ञ-सेवाद्द्वान्तमेकं कलौ युगे ॥

(ख) मनुस्मृति, २।२८

स्वाध्यायेन कर्तव्यं मेस्त्रैर्विद्योनेज्यया सुते ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥

शान्खाचार्य ने लिखा है कि गो-दान सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए उसे प्रधानता दी है। यह यज्ञ आदि का उपलक्षण है।^१ इस श्लोक में संयम को श्रेय कहा है। यज्ञ आदि प्रेय हैं, सावध हैं। यह स्वयं फलित हो जाता है। टीकाकार के शब्दों में—“यज्ञ इसलिए सावध है कि उसमें पशु-बध होता है, स्थावर जीवों की भी हिंसा होती है। साधु को उसके श्रेय्य अन्न-पान और धर्मोपकरण दिए जाते हैं, वह धर्म-दान है। इसके अतिरिक्त जो सुवर्ण-दान, गो-दान, भूमि दान आदि हैं वे प्राणियों के विनाश के हेतु हैं इसलिए सावध हैं और भोग तो सावध हैं ही।

“प्रतिवादी ने कहा— यज्ञ, दान आदि प्राणियों के प्रीतिकर हैं, इसलिए वे सावध नहीं हैं। शाचार्य ने कहा—यह हेतु सही नहीं है। जो सावध है वह प्राणियों के लिए प्रीतिकर नहीं होता, जैसे—हिंसा आदि। यज्ञ आदि सावध हैं, इसलिए वे प्रीतिकर नहीं हैं।”^२

श्लोक ४२

१७-श्लोक ४२ :

ब्राह्मण-परम्परा में संन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का अधिक महत्त्व रहा है। महाभारत में बताया गया है कि जो शील और मदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इन्द्रियों को काबू में कर रखा है, जो सरलतापूर्ण बतवि करता है और ममग्न प्राणियों का हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया है— ऐसे गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता? जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ-आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं।^३ महर्षि

१-उपलक्षण का अर्थ है—शब्द की वह शक्ति जिससे निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त उस तरह की और वस्तुओं का भी बोध हो।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

गोदान चेह यागाद्युपलक्षणम्, अतिप्रभूतजनाचरितमित्युपासम्, एवं च संयमस्य प्रशस्यतरत्त्वमनिवृत्तता यागादीनां सावधत्वमर्वा-
दावेदितं, तथा च यज्ञप्रणेतृमित्त्वम्—

षट् शतानि नियुज्यते, पशूनां मयमेहनि ।

अश्वमेधस्य बधनान्पूनानि पणुमित्त्रिभिः ॥

इयत्पशुबधे च कथमसावधता नाम?, तथा दानान्यप्यशानादिविषयाणि धर्मोपकरणगोचराणि च धर्माय वर्धन्ते, यत आह—

अशानादीनि दानानि, धर्मोपकरणानि च ।

साधुस्य साधुयोग्यानि, देयानि विधिना बुधैः ॥

शेषानि तु सुवर्णगोमूय्यादीनि प्राण्युपमर्धहेतुतया सावधान्येव, भोगानां तु सावधत्वं सुप्रसिद्धं। तथा च प्राणिप्रीतिकरत्वावित्य-
सिद्धो हेतुः, प्रयोगवच—यत्सावधं न तत प्राणिप्रीतिकरं, यथा हिंसादि, सावधानि च यागादीनि ।

३-महाभारत, अनुशासनपर्व, अ.याय १५१ -

शीलवृत्तविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिणः ।

प्रियातिथेयश्च क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च ॥

गृहाभ्यनयवस्यस्य किमपि कृत्यमाश्रमैः ।

यथा मातरमाधित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥

तथा गृहाभ्यं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाधमाः ।

मनु ने भी गृही को 'अपेक्षाश्रम' कहा है। उसकी अपेक्षा इसलिए है कि शेष तीनों आश्रमों को वही कारण करता है।^१ इस गुप्तम उत्तरवाचित्य की मान्यता को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने गार्हस्थ्य के लिए 'बोराश्रम' शब्द का प्रयोग किया है।^२ चूर्णिकार ने इस भावना को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रव्रज्या का पालन करना सरल है, किन्तु गृहस्थाश्रम चलाना बहुत कठिन है क्योंकि शेष सब आश्रम वाले उसी पर निर्भर रहते हैं।^३

चूर्णिकार ने जो 'तर्कयन्ति' का प्रयोग किया है, वह सहज ही 'तर्कयन्ति गृहाश्रमम्' महाभारत के इस शरण की याद दिला देता है।^४ आगमकार भी गृहस्थ को श्रमण के जीवन का आश्रयदाता मानते हैं।^५ फिर भी जैन-परम्परा में श्रमण की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का स्थान बहुत निम्न है। 'मैं घर को छोड़ कर कब श्रमण बनूँ—यह गृहस्थ का पहला मनोरथ है।'^६

श्लोक ४४

१८-श्लोक ४४ :

ब्राह्मण ने कहा—'धर्मार्थी-पुरुष को धोर का अनुष्ठान करना चाहिए। संन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम धोर है, इसलिए उसे छोड़कर संन्यास में जाना उचित नहीं।' ^७

१-मनुस्मृति, ३।७७, ७८ :

यथा धामुं समाश्रित्य, वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य, वर्तन्ते सर्व आश्रमा ॥
यस्मात्प्रयोऽप्याश्रमिणो, ज्ञानेनाग्नेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनेव धार्यन्ते, तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

'धोर' अत्यन्तपुरनुषर, स चासावाश्रमश्च आङ्गिति-स्वरप्रयोजनाभिध्यापया आश्रयति—शेवमनुभवस्यस्मिन्निति कृत्वा धोरा-
श्रमो—गार्हस्थ्यं, तस्यैवाल्पसत्त्वैर्बुज्जरत्वात्, यत् आहु—

गृहाश्रमसमो धर्मो, न भूतो न भविष्यति ।
पालयन्ति नराः शूराः, क्लीबाः पासण्डमाश्रिताः ॥

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८४ :

आश्रयन्ति तमिस्थाश्रया, का भावना ? सुख हि प्रव्रज्या क्रियते, दुःख गृहाश्रम इति, तं हि सर्वाश्रमास्तर्कयन्ति ।

४-महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १४१ .

राजान् सर्वथाषण्डा सर्वे रणोपजीविनः ॥
ध्यालप्रहारश्च उन्माश्च धोरा राजमटास्तथा ।
सविद्याः सर्वशीलज्ञा सर्वे वै विचिकित्सका ॥
बुराध्वानं प्रपन्नाश्च क्षीणपथ्योवना नराः ।
एते चान्ये च बहव तर्कयन्ति गृहाश्रमम् ॥

५-स्वानां, ५।३।४४७ .

धम्मं चरमायस्स पंच जिस्साठाणा पंचं तं—छकाया, पणो, राया, गाहावती, सरीरं ।

६-बही, ३।४।२१० :

कथा मं अं मुंभे भविता अगारातो अणगारितं पव्वइस्सामि ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

ब्रह्म धोरं तसद् धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयं, यथाश्रमनाधि, तथा धारं गृहाश्रमः ।

इसके उत्तर में राजर्षि ने कहा—'घोर होने मात्र से ही कोई वस्तु भेष्ट नहीं होती। बाल कर्मात् अज्ञान-पूर्ण तप करने वाला तपस्वी घोर तप करके भी सर्व-साधक की विरति करने वाले मुनि की तुलना में नहीं आता, उसके सोलहवें भाग का भी स्पर्श नहीं करता। धर्मार्थों के लिए घोर अनुष्ठेय नहीं है। उसके लिए अनुष्ठेय है स्वाध्याय-धर्म, भले फिर वह घोर हो या अघोर। यहस्वाध्याय घोर होने पर भी स्वाध्याय-धर्म नहीं है, इसलिए उसे मैं जो छोड़ रहा हूँ, वह अनुचित नहीं है।'^१

१६—कुश की नोक पर टिके उतना-सा आहार करता है (कुसग्गेण तु भुञ्जए ष) :

इसके दो अर्थ होते हैं—जितना कुश के अन्न-भाग पर टिके उतना खाता है—यह एक अर्थ है।^२ दूसरा अर्थ है—कुश के अन्न-भाग से ही खाता है, अंगुली आदि से उठा कर नहीं खाता।^३ पहले का आशय एक बार खाने से है और दूसरे का कई बार खाने से। मात्रा की अल्पता दोनों में है।

२०—सु-आख्यात धर्म (सम्पक्-चारित्र सम्पन्न मुनि) की (सुयक्खायधम्मस्स ग) :

भगवान् ने समस्त पाप-पूर्ण प्रवृत्तियों की विरति को 'धर्म' कहा है, इसलिए उनका धर्म सु-आख्यात है। इसकी समग्र-रूप से आराधना करने वाला स्वाध्याय-धर्मा—मुनि होता है।^४

श्लोक ४६

२१—चाँदी, सोना (हिरण्यं सुवर्णं क) :

हिरण्य शब्द चाँदी और सोना दोनों का वाचक है। चूणिकाग ने हिरण्य का अर्थ 'चाँदी' और सुवर्ण का अर्थ 'सोना' किया है।^५ शान्त्याचार्य ने हिरण्य का अर्थ 'सोना' किया है। उनके अनुसार सुवर्ण हिरण्य का विशेषण है। मृदर्ण अर्थात् श्रेष्ठ-वर्ण वाला।^६ वैकल्पिक रूप में हिरण्य का अर्थ गढ़ा हुआ मोना और सुवर्ण का अर्थ बिना गढ़ा हुआ सोना किया है।^७ सुखबोध और सर्वार्थसिद्धि में यही अभिमत है।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६ .

यवुक्तम्—'अथद् घोरं तत्तद्धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयमममानादिविदिति, अत्र घोरत्वावित्यनैकान्तिको हेतुः, घोरस्यापि स्वाध्यायधर्मस्यैव धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयत्वाद्, अन्यस्य त्वात्मरिषाणादिविदित, अन्यथात्मान, प्रयोगश्चात्र—यन् स्वाध्यायधर्मस्य न भवति घोरमपि न तद्धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयं, यथाऽऽत्मवशाद्, तथा च गृहाभ्यम, तद्गृह्यात्वात् साधकत्वाद्धिसावदित्यलं प्रसंगेन।

२—वही, पत्र ३१६ .

'कुशाग्रजेव' वृणविशेषप्रारम्भे संज्ञने, एतदुक्तं भवति—यावत् कुशाग्रोऽवतिष्ठते तावदेवाम्यवहरति नातोऽधिकम्, अथवा कुशाग्रो-गेति जातावेकवचनं, तृतीया तु ओदनेनासौ संसृ इत्यादिवत् साधकतमत्वेनाम्यवहियमानत्वेऽपि विवक्षितत्वात्।

३—सुखबोध, पत्र १५० .

'कुशाग्रजेव' धर्मार्थजेव संसृते न तु करारुत्यादिभिः।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६

सुष्ठु—शोभन सर्वसाधकविरतिरूपत्वावाङ्गिति—अभिःयादया ख्यातः—तीर्थकरादिभिः कथितः स्वाध्यायः तथादिधो धर्मो यस्य सोऽयं स्वाध्यायधर्मा तस्य, चारित्रिण इत्यर्थः।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८५ .

हिरण्यं—रजतं शोभनवर्णं सुवर्णम्।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६

'हिरण्यं' स्वर्णं 'सुवर्णं' शोभनवर्णं विशिष्टवर्णिकमित्यर्थः।

७—वही, पत्र ३१६

यद्वा हिरण्यं—घटितस्वर्णमितरसु सुवर्णम्।

८—(क) सुखबोध, पत्र १५१।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पत्र २११।

श्लोक ६०

२२-मुकुट को धारण करने वाला (तिरीडी व) :

जिसके तीन शिखर हों उसे 'मुकुट' और जिनके चौरासी शिखर हों उसे 'किरीट' कहा जाता है।^१ जिसके सिर पर किरीट हो वह 'किरीटी' कहलाता है।^२ सामान्यतया मुकुट और किरीट पर्यायवाची माने जाते हैं।

श्लोक ६१

२३-विदेह के अधिपति (वइदेही ग) :

नमि विदेह जनपद के अधिपति थे, इसलिए उन्हें 'विदेही' कहा है। वइदेही का दूसरा संस्कृत रूप 'वंदेही' है। विभक्ति का व्यत्यय माना जाय तो इसका अर्थ 'वंदेही' (मिथिला को) किया जा सकता है।^३

१-सूत्ररत्नांग धूर्ति, पृ० ३६० .

तिहि सिहरएहि मउडो बुद्धलि, चतुरसोहि तिरीड ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१९ .

किरीटी व—मुकुटवान् ।

३-वही, पत्र ३२०

'वइदेही'ति सूत्रत्वाद्द्विदेहा नाम जनपद तोऽप्यास्तीति विदेही विदेहजनपदाधिपो, न त्वय एव कश्चिदिति भावः, यद्वा—
विदेहेषु नवा वंदेही—मिथिलापुरी, सुब्ब्यस्ययासान् ।

अध्ययन १०

दुमपत्तयं

श्लोक १

१—वृक्ष का पका हुआ पान (दुमपत्तए पण्डुयए क) :

जीवन की नव्यवस्था को पके हुए दुम-पत्र की उपमा से समझाया गया है। निर्युक्तिकार ने यहाँ पके हुए पत्र और कोपल का एक उद्बोधक सवाद प्रस्तुत किया है। पके हुए पत्र ने किसलयों से कहा—“एक दिन हम भी बंसे ही थे, जैसे कि तुम हो और एक दिन तुम भी बंसे ही हो जाओगे, जैसे कि हम हैं।”^१

अनुयोगद्वार में इस कल्पना को और अधिक सरस रूप दिया गया है। पके हुए पत्रों को गिरते देख कोपलें हँसी तब पत्रों ने कहा—“जरा ठहरो, एक दिन तुम पर भी वही बीतेगी, जो आज हम पर बीत रही है।”^२

‘पण्डुयए’—इसका शाब्दिक अर्थ—सफेद-पीला या सफेद रंग है। वृक्ष का पत्ता पकने पर इस रंग का हो जाता है, इसलिए पण्डुयए का भावानुवाद ‘पका हुआ’ किया है।^३

श्लोक ५-१४

२—श्लोक ५-१४ :

जीव एक जन्म में जितने काल तक जीते हैं, उसे ‘भव-स्थिति’ कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात् जमी जीव-निकाय के शरीर में उत्पन्न होने को ‘काय-स्थिति’ कहा जाता है।^४ देव और नारकीय-जीव मृत्यु के पश्चात् पुनः देव और नारक नहीं बनते। उनके ‘भव-स्थिति’ ही होनी है, ‘काय-स्थिति’ नहीं होती।^५ तिर्यक और मनुष्य मृत्यु के पश्चात् पुनः तिर्यक और मनुष्य बन सकते हैं इसलिए उनके ‘काय-स्थिति’ भी होती है।^६ पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव लगातार असंख्य अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी परिमित काल तक अपने-अपने स्थानों में जन्म लेते रहते

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ३०८

जह तुम्हे तह अम्हे, तुम्हेचि अ होहिहा जहा अम्हे ।

अप्याहेह पडंतं, पडुरवस्त किसलयानं ॥

२—अनुयोगद्वार, सूत्र १४६ .

परिजूरियपेरतं, चलंतबिंटं पडतनिच्छीर ।

पतं वसवपस्त, कालप्यसं अणह गाहं ॥१२०॥

जह तुम्हे तह अम्हे, तुम्हेचि अ होहिहा जहा अम्हे ।

अप्याहेह पडंतं, पण्डुयपस्त किसलयानं ॥१२१॥

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३३३ :

‘पण्डुयए’ स्ति आर्षस्थात् पाप्पुरकं कालपरिणामतस्तथाविधरोगादेर्वा प्रासवतसमावत् ।

४—स्थानांग, २।३।८५ :

दुषिहा छिती ।

५—वही, २।३।८५

दोणं अवद्विती ।

६—वही, २।३।८५ :

दोणं कावद्विती ।

हैं। वनस्पतिकाय के जीव अनन्त काल तक वनस्पतिकाय में ही रह जाते हैं।^१ दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीव हजारों-हजारों वर्षों तक अपने-अपने निकायों में जन्म ले सकते हैं। पाँच इन्द्रिय वाले जीव लगातार एक सरीखे सात-आठ जन्म ले सकते हैं।

श्लोक १५

३-श्लोक १५ :

जीव जो ममार में परिभ्रमण करता है, उसका हेतु बन्धन है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को बाँधे हुए रहते हैं। ये बन्धन टूटते हैं तब जीव मुक्त हो जाते हैं।^२ इस श्लोक में मंसार के हेतु का वर्णन है। बन्धन के इन दोनों प्रकारों और उनका नाश होने पर मुक्त होने का सिद्धान्त गीता में भी मिलता है।^३

श्लोक १६

४-दस्यु और म्लेच्छ (दसुया मिलेक्षुया ग) :

'दस्यु'—दस्यु का अर्थ है देश की सीमा पर रहने वाला चोर।^४

'मिलेक्षुया'—मिलेक्षु का अर्थ 'म्लेच्छ' है। सूत्रकृताग में 'मिलेक्षु'^५ और अभिधानपदीपिका में 'मिलक्ष' शब्द मिलता है^६। यहाँ एकार अधिक है। यह शब्द संस्कृत के म्लेच्छ शब्द का रूान्तर नहीं, किन्तु मूलतः प्राकृत भाषा का है।

जिसकी भाषा अव्यक्त होती है, जिसका कहा हुआ आर्य लोग नहीं समझ पाते, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। वृत्तिकार ने शक, यवन, शबर आदि देशों में उत्पन्न लोगों को म्लेच्छ कहा है। वे आर्यों की व्यवहार-पद्धति—धर्म-अधर्म, गम्य-अगम्य, मद्य-अभक्ष्य—से भिन्न प्रकार का जीवन जीते थे, उसी-ए आर्य लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३६।

२-उत्तराध्ययन, २१।२४।

३-(क) गीता, २।५० :

बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम् ॥

(ख) वही, ९।२८

शुभाशुभफलैरेव, मोक्षसे कर्मबन्धने ।
सत्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैव्यसि ॥

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

दस्यवो—देशप्रत्यन्तवारिन्वचौरा ।

५-सूत्रकृताग, १।१।२।१५

मिलक्षन् अमिलेक्षुस्त, जहा बुत्ताणुमासए ।
न हेज्जे से विद्याणाह, भासिय तस्युमासए ॥

६-(क) अभिधानपदीपिका, २।१८६

मिलक्ष वेतो, पचन्तो ।

(ख) वही, २।५।१७ :

मिलक्ष जालियो (प्यथ) ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७ ।

'मिलेक्षु य' लि म्लेच्छा—अव्यक्तभाषो, न यस्तुत्तमायैरवधार्यते, ते च शक्यबनसबराविदेशोद्भवाः, येऽप्यवाप्यापि मनुजसं
अनुक्त्यद्ये, एते च सर्वेऽपि धर्माधर्मगम्यागम्यभक्ष्याभक्ष्याविसकलार्थव्यवहारबहिष्कृतास्तिर्यक्प्रथाया एव ।

श्लोक १८

५--कुतीर्थिक (कुतिस्थि ग) :

कुतीर्थिक का अर्थ 'असत्य मनव्य वाग्वा दार्शनिक' है । वह जन रुचि के अनुकूल उपदेश देता है इसलिए उसकी सेवा करने वाले को उत्तम धर्म सुनने का अवसर ही नहीं मिलता ।^१

श्लोक २७

६--पित्त-रोग (अरई क) :

अग्नि के अनेक अर्थ होते हैं । शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'वायु आदि में उत्पन्न होने वाला चित्त का उद्वेग' किया है ।^२ 'किन्तु इस श्लोक में शरीर का स्पर्श करने वाले रोगों का उल्लेख है । इस दृष्टि से अनुवाद में इसका अर्थ 'पित्त-रोग' किया गया है । अरति का अर्थ पित्त-रोग भी है ।^३

श्लोक २८

७--श्लोक २८ :

इस श्लोक में भगवान् ने गौतम को स्नेह-मुक्त होने का उपदेश दिया । गौतम पदार्थों में आसक्त नहीं थे । विषय-भोगों में भी उनका अनगम नहीं था । केवल भगवान् से उन्हें स्नेह था । भगवान् स्वयं वीतराग थे । वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके स्नेह-बन्धन में बंधे । भगवान् के इस उपदेश की पृष्ठ-भूमि में उस घटना का भी समावेश होता है, जिसका एक प्रसंग में भगवान् ने स्वयं उल्लेख किया था । भगवान् ने कहा था—'गौतम । तू मेरा चिन्कालीन सम्बन्धी रहा है ।'^४

८--जल (पाणियं ख) :

अष्टादशवें श्लोक के प्रथम दो चरण धर्मपद के मार्ग-वर्ग, श्लोक १३ से तुलनीय है—

"उच्छिब सिनेहमतनो कुमुद सारविकं व पाणिना ।"

अर्थात्—अपने प्रति आसक्ति को इस तरह काट दो जैसे गरुड-ऋतु में हाथों से कमल फूल काट दिया जाता है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

कुतिसतानि च तानि तीर्थानि कुतीर्थानि च—शाक्यौलूक्यादिप्ररूपितानि तानि विद्यन्ते येषामनुजेयतया स्वीकृतत्वासे कुतीर्थिनस्तान्नितरां सेवते य स कुतीर्थिनश्चेको जनो-लोक , कुतीर्थिनो हि यथा सत्काराद्ये षिणो यदेव प्राणिप्रिय विषयादि तदेवोपदिशन्ति, ततीर्थकृतामप्येवविधत्वात्, उक्तं हि—

सत्कारपशोलाभार्थिमिश्रं सूहृद्विहान्यतीर्थकरै ।

अवसारवित्तजगद्विदं प्रियाण्यपध्यान्पुपदिशन्मि ॥

इति सुकरैव तेषां सेवा, तस्तेषिनां च कुन उत्तमधर्मश्रुतिः ?

२-बही, पत्र ३३८

'अरतिः' वाताविज्जनितश्चित्तोद्वेग ।

३-चरकसंहिता, ३०।६८

कमलां वातरक्तं च, विसर्पं हृच्छिरोग्रहम् ।

उन्मादात्स्वपस्मारान्, वातपित्तात्मकान् जयेत् ॥

४-प्रगवती, १४।७ ।

शरद्-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथों से काटा जा सकता है। यह धम्मपद गत उपमा का आशय है। उत्तराध्ययन के टीकाकारों ने इस उपमा का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है—“कुमुद पहले जल-मग्न होता है और बाद में जल के ऊपर आ जाता है।”^५

निलेपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रूप में होता है,। उत्तराध्ययन २५।२६ में लिखा है कि जैसे पद्म जल में उत्पन्न होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो कामों से अलिप्त रहता है, वह ब्राह्मण है। निलेपता के लिए कुमुद और जल दो ही शब्द पर्याप्त हैं। स्नेह शारद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शारद-पानीय का प्रयोग किया गया है।^६ धम्मपद में ‘पाणिना’ तृतीया विभक्ति का एकवचन है और उसका अर्थ है ‘हाथ’। उत्तराध्ययन में ‘पाणियं’ द्वितीया का एकवचन है और इसका अर्थ है ‘जल’।

श्लोक ३१

९-श्लोक ३१ :

चूर्ण और टीका में ‘बहुमए’ का अर्थ ‘मार्ग’^३ और ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मोक्ष को प्राप्त कराने वाला’^४ किया है। इसके अनुसार इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा—“आज जिन नहीं दीख रहे हैं फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा है—यह सोच भय्य लोग प्रमाद से बचेंगे। अभी मेरी उपस्थिति में तुम्हें न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है, इसलिए. . .।” किन्तु ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मार्ग का उपदेश देने वाला’ और ‘बहुमए’ का अर्थ ‘विभिन्न विचार रखने वाला’ सहज सगत लगता है, इसलिए हमने अनुवाद में इन शब्दों का यही अर्थ किया है।

श्लोक ३३

१०-श्लोक ३३ :

जैसे कोई एक आदमी धन कमाने के लिए विदेश गया। वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर वापस घर को आ रहा था। कर्षों पर बहुत बजन था। शरीर से था वह टुकड़ा-पतला। मार्ग सीधा-सरल आया तब तक वह ठीक चलता रहा और जब ककरीला, पथरीला मार्ग आया तब वह आदमी घबड़ा गया। उमने धन की गठरी वही छोड़ दी और अपने घर चला आया। अब वह सब कुछ गँवा देने के कारण निर्वन हो पड़तावा करता है। इसी प्रकार जो श्रमण प्रमादवश विषय-मार्ग में जा सपम-धन को गँवा देता है, उसे पछतावा होता है।

श्लोक ३५

११-क्षपक-श्रेणी पर (अकलेवरसेणि क) :

कलेवर अर्थात् शरीर। मुक्त आत्माओं के कलेवर नहीं होना इसलिए वे अकलेवर कहलाते हैं। उनकी श्रेणी की तरह पवित्र भावनाओं की श्रेणी होती है, उसे अकलेवर श्रेणी कहते हैं। तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ क्षपक-श्रेणी—कर्मों का क्षय करने वाली विचार-श्रेणी है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘पानीयं’ जलं, यथा तन् प्रथमं जलमग्गमपि जलमपहाय वर्तते तथा त्वमपि चिरसमुत्थिरपरिचितत्वादिभिर्मद्विषयस्नेहवशगोऽपि तमपनय ।

२-वही, पत्र ३३९ :

इह च जलमपहायेतावति सिद्धे यच्छारदसम्भोपादानं तच्छारदजलस्येवस्नेहस्याप्यतिमनोरमत्वस्यापमार्यम् ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९२

बहुमस्तो नाम संबो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९ :

‘बहुमए’ति क्त्वा ।

४-सुखजोषा, पत्र १६४

‘अग्गदेसिये’ ति मार्गवाचकत्वाद् मार्गः—मोक्षस्तस्य ‘देसिए’ ति सूत्रत्वात् देसाकः—प्राप्तो मार्गवेत्ता ।

कलेवर-श्रेणी का दूसरा अर्थ 'सोपान-पक्ति' हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विद्युत्-विचार-श्रेणी का सहारा लिया जाता है। सोपान-पक्ति वहाँ काम नहीं देती। इसलिए उसे 'अकलेवर-श्रेणी' कहा है।^१

श्लोक ३६

१२-शान्ति-मार्ग को (सन्तिमगं ल) :

शान्ति का अर्थ है 'निर्माण और उपशम'। शान्ति-मार्ग 'सन्तिमगं' शक्ति-धर्म का सूचक है।^२

'सन्तिमगं च ब्रूहए'—इस पद की तुलना शम्भुपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है—'सन्तिमग्धमेव ब्रूहए'।

श्लोक ३७

१३-अर्थ और पद से (अह्यपअ ल) :

चूनिकार ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नहीं किया। शान्त्याचार्य ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है—अर्थ-पद अर्थात् अर्थ-प्रधान पद।^३ न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के अनुबन्ध को अर्थ-पद कहा गया है। अर्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान'। न्याय की परिभाषा में चार अर्थ-पद इस प्रकार हैं—

- (१) हेय—दुःख और उसका निवर्तक (उत्पादक) अर्थात् दुःख-हेतु।
- (२) व्यात्यन्तिक-हान—दुःख-निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात् तत्त्वज्ञान।
- (३) इसका उपाय (शास्त्र)।
- (४) अधिगन्तव्य—लभ्यमोक्ष।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४१ :

कलेवरं—शारीरम् अविद्यमानं कलेवरमेवात्मकलेवरा—सिद्धास्तेषां श्रेणिरिव श्रेणिर्यथोत्तरोत्तरशुभपरिणामप्राप्तिक्रमया ते सिद्धि-पदमारोहन्ति (तां), अयकश्रेणिमित्यर्थः। यद्वा कलेवराणि—एकेन्द्रियशारीराणि तन्मयत्वेन तेषां श्रेणिः कलेवरश्रेणि—बंशादि-विरचिता प्रासादादिष्वारोहणहेतुः, तथा च या न सा अकलेवरश्रेणिः—अन्तरोक्तस्यैव ताम्।

२-वही, पत्र ३४१ :

शास्त्रस्यस्यां सर्ववृत्तितामीति शान्ति—निर्माणं तस्या मार्ग—पन्थाः, यद्वा शान्ति—उपशमः सैव मुक्तिहेतुतया मार्गः शान्तिमार्गो, वशाधिधर्मोपलक्षणं शान्तिग्रहणम्।

३-वही, पत्र ३४१ :

अर्थप्रधानानि पदानि अर्थपदानि।

४-न्याय भाष्य, १।१।१।

अध्ययन ११ बहुस्तुतपुजना श्लोक १

१—आचार (आचारं च) :

आचार का अर्थ 'उचित क्रिया' या 'विनय' है ।^१ बृहद् व्याख्या के अनुसार आचार और विनय दोनों एकार्थक शब्द हैं ।^२ जैन और बौद्ध साहित्य में विनय शब्द भी आचार के अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त हुआ है ।^३ प्रस्तुत अध्ययन में बहुस्तुत की पूजा कैसे की जाय इस आचार पर प्रकाश डाला गया है ।^४

श्लोक २

२—(अवि क, धडे ष, अणिग्गहे ष) :

प्रस्तुत प्रकरण बहुस्तुत की पूजा का है । बहुस्तुत की पूजा उसके स्वरूप को जानने से होती है । बहुस्तुत का प्रतिपक्ष अबहुस्तु बहुस्तुत को जानने से पहले अबहुस्तुत को जानना आवश्यक है । इसलिए इस श्लोक में अबहुस्तुत का स्वरूप बतलाया गया है ।^५

'अवि'—विद्यावान् होते हुए भी । निर्विष (विद्याहीन) शब्द मूल पाठ में प्रयुक्त है किन्तु विद्यावान् का उल्लेख 'अवि' शब्द के आचार पर किया गया है ।^६ जो स्तब्धता आदि दोषों से युक्त है वह विद्यावान् होते हुए भी अबहुस्तुत है । इसका कारण यह है कि स्तब्धता आदि दोषों से बहुस्तुतता का फल नहीं होता ।^७

'धडे'—अभिमानि । ज्ञान से अहंकार का नाश होता है किन्तु जब ज्ञान भी अहंकार की वृद्धि का साधन बन जाए तब अहंकार कैसे मिटे ? जब बोध भी विष का काम करे तो चिकित्सा किसके द्वारा की जाय ?^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

आचारणमाचारः—उचितक्रिया विनय इतिधावत् ।

२—वही, पत्र ३४४ :

तथा च वृद्धा—'आयारोति वा विषयोति वा एगहु' ति

३—वेत्ते—१।१ का द्विपत्र सं० ३ ; विनयवित्तक ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

त चेह बहुस्तुतपूजामक एव गृह्यते, तस्या एवाभाविकृतत्वात् ।

५—वही, पत्र ३४४ :

इह च बहुस्तुतपूजा प्रकाम्या, सा च बहुस्तुतस्वरूपपरिज्ञान एव कर्तुं तस्या, बहुस्तुतस्वरूपं च-सद्विषयपरिज्ञाने सद्विचिन्तं मुक्त्यैव ज्ञायत इत्यबहुस्तुतस्वरूपमाह ।

६—वही, पत्र ३४४ :

अविसाजसम्बन्धात् तद्विद्योऽपि ।

७—वही, पत्र ३४४ :

सविद्यस्याप्यबहुस्तुतत्वं बाहुभूत्यफलमावाविति जाकनीक्यम् ।

८—उत्तराध्ययन पूर्विक, पृ० १९५ :

ज्ञानं ज्ञाननिर्भयं, जायति ज्ञानेन पुनिकित्त्यः सः ।

अपहो अत्य विष-यति, तस्य चिकित्सा कुतोऽप्येव ॥

'अभिग्रह'—अजितेन्द्रिय । इन्द्रियों पर नियंत्रण करने के लिए विद्या अंकुश के समान है । उसके अभाव में व्यक्ति अभिग्रह होता है ।
जो इन्द्रियों का निग्रह न कर सके वह अभिग्रह—अजितेन्द्रिय कहलाता है ।^२

श्लोक ३

३-(ठाणेहिं क, सिक्खा क, यम्भा ग, पमाएणं ग, रोगेणाऽलस्सएण प) :

'ठाणेहिं'—स्थानों से । स्थान शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । यहाँ इसका अर्थ हेतु^३ या प्रकार^४ है ।

'सिक्खा'—शिक्षा । शिक्षा के दो प्रकार हैं—ग्रहण और आसेवन । ज्ञान प्राप्त करने को ग्रहण और उसके अनुसार आचरण करने को आसेवन कहा जाता है ।^५ अभिमान आदि कारणों से ग्रहण-शिक्षा भी प्राप्त नहीं होनी तो भला आसेवन-शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है ?^६

'यम्भा'—स्तम्भ । इसका अर्थ है—'मान' । अभिमानी व्यक्ति विनय नहीं करता, इसलिए उसे कोई नहीं पढ़ाता, अतः मान शिक्षा-प्राप्ति में बाधक है ।^७

'पमाएण'—प्रमाद । प्रमाद के पाँच प्रकार हैं—

(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और (५) विकषा ।^८

'रोगेण'—रोग । चूर्णिकार ने रोग उत्पन्न होने के दो कारण बतलाए हैं^९—

(१) अति-आहार और (२) अपभ्य-आहार ।

'आलस्सएण'—आलस्य । आलस्य का अर्थ है—उत्साहहीनता^{१०} ।

१-उत्तराखण्ड चूर्ण, पृ० १९५ :

अंकुशवृत्ता विद्या तस्या अभावावनिग्रह ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

न विद्यते इन्द्रियनिग्रहः—इन्द्रियनियमनात्मकोऽस्येति अनिग्रहः ।

३-बही, पत्र ३४४-३४५ :

'येः' इति कस्यमाणैर्हेतुभिः ।

४-उत्तराखण्ड चूर्ण, पृ० १९५ :

ठाणेहिंति प्रकारा ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५ :

शिक्षणं सिक्खा—ग्रहणासेवनात्मिका ।

६-उत्तराखण्ड चूर्ण, पृ० १९५ :

ग्रहणसिक्खायि अस्ति, कतो आसेवणसिक्खा ।

७-बही, पृ० १९५ :

तस्य ते यो कोह पादेति, इयरो यद्वसेन न बंधति ।

८-बही, पृ० १९५ :

पमादो पंचविधो, संख्या—सज्जय० विसयय० कसाय्य० विहाय० विण्हायमादो ।

९-बही, पृ० १९५ :

अत्याहारेण अपत्याहारेण वा रोगो भवति ।

१०-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५ :

'आलस्येण' अनुत्साहात्मना ।

श्लोक ४

४—(सिक्खासीले ङ, अहस्तिरे ग, मम्मं ष) :

'सिक्खासीले'—शिक्षा-शील । शिक्षा में हथि रखने वाला या शिक्षा का अभ्यास करने वाला 'शिक्षा-शील' कहलाता है ।

'अहस्तिरे'—जो हास्य न करे । अकारण या कारण उपहित होने पर भी जिसका स्वभाव हँसने का न हो उसे 'अहसिता' कहा जाता है ।^१

'मम्मं'—मर्म । मर्म का अर्थ है—लज्जाजनक, अपवादजनक या निन्दनीय आचरण सम्बन्धी गुप्त बात ।^२

श्लोक ५

५—(अकोहणे ग, सच्चरणं ग) :

'अकोहणे'—जो क्रोध न करे । जो निरपराध या अपराधी पर क्रोध न करे, वह 'अक्रोधन' कहलाता है ।^३

'सच्चरणं'—जो सत्य में रत हो । चूर्णि के अनुसार जो मृषा न बोले या संयम में रत हो, वह 'सत्य-रत' कहलाता है ।^४

श्लोक ७

६—(पबन्धं ष, भेत्तिज्जमाणो वमहं ग) :

'पबन्धं'—जो क्रोध को टिका कर रखता है । प्रबन्ध का अर्थ है—'अविच्छेद' । बार-बार क्रोध आना और आए हुए क्रोध को टिका कर रखना एक बात नहीं है ।^५

'भेत्तिज्जमाणो वमहं'—जो मित्र-भाव रखने वाले को भी ठुकराता है । इसका आशय एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा समझाया गया है । कोई साधु पात्र रगना नहीं जानता । वैसी स्थिति में दूसरा साधु उसका पात्र रगने को तैयार है किन्तु वह सोचने लगता है कि मैं इससे अपना पात्र रंगाऊँगा तो मुझे भी इसका काम करना पड़ेगा । इस प्रत्युपकार के भय से वह उससे पात्र नहीं रंगवाता और कहता है मुझे तुमसे पात्र नहीं रगवाना है । इस तरह मित्र भाव रखने की इच्छा करने वाले का तिरस्कार करता है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५

शिक्षार्था शीलः—स्वभावो यस्य शिक्षा वा शीलयति—अभ्यस्यतीति शिक्षाशील—द्विविधशिक्षाभ्यासकृद् ।

२—बही, पत्र ३४५

अहसिता—न सहेतुकमहेतुकं वा हसन्नेवास्ते ।

३—बही, पत्र ३४५

'मर्म' पराधभाजनाकारि कुस्मित जात्यादि ।

४—बही, पत्र ३४५

'अक्रोधः' अपराधिन्यनपराधिनि वा न कश्चित् क्रुध्यति ।

५—उत्तराख्ययन चूर्णि, पृ० १९६ .

सच्चरतो ङ मुसावादी, संजमरतो वा ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६ :

'प्रबन्धं ष' अकृतत्वात् कोपस्यैवाविच्छेदात्मकम् ।

७—बही, पत्र ३४६

'भेत्तिज्जमाणो' ति मित्रीय्यमाणोऽपि मित्रं ममायमस्तिवतीत्यमाणोऽपि अपिशब्दस्य लुप्तनिर्दिष्टत्वात् 'वमति' त्यजति, प्रस्तावा-मित्रमिशार मैत्रो वा, किमुक्त मवति ?—यदि करिषद्दार्मिकतया वक्ति—यथा त्वं न वेत्सीत्यहं तच्च पार्थ लेपयामि, ततोऽती प्रत्युपकारणीयतया प्रतिवक्ति—ममालभेतेन ।

श्लोक ८

७-बुराई करता है (भासइ पावगं ष) :

बुराई करता है—इसका तात्पर्य यह है कि सामने भीठा बोलता है और पीठ पीछे—‘यह दोष का सेवन करता है’—इस प्रकार उसका अपवाद करता है ।^१

श्लोक ९

८-जो असबद्ध भाषी होता है (पइष्णवाई क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—

१-प्रकीर्णवादी ।

२-प्रतिज्ञावादी ।

जो सम्बन्ध रहित बोलता है या पात्र या अपात्र की परीक्षा किए बिना ही श्रुत का रहस्य बता देता है, वह ‘प्रकीर्णवादी’ कहलाता है ।

‘यह ऐसे ही है’ इस तरह जो एकात्मिक आप्रह पूर्वक बोलता है, वह ‘प्रतिज्ञावादी’ कहलाता है ।^२ चूर्णिकार को पहला रूप अभिमत है^३ और सुखबोधा को दूसरा ।^४

प्रकरण की दृष्टि से पहला अर्थ ही अधिक सगत लगता है । जार्ज सरपेन्टियर ने पहला अर्थ ही मान्य किया है ।^५

श्लोक १०

९-जो नम्र-व्यवहार करता है (नीचावत्ती ग) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘नीचवर्ती’ के दो अर्थ हैं—

१-नीच अर्थात् नम्र वर्तन करने वाला ।

२-शय्या आदि में गुरु से नीचा रहने वाला ।^६

इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए दशवैकालिक १।२।१७ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६ ।

‘भाषते’ वक्ति पापमेव पापक, किमुपतं भवति ?—अप्रत. प्रियं वक्ति पृष्ठतस्तु प्रतिदेवकोऽयमित्याधिकमनाचारमेवाविष्करोति ।

२-बही, पत्र ३४६

प्रकीर्णम्—इतस्ततो विभिसम्, असम्बद्धमित्यर्थः, वदति—अल्पतीत्येवशील प्रकीर्णवादी, वस्तुतस्त्रविचारोऽपि यत्किञ्चनवादीत्यर्थः,

अथवा—य. पात्रमिदमपात्रमिदमिति वाऽपरीक्ष्यैव कथञ्चिद्विगतं श्रुतरहायं वदतीत्येवशील प्रकीर्णवादी इति, प्रतिज्ञया वा—

इवमित्येष इत्येकान्ताभ्युपगमरूपया वदन्शील प्रतिज्ञावादी ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९६

अपरिस्त्रितं अस्त वा तस्त वा कहेति ।

४-सुखबोधा, पत्र १६८ :

प्रतिज्ञया—इत्येषैवेवमित्येकान्ताभ्युपगमरूपया वदन्शील प्रतिज्ञावादी ।

५-The Uttarādhyayana Sūtra, p 320

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६ :

नीचम्—अनुद्धतं यथा नपायेवं नीचेषु वा शय्यादिषु वर्तत इत्येवंशीलो नीचवर्ती—गुरुषु म्यग्वृत्तिमात्र ।

१०—जो चपल नहीं होता (अचबले ग) :

चपल चार प्रकार के होते हैं—

१—गति-चपल—जो दीडता हुआ चलता है ।

२—स्थान-चपल—जो बैठे-बैठा हाथ-पैर आदि को हिलाता रहता है ।

३—भाषा-चपल—इसके चार प्रकार हैं—

(क) असत्-प्रलापी—असत् (अविद्यमान) कहने वाला ।

(ख) असम्य-प्रलापी—कडा या रुखा बोलने वाला ।

(ग) असमीक्ष्य-प्रलापी—बिना सोचे-विचारे बोलने वाला ।

(घ) अदेशकाल-प्रलापी—उस-उस प्रदेश में या उस समय में यह कार्य किया जाता तो सुन्दर होता—हाथ से अबसर निकल जाने के बाद—इस प्रकार कहने वाला ।

११—जो मायावी नहीं होता (अमाई ष) :

४—भाव-चपल—प्रारम्भ किए हुए सूत्र और अर्थ को बीच में छोड़ कर दूसरे सूत्र और अर्थ का अध्ययन प्रारम्भ करने वाला ।^१

चूर्णिकार ने माया-पूर्ण व्यवहार को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है—किसी साधु को भिक्षा में सरस भोजन मिला । उसने सोचा—गुरु हम भोजन को देखेंगे तो स्वयं ले लेंगे । इस डर से उसने सरस भोजन को रुले-सूले भोजन से ढक दिया—यह माया-पूर्ण व्यवहार है । जो ऐसे व्यवहारों का आसेवन नहीं करता, वह अमायी होता है ।^२ विशेष विवरण के लिए देखिए दशवैकालिक ५।२।३१ ।

१२—जो कुतूहल नहीं करता (अकुतूहले ष) :

इन्द्रियों के विषय और चामत्कारिक विद्याएँ पाप-स्थान होते हैं, यह जान कर जो उनके प्रति उदासीन रहता है, उसे अकुतूहल कहा जाता है ।^३ ऐसा व्यक्ति नाटक, इन्द्रजाल आदि को देखने के लिए कभी उत्सुक नहीं होता ।^४

श्लोक ११

१३—जो किसी का तिरस्कार नहीं करता (अप्य चाऽहिक्स्ववई क) :

'अल्प' शब्द के दो अर्थ होते हैं—

१—थोडा ।

२—अभाव ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६-३४७

'अचपल' चाऽऽरब्धकार्ये प्रत्यस्थिर, अथवाऽचपलो—गतिस्थानमाशभावनेदत्तस्वतुर्धा, तत्र—गतिचपलः—वृत्तचारी, स्थान-चपलः—तिष्ठन्त्यपि चलन्नेवास्ते हस्तादिभिः, भाषाचपलः—असदसम्यासमीक्ष्यादेशकालप्रलापिनेवाच्यतुर्धा, तत्र असद्—अविद्यमानमसम्यं—अरपहवादि, असमीक्ष्य—अनालोच्य प्रलपन्तीत्येवंशीला असदसम्यासमीक्ष्यप्रलापिनस्त्रयः, अदेशकालप्रलापी क्षतुर्थः अतीते कार्ये यो वक्ति—यदि तत्र वेत्ते काले वाऽकल्पिष्यद् तत सुन्दरधमविज्यद्, भाषाचपलः सूत्रेऽर्धे चाऽसमास एव योऽन्यद् गृह्णाति ।

२—उत्तराध्यायन चर्चि, पृ० १९७ .

'अमाई' ति जो मायं न सेवति, सा य माया एरिसम्पगारा, जहा कोइ मगुनं मोयनं लद्घुणं पत्तेण छातेति 'मा मेयं दाइय सतं बद्घुणं सयमादि' ।

३—बही, पृ० १९७ .

अकुतूहली विसएसु विज्जासु पावठावसि ण वट्टसिति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

'अकुतूहलः' न कुतूहेन्द्रजालाद्यवलोकनपरः ।

पहले अर्थ के अनुसार इस चरण का अनुवाद होगा—बोडा तिरस्कार करता है। इसका भाव यह है कि ऐसे तो वह किसी का तिरस्कार नहीं करता किन्तु अयोध को धर्म में प्रेरित करने की दृष्टि से उसका बोडा तिरस्कार करता है।^१

चूर्ण के अनुसार यहाँ 'अल्प' शब्द अभाववाची है।^२

श्लोक १२

१४—प्रशंसा करता है (कल्लाण भासई च) :

कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक दोष को सामने रख कर सौ गुणों को भुला देते हैं। कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक गुण को सामने रख कर सौ दोषों को भुला देते हैं। यहाँ बतलाया गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति अपकार करने वाले मित्र के पूर्वकृत किसी एक उपकार का स्मरण कर उसके परोक्ष में भी उसका दोष-गान नहीं करता किन्तु गुण-गान करता है, प्रशंसा करता है।^३

श्लोक १३

१५—(कलहडमर क, बुद्धे अभिजाइए ण, हिरिमं पडिसंलीणे ग) :

'कलहडमर'—कलह और हाथापाई। 'कलह' का अर्थ है—वाचिक-विग्रह—वचन से आगड़ा करना और 'डमर' का अर्थ है—हाथा-पाई करना। दोनों एकार्थक भी माने गए हैं।^४

'बुद्धे'—बुद्धिमान्। बुद्ध अर्थात् बुद्धिमान्—तत्त्व को जानने वाला। चौदह स्थानों में बुद्ध की स्वतंत्र गणना नहीं है। इसका सम्बन्ध मन्विनीत के प्रत्येक स्थान से है।^५

'अभिजाइए'—कुलीन। अभिजाति का अर्थ है—कुलीनता। जो कुलीनता रखता है अर्थात् लिए हुए भार का निर्वाह करना है, वह अभिजातिग (कुलीन) कहलाता है।^६

'हिरिमं'—लज्जावान्। लज्जा एक प्रकार का मानसिक सकोच है। वह कभी-कभी मनुष्य को उबार देती है। लज्जाहीन मनुष्य

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

'अल्पं च' इति स्तोत्रमेव 'अधिमिपति' तिरस्कुहते, किमुक्तं भवति?—नाधिमिपत्येव तावदसौ कंचन, अधिमिपन् वा कंचन कङ्कटुककल्पं धर्मं प्रति प्रेरयन्त्यल्पमेवाधिमिपति ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९७ .

अल्पशाब्दो हि स्तोत्रे अभावे वा, अत्र अभावे दृष्टव्य, ण किंचि अधिविस्वसति, नामिकमतीत्यर्थः ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

कल्याणं भावते, इदमुक्तं भवति—मित्रमिति य. प्रतिपन्न स यद्यप्यपकृतिगतानि विषसे तथाऽप्येकमपि सुकृतमनुस्मरन् न रहस्यपि तद्दोषमुदीरयति, तथा चाह—

एकसुकृतेन बुष्कृतगतानि ये नाशयन्ति ते धन्या ।

न रवेकदोषजमितो येषा षोप स च कृतघ्न ॥

४—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९७

कलह एव डमरं कलहडमरं, कलहेति वा संज्ञेति वा डमरेति वा एगट्टो, अहवा कलहो वाचिको डमरो हत्यारंभो ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ :

'बुद्धो' बुद्धिमान्, एतच्च सर्वत्रानुगम्यत एवेति न प्रकृतसङ्घाविरोधः ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९७

अभिजाणते, विधीतो कुलीणे य ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

अभिजाति—कुलीनता ता गच्छति—उत्सिसमारनिर्वाहणादित्यभिजातिगः ।

मन के विकृत होने पर अनुचित कार्य कर डालता है, किन्तु लज्जावान् पुत्र उस स्थिति में भी अनुचित आचरण नहीं करता ।^१ इसलिए लज्जा व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है । जो अनुचित कार्य करने में लजाता हो, वह ह्रीमान् अर्थात् लज्जावान् कहलाता है ।

'पठिसलीणे'—प्रतिसलीन । कुछ लोग दिन भर इधर-उधर फिरते रहते हैं । कार्य में सलग्न व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए । उसे अपने स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठे रहना चाहिए । इन्द्रिय और मन को भी करणीय कार्य में सलग्न रखना चाहिए । प्रयोजनवश कहीं जाना भी पड़ता है किन्तु निष्प्रयोजन इन्द्रिय, मन और हाथ-पैर की चपलता के कारण इधर-उधर नहीं फिरना चाहिए । प्रतिसलीन शब्द के द्वारा इसी आचरण की शिक्षा दी गई है ।^२

श्लोक १४

१६—गुरुकुल में (गुरुकुले क) :

'गुरुकुल' का अर्थ—गच्छ या गण है । यहाँ कहा गया है कि मुनि 'गुरुकुल' में रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा में रहे, स्वच्छन्द विहारी होकर अकेला न विचरे ।^३ गुरुकुल में रहने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है । दर्शन और चारित्र्य में स्थिरता आती है । वे धन्य हैं जो जीवन-पर्यन्त 'गुरुकुल-वास' नहीं छोड़ते ।^४

१७—जो समाधि-युक्त होता है (जोगवं स) :

योग शब्द दो धातुओं से निष्पन्न होता है । एक का अर्थ है जुड़ना और दूसरी का अर्थ है समाधि । चूर्णिका ने योग के तीन अर्थ किए हैं—

- १—मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति ।
- २—सयम योग ।
- ३—पढ़ने का उद्योग ।^५

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७
ह्री लज्जायां, लज्जति अक्षोपक्षमायरतो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७
ह्री — लज्जा सा विद्यतेऽस्य ह्रीमान् ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७, १९८
पठिसलीणे आचार्यसकासे इविपणोऽंविण्णि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .
'प्रतिसलीन'—गुरुसकारोऽन्यत्र वा कार्यं विना न प्रतस्तत्सचेष्टते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७ .

गुरुणाम्—आचार्यादीनां कुलम्—अन्वयो गच्छ इत्यर्थः गुरुकुलं तत्र, तवानुपलक्षणं च कुलग्रहणं, किमुक्तं भवति ?
गुरुशामामेव तिष्ठेत् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ :

आचार्यसमीपे अञ्छति आह हि =
जाणस्स होइ मागी चिरपरगो संसणे चरिस्से य ।
धन्ना आवकहाए गुरुकुलवास न मुंबंति ॥

५—अही, पृ० १९८

आणो अणजोगावि संजःजोगो वा, उज्जोगं पठित्तव्वते करेइ ।

शान्दाचार्य ने योग के दो अर्थ किए हैं—

१-धार्मिक-प्रयत्न ।

२-समाधि ।^१

गीता में एक स्थान पर कर्म-कौशल को योग^२ कहा है तो दूसरे स्थान पर समत्वं को योग कहा है ।^३ इस प्रकार योग की सत् कर्म विषयक और समाधि विषयक दोनों प्रकार की व्याख्या मिलती है । धार्मिक-प्रयत्न और समाधि दोनों मोक्ष के हेतु हैं इसलिए दोनों में सर्वथा भेद नहीं है, इसीलिए हरिभद्रसूरि ने मोक्ष से योग कराने वाले समूचे धर्म-व्यापार को योग कहा है ।^४ दशवैकालिक = १४२ में कहा है—मनि को योग करना चाहिए । वहाँ योग का मुख्य-अर्थ भ्रमण-धर्म की आराधना है ।

श्लोक १५

१८-दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होता है (दुहओ वि विरायह ल) :

शंख भी स्वच्छ होता है और दूध भी स्वच्छ होता है । जब शंख के पात्र में दूध रखा जाता है तब दूध पात्र की स्वच्छता के कारण अधिक स्वच्छ हो जाता है । वह न तो भरता है और न खट्टा होता है ।^५

१९-धर्म, कीर्ति और श्रुत (धम्मो किन्ती तहा सुयं ष) :

चूर्णिकार ने इस चरण का अर्थ दो प्रकार से किया है—योग्य व्यक्ति को ज्ञान देने वाले बहुश्रुत के धर्म होता है, कीर्ति होती है और उसका ज्ञान अबाधित रहता है । दूसरे प्रकार से इसका अर्थ है—बहुश्रुत मित्र में धर्म, कीर्ति और श्रुत अबाधित रहते हैं ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

योजनं योगो—व्यापार, स चेह प्रक्रमाद्वर्णगत एव तद्वान्, अतिशायने क्तुप्, यद्वा योगः—समाधि सोऽस्यास्तीति योगवान् ।

२-गीता, २।५० .

योग. कर्मसु कौशलम् ।

३-बही, २।४८

समत्वं योग उच्यते ।

४-योगविशिका-१ .

मोक्षेण ज्ञेयणाओ जोगो सव्वोवि धम्मवाचारे ।

५-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९८ :

‘संज्ञंमि’ संज्ञमायणे पय—स्त्रीरं चिसित्ठ ठवियं न्यस्तमितयथं, उर.पतो दुहतो, संखो स्त्रीरं च, अहवा तओ स्त्रीरं च, स्त्रीरं संखे च परिस्सयति च य अंजिलं भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

‘दुहओवि’ सि ह्याभ्यां प्रकाराभ्यां द्विधा, न शुद्धताविना दधस्रग्निःषुजलक्षणेनैकेनैव प्रकारेण, किःतु स्वसम्बन्ध्याभयसम्बन्धिगुणद्वयलक्षणेन प्रकारद्वयेनापीत्यपिशब्दार्थः, ‘विराजते’ शोभते, तत्र हि न तत्र क्तुधीभवति, न चाम्भतां भजते, नापि च परिलभति ।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९८ .

आयणे देतस्स धम्मो भवति किन्ती वा, सो तहा सुत्तं अबाधितं भवति, अपत्ते देतस्स असुत्तमेव भवति, अथवा इहलोगे परलोगे जसो भवति पत्तवाई (चित्), अहवा एवंगुणजातीयं निवस्सुं वास्तुते भवति, धम्मो किन्ती जसो भवति, सुयं च से भवति ।

श्लोक १६

२०—(कम्बोयाणं क, आङ्गो कन्थए ल) :

'कम्बोयाणं'—कम्बोज (प्राचीन जनपद, जो अब अफगानिस्तान का भाग है) में उत्पन्न अब 'कम्बोज' कहलाते हैं ।^१

'आङ्गो'—आकीर्ण अर्थात् पील, हरी, बल आदि गुणों से व्याप्त—जात्य ।^२

'कन्थए'—सडलडाहट या दास्य-प्रहार से नहीं चीकने वाला श्रेष्ठ जाति का घोड़ा 'कन्थक' कहलाता है ।^३

श्लोक १७

२१—बाघों के घोष से (नन्दिघोसेणं ग) :

बारह प्रकार के बाघों की एक साथ होने वाली ध्वनि या मंगल-पाठकों के आशीर्षचन की ध्वनि को 'नन्दी-घोष' कहा जाता है ।^४

श्लोक १८

२२—साठ वर्ष का (सट्टिहायणं ल) :

साठ वर्ष की आयु तक हाथी का बल प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और उसके बाद में कम होना शुरू हो जाता है । इसीलिए यहाँ हाथी की पूर्ण बलवत्ता बतलाने के लिए साठ वर्ष का उल्लेख किया गया है ।^५

श्लोक १९

२३—अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला (जायस्कन्धे ल) :

'जाय' का अर्थ है—पुष्ट । जिसका कंधा पुष्ट होता है, उसे 'जाय-स्कन्ध' कहा जाता है । जिसका कंधा पुष्ट होता है उसके दूसरे अंगोपाग पुष्ट ही होते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

कंबोतेसु मया कंबोजा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

'कम्बोजानां' कम्बोजदेशोद्भवानां प्रक्रमावस्थानाम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

आकीर्णे गुणेहिं लीलक्यबलावीहि य ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

'कन्थकः' प्रधानोऽम्बो, य किल दृषच्छकलमृतकुतुपनिपतनध्वने न सन्प्रस्यति ।

४—बही, पत्र ३४९

'नन्दीघोषेण' द्वावशतैर्यमिनाहात्मकेन, यद्वा आशीर्षचनानि नाग्नी ऋष्यास्यमिऋषीनि तद्घोषेण बगिकोलाहलात्मकेन ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९९ :

हायण बरिसं, सट्टिबरिते, परं बलहोणो, अयतबलो परेण परिहाति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

सट्टिहायणं—सट्टिबर्षप्रमाण, तस्य हि एतावत्कालं यावत् प्रतिवर्षं बलोपचयः ततस्तदपचय इत्येवमुक्तम् ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

जातः—अत्यन्तोपचितोभूतः स्कन्धः प्रतीत एवास्थेति जातस्कन्धः, समस्ताङ्गोपाङ्गोपचितत्वोपलक्षणं चेतद्, तदुपचये हि शेषाङ्गानुपचितान्येवास्य भवन्ति ।

श्लोक २०

२४-श्लोक २० :

'उवयो'—यहाँ 'उवय' का अर्थ वय प्राप्त पूर्ण युवा है ।^१

'मियाण'—यहाँ 'मृग' का अर्थ जंगली पशु है ।^२ देखिए—उत्तराध्ययन १।५ का टिप्पण ।

श्लोक २१

२५-शङ्ख, चक्र और गदा (संस्त्रचक्रगया ल) :

वासुदेव के शङ्ख का नाम पाञ्चजन्य, चक्र का नाम सुदर्शन और गदा का नाम कौमोदकी है ।^३

लोहे के दण्ड को गदा कहा जाता है । अर्थशास्त्र के अनुसार वह चल-यंत्र होता है ।^४

श्लोक २२

२६-(चाउरन्ते क, चक्रवट्टी ल, चउदसरयण ग) :

'चाउरन्ते'—जिसके राज्य के एक दिगन्त में हिमवान् पर्वत और तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहलाता है । इसका द्वार अर्थ है—हाथी, अश्व, रथ और मनुष्य—इन चारों के द्वारा शत्रु का अन्त करने वाला—नाश करने वाला ।^५

'चक्रवट्टी'—छह खण्ड वाले भारतवर्ष का अधिपति 'चक्रवर्ती' कहलाता है ।^६

'चउदसरयण'—चक्रवर्ती के चौदह रत्न ये हैं—

(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) अश्व, (६) बठई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (९)

(११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड्ग और (१४) दण्ड ।^७

१-(क) उत्तराध्ययन कूर्ण, पृ० १९९

उवयो पथानं शोमनमित्यर्थः, उवयं वयसि वर्त्तमानम् ।

(ख) गृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ .

'उवयः' उत्कट उवयवयः स्थितत्वेन वा उवयः ।

२-गृहद् वृत्ति, पत्र ३४९ :

'मृगाणाम्' आरभ्यप्राणिनाम् ।

३-वही, पत्र ३५० .

शङ्खश्च—पाञ्चजन्यः, चक्र च—सुदर्शन, गदा च—कौमोदकी ।

४-कौटिल्य अर्थशास्त्र, २।१८।३६, पृ० ११० ।

५-गृहद् वृत्ति, पत्र ३५० :

अतसृष्टपि ब्रह्मन्तः—पर्यन्त एकत्र हिमवान्यत्र च विक्रये समुद्र स्वसम्बन्धितयाऽप्येति अतुरन्त', अतुर्मिर्बा—हयगजरचनरा-
त्मकैरन्तः—शात्रुविनाशात्मको यस्य स तथा ।

६-वही, पत्र ३५० :

'चक्रवर्ती' षट्संख्यमरताधिप ।

७-वही, पत्र ३५० .

अतुर्वश च तानि रत्नानि च अतुर्वशरत्नानि, तानि आत्मानि—

सेनाबद्ध गाहाबद्ध पुरोहित्य गद्य तुंगं बद्धहग इत्थी ।

अयकं छत्तं अम्म मणि काकिणी खग बंडो य ॥

श्लोक २३

२७—सहस्र चक्षु वाला (सहस्रक्षे क) :

इसका परम्परागत अर्थ यह है कि इन्द्र के पाँच सौ मन्त्री होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अपनी नीति निश्चित करता है, इसलिए इन्द्र को 'सहस्राक्ष' कहा गया है। जो हजार आँखों से देखता है, इन्द्र अपनी दो आँखों से उससे अधिक देख लेता है, इसलिए वह 'सहस्राक्ष' कहलाता है।^१

२८—पुरों का विदारण करने वाला (पुरन्दरे ख) :

चूर्ण में पुरन्दर की व्याख्या नहीं है। शान्त्याचार्य ने इसका लोक-सम्मत अर्थ किया है—इन्द्र ने पुरों का विदारण किया था, इसलिए वह 'पुरन्दर' नाम से प्रसिद्ध हो गया।^२

पुरं-दर—पुरो को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में दस्युओं या दासों के पुरों को नष्ट करने के कारण इन्द्र को 'पुरन्दर' कहा गया है।^३

श्लोक २४

२६—उगता हुआ (उत्तिष्ठन्ते ख) :

चूर्णिकार ने मध्याह्न तक के सूर्य को उत्थित होता हुआ माना है। उस समय तक सूर्य का तेज बढ़ता है। मध्याह्न के पश्चात् वह घटने लग जाता है।

इसका दूसरा अर्थ 'उगता हुआ' किया गया है। उगता हुआ सूर्य सोम होता है।^४

बृहद् वृत्ति के अनुसार उगता हुआ सूर्य तीव्र नहीं होता, बाद में वह तीव्र हो जाता है, इसलिए 'उत्तिष्ठन्' शब्द के द्वारा बाल सूर्य ही अभिप्रेत है।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९९ .

सहस्रक्षेत्रेति पंच संतिसयाद् देवाणं तस्य, तेसि सहस्रो अक्षीण, तेसि णीतिष् विद्विमिति, अहवा ज सूर्येण अक्षानं बीक्षति तं सो बोहिं अक्षीहिं अमहियतरायं पेच्छति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५० .

लोकोक्त्या च पूर्वार्णान् पुरन्दरः ।

३—ऋग्वेद, ११०२३७, ११०९१८, २१२०१७, ३१५४१५, ५१३०११, ६१९६१४ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २०० .

जाच मञ्जुणो ताव उद्वेति, ताव से तेयलेता वद्वति, पच्छा परिहाति, अहवा उत्तिष्ठन्तो सोमो भवति हेमतियबालसूरिओ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

'उत्तिष्ठन्' उद्गच्छन् 'विषाकर' सूर्य, स हि ऊर्ध्वं नभोभागमाक्रामन्सितेजस्वितां भवते अबतरस्तु न तचोपेवं विमिष्यते, यद्वा उरवानं—प्रथममुदगमनं तत्र चायं न तीव्र इति तीव्रत्वान्नाकस्यापकमेतन्, अन्यथा हि तीव्रोऽयमिति न सम्भग्ं ह्युप्यास्तः स्यात् ।

श्लोक २५

३०—नक्षत्र (नक्षत्र क) :

नक्षत्र सत्ताईस होते हैं । उनके नाम ये हैं—

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिर, (६) आर्द्रा, (७) पुनर्वसू, (८) पुष्य, (९) अश्लेषा, (१०) मघा, (११) पूर्वा-फल्गुनी, (१२) उत्तरा-फल्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विवाहा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा, (१९) मूल, (२०) पूर्वाषाढा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) श्रवण, (२३) धनिष्ठा, (२४) शतभिषक्, (२५) पूर्वाभद्रपदा, (२६) उत्तरभद्रपदा और (२७) रेवती ।

श्लोक २६

३१—सामाजिकों (समुदाय वृत्ति वालों) के (सामाह्याणं क) :

आजकल जैसे सामुदायिक अन्न-भण्डार होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी सामुदायिक अन्न-भण्डार होते थे ।^१ उनमें नाना प्रकार के अनाज रखे जाते थे ।^२ चोर, अग्नि, चूहो आदि से बचाने के लिए उनकी पूर्णतः सुरक्षा की जाती थी ।^३ उन अन्न भण्डारो को 'कोष्ठागार' या 'कोष्ठाकार' कहा जाता था ।^४

श्लोक २७

३२—(जम्बू क, अणाद्वियस्स ग) :

'जम्बू'—जम्बू वृक्ष । इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (बध ४, सूत्र ६०, पत्र ३३०) ।

'अणाद्वियस्स'—अनाहत देव । जम्बूद्वीप का अधिपति व्यन्तर जाति का देव होता है ।^५

श्लोक २८

३३—(सलिला क, सीया नीलवन्तपवहा ग) :

'सलिला'—यहाँ सलिला का प्रयोग नदी के अर्थ में किया गया है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

समाज—समूहस्त समवयन्ति सामाजिकाः—समूहवृत्तयो लोकास्तेषां, पठन्ति च—'सामाह्याणं'ति तत्र च श्यामा—अतसी तवादीनि च तानि अंगानि च उपमोगागतया श्यामाद्य गानि धान्यानि तेषां 'कोष्ठागारे ।

२—वही, पत्र ३५१ .

नाना—अनेकप्रकाराणि धान्यानि—शालिमुद्गादीनि तै प्रतिपूर्णे—मृत नानाधान्यप्रतिपूर्ण ।

३—वही, पत्र ३५१

सुष्ठु—प्राहरिकपुरुषादिव्यापारणद्वारेण रक्षित—पालितो दस्युषिकादिव्य सुगभित ।

४—वही, पत्र ३५१ .

कोष्ठा—धान्यपत्यास्तेषामगार—तवाधारभूतं गृहम्, उपलक्षणत्वादन्यदपि प्रभूतधा.यस्थान, यत्र प्रदीपनकादिमयान धान्य-कोष्ठा क्रियन्ते तत कोष्ठागारमुच्यते, यदि वा कोष्ठान् आ—समन्तान् कुर्वते तस्मिन्निति कोष्ठाकार ।

५—वही, पत्र ३५२

'अनाहतस्य' अनाहतनाम्नो 'देव'जम्बूद्वीपाधिपतेर्व्यन्तरपुरस्य आश्रयत्वेन सावन्धिनी ।

६—वही, पत्र ३५२

सलिलं—अत्त मस्यामन्तीति, अर्थात्देराकृतिगणत्वाच्च सलिला—नदी ।

'सीता नीलकन्तपत्न्या'—नीलवान मेघ पर्वत के उत्तर में अवस्थित कर्णधर पर्वत है। सीता नदी इस पर्वत से प्रवाहित होती है।^१ यह सबसे बड़ी नदी है और अनेक जलाशयों से व्याप्त है।^२

वर्तमान भूगोल-शास्त्रियों के अनुसार—चीनी, तुर्किस्तान के चारों ओर स्थित पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं, जो 'तफलामकान' मरुस्थल की ओर जाती हैं और अन्त में इसी मरुस्थल की राह में सूख जाती हैं। काश्गर नदी और यारकन्द नदी क्रमशः 'तियेन-शान' और पामीर से निकलती हैं। दोनों नदियाँ मिलकर तारिम नदी हुई, जो 'लोमनोर' तक जाती है। भारतीय साहित्य में यही नदी 'सीता' के नाम से प्रख्यात है।^३

पौराणिक विद्वान् नील पर्वत की पहचान आज के काराकोरम से करते हैं। पुराणों के हेमकूट, निषध, नील, श्वेत तथा शृङ्गी पर्वत अन्तर्गत से आज के हिन्दुकुश, मुलेमान, काराकोरम कुबेनलुम तथा तियेनशान हैं।^४

श्लोक २६

३४—मंदर पर्वत (मन्दरे गिरी ऋ) :

मन्दर पर्वत सबसे ऊँचा पर्वत है और वहाँ से दिशाओं का प्रारम्भ होता है।^१ उसे नाना प्रकार की औषधियों और वनस्पतियों से प्रज्वलित कहा गया है। वहाँ विशिष्ट औषधियाँ होती हैं। उनमें से कुछ प्रकाश करने वाली होती हैं। उनके योग से मंदर पर्वत भी प्रकाशित होता है।^२ सूत्रकृतांग की वृत्ति में भी मेघ पर्वत को औषधि सम्पन्न कहा है।^३

काश्मीर के उत्तर में एक ही स्थान या बिन्दु से पर्वतों की यह श्रेणियाँ निकलती हैं। इनके नाम हैं—हिमालय, काराकोरम, कुबेनलुम, तियेनशान, हिन्दुकुश और मुलेमान। इनमें जो केन्द्र-बिन्दु है, उसे पुराणों के रचयिता मेघ-पर्वत कहते हैं। यह पर्वत भू-पद्म की कर्णिका जैसा है।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५२ .

'सीता' सीतानाम्नी, नीलवान्—मेरोरुतरस्यां विनिर्गर्भधरपर्वतस्ततः प्रवहति नीलवत्प्रवहा वा ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २०० .

सीता सख्यवर्षाण महल्ला बहृहिं च जलासतेहिं च भावण्या ।

३—India and Central Asia (by P C Bigchi) p 43

४—वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १६४ ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २००

जहा मन्वरो विरो उस्सिभो विसाभो य अत्य पवतति ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५२ .

'नानौषधिनि' अनेकविधविशिष्टमाहात्म्यवनस्पतिविशेषक्याभिः प्रकर्षेण उच्यते— वीसः नानौषधिप्रज्वलितः, ता ह्यतिशयान्यि-
प्रज्वलस्य एवासत इति सद्योगावसावधि प्रज्वलित इत्युक्त, यद्वा—प्रज्वलिता नानौषधयोःस्मिन्निति प्रज्वलितनानौषधिः,
प्रज्वलितशब्दस्य तु परनिपातः प्राग्बन् ।

७—सूत्रकृतांग, ११६।१२, वृत्ति .

'गिरिधरे से जलिवे मोमे' अतो मणिगिरौषधिभिश्च वेदोप्यमानतया "नील इव" सूचेत इव उच्यते इति ।

८—वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १६४ ।

अध्ययन १२

हरिएसिज्जं

श्लोक १

१—(सोबागकुल क, मुणी ल, हरिएसबलो ग) :

'सोबागकुल'—चाण्डाल-कुल । बृहद् वृत्ति के अनुसार 'श्वपाक' का अर्थ चाण्डाल है ।^१ चूर्णिकार के अनुसार जिस कुल में कुसे का मास पकाया जाता है, वह 'श्वपाक-कुल' कहलाता है ।^२ श्वपाक-कुल की तुलना वाल्मीकि रामायण में वर्णित मुष्टिक लोगों से होती है । वे श्वान-मास-भक्षी, शश के बस्त्रों का उपयोग करने वाले, भयंकर-दर्शन—बिकृत आकृति वाले तथा पुराचारी होते थे ।^३

इस अध्ययन के अनेक श्लोकों की तुलना जासक (संख्या ४९७) के कई श्लोकों से होती है । देखिए—'उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन ।'

'मुणी'—धर्म-अधर्म का मनन करने वाला । चूर्णिकार के अनुसार धर्म-अधर्म का मनन करने वाला मुनि होता है ।^४

बृहद् वृत्तिकार ने सर्व विरति की प्रतिज्ञा लेने वाले को मुनि कहा है ।^५

'हरिएसबलो'—हरिकेशबल । मुनि का नाम 'बल' था और 'हरिकेश' उनका गोत्र था । नाम के पूर्व गोत्र का प्रयोग होता था, इसलिए वे 'हरिकेश-बल' नाम से प्रसिद्ध थे ।^६

श्लोक ४

२—(पन्तोचहिउवगरण ग, अणारिया घ) :

'पत'—प्रान्त्य—जीर्ण और मलिन । जो वस्तु निम्नकोटि की होती है, उसे प्रान्त्य या प्रान्न कहा जाता है । यहाँ यह उपधि और उपकरण से सम्बन्धित है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७ .

श्वपाकः—चाण्डालः ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३ :

शयति श्वसिति वा शवा श्वेन पचतीति श्वपाकः

३—वाल्मीकि रामायण, १।५९।१९,२० ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३ :

समुते मन्यते वा धर्म्मोऽधर्म्मोऽनिति मुनि ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७

मुणति—प्रतिजानीते सर्व्वविरतिमिति मुणि ।

६—बही, पत्र ३५७ .

हरिकेश सर्व्वत्र हरिकेशसद्वैव प्रतीतो बलो नाम—बलान्निधान ।

७—बही, पत्र ३५८ .

प्रान्त्य—जीर्णमलिनत्वादिनिरसारम् ।

'उपश्लिज्यगर्ण'—उपधि और उपकरण । उपधि का अर्थ है—साधु के रखने योग्य वस्त्र आदि । ये धार्मिक शरीर का उपकार करते हैं, इसलिए इन्हें उपकरण कहा जाता है ।^१

'अणारिया'—अनार्य । अनार्य शब्द मूलतः जातिवाचक था । किन्तु अर्थ-परिवर्तन होते-होते वह आचरणवाची बन गया । उत्तम-आचरण वाले को आर्य और अधम-आचरण करने वाले को अनार्य कहा जाने लगा । ब्राह्मणों को यहाँ आचरण की दृष्टि से अनार्य कहा है ।^२

श्लोक ६

३—(दित्तरूवे क, विगराले ल, ओमचेलए पंसुपिसायभूए ग, संकरदूसं परिहरिय घ) :

'दित्तरूवे'—बीभत्स रूप वाला । चूर्णिकार के अनुसार 'कयरे तुम एसिध दित्तरूवे' मूल पाठ है और 'कयरे आगच्छति दित्तरूवे' पाठान्तर है ।^३

यहाँ 'दीप्त' शब्द बीभत्स अर्थ का श्रावक है । जिस प्रकार अत्यन्त जलन वाले फोड़ों के लिए 'शीतल' (शीतला का रोग) शब्द का व्यवहार होना है, उसी तरह विकृत, दुर्दर्श रूप वाले के लिए 'दीप्तरू' का प्रयोग हुआ है ।^४

'विगराले'—विकराल । हरिकेश-बल के दाँत बढे हुए थे । वे बड़े डरावने लगते थे, इसलिए उन्हें विकराल कहा है ।^५

'ओमचेलए'—अधनंगा । ओमचेल का अर्थ—'अचेल' भी हो सकता है किन्तु यहाँ उसका अर्थ 'अल्प या जीर्ण वस्त्र वाला' है ।^६

'पंसुपिसायभूए'—लौकिक मान्यता के अनुसार पिशाच के दाढ़ी, नख और रोए लम्बे होते हैं और वह धूल में सना हुआ होता है । मुनि भी शरीर की सार-सम्हाल न करने और धूल से सने हुए होने के कारण पिशाच जैसे लगते थे ।^७ पाशुपिशाच का अर्थ चुड़ैल भी है ।

'संकरदूसं परिहरिय'—गले में संकर-द्रव्य (उकुरडी से उठाया हुआ चिचडा) डाले हुए । संकर का अर्थ है—तृण धूल राख गोबर आदि कूड़े-ककट का ढेर, उकुरडी । वहाँ वे ही वस्त्र डाले जाते हैं जो अत्यन्त निकृष्ट एवं अनुपयोगी होते हैं । मुनि के वस्त्र भी वैसे ही थे या वे फँकने योग्य वस्त्रों को भी ग्रहण करते थे, इसलिए उनके द्रव्य (वस्त्र) को 'संकर-द्रव्य' कहा गया है ।^८

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४ :

उपवषाति तीर्थं उपधि, उपकरोतीत्युपकरणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८ ।

उपधि —वर्षाकल्पादिः स एव च उपकरण—धर्मशरीरोपष्टम्भेतुरत्येति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

ते पुरोहितसिस्ता अंते जण्णत्थमागता ते अणत्ति- 'कयरे तुम एसिध दित्तरूवे' अन्वयात्ते अन्वयान्न वृत्ति—'कयरे आगच्छति दित्तरूवे' ति ।

४ बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

वोप्लवचन स्वतिबोमत्सोपलक्ष्यम्, अन्धन्तदाहिषु स्फोटकेषु शीतलकथ्यपदेशवत्, विकृततया वा बुर्दर्शमिति दीप्तमिव दीप्तमुच्यते ।

५—वही, पत्र ३५८

विकरालो वन्दुरतादिना मयानक पिशाचवन स एव विकरालक ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४ ।

ओमं नाम स्तोत्रं, अचेलओवि ओमचेलओ भवति, अयं ओमचेलगो असर्वा गत्रावृत्त जीर्णवासो वा ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

पांशुना—रजसा पिशाचवदसूतो—जात पाशुपिशाचभूत, गमकत्वात्समास, पिशाचो हि लौकिकाना दीर्घधमशूनक्षरोमा पुनश्च पांशुनि समवि-वस्त इट, तत सोऽपि निःस्पर्शिकर्मतया रजोदिग्धवेहतया चैवमुच्यते ।

८—वही, पत्र ३५८ :

'संकरे' ति सङ्कर, स चेह दस्तावानृणमस्मगोम्याङ्गाराविमीलक उषकुसुदिकेतिथावन, तत्र वृष्य—वस्त्रं संकरद्रव्यं, तत्र हि यद्यत्यन्तनिकृष्टं निरुपयोगि तल्लौवे कसृष्टयते, ततारतत्रायाग यद्यपि तथोक्तं, तदा उदिभ तधर्मकमेवात्तो वृत्तौतीयेवमभियामम् ।

मुनि अभिग्रहणीये । जो अभिग्रहणीये होते हैं वे अपने वस्त्रों को जहाँ जाते हैं वहाँ साथ ही रखते हैं, कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाते । इसलिए उनके वस्त्र भी उनके साथ ही थे ।^१

ब्रह्म मुनि के कन्धे पर रखे हुए थे । कन्धा कण्ठ का पार्श्ववर्ती भाग है । इसलिए उसे कण्ठ ही मान कर यहाँ कण्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है ।^२

‘परिहर’ यह पहनने के अर्थ में आगमिक धातु है ।

श्लोक ८

४—(तिन्दुरशकलवासी क, अणुकम्पओ ल) :

ब्राह्मणों ने मुनि का तिरस्कार किया किन्तु वे कुछ भी नहीं बोले, शांत रहे । उस समय आबनूस दृक्ष पर रहने वाले दक्ष ने, जो मुनि के तप से आकृष्ट हो, मुनि का अनुगमन करता था, जो चेटाएँ की, वे इस श्लोक में बताई गई है ।^३

‘तिन्दुरशकलवासी’—तिन्दुक (आबनूस) दृक्ष का वासी । चूर्णिकार के अनुसार आबनूस का एक वन था । उसके बीच में एक बड़ा आबनूस का दृक्ष था । उस पर वह दक्ष निवास करता था । उसके नीचे चैत्य था । मुनि उसमें ध्यान करने थे ।^४

‘अणुकम्पओ’—अनुकम्पा करने वाला । अनुकम्पा का अर्थ है—अनुरूप या अनुबल क्रिया की प्रवृत्ति । दक्ष मुनि के प्रति आकृष्ट था, उनके अनुकूल प्रवर्तन करता था, इसलिए उसे ‘अनुकम्पक’ कहा गया है ।^५

श्लोक ६

५—(समणो क, सजओ बम्भयारी क, धणपयणपरिग्गहाओ ल) :

‘समणो सजओ बम्भयारी’—भ्रमण हैं, समयी हैं, इन्द्रचारी हैं । भ्रमण वही होता है जो मयत है । मयत वही होता है जो इन्द्रचारी है ।^६ इस प्रकार इनमें हेतु-हेतुमद्भाव सम्बन्ध है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

स मगवान् अनिस्सिलोपकरणत्वात् यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र सं पंतोववरण षठे ओल्लबेत्तुं गच्छइ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

अत्र कण्ठकपाश्व कण्ठशब्द ।

३—वही, पत्र ३५६

एवमभिशिक्षेऽपि तस्मिन् दुर्जो प्रशमपरतया किञ्चिच्चयत्तपति तत्सामिन्धकारी गण्डीतिन्दुरशकलो यवचेत्त तवाह ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४-२०५

तस्स तिन्दुरशकलस मउक्के महंतो तिन्दुरशकलो, तहि सो मयति वसति, तस्सेव हिट्ठा चेइयं, जत्थ सो साह तितो, सम्भतेण उट्ठितो ।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

‘अणुकम्पओ’ स्ति अनुकम्पओऽनुरूपार्थे ततश्चानुरूपं कम्पते—चेत्त इत्यणुकम्पक—अनुरूपक्रियाप्रवृत्तिः ।

(ल) सुखबोधा, पत्र १७६

‘अनुकम्पकः’—अनुकूलक्रियाप्रवृत्तिः ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ :

धमण ? , य सयत, क संयत ? , यो बह्मचारी ।

'भणपयणपरिग्रहो'—घन व पचन-पाचन और परिग्रह से । गाय आदि क्षुब्ध प्राणियों को घन कहते हैं ।^१ राजस्थान में अब भी यह शब्द इस अर्थ में प्रचलित है । चूर्णिकार ने परिग्रह का अर्थ स्पर्श आदि किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार इसका अर्थ द्रव्य आदि में होने वाली मूर्च्छा—ममत्व है ।^३

श्लोक १०

६—(खज्जइ भुज्जई क, जायणजीविणु ग) :

'खज्जइ भुज्जई'—खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है । यहाँ खाद् और भुज् दो धातुओं का प्रयोग हुआ है । सामान्यतः इन दोनों का प्रयोग खाने के अर्थ में होता है, किन्तु इनमें अर्थ-भेद भी है । चूर्णिकार के अनुसार खाद्य खाया जाता है और भोज्य भोगा जाता है ।^४

बृहद् वृत्ति के अनुसार 'त्वाजा' आदि तले हुए पदार्थ खाद्य हैं और दाल-चावल आदि पदार्थ भोज्य कहलाते हैं ।^५

'जायणजीविणु'—भिक्षा-जीवी । इसका संस्कृत रूप 'याचनजीवनम्' या 'याचनजीविनम्' बनता है । जहाँ 'याचनजीवनम्' माना जाए वहाँ प्राकृत में जो इकार है, वह अलाक्षणिक माना जाए । इसका अर्थ है—याचना के द्वारा जीवन चलाने वाला । इसका वैकल्पिक रूप 'याचन-जीविनम्' है । इसके प्राकृत रूप में द्वितीया विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । याचन-जीवी अर्थात् याचना से जीवन के स्वभाव वाला । 'जायणजीविणु' का पाठान्तर है 'जायण-जीविणु' । इनमें प्रथमा विभक्ति है ।^६

श्लोक ११

७—(एगपक्खं ख, पाण ग) :

'एगपक्खं'—एक-पाक्षिक । यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को दिया जा सकता है । वह ब्राह्मणेतर जातियों को नहीं दिया जा सकता, शूद्रों को तो दिया ही नहीं जा सकता । इस मान्यता के आधार पर उसे 'एक-पाक्षिक' कहा गया है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० -

घन क्षुब्धवादि ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० २०५ -

परिग्रहो—हिरण्णादि ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० :

परिग्रहो इध्याविषु मूर्च्छा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० २०५ -

साहसं खरजति वा भोज्जं भुज्जति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६० -

साधते खण्डसाध्यादि, भुज्यते च भक्तसूपादि

६—वही, पत्र ३६०

'जायणजीविणो' इति याचनेन जीवन—प्राणधारणमस्येति याचनजीवन, आर्षस्वाधिकार, पठ्यते च—'जायणजीविणो' इति, इतिशब्दः इतरूपपरामर्शिक, तत एवं स्वल्प, यतश्चैवमतो मह्यमपि बबन्धयिति भावः, कवाचिदुत्कृष्टमेवास्मै याचत इति तेषामाशयः स्यादत आह, अथवा जानीत सा याचनजीविनि—याचनेन जीवनशीलं, द्वितीयार्थे षष्ठी, पाठान्तरे तु प्रथमा ।

७—(क) उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० २०५ :

एगपक्खं नाम नाम्नाहपणेभ्यो वीयते ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६०

एकः पक्षो—ब्राह्मणलक्षणो यस्य तदेकपक्षः, किमुक्तं नवति ?—यदस्मिन्नुपस्क्रियते न तद्ब्राह्मणव्यतिरिक्तायाध्यारमै वीयते, वियेयतस्तु शूद्राय ।

'पानं'—पान (द्राक्षा का पान) ।^१ देखिए—इश्वरभारतियं (भाग २), ५।१।४७ का टिप्पण, संख्या १५० ।

श्लोक १२

८—(आससाए ऋ, एयाए सद्वाए ग) :

'आससाए'—आशा से । जो अधिक वर्षा होमी तो ऊँची भूमि में अच्छी उमज होगी और कम वर्षा होगी तो नीची भूमि में अच्छी उमज होगी—इस आशा में किसान ऊँची और नीची भूमि में बीज बोते हैं ।^२

'एयाए सद्वाए'—इसी श्रद्धा से । इसी श्रद्धा से मुझे दान दो—चाहे आप अपने को नीची भूमि के समान और मुझे ऊँची भूमि के समान समझें, फिर भी मुझे दान देना उचित है ।^३

श्लोक १३

९—पुण्य (सुपेसलाइं घ) :

सुपेशल का अर्थ श्रेष्ठ या प्रीतिकर किया गया है ।^४ किन्तु यह 'मुआवयाइ' (श्लोक १४) का प्रतिपक्षी है, इसलिए हमने इसका अनुवाद 'पुण्य' किया है ।

श्लोक १८

१०—(उवजोइया क, दण्डेण फलेण ग) :

'उवजोइया'—रसोइया । उपज्योतिष्क का अर्थ है—अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया या यज्ञ करने वाला ।^५

'दण्डेण'—डंडे से । बृहद् वृत्ति में दण्ड का मुख्य अर्थ 'बाम की लाठी आदि मारक-वस्तु' और विकल्प में उसका अर्थ 'कोहनी का प्रहार' किया गया है ।^६ चूर्णि में इसका अर्थ 'कोहनी का प्रहार' किया है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६१ ।

पानं च द्राक्षापानादि ।

२—वही, पत्र ३६१ ।

'आससाए'ति आशासया—यद्यत्यन्तप्रवर्षण भावि तदा स्थलेषु फलाबासिरथान्यथा तदा निम्नेष्वित्येवमभिलाषास्मिकया ।

३—वही, पत्र ३६१ ।

एतदेवैतया—एतदुपमया, कोऽर्थ ?—उत्कल्पकर्मकाशांसातुल्यया 'श्रद्धया' बाछया 'दलाह'ति दबध्वं मह्यं, किमुक्त भवति ?—यद्यपि भवतां निम्नोपमत्वबुद्धिरात्मनि मयि तु स्थलतुल्यताधी तथापि मह्यमपि वास्तुमुचितम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०६

सुदु पेशलाणि सुपेशलाणि, शोभनं प्रीतिकरं वा ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३ ३६४

'उवजोइय'ति ज्योतिष समीपे ये त उपज्योतिषस्त एवोपज्योतिष्का - अग्निसमीपवर्तिनो महान्तिका श्रत्विजो वा ।

६—वही, पत्र ३६४ ।

'दण्डेण' संशयज्याचिना . . यद्वा 'दण्डेने'ति कूर्परामिघातेन ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७ ।

दण्डयतेऽनेनेति दण्ड कोप्पराभिघातः ।

'फलेण'—फल से । चूर्णि में इसका अर्थ 'एडी का प्रहार' किया है ।^१ बृहद् वृत्ति में फल का अर्थ 'बित्व आदि फल' किया है ।^२ समवायांग की वृत्ति में इसका अर्थ—योगभावित मातुलिङ्ग आदि फल—मिलता है ।^३

श्लोक २३

११—(महाजसो क, महाणुभागो क, घोरव्वओ घोरपरक्कमो ख) :

'महाजसो'—जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह 'महादजा' कहलाता है ।^४

'महाणुभागो'—भाग का अर्थ है—'अचिन्त्य शक्ति' । जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे 'महाभाग' (महाप्रभाववाली) कहा जाता है ।^५ चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका अर्थ है—अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ ।^६

'घोरव्वओ'—जो अत्यन्त दुर्वर महाव्रतों को धारण किए हुए हो, उसे 'घोरव्रत' कहा जाता है ।^७

'घोरपरक्कमो'—जिसमें कषाय आदि को जीतने का प्रचुर सामर्थ्य हो, उसे 'घोर-पराक्रम' कहा जाता है ।^८ देखिए—१४१५० के 'घोरपरक्कमो' का टिप्पण ।

श्लोक २४

१२—वैयापृत्य (परिचर्या) (वेयावडिय ग) :

जिससे कर्म का विदारण होता है, उसे 'वेदावडित' कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७

फल तु पाप्नीघात ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४ ।

'फलेन' बित्वादिना ।

३—समवायांग ३०, वृत्ति पृ० ५०

फलेन—योगभावितेन मातुलिङ्गादिना ।

४—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४

तिहृयणविक्रमायजसो महाजसो ।

५ (क) विशेषावश्यक भाष्य, १०६३

भागो चित्तासत्तो, स महाभागो महत्प्रभावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

महानुभाग —अतिशयाचिन्त्यशक्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

अगुभाव नाम शापानुग्रहसामर्थ्यम् ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

'घोरव्रतो' घृतात्यन्तदुर्वरमहाव्रत ।

८—वही, पत्र ३६५ ।

'घोरपराक्रमस्व' कषायाविजय प्रति रौद्रसामर्थ्य ।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

विदारयति वेदारयति वा कर्म वेदावडिता ।

शान्त्वाचार्य ने इसका संस्कृत रूप वैयावृत्य किया है। यहाँ और ३२ वें श्लोक में वैयावृत्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोधी से रक्षा) के अर्थ में हुआ है।^१ वैयावृत्य और वैयावृत्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए—दसवे शालिय (भाग २), ३।६ का टिप्पण, संख्या ३४।

श्लोक २७

१३—(आसीविसो उग्गतवो क) :

'आसीविसो'—आशीविष-लब्धि से सम्पन्न। आशीविष-लब्धि एक योग जाय विभूति है। इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है—यह मुनि आशीविष साँप जैसा है। जो साँप की अबहेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मुनि की अबहेलना करने वाले को भी मरना पड़ता है।^२

तत्त्वार्थ बार्तिक के अनुसार 'आस्याविष' और 'आम्यविष' ये भिन्न-भिन्न लब्धियाँ हैं। उग्र विष से मिश्रित आहार जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए बचनो को सुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निर्विष हो जाते हैं, वे 'आम्यविष' हैं।^३ जिस प्रकृष्ट तपस्वी यति के 'मर जाओ' आदि शपथ से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है, वे 'आस्यविष' हैं।^४

'उग्गतवो'—जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर जीवन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे 'उग्र तपस्वी' कहा जाता है।^५

श्लोक २६

१४—निष्क्रिय (अकम्मचेट्ठे ख) :

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते हैं—

(१) जिनके कार्य की हेतुभूत चेष्टाएँ रुक गई हों।

(२) जिनकी यज्ञ की अग्नि में ईंधन आदि डालने की प्रवृत्ति बंद हो गई हो।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

'वैयावृत्यद्वयाए' सि सूत्रत्वाद्वावैयावृत्यार्थमेतत् प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता मन्वाय इत्येवमर्थम्।

(ख) बही, पत्र ३६८ -

वैयावृत्य—प्रत्यनीकप्रतिधातव्यम्।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६ :

आस्यो—इन्द्रास्तासु विषमस्येत्यासीविष—आसीविषलब्धिमान्, शापानुग्रहसमर्थ इत्यर्थः, यद्वा आसीविष इव आसीविषः, यथाहि तमत्यन्तमवजानानो मृत्युमेवाप्नोति, एवमेतन्मपि धुनिमवमन्यमानानामवश्य भावि मरणमित्याशयः।

३—तत्त्वार्थ राजबार्तिक, पृ० २०३

उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामात्यगतो निर्विषीभवति यदीयास्यनिर्गतवच्च श्वणाद्वा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषाः।

४—बही, पृ० २०३-४ -

प्रकृष्टतपोबला यतयो यं ब्रूयते क्षियतेति स तत्क्षण एव महाविषपरीतो क्षियते, ते आस्यविषाः।

५—बही, पृ० २०३ :

तपोऽतिशयार्थिः ससविषा—उग्र-शील-सह-महा-धोर-तपो-रीरपराक्रम-धोर-ब्रह्मचर्यभेदात्। अतुर्पण्डाष्टमदशमद्वावशापजमासाद्यन-शनयोऽप्यन्यतमयोगमारभ्य आमरणानिर्वर्तका उत्तपसः।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६७ :

अकम्मचेट्ठावच—अविद्यमानव म्महेतुव्यापारतया प्रसारितबाहूकर्मचेष्टास्तान्, यद्वा त्रियःत इति कर्मणि—अप्यो तमित्यशेष-वादीनि सतिवया चेष्टा कर्मचेष्टेह गृह्यते।

श्लोक ३३

१५—(अर्थ क, भूइपन्ना ख) :

'अर्थ'—अर्थ ज्ञेय होता है, इसलिए उसका एक अर्थ—सब वस्तुएँ हो सकता है। किन्तु यहाँ प्रकरण से शुभ-अशुभ कर्मों या राग-द्वेष के फल को 'अर्थ' कहा गया है। अथवा वास्तवो का प्रतिपाद्य—इस अर्थ में भी वह प्रयुक्त हो सकता है।^१

'भूइपन्ना'—भूतिप्रज्ञ। भूति के तीन अर्थ किए गए हैं—मंगल, वृद्धि और रक्षा। जिसकी बुद्धि सर्वोत्तम मंगल, सर्वश्रेष्ठ वृद्धि या सर्वभूत-हिताय प्रवृत्त हो, वह 'भूतिप्रज्ञ' कहलाता है।^२

श्लोक ३५

१६—(पभूयमन्नं क) :

यहाँ प्रचुर अन्न के द्वारा यज्ञ में बने पूजे, खाजे आदि सारे खाद्य पदार्थों को लेने का मुनि से अनुरोध किया गया है। चावल के बने भोजन को सबसे मुख्य माना जाता था। इसलिए पिछले श्लोक में उसके लिए पृथक् रूप से अनुरोध किया है।^३

श्लोक ३७

१७—जाति की कोई महिमा नहीं है (न दीसई जाइविसस कोई ख) :

जैन-दर्शन के अनुसार जातिवाद अनास्तिक है। भगवान् महावीर ने कहा—एक जीव अनेक बार उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ और अनेक बार नीच गोत्र में जन्मा, इसलिए न कोई छोटा है और न कोई बड़ा।^४ मनुष्य अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, कर्मों में क्षत्रिय, कर्मों से वैश्य होता है और कर्मों में शूद्र।^५ मनुष्य की मरुक्षा उसके ज्ञान और आचार से होती है, जाति और कुल से नहीं।^६ भगवान् महावीर ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कौमी भी दुष्प्रवृत्ति करे, श्रेष्ठ है और शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कितना भी तपश्चरण करे, नीच है। वस्तुतः व्यक्ति की उच्चता और नीचता की कौमोटी तप, मयम और पवित्रता है, जाति नहीं। जो जितना आचारवान् है वह उतना ही उच्च है और जो जितना आचार-श्रेष्ठ है वह उतना ही नीच है। वह फिर जाति से ब्राह्मण हो या शूद्र। शूद्र जाति में उत्पन्न होने से

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

अर्थन इत्यर्थो—ज्ञेयत्वात्सर्वमेव वस्तु, इह तु इक्रमाच्छुभाशुभकर्मविभागो रागद्वेषविषाको वा परिगृह्यते, यदा अर्थ—अभिधेयः स चाप्यच्छास्त्राणामेव तम् ।

२—(क) उत्तराध्ययन सूक्ति, पृ० २१० :

भूति मंगलं वृद्धि रक्षा, प्राणर (गेब) ज्ञायते अनपेति प्रज्ञा, तत्र मंगले सर्वमगलोत्तमास्य प्रज्ञा, अनन्तज्ञानवानित्यर्थे, रक्षायां तु रक्षामूलास्य प्रज्ञा सर्वलोकस्य सर्वसत्वानां वा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

भूतिर्मंगलं वृद्धि रक्षा चेति बृहद्, प्रजायतेऽनया वस्तुतस्त्वमिति प्रज्ञा, तत्र च. भूति —मंगलं सर्वमगलोत्तमत्वेन वृद्धिर्वा वृद्धि विशिष्टत्वेन रक्षा वा प्राणिरक्षकत्वेन प्रज्ञा—बुद्धिरस्येति भूतिप्रज्ञः ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६९

'प्रभूत' प्रचुरमन्न—मण्डकखण्डखाद्यादि समस्तमपि भोजनं, यस्मात् पुण्यगोबनप्रहृणं तत्तस्य सर्वान्निप्रधानावबक्ष्यापनार्थम् ।

४—आचारंग, १।२।३।४९ .

से असई उखा-गोए असई जीजा-गोए । जो होणे, जो अइरिसे ।

५—उत्तराध्ययन, २५।३१ ।

६—सुप्रकृतानं, १।१३।११ .

न तस्य आई व कुलं व तानं, नन्तस्य विज्जावरणं सुचिण्णं ।

वह ज्ञान का अधिकारी नहीं, यह भी मान्य नहीं है। ब्राह्मण-परम्परा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शूद्र को वेदों का ज्ञान देना निषिद्ध था। लंका में विलाप करती दुर्द्ध सीता कहती है—“मैं अनार्य रावण को अपना अनुगत वैसे ही अपित नहीं कर सकती जैसे ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र-ज्ञान नहीं दे सकता।”^१ जैन-संघ में दीक्षित होकर जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को साधना करने का अधिकार था, वैसे ही शूद्रों को। हरिकेशवल मुनि उसके एक ज्वलन्त उदाहरण हैं।

श्लोक ३८

१८-बाहर से (जल से) शुद्धि की (मोहिं बहिया ख) :

शोधि का अर्थ है—शुद्धि—निर्मलता।^२ शोधि दो प्रकार की होती है—द्रव्य-शोधि और भाव-शोधि।

मलिन वस्त्रों को पानी से धोना द्रव्य-शोधि है और तप, संयम आदि के द्वारा आठ प्रकार के कर्म-मलों का प्रक्षालन करना भाव-शोधि है।

द्रव्य-शोधि बाह्य-शोधि होती है।^३

श्लोक ४२

१९-(मुम्वृडो पंचहिं संवरोहिं क, वोसट्टकाओ सुहचत्तदेहो ग) :

'मुम्वृडो'—जिसके प्राणातिपात आदि आश्रव-द्वार फूट गए हो, उसे 'मुम्वृत्' कहा जाता है।^४

'पंचाह संवरोहिं'—मवर के पांच प्रकार ये हैं—

- (१) प्राणातिपात-विरति।
- (२) मृपावाद-विरति।
- (३) अदत्तादान-विरति।
- (४) मंथन-विरति।
- (५) पग्निह-विरति।

'वोसट्टकाओ'—जिम्हने विविध या विशिष्ट प्रकार म काया का उत्सर्ग किया हो, उसे 'व्युत्सट्ट-काय' कहा जाता है।^५

१-त्राल्मीकीय रामायण, ५।२८।५।

भावं न चास्याहमनुप्रवाप्तुमलं द्विजो मंत्रमिवाह्विजाय ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७०

'सोहिं' ति शुद्धि निर्मलताम्।

३-उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० २११

दुषिषा सोधी—द्रव्यसोधी भावसोधी य, द्रव्यसोधी मलिनं वस्त्राणि पानीयेन शुद्धयतो, भावसोधी तवसजमावीहि अट्टुविह-कम्ममललित्तो जीवो सोधिज्जति, अद्रव्यसोधी भावसोधी बाहिरियं, जं तं जलेण बाहिर-सोधी।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१।

सुण्डु संवृत.—स्य गितसमस्ताश्रवद्वार सुसवृत।

५-(क) उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० २११

'वोसट्टकाए' विविधमुत्सुट्टो विशिष्टो विशेषेण वा उत्सुट्ट काय—गरीरम्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१।

व्युत्सुट्टो—विशेषेणैविशेषेण वा परीषहोपसर्गसहिष्णुतालक्षणोत्सुट्ट—त्यक्त कायः—गरीरमनेनेति व्युत्सुट्टकाय।

'सुद्वलदेहो'—जो गृहीत द्रवों में दोष न लगाए—अकलुषित द्रव हो, उसे 'शुचि' कहा जाता है।^१

जिसने देह के प्रतिकर्म (संवारने) का त्याग किया हो, उसे त्यक्त किया हो, उसे 'त्यक्त-देह' कहा जाता है।^२

विशेष जानकारी के लिए देखिये—दसवेआलिय (भाग २), १०।१३ का टिप्पण, संख्या ४६।

श्लोक ४६

२०--श्लोक ४६ :

महात्मा बुद्ध ने भी जल-स्नान को धार्मिक महत्त्व नहीं दिया। उन्होंने भी धार्मिक महत्त्व आत्म-शुद्धि को ही दिया है।

इस विषय पर मज्झिमनिकाय का निम्न प्रसंग सुन्दर प्रकाश डालता है^३—

“उस समय सुन्दरिणिक भारत्राज ब्राह्मण भगवान् के अधिदूर में बैठा था। तब सुन्दरिणिक भारत्राज ब्राह्मण ने भगवान् से यह कहा—
क्या आप गौतम स्नान के लिए बाहुका नदी चलेंगे ?

ब्राह्मण ! बाहुका नदी से क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?

हे गौतम ! बाहुका नदी लोकमान्य (=लोक-सम्मत) है, बाहुका नदी बहुत जनो द्वारा पवित्र (=पुण्य) मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में (अपने) किए पापों को बहाते हैं।

तब भगवान् ने सुन्दरिणिक भारत्राज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा—

बाहुका, अविकल, गया, और सुन्दरिका में।

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में।

काले कर्मों वाला मूढ चाहे नित्य नहाए, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ?

(वह) पापकर्मों=कृत किल्बिष दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते।

शुद्ध (नर) के लिए सदा ही फल्गु है, शूद्र के लिए सदा ही उपोसथ है।

शुद्ध और शुचिकर्मों के द्रव सदा ही पूरे होते रहते हैं।

ब्राह्मण ! यहो नहीं, सारे प्राणियों का क्षेम कर।

यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता।

यदि बिना दिया नहीं लेता, (और) श्रद्धावान् मत्सर-रहित है।

(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय (=उदपान) भी तेरे लिए गया है।^३

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २११ :

शुचि अनाशय, अकलुषचित्त इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१

शुचिः—अकलुषचित्तः ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २११

त्यक्तदेह इव त्यक्तदेहो नाम निःप्रतिकर्मशरीरः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१ :

त्यक्तदेहश्च—अन्यतन्निःप्रतिकर्मतया ।

३-मज्झिमनिकाय, १।१।७, पृ० २६।

अध्ययन १३ चित्तसम्भूज्जं श्लोक १

१-निदान (नियाणं ख) :

निदान का अर्थ है—भोग-प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संकल्प । वह आर्णध्यान के चार भेदों में एक है ।^१ विशेष जानकारी के लिए देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० ।

श्लोक ६

२-मृत-गगा (मयंग ग) :

चूर्ण और सर्वार्थसिद्धि के अनुसार गगा प्रति वर्ष नग-नए मार्ग में समुद्र में जाती है । जो मार्ग चिर-स्थित हो—बहने-बहते गगा ने जो मार्ग छोड़ दिया हो—उसे 'मृत-गगा' कहा जाना है ।^२

श्लोक १३

३-प्रासाद (आवसहा ख) :

चूर्ण के अनुसार उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा—इन पाँच भवनों के अनिर्गुण भवन चक्रवर्ती जहाँ चाहना है उसी स्थान में बर्द्धकि रत्न द्वारा नेयाग हो जाते हैं ।^३

श्लोक १४

४-नाट्य (नट्टेहि क) :

शान्त्याचार्य ने नट्ट की व्याख्या नाट्य और नृत्य इन दोनों रूपों में की है । जिसमें बलीम पात्र हो, वह 'नाट्य' होता है । जिसमें अंगहार (अगविक्षेप) की प्रचणता हो, वह 'नृत्य' होता है ।^४

भारतीय नृत्य के तीन विभाग हैं—नाट्य, नृत्य और नृत्त ।

नाट्य—किसी रस-मूलक अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं । नाट्य के आठ रस होते हैं—शृङ्गार, हास्य, करुण, वीर, रोद, भयानक, वीभत्स और अद्भुत । नवाँ शान्तरस नाट्य में नगण्य है । रस का आधार है भाव । भाव के उदीप्त होने पर रस की सृष्टि होती है ।

१-सत्त्वार्यसूत्र, १।३३ ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २१५

मत्तगंगा — हेट्टामूर्तीए गगा, अण्णमण्णेहि मग्गेहि जेण पुत्थ बोद्धणं पच्छा ण वहति सा मत्तगगा मण्णति ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पृ० २६१

गंगा चिसति पाथोधि, बर्णे बर्णे पराध्वना ।

बाहस्तत्रचिराम त्यक्ती, मृतगंगेति कथ्यते ॥

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २१६

आवसति तेज्जित्यावसहा, ते ख नान्यमवतप्रकारा, सव्वे ते, कामकमा नाम धम्म रोचते तत्र अवसति ।

४-कृद् कृत्ति, पत्र ३०६ :

'नट्टेहि' ति द्वात्रिंशत्पान्त्रोपलक्षितेर्नाट्यैर्नृत्यैर्वा—विभिधाङ्गहाराविस्वरूपे ।

नाट्य की अवस्थानुकृति चार प्रकार के साधनों से होती है—

- (१) आंगिक—हाथ-पैर का संचालन । इसके अन्तर्गत मुद्राएँ हैं ।
- (२) वाचिक—स्वर, वाणी तथा भाव का अनुकरण ।
- (३) आहार्य—वेषभूषा का अनुकरण ।
- (४) सात्त्विक—सात्त्विक भावों का अनुकरण ।

सात्त्विक भाव आठ हैं—

- (१) स्तम्भ—अंग-संचालन शक्ति का लोप होना ।
- (२) प्रलय—संज्ञा का लोप होना ।
- (३) रोमाञ्च—रोगटे खड़े होना ।
- (४) स्वेद—पसीना छलकना ।
- (५) वैवर्ण्य—रंग बदलना ।
- (६) वेपथु—कपकपी ।
- (७) अभ्रु— आँसू बहाना ।
- (८) वैस्वर्य—स्वर विकृत होना ।

नृत्य—भाव-मूलक अवस्थानुकृति को 'नृत्य' कहते हैं । भाव मन के विकार को कहते हैं । भाव दो प्रकार के होते हैं—

- (१) स्थायीभाव ।
- (२) संचारीभाव ।

स्थायीभाव हृदय पर देर तक अंकित रहते हैं । संचारीभाव तरंगों की भाँति थोड़े काल के लिए उठते हैं । इनकी संख्या तेतीस कही गई है ।

नृत्त—लय तथा तालमूलक अवस्थानुकृति को 'नृत्त' कहते हैं । नृत्य और नृत्त मूक होते हैं । इनमें वाचिक साधन का प्रयोग नहीं होता । मूक नृत्य की भाषा अनुभाव (सात्त्विक-भाव) और मुद्राएँ हैं । नृत्य द्वारा भाव-प्रदर्शन होता है और नृत्त द्वारा लय और ताल-प्रदर्शन होता है ।

श्लोक ३४-३५

५—श्लोक ३४-३५ :

'अनुत्तर'—अनुत्तर शब्द दो श्लोकों में चार बार प्रयुक्त है । चौतीसवें श्लोक में वह काम-भोग और नरक का विशेषण है । पैंतीसवें में वह संयम और सिद्धि-गति का विशेषण है । अनुत्तर का अर्थ है—प्रकृष्ट । ब्रह्मदत्त के काम-भोग प्रकृष्ट थे, इसलिए वह भर कर प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट दुःखमय) नरक में उत्पन्न हुआ ।

स्थानांग में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भर कर सातवीं पृथ्वी अप्रतिष्ठान नामक नरक में गया ।^१

चित्र का संयम प्रकृष्ट था, इसलिए वह प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट सुखमय) सिद्धि-गति में गया ।

१—स्थानांग, २।४।११२ ।

हो अक्षवट्टी अपरिचितकामभोगा कालमासे कालं किञ्चा अहेतुसमाए पुव्वीए अयइहाणे जरए नेरइसाए उववन्ना तंजहा—सुबुद्धे वेव अंमरसे वेव ।

अध्ययन १४

उसुयारिज्जं

श्लोक १

१—(एगविमाणवासी ल) :

ये पद्मगुल्म नामक एक ही विमान में रहने थे, इसलिए इन्हें 'एक विमानवासी' कहा गया है ।^१

श्लोक २

२—अपने पुण्य कर्म बाकी थे (सकम्मसेसेण क) :

पुनर्जन्म के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है। अपने किए हुए कर्म जब तक शेष रहते हैं तब तक जीव को जन्म लेना ही पड़ता है। इन छहों व्यक्तियों के पुण्य-कर्म शेष थे, इसलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ।

श्लोक ४

३—(बहिर्विहार ल, कामगुणे विरत्ता ष) :

'बहिर्विहार'—बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष। मोक्ष समार के बहार है—उससे भिन्न है, इसलिए उसे 'बहिर्-विहार' कहा जाता है ।^२

'कामगुणे विरत्ता'—शब्द आदि इन्द्रियों के विषय कामनाओं को उन्नेजित करते हैं, इसलिए ये 'काम-गुण' कहलाते हैं।

दूसरे श्लोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए। यहाँ 'कामगुणे-विरत्ता' की व्याख्या में बताया गया है कि काम-गुणों की विरक्ति का अर्थ ही जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में जाना है ।^३

श्लोक ८-९

ब्राह्मण^४ और स्मृति शास्त्र^५ का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३९६

एकस्मिन् पद्मगुल्मनाम्नि विमाने वसन्तीत्येवशीला एकविमानवास्ति ।

२—बही, पत्र ३९७ .

बहि संसाराद्विहार —स्थान बहिर्विहार, स धार्थान्मोक्ष ।

३—बही, पत्र ३९७ .

अत्र कामगुणविरक्तिरेव जिनेन्द्रमार्गप्रतिपत्ति ।

४—ऐतरेय ब्राह्मण, ७।३ .

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति ।

५—मनुस्मृति, ६।३६, ३७

अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

अनधीत्य द्विजो देवाननुत्पाद्य तथा मुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्प्रजस्यथ ॥

बिना मोक्ष की इच्छा करता है, वह नरक में जाता है, इसलिए वह विधिवत् वेदों को पठ कर, पुत्रों को उत्पन्न कर और यज्ञ कर मोक्ष में मन लगाए—संन्यासी बने। पुरोहित ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण जन्म से ही तीन ऋणों—पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण और देव ऋण—को साथ लिए उत्पन्न होता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए यज्ञ, याग आदि पूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रथा करने वाले लोग भूल में मिल जाते हैं।^१

स्मृतिकारों के अनुसार पितृ-ऋण मत्नानोत्पत्ति के द्वारा, ऋषि-ऋण स्वाध्याय के द्वारा और देव ऋण यज्ञ आदि के द्वारा चुकाया जा सकता है।

महाभारत (शान्तिपर्व, मोक्ष धर्म, अध्याय २७७) में एक ब्राह्मण और उसके मेधावी नामक पुत्र का संवाद है। पिता मोक्ष-धर्म में अकुशल और पुत्र मोक्ष-धर्म में विचक्षण था। उसने पिता से पूछा—“तात ! मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किम धर्म का अनुष्ठान करे ? पिता ! यह सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए, जिसमें मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूँ ?”

पिता ने कहा—“बेटा ! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-आश्रम में रह कर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहाँ विधि-पूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत् अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ-कर्म का सम्पादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे।”

स्मृति ग्रन्थों में ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुन-पुन विधान मिलता है।^२

श्लोक ८

४-(मुणीण क) :

टीकाकारों के अनुसार यह कुमारों का विशेषण है। यहाँ भावी मुनि को 'मुनि' कहा गया है।^३ किन्तु जिन मुनियों को देख कर कुमारों को प्रव्रजित होने की प्रेरणा मिली, उनके तपोमार्ग का व्याघात करना पुरोहित के लिए इष्ट था, इसलिए मुनि शब्द के द्वारा उन मुनियों का भी ग्रहण किया जा सकता है।

श्लोक ६

५-अरण्यवामी (आरण्यागा घ) :

ऐतरेय, कौषीतकी और नैत्तरीय—ये शास्त्र 'आरण्यक' कहलाते हैं। इनमें वर्णित विषयों के अध्ययन के लिए अरण्य का एकान्तवास आवश्यक था, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। अरण्य में रह कर माधना करने वाले मुनि भी आरण्यक कहलाते थे।

श्लोक १७

६-श्लोक १७ :

'धन के लिए धर्म नहीं करना चाहिए और धन में धर्म नहीं होना'—इस जैन-दृष्टि में परिचित कुमारों ने जो कहा वह धर्म के उद्देश्य के सर्वथा अनुरूप है। प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य यह है कि धर्म के क्षेत्र में आत्मा के पवित्र आचरणों का ही महत्त्व है, धन, स्वजन और

१-बौधायन धर्मसूत्र, २।६।१।३३-३४।

२-मनुस्मृति, ३।१३१. १-६, १८७।

३-गृह्य सृति, पत्र ३९८ :

'मुष्यो.' भावत प्रतिपन्नमुनिभावयोः।

काम-गुणों का कोई महत्त्व नहीं है। शान्त्याचार्य ने इस विचार के समर्थन में 'वेदेयुक्तं' लिख कर एक वाक्य उद्धृत किया है—'न सन्तान के द्वारा, न धन के द्वारा किन्तु अकेले त्याग से ही लोगों ने अमृतत्व को प्राप्त किया है'—'न प्रजया न धनेन त्यागैर्नेकनामृतत्वमानसु ।'^१

'गुणोह'—चूर्ण में गुणोघ से अठारह हजार शीलांग^२ और टीका में सम्यक् दर्शन आदि गुण-समूह का ग्रहण किया गया है।^३

'बहिर्विहारा'—इसका द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अर्थ किया गया है। द्रव्य-दृष्टि से बहिर्विहार का अर्थ है 'नगर आदि के बाहर रहने वाला' और भाव-दृष्टि से इसका अर्थ है 'प्रतिबन्ध रहित विहार करने वाला'।^४

श्लोक १८

७-श्लोक १८ :

धर्माचरण का मूल आत्मा है। पुरोहित ने सोचा यदि मेरे पुत्र आत्मा के दिव्य में सदिग्ध हो जाएँ तो इनमें मुनि बनने की प्रेरणा रक्त समाप्त हो जायेगी। उसने इस भावना से आत्मा के नास्तित्व का दृष्टिकोण उपरिधत्त करते हुए जो कहा, वही इस श्लोक में है।^५

'असतो'—तत्त्व की उत्पत्ति के दिव्य में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं—

(१) सद्वाद।

(२) असद्वाद।

असद्वादियों के अभिमत में आत्मा उत्पत्त से पूर्व असत् होती है। कारण-सामग्री मिलने पर वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अवस्थित नहीं रहती—जन्म जन्मान्तर को प्राप्त नहीं होती।^६

श्लोक १९

८-श्लोक १९ :

प्राणिकों ने अस्मिन्त में सर्वथा अस्मत् की उत्पत्ति होती ही नहीं। उत्पन्न वही होता है, जो पहले भी और पीछे भी है। जो पहले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१।

२-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २०५ :

गुणोहो—अष्टारस शीलांगसहस्राणि।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१

गुणोघ—सम्यग्दर्शनाविगुणसमूहम्।

४-वही, पत्र ४०१

बहिः—ग्रामनगरादिभ्यो बहिर्वर्तितात्वाद् इत्यतो सावतस्य बहिर्विहारात्प्रतिबन्धात् विहार—विहरणं यथोक्तौ बहिर्विहारौ अप्रतिबन्धविहारावितियावत्।

५-वही, पत्र ४०१

आत्मास्तित्वमूलत्वात्सकलधर्मानुष्ठानस्य तन्निराकरणायाह पुरोहितः।

६-वही, पत्र ४०१-४०२ :

'सत्त्वा' प्राणिन 'समुच्छंति' स्ति समुच्छंति, पूर्वमसत्त एव शरीराकारपरिणतसूक्ष्मद्रव्यत उत्पद्यन्ते, तथा चाहुः—

"वृत्तिध्यायस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, एतेभ्यस्त्वैतन्व, मद्यांभ्यो भवतास्तिवत्," तथा 'नासह' स्ति नश्यन्ति—अभ्रपटलवत्प्रलयमुप-

धासन्ति 'नाबन्धि' स्ति न पुन. अबन्धिच्छन्ते—शरीरमात्रे सति न क्षणमप्यवस्थितिमात्रो भवन्ति।

भी नहीं होता, पीछे भी नहीं होता, वह बीच में भी नहीं होता।^१ आत्मा जन्म से पहले भी होती है और मृत्यु के पश्चात् भी होती है, इसलिए वर्तमान शरीर में उसकी उत्पत्ति को असत् की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता।

नास्तिक लोग आत्मा को इसलिए असत् मानते हैं कि जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसको अनवस्थित इसलिए मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता। इसका कारण यह है कि आत्मा न तो शरीर में प्रवेश करते समय दीक्षती है और न उससे बिछुड़ते समय भी। पिता के इस प्रतिपादन का प्रतिवाद कुमारों ने इन शब्दों में किया—आत्मा नहीं दीक्षती इतने मात्र से उसका नास्तित्व नहीं माना जा सकता। इन्द्रियों के द्वारा मूर्त-द्रव्य ही जाने जा सकते हैं। आत्मा अमूर्त है इसलिए वह इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है, किन्तु मन के द्वारा प्राप्त है। प्रस्तुत श्लोक में—आत्मा है, वह नित्य है, उसके कर्म का बन्ध होता है और बन्ध के कारण वह बार-बार जन्म और मृत्यु का वरण करती है—आस्तिकता के आवारभूत चार तथ्यों का निरूपण है।

‘नो इन्द्रिय’—चूर्ण में ‘नो-इन्द्रिय’ को एक शब्द माना है इसलिए उसके अनुसार इसका अर्थ मन होता है^२ और टीका में ‘नो’ और ‘इन्द्रिय’ को पृथक्-पृथक् माना है।^३

‘अज्मत्स्य’—अध्यात्म का अर्थ है ‘आत्मा में होने वाला’। मिथ्यात्व आदि आत्मा के आन्तरिक दोष हैं इसलिए उन्हें ‘अध्यात्म’ कहा जाता है।^४ सूत्रकृतांग में क्रोध आदि को ‘अध्यात्म-दोष’ कहा है।^५

श्लोक २१

६-अमोघा (अमोहाहिं ग) :

अमोघ का शाब्दिक-अर्थ अव्यर्थ—अचूक है। किन्तु यहाँ अमोघा का प्रयोग रात्रि के अर्थ में किया गया है। महाभारत में इसका अर्थ दिन रात किया है।^६ चूर्णिकार ने एक प्रश्न खड़ा किया है—अमोघा का अर्थ रात ही क्यों? क्या कोई दिन में नहीं मरता? इसके समाधान में उन्होंने बताया है—यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को रात कहा जाता है, जैसे दिन की समाप्ति रात में होनी है वैसे ही जीवन

१-(क) आचारंग, १।४।४।४६

जस्सनत्थि पुरापण्णा मज्जे सत्त कओसिया ।

(ख) माध्यमिककारिका, ११४२

नैवाद्यं नाबरं यस्य, तस्य मध्यं कुतो भवेत् ।

(ग) माध्वक्यकारिका, २।६

आवाबन्ते च यन्मारित वर्तमाने पि तन् तथा ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २२६ :

नोइन्द्रियं मनः ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०२ .

‘नो’ इति प्रतिबन्धे इन्द्रियैः—श्रोत्रादिभिर्ग्राह्यैः—सर्वेषु इन्द्रियग्राह्यैः ।

४-बही, पत्र ४०२ :

अध्यात्मराज्येन आत्मस्था मिथ्यात्वाद्य इहोच्यन्ते ।

५-सूत्रकृतांग, १।६।२५ :

कोर्हं च मायं च तद्देव मायं, लोमं चतस्रं अज्मत्स्यवोसा ।

६-महाभारत, शांतिपर्व, २७७।९ ।

की समाप्ति मृत्यु में होती है।^१ काल-प्रवाह के अर्थ में उत्तराध्ययन में रात्रि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में मिलता है।^२ जहाँ रात होती है, वहाँ दिवस अवश्य होता है, इसलिए शान्दाचार्य ने अमोघा में दिवस का भी ग्रहण किया है।^३

श्लोक २६

१०—(पच्छा ग, गमिस्सामो ग) :

'पच्छा'—पश्चात् शब्द के द्वारा पुरोहित ने आश्रम व्यवस्था की ओर पुत्रों का ध्यान खींचने का यत्न किया है।^४ इसकी व्याख्या के शब्द सहसा कालिदास के इस बालोक की याद दिला देते हैं—

गौशबेभ्यस्तविद्यानां, यौवने विषयैविषाम् ।

वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां, योगेनास्ते तनुत्यजाम् ॥ (रघुवंश, १।८)

पिता के कहने का अभिप्राय था कि हम लोग बुढ़ापे में मुनि बनेंगे।

'गमिस्सामो'—यह अनियत-वास का संकेत है। चूर्णिकार ने यहाँ गाँव में एक रात और नगर में पाँच रात रहने का उल्लेख किया है।^५

श्लोक २८

११—भोग हमारे लिए अप्राप्त नहीं है—हम उन्हें अनेक बार प्राप्त कर चुके हैं (अणागय नेत्र य अत्थि किंचि ग) :

आत्मा को पुनर्-भवि मानने वालों के लिए यह एफ बहुत बड़ा तथ्य है। लोग कहते हैं—यह दीक्षित हो रहा है, इसने संसार में आकर क्या देखा है, क्या पाया है? इसे अभी घर में रहना चाहिए। इस बात का उत्तर कुमारो ने आत्मवाद के आधार पर दिया है। उन्होंने कहा—अनादि-काल से संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पदार्थ को प्राप्ति के लिए उसे घर में रहना आवश्यक नहीं है।^६

जहाँ मृत्यु न पहुँच पाए वैसे कोई स्थान नहीं है—यह इसका दूसरा अर्थ है।^७

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २२७ ।

अमोघा रयणी, कि दिवसतो ण मरति ? उच्यते—लोकसिद्धं यमरतीति (रति) बाहरती य, अहवा सो न दिवसे विजा (रतीए) तेण रती मण्णति, अचच्छिन्नात्वाद्वा णियमा रती, कहं मारेती ?

२—उत्तराध्ययन, १०।१, १४।२३-२५ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०३ :

अमोघा 'रयणि' स्ति रजन्य उक्ता, दिवसाविनाभावित्वात्तासां दिवसाश्च ।

४—वही, पत्र ४०४ ।

'पश्चाद्' यौवनावस्थोत्तरकालं, कोऽर्थ ?— पश्चिमे षयसि ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३७

गमिस्सामो, अणियसबासी गामे एगरातीओ गगरे पंचरातीयो ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०४

'अनागतम्' अप्राप्त नैव चास्ति किंचिदिति मनोरथमपि विषयसौख्यादि अनाद्यो संसारे सर्वस्य प्राप्तपूर्वकालतो न तदर्थमपि गृहावस्थानं युक्तमिति साध ।

७—वही, पत्र ४०४ :

यद्वाज्जागत यत्र मृत्योरगततिर्नास्ति तन्न किंचित्त्वानमस्ति ।

श्लोक २६

१२—हे वाशिष्ठि ! (वासिष्ठि ! ख) :

गोत्र से सम्बोधित करना गौरव सूचक समझा जाता था, इसलिए पुरोहित ने अपनी पत्नी को 'वाशिष्ठि' कह कर सम्बोधित किया ।^१
देखिए—दसवेआलिय (भाग २), ७।१७ का टिप्पण, सख्या २१ ।

श्लोक ४१

१३—विषय-वासना से दूर (निरामिसा ग) :

इस श्लोक में 'निर' के साथ और ४६ वें श्लोक में 'स' और 'निर' के साथ तथा स्वतंत्र रूप में और ४६ वें श्लोक में 'निर' के साथ—इस प्रकार आमिष शब्द का छह बार प्रयोग हुआ है । ४६ वें श्लोक के प्रथम दो चरणों में वह मास के अर्थ^२ में तथा उप स्यात्तों में आमन्ति के हेतुभूत काम-भोग या धन के अर्थ^३ में प्रयुक्त हुआ है ।

बौद्ध-साहित्य में भी धन या भोग के अर्थ में आमिष शब्द का प्रयोग हुआ है ।^४ देखिए—उत्तरज्भयण, ८।५ का टिप्पण, सख्या ६ ।

१४—(परिग्रहारम्भनियत्तदोषा घ) :

जो आरम्भ और परिग्रह के दोष से निवृत्त हो गई हो उस स्त्री का विशेषण 'परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता' होता है । शान्त्याचार्य ने बौद्धिक रूप में 'परिग्रहारम्भनिवृत्ता' और 'अदोषा' ये दो विशेषण भी माने हैं ।^५

श्लोक ४४

१५—वायु की तरह अप्रतिबद्ध विहार करते हैं (लघुभूयविहारिणो ख) :

वायु की तरह विहार करने वाला अथवा समय पूर्वक विहार करने वाला 'लघुभूत विहारी' कहलाता है ।^६ मिलाइए - दसवेआलि-
(भाग २), ३।१० का टिप्पण, सख्या ४६ ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०५

वासिष्ठि ।—वशिष्ठगोत्रोद्भवे, गौरवख्यापनार्थं गोत्रामिधानम् ।

२—वही, पत्र ४१० :

सहामिषेण—पिशितरूपेण वर्तत इति सामिष ।

३—(क) वही, पत्र ४०९ :

निष्कान्ता आमिषाद्—गृद्धिहेतोरभिलषितविषयादे ।

(ख) वही, पत्र ४१०

'आमिषम्' अनिष्कान्तेषु धनवाच्यादि ।

४—सञ्जिमनिकाय, २।२।१०, पृ० २७८ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०९ :

निवृत्ता—उपरता परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता, यद्वा परिग्रहारम्भनिवृत्ता अतएव चादोषा — विकृतिविरहिता ।

६—वही, पत्र ४१० :

लघुः—वायुस्तद्वद्भूत—सवनमेवां लघुभूता, कोऽर्थः ?—वायुपमा. तथाविधा सती विहर-तीःवेदकीला. लघुभूतविहारिणः—
अप्रतिबद्धविहारिण इत्यर्थः, यद्वा लघुभूत—संयमस्तेन विहर्तुं शील देवां ते तथाविधाः ।

श्लोक ५०

१६-घोर पराक्रम करने लगे (घोरपरक्रमा ण) :

तप के अतिशय की ऋद्धि सात प्रकार की बतलाई गई है। उसका छटा प्रकार 'घोर पराक्रम' है। ज्वर, सन्निपात आदि महा-अर्बकर रोगों के होने पर भी जो अमशान, काया-क्लेश आदि में मन्द नहीं होते और मयानक वमशान, पहाड की गुफा आदि में रहने के अभ्यासी हैं वे 'घोर तप' हैं। ये ही जब तप और योग को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब 'घोर पराक्रम' कहे जाते हैं। यह व्याख्या तत्त्वार्थ राजवार्तिक में प्राप्त होती है।^१ पञ्चासवें श्लोक के अन्तिम दो चरणों के अनुसार यह उपयुक्त प्रतीत होती है। 'तब पणिष्कःश्रुक्साय घोर घोरपरक्रमा' इसमें घोर तप की भावना निहित है और 'घोर परक्रमा' उसी का अग्रिम रूप है। चूर्ण और टीका में इनका केवल शाब्दिक अर्थ मिलता है।

श्लोक ५२

१७-(सासणे विगयमोहाणं ऋ, पुर्वि भावणभाविषा ण) :

इन ६ जीवों ने पूर्व जन्म में जैन-शासन में दीक्षित होकर अनित्य, अशरण आदि भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया था। इन चरणों में उसी तप्य की सूचना दी गई है।^२

१-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०३।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१२।

अध्ययन १५

सभिवखुयं

श्लोक १

१-(मोष क, सहिए ख) :

‘मोष’—मुनि-व्रत का । जो त्रिकालावस्थित जगत् को जानता है, उसे ‘मुनि’ कहा जाता है । मुनि के भाव या कर्म को मोन कहा जाता है । मोन का बहुप्रचलित अर्थ वचन-गुति है । किन्तु यहाँ उसका अर्थ—समग्र मुनि-व्रम है ।^१

‘सहिए’—इसका शब्दार्थ है—युक्त ।

हमने इसका अर्थ ‘जो दूसरे भिक्षुओं के साथ रहता है’ किया है ।

चूर्णि - ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से युक्त ।^२

बृहद् वृत्ति - (१) सम्यग्-दर्शन आदि से युक्त, (२) दूसरे साधुओं से युक्त ।^३ इसका दूसरा सम्बन्ध का ‘स्वहित’ भी किया गया है ।^४

सुखबोधा—अन्य साधुओं से समेत ।

आचार्य नेमिचन्द्र यहाँ एकल-विहार का प्रतिषेध बतलाते हैं । साधुओं को एकाकी विहार नहीं करना चाहिए—इस तथ्य की पुष्टि में उन्होंने एक गाथा उद्धृत की है—

एगामियस्स बोसा, इत्थी साणे त्थेव पडिणीए ।

निकससितोहिमहब्बय, तम्हा सेविज्ज बोगमजं ॥

अर्थात् एकाकी रहने से—

(१) स्त्री प्रसंग की सम्भावना रहनी है ।

(२) कुत्ते आदि का भय रहता है ।

(३) शत्रु का भय रहता है ।

(४) भिक्षा की विमृद्धि नहीं रहती ।

(५) महाव्रतों के पालन में जागरूकता नहीं रहनी, अतः एकाकी न रह कर साथ में रहना चाहिए ।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४ :

मन्यते त्रिकालावस्थितं जगदिति मुनिः, मुनिभावो मोनम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

मुनेः कर्म मोनं तज्ज सम्यक्चारित्रम् ।

(ग) सुखबोधा, पत्र २१४ ।

मोनं धामण्यम् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४

ज्ञानदर्शनचारित्रतपोभि ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ .

‘सहित’ सम्यग्दर्शनादिभिरन्यसाधुभिर्बन्धि गम्यते ।

४-बही, पत्र ४१४ .

स्वस्मै हितः स्वहितो वा सबनुष्ठानकरणतः ।

५-सुखबोधा, पत्र २१४ ।

इसी अध्ययन के पाँचवें श्लोक के चौथे चरण में 'सहित' पद प्रयुक्त हुआ है। वहाँ गान्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

- (१) सम्यग्-ज्ञान और क्रिया से युक्त।
- (२) हित-युक्त।^१

पन्द्रहवें श्लोक में भी इसका प्रयोग हुआ है।

२—जों वासना के संकल्प का छेदन करता है (नियामछिन्ने ॥) :

निदान का अर्थ है—किसी व्रतानुष्ठान की फल-प्राप्ति के लिए मोहाविष्ट-संकल्प, जैसे—मेरे साधुपन का यदि फल हो तो मैं देव बनूँ, धनी बनूँ आदि-आदि।^१ साधक के लिए ऐसा करना निषिद्ध है।

गान्त्याचार्य ने निदान के दो अर्थ किए हैं—

- (१) विषयो की आसक्ति।
- (२) प्राणातिपात आदि कर्म-व्रतन का कारण।^२

मयुक्त पद 'नियामछिन्ने' का अर्थ 'अप्रमत्त-मयत' किया गया है।^३

३—परिचय का (संथवं ॥) :

इसके दो अर्थ हैं—स्तुति और परिचय। चूर्णिकार और टीकाकारों को यहाँ 'परिचय' अर्थ ही अभीष्ट है।

चूर्णिकार के अनुसार सस्तव दो प्रकार का है—

- (१) संवास-संस्तव।
- (२) वचन-संस्तव।

असाधु व्यक्तियों के साथ रहना 'संवास-संस्तव' है और असाधु व्यक्तियों के साथ आलाप-मलाप करना 'वचन-संस्तव' है।^४

अध्ययन २१ श्लोक २१ में संस्तव के प्रकारान्तर से दो भेद किए हैं—

- (१) पूर्व-संस्तव।
- (२) पश्चात्-संस्तव।

पितृ-पक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व-संस्तव' और ससुर-पक्ष, मित्र आदि का सम्बन्ध 'पश्चान्-संस्तव' कहा जाता है।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ -

सहित. सम्यग्ज्ञानक्रियाभ्यां, यद्वा सह हितेन—आयतिपथ्येन अर्थावनुष्ठानेन वर्तते इति सहित।

२—वही, पत्र ४१४ :

निदानं—विषयाभिज्ञात्मक, यच्च वा निदानं—प्राणातिपातादिकर्मवचकारणम्।

३—वही, पत्र ४१४

छिन्ननिदानो वा अप्रमत्तमयत इत्यर्थः।

४—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३४-२३५

संस्तवो द्विविधः—संवाससंस्तव वचनसंस्तवश्च, अशोभने सह संवास, वचनसंस्तवश्च नेषामेव।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८७

संस्तवस्य पूर्वपश्चात्संस्तवस्यो।

४-जो काम-भोगों की अभिलाषा को छोड़ चुका है (अकामकामे ग) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'मोक्ष की कामना करने वाला' किया है ।^१ शान्त्याचार्य के अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं—इच्छाकाम और भवनकाम । जो इन दोनों की कामना नहीं करता, वह 'अकामकाम' है ।^२

विकल्प में उन्होंने चूर्णिकार का अनुसरण किया है ।^३

श्लोक २

५-(राजोवरयं चरेज्ज क, वेयवियाऽऽयरक्खिए ल, पन्ने ग) :

'राजोवरयं चरेज्ज'—राजोवरय के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—

(१) रागोपरतम् ।

(२) रात्रि-उपरतम् ।

प्रथम रूप के अनुसार शान्त्याचार्य ने इस वाक्य का अर्थ 'राग (मैथुन) से निवृत्त होकर विहरण करे' और दूसरे रूप के अनुसार 'रात्रि-भोजन से निवृत्त होकर विहरण करे' किया है ।^४

चूर्णिकार ने 'रात्रि-उपरत' के अनुसार इसका अर्थ 'रात्रि में भोजन न करे, रात्रि में गमन आदि क्रियाएँ न करे' किया है ।^५

नेमिचन्द्र ने शान्त्याचार्य के प्रथम अर्थ का अनुसरण किया है ।^६

'वेयवियाऽऽयरक्खिए'—शान्त्याचार्य ने मुख्य रूप से इन दो शब्दों को एक मान कर इसका अर्थ 'सिद्धान्तों को जान कर उनके द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला' किया है और गौण रूप में इन दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर 'वेयविय' का अर्थ 'ज्ञानवान्' और 'आयरक्खिए' का अर्थ 'सम्यग्-दर्शन आदि के लाभ की रक्षा करने वाला' किया है ।^७

'पन्ने'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'आय और उपाय की विधि को जानने वाला' किया है ।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५

अकाम—अपगतकाम, कामो द्विविधः—इच्छाकामो भवनकामश्च, अपगतकामस्य या इच्छा तां कामयति, सा च कामेच्छा मोक्षं कामयतीति, प्रार्थयतीत्यर्थः ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ .

कामान्—इच्छाकामभवनकामभेदान् कामयते—प्रार्थयते य. स कामकामो, न तथा अकामकाम ।

३-वही, पत्र ४१४ .

यद्वाकामो—मोक्षस्तत्र सकलामिलाषनिवृत्तेस्तं कामयते य स तथा ।

४-वही, पत्र ४१४ :

रागः—अभिज्जगः उपरतो—निवृत्तो मस्मिस्तद्वागोपरतं यथा भवत्येवं 'चरेद्' विहरेत्, स्तान्तरथ परनिपातः प्राग्बन्ध, अनेन मैथुननिवृत्तिरुक्ता, रागादिनात्रावित्वाभैथुनस्य, यद्वाऽऽवृत्तित्वात्वेन 'राजोवरय'ति रात्र्युपरतं 'चरेत्' सकमेदित्यनेनैव रात्रि-भोजननिवृत्तिरप्युक्ता ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५ :

रात्राहुपरतं चरेत्, किमुक्तं भवति ?, रात्रौ न कुंक्ते, रात्रौ गताधिक्रियां न कुर्यात् ।

६-सुखबोधा, पत्र २१५ ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ :

वेद्यतेऽनेन तत्त्वमिति वेद—सिद्धात्तरस्य वेदनं चित् तथा आत्मा रक्षितो—दुर्भतिपत्तमात्रातोऽनेनेति वेदविधात्वर्क्षित, यद्वा वेदं वेदतीति वेदचित्, तथा रक्षिता आत्माः—सम्यग्दर्शनादित्वात्मा वेनेति रक्षिताय ।

प्राज्ञ वह होता है जो आय—सम्पत्तान, दर्शन, चारित्र के लाभ तथा उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की विधियों को जानने वाला हो ।^१

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'हेय और उपादेय को जानने वाला' किया है ।^२

श्लोक ३

६-जो आत्मा का संवरण किए रहता है (आयुगुणे च) :

शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'शारीरिक अवयवों को नियंत्रित रखने वाला' किया है और गौण रूप में 'आत्म-रक्षक' किया है । उन्होंने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत करते हुए आत्मा का अर्थ 'शरीर' किया है ।^३ नेमिचन्द्र ने 'आत्म-रक्षक' अर्थ मान्य किया है ।^४

श्लोक ७

७-श्लोक ७ :

इस श्लोक में दस विद्याओं का उल्लेख किया गया है । उनमें दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और स्वर को छोड़ कर शेष सात विद्याएँ निमित्त के अंग हैं । अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, म्वन, छिन्न, भौम और अन्तरिक्ष—ये अष्टांग निमित्त हैं ।^५ यहाँ व्यंजन का उल्लेख नहीं है । बस्त्र, शस्त्र, काठ, आसन, शयन आदि में चूहे, शस्त्र, काँटे आदि से हुए छेद के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना छिन्न-निमित्त है । स्वरो को सुन कर शुभाशुभ का ज्ञान कर लेना स्वर-निमित्त है ।

भूकम्प आदि के द्वारा अथवा अकाल में होने वाले पुष्प-फल, स्थिर-वस्तुओं के चलन एवं प्रतिमाओं के बोलने से भूमि का स्निग्ध-रक्ष आदि अवस्थाओं के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अथवा भूमिगत वन आदि द्रव्यों का ज्ञान करना भौम-निमित्त है ।

आकाश में होने वाले गन्धर्व-नगर, दिग्दाह, घूली की वृष्टि आदि के द्वारा अथवा ग्रहों के युद्ध तथा उदय-अस्त के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अंतरिक्ष-निमित्त है ।

१-उत्तराध्यायन शूर्णि, पृ० २३५ ।

'प्राज्ञो'—बिभु, संपन्नो आयोपायविधिको भवेत्, उत्सर्गापवादद्रव्य।ष्टापदाधिको य उपाय' ।

२-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

'प्राज्ञः' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २१५

'प्राज्ञ' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१५

'आत्मा' शरीरम्, आत्मशब्दस्य शरीरवचनस्यापि दर्शनात्, उक्तं हि—

धर्मधृत्यनिधीनृकत्वकतस्वस्वार्थदेहिषु ।

शीलानिलसमबोधनैकबीर्येष्वात्मनः स्मृतिः ॥

इति, तेन गुप्त आत्मगुप्तो— न यत्तरतत् करणचरणाविक्षेपकृत, यद्वा गुप्तो—रक्षितोऽसंयमस्वानेभ्य आत्मा येन स तथा ।

४-सुखबोधा, पत्र २१५

'आयुगुणे' ति गुप्त—रक्षितोऽसंयमस्वानेभ्य आत्मा येन स ।

५-(क) अंगचिन्ता, १।२

अंगं सरो लम्बान्न च वज्रं सुविणो त्हा ।

छिन्न भोम्मंस्तस्मिन्नाए, एमेए अट्ट आहिया ॥

(ख) भूलाचार, पिण्डबुद्धि अधिकार, ३० ।

(ग) तत्त्वार्थ राजनार्त्तिक, ३।३६ ।

स्वन के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वन-निमित्त है ।

शरीर के लक्षणों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना लक्षण-निमित्त है ।

शिर-स्फुरणा आदि के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अंगधिकार-निमित्त है ।

यष्टि के विभिन्न रूपों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना यष्टि-विद्या है ।

प्रासाद आदि आवासों के शुभाशुभ लक्षणों का ज्ञान करना वास्तु-विद्या है ।

पङ्क, ऋषभ आदि सात स्वरो के शुभाशुभ निरूपण का अग्रास करना स्वर-विद्यय है ।

चूर्ण में जो व्याख्या 'स्वर' की है, वह बृहद् वृत्ति में 'स्वर-विद्यय' की और जो 'स्वर-विद्यय' की है, वह 'स्वर' की है ।^१ निमित्त या विद्या के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना 'उत्तरादना' नामक एक दोष है, इसलिए कहा है कि विद्याओं के द्वारा जो जीवन नहीं चलाता, वह भिक्षु है ।

श्लोक ८

८-(मन्तं क, धूमणेत्तसिणाणं ल) :

'मन्त'—जो देवाविष्ठित होता है, जिसके आदि में 'ऊं' और अन्त में 'स्वाहा' होना है, जो 'ह्रीं' आदि वर्ण-विन्यासात्मक होता है, उसे 'मन्त्र' कहा जाता है ।^२

'धूमणेत्त'—चूर्णिकार ने धूमनेत्र को संयुक्त माना है ।^३

टीकाकारों ने दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर अर्थ किया है । उनके अनुसार 'धूम' का अर्थ है—मन शिवादि धूम से शरीर

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३६ .

मुख्यः हुंभुमिस्वरो काकस्वरो वा एवमादिस्वरध्याकरणम् ।

(ख) वही, पृ० २३६

ऋषभगान्धारादीनां स्वराणां विजयः अग्रासः ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ .

'सरं' ति स्वरस्वरूपानिधान,

"सज्जं रवइ मयूरो, कुक्कुडो रित्तमं सरं ।

हंसो रवति गंधारं, मणिमं तु गवेल ॥"

इत्यादि, तथा—

"सज्जेण सहइ चित्तिं, कयं च न विणस्सई ।

गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीणं होइ बल्लहो ॥

रिसहेण उ ईसरियं, सेणावच्छं धणाणि य ।"

(घ) वही, पत्र ४१७

स्वरः—पोडकीशिवादिस्वरूपस्तस्य विषय—तत्सम्बन्धी शुभाशुभनिरूपणाग्रासः, तथा—

गतिस्तारा स्वरो धाम., पोडक्या. शुभवः स्मृतः ।

विपरीतः प्रवेगे तु, स एवाभीष्टवायकः ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७ .

'मन्त्रम्' अकारादिस्वाहापर्यन्तो ह्रींकारादिवर्णविन्यासात्मकस्तम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३७ :

ममनविरेचनधूमनेत्रस्नानादिकान् ।

को धूषित करना और 'नेत्त' का अर्थ है—नेत्र-संस्कारक अञ्जन आदि से नेत्र आँजना ।^१ परन्तु यह अर्थ साग्न नहीं लगता । यहाँ मूल शब्द है 'धूमनेत्त' । इसका अर्थ है—चूँके की नदी से चूँका लेना । विष्णु के चित्र-देवियों—इत्येवादि (भाग २), ३।९ के 'धूमनेत्ति' का टिप्पण, संख्या ४३ ।

'सिपाण'—इसका अर्थ 'पुत्र-प्राप्ति के लिए मंत्र-औषधि आदि से संस्कारित जन से स्नान करना' किया गया है ।^२

श्लोक ६

६—(स्वत्तियगणउग क, भोइय ल) :

'स्वत्तिय'—शान्त्याचार्य ने क्षत्रियों को 'हैहय' आदि वंशों में उत्पन्न माना है ।^३ पुराणों के अनुसार हैहय 'ऐकवंश' या 'व इवश' को एक शाखा है ।^४ भगवान् ऋषभ ने मनुष्यों के चार वर्ग स्थापित किए थे—

- (१) उग्र—आरक्षक ।
- (२) भोग—गुरुस्थानीय ।
- (३) राजन्य—समवयस्क या मित्रस्थानीय ।
- (४) क्षत्रिय—शेष सारी प्रजा ।^५

इस व्यवस्था से लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे । इमोलिए श्रमण-परम्परा में क्षत्रियों का महत्त्व रहा ।

'गण'—भगवान् महावीर के काल में अनेक शक्तिशाली गणपत्र थे । वृज्जी-गणतन्त्र में ६ त्रिचक्रवि और ६ मञ्जुही—ये काशी-कोशाल के १८ गणराज्य सम्मिलित थे । शान्त्याचार्य ने मल्ल शब्द के द्वारा इसी गणराज्य की ओर संकेत किया है ।^६

'उग'—आरक्षक ।^७

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७ ।

धूमं—मन शिलादिसम्बन्धि नेत्तति—नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारकमिह समीराञ्जनाधि परिगृह्यते ।

(ख) मुल्लबोध, पत्र २१७ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७

स्नानम्—अपत्यार्थं मन्त्रीषधिसकृतजलामिषेचनम् ।

३—बही, पत्र ४१८

क्षत्रिया —हैहेयाधन्वयजा ।

४—(क) Ancient Indian Historical Tradition, pp 85-87

(ख) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १, पृ० १२७-१२९ ।

५—आवश्यक निर्युक्ति, १९८

उग्रा भोगा रायण स्वत्तिया सग हो भवे चउहा ।

आरक्षगुस्वयंसा सेसा जे स्वत्तिया ते उ ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८

गणा —मल्लादिसमुहा ।

७—बही, पत्र ४१८ :

उग्रा—आरक्षकादय ।

'भोदय'—भोगिक का अर्थ 'सामन्त' है। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'राजमन्य प्रथानपुरुष' किया है।^१ मेमिचन्द्र के अनुसार इसका अर्थ है—विशिष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अमात्य आदि।^२

श्लोक १४

१०—अति भयंकर (भयभैरवा ग) :

शान्त्याचार्य ने भय-भैरव का अर्थ 'अत्यन्त भय उत्पन्न करने वाला' किया है।^३

अध्ययन २१ (श्लोक १६) में भी 'भयभैरवा' का अर्थ भीषण-भीषणतम है।^४ दशरथकालिक की वृत्ति में हरिभद्र सूरि ने इसका यही अर्थ किया है।^५

मज्झिम-निकाय में एक 'भय-भैरव' नाम का सुसन्त है।^६ जम्बूद्वीप प्रजाति की वृत्ति में आकस्मिक भय को 'भय' और सिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय को 'भैरव' कहा है।^७

श्लोक १५

११—(खेयाणुगए ल, अविहेडए व) :

'खेयाणुगए'—चूर्णिकार ने श्वेद का अर्थ 'विनय, वैयादृश्य और स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों में होने वाला कष्ट' किया है।^८ शान्त्याचार्य के अनुसार इसका अर्थ 'सयम' है। खेदानुगत अर्थात् जो सयमी है।^९

'अविहेडए'—चूर्णिकार के अनुसार जो दहन और काया से दूसरों का अपवाद नहीं करता वह 'अविहेटक' होता है।^{१०}

शान्त्याचार्य ने 'अविहेटक' का अर्थ 'अवाचक' किया है।^{११} देहिण—दसवेआरिणं (भाग २), १०।१० टिप्पण, सख्या ३८।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८ .

भोगिका:—नृपतिमान्याः प्रधानपुरुषाः ।

२—सुसन्तोषा, पत्र २१७ .

'भोगिका' विशिष्टनेषध्यादिभोगवन्तोऽमात्यादयः ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१९ .

भयेन भैरवाः—अत्यन्तसाध्वसोत्पादका भयभैरवाः ।

४—वही, पत्र ४८६ .

'भयभैरवा' मयोत्पादकत्वेन भीषणाः ।

५—दशकालिक, हारिमन्त्रीय वृत्ति, पत्र २६७ .

'भैरवमया' अत्यन्तरौद्रभयजनकाः ।

६—मज्झिम निकाय, १।१।४, पृ० १३ ।

७—जम्बूद्वीप प्रजाति, वृत्ति, पत्र १४३ :

'भयं' आकस्मिकं 'भैरवं' सिंहादिसमुत्थम् ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३८ :

श्वेदेन अनुगतो, श्वेदो विनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायादिविषु ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१९ .

श्वेदयत्यनेन कर्मेति श्वेदः—संयमस्तेनानुगतो—युक्त श्वेदानुगतः ।

१०—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३८

विहेडनं प्रपंचनं, वाचा कायेन च परापवाद इत्यर्थ, अनपवाही ।

११—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२०

'अविहेडक' न कस्यचिद्विवाचकः ।

श्लोक १६

१२—(अमिते क, लहुअप्य ग) :

'अमिते'—जिसके मित्र नहीं होते । यहाँ मित्र शब्द का अर्थ मित्र के हेतुभूत वयस्य के अर्थ में हुआ है ।^१ मुनि को सबके साथ मैत्री रखनी चाहिए किन्तु राग-वृद्धि करने वाले को मित्र नहीं बनाना चाहिए, यही इसका हृदय है ।

'लहुअप्य'—बोडा और निस्तार । 'लहु' का अर्थ है—निस्तार और 'अप्य' का अर्थ है—बोडा ।^२

१—कृहद् वृत्ति, पत्र ४२० :

अविद्यमानानि मित्राणि—अनिश्चयज्ञेयत्वो वयस्य वयसात्प्रामित्र ।

२—उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० २३८ :

लहुनि—निःसारणि निष्पावादीनि तावपि अल्पानि नश्यते ।

अध्ययन १६ ब्रह्मचरसमाहिठार्णं

सूत्र ३

१-सूत्र ३ :

इस अध्ययन में ब्रह्मचर्य के साधनों का निरूपण किया गया है। साधन-शुद्धि के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। जो ब्रह्मचारी साधनों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उसके नाश की संभावनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) शका, (२) काँक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) भेद, (५) उन्माद, (६) दीर्घकालीनरोग—आतक, (७) धर्म-भ्रंश।

(१) शका—ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई लाभ है या नहीं? तीर्थङ्करो ने अब्रह्मचर्य का निषेध किया है या नहीं? अब्रह्मचर्य के सेवन में जो दोष बतलाए गए हैं, वे यथार्थ हैं या नहीं—इस प्रकार अनेक संशय उत्पन्न होते हैं।

(२) काँक्षा—शका के पश्चात् उत्पन्न होने वाली अब्रह्मचर्य की अभिलाषा।

(३) विचिकित्सा—चित्त-विप्लव। जब अभिलाषा तीव्र हो जाती है तब मन समूचे धर्म के प्रति विद्रोह करने लग जाता है; धर्माचरण के प्रति अनेक सन्देह उठ खड़े होते हैं, इसी अवस्था का नाम विचिकित्सा है।

(४) भेद—जब विचिकित्सा का भाव पुष्ट हो जाता है, तब उसके चारित्र का भेद—विनाश होना है।

(५, ६) उन्माद और दीर्घकालीनरोग (आतक) कोई मनुष्य ब्रह्मचारी तभी रह सकता है जब वह ब्रह्मचर्य में अब्रह्मचर्य की अपेक्षा अधिक आनन्द माने। यदि कोई हठपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है किन्तु इन्द्रिय और मन को आत्मवश रखने में आनन्द की अनुभूति नहीं पाता तो वह उन्माद या रोगातक से अभिभूत हो जाता है।

(७) धर्म-भ्रंश—इन पूर्व अवस्थाओं से जो नहीं बच पाता वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के विघातक निमित्तों से बचे। मूलतः उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति सदेह ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसके होने पर अगली अवस्थाओं से बचना कठिन हो जाता है। ये अवस्थाएँ किसी व्यक्ति के एक-दो और किसी के अधिक भी हो जाती हैं।

मिलाइए—दशवैकालिक, = 151, 52।

सूत्र ४

२-केवल स्त्रियों के बीच में कथा न करे (नो इत्थीणं कइं) :

टीकाकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) केवल स्त्रियों में कथा न करे तथा (२) स्त्रियों के रूप, जाति आदि की कथा न करे।^१

मिलाइए—दशवैकालिक, = 152, स्थानांग, १।६६३, समवायांग, १।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२४ :

नो स्त्रीजामेकाकिमीनामिति मन्यते, 'कथा' वाक्यप्रत्ययवत्त्वा, यच्च वा स्त्रीणां कथा,—“कर्मिणी सुरतोपचारवपुरा लाटी किरणप्रिया” इत्यादिका, अथवा वासिष्ठुलक्ष्मणैयमभेदात्तुर्वा स्त्रीकथा, तत्र वासिष्ठ्यायादिः कुलम्—उप्रादि कथं—महाराष्ट्रिकादि संस्थानं—नेपथ्यं—तत्सहेकप्रसिद्धम्।

सूत्र ६

३-सूत्र ६ :

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।५७ ।

सूत्र ७

४-मिट्टी की दीवार...पक्की दीवार (कुड्य...भित्त) :

शान्त्याचार्य ने 'कुड्य' का अर्थ खडिया मिट्टी से बनी हुई भीत,^१ नेमिचन्द्र ने पत्थरों से रचित भीत^२ और चूर्णिकार ने पक्की ईंटों से बनी हुई भीत किया है।^३

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने 'भित्त' का अर्थ 'पक्की ईंटों से बनी भीत'^४ और चूर्णिकार ने 'केतुक' आदि किया है।^५

शब्द कोशों के निर्माण-काल में ये दोनों शब्द पर्यायवाची माने जाते रहे हैं।^६

लगता है कि 'भित्त' 'कुड्य' का ही एक प्रकार है। उनके प्रकारों की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होती है।

कुड्य का अर्थ है—भीत। वह अनेक प्रकार की होती थी। जैसे—

- (१) लिपी हुई भीत।
- (२) बिना लिपी हुई भीत।
- (३) जेलिम कुड्य—वस्त्र की भीत या पर्दा।
- (४) फलकमय कुड्य—उकड़ी के तलों से बनी हुई भीत।
- (५) फलकपासित कुड्य—जिसके केवल पार्श्व में तल्ले लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो।
- (६) मट्ट—रगड कर चिकनी की हुई दीवार।
- (७) चित्त—चित्र युक्त भित्त।
- (८) कडित—चटाई से बनी हुई दीवार।
- (९) तणकुड्य—रूस से बनी हुई दीवार आदि-आदि।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५ ।

कुड्यं—खडिकाविरचितम् ।

२-सुखबोधा, पत्र २२१ :

कुड्यं लेप्टुकाविरचितम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२ :

पक्केष्टकादि कुड्यम् ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५ :

भित्तः—पक्केष्टकाविरचिता ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २२१ ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२ :

केतुगादि भित्ति ।

६-अभिधान चिन्तामणि, ४।६९ ।

७-अंगशिक्षा, सूत्रिका, पृ० ५८-५९ ।

सूत्र ६

५—प्रणीत (पणीयं) :

जिसे घृत, तैल आदि की बूँद टपकती हों अथवा जो वायु वृद्धिकारक हो, उसे 'प्रणीत' कहा जाता है ।^१
मिलाइए—दशबैकालिक, ८१५६ ।

श्लोक १३

६—श्लोक १३ :

मिलाइए—दशबैकालिक, ८१५६ ।

१—(क) उत्तराध्ययन पूर्णि, पृ० २४२-२४३ :

प्रणीत—गलस्त्रेह तैलघृतादिभिः ।

(ख) बृहद वृत्ति, पत्र ४२६ .

'प्रणीत' गलद्विषु, उपलक्षणत्वाद्बन्धन्यस्यन्तघातुवैककारिणम् ।

अध्ययन १७

पावसमण्डजं

श्लोक ७

१-प्रमार्जन किए बिना (तथा देखे बिना) (अप्पमण्डिजं ग) :

'प्रमार्जन' और 'प्रतिलेखन' ये दोनों सम्बन्धित कार्य हैं, इसलिए जहाँ प्रमार्जन का विधान हो वहाँ प्रतिलेखन का विधान स्वयं समझ लेना चाहिए ।^१

श्लोक ८

२-(द्वादशस्स चरई क) :

मिलाइए—दशवैकालिक, ५।१।१४ ।

श्लोक ९, १०

३-श्लोक ९, १० :

देखिए—उत्तराध्ययन, २६।२६, ३० ।

श्लोक १०

४-जो गुरु का तिरस्कार करता है (गुरुपरिभावण ग) :

जो गुरु के साथ विवाद करता है अथवा गुरु के द्वारा किसी कार्य के लिए प्रेरित किए जाने पर 'आप ही यह कार्य करें, आप ही ने तो हमें ऐसा सिखाया था और आज आप ही इसमें दोष निकालते हैं—अतः यह आपका ही दोष है, हमारा नहीं'—इस प्रकार असभ्य वचनो से जो उन्हें अपमानित करता है, उसे 'गुरुपरिभावक' कहा जाता है ।^२

श्लोक ११

५-भक्त-पान आदि का संविभाग न करने वाला (असंविभागी ग) :

जो गुरु, ग्लान, बाल आदि साधुओं को उचित अशन-पान आदि देता है, वह 'संविभागी' होता है और जो केवल अपने आत्म-पोषण का ही ध्यान रखता है, वह 'असंविभागी' होता है ।^३ देखिए—दशवैकालिक, ६।२।२२ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४ .

'अप्रमृश्य' रजोहरणादिनाऽसंशोऽय उपलक्षणत्वात्प्रत्युपेक्ष्य च ।

२-बही, पत्र ४३४ .

गुरुपरिभावक... किमुक्त भवति ?—असम्यक्प्रत्युपेक्षमाणोऽप्यद्वा विलयमाचरन् गुरुनिरचोचितस्तानेष विषयतेऽभिसंभति वाऽसम्यक्वचनैः, यथा—स्वयमेव प्रत्युपेक्षन्, युग्मानिरेव वयमित्थं शिक्षितास्ततो युग्माकमेवैव दोष इत्यादि ।

३-बही, पत्र ४३४ :

संविभवति—गुरुरात्मबालादिभ्य उचितभक्षणादि यच्छस्तीत्येवंशील. संविभागी न तथा य आत्मपोषकत्वेनैव सोऽसंविभागी ।

श्लोक १२

६-जो कदाग्रह और कलह में (बुगहे कलहे ग) :

चूर्ण को भाषा में सामान्य लड़ाई को 'विग्रह' और वाचिक लड़ाई को 'कलह' कहा जाता है ।^१

बृहद् वृत्ति के शब्दों में दण्ड आदि की घात से जनित विरोध को 'व्युद्ग्रह' और वचन आदि से उत्पन्न विरोध को 'कलह' कहा जाता है ।^२

श्लोक १३

७-जो जहाँ कहीं बैठ जाता है (जत्थ तत्थ निसीयई ल) :

इस श्लोक में आसन का विवेक है । 'जहाँ कहीं बैठ जाता है'—इसका आशय है कि सजीव और मरजस्क स्थान पर बैठ जाता है । उपयुक्त स्थान का विवेक दशवैकालिक में है ।^३ चूर्णिकार ने इसका संकेत भी दिया है ।^४

श्लोक १४

८-विछौने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है (संधारए अणाउत्ते ग) :

इसकी व्याख्या में शास्त्राचार्य ने श्लोकनिर्मुक्ति की एक गाथा का उल्लेख किया है ।^५ देखिए—उत्तरज्जयणं, २६।११ का टिप्पण ।

श्लोक १५

९-विकृतियों का (विगईओ क) :

विकृति और रम ये दोनों ममान अर्थवाची हैं । यहाँ दूध, दही आदि को 'विकृति' कहा है और अध्याय ३० श्लोक २६ में दूध, दही, घी आदि को 'रस' कहा है ।^६ विकृति के नौ प्रकार बतनाए गए हैं—

(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मास ।^७

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६ :

विग्रह सामान्येन कलहो वाचिक ।

२-बृहद् वृत्ति पत्र, ४३५ .

'बुगहे' स्ति व्युद्ग्रहे बण्डादिघातजनिते विरोधे 'कलहे' तस्मिन्नेव वाचिके ।

३-दशवैकालिक, ८।५

मुद्धपुड्ढीए न निसिए, ससरक्खम्मि य आसणे ।

पमणिसु निसीएज्जा, आइत्ता जस्स ओग्गहं ॥

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६ .

मुद्धपुड्ढीए ण निसीएज्जसि एतन्न स्मरति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५ .

'संस्तारके' फलककम्बलादौ, सुप्त इति शेषः, 'अनापुक्तः' 'कुम्बुडियामपसारण आयामेउं पुणोपि आउटे' इत्याद्याग-
मार्चानुपयुक्तः ।

६-उत्तराध्ययन, ३०।२६ .

कीरवहिसप्पिमाई, पणीयं पाणमोयणं ।

परिवज्जण रसाण तु, भणियं रसविबज्जणं ॥

७-स्वर्नांग, ९।६७४ ।

स्थानांग में तैल, घृत, बसा (चर्बी) और नवनीत को स्नेह-विकृति भी कहा गया है ।^१

इसी सूत्र में मधु, मद्य, मांस और नवनीत को महाविकृति भी कहा गया है ।^२

दूध, दही आदि विकार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विकृति है ।^३

विकृति खाने से मोह का उदय होता है ।^४ इसलिए बार-बार उन्हें नहीं खाना चाहिए । देखिए—दशवैकालिक, चूल्का २।७ ।

मद्य और मांस ये दो विकृतियाँ तथा बसा—ये अभक्ष्य हैं । मधु और नवनीत को कुछ आचार्य भ्रमक्ष्य मानते हैं और कुछ आचार्य विशेष स्थिति में उन्हें भक्ष्य भी मानते हैं । यहाँ उन्हीं विकृतियों के बार-बार खाने का निषेध किया गया है, जो भक्ष्य हैं ।

श्लोक १७

१०—(आयरियपरिच्चाई क, परपामण्ड ख, गाणंगणिए ग) :

‘आयरियपरिच्चाई’—जो आचार्य को छोड़ देता है । आचार्य मूके तपस्या में प्रोरेत करते हैं तथा प्राणीत आहार को बाल, म्लान आदि साधुओं में विनरित कर देते हैं—इन या इन जैसे दूसरे कारणों से जो आचार्य को छोड़ देता है, वह ।^१

‘परपामण्ड’—यहाँ ‘पर पासण्ड’ का अर्थ सौगत आदि किया गया है ।^२ देखिए—उत्तरजभयण, २३।१६ का टिप्पण ।

‘गाणंगणिए’—भगवान् महावीर की यह व्यवस्था थी कि जो निर्ग्रन्थ जिस गण में दीक्षित हो, वह जीवन-पर्यन्त उसी में रहे । विशेष प्रयोजनवशा (अध्ययन आदि के लिए) वह गुरु की आज्ञा से साधमिक गणों में जा सकता है ।^३ परन्तु दूसरे गण में संक्रमण करने के पश्चात् छह मास तक वह पुनः परिवर्तन नहीं कर सकता । छह मास के पश्चात् यदि वह परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है । जो मुनि विशेष कारण के बिना छह मास के भीतर ही परिवर्तन करता है, उसे ‘गाणंगणिक’ कहते हैं ।^४

श्लोक १८

११—दूसरों के घर में व्यापृत होता है—उनका कार्य करता है (परगेहंसि वावडे ख) :

चृणि मे पर गृह-व्यापार का अर्थ ‘निमित्त आदि का व्यापार’ किया गया है ।^{१०}

१—स्थानांग, ४।१।२७४

चत्वारि सिगेह्विगतीओ पन्नसाओ तजहा—तेल्लं घय बसा णवणीतं ।

२—वही, पत्र ४।१।२७४

चत्वारि महाविगतीओ पन्नसाओ तजहा—मह, मंस, मज्ज, णवणीत ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

विकृतिहेतुत्वाद्धिकृती ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६

विकृति—अशोभन गतिं नयन्तीति विगतय, ताश्च सीरविगत्यावय, विगतीमाहारयत मोहोद्भवो भवति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५ .

‘आचार्यपरित्यागी’ ते हि तप कर्मणि विधीवन्तमुद्यमयन्ति, आनीतमपि बान्नादि बालग्नानाविम्यो वापयन्त्यतोऽग्नीवाहारलौक्या-
त्तत्परित्यजनशील ।

६—वही, पत्र ४३५ .

परान्—अन्यान् पाषण्डान्—सौगतप्रभृतीन् ‘मृद्धी शय्या प्रातस्तथाय पेया’ इत्यादिकादभिप्रायतोऽन्यन्तमाहारप्रसक्तान् ।

७—स्थानांग, ७।५४१ ।

८—दशाधुतस्कन्ध, २ ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५-४३६ .

स्वेच्छाप्रवृत्ततया ‘गाणंगणिए’ स्ति गणाद्गणं वक्ष्यासाभ्यन्तर एव संक्रामतीति गाणंगणिक इत्यागमिकी परिभाषा ।

१०—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६-२४७ .

परगृहेषु व्यापारं करोति, निमित्तादीनां च व्यापारं करोति ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'जो मुनि आहारार्थी होकर पृथुस्यों को आत्मभाव दिला कर उनके कार्यों में व्यापृत होता है' किया है ।^१

श्लोक १९

१२-सामुदायिक-भिक्षा (सामुदाणियं च) :

सामुदायिक-भिक्षा की व्याख्या का एक अक्ष दशवैकालिक ५।१।२५ में तथा दूसरा अक्ष इस श्लोक में मिलता है । उसके अनुसार ऊँच और नीच सभी कुलों से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है । इसके अनुसार ज्ञात और अज्ञात सभी कुलों से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है ।

शान्त्याचार्य ने 'सामुदायिक' के दो अर्थ किए हैं—

- (१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा ।
- (२) अज्ञात दुःख—अपरिचित घरों से लाई हुई भिक्षा ।^२

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३६ -

'परमेहे' अग्यवेशममि 'वाचरे' ति व्याप्रियते—पिण्डार्थी सन् गृहिणामासनात् वर्षाद्यन् स्वतस्तत्कृत्यामि कुर्वते ।

२-वही, पत्र ४३६ :

समुदायानामि—भिक्षास्तेषां समूहः सामुदायिकम्, ** बभ्रुगृहसम्बन्धिनं भिक्षासमूहमज्ञातोऽच्छभिसिमावत् ।

अध्ययन १८

संजड्डज्ज

श्लोक ४

१—(अणगारे तपोधणे ळ) :

इस पद्य में केवल 'अनगार तपोधन' है, अनगार का नामोल्लेख नहीं हुआ है। किन्तु इसी प्रकरण में निर्युक्तिकार ने अनगार का नाम 'गह्मालि' बताया है।^१

श्लोक २०

२—(रट्ठं क, खत्तिए ळ) :

'रट्ठं'—राष्ट्र का अर्थ 'ग्राम, नगर आदि का समुदाय'^२ या 'मण्डल'^३ है। प्राचीन काल में 'राष्ट्र' शब्द आज जितने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। वर्तमान में राष्ट्र का अर्थ है—पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त देश। प्राचीन काल में एक ही देश में अनेक राष्ट्र होते थे।^४ उनकी हलना आज के प्रमण्डलो या राज्य-सरकारों से की जा सकती है। मनुस्मृति में राष्ट्र का प्रयोग कुछ व्यापक अर्थ में भी हुआ लगता है।^५

'खत्तिए'—यहाँ क्षत्रिय का नाम नहीं बताया गया है। परम्परा के अनुसार यह व्यक्ति पूर्वजन्म में वैमानिक देव था। वहाँ से च्युत होकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। उचित बाह्य निमित्त मिलने पर वह विरक्त हुआ और राष्ट्र को छोड़ कर प्रव्रजित हो गया। जनपद विहार करता हुआ संजय-मुनि से मिला और अनेक जिज्ञासाएँ की।^६

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, पाथा ३९७

अहं केसरमुज्जाणे नामेणं गह्मालि अणगारो ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२

'राष्ट्र' ग्रामनगराविसमुदायम्

३—बही, पत्र ४११

'राष्ट्र' मण्डलम् ।

४—राजप्रस्थीय वृत्ति, पृ० २७६

राज्यम्—राष्ट्राविसमुदायात्मकम् । राष्ट्रं च जनपदं च ।

५—मनुस्मृति, १०।६१

यत्र स्वते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णभूषका ।

राष्ट्रिके सह तद्गाष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२ :

'क्षत्रियः' क्षत्रजातिरनिर्दिष्टनामा परिभाषते, संजयमुनिमित्युपस्कारः, स हि पूर्वजन्मनि वैमानिक आसीत्, ततश्च्युतः क्षत्रियकुले-
ऽजनि, तत्र च कुतश्चित्तथाविधनिमित्ततः स्मृतपूर्वजन्मा तत एव चोत्पन्नवैराग्यः प्रव्रजयां गृहीतवान्, गृहीतप्रव्रज्यश्च बिहरन्
संजयमुनिं दृष्ट्वा तद्विनमार्शं निवसुक्तवान् ।

श्लोक २१, २२

३-श्लोक २१, २२ :

यहाँ क्षत्रिय ने पाँच प्रश्न पूछे—

- (१) तुम्हारा नाम क्या है ?
- (२) तुम्हारा गोत्र क्या है ?
- (३) तुम माहन किसलिए बने हो ?
- (४) तुम आचार्यों की प्रतिचर्या कैसे करते हो ?
- (५) तुम विनीत कैसे कहलाते हो ?

सजय मुनि ने इनके उत्तर में कहा—

- (१) मेरा नाम सजय है ।
- (२) मेरा गोत्र गौतम है ।
- (३) मैं मृत्ति के लिए माहन बना हूँ ।
- (४) मैं अपने आचार्य गर्दभालि के आदेशानुसार प्रतिचर्या करता हूँ ।
- (५) मैं आचार्य के उपदेश का आसेवन करता हूँ, इसलिए 'विनीत' कहलाता हूँ ।

२२ वें श्लोक में नाम और गोत्र के उत्तर स्पष्ट शब्दों में हैं । शेष तीन उत्तर 'गर्दभाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा' इन दो चरणों में समाहित किए गए हैं ।^१

श्लोक २३

४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में चार वादों—(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद और (४) विनयवाद—के विषय में राजर्षि से पूछा गया है । भगवान् महावीर के समसामयिक सभी वादों का यह वर्गीकरण है । सूत्रकृतांग में इन्हें 'चार समवसरण' कहा गया है ।^२ इनके तीन सौ तिरसठ भेद होते हैं ।

(१) क्रियावाद क्रियावादी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं किन्तु वह व्यापक है या अव्यापक, कर्ता है या अकर्ता, क्रियावान् है या अक्रियावान्, मूर्त्त है या अमूर्त्त—इसमें उन्हे विप्रतिपत्ति रहती है ।

(२) अक्रियावाद जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वे अक्रियावादी हैं । दूसरे शब्दों में इन्हें नास्तिक भी कहा जा सकता है । कई अक्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु "आत्मा का शरीर के साथ एकत्व है या अन्यत्व यह नहीं कहा जा सकता"—ऐसा मानते हैं । कई अक्रियावादी आत्मा की उत्पत्ति के अनन्तर ही उमका प्रलय मानते हैं ।

(३) अज्ञानवाद जो अज्ञान में ही मिद्धि मानते हैं वे अज्ञानवादी हैं । इनकी मान्यता है कि कई जगन् को ब्रह्मादि विवर्त्तमय, कई प्रकृति-पुरुषात्मक, कई षड्व्यात्मक, कई चतुसत्यात्मक, कई विज्ञानमय, कई ह्युमय आदि-आदि मानते हैं । इसी प्रकार आत्मा भी नित्य, अनित्य आदि अनेक प्रकारों से जानी जाती है—इन सबके ज्ञान से क्या ? यह ज्ञान स्वर्ग-प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त है, अकिञ्चित्कर है आदि-आदि ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२-४४३

विज्ञाचरणपारगात्वाच्च तैस्तन्निवृत्तौ मुक्तिस्त्वामं फलमुक्तं, ततस्तर्ष्य माह्नोऽस्मि, यथा च तदुपवेशतथा दुहन् प्रतिचरामि, तदुपवेशासेवनाच्च विनीतः ।

२-सूत्रकृतांग, १।१२।१ ।

(४) विनयवाद जो विनय से ही मुक्ति मानते हैं वे विनयवादी हैं, उनकी मान्यता है कि देव, दानव, राजा, तपस्वी, हाथी, घोडा, हरिण, गाय, भैंस, शृगाल आदि को नमस्कार करने से क्लेश का नाश होता है, विनय से ही कल्याण होता है अन्यथा नहीं।

क्रियावादियों के १८० भेद, अक्रियावादियों के ८४ भेद, वैनायिकों के ३२ भेद और अज्ञानियों के ६७ भेद मिलते हैं। इस प्रकार इन सबके ३६३ भेद होते हैं।^१

अकलक देव ने इन वादों के आचार्यों का भी नामोल्लेख किया है—

कौकिल, काठेविद्धि, कौशिक, हरि, इमधुमान्, कपिल, रोमश, हारित, अश्व, मुण्ड, आश्वलायन आदि १८० क्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वादलि, माठर, मोद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

साकल्य, बाष्कल, कुशुभि, सत्यमुनि, चारायण, काठ, माध्यन्दिनी, मोद, पौपलाद, बादरायण, स्वच्छिन्न, ऐतिकायन, वसु, जैमिनी आदि ६७ अज्ञानवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

वशिष्ट, पाराशर, जनुकर्ण, बान्मीकि, रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, इन्द्रदत्त, अयम्यूल आदि ३२ विनयवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।^२

इस सप्तर में भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोग हैं। कई क्रियावाद में विश्वास करते हैं और कई अक्रियावाद में।^३ राजषि ने कहा—
धीर पुरुष क्रियावाद में रुचि रखे और अक्रियावाद का वर्जन करे।^४

जैन-दर्शन क्रियावादी है पर एकान्त-दृष्टि नहीं है, इसलिए वह मम्यग्ववाद है। जिसे आत्मा आदि तत्वों में विश्वास होता है, वही क्रियावाद (अभित्त्ववाद) का निरूपण कर सकता है।^५

श्लोक २८

५—(महापाणे क, वरिससओवमे ल, पाली महापाली ग) :

'महापाणे'—यह पाँचवें देवलोक का एक विमान है।^६

'वरिससओवमे'—मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है। इसी दृष्टि में देवलोक की पूर्ण आयु की उससे तुलना की गई है। क्षत्रिय मुनि ने कहा—जैसे मनुष्य यहाँ सौ वर्ष की आयु भोगते हैं, वैसे मैंने वहाँ दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४४

तत्र तावच्छतमशीतं क्रियावादिनां, अक्रियावादिनश्च चतुरशीतिसङ्ख्या, अज्ञानिका. सत्त्वष्टिविद्या, वैनायिकवादिनो
द्वात्रिंशत्, एवं त्रिषड्यधिकशतत्रयम्।

२—तत्त्वार्थ राजवार्तिक ८।१, पृ० ५६२।

३—सूत्रकृतांग, १।१०।१७।

४—उत्तराध्ययन, १।८।३३।

५—सूत्रकृतांग, १।१२।२०-२१।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४५।

'महापाणे' महाप्राणनाम्नि ब्रह्मलोकविमाने।

७—वही, पत्र ४४५।

'वरिससतोवमे'सि वर्षशतजीविना उपमा—दृष्टान्तो यस्यासौ वर्षशतोपमो मयूरध्वंसकाचित्वात्मनात्, ततोऽयमर्थ—एषेह वर्षशतजीवी इवानी परिपूर्णापुच्छ्यते, एवमहमपि तत्र परिपूर्णापुत्रसूत्रम्।

'पाली महापाली'—पाल वंसे जल को धारण करती है वंसे ही त्रक-स्थिति जीवन-जल को धारण करती है। इसलिए उसे 'पाली' कहा गया है।

'पाली' को पत्योपम-प्रमाण और 'महापाली' को सागरोपम-प्रमाण माना गया है। यह गणनातीत (उपमेय) काल है। असंख्य-काल का एक पत्य होता है और दस कोडाकोड पर्यों का एक सागर होता है। विषद् जानकारी के लिए देखिए—अनुयोगद्वार, सूत्र १३८।

यहाँ 'महापाली' त्रक-स्थिति को 'वर्षातोपम' माना है। मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है, उसी तरह महाप्राण देवलोक में महापाली परम आयु मानी जाती है। इसीलिए पुन महापाली को वर्षातोपम कहा गया। पत्योपम काल को एक पत्य की उपमा से समझाया गया है। पत्य में से एक बाल सौ-सौ वर्षों के अन्तर से निकाला जाता है। इसीलिए उसे 'वर्षातोपम' कहा हो, यह भी कल्पना की जा सकती है।^२

श्लोक ३१

६—गृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मंत्रणाओं से (परमन्तेहि च) :

मुनि ने कहा—मैं अंगुष्ठ-विद्या आदि प्रश्नों से दूर रहता हूँ, किन्तु गृहस्थ-कार्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं से विशेष दूर रहता हूँ। क्योंकि वे अतिसाधक होती हैं। अतः मेरे लिए करणीय नहीं होती।^३

श्लोक ५०

७—(सिरसा सिरं च) :

'सिरसा'—सिर दिए बिना अर्थात् जीवन निरपेक्ष हुए बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। 'सिरसा'—इय शब्द में 'इष्ट साधयामि पासयामि वा शरीरम्' की प्रतिध्वनि है।

ज्ञान्याचार्य ने इसके साथ में 'इव' और जोड़ा है।^४

१—गृहद् वृत्ति, पत्र ४४५ .

तथाहि—या सा पालिरिव पालिः—जीवितजलधारणादभवस्थितिः, सा चोत्तर महाप्राणोपादानादिव पत्योपमप्रमाणा।

२—वही, पत्र ४४५-४४६ .

विधि मया विद्या बर्षातेनोपमा यस्या सा बर्षातोपमा, तथा हि बर्षातमिह परमायु तथा तत्र महापाली, उत्कृष्टतोऽपि हि तत्र सागरोपमैरेवायुपनीयते, न तूत्सर्पिष्याविमि, अथवा

“योजन विस्तृत पत्यस्तथा योजनमुत्सृतः।

सहरात्रप्रखण्डाणां, केशाघ्राणा स पूरित ॥१॥

ततो बर्षाते पूर्णे, एकैकं केशमुद्धरेत्।

क्षीयते येन कालेन, तत्पत्योपममुच्यते ॥२॥”

इति बर्षातमिह केशोद्धारोऽनुमित्या अर्थात्पत्यविषया यस्या सा बर्षातोपमा, द्विविधाऽपि स्थितिः, सागरोपमस्यापि पत्योपमविद्यात्वात्, तत्र मम महापाली विद्या भवस्थितिरासीदित्युपस्कार, अतस्त्वाह बर्षातोपमायुःश्रुतिमिति भावः।

३—वही, पत्र ४४६ :

प्रतीपं कामानि प्रतिक्रामामि—प्रतिनिवर्त्ते, केच्य. ?—'पतिगाम'ति सुख्यत्ययान् 'प्रनेऽय' शुभाशुभसूचकेभ्योऽङ्गुष्ठ प्रत्याविम्य, अर्थेभ्यो वा साधिकरणेभ्य, तथा परे—गृहस्थास्तेषां मन्त्रा. परमन्त्रा—तत्कार्यालोचनरूपास्तेभ्यः

प्रतिक्रामामि, अस्तिवाद्यत्वात्तेषाम्।

४—वही, पत्र ४४६ .

शिरसेव—शिरसा शिर प्रधानेनेव जीवितनिरपेक्षमिति।

'सिर'—शरीर में सबसे ऊँचा स्थान सिर का है। लोक में सबसे ऊँचा मोक्ष है। इसी समानता से सिरस्थानीय मोक्ष को 'सिर' कहा है।^१

श्लोक ५२

८—अत्यन्त युक्तियुक्त (अच्चन्तनियानखमा क) :

शान्दाचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

- (१) अतिशय निदान (हेतु) युक्त।
- (२) अतिशय निदान (कर्म-मूल शोधन) में क्षम।^२

श्लोक ५३

९—संगों से (संग ग) :

जिसमें कर्म का बन्धन होता है, उसे 'संग' कहते हैं। वह दो प्रकार का है—

- (१) द्रव्य संग।
- (२) भाव संग।

द्रव्यन संग पदार्थ होने हैं और भावन संग होते हैं एकान्तवादी दर्शन।^३

१—बृहद् सृष्टि, पत्र ४४७।

'सिर' ति सिर इव सिर सर्वजगदुपरिबसितया मोक्षः।

२—वही, पत्र ४४९।

अतिशयेन निदानैः—कारणै, कोऽर्थ ?—हेतुमिर्न तु परप्रत्ययेनैव, क्षमा—युक्ताप्रयत्तनिदानक्षमा, यद्वा निदानं—कर्ममूलशोधनं तस्मिन् क्षमा—क्षमार्थः।

३—वही, पत्र ४४९-४५०।

सजन्ति—कर्मणा संबध्यन्ते जन्तव एमिरिति संगः—द्रव्यतो द्रविनाद्यो नाद्यतस्तु मिथ्यात्वकारणादेत एव क्रियाविधायाः।

अध्ययन १६

मियापुतिज्ज

श्लोक १

१—कानन और उद्यान (काणणुज्जाण ष) :

कानन वह होता है जहाँ बड़े वृक्ष हों।^१ उद्यान का अर्थ है—क्रीडा-वन। वृत्तिकार ने उद्यान का अर्थ 'आराम' भी किया है।^२ आराम जन-साधारण के घूमने-फिरने का स्थान होता था और क्रीडा-वन ऐसा स्थान था जहाँ नौका-बिहार, खेल-कूद तथा अन्यान्य क्रीडा सामग्री की सुलभता रहती थी। देखिए—दशार्ककालिक, ६।१। का टिप्पण, संख्या ४।

श्लोक २

२—बलश्री (बलसिरी क) :

मृगापुत्र के दो नाम थे—बलश्री और मृगापुत्र। 'बलश्री' माता-पिता द्वारा दिया हुआ नाम था और जन-साधारण में वह 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था।^३

३—युवराज (जुवराया घ) :

राजाओं में यह परम्परा थी कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था। जब वह राज्य का कार्यभार सभालने में समर्थ हो जाता तब उसको 'युवराज-पद' दे दिया जाता। यह राज्य-पद की पूर्व-स्वीकृति का वाचक है।

प्राचीन साहित्य में यह मिलता है कि राज्याभिषेक से पूर्व 'युवराज' भी एक मन्त्री होता था, जो राजा को राज्य-संचालन में सहायता देता था। उसकी विशेष मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का सूचक एक निश्चित पद होता था।

'युवराज' को 'तीर्थ' भी कहा गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में १८ तीर्थ गिनाएँ हैं, उनमें 'युवराज' का उल्लेख भी हुआ है। तीर्थ का अर्थ है—महा-त्रयास्य।^४

४—दमीश्वर (दमीसरे ष) :

शास्त्राचार्य ने इसके दो अर्थ दिए हैं—

(१) उद्धत व्यक्तियों का दमन करने वाले राजाओं का ईश्वर।

(२) उपशम शील व्यक्तियों का ईश्वर।

प्रथम अर्थ वार्तमानिक अवस्था का बोधक है और दूसरा भविष्यकाल की अपेक्षा से कहा गया है।^५

नेमिचन्द्र ने केवल द्वितीय अर्थ ही किया है।^६

१—सुसुबोधा, पत्र २६०

कामनामि—बृहत्पृष्ठाभ्याणि बनानि।

२—बही, पत्र २६०

उद्यानामि—आरामाः क्रीडावनामि वा।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

बलश्री बलधीनामा मातापितृबिहितनाम्ना लोके च मृगापुत्र इति।

४—कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।१२।८, पृ० २१-२३।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

दमिन—उद्धतदमनशीलास्ते च राजानस्तेषामीश्वरः—प्रयुर्दमीश्वर, यद्वा दमिनः—उपशमिन्स्तेषां सहजोपशमनायत ईश्वरो दमीश्वर, नाधिकालापेक्षं चैतत्।

६—सुसुबोधा, पत्र २६०।

'दमीसरि' सि दमिनाम्—उपशमिनामीश्वरो दमीश्वर, नाधिकालापेक्षं चैतत्।

श्लोक ३

५—दोगुन्दग (दोगुन्दगो ग) :

'दोगुन्दग' त्रायस्त्रिंश जाति के देव होते हैं। वे सदा भोग-परायण होते हैं।^१ इनकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—
भगवती, १०।४।

श्लोक ४

६—मणि और रत्न (मणिरयण क) :

सामान्यतः मणि और रत्न पर्यायवाची माने जाते हैं। वृत्तिकार ने इनमें यह भेद किया है कि विशिष्ट माहात्म्य युक्त रत्नों को 'मणि' कहते हैं, जैसे चन्द्रकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि आदि-आदि तथा शेष गोभेदक आदि 'रत्न' कहलाते हैं।^२

७—गवाक्ष (आलोयण ल) :

दशवंकालिक, ५।१।१५ में गवाक्ष के अर्थ में 'आलोय' का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसी अर्थ में 'आलोयण' है।

शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ 'सबसे ऊँची चतुरिका' भी किया है। गवाक्ष या चतुरिका से दिशाओं का आलोकन किया जा सकता है, इसलिए उन्हें 'आलोकन' कहा जाता है।^३

श्लोक ५

८—नियम (नियम ग) :

महाव्रत, व्रत, नियम—ये सभी साधारणतया संवर के वाचक हैं। किन्तु रुद्धिवात् इनमें अर्थ-भेद भी है। योग दर्शन सम्मत अष्टांग योग में नियम का दूसरा स्थान है।^४ उसके अनुसार शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और देवताप्रणिधान ये नियम कहलाते हैं।^५

जैन व्याख्या के अनुसार जिन व्रतों में जाति, देश, काल, समय आदि का अपवाद नहीं रहता वे 'महाव्रत' कहलाते हैं। जो व्रत अपवाद सहित होते हैं वे 'व्रत' कहलाते हैं। ऐच्छिक व्रतों को 'नियम' कहा जाता है।

शान्त्याचार्य ने 'अभिग्रहात्मक व्रत' को 'नियम' कहा है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१ :

दोगुन्दगारश्च त्रायस्त्रिंशत्, तथा च वृद्धा "त्रायस्त्रिंशत् देवा नित्यं भोगपरायणा दोगुन्दगा इति सम्भन्ति" ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

मणयश्च—विशिष्टमाहात्म्यवाचकान्तादयो रत्नानि च—गोमेयकादीनि मणिरत्नानि ।

३—वही, पत्र ४५१

आलोकयन्ते दिशोऽस्मिन् स्थितेरित्यालोकनं प्रासादे प्रासादस्य वाऽऽलोकनं प्रासादालोकनं तस्मिन् सर्वोपरिर्वात्सिचतुरिकाख्ये गवाक्षे ।

४—पातञ्जल योगदर्शन, २।२९

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधयोऽष्टाङ्गानि ।

५—वही २।३२

शौचसंतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१-४५२ :

नियमश्च—द्रव्याद्यभिग्रहात्मकः ।

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक में भोगों को विषफल से उपमित किया गया है। जिस प्रकार विषफल प्रथम स्वाद में अत्यन्त मधुर होते हैं परन्तु परिणाम काल में अत्यन्त कटुक और दुःखदायी होते हैं, वही प्रकार भोग भी सेवन-काल में मधुर लगते हैं, परन्तु उनका विपाक कटुक होता है और वे अनबच्छिन्न दुःख देने वाले होते हैं।

श्लोक १४

१०-व्याधि और रोगों का (वाहीरोगाणं ख) :

अत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ जैसे रोगों को 'व्याधि' कहा जाता है और कदाचित् होने वाले ज्वर आदि को 'रोग' कहा जाता है।^१

श्लोक १७

११-किम्पाक-फल (किम्पागफलाणं क) :

किपाक एक वृक्ष होता है। उसके फल अत्यन्त स्वादु होते हैं,^२ परन्तु वे कटुकविपाक वाले होते हैं। भोगों की विरसता को बताने के लिए किपाकफल की उपमा जैन-ग्रन्थों में अनेक स्थलों में मिलती है।

श्लोक ३२

१२-ताडना, तर्जना, वध, बन्धन (तालणा क, तज्जणा क, वह ख, बन्ध ख) :

ताडना, तर्जना, वध और बन्धन ये चारो परीषह हैं—प्रहार और तिरस्कार से उत्पन्न कष्ट है—

- (१) ताडना—हाथ आदि से मारना।^३
- (२) तर्जना—तर्जनी अंगुली दिखा कर या भोहें चढ़ा कर तिरस्कार करना या डाँटना।^४
- (३) वध—लकड़ी आदि से प्रहार करना।^५
- (४) बन्धन—मयूर-बन्ध आदि से बाँधना।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५४ .

व्याख्य —अतीव बाधाहेतवः कुष्ठाद्यो, रोगाः—ज्वराद्य ।

२-वही, पत्र ४५४

किम्पाको—वृक्षविशेषस्तस्य फलान्वृत्तीष सुस्वादानी ।

३-वही, पत्र ४५६ .

'ताडना' करादिनिराहृतम् ।

४-वही, पत्र ४५६

तर्जना अंगुलिभ्रमणभ्रूक्षोपादिरूपा ।

५-वही, पत्र ४५६ .

वधवध—लकुटादिप्रहारः ।

६-वही, पत्र ४५६ .

बन्धवध—मयूरबन्धादि ।

श्लोक ३३

१३-कापोती-वृत्ति (कबूतर के समान दोष-भीरु वृत्ति) (कावोया क, विस्ती क) :

यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को 'कापोती-वृत्ति' कहा गया है। जिस प्रकार कबूतर कण (टीकाकार ने यहाँ कीट का भी उल्लेख किया है, परन्तु कबूतर कीट नहीं चुगते) आदि को ग्रहण करते समय नित्य शक्ति रहते हैं, उसी प्रकार साधु भी भिक्षाचर्या में सदा एषणा-दोष आदि की शका से प्रवृत्त होता है।^१

इस कापोती-वृत्ति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है—

कुम्भधान्यैश्छगिले, कापोती चास्थितास्तथा ।

यस्मिन्चैते वसत्यर्हास्तद् राष्ट्रमनिवर्षते ॥

(शान्तिपर्व, २४३।२४)

१४-दारुण केश-लोच (केसलोओ य दारुणो ष) :

केश-लोच—हाथ से नोच कर बालों को उखाड़ना सचमुच बहुत दारुण होता है। लोच क्यों किया जाए ? यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका तर्क-सगत समाधान देना सम्भवतः कठिन है। यह एक परम्परा है। इसका प्रचलन क्यों हुआ ? इसका समाधान प्राचीन साहित्य में ढूँढना चाहिए।

कल्पसूत्र में कहा गया है कि सवत्सरो के पूर्व लोच अवश्य करना चाहिए। उसकी व्याख्या में लोच करने के कुछ हेतु बतलाए गए हैं—

- (१) केश होने पर अक्राय के जीवों की हिंसा होनी है।
- (२) भीगने से जूँएँ उत्पन्न होती हैं।
- (३) खुजलाता हुआ मुनि उनका हनन कर देना है।
- (४) खुजलाने से सिर में नव-क्षत हो जाते हैं।
- (५) यदि कोई मुनि क्षुर (उम्टरे) या कैंची से बालों को काटता है तो उसे आज्ञा-भंग का दोष होता है।
- (६) ऐसा करने में मयम और आत्मा (शरीर) दोनों की विगणना होती है।
- (७) जूँएँ मर जाती हैं।
- (८) नाई अपने क्षुर या कैंची को सचित्त जल में धोना है। इसलिए पश्चान-कर्म दोष होता है।
- (९) जैन-शासन की अवहेलना होनी है।

इन हेतुओं को ध्यान में रखते हुए मुनि केशों को हाथ से ही नोच डाले, यही उसके लिए अच्छा है। इस लोच-विधि में आपवादिक विधि का भी उल्लेख है।^२

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५६-४५७ -

कापोता.—पक्षिविशेषास्तेषामिदं कापोती येयं वृत्तिः—निर्वहणोपाय, यथा हि ते नित्यशक्तिता कणकीटकादिग्रहणे प्रवर्तन्ते, एवं निक्षुरप्येषणादोषशङ्कयैव भिक्षादौ प्रवर्तते।

२-सुबोधिका, पत्र १९०-१९१ -

केसोऽपि अपक्रायविराधना, तत्ससर्गाच्च यूका समुच्छ्रित्य, तावच्च कथ्यमानो हृति शिरसि नक्षतं वा स्यात्, यदि क्षुरेण मुष्ठापयति कर्त्तव्यं वा तदाऽज्ञानागच्छाः बोधा. संयमात्प्रविराधना, यूकाश्लिष्टान्ते नापितवच्च पश्चात्कर्म करोति शासनापज्ञानाच्च, ततो लोच एव श्रेयान्।

दिग्म्बर-साहित्य में इसके कुछ और हेतु भी बतलाए गए हैं—

- (१) राग आदि का निराकरण करने,
- (२) अपने पौष को प्रगट करने,
- (३) सर्वोत्कृष्ट तपस्वरण और
- (४) लिंग आदि के गुण का ज्ञापन करने के लिए लोच करे ।^१

राग आदि के निराकरण से इसका सम्बन्ध है—यह अन्वेषण का विषय है। शासन की अवहेलना का प्रश्न सामयिक है। जीवों की उत्पत्ति न हो तथा उनकी विराधना न हो—इसकी सावधानी बरती जा सकती है। इन हेतुओं से लोच की अनिवार्यता साधना कठिन कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कष्ट-सहिष्णुता की बहुत बड़ी कसौटी है। इन हेतुओं को जानने के बाद भी हमें यही मानना पड़ता है कि यह बहुत पुरानी परम्परा है।

दशवैकालिक वृत्ति और मूलागधना में भी लगभग पूर्वोक्त जैसा ही विवरण मिलता है।

काय-क्लेशा ससार-विरक्ति का हेतु है। बीरासन, उकड़ू आसन, लोच आदि उसके मुख्य प्रकार हैं। (१) निर्लेपता, (२) पञ्चात्कर्म-वर्जन, (३) पुरःकर्म-वर्जन और (४) कष्ट-सहिष्णुता—ये लोच से प्राप्त होने वाले गुण हैं ।^२

केवों को ससाधित न करने से उनमें जूँ, लीख आदि उत्पन्न होते हैं। वहाँ से उनको हटाना दुष्कर होता है। सोते समय अन्यान्य वस्तुओं से संघट्टन होने के कारण उन जूँ-लीखों को पीडा हो सकती है। अन्य स्थल से कोटादिक जन्तु भी वहाँ उनको खाने आते हैं, वे भी दुष्प्रतिहार्य हैं।

लोच से मुष्कत्व, मुण्डत्व से निर्विकारता और निर्विकारता से रत्नत्रयी में प्रबल पराक्रम फोड़ जा सकता है।

लोच से आत्म-दमन होता है, सुख में आसक्ति नहीं होती, स्वाधीनता रहती है (लोच न करने वाला मत्सक को धोने, सुखाने, तेल लगाने में काल व्यतीत करता है, स्वाध्याय आदि में स्वतन्त्र नहीं रहता), निर्दोषता की वृद्धि होती है और शरीर से ममत्व हट जाता है। लोच से धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, यह उग्र तप है, कष्ट-सहन का उत्कृष्ट उदाहरण है ।^३

१—मूलाधार टीका, पृ० ३७० .

जीवसम्भूच्छमाधिपरिहारार्थं रागाधिनिराकरणार्थं, स्वधीर्प्रकटनार्थं, सर्वोत्कृष्टतपस्वरणार्थं, लिंगाधिगुणज्ञापनार्थं चेति ।

२—दशवैकालिक, हारिमन्त्रीय वृत्ति, पत्र २८-२९

बीरासन उक्कुबुगासणाह लोभाइवो य विष्णोओ ।

कायक्लेशो संसारवासनिव्येवहेउन्ति ॥

बीरासणाइसु गुणा कायविरोहो वया अ जीविसु ।

परलोअमई अ तथा वहुमाओ वेव अनेसिं ॥

भिस्तंगया य पच्छापुत्तम्मविषज्जं च लोअगुणा ।

दुक्खसहसं नरणाविभाजणाए य निव्येओ ॥

तथाअयैरप्युत्तम्—

पञ्चात्कर्म पुरःकर्म(मई)मपपपरिग्रहः ।

दोषा ह्येते परित्यक्ताः, शिरोलोचं प्रकुर्वता ॥

३—मूलाराधना, आरवास २।८८-९२

केसा संसज्जति ह् निम्पञ्जिकारस्त दुपरिहारा य ।

सयभाबिसु ते जीवा विट्ठा मागंतुया य तथा ॥

अगाहिं य लिंगकारहिं य बाधिज्जंतस्स संक्लेशो य ।

संघट्टिज्जति य ते कडुयणे तेव सो लोचो ॥

लोचकवे मुष्कसे मुष्कसे होइ निज्जियारसं ।

तो जिज्जियारकरणो पण्हिद्वचंपरकमवि ॥

अप्या वपिवो लोएण होइ च सुहे य संगमुक्कयाधि ।

साधीजया य जिहोसया य वेहे य निम्ममया ॥

आवपिसया य लोचेष अप्पणो होवि धम्मसद्धा य ।

उणो तवो य लोचो त्थेव दुक्खस्स सहसं च ॥

श्लोक ३८

१५—सौंप जैसे एकाग्र-दृष्टि से (अहीवेगन्तदिद्रीए क) :

सर्प अपने लक्ष्य पर अत्यन्त निश्चल-दृष्टि रखता है, यही कारण है कि उसके द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ का उसमें स्थिर प्रतिबिम्ब पड़ता है। वह प्रतिबिम्ब वर्षों तक भी अमिट रहता है। इसी प्रकार साधु को भी अपने लक्ष्य पर निश्चल-दृष्टि से गति करनी चाहिए।

श्लोक ४०

१६—बस्त्र के थैले को (कोत्थलो ल) :

हिन्दी में इसे थैला और राजस्थानी में 'कोथला' कहते हैं।

टीकाकार का सकेत है कि यहाँ बस्त्र, कम्बल आदि का 'थैला' ही शाब्द है, क्योंकि वही हवा में नहीं भरा जाता। चर्म आदि का थैला तो भरा जा सकता है।^१

श्लोक ४६

१७—चार अन्त वाले (चाउरन्ते ल) :

संसार-रूपी कान्सार के चार अन्त होते हैं—(१) नरक, (२) तिर्यञ्च, (३) मनुष्य और (४) देव। इसलिए उसे 'चाउरन्त' कहा जाता है।^२

श्लोक ४७-७३

१८—श्लोक ४७-७३ :

इन श्लोकों में नारकीय वेदनाओं का चित्र खींचा गया है। पहले तीन नरकों में परमाधार्मिक देवताओं द्वारा पीडा पहुँचाई जाती है और अन्तिम चार में नारकीय जोड़ स्वयं परम्पर वेदना की उद्घोरणा करते हैं। परमाधार्मिक देव १५ प्रकार के हैं। उनके कार्य भी भिन्न-भिन्न हैं—

नाम	कार्य
(१) अंब	हत्न करना, ऊपर से नीचे गिराना, बौधना आदि २।
(२) अंबर्षि	काटना आदि-आदि।
(३) श्याम	फेंकना, पटकना, बौधना आदि आदि।
(४) शबल	आँतें, फेफड़े, कलेजा आदि निकालना।
(५) रुद्र	तलवार, भाला आदि से मारना, शूली में पिरोना आदि-आदि।
(६) उपरुद्र	अग-उपागो को काटना आदि-आदि।
(७) काल	विविध पात्रों में पचाना।
(८) महाकाल	शरीर के विविध स्थानों से मांस निकालना।
(९) असिपत्र	हाथ, पैर आदि को काटना।

१—मृहद् वृत्ति, पत्र ४५७

कोत्थल इह बस्त्रकम्बलादिमयो गृह्यते, चर्ममयो हि सुस्नेह भ्रियेतेति।

२—बही, पत्र ४५९ :

वात्सारो—देवादिमवा अन्ता—अवयवा यस्यासौ चतुरन्तः—संसारः।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

१४८ अध्ययन १६ : श्लोक ४७-७३, ४६, ५०, ५२

(१०) घनु	कर्ण, ओष्ठ, दाँत को काटना ।
(११) कुम्भ	विविध कुम्भियों में पचाना ।
(१२) बालुक	भूजना आदि-आदि ।
(१३) वैतरणि	बशा, लोही आदि की नदी में डालना ।
(१४) खरस्वर्	करवत, परशु आदि से काटना ।
(१५) महाघोष	भयभीत होकर दौड़ने वाले नैरयिको का अवरोध करना ।

परमाधार्मिक देवों के ये कार्य इस अध्ययन में वर्णित हैं किन्तु यहाँ परमाधार्मिकों के नाम उल्लिखित नहीं हैं । विशेष वर्णन के लिये देखिए—समवायाग, समवाय १५, वृत्ति, पत्र २८, गच्छाचार, पत्र ६४-६५ ।

श्लोक ४६

१६—(कंदुकुम्भीसु क, हुयामणे ग) :

'कंदुकुम्भीसु'—कंदु का अर्थ है—भट्टा (भांड) । कुम्भी का अर्थ है—छोटा घड़ा । कंदु-कुम्भी ऐसे पाक-पात्र का नाम है, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़े मुँह वाला हो ।

बृहद् वृत्ति में इसका अर्थ 'लोह आदि धातु से बना हुआ पाक-पात्र' है ।^१

'हुयामणे'—अग्निदायक जीव दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और बादर । बादर अग्नि के जीव नरक में नहीं होते ।^२ यहाँ जो अग्नि का उल्लेख है, वह सजीव अग्नि के लिए नहीं किन्तु अग्नि जैसे तप्त और प्रकाशवान् पुद्गलों के लिए है ।^३

श्लोक ५०

२०—वज्रबालुका जैसी कदम्ब नदी की बालू में (वज्रबालुका ख, कदम्बबालुका ग) :

नरक में वज्रबालुका तथा कदम्बबालुका नाम की नदियाँ हैं । इन नदियों की 'चर' को भी 'वज्रबालुका' व 'कदम्बबालुका' अगणित कहा गया है ।^४

श्लोक ५२

२१—शाल्मलि वृक्ष पर (शिम्बलिपायवे ख) :

इसके लिए 'कूट शाल्मलि' शब्द का भी प्रयोग होता है । देविए—उत्तराध्ययन, २०।३६ । उसका अर्थ है—समल का वृक्ष । इसकी त्वचा पर अगणित काँटे होते हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५९

'कंदुकुम्भीसु' पाकसाजनविशेषरूपासु लोहादिमयीषु ।

२—वही, पत्र ४५९

तत्र च बाबरान्नेरसावान् पृथिव्या एव तथाविधः स्पर्श इति गम्यते ।

३—वही पत्र ४५९

अप्यौ देवमायाकृते ।

४—वही, पत्र ४५९

वज्रबालुकानदीसम्बन्धिपुलिनस्य वज्रबालुका तत्र, यथा वज्रबालुकानदीस्य (शिम्बलिपायवे) या शिम्बलिपायवे इति गम्यते, 'कदम्बबालुकायां च' तत्रैव कदम्बबालुकानदीपुलिने च महावज्रान्निर्वाण इति योज्यते ।

उत्तरजभयणं (उत्तराध्ययन)

१४६ अध्ययन १६ : श्लोक ५४, ५५, ५६, ५८

श्लोक ५४

२२-(कोलसुणएहिं क, पाडिओ ग, फालिओ ग, छिन्नो ग) :

'कोलसुणएहिं'—कोलशुनक का अर्थ 'सूअर' किया गया है।^१ कोल का अर्थ भी 'सूअर' है। इसलिए शुनक का अर्थ 'कुला' किया जा सकता है।

'पाडिओ'—पातित। इसका अर्थ है—ऊपर से नीचे गिराना।

'फालिओ'—फाटिन। इसका अर्थ है—वस्त्र की तरह फाड़ना।

'छिन्नो'—छिन्न। इसका अर्थ है—वृक्ष की तरह दो डाल करना।^२

श्लोक ५५

२३-(असीहि क, भल्लीहिं ख, पट्टिसेहिं ख) :

'असीहिं'—तन्त्रवारे तीन प्रकार की होती हैं—अभि, खड्ग और ऋष्टि। असि लम्बी, खड्ग छोटी और ऋष्टि दुधारी तन्त्रवार को कहा जाता है।

'भल्लीहिं'—भल्ली (बछी)। एक प्रकार का भाला।

'पट्टिसेहिं'—पट्टिस के पर्यायवाची नाम तीन हैं—खुगोपम, लोह-दण्ड और तीक्ष्णधार।^३ इनमें उसकी आकृति की जानकारी मिलती है। उसकी नोक खरपा की नोकों के समान तीक्ष्ण होती है, यह लोह-दण्ड होता है और इसकी धार तीवी होती है।

श्लोक ५६

२४—रोभ (रोउभो घ) :

यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है—हरिण की एक जाति।^४ संस्कृत में इसका तत्सम अर्थ है—ऋष्य। टीकाकार ने पशु विदोष कह कर छोड़ दिया है।^५

श्लोक ५८

२५—पंखियों के (पक्खिहिं ख) :

नरक में नियंत्र नही होते। यहाँ जो पक्षियों का उल्लेख है, वह देवनाओं द्वारा किए गए वैक्रियरूप का है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

'कोलसुणएहिं' ति सूकरस्वरूपधारिणि ।

२—बही, पत्र ४६०

'पातितो' बुधि 'फाटितो' जीर्ण वस्त्रधन 'छिन्नो' वृक्षवृक्षमयबंधामिरिति गम्यते ।

३—शेषनाममाला, श्लोक १४८-१४९

पट्टिसस्तु खुगोपम ।

लोहदण्ड स्तीक्ष्ण धार ॥

४—शेषनाममाला, ७।१२ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

'रोभ' पशुविदोष ।

६—बही, पत्र ४६०

एते च वैक्रिया एव, तत्र तिरश्चामभावात् ।

श्लोक ६१

२६-मुषण्डियों से (मुसंदीहिं क) :

यह लकड़ी की बनती थी। इसमें गोल लोहे के काँटे जड़े रहते थे।^१

श्लोक ७२

२७-(तिन्त्रचण्डप्पगाढाओ क, घोराओ ल) :

इसमें तीत्र, चण्ड, प्रगाढ और घोर—ये चार समालोच्य शब्द हैं। नारकीय-वेदना को रम-विशक की दृष्टि से तीत्र कहा गया है। चण्ड का अर्थ है—उत्कट। दीर्घकालीनता की दृष्टि से उसे प्रगाढ कहा गया है। घोर का अर्थ है—गैद।^२

श्लोक ७५

२८-रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती (निष्प्रतिकर्मया ष) :

निष्प्रतिकर्मता काय-क्लेश नामक तप का एक प्रकार है।^३ दशवर्कालिक (३।४) में चिकित्सा को अनाचार कहा है। उत्तराध्ययन में कहा है—भिधु चिकित्सा का अभिनन्दन न करे (२।३१, ३३) तथा जो चिकित्सा का पगित्याग करता है, वह भिक्षु है (१५।८)। यहाँ निष्प्रतिकर्मता का जो संवाद है, वह उक्त तथ्यों का समर्थन करता है। निर्रन्त्य-परम्परा में निष्प्रतिकर्मता (चिकित्सा न कर्माने) का विद्वान् रहा है। किन्तु, सम्भवतः यह विशिष्ट अभिप्रहारी निर्रन्त्यों के लिए रहा है।

देखिए—दमवेआलिय (भाग २), ३।४ का टिप्पण, सख्या २६।

श्लोक ७६-८३

२९-श्लोक ७६-८३ :

७६ वें श्लोक में 'मियपक्खिण' पाठ आया है। आगे के श्लोकों में केवल 'मृग' का ही बार-बार उल्लेख हुआ है। यह क्यों ? इसके समाधान में टीकाकार ने बताया है कि मृग प्रायः उपशम-प्रधान होते हैं। इसलिए बार-बार उन्हीं के उदाहरण से विषय को समझाया गया है।^४

श्लोक ७८

३०-महावन में (महारण्यमि ल) :

टीकाकार का कथन है कि यहाँ 'महा' शब्द विशेष प्रयोजन से ही लिया गया है। साधारण अरण्य में लोगों का आवागमन रहना है। वहाँ कोई कृपालु व्यक्ति किसी पशु को पीड़ित देख उसकी चिकित्सा कर देता है। जैसे किमी वैद्य ने अरण्य में एक व्याघ्र की आँखों की चिकित्सा की थी। महारण्य में आवागमन न होने से पशुओं की चिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता।^५

१-शेषनाममाला, श्लोक १४१ :

मुषुण्डी स्याद् बाह्ययी, वृत्तामकीलतचिता ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६१ .

तीत्रा अनुमागतोऽत एव चण्डा —उत्कटा प्रगाढा —गुपस्त्रितिकास्तत एव 'घोरा.' रौद्रा ।

३-औपपातिक, सूत्र १९

सर्वगायपरिकम्म विभूस विष्पमुक्के ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६३ :

इह च मृगपक्षिणामुभयेषामुभये यन्मृगस्यैव पुन. पुनदृष्टान्तात्वेन समर्थनं तत्तस्य प्रायः प्रथमप्रधानत्वाच्चिति सम्प्रदाय.

५-बही, पत्र ४६२ .

'महारण्य' इति महाप्रहणममहति ह्यरण्येऽपि कश्चिदकवाचित्तयेत् दृष्ट्वा च कृपालुश्चिकित्सेद्यपि, भूयते हि केनचिद्मिथवा व्याघ्रस्य चक्षुर्द्धादितमटव्यामिति ।

श्लोक ८०

३१-लता निकुञ्जों में (वल्लराणि य) :

यह देश्य शब्द है। इसके सात अर्थ हैं—अरण्य, महिष, क्षेत्र, युवा, समीर, निर्जन-देश और वन ।^१

टीकाकार ने इनके चार अर्थों का निर्देश किया है—अरण्य, निर्जल देश, वन और क्षेत्र ।^२ यहाँ वल्लर का अर्थ—गहन (लता-निकुञ्ज) होना चाहिए ।

श्लोक ६२

३२-वल्ल से काटने और चन्दन लाने पर मम रहने वाला (वासीचन्दनकण्ठो ग) :

शाक्त्याचार्य के अनुसार 'वासी' और 'चन्दन' शब्द के द्वारा उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का ग्रहण किया गया है। कोई व्यक्ति वल्ल से छीलता है, दूसरा चन्दन का लेव करना है—मुनि दोनों पर समभाव रखे। यहाँ 'कला' शब्द का अर्थ 'मट्टन' है ।^३ जैन-साहित्य में यह साम्ययोग बार-बार प्रतिध्वनित होता रहा है—

जो चन्दनेन वाहुं आलिपइ वासिणा वि सञ्छेइ ।

संभुणइ जो अ निबइ महारिसिणो तत्थ समभावा ॥

(उपदेशमाला, ६१२)

१-वेणीनाममाला, ७।८६

वल्लरमरणमहितसखेत्तजुवसमीरणिजलवणेसु ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६२ :

उक्तं च—'गहनमवाणियदेशे रणे क्षेत्रे च वल्लर जाण ।'

३-वही, पत्र ४६५ ।

वासीचन्दनशब्दाभ्यां च तदभ्यापारकपुष्पावुपलक्षितौ, ततश्च यदि किलैको वास्या तदणोति अन्यथ गोपीर्वाभिला चन्दनेना-
लिम्पति, तथाऽपि रागद्वेषाभाबतो द्वयोरपि तुल्य, कल्पशब्दस्यैह सहापययित्वात् ।

अध्ययन २० महानियण्टिज्जं

श्लोक २

१-रत्नों से (रयणो क) :

यहाँ 'रयण' शब्द के दो अर्थ हैं—(१) हीरा, पन्ना आदि रत्न तथा (२) विविष्ट हाथी, घोड़े ।
राजाओं की श्रद्धि-मिद्धि में विविष्ट लक्षण-युक्त हाथी-घोड़ों को भी 'रत्न' माना गया है ।

श्लोक ७

२-प्रदक्षिणा (पयाहिणं ख) :

इस श्लोक में वन्दन के पश्चात् 'प्रदक्षिणा' का कथन आया है । वन्दन के साथ ही 'प्रदक्षिणा' की विधि रही है तो यहाँ वन्दन के बाद प्रदक्षिणा का कथन कैसे—यह प्रश्न हो सकता है ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका समाधान यों दिया है कि पूज्य व्यक्तियों के दीखते ही वन्दना करनी चाहिए । इसकी सूचना देने के लिए प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में किया गया है ।^१ किन्तु यह समाधान हृदय का स्पर्श नहीं करता । क्या इस श्लोक में यह सूचना नहीं मिलती कि वन्दना के बाद प्रदक्षिणा दी जाती थी ?

श्लोक ६

३-नाथ (नाहो ख) :

अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के संक्षण को 'क्षेम' कहा जाता है । जो योग क्षेम करने वाला होता है, वह 'नाथ' कहलाता है ।^२ अनायी मुनि ने श्रेणिक से कहा—“गृहस्थ जीवन में मरा बोटी नाथ नहीं था । मैं मुनि बना और नाथ हो गया—अपना, दूसरों का और सब जीवों का ।”^३

बौद्ध-साहित्य में १० नाथ-करण धर्मों का निरूपण इस प्रकार मिलता है—

कौन दम धर्म बहूत उरकारक है ? दस नाथ-करण धर्म -

(१) आवसो^४ । भिक्षु शीलवान्, प्राप्तिमोक्ष (भिक्षुनियम)-मन्त्र (वक्त्र) ने रात्रि (आच्छादित) होता है । सार्द्धं गी बुगद्दयो (बद्य) में भी भय-दर्शी, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदों को) ग्रहण कर शिक्षापदों को सीखता है । जो यह आवसो । भिक्षु शीलवान्,^५ यह भी धर्म नाथ-करण (न अनाथ करने वाला) है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७२

रत्नानि—सरकतादीनि प्रवरगजावधाहिरूपाणि वा ।

२-वही, पत्र ४७३

पादबन्धनान्तरं प्रदक्षिणाऽभिधानं पूज्यानामालोक एव प्रणामं क्रियते इति व्यापनार्थम् ।

३-वही, पत्र ४७३

'नाथ' योगक्षेमविधाता ।

४-उत्तराध्ययन, २०।३५

ततो ह नाहो जाओ अप्पणो य परस्स य ।

सक्खेसि चेष भूयाण तसाण थावराण य ॥

(२) भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-मचयवान् होता है। जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक-सम्बन्धन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं, वैसे धर्म, (भिक्षु) के बहुत सुते, ग्रहण किए, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित, दृष्टि से सुप्रतिषिद्ध (=अन्तस्तल तक देखे) होते हैं , यह भी धर्म नाय-करण होता है।

(३) भिक्षु कल्याण-मित्र=कल्याण-सहाय=कल्याण-मप्रवक होता है। जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र० होता है, यह भी०।

(४) भिक्षु सुवच, सौवचस्य (=मधुरभाषिता) वाले धर्मों में युक्त होता है। अनुगामनी (=धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणग्राही=समर्थ (=क्षम) (होता है), यह भी०।

(५) भिक्षु सन्नह्यचारियो के जो नाना प्रकार के कर्त्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष=आलस्य रहित होना है, उनमें उपाय=विमर्श से युक्त, करने में समर्थ=विधान में समर्थ होता है, यह भी०।

(६) भिक्षु अभिधर्म (=सूत्र में), अभि-वित्तय (=भिक्षु-नियमों में), धर्म-काम (--धर्मच्छेद), प्रिय-समुदाहार (=दूसरे के उपदेश को सत्कार पूर्वक सुनने वाला, स्वयं उपदेश करने में उत्साही), बडा प्रमुदित होता है, यह भी०।

(७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, पिडपात, शयनासन, स्नान-प्रायश्च-भेषज्य-परिष्कार से सन्तुष्ट होता है०।

(८) भिक्षु अकुशल-धर्मों के विनाश के लिए, कुशल-धर्मों की प्राप्ति के लिए उद्योगी (=आग्नेय-वीर्य), स्थामवान्=दृढपराक्रम होता है। कुशल-धर्मों में अनिक्षिप्त=धुर (=भगोडा नहीं) होगा०।

(९) भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक में युक्त होता है, बहुत पुराने किए, बहुत पुराने भाषण किए का भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है०।

(१०) भिक्षु प्रजावान् उदय अस्त गामिनी, आय निर्बंधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचने वाली), सम्यक्-दुःख-क्षय-गामिनी प्रजा से युक्त होता है०।^१

श्लोक २२

४—(आयरिया क, सत्यकुसला ग) :

'आयरिया'—यहाँ आचार्य शब्द का प्रयोग प्राणाचार्य—बैद्य के लिए हुआ है।^२

'सत्यकुसला'— इसके दो अर्थ हो सकते हैं—(१) शास्त्र-कुसाल—आयुर्वेद विचारद और (२) शस्त्र-कुसाल—शत्य-क्रिया में निपुण।^३

श्लोक २३

५—चतुष्पाद (चाउष्पायं ख) :

चिकित्सा के चार पाद होते हैं—ब्रह्म, औषध, रोगी और रोगी की श्रुषा करने वाले। जहाँ इन चारों का पूर्ण योग होता है, उसे 'चतुष्पाद-चिकित्सा' कहते हैं।^४ स्थानाग में इन चारों अङ्गों को 'चिकित्सा' कहा गया है।^५

१—वीथ-निकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४७५

'आचार्या' इति प्राणाचार्या वैद्या इति याचत।

३—बही, पत्र ४७५

'सत्यकुसल' इति शस्त्रेषु शास्त्रेषु वा कुसला शस्त्रकुसला शास्त्रकुसला वा।

४—बही, पत्र ४७५ :

'चाउष्पाय' इति चतुष्पादां भिषगैवजातुरप्रतिचारकात्मकचतुर्मा(त्मकमा)नचतुष्पायात्मिकाम्।

५—स्थानाग, ४।४।३४३।

चउष्पिहा तिगिष्ठा पल्लसा, तंजहा—चिउओ ओसपाइं जाउरे परिचारते।

श्लोक ४२

६—सिक्के (कर्षावणे ल) :

भारतवर्ष का अत्यधिक प्रचलित सिक्का 'कार्षापण' था। मनुस्मृति में इसे ही 'घरण' और 'राजत-पुराण' (चाँदी का पुराण) भी कहा गया है।^१ चाँदी के कार्षापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताम्बे के 'कर्ष' का वजन ८० रत्ती था। ताम्बे के कार्षापण को 'पण' कहते थे।^२ पाणिनीय सूत्र पर बार्तिक लिखते हुए कात्यायन ने 'कार्षापण' को 'प्रति' कहा है और 'प्रति' से खरीदी जाने वाली वस्तु को 'प्रतिक' कहा गया है। पाणिनि ने इन सिक्कों को 'आहत' कहा है।^३ जातकों में 'कहापण' शब्द पाया जाता है। अष्टाध्यायी में 'कार्षापण' और 'पण' ये दोनों पाए जाते हैं।^४ सम्भव है चाँदी के सिक्के का 'कार्षापण' और ताम्बे के कर्ष का नाम 'पण' रहा हो।^५

श्लोक ४५

७—(कोऊहल ल, कुहेडविज्जा ग) :

'कोऊहल'—सन्तान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान आदि कराने को 'कौतुक' कहा जाता है।^६

'कुहेडविज्जा'—मिथ्या-आश्चर्य प्रस्तुत करने वाली मन्त्र-तन्त्रात्मक विद्या को 'कुहेटक'-विद्या कहा जाता है।^७ दूसरे शब्दों में इसे 'इन्द्रजाल' कहा जा सकता है।

श्लोक ४७

८—(उद्देसियं कीयगडं नियगं क) :

देखिए—इमवेआलिप, (भाग २), ३।२ टिप्पण संख्या, ९, १०।

१-मनुस्मृति, ८।१३५, १३६ :

पल सुवर्णश्चतवार पलानि घरणं दश।

द्वे कृण्वले समधृते विज्ञेयो रूप्यमावकः॥

ते षोडश स्याद्धरण पुराणश्चैव राजतः।

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताञ्जिक कार्षिकः पणः।

२-वही, ८।१३६।

३-पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।२।१२०।

४-(क) पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।१।२९।

(ल) वही, ५।१।३४।

५-पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० २५७।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७९

कौतुक च अपत्याद्यर्थ स्नपनादि।

७-वही, पत्र ४७९।

कुहेटकविद्या—अलीकाशचर्यविधायिमन्त्रसन्त्रज्ञानात्मिकाः।

अध्ययन २१

समुद्रपालीयं

श्लोक १

१—श्रावक (सावए ण) :

भगवान् महावीर का सच चार भागों में विभक्त था—श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका।^१ भगवान् ने दो प्रकार का धर्म बताया—अगार-चारित्र-धर्म और अनगार-चारित्र-धर्म।^२ जो अगार-चारित्र-धर्म का पालन करता है, वह श्रावक या श्रमणोपासक कहलाता है।

श्लोक २

२—कोविद् (विकोविए ण) :

बहुत से श्रावक भी निर्ग्रन्थ प्रवचन के विद्वान् होते थे।^३ औपपातिक सूत्र में श्रावकों को लब्धार्थ, पृष्ठार्थ, गृहीतार्थ आदि कहा गया है।^४ राजीमती के लिए भी 'बहुश्रुत' विशेषण प्रयुक्त हुआ है।^५

३—पोत से व्यापार करता हुआ (पोएण ववहरन्ते ग) :

भारत में नौका द्वारा व्यापार करने की परम्परा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (१।२५।७, १।४८।३, १।५६।२, १।११६।३, २।४८।३; ३।८८।३ ४) में समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख आता है तथा भुज्युनाविक के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर मुरझित लौट आने का वर्णन है।

गण्डार जातक (२।१२८, ५।७५) में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पाँच सौ व्यापारी यात्रा कर रहे थे, जो कि उब गए। विनय-पिटक में पूर्ण नामी एक भारतीय व्यापारी के छ बार समुद्र-यात्रा करने का वर्णन है। मयुक्त-निकाय (२।११५, ५।५१) व अगुत्तर-निकाय (४।२७) में छ-छ महीनों तक नाव द्वारा की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन है। दीघ-निकाय (१।२२२) में वर्णन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्र-यात्रा करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते थे। जब जहाज स्थल से बहुत दूर पहुँच जाता और भूमि के कोई चिह्न दिखाई नहीं देते, तब उन पक्षियों को छोड़ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो वे पक्षी वापस नहीं आते अन्यथा थोड़ी दूर तक इधर-उधर उड़कर वापस आ जाते थे।

आश्रयक निर्युक्ति के अनुसार जल-पोतों का निर्माण भगवान् ऋषभ के काल में हुआ था।^६ जैन-साहित्य में 'जलपत्तन' के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^७ वहाँ नौकाओं के द्वारा माल आता था।

१—स्थानाग, ४।४।३६३

चउच्चिहे सघे प० त०—समणा समणीओ साधया साविआओ।

२—बही, २।१।७२

चरित्तधम्मो बुविहे प० त०—अगारचरित्तधम्मो चेष अणगारचरित्तधम्मो चेष।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८२

'नेर्ग्रन्थे' निग्रन्थसम्बन्धिनि 'पावघणे'ति प्रवचने श्रावक स इति पालितो विशेषेण कोविदः—पडितो विकोविद्।

४—औपपातिक, सूत्र ४१।

५—उत्तराध्ययन, २२।३२।

६—आश्रयक निर्युक्ति, २१४।

पोता सह सागरंभि बहणाईं।

७—(क) बृहत्कल्प, भाग २, पृ० ३४२।

(ख) आचाराग वृत्ति, पृ० २६१।

सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन आदि में दुस्तर-कार्य की समुद्र-यात्रा से मुलना की गई है।^१ नालन्दा के लेप नामक गाहाबई के पास अनेक यान-पात्र थे।^२ सिंहलद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि में अनेक व्यापारी जाते थे। ज्ञाता-धर्मकथा (११६) में जिनपालित और जिनरक्षित के बारह बार लवण-समुद्र की यात्रा करने का उल्लेख है। लवण-समुद्र-यात्रा का प्रलम्ब वर्णन ज्ञाता-धर्मकथा (११७) में भी है।

श्लोक ६

४—बहत्तर कलाएँ (बावतरिं कलाओ क) :

बहत्तर कलाओं की जानकारी के लिए देखिए—ममवायाग, समवाय ७२।

श्लोक ८

५—वध्य-जनोचित मण्डनों से शोभित (वज्जमण्डणमोभागं ग) :

इन शब्दों में एक प्राचीन परम्परा का संकेत मिलता है। प्राचिन काल में खोरी करने वाले को कठोर-दण्ड दिया जाता था। जिसे बध की सजा दी जाती थी, उसके गले में कणेर के लाल फूलों की माला पहनाई जाती, उसे लाल कपड़े पहनाए जाते, उसके शरीर पर लाल चन्दन का लेप किया जाता और उसे सारे नगर में घुमाते हुए उसके वध्य होने की जानकारी देते हुए उसे क्ष्मशान की ओर ले जाया जाता था।^३

श्लोक १३

६—(दयानुकम्पी क, खन्तिक्खमे ल) :

'दयानुकम्पी'—बृहद्बृत्ति के अनुसार दया के दो अर्थ हैं—

(१) हितोपदेश देना।

(२) रक्षा करना।

जो हितोपदेश और सब प्राणियों की रक्षा—अहिंसा रूप दया—में कम्पन-शील होता है, वह 'दयानुकम्पी' कहलाता है।^४

'खन्तिक्खमे'—जो क्षान्ति से कुबचनो को सहन करता है, वह 'क्षान्ति-क्षम' कहलाता है, किन्तु अशान्ति से सहन करने वाला नहीं।^५

१—(क) सूत्रकृतांग, ११११५।

(ख) उत्तराध्ययन, ८१६।

२—सूत्रकृतांग, २१७१६९।

३—(क) सूत्रकृतांग, ११६ वृत्ति, पत्र १५०, वृत्ति, पृ० १८४

खोरो रक्तकणबीरकृतमुष्मालो रक्तपरिधानो रक्तचन्दनोपलितस्य ग्रहतबध्यडिडिडिमो राजमार्गेण नीयमान।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४८३ :

वधमहति बध्यस्तस्य मण्डनानि—रक्तचन्दनकरबीराक्षीनि सै शोभा—तत्कालोचितपरभागरक्षणा यरघासौ बध्यमण्डन-शोभाकस्तम्।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८५

वयया—हितोपदेशादिनात्मिकया रक्षणरूपया वाऽनु कम्पनशीलो दयानुकम्पी।

५—बही, पत्र ४८५-४८६ :

आगत्या न त्वशक्त्या क्षमते—प्रत्यनीकाद्युबीरित बुर्बचनादिकं सहत इति क्षान्तिक्षम।

श्लोक १४

७-कार्य (कालं क) :

यहाँ 'काल' शब्द समयोचित प्रतिलेखनादि कार्य करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।^१

श्लोक १५

८-(न सव्व सव्वत्थं भिरोयएज्जा ग, न यावि गरहं ष) :

'न सव्व सव्वत्थं भिरोयएज्जा'—शान्त्याचार्य के अभिमत से इसके दो अर्थ हैं—

(१) जो कुछ देखे उसी को न चाहे ।

(२) एक बार विशेष कारण से जिसका सेवन करे, उसका सर्वत्र सेवन न करे ।^२

'न यावि गरहं'—इसका अर्थ है कि मुनि गहरी (परापवाद) को वाञ्छा न करे । कई व्यक्ति ऐसा मानते थे कि गहरी (आत्म-गहरी या हीन भावना) से भी कर्म-क्षय होता है । अतः उस मत का खण्डन करने के लिए गहरी का ग्रहण किया गया है—ऐसा टीकाकार का अभिमत है ।^३ इसका दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि परापवाद न करे ।

श्लोक २१

९-प्रधानवान् (संयमवान्) (पहाणवं ख) :

यहाँ 'प्रधान' शब्द का प्रयोग संयम के अर्थ में किया गया है । समय मुक्ति का हेतु है, इसलिए उसे प्रधान कहा गया है ।

'प्रधानवान्' अर्थात् सयमी ।^४

श्लोक २२

१०-विविक्त लयनों (एकान्त स्थानों) का (विविक्तलयणाइ क) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'स्त्री आदि रहित उपाश्रय' किया है ।^५ लयन का मुख्य अर्थ 'पहाड़ों में कुरेदा हुआ गृह (गुफा)' होता है । 'लेणी' इसी लयण या लेण का अपभ्रंश है ।

१-गृहद् वृत्ति, पत्र ४८६ :

कालमिति—कालोचितं प्रत्युपेक्षणादि कुर्वन्निति शेषः ।

२-वही, पत्र ४८६ :

'न सव्व' स्ति सर्वं वस्तु सर्वत्र स्थानेऽभ्यरोक्षयत, न यथादृष्टामिलाहुकोऽसूचिति भावः, यद्विधा यदेकत्र पुटालः सनतः सेवितं न तस्सर्षम्—अभिमतताहारादि सर्वत्रामिलवित्तवान् ।

३-वही, पत्र ४८६ .

ग्रह च गहरीतोऽपि कर्मक्षय इति केचिदतस्तन्मतव्यवच्छेदार्थं गहरीग्रहणं, यद्वा गहरी—परापवादरूपा ।

४-वही, पत्र ४८७

प्रधानः स च संयमी मुक्तिहेतुत्वात् स यस्यास्त्यसौ प्रधानवान् ।

५-वही, पत्र ४८७ :

'विविक्तलयणानि' स्थ्यादिविरहितोपाश्रयस्थानाणि विविक्तरवादेव च ।

अध्ययन २२

रहनेमिच्छं

श्लोक १

१—राज-लक्षणों से युक्त (रायलक्षणसंशुण ष) :

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजा के लक्षण चक्र, स्वस्तिक, अंकुश आदि होते हैं और योग्यता की दृष्टि से स्वयं, स्वयं, शोभ्य आदि गुण ।^१ तीसरे श्लोक की श्रुति में राजा के लक्षण छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज-चिह्न बताए गए हैं ।^२

श्लोक ५

२—(लक्षणस्तर ण, अद्भुतसहस्रलक्षणधरो ण) :

'लक्षणस्तर'—शाक्त्याचार्य ने स्वर के लक्षण सौन्दर्य, गाम्भीर्य आदि माने हैं ।^३

'अद्भुतसहस्रलक्षणधरो'—शरीर के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अंकुश आदि रेखा-जनित आकारों को 'लक्षण' कहा जाता है ।^४ साधारण मनुष्यों के शरीर में ३२, बलदेव, वासुदेव के १०८, चक्रवर्ती और तीर्थङ्कर के १००८ लक्षण होते हैं ।^५

श्लोक ६

३—(वज्जरिसहस्रधयणो ऋ, समचउरंसो ष) :

'वज्जरिसहस्रधयणो'—संहनन का अर्थ है—अभ्य-बन्धन—हृदियों के बन्धन । इसके छ प्रकार हैं—

- (१) वज्र-ऋषभ-नाराच ।
- (२) ऋषभ-नाराच ।
- (३) नाराच ।
- (४) अर्ष नाराच ।
- (५) कीलिका ।
- (६) अर्षप्रसप्तपाटिका ।^६

१—शुद्ध श्रुति, पत्र ४८९

राजेश राजा स्वयं लक्षणानि—चक्रस्वस्तिकाङ्कुशादीनि त्यागस्यसौर्यादीनि वा ।

२—वही, पत्र ४८९ .

राजलक्षणानि—छत्रचामरसिंहासनादीन्यपि गृह्यन्ते ।

३—वही, पत्र ४८९ .

लक्षणानि—सौन्दर्यगाम्भीर्यादीनि ।

४—प्रबन्धनसारादीन्द्रार श्रुति, पत्र ४१० :

अं सरीरेण सह समुप्युत्तं सं लक्षणं ।

५—वही श्रुति, पत्र ४१०-४११ ।

६—प्रसायना, पत्र २३।२, सूत्र २९३ ।

जिसमें सग्वि की दोनों हड्डियाँ जापस में आँटी लगाए हुए हों, उन भर तीसरी हड्डी का बेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन तीनों को जोड़ कर रही हुई हो, ऐसे मुदकतम अस्थि-बन्धन का नाम 'सम-श्लेषम-नारायण बन्धन' है ।

'समचतुरसो'—संस्थान का अर्थ है—शरीर की आकृति । उसके छ. प्रकार हैं—


- (१) समचतुरस्र ।
- (२) न्यग्रोधपरिमण्डल ।
- (३) स्वाति (सादि)
- (४) वामन ।
- (५) कृष्ण ।
- (६) हुण्ड ।^१

पालथी भार कर बैठे हुए जिस व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं, वह 'समचतुरस्र संस्थान' है ।

श्लोक ८

४—पिता उग्रसेन (जणओ क) :

राजीमती के पिता का नाम उग्रसेन था ।^२ उत्तरपुराण के अनुसार उग्रसेन का वंश इस प्रकार है^३—



विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन के ६ पुत्र और ४ पुत्रियाँ थी ।^४

पुत्रों के नाम—कस, न्यग्रोध, मुनाम, आनकाह्व, शक्रु, मभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धवृष्टि और मुनुष्टिमान् ।

पुत्रियों के नाम—कसा, कंसवती, मुनन् और राष्ट्रपालिका ।

'मुनन्' राजीमती का दूसरा नाम है । देखिए—श्लोक मँतीस का टिप्पण ।

१—प्रज्ञापना, पृष्ठ २३।२, सूत्र २९३ ।

२—बृहद् वृत्ति, पृष्ठ ४९०

अनकस्तास्या.—राजीमत्या उग्रसेन इत्युक्तम् ।

३—उत्तरपुराण, ७०।९३-१०० ।

४—विष्णुपुराण, ४।१।१००-२१ ।

श्लोक ६

५-(सञ्जोसहीहि क, कयकोउयमंगलो ष, दिञ्जुयल ग) :

'सञ्जोसहीहि'—शान्खाचार्य ने स्नान में प्रयुक्त होने वाली निम्न औषधियाँ बतलाई हैं—

- (१) जया ।
- (२) विजया ।
- (३) ऋद्धि ।
- (४) वृद्धि आदि ।^१

'कयकोउयमंगलो'—विवाह के पूर्व घर के ललाट से मूषल का स्पर्श करवाना आदि कार्य 'कौतुक' कहलाते हैं और दही, अक्षत, दूब, चन्दन आदि द्रव्य 'मंगल' कहलाते हैं ।^२ इनका विवाह आदि मंगल-कार्य में उपयोग होता है ।

वाल्मीकीय-रामायण के अनुसार समारोहों पर घर का अलंकरण किया जाता था, जो 'कौतुक-मंगल' कहलाता था ।^३

'दिञ्जुयल'—प्राचीन काल में प्रायः दो ही वस्त्र पहने जाते थे—(१) अन्तरीय—नीचे पहनने के लिए होती और (२) उत्तरीय—ऊपर ओढ़ने के लिए चदर ।^४

श्लोक १०

६-गन्धहस्ती पर (गन्धहर्त्थि क) :

गन्धहस्ती सब हस्तियों में प्रधान होता है, इसीलिए इसे ज्येष्ठक (पट्ट-हस्ती) कहा गया है ।^५ इसकी गन्ध से दूसरे हाथी भाग जाते हैं या निर्वीर्य हो जाते हैं ।

श्लोक ११

७-दसारचक्र से (दसारचक्रेण ग) :

समुद्रविजय आदि दस यादव और उनका समूह 'दशाहं चक्र' कहलाता था ।

शान्खाचार्य तथा अभयदेव सूरि ने 'दसार' का संस्कृत रूप 'दशाहं' किया है ।^६ दशवंकालिक चूर्ण में 'दसार' शब्द ही प्राप्त है ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० .

सर्षपश्च ता औषधयश्च—जयाविजयाऽर्द्धवृद्धयादय सर्षपश्चयस्तामि ।

२-बही, पत्र ४९० .

कौतुकानि—ललाटस्य मुषालस्पशनादीनि मंगलानि च—व्यक्षतवृषाचिग्वनादीनि ।

३-रामायणकालीन संस्कृति, पृ० ३२ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० .

विभ्ययुगलमिति प्रस्तावाद् ब्रज्ययुगलम् ।

५-बही, पत्र ४९० :

ज्येष्ठमेव ज्येष्ठकम्—अतिशयप्रशास्यमतिशृद्धं वा गुणैः पट्टहस्तिनमित्यर्थः ।

६-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० :

'दसारचक्रेण' ति दशाहं चक्रेण यदुसमूहेन ।

(ख) अन्तकृद्दशांग १११, वृत्ति—

दशा च तेऽर्हाश्च—पूज्या इति दशाहं ।

७-दशवैकालिक जिनवास चूर्ण, पृ० ४१ .

अहा दसारा महुराओ जरासिधुरायभ्यात् बारचहं गया ।

समुद्रविजय, इन्द्रोम्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्, अचल, चरण, पूरण, अग्निचन्द्र, वसुदेव—ये दस भाई थे।^१ उत्तरपुराण में 'चरण' के स्थान में 'धारण' और 'इन्द्रोम्य' के स्थान में 'अग्निचन्द्र' नाम मिलता है।^२ सम्भवतः इन्हीं के कारण 'दत्तार' शब्द बना किन्तु आगे चलकर वह बहु-समूह के अर्थ में रह हो गया। अन्तकृतदद्या में 'दत्तारं दत्तारणं' पाठ मिलता है। इसमें दत्तार के साथ दत्त शब्द और जुड़ा हुआ है। इससे लगता है कि दत्तार शब्द प्रत्येक साईं या बहुवचनी के लिए प्रयुक्त होने लगा था।

श्लोक १३

८-वृष्णिपुङ्गव (वृष्णिपुंगवो व) :

अन्धक और वृष्णि ये दो भाई थे। वृष्णि अरिष्टनेमि के दादा थे। उनसे वृष्णि-कुल का प्रवर्तन हुआ। अरिष्टनेमि वृष्णि-कुल में ५ वंशान पुत्र थे। ३ त उ-हैं यहाँ वृष्णिपुङ्गव कहा गया है।^३ दशार्ककालिक तथा इस अध्ययन के ४३ वें श्लोक में इनका कुल 'अन्धक-वृष्णि' कहा गया है।^४ अन्धक-वृष्णि-कुल दोनों भाइयों के समुक्त नाम से प्रचलित था।

उत्तरपुराण में 'अन्धक वृष्टि' शब्द है और यह एक ही व्यक्ति का नाम है। कुशाग्र (कुशाग्र ?) देवा के सौर्यपुर नगर के स्वामी क्षारदेण के शूरवीर नाम का पुत्र था। उसके दो पुत्र हुए अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि। समुद्रविजय आदि अन्धकवृष्टि के पुत्र थे।^५

देखिए—पृ० १५६ श्लोक ८ का टिप्पण।

१-अन्तकृतदद्यां, १११, वृत्ति—

दत्तारं दत्तारणं ति तत्रैते दत्त—

समुद्रविजयोऽन्द्रोम्य, स्तिमितः सागरस्तथा ।

हिमवान् अचलश्चैव, चरणः पूरणस्तथा ॥

अग्निचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीर्यवान् ।

वसुदेवानुजे कथ्ये, कुन्ती माद्री च विश्रुते ॥

२-उत्तरपुराण, ७०।१५-१७

धर्माध्वकवृष्टेश्च सुभद्रायाश्च तुम्बरा ।

समुद्रविजयोऽन्द्रोम्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥

हिमवान् विजयो विद्वान्, अचलो धारणाह्वयः ।

पूरणं पूरितार्थीच्छो, नवमोऽप्यग्निन्दन ॥

वसुदेवोऽभिमन्वैवं, दद्यात्तुवन् शशाग्रमा ।

कुन्ती माद्री च सोमे वा, सुते प्रादुर्बभूवुः ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९० :

'वृष्णिपुंगव.' दादवप्रधानो ऋषानरिष्टनेमिरितियावत् ।

४-बाणकालिक, २।८ ।

५-उत्तरपुराण ७०।१२-१४

तदा कुशाग्रविश्वे, तद्दशाम्बरभास्वतः ।

अभार्यनिजशरैरेण, निर्जिताशेषविहिषः ।

ख्यातकौवपुराणीण-सुरसेनमहीयतेः ॥

सुतस्य शूरवीरस्य, धारिण्याश्च तसूदसवौ ।

विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च, पतिवृष्टिर्निराविवाक् ॥

श्लोक १४-२२

१-श्लोक १४-२२ :

उत्तराध्ययन के अनुसार अरिष्टनेमि ने बाड़ों में रोके हुए जानवरों को देखा, उनके बारे में सारथि से पूछा। सारथि ने बताया—वे आपके विवाह के भोज के लिए हैं। अरिष्टनेमि ने इसे अपने लिए उचित न समझा। उन्होंने अपने सारे आभरण उतार कर सारथि को दे दिए और वे अभिनिष्क्रमण के लिए तैयार हो गए।

वे जानवर कहाँ रोके हुए थे और किसने रोके थे? मूल आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। सुलबोधा के अनुसार वे उपसेन के द्वारा विवाह-मण्डप के आस-पास ही बाड़ों में रोके हुए थे।^१

उत्तरपुराण में इससे भिन्न कल्पना है। उसके अनुसार श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए बाड़ों में हिरनों को एकत्रित करवाया था। श्रीकृष्ण ने सोचा—नेमिकुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जाएँगे। ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी समझ में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियों से पकड़वा कर अनेक मृगों का समूह बुलाया और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर उसके चारों ओर बाड़ा लगवा दो तथा वहाँ जो रक्षक नियुक्त किए थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ शिशाओ का अवलोकन करने के लिए आएँ और इन मृगों के विषय में पूछें तो उनसे साफ-साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चक्रवर्ती ने यह मृगों का समूह बुलवाया है।

एक दिन नेमिकुमार चित्रा नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर शिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर कर्णस्वर से चिल्ला-चिल्लाकर इधर उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगों को देख दयावश वहाँ के रक्षकों से पूछा कि यह पशुओं का बहुत भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोका गया है? उत्तर में रक्षकों ने कहा—“हे देव! आपके विवाहोत्सव में व्यय करने के लिए महाराज श्रीकृष्ण ने इन्हे बुलाया है।” यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और कभी किसी का कुछ अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीडा पहुँचाते हैं। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौट कर अपने घर आ गए। रत्नत्रय प्रकट होने से उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व-भवों का स्मरण कर वे भय से काँप उठे। उसी समय उन्होंने धाकर दीक्षा-कल्याण का उत्सव किया।^२

किन्तु इसकी अपेक्षा उत्तराध्ययन का विवरण अधिक हृदयस्पर्शी है।

श्लोक १५

१०— (जीवियन्तं तु संपत्ते क, मंसटा ल, महापन्ने ग, सारहिं ष) :

‘जीवियन्तं तु संपत्ते’—यहाँ निकट भविष्य में मारे जाने वाले या जीवन की अन्तिम दशा में होने वाले प्राणियों को ‘मृत्यु-सम्प्राप्त’ कहा है।^३

१-सुलबोधा, पत्र २७९।

२-उत्तरपुराण, ७१।१५२ १६८।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०

जीवितस्यान्तो—जीवितान्तो मरणमित्यर्थस्तं संग्राहानिब संग्राहान्, अतिप्रत्यासन्नरथासरथ, यद्वा जीवितस्यान्तः— ५६.११६.१
मागस्तमुक्तहेतो संग्राहान्।

'मंसद्रु'—(१) मांस के लिए या (२) मांस से मांस का उपपन्न होता है इसलिए अपना मांस बढ़ाने के लिए—ये दोनों 'मंसद्रु' के अर्थ हो सकते हैं ।^१

'महापत्ने'—इसका प्रकरणगत अर्थ है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अबधिज्ञान से सम्पन्न ।^२

'सारहिं'—अरिष्टिनेमि राजभवन से गन्ध-हस्ती पर आरूढ होकर चले थे परन्तु सम्भवतः विवाह-मण्डन के समीप पहुँचकर वे रथ पर चढ़ गए—यह इस 'सारधि' शब्द से सूचित होता है या 'महाव्रत' के अर्थ में ही सारधि शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^३

श्लोक १७

११-भद्र (भद्रा ख) :

वे प्राणी 'श्रेष्ठ' या 'निरपराध' थे इसलिए उन्हें यहाँ 'भद्र' कहा गया है । कुत्ते, मियार आदि अभद्र माने जाते हैं ।^४

श्लोक १६

१२-परलोक में (परलोगे घ) :

भगवान् अरिष्टिनेमि चरम-शरीरी और विशिष्ट-ज्ञानी थे । फिर भी 'परलोक में भेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा'—यह जो कहा—उसका तात्पर्य यह है कि यह पापकारी प्रवृत्ति है ।^५ किसी भी पापकारी प्रवृत्ति के लिए—'यह परलोक में श्रेयस्कर नहीं होगा'—इस सामान्य उक्ति का प्रयोग किया जाता है ।

परलोक का एक अर्थ पशु-जगत् भी है ।^६ इस सन्दर्भ में प्रसृत चरणों का अर्थ—'यह मेरा कार्य पशु-जगत् के प्रति कल्याणकर नहीं होगा'—यह भी किया जा सकता है ।

श्लोक २२

१३-शिविका रत्न में (मीयारयणं ख) :

इस शिविका का नाम 'उत्तरकुल' था और इसका निर्माण देवों ने किया था ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०-४९१

'मांसार्थ' मांसनिमित्त च भक्षयित्वात् मांसस्यैवातिगृह्णित्वेन तद्भक्षणनिमित्तत्वादेवमुक्तं, यद्विवा 'मांसैरेव मांसमुपधीयते' इति प्रवादतो मांसमुपचितं स्यादिति मांसार्थम् ।

२-वही, पत्र ४९१

महती प्रज्ञा— प्रक्रमान्मतिश्रुताबधिज्ञानत्रयात्मिका यस्यासौ महाप्रज्ञा ।

३-वही, पत्र ४९१

'सारधि' प्रवर्त्तयितार प्रक्रमादगन्धहस्तिनो हस्तिपङ्कमितियावत्, यदाऽत एव तदा रयारोहणमनुधीयत इति रथप्रवर्त्तयितारम्

४-वही, पत्र ४९१

'महा उ' ति 'मद्रा एव' कल्याणा एव न तु श्वश्र्मालावया एव कुस्सिताः, अनपराधतया वा मद्रा ।

५-वही, पत्र ४९१-४९२

नैव 'निस्तेसं' ति 'नि श्रेयस' कल्याण परलोके भविष्यति, पापहेतुत्वावस्येति भावः, भवान्तरेषु परलोकनीरुत्वस्यात्यन्तमन्यस्त-
श्रेयसनिधानमन्यया चरमशरीरत्वावतिवायज्ञानित्वाच्च सगवत कुत एवविचिन्तावसरः ?

६-आषाराराग, २।११, बूर्णि पृ० ३७१ ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४९२

'शिविकारत्न' देवनिर्मितमुत्तरकुलनामकमिति गम्यते ।

श्लोक ३०

१४—श्लोक ३० :

भगवान् अरिष्टनेमि दीक्षा लेकर जनपद में विचरण करने लगे । उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । जब वे विचरण करते हुए पुनः द्वारका आए तब राजीमती ने उनकी देवता सुनी । पहले ही वह विरक्त थी, फिर विशेष विरक्त हुई । तत्पश्चात् उसने जो किया वह इस श्लोक में वर्णित है ।^१

१५—कंधी से (फणग ञ) :

यह देवी शब्द है । इसका अर्थ है—कंधी ।^२ सूत्रकृताग में इसी अर्थ में 'फणिह' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^३

श्लोक ३५

१६—भुजाओं के गुम्फन से बक्ष को ढाँक कर (बाहाहिं काउं संगोफं ग) :

संगोप का अर्थ है—भुजाओं का परस्पर गुम्फन—स्तनों पर मकट बंध लगाना ।^४

नेमिचन्द्राचार्य ने इसका अर्थ 'पंकुटीबन्ध' किया है । उनके अनुसार इसका संस्कृत रूप 'संगोफ' है ।^५

श्लोक ३७

१७—मुतनु ! (सुयणू ! ग) :

इस शब्द से राजीमती को आमन्त्रित किया गया है । चूर्ण और टीकाओं में इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है ।

विष्णुपुराण के अनुसार उपमेन की चार पुत्रियों में एक का नाम मुतनु था ।^६ सम्भव है यह राजीमती का दूसरा नाम रहा हो ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४९३

इत्थं चासौ तावदवस्थिता यावदव्यत्र प्रविष्टाय तत्रैव गतवानावगाम, तत उपात्तवेदस्य २,२,२तो निशाय देवतां विदेवत उत्पन्नवैराग्या किं कृतवतीत्याह—'अहे' त्यादि ।

२—बही, पत्र ४६३

कणकः—कङ्कतक ।

३—सूत्रकृताग, १।४।२।११

संवासगं च फणिह च, सोहलियासगं च आवाहि ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६४ :

'संगोपं' परस्परबाहुगुम्फन स्तनोपरिमकटबन्धचितियावत् ।

५—सुतबोधा, पत्र २८३

'संगोफं' पंकुटीबन्धनरूपम् ।

६—विष्णुपुराण ४।१।४।२१ .

कंसाकंसवतीसुतनुराष्ट्रपालिकाद्वारबोधसेनस्य तनूजाः कन्याः ।

श्लोक ४३

१८-भोजराज की (भोजराजस्त क) :

विष्णुपुराण में कंस को भोजराज कहा है ।^१ कीर्तिराज (वि० १४६५ से पूर्ववर्ती) द्वारा रचित नेमिनाथ चरित में उपसेन को भोजराज तथा राजीमती को भोज-पुत्री या भोजराज-पुत्री कहा गया है ।^२ कुछ प्रतियों में 'भोजराजस्त' पाठ मिलता है । वहाँ या तो लिपिदोष के कारण ऐसा हुआ है अथवा यह हो सकता है कि किसी परम्परा में 'ज' को 'ग' आदेश कर 'भोजराजस्त' पाठ किया गया । जहाँ 'भोजराजस्त' पाठ है वहाँ भी उसका संस्कृत रूप 'भोजराजस्य' ही होना चाहिए ।

१-विष्णु पुराण, ३।५।२६ ।

२-नेमिनाथ चरित :

इत्यथाऽन्नभोज तुल्याऽन्नो, भोजराजांममूरुत् ।
उपसेनो महीजामिच्छसेनास्यभितः ॥९।४३॥
स्मिन्वां विदुषां नृपभोजपुत्रीं, सात्राज्यस्यर्षी स्वजनं च हित्वा ।
विष्णुमुत्साम्य च मामनीषाम्, बभूव वीसाऽमिदुजोऽयमेभिः ॥१०।४५॥
अपभोजनरेवपुत्रिका, प्रविमुक्ता प्रयुवा तपस्विनी ।
अस्यद् नस्ययुक्तोचना, सिधिलांया सुखिता म्हीरले ॥११।१॥

अध्ययन २३ केसिगोयमिञ्जं

श्लोक २

१—कुमार-भ्रमण (कुमारसमणे ण) :

कुमार शब्द का सम्बन्ध 'कुमार भ्रमण' और 'केसिकुमार'—इस प्रकार दोनों रूपों में किया जा सकता है। शान्त्याचार्य ने प्रथम रूप मान्य किया है।^१

श्लोक ११

२—आचार-धर्म की व्यवस्था (आचारधम्मपणिही ण) :

यहाँ 'आचार' का अर्थ है—वेष-धारण आदि बाह्य क्रिया-कलाप और प्रणिधि का अर्थ है—व्यवस्थापन। इसका समग्र अर्थ है—'बाह्य क्रिया-कलापरूप धर्म का व्यवस्थापन'।^२ बाह्य क्रिया-कलापों को धर्म इसलिए कहा है कि वे भी आत्मिक-विकाश के हेतु बनते हैं।

श्लोक १२

३—श्लोक १२ :

मिलाइए—स्थानाग ४।१।२६६।

श्लोक १३

४—(अचेलगो ण, सन्तरुत्तरो ख) :

'अचेलगो'—इसके दो अर्थ हैं—

(१) साधना का वह प्रकार जिसमें वस्त्र नहीं रखे जाते।

(२) साधना का वह प्रकार जिसमें श्वेत और अल्प-मूल्य वाले वस्त्र रखे जाते हैं।

यहाँ अचेलक शब्द के द्वारा इन दोनों अर्थों की सूचना दी गई है।^३

'सन्तरुत्तरो'—शान्त्याचार्य ने 'अन्तर' का अर्थ विशेषित (विशेषता युक्त) और 'उत्तर' का अर्थ प्रधान किया है। दोनों की तुलना में इसका अर्थ यह होता है कि भगवान् महावीर ने अचेल या कुचेल (केवल श्वेत और अल्प-मूल्य वस्त्र वाले) धर्म का निरूपण किया

१—गृह्यदृष्टि, पत्र ४९८ :

केसिगोयमिञ्जं कुमारसमणो आचारधम्मपणिही ण ।

२—वही, पत्र ४९९ ।

आचारधम्मपणो—वेषधारणविको बाह्यः क्रियाकलाप इत्यर्थः स एव पुनरुत्तरात्मकः, प्राप्यते हि बाह्यक्रियामाचारवधि नवमधेयैकमितिकृत्वा, सत्य प्रणिधिः—व्यवस्थापनमाचारधर्मप्रणिधिः ।

३—वेदो, 'सन्तरुत्तरो' का कृत्वा पाठ-विषय ।

और भगवान् पार्वनाथ ने प्रमाण और वर्ण की विशेषता से विशिष्ट तथा मूल्यवान् वस्त्र वाले धर्म का अर्थात् सचेल धर्म का निरूपण किया ।^१

आचारांग (१।१।४।५।६) तथा कल्पसूत्र (सू० २५६) में 'संततस्तर' शब्द मिलता है । श्रीलोकसूरि ने आचारांग के 'संततस्तर' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—उत्तर अर्थात् प्रावरणीय, सान्तर अर्थात् भिन्न-भिन्न समयों में । मुनि अपनी आत्मा को तौलने के लिए सान्तरोत्तर भी होता है । वह वस्त्र को क्वचित् काम में लेता है, क्वचित् पास में रखता है और सर्दी की आर्षाका से उसका विसर्जन नहीं करता ।^२

कल्पसूत्र के चूर्णिकार और टिप्पणकार ने 'अन्तर' शब्द के तीन अर्थ किए हैं—(१) सूती वस्त्र, (२) रजोहरण और (३) पात्र तथा उत्तर शब्द के दो अर्थ किए हैं—(१) कम्बल और (२) ऊपर ओढ़ने का वस्त्र-उत्तरीय ।^३ वहाँ प्रकरण प्राप्त अर्थ यह है कि भीतर सूती कपड़ा और ऊपर ऊनी कपड़ा ओढ़कर भिक्षा के लिए जाए । शान्त्याचार्य ने जो अर्थ किया है वह कुबेल शब्द की तुलना में संगन हो सकता है किन्तु अचेल के साथ उसकी पूरी संगति नहीं बैठती । वर्षा के समय भीतर सूती कपड़ा और उसके ऊपर ऊनी कपड़ा ओढ़कर बाहर जाने की परम्परा रही है ।^४ शान्त्याचार्य ने भी ३० वें श्लोक के लिए शब्द का अर्थ वर्षा-कल्प आदि रूप-वेष किया है^५ और ३२ वें श्लोक के 'नानाविध-विकल्पन' एवं 'यात्रार्थ' की व्याख्या में भी इसका उल्लेख किया है ।^६ यहाँ अचेल और सचेल का वर्णन है इसलिए अन्तर का अर्थ अंतरीय—अवोवस्त्र और उत्तर का अर्थ उत्तरीय—ऊपर का वस्त्र भी किया जा सकता है ।

इस प्रकार सान्तरोत्तर के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं—

- (१) उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति—श्वेत और अल्प मूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला धर्म ।
- (२) आचारांग वृत्ति—वस्त्र को क्वचित् ओढ़ने वाला और क्वचित् अपने पास में रखने वाला ।
- (३) कल्पसूत्र चूर्ण और टिप्पण—सूती वस्त्र को भीतर और ऊनी वस्त्र को ऊपर ओढ़कर भिक्षा के लिए जाने वाला ।

ये तीनों अर्थ भिन्न दिशाओं में विकसित हुए हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०० :

'अचेलकवच' उत्तम्यायेनाधिष्ठमानचेलक. कुत्सितचेलको वा यो धर्मो वर्षमानेन वेधित इत्यपेक्ष्यते, तथा 'ओ इमो' सि पूर्ववद् यथाय सान्तराणि—वर्द्धमानस्वामिसत्कयतिवस्त्रापेक्षया कस्यचित्कदाचिन्मानवर्षविशेषतो विशेषितानि उत्तराणि च—महाधनमूल्यतया प्रधानानि प्रकृताहस्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरो धर्मः पार्ष्णेन वेधित इतीहापेक्ष्यते ।

२—आचारांग १।१।४।५।६ वृत्ति, पत्र २५२—

अथवा क्षेत्राधिगुणाद् हिमकणिनि वाते वाति सति आरमपरितुलनार्थं शीतपरीक्षाार्थं सान्तरोत्तरो भवेत्—सान्तरमुत्तरं—प्रावरणीयं यस्य स तथा, क्वचित् प्रावृणोति क्वचित् पार्श्ववर्तिं विमर्ति, शीतार्शंकया नाद्यापि परित्यजति ।

३—(क) कल्पसूत्र चूर्ण, सूत्र २५६ ।

(ख) कल्पसूत्र टिप्पणक, सूत्र २५६ ।

४—(क) ओषधिर्युक्ति, गाथा ७२६ वृत्ति ।

(ख) धर्मसंग्रह वृत्ति, पत्र ६६ .

कम्बलस्य च वर्षासु बहिर्निर्गतानां तास्कालिकदृष्ट्यावकायपरक्षणनुपयोग, यतो बालवृद्धम्लाननिमित्तं क्वचित्पि जलधरे भिक्षाये असह्योच्चारणप्रवणपरिष्ठापनार्थं च निःसरतां कम्बलावृत्तबोहाना न तथा विधायाव्यविराधनेति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०३ :

स्निग्धं—वर्षाकल्पादिकस्यो वेध ।

६—(क) वही, पत्र ५०३ .

'नानाविधविकल्पनं' प्रकृत्यापानाप्रकारोपकरणारिकल्पनं, नानाविधं हि वर्षाकल्पाद्युपकरणं यथावच्छक्तिष्वेव संभवतीति ।

(ख) वही, पत्र ५०३ :

यात्रा—संयमनिर्वाहस्तदर्थं, दिना हि वर्षाकल्पादिकं वृष्ट्यादौ संयमथापेव स्यात् ।

श्लोक १७

५—(पंचमं कुसतणाणि च) :

यहाँ पाँच प्रकार के नृणों का उल्लेख किया गया है—

- (१) शाली—कमल शाली आदि का पलाल ।
- (२) व्रीहिक—साठी चावल आदि का पलाल ।
- (३) कोद्रव—कोद्रव धान्य, कोदो का पलाल ।
- (४) रालक—कंगु का पलाल ।
- (५) अरण्य-नृण—श्यामाक आदि ।^१

श्लोक १६

६—(पासण्डा च) :

पासंड शब्द श्रमण का पर्यायवाची नाम है ।^१ जैन और बौद्ध-साहित्य में 'पाषंड' शब्द श्रमण-सम्प्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता था । आश्वक्य (४) में 'परपासंड प्रसंता' और 'परपासंड संथवो' ये प्रयोग मिलते हैं । उत्तराख्ययन १७।१७ में 'परपासण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । वहाँ पाषंड के साथ 'पर' शब्द है, उससे 'आत्म-पाषंड' और 'पर-पाषंड'—ये दो प्रकार स्वयं कलित हो जाते हैं ।

अशोक अपने बारहवें शिलालेख में कहता है—'देवोंका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के श्रमणों की (पाषण्डियों की), परिव्राजकों की और गृहस्थों की दान-धर्म से तथा अन्य अनेक प्रकारों से पूजा करता है । पर देवोंका-प्रिय दान और पूजा को उतना महत्त्व नहीं देना जितना सब पाषण्डियों की सार-वृद्धि को । सार-वृद्धि के अनेक प्रकार हैं । उसका मूल है वाचा-गुप्ति । उदाहरणार्थ आत्म-पाषण्डि की भ्रमर न करे और पर-पाषण्डि की निन्दा न होने दे । यदि कोई भ्रगडे का कारण उपस्थित हो भी जाए तो उसे महत्त्व न दे । 'पर-पाषंड' का मान रखना अनेक प्रकार से उचित है । ऐसा करने से वह 'आत्म-पाषंड' की निश्चय से अग्निवृद्धि करता है और 'पर-पाषंड' पर भी उपकार करता है ।'

स्वामिनां १०।७६० में दस धर्मों में चौथा धर्म 'पाषंड-धर्म' है । अभयदेव सूरी ने इसका अर्थ—'पाषण्डियों का आचार' किया है ।^३ स्वामिनां १०।७६१ में दस प्रकार के स्वविर बतलाए गए हैं । उनसे तुलना करने पर पाषण्ड का अर्थ 'धर्म सम्प्रदाय' होना चाहिए ।

ग्राम-धर्म	ग्राम-स्वविर ।
नगर-धर्म	नगर-स्वविर ।
राष्ट्र-धर्म	राष्ट्र-स्वविर ।
पाषंड-धर्म	प्रशास्तु-स्वविर ।
कुल-धर्म	कुल-स्वविर ।
गण-धर्म	गण-स्वविर ।
संघ-धर्म	संघ-स्वविर ।

१—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६३५ :

तप्ययणं पुत्र मणियं जिजेहिं जियरागवोसमोहेहिं ।

सामी वीह्ति कोद्रव रालक रण्णे तिणां च ॥

२—इसवैवास्तिक मिर्युक्ति गाथा १६४, १६५ ।

३—स्वामिनां १०।७६० वृत्ति, पत्र ४८९ ।

पाषण्डधर्मः पाषण्डिनामाचार ।

संख्याक्रम से प्रशास्त्र-स्थविर चौथा है। इसका अर्थ है—धर्मोपदेशक। दस धर्मों में इसकी संख्याक्रम से पाषण्ड-धर्म से तुलना होती है, इसलिए इसका अर्थ 'धर्म-सम्प्रदाय' ही होना चाहिए।

शान्स्याचार्य ने यहाँ^१ और तिरसठमें^२ श्लोक की व्याख्या में पाषण्ड का अर्थ 'धृती' किया है।

मनुस्मृति में पाषण्ड का प्रयोग गृहित अर्थ में हुआ है।^३ उसका तात्पर्य ध्रमण-परम्परा के अर्चित शब्द का अर्थापकर्ष करना ही हो सकता है।

श्लोक २६

७—(उज्जुजडा क, वक्रजडा ख, उज्जुपन्ना ग) :

'उज्जुजडा'—ऋजु और जड। प्रथम तीर्थङ्कर के साधु 'ऋजु-जड' होते हैं। वे स्वभावतः ऋजु होते हैं, अतः उन्हें तत्त्व का बोध कराना अत्यन्त दुष्कर होता है।^४

'वक्रजडा'—वक्र और जड। अन्तिम तीर्थङ्कर के मुनि 'वक्र-जड' होते हैं। वे स्वभावतः वक्र होते हैं, उनके लिए तत्त्व का पालन अत्यन्त दुष्कर होता है।^५

'उज्जुपन्ना'—ऋजु और प्राज्ञ। मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों के मुनि 'ऋजु-प्राज्ञ' होते हैं। वे स्वभावतः सरल, सुबोध्य और आचार-प्रवण होते हैं।^६

स्थानाङ्ग में बताया गया है कि प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में पाँच स्थान दुर्गम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आख्यान करना।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा की दृष्टि से विभाग करना।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना।
उत्पन्न परीषहो को सहन करना।
- (४) धर्म का आचरण करना।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०१ -

पाषण्डं—व्रत तद्योगान् 'पाषण्डा' शेषव्रतिनः।

२—बही, पत्र ५०८ -

कुप्रवचनेषु—कपिलादिप्ररूपितकुत्सितवर्शनेषु पाषण्डिनो—व्रतिनः।

३—मनुस्मृति, ४।३०

पाषण्डिनो विकर्मस्थाग्बैडालव्रतिकाऽष्टठान्।

हेतुकान्त्वकवृत्तीश्च वाद्भात्रेणापि नाच्येत ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०२ -

'उज्जुजडे' ति, ऋजुवश्व प्राञ्जलतया जडाश्च तत एव दुष्प्रतिपाद्यतया ऋजुजडा।

५—बही, पत्र ५०२ :

'वक्रजडा य' ति, वक्राश्च दम्बबोधरया जडाश्च तत एव रवकान्नेषु कुविषरपतो विवक्षितार्थप्रतिपरदक्षमतया वक्रजडा।

६—बही, पत्र ५०२।

'ऋजुप्राज्ञाः' ऋजुवश्व ते प्रकर्वेण जानन्तीति प्राज्ञाश्च सुबोध्यै विवक्षितमर्थं प्राह्यितुं शक्यन्त इति ऋजुप्राज्ञा।

७—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६।

मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के शासन में पाँच स्थान सुगम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आस्थान करना ।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना ।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना ।
- (४) उत्पन्न परोषद्धों को सहन करना ।
- (५) धर्म का आचरण करना ।^१

श्लोक ५५

८—साहसिक (साहसिओ क) :

सूत्रकार के समय में इसका अर्थ 'बिना विचारे काम करने वाला' रहा है ।^२ तदन्तर इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ और आज इसका अर्थ 'साहस वाला' किया गया जाता है ।

१—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०७ :

सहसा असमीक्ष्य प्रवर्तत इति साहसिकः ।

अध्ययन २४

पवयण-माया

श्लोक १

१-आठ प्रवचन-माताएँ (अष्ट पवयणमायाओ ऋ) :

'मायाओ' शब्द के 'माता' और 'मातर'—ये दो संस्कृत रूप किए जा सकते हैं। पाँच समितियों और तीन गुणियों—इन आठों में सारा प्रवचन समा जाता है, इसलिए इन्हें 'प्रवचन-माता' कहा जाता है। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें 'प्रवचन-माता' कहा जाता है। पहले में 'समाने' का अर्थ है और दूसरे में 'माँ' का।^१ इसी अध्ययन के तीसरे श्लोक में 'समाने' के अर्थ में प्रयोग है।^२ 'माँ' का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है।

श्लोक ३

२-आठ समितियाँ (अष्ट समिह्यो ऋ) :

इसमें 'समितियाँ' आठ बनलाई गई हैं। प्रश्न होता है कि समितियाँ पाँच ही हैं तो यहाँ आठ का कथन क्यों ?

टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'गुणियाँ' केवल निवृत्त्यात्मक ही नहीं होतीं, किन्तु प्रवृत्त्यात्मक भी होती हैं इसी अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमत गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी।^३

श्लोक ७

३-युग-मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) (जुगमिचं ऋ) :

'युग' का अर्थ है शरीर या गाड़ी का जुआ। चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए अर्थात् शरीर या गाड़ी के जुए जितनी लम्बी होनी चाहिए। जुआ जैसे प्रारम्भ में सकडा और आगे से विस्तृत होता है वैसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए।^४ युग-मात्र का

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१३-५१४ .

ईयांसमित्याद्यो माता अभिधीयन्ते 'मातरम्'—अन्तरस्थितं 'सुनु' निषिक्तं 'प्रवचन' द्वावशाङ्ग 'पत्र' इति यासु । तथेयं निर्युक्ति-
कृता मातराब्धो निमित्तः, यदा तु 'माय' ति पदस्थ मातर इति—संस्कारस्तादा प्रव्यमातरौ जनन्यो मायमातरस्तु समितयः,
एताम्भ्यः प्रवचनप्रसवान्, उक्तं हि—'एया पवयणमाया बुबालसंगं पसूयातो' ति ।

२-उत्तराध्ययन, २४।३ .

बुबालसंगं जिगन्त्यायं, मायं जत्य उ पवयणं ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१४ :

गुणीनामपि 'प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गमननिवारणं गुप्ति' रिति वचनात्कर्षाविरसञ्ज्ञेष्टात्मकावासासमितिशब्दाव्याज-
अस्तीत्येवमुपन्यासः, यत् मेवेनोपादानं तत्समितीनां प्रवीचारात्प्रव्यत्वेन गुप्तीनां प्रवीचारात्प्रवीचारात्मकत्वेनाभ्योऽर्थं कर्षाविरसञ्ज्ञेष्टात्,
तथा चागमः —

"समिओ नियमा गुप्तो गुप्तो समियत्तमि मद्रयन्वो ।

कुसलवद्गुदीरंतो जं वद्गुप्तोऽपि समिओऽपि ॥"

४-वशावैकालिक, ५।१।३, जिनवात चूर्णं पृ० १६८ ।

दूसरा अर्थ है 'चार हाथ प्रमाण' । इसका तात्पर्य है कि मुनि चार हाथ प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले ।^१ विशुद्धिमार्ग में भी भिक्षु को युगमात्र-दर्शी कहा है—'इसलिए लोलुप स्वभाव को त्याग, बाँझें नीची किए, युगमात्र-दर्शी—चार हाथ तक देखनेवाला हो । धीर (भिक्षु) संसार में इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक सपदानचारी बने ।'^२ आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी युगमात्र भूमि को देखकर चलने का विधान है ।^३ मिलाइए—दसवेआलियं (भाग २), ५।१।३ का टिप्पण, सख्या १५ ।

कहीं-कहीं 'युग' के स्थान पर 'कुम्कुट के उड़ान की दूरी जितनी भूमि पर दृष्टि डालकर चलने' की बात मिलती है । इस प्रकार चलने वाले भिक्षु 'कौकेटिक' कहलाते थे ।^४

श्लोक १२

४-परिभोगैषणा में दोष-चतुष्क (परिभोयंमि चउक्कं ग) :

इस चरण में यह बताया गया है कि मुनि परिभोग-एषणा में चार वस्तुओं—(१) पिंड, (२) शय्या-वसति, (३) वस्त्र और (४) पात्र—का विशेषण करे ।^५

दशवैकालिक (६।४७) में अकल्पनीय पिंड आदि चारों को लेने का निषेध किया गया है । प्रकारान्तर से चतुष्क के द्वारा, संयोजना आदि दोषों का ग्रहण किया गया है । यद्यपि भोजन के संयोजना, अप्रमाण, अकार, धूम, कारण आदि पाँच दोष हैं, फिर भी शास्त्राचार्य ने अंगार और धूम दोनों को एक-कोटिक मान यहाँ इनकी संख्या चार मानी है ।

श्लोक १३

५-(ओहोवहोवग्गहियं क, भण्डगं ख) :

'ओहोवहोवग्गहियं'—उपधि दो प्रकार के होते हैं—

- (१) ओष-उपधि ।
- (२) औपग्रहिक-उपधि ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१५ :

'युगमात्रं च' अतुहस्तप्रमाण प्रस्तावात्क्षेत्र प्रेक्षेत ।

२-विशुद्धिमार्ग, १।२, पृ० ६८ .

लोलुपचारं च पहाय तस्मा ओभिक्षतचक्खु युगमसदस्सी ।

आकङ्खमानो मुवि सेरिचारं चरेय्य धीरो सपदानचारं ॥

३-अष्टांगहृदय, सूत्र स्थान २।३२

विचरेव् युगमात्रहक् ।

४-पाणिनि अष्टाध्यायी ४।४।४६ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१७

'परिभोग' इति परिभोगैषणायां अतुष्क पिण्डशय्यावस्त्रपात्रात्मकम्, उक्तं हि—'पिंडं सेवज च वर्यं च, अउत्थ पायमेव य' इति, विशेष्येत, इह अतुष्कशब्देन, तद्विषय उपभोग उपलक्षितः, ततस्तं विशेष्येति, कोऽर्थः ?—उद्गमादिबोधत्वागतः शुद्धमेव अतुष्कं परिमुञ्जीत, यविषोद्गमादीनां बोधोपलक्षणत्वात् 'उग्गम' इति उद्गमबोधान् 'उप्यायणं' इति उपायनाबोधान् 'एत्तण' इति एषणाबोधान् विशेष्येत, 'अतुष्कं च' संयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमकारणात्मकम्, अङ्गारधूमयोर्मोहनीयान्तरत्वात्तत्रैवकस्या विवक्षितत्वात् ।

जो स्यायी रूप से अपने पास रखा जाता है उसे 'ओष-उपधि' और जो विशेष कारण वश रखा जाता है उसे 'ओषग्रहिक-उपधि' कहा जाता है ।^१

जिन-कल्पिक मुनियों के बारह, स्य विर-कल्पिक मुनियों के चौदह और साध्वियों के पञ्चम ओष-उपधि होते हैं । इससे अधिक उपधि रखे जाते हैं, वे सब ओषग्रहिक होते हैं ।^२

'भण्डग' (भण्डक) का अर्थ 'उपकरण' है । ओषनिर्युक्ति के अनुसार उपधि, उपग्रह, संग्रह, प्रग्रह, अवग्रह, भण्डक, उपकरण और करण— ये सब पर्यायवाची हैं ।^३

श्लोक १६-१८

६—श्लोक १६-१८ :

इन श्लोकों में परिष्ठापन विधि का समुच्चिन निर्देश हुआ है । मुनि कहीं और कैसे परिष्ठापन करे, इसकी विधि बतलाते हुए कहा है कि गाँव और उद्यानों से दूरवर्ती स्थानों में, कुछ समय पूर्व दग्ध स्थानों में मूत्र आदि का विसर्जन करे । क्योंकि स्वल्पकाल पूर्व के दग्ध-स्थान ही सर्वथा अचिन (जीव-रहित) होते हैं । जो चिरकाल दग्ध होते हैं, वहाँ पृथ्वीकाय आदि के जीव पुन उत्पन्न हो जाते हैं ।^४

पन्द्रह कर्मादानों में 'दब-शाह' एक प्रकार है । यह दो प्रकार का होता है—

(१) व्यसन से—अर्थात् फल की अपेक्षा किये बिना ही वनो को अग्नि से जला डालना ।

(२) पुण्य-वृद्धि से—अर्थात् कोई व्यक्ति मरते समय यह कह कर मरे की मेरे मरने के बाद इनने धर्म-दीपोत्सव अवश्य करना । ऐसी स्थिति में भी वन आदि जलाये जाते थे । अथवा धान्य आदि की समृद्धि के लिये क्षेत्रों में उगे हुए तृण आदि जलाये जाते थे ।^५

उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ उम समय प्रचलित थी, अतः मुनियों को दग्ध-स्थान सहज मिल जाते थे ।

१—ओषनिर्युक्ति, गाथा ६६७ ।

ओहे उबगहंमि य बुबिहो उबही उ होइ नायब्बो ।

२—वही, गाथा ६७१-६७७ ।

३—वही, गाथा ६६६ ।

उबही उबगहे संगहे य तह पगगुमहे खेव ।

संठम उबगरणे य करणे धि य हृति एगट्टा ॥

४—हृद् वृत्ति, पत्र ५१८

'अचिरकालकृते च' बाहाविना स्वल्पकाल निर्बलिते, चिरकालकृते हि पुन संमृच्छन्त्येव पृथ्वीकायावय ।

५—प्रबचन सारोद्धार, गाथा २६६ वृत्ति, पत्र ६२ ।

अध्ययन २५

जन्महृज्जं

श्लोक ४

१-यज्ञ (जन्मं च) :

यज्ञ वैदिक परम्परा का आधार है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ-कर्म कहा है।^१

कर्म-काण्डी श्रीमामको का अभिमत है कि जो यज्ञ को छोड़ देता है, वह श्रौत-धर्म से वञ्चित हो जाता है। भगवान् महावीर के समय यज्ञों का प्रचलन अधिक था। केवल उत्तराध्ययन में ही यज्ञों का विरोध दो स्थलों में पाया जाता है। श्रौत यज्ञों के बन्द होने में जैन मुनियों के प्रयत्न बहुत महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

लोकमान्य तिलक के अनुसार—“उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-दृष्टि से इन कर्मों की गौणता धा चुकी थी (गीता २।४१-४६)। यही गौणता अहिंसा-धर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढ़नी गई। भागवत-धर्म में स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है कि यज्ञ-याग वेद-बिहित है, तो भी उनके लिए पशु-बध नहीं करना चाहिए। धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए। (देखिए—महाभारत शान्तिपर्व ३३६।१० और ३३७)। इस कारण (तथा कुछ अशो में आगे जैनियों के भी ऐमे ही प्रयत्न करने के कारण) श्रौत-यज्ञ मार्ग की आज-कल यह दशा हो गई है कि काशी सरीखे बड़े-बड़े धर्म-श्रेणों में भी श्रौताभिहोत्र पालन करने वाले अस्मिन्-होत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते हैं और ज्योतिषोम आदि पशु-यज्ञों का होना तो दम-तीस वर्षों में कभी-कभी मूना पड़ता है।”^२

धर्मानन्द कौशाम्बी के अनुसार यज्ञ के उन्मूलन की दिशा में पहला प्रयत्न भगवान् पार्श्व ने किया “इस प्रकार के लम्बे-चौड़े यज्ञ लोगों को कितने अप्रिय होते जा रहे थे, टमके और भी बहुत-से उदाहरण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इन यज्ञों से ऊब कर जो तापस जगलों में चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामों में आते भी थे तो लोगों को उपदेश देने के फेर में नहीं पड़ते थे। पहले-पहल ऐसा प्रयत्न सम्भवतः पार्श्वनाथ ने किया। उन्होंने जनता को दिखा दिया कि यज्ञ याग धर्म नहीं, चार याम ही सच्चा धर्म-मार्ग है। यज्ञ-याग से ऊबे हुए सामान्य जनता ने तुरन्त इस धर्म को अपनाया।”^३

श्लोक ७

२-विप्र, द्विज (विष्पा क, दिया ल) :

सामान्यतः 'विप्र' और 'द्विज'—ये दोनों शब्द 'ब्राह्मण' के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इनके निरुक्त भिन्न-भिन्न हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं उन्हें 'विप्र' कहा जाता है। यह 'जाति-त्राचक' सज्ञा है। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं और योग्य वय को प्राप्त हो यज्ञोपवीत धारण करते हैं—संस्कारित होते हैं, उन्हें 'द्विज' कहा जाता है। यह एक विशिष्ट संस्कार है जो कि दूसरा जन्म ग्रहण करने के सदृश माना जाता है।^४

१-शतपथ ब्राह्मण १।७।४।५ :

यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ।

२-गीता रहस्य, पृ० ३०५ ।

३-भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ६१ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२३ :

विप्रा जातिस्त, ये 'द्विजा' संस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मानः ।

उत्तरजम्भयणं (उत्तराध्ययन)

१७५ अध्ययन २५ : श्लोक ७, ६, १०, ११, १६

यह भी सम्भव है कि जो वेदों के ज्ञाता होते थे, उन्हें 'विप्र' और जो यज्ञ आदि करने-कराने में निपुण होते थे, उन्हें 'द्विज' कहा जाता था। यह भाव स्वयं प्रस्तुत श्लोक के प्रथम और द्वितीय चरण में स्पष्ट है —

जे य वेदविद्वि विष्वा,
जन्मद्वा य जे विष्वा ।

३-ज्योतिष आदि वेद के छहों अंगों को जानने वाले (जोड़मंगविद्वि ग) :

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—ये छह वेदांग कहलाते हैं। इनमें शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत्र, छन्द पंख और ज्योतिष नेत्र हैं। इसीलिए वेद-शरीर के ये अंग कहलाते हैं। इनके द्वारा वेदार्थ को समझने में मन्थवान् सहायता प्राप्त होती है। वेद के प्रधान प्रतिपाद्य यज्ञों से ज्योतिष का विशिष्ट सम्बन्ध है।

आचार्य ज्योतिष (श्लोक ३६) में कहा गया है—'यज्ञ के लिए वेदों का अवतरण है और काल के उपयुक्त मन्त्रिणों से यज्ञों का सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष को 'काल-विधायक-शास्त्र' कहा जाता है। फलतः ज्योतिष जानने वाला ही यज्ञ का ज्ञाता है।'^१ इसीलिए यहाँ ज्योतिषांग का प्रयोग किया गया है।^२

श्लोक ६

४-श्लोक ९ :

यह श्लोक दशवंशकालिक, अ० ५।२ के २७ और २८ श्लोक के उपदेश का याद दिलाता है

बहु परधरे अत्थि विधिह्वा इमसा इमं ।
न तत्थ पंडितो कुप्ये इच्छा देज्ज परो न वा ॥
सयणासण वत्थ वा मत्तपाण व सजए ।
अदेतस्स व कुप्येज्जा पच्चक्खे वि य दीसओ ॥

श्लोक १०

५-श्लोक १० :

यह श्लोक सूत्रकृताङ्ग के निम्न अंश में तुलनीय है

'ते विद्वन् धम्म किट्टमाणे—नग्गरथ कम्मनिज्जरट्टए धम्ममाइक्खेज्जा' (२।१)

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक के चारों चरणों में 'मुह' शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले और तीसरे चरण में प्रयुक्त 'मुह' का अर्थ 'प्रधान' और दूसरे तथा चौथे चरण में उसका अर्थ 'उपाय' है।^३

श्लोक १६

७-श्लोक १६ :

इस श्लोक में चौदहवें श्लोक में पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है—वेदों में प्रधान तत्त्व क्या है? इसके

१-वैदिक साहित्य, पृ० २३३ ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२३

अत्र च ज्योतिषस्थोपादानं प्राधान्यव्यापकम् ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२४ ।

उत्तर में कहा गया है—वेदों में प्रधान तत्त्व अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का अर्थ विजयघोष जानता था किन्तु जयघोष उसे अग्निहोत्र का वह अर्थ समझाना चाहते थे जिसका प्रतिपादन आरण्यक-काल में होने लगा था। आत्म-यज्ञ के संदर्भ में जयघोष ने कहा है—'बही का सार जैसे नक्कीत होता है वैसे ही वेदों के सार आरण्यक हैं। उनमें सत्य, तप, संतोष, संयम, चारित्र्य, आर्जव, क्षमा, धृति, श्रद्धा और बहिष्सा—यह उस प्रकार का धर्म बतलाया गया है। बही सही अर्थ में अग्निहोत्र है।' इससे यह फलित होता है कि जैन-मुनियों की दृष्टि में वेदों की अपेक्षा आरण्यकों का अधिक महत्त्व था। वेदों को वे पशुबन्ध—छाग आदि पशुओं के बंध के हेतुभूत मानते थे।^१ आरण्यक-काल में वैदिक-ऋषियों का भुक्ताव अवस्थ-यज्ञ की ओर रुखा, इसलिए जयघोष ने वेदों की अपेक्षा आरण्यकों की विशेषता का प्रतिपादन किया। शान्त्याचार्य ने आरण्यक तथा ब्रह्माण्डपुराणात्मक विद्या को ब्राह्मण-सम्पदा माना है।^२

दूसरा प्रश्न है यज्ञ का उपाय (प्रवृत्ति—हेतु) क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया है—यज्ञ का उपाय 'यज्ञार्थी' है। इस बात को विजयघोष भली-भाँति जानता था किन्तु जयघोष ने उसे यह बताया कि आत्म-यज्ञ के संदर्भ में इन्द्रिय और मन का संयम करने वाले याजक की प्रधानता है।

तीसरा प्रश्न है—नक्षत्रों में प्रधान क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया—नक्षत्रों में प्रधान चन्द्रमा है। इसकी तुलना गीता के—
नक्षत्राणामहं शशी (१०।२१) से होती है।

चौथा प्रश्न है—धर्मों का उपाय (आदि कारण) कौन है ? इसके उत्तर में कहा गया—धर्मों का उपाय काश्यप है। यहाँ काश्यप शब्द के द्वारा भगवान् ऋषभ का ग्रहण किया गया है। वृत्तिकार ने इसके समर्थन में एक आरण्यक-वाक्य उद्धृत किया है—'तथा आरण्यकम्—
ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा, तेन भगवता ब्रह्मणा स्वयमेव धीर्जानि ब्रह्मणि, यथा च तपसा प्राप्त पवं यद् ब्रह्मकेवलं तथा च ब्रह्मर्षिणा प्रणीतानि, कानि पुनस्तानि ब्रह्मणि ?'^३ इत्यादि।

किन्तु यह वाक्य किन आरण्यक का है यह हमें ज्ञान नहीं हो सका। वृत्ति-रचनाकाल में हो सकता है, यह किसी आरण्यक में हो और वर्तमान संस्करणों में प्राप्त न हो। या यह भी हो सकता है कि जिन प्रतियों में यह वाक्य प्राप्त था वे आज उपलब्ध न हो।

वृत्तिकार ने अपने प्रतिपाद्य का समर्थन ब्रह्माण्डपुराण के द्वारा भी किया है।^४

स्थानाङ्ग में सात मूल गोत्र बतलाए गए हैं। उनमें पहला काश्यप है। भगवान् ऋषभ ने वार्षिक तप के पाठना में 'काश्य' अर्थात् रस पिया था, इसलिए वे 'काश्यप' कहलाए। मुनि सुव्रत और नेमिनाथ इन दो तीर्थङ्गों के अतिरिक्त सभी तीर्थङ्कर काश्यप गोत्री थे।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५२८

पशुनां—छागानां बन्धो—विनाशाय नियमनं हेतुमित्तेऽमी पशुबन्धा, 'स्वेतं छागमालमेत वायव्या चिति वृत्तिकाम' इत्यादिवाक्योपलक्षिता।

२—बही, पत्र ५२६

विद्यते—जायत आग्निस्तस्वमिति विद्या—आरण्यकब्रह्माण्डपुराणात्मिकास्ता एव ब्राह्मणसम्पदो, विद्या ब्राह्मणसम्पदः, तात्त्विक-ब्राह्मणानां हि निष्किंचनत्वेन विद्या एव सम्पद।

३—बही, पत्र ५२५।

४—बही, पत्र ५२५

"इह हि इक्ष्वाकुऋषभंशोऽङ्गुलेन नाभिलुतेन मन्वेष्ट्या तन्वेनेन महावेवेन ऋषभेण दशप्रकारो धर्म स्वयमेव धीर्ष, केवलज्ञान-लक्ष्माच्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्वातका निर्घन्वा नैष्ठिकास्तेषां प्रवर्तित आख्यात प्रणीतस्त्रेतायामादौ।"

५—स्थानाङ्ग ७।५।५।

सप्त मूलगोत्रा पं० तं०—कासबा, गोतमा, बच्छा, कोच्छा, कोसिता, मग्धा, कासिद्वा।

६—बही, ७।५।५। वृत्ति

काशे भवः काश्य —रसस्तं पीतवानिति कारणपस्तवपयानि काश्यपा, मुनिसुव्रतनेमिधर्जा जिना।

धनंजय नाममाला में भगवान् महावीर का नाम 'अन्त्य-काश्यप'^१ है। भगवान् ऋषभ 'आदि-काश्यप' हुए। उनसे धर्म का प्रवाह आला, वे धर्मों के आदि-कारण हैं, इसलिए उन्हें धर्मों का आदि-कारण कहा गया है।^२

सूत्रकृताङ्ग के एक श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वहाँ कहा गया है कि अतीत में जो तीर्थंकर हुए तथा भविष्य में जो होंगे वे सब 'काश्यप' के द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करेंगे।^३

१-धनंजय नाममाला, श्लोक ११५

सम्पत्तिर्बहिर्बहिर्बिरो, महावीरोऽन्त्यकाश्यप ।

नाथान्कथो वर्धमानो, यतीर्बहिः साम्प्रतम् ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२५ .

धर्माणां 'काश्यप' भगवान् नृषमदेवः 'मुस्य' उपाय कारणात्मकः, तस्यैवाहितप्रत्यक्षत्वात् ।

३-सूत्रकृताङ्ग, १।२।३।२० .

अनर्बिन्दु पुराणि निरुक्तानि आस्ता वि भवन्ति सुख्या ।

एषां गुणां आहु ते कासवस्त अमुधम्मचारिणो ॥

अध्ययन २६

सामाचारी

श्लोक १-७

१-श्लोक १-७ :

दस सामाचारी का वर्णन भगवती (२५।७), स्थानाङ्ग (१०।७४६) और आवश्यक निर्युक्ति में भी है। उत्तराध्ययन में सामाचारी का क्रम उनसे भिन्न है। उनको प्रथम तीन सामाचारियों को यहाँ छठा, सातवाँ और आठवाँ स्थान प्राप्त है। नौवें सामाचारी का नाम भी भिन्न है। भगवती आदि में उसका नाम 'निमत्रण' है। यहाँ उसका नाम 'अभ्युत्थान' है।

आवश्यक निर्युक्ति में सामाचारी तीन प्रकार की बतलाई गई है—(१) ओष सामाचारी, (२) दस-विध सामाचारी और (३) पद-विभाग सामाचारी।^१

'ओष सामाचारी' का प्रतिपादन ओषनिर्युक्ति में है। उसके सात द्वार हैं—(१) प्रतिलेखन, (२) पिण्ड, (३) उपधि-प्रमाण, (४) अनायनन(अस्थान)-शर्जन, (५) प्रतिषेधना—दोषाचरण, (६) आलोचना और (७) विसोधि।^२

'पद-विभाग सामाचारी' छेद सूत्रों में कथित विषय है। 'दस-विध सामाचारी' का वर्णन इस अध्ययन में है।

आवश्यको, नैवेधिकी

सामान्य विधि यह है कि मुनि जहाँ ठहरा हो उम उपाश्रय से बाहर न जाए। विशेष विधि के अनुसार आवश्यक कार्य होने पर वह उपाश्रय से बाहर जा सकता है। किन्तु बाहर जाते समय इस सामाचारी का ध्यान रखते हुए वह आवश्यक करे—आवश्यको का उच्चारण करे।^३ 'आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ'—इसे निरन्तर ध्यान में रखे, अनावश्यक कार्य में प्रवृत्ति न करे। आवश्यको का प्रतिपक्ष शब्द है नैवेधिकी। कार्य से निवृत्त होकर जब वह स्थान में प्रवेश करे तो नैवेधिकी का उच्चारण करे। 'मैं आवश्यक कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ, अब मैं प्रवृत्ति के समय कोई अकरणीय कार्य हुआ हो उसका निषेध करता हूँ, उससे अपने आपको दूर करता हूँ'—इस भावना के साथ वह स्थान में प्रवेश करता है।^४ यह साधुओं के गमनागमन की सामाचारी है। गमन और आगमन काल में उसका लक्ष्य अत्राधिन रहे इसका इन दो सामाचारियों में सम्यक् चिन्तन है।

१-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६५।

२-ओषनिर्युक्ति, २

पडिलेहणं च पिण्ड, उवहियमाण अणाययणवज्जं।

पडिलेखन मालोअण, जह य विसोही सुविहियाण ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३४।

'गमने' तथा विधालम्बनतो बहिर्निःसरणे आवश्यकेषु—अशेषावश्यकसंख्यापारेषु सत्सु नवाऽऽवश्यंकी, उक्तं हि—

"आवस्तिया उ आवस्तएहि सव्येहि जुसजोगस्ते" त्यादि, तां 'कुर्माद्' विवध्यान्।

४-बही, पत्र ५३४ :

स्थीयतेऽस्मिन्निति स्थानम्—उपाध्यस्तस्मिन् प्रविशन्निति शेष, कुर्यात्, कां ?—'नैवेधिकी' निषेधनं निषेध—पापानुष्ठानेभ्य आत्मनो व्यावर्तनं तस्मिन् नवा नैवेधिकी, निविद्धात्मन एतत्सम्भवान्, उक्तं हि—

"जो होइ निसिद्धया निसीहिया तस्स भावओ होइ ।"

आपृच्छा, प्रतिपृच्छा

सामान्य विधि यह है कि उच्छ्वास और निश्वास के सिवाय शेष सब कार्यों के लिए गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए।^१ यहाँ आज्ञा के दो स्थान बतलाए गए हैं—

(१) स्वयंकरण ।

(२) परकरण ।

प्रथम प्रवृत्ति को 'स्वयंकरण' तथा अपर प्रवृत्ति को 'परकरण' कहा जाता है। स्वयंकरण के लिए आपृच्छा (प्रथम बार पूछने) तथा परकरण के लिए प्रतिपृच्छा (पुन पूछने) का विधान है।^२

आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार प्रथम बार या द्वितीय बार किसी भी प्रवृत्ति के लिए गुरु से आज्ञा प्राप्त करने को 'आपृच्छा' कहा जाता है। प्रयोजनवश पूर्व-निषिद्ध कार्य करने की आवश्यकता होने पर गुरु से उसकी आज्ञा प्राप्त करने को 'प्रतिपृच्छा' कहा जाता है।^३ गुरु के द्वारा किसी कार्य पर नियुक्त किए जाने पर उसे प्रारम्भ करते समय पुन गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए—यह भी प्रतिपृच्छा का अन्वय है।^४

छन्दना, अभ्युत्थान

मुनि को भिक्षा में जो प्राप्त हो उसके लिए अन्य साधुओं को निमंत्रित करना चाहिए तथा जो आहार प्राप्त न हो उसे लाने जाए तब दूसरे साधुओं से पूछना चाहिए 'क्या मैं आपके लिए भोजन लाऊँ ?' इन दोनों सामाचारियों को 'छन्दना' और 'अभ्युत्थान' कहा जाता है।^५ अभ्युत्थान के अर्थ में निमंत्रण का भी प्रयोग किया जाता है।^६

इच्छाकार

सघीय व्यवस्था में परस्पर सहयोग लिया-दिया जाता है, किन्तु वह बल-प्रेरित न होकर उच्छ्वा-प्रेरित होना चाहिए।^७ औत्सर्गिक-विधि

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५ ।

उच्छ्वासनिश्वासौ विहाय सर्वकार्येष्वपि स्वपरसम्बन्धिषु गुरुव प्रवृत्तया ।

२-बही, पत्र ५३४ ।

आङ्गिति—सकलकृत्याभिध्याप्त्या प्रच्छना आप्रच्छना—इदमहं कुर्यां न वेत्येवमपि तां स्वयमित्यात्मन करणं—कस्यचिद्विषयित्त-कार्यस्य निर्वर्तनं स्वयंकरणं तस्मिन्, तथा 'परकरणे' अन्यप्रयोजनविधाने प्रतिप्रच्छना ।

३-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६७

आपुच्छणा य कञ्जे, पुष्वनिसिद्धेण होइ पञ्चिपुच्छा ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३४

गुरुनियुक्तोऽपि हि पुन प्रवृत्तिकाले प्रतिपृच्छत्येव गुरुं स हि कार्यान्तरमप्याविरोन् सिद्धं वा तदन्यत्. स्यादिति ।

५-बही, पत्र ५३४, ५३५

(क) छन्दना प्राग्गृहीतद्वयजातेन शेषयतिनिमन्त्रणात्पिका ।

(ख) अनीत्याभिमुख्येनोत्थानम्—उद्यमनमभ्युत्थानं तच्च . भ्रात्रायगलानबालादीनां ययोचित्ताहारशेषाविसम्पादनम्, इह च सामान्याभिधानेऽप्यभ्युत्थानं निमन्त्रणारूपमेव परिगृह्यते ।

६-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६९७

पुष्वगहिणं छवणं, निमतना होअगहिणं ।

७-(क) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७३

आहय तुष्म एअ, कञ्जं तु करेमि इच्छकारेणं ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

इच्छा—स्वकीयोऽभिप्रायस्तया करणं—तत्कार्यनिर्वर्तनमिच्छाकार, 'सारणे' इत्यौचित्यत आत्मन. परस्य वा कृत्यं प्रति प्रवर्तने, तत्रात्मसारणे यथेच्छाकारेण पुनश्चिक्वीर्यित्त कार्यनिवमहं करोमीति ।

के अनुसार बल प्रयोग सर्वथा वर्जित है। बड़ा साधु छोटे साधु से और छोटा साधु बड़े साधु से कोई काम कराना चाहे तो उसे 'इच्छाकार' का प्रयोग करना चाहिए—'यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा काम आप करें', ऐसा कहना चाहिए।' आपवादिक-मार्ग में आज्ञा और बलाभियोग का व्यवहार भी किया जा सकता है।^१

मिथ्याकार

साधक के द्वारा भूल होना संभव है किन्तु अपनी भूल का भान होते ही उसे 'मिथ्याकार' का प्रयोग करना चाहिए।^२ जो दुष्कृत को मिथ्या मानकर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है।

तथाकार

जो मुनि कल्प और अकल्प को जानता है, महाश्रत में स्थित होता है, उसे 'तथाकार' का प्रयोग करना चाहिए। गुरु जब सूत्र पढ़ाएँ, सामाचारी आदि का उपदेश दें, सूत्र का अर्थ बताएँ अथवा कोई बात कहें तब तथाकार का प्रयोग करना चाहिए—'आप जो कहते हैं वह अवितथ है—सच है' यों कहना चाहिए।^३

उपसंपदा

प्राचीन काल में साधुओं के अनेक गण थे। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से एक गण का साधु दूसरे गण में नहीं जा सकता था।^४ इसके कुछ अपवाद भी थे। आपवादिक-विधि के अनुसार तीन कारणों से दूसरे गण में जाना विहित था। दूसरे गण में जाने को उपसंपदा कहा जाता था। ज्ञान की वर्तना (पुनरावृत्ति या गुणन), संबान (त्रुटित ज्ञान को पूर्ण करने) और ग्रहण (नया ज्ञान प्राप्त करने) के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती उसे 'ज्ञानार्थ उपसंपदा' कहा जाता था। इसी प्रकार दर्शन की वर्तना (स्थिरीकरण), संधान और दर्शन विषयक शास्त्रों के ग्रहण के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती, उसे 'दर्शनार्थ उपसंपदा' कहा जाता था। वैद्यावृत्त्य और तपस्या की विविध आराधना के लिए जो उपसंपदा स्वीकार की जाती, उसे 'चारित्र्यार्थ उपसंपदा' कहा जाता था।^५

१-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७७ :

आणा बलाभियोगो, निमांषार्थं न कल्पे काठं ।

इच्छा परंजिमन्वा, सेहे रायणिए य तथा ॥

२-वही, गाथा ६७७ वृत्ति, पत्र ३४४ :

अपवास्तस्त्वाज्ञाबलाभियोगावपि कुर्विमीते प्रयोक्तव्यौ, तेन च सहोसर्गत संवास एव न कल्पते, बहुत्वजनाविकारणप्रतिबद्धतया स्वपरिधाष्ये अयं विधि, प्रथममिच्छाकारेण योज्यते, अकुर्वन्नात्मया पुनर्बलाभियोगेनेति ।

३-वही, गाथा ६८२

संजनजोगे अवमुट्टिभस्त, जं किंचि वित्तहमायरिअं ।

मिच्छा एअंति विद्यामिऊष मिच्छति कायव्यं ॥

४-वही, गाथा ६८९ :

वायव्यपडिसुणणाए, उवएसे सुसअत्थकहणाए ।

अवित्तहमेअंति तथा, वडिसुणणाए अ तहकारो ॥

५-वृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

'अच्छने' ति आसने प्रक्रमादाचार्यान्तरावित्तनिधौ अवस्थाने उप—सामीप्येन सम्पादन—गमनं सम्पदाविरवात्पि उपसपद्—

इयत्तं कालं मववन्तिके मयाऽऽसितव्यमित्येवंक्या ।

६-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६८६, ६८६ :

उवसंपवा ये तिचिहा, नाणे तह वंसणे चरित्से अ ।

वंसनाने तिचिहा, दुचिहा य चरित्तमट्टाए ॥

अस्तना संवणा चेष, गहणं सुसत्थतदुमए ।

वेयावस्से समणे, काले आववकहाइ अ ॥

श्लोक ८

२—(पुम्बिल्लमि चउब्भाए ऋ, आइच्चंमि समुद्धिए ऋ) :

'पुम्बिल्लमि चउब्भाए' यह आठवें तथा ईक्रीसवें दोनों श्लोकों का प्रथम अरण्य है। शान्त्वाचार्य ने आठवें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ 'पौन-पौल्वी' तथा इक्रीसवें की व्याख्या में इसका अर्थ 'प्रथम-प्रहर' किया है। किन्तु बाईसवें श्लोक में धात्र-प्रतिलेखना का निर्देश है, यहाँ पौन-पौल्वी के लिए 'पोरितीए चउब्भाए' पाठ है और इक्रीसवें श्लोक में यहाँ बस्त्र-प्रतिलेखना का निर्देश है, यहाँ 'पुम्बिल्लमि चउब्भाए' पाठ है। अतः आठवें श्लोक में बस्त्र-प्रतिलेखना का ही निर्देश होना चाहिए। स्वाध्याय या बंध्याहृत्य का निर्देश बस्त्र-प्रतिलेखना के पश्चात् आचार्य से लिया जाता है।^३

शान्त्वाचार्य ने 'पुम्बिल्लमि चउब्भाए' का वैकल्पिक अर्थ 'प्रथम प्रहर' में तथा 'अण्डयं पडिल्लेहत्ता' का अर्थ 'बस्त्र-प्रतिलेखना' किया है।^४ इक्रीसवें श्लोक के संदर्भ में यह वैकल्पिक अर्थ ही संगत लगता है।

जयाचार्य के अनुसार दिन के प्रथम चतुर्थ भाग का अर्थ 'प्रथम प्रहर का प्रथम चतुर्थ भाग' है।^५ साधारणतया यह कालमान सूर्योदय के २ घड़ी ४८ मिनट तक का है। ३ घण्टा १२ मिनट का प्रहर होने से ४८ मिनट का कालमान पूरा चौथा भाग होता है। जब दिन का प्रहर ३ घण्टा ३० मिनट का होता है, उस समय चौथा भाग ५२ ३/४ मिनट का होता है। उस समय ४८ मिनट चौथे भाग से कुछ कम होता है।

जयाचार्य का अभिप्राय उत्तरवर्ती साहित्य और परम्परा पर आधारित है। प्राचीन परम्परा के अनुसार बस्त्र-प्रतिलेखना सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाती थी। इसीलिए शान्त्वाचार्य ने लिखा है कि बहुतकर प्रकाश होने से सूर्य के अनुत्थान या अनुदय को ही उत्थान या उदय कहा गया है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६

'पुम्बिल्लमि'सि पूर्वस्मिन्नश्चतुर्भागे आहित्ये 'समुत्थिते' समुद्गते, इह च यथा वसाधिकलोजमि पट पट एषोध्यते, एवं किञ्चिन्नोऽपि चतुर्भागश्चतुर्भागे उक्तः, ततोऽप्यनर्थ—बुद्ध्या नमश्चतुर्धा विनश्यते, तत्र पूर्वदिक्कण्ठे किञ्चिन्नममश्चतुर्भागे यथावित्यं समुत्थिति तदा, पाबोनपौस्व्यामित्युक्त मवति।

२—बही, पत्र ५४० .

'पूर्वस्मिन्नश्चतुर्भागे' प्रथमपौल्वीलक्षण प्रक्रमान् विनश्यते।

३—ओषधिर्युक्ति वृत्ति, पत्र ११५

उक्ता बस्त्रप्रत्युपेक्षणा, तत्समाप्तौ च किं कर्तव्यमित्यत आह—'समस्तपडिल्लेहनाए सउक्ताओ' समाप्तार्था प्रत्युपेक्षणायां स्वाध्यायः कर्तव्यं सूत्रपौल्वीत्यर्थं पाबोनप्रहर यावत्। इदानीं पात्रप्रत्युपेक्षणायाह।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६ :

यथा पूर्वस्मिन्नश्चतुर्भागे आहित्ये समुत्थिते इह समुत्थिते, बहुतकरप्रकाशीभवनासत्य, माण्डमेव माण्डकं तसस्तद्विष धर्मेऽविनो-पार्जनाहेतुत्वेन मुक्तास्त्रिकावर्षाकल्यादीह माण्डकमुच्यते, तत्प्रतिलेख्ये।

५—उत्तराध्ययन जोड, पत्र ३७ .

विषय तथा पहिला पोहर है माहि। धुरला चौथा भाग मे ताहि। एतले बोय घड़ी मे विवेह। सूर्य उर्या की ए लेह ॥ ३२॥ बस्त्राधिक उपगण्य सुमंड। पडिलेही रडी रीत सुमंड। पडिलेहना किया पडे तिवार। सुष प्रसिबंदि करी नमस्कार ॥ ३३॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ५३६।

ओषनिर्मुक्ति में प्रभातकालीन प्रतिलेखना-काल के चार अभिमतों का उल्लेख मिलता है—

- (१) सूर्योदय का समय—प्रभास्काटन का समय ।
- (२) सूर्योदय के पश्चात्—प्रभास्काटन होने के पश्चात् ।
- (३) परस्पर जब मुल दिखाई दे ।
- (४) जिस समय हाथ की रेखा दिखाई दे ।

ये अनादेश माने गए हैं । निर्णायक पक्ष यह है कि प्रतिक्रमण के पश्चात्—

- (१) मुख-वस्त्रिका, (२) रजोहरण, (३-४) दो निषद्याएँ—एक सूत्र की आन्वन्तर विषया और दूसरी बाहरी पाद-प्रोक्षण,
- (५) कोशपट्टक, (६-७-८) तीन उत्तरीय, (९) संस्तारक पट्ट और (१०) उत्तर-पट्ट की प्रतिलेखना के अनन्तर ही सूर्योदय हो जाय, वह उस (प्रतिलेखना) का काल है ।^२ बहुमान्य अभिमत यही रहा है ।

३-भाण्ड-उपकरणों की (भण्डयं ग) :

पौन-पौखी की प्रतिलेखना के प्रकरण में 'भण्डक' का अर्थ 'पात्र आदि उपकरण' तथा प्रभातकालीन प्रतिलेखना के प्रकरण में उसका अर्थ 'पछेबडी आदि उपकरण' होता है ।

४-प्रतिलेखना करे (पडिलेहिता ग) :

प्रतिलेखना और प्रमाजना ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । जहाँ प्रतिलेखना का निर्देश होता है, वहाँ प्रमाजना स्वयं आ जाती है और जहाँ प्रमाजना का निर्देश होता है, वहाँ प्रतिलेखना स्वयं प्राप्त होती है । प्रतिलेखना का अर्थ है 'दृष्टि से देखना' और प्रमाजन का अर्थ है 'आइकर साफ करना' । पहले प्रतिलेखना और तत्पश्चात् प्रमाजना की जाती है ।

प्रतिलेखनीय

शरीर (खडे होते, बैठते और सोते समय), उपाश्रय, उपकरण, स्थण्डिल (मल-मूत्र के परिस्थापन की भूमि), अवष्टम्भ और मार्ग—ये प्रतिलेखनीय हैं—इनकी प्रतिलेखना की जाती है ।^३ उपकरण-प्रतिलेखना दो प्रकार की होती है—(१) वस्त्र-प्रतिलेखना और (२) पात्र-प्रतिलेखना ।^४ पात्र-प्रतिलेखना का क्रम और विधि तेईसवें बलोक में प्रतिपादित है । वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि चौबीस से अठ्ठाईसवें बलोक तक प्रतिपादित है । ओषनिर्मुक्ति में गाथा २८८ से २९५ (पत्र ११७-११९) तक पात्र-प्रतिलेखना का विवरण है और गाथा २६४ से २६९ (पत्र १०८-१११) तक वस्त्र-प्रतिलेखना का विवरण है ।

१-ओषनिर्मुक्ति, वृत्ति गा० २६९, २७० :

अक्षणाबासग पुष्पं परोष्वरं पाणिपडिलेहा ।

एते उ अणाएसा अंधारे उगएचिह न बीसे ॥

२-(ख) ओषनिर्मुक्ति, गा० २७०

मुहरयमितिज्जबोले, कप्यतिगवुपट्टुई सुरो ।

(ख) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ५९० वृत्ति, पत्र १६६ :

प्रतिक्रमणकरणानन्तरं अनुदमते सुरे—सूर्योद्गमनावर्षिम् ।

(ग) धर्मसंग्रह, पृ० २२

प्रतिलेखना सूर्योद्गमते एष कर्त्तव्या ।

३-ओषनिर्मुक्ति, गाथा २६३ :

ठाणे उवगरणे य, अंडिलउवचंममनापडिलेहा ।

किमाई पडिलेहा, पुष्पण्हे वेव अवरण्हे ॥

४-ओषनिर्मुक्ति माज्य, गाथा १५६ :

उवगरण वरपपाए, वारणे पडिलेहृषं तु कोच्छामि ।

पुष्पण्हे, अवरण्हे, मुहर्जंतगवाह पडिलेहा ॥

प्रतिलेखना-काल

वस्त्र-प्रतिलेखना के दो काल हैं—पूर्वाह्न (प्रथम-प्रहर) और अपराह्न (चतुर्थ-प्रहर) ।^१ पात्र-प्रतिलेखना का काल भी यही है ।^२ काल-भेद से प्रतिलेखना के तीन काल हो जाते हैं—

(१) प्रभात, (२) अपराह्न—तीसरे प्रहर के पश्चात् और (३) उद्घाट-पौष्णी—पौन-पौष्णी ।^३

मुख-पोतिका आदि वस्त्र उपकरणों का प्रतिलेखना-काल प्रभात समय (प्रतिक्रमण के पश्चात्—सूर्योदय से पूर्व) है । तीसरा प्रहर बीतने पर चौदह उपकरणों की प्रतिलेखना का समय आता है । चौदह प्रतिलेखनीय उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार पाया जाता है -

ओघनिर्युक्ति	प्रवचनसारोद्धार
(१) पात्र	(१) मुख-पोतिका
(२) पात्रबन्ध	(२) बोलपट्टक
(३) पात्र-स्थापन	(३) गोच्छग
(४) पात्र-केसरिका	(४) पात्र-प्रतिलेखनिका
(५) पटल	(५) पात्र-बंध
(६) रजस्त्राण	(६) पटल
(७) गुच्छग	(७) रजस्त्राण
(८-१०) तीन पछेबडो	(८) पात्र-स्थापन
(११) रजोहरण	(९) मात्रक
(१२) मुख-वस्त्रिका	(१०) पात्र

१-(क) ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १५८ वृत्ति :

पूर्वाह्णे वस्त्रप्रत्युपेक्षणा मवत्पपराह्णे च ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५३७

तृतीयायां शिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्यां स्वाध्यायम्, उपलक्षणत्वात्तृतीयायां भोजनवर्हिर्गमनादीनि, इतरत्र तु प्रतिलेखनास्वपिठक - प्रत्युपेक्षणादीनि गृह्यन्ते ।

२-(क) ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १७३ वृत्ति :

पात्रप्रत्युपेक्षणामाह—'वरिमाए' वरमायां पात्रोनपौष्ण्यां प्रत्युपेक्षेत 'ताहे' स्ति 'तदा' तस्मिन् काले स्वाध्यायानन्तरं पात्रकद्वितय प्रत्युपेक्षेत ।

(ख) उत्तराध्ययन २६।२२, ३६ ।

३-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९०-५९२

पञ्जिलेहमाण गोसावरान्कृत्याऽपौरिसीसु तिण ।

तस्य पठमा अगुगाय सूरे पञ्जिक्रमणकरणाओ ॥

मुहपोसि बोलपट्टो कल्पतिगं वो निसिञ्ज रयहरणं ।

सथास्तरपट्टो वस पेहाऽगुगाए सूरे ॥

उवगरणवउहसगं पञ्जिलेह्णिज्जद्विणस्स पहरतिगे ।

..... ॥

(१६) मात्रक
(१४) चोलपट्टक^१

(२१) रजोहरण
(१२-१४) तीन पद्येवरी^२

पौन-पौखी के समय ७ उपकरणों की प्रतिलेखना की जाती थी। वे उपकरण ये हैं—

ओषनिर्मुक्ति

- (१) पात्र
- (२) पात्र-बंध
- (३) पात्र-स्थापन
- (४) पात्र-केसरिका
- (५) पटल
- (६) रजस्त्राण
- (७) गुच्छग^३

प्रबन्धनसारोद्धार

- (१) मुखपोतिका
- (२) गोच्छग
- (३) पटल
- (४) पात्र-केसरिका
- (५) पात्र-बंध
- (६) रजस्त्राण
- (७) पात्र-स्थापन^४

श्लोक ११

५-उत्तर गुणों (स्वाध्याय आदि) की (उत्तरगुणे ग) :

पाँच महाव्रत मूल गुण हैं। स्वाध्याय, ध्यान आदि उनकी अपेक्षा उत्तरगुण कहलाते हैं। उत्तरगुण का सामान्य काल-विभाग इस प्रकार बतलाया गया है

प्रथम प्रहर में—स्वाध्याय।

द्वितीय प्रहर में—ध्यान—पढ़े हुए विषय का अर्थ-चिन्तन अथवा मानसिक एकाग्रता का अभ्यास।

तीसरे प्रहर में—भिक्षाचर्या, उत्सर्ग आदि।

चतुर्थ प्रहर में—फिर स्वाध्याय।

यह दिनचर्या की मूल रूपरेखा है। इसमें मुख्य कार्यों का निर्देश किया गया है। प्रतिलेखना, वैवाह्य आदि आवश्यक विधियों का इसमें उल्लेख नहीं है। प्रतिलेखना का उल्लेख २१-२० वें श्लोक में मन्त्र-रूप से किया गया है।

यह विभाग उम समय का है जब आगम—सूत्र लिखित नहीं थे। उन्हें कण्ठस्थ रखने के लिए अधिक समय लगाना होता था। संभवतः इसीलिए प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय की व्यवस्था की गई। इन्हें 'सूत्र-पौखी' भी कहा जाता था। दूसरे प्रहर में अर्थ समझा जाता था। इसीलिए उसे 'अर्थ-पौखी' कहा जाता था। जब भिक्षुओं के लिए एक वस्तु भोजन—एक बार खाने की व्यवस्था थी तब भिक्षा के लिए तीसरा प्रहर ही सर्वाधिक उपयुक्त था और उस समय जनता के भोजन का समय भी सम्भवतः यही था। कुछ आचार्यों के अभिमत में यह अभिग्रहणारी भिक्षुओं की विधि है।^५ अठारहवें श्लोक में कथित नींद लेने की विधि से तुलना करने पर उक्त अभिमत बगल लगता है।

१-ओषनिर्मुक्ति, गाथा ६६८-६७० :

वस पत्ताबंधो, पायट्टबणं च पायकेसरिया ।
पट्टलाहं रयसाणं च, गुच्छगो पायनिज्जोगो ॥
तिल्लेष य कच्छागा, रयहरणं सेव होद मुहपत्ती ।
एसो बुबालसविहो, उवही जिणकप्पियाणं तु ॥
एए सेव बुबालस, मत्तग अहरेण चोलपट्टो य ।
एसो चउहसविहो, उवही पुण धेरकप्पन्निम ॥

२-प्रबन्धनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६ ।

३-ओषनिर्मुक्ति, गाथा ६६८ ।

४-प्रबन्धनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६ ।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५४३ ।

(ख) उत्तराध्यायन जोड़, शाल २६।३८-४६ ।

छेद-सूत्रों द्वारा 'अथर्व' शब्द प्रहर की मित्रा का भी संबन्ध होता है। औचनिर्युक्ति में आपत्ताधिक-विधि के अनुसार दो-तीन बार की मित्रा का भी विधान मिलता है। यह भी हो सकता है कि-ये-अथर्व-विधि-विनियमों-छेद-सूत्रों के रचना-काल में सत्य हुई हों।

औचनिर्युक्ति के अनुसार नीद लेने की विधि विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से इस प्रकार है—प्रथम और शुरुय प्रहर में सब साधु स्वाध्याय करते हैं, बिचले दो प्रहरों में नीद लेते हैं। तृयम-साधु दूसरे प्रहर में भी जागते हैं, वे केवल तीसरे प्रहर ही सोते हैं। आचार्य तीसरे प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। संयन-विधि के इन विभिन्न प्रकारों की देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तीसरे प्रहर में सोने की विधि या तो किसी विशिष्ट साधु-वर्ग के लिए है या औचनिर्युक्ति का विधान पूर्वकालीन नहीं है।

भूमि के त्रिंए सोने की निर्युक्ति-कालीन-विधि इस प्रकार है—

पहला प्रहर पूरा बीतने पर गुरु के पास जाए। "इच्छामि जमासमणो बंदिउं जावणिज्जाए निसीरियाए मत्पएण बंदिमि, जमासमणा । बहू पडिपुणां पौरिसी, अणु जेणह राईसवारंथ"—यह पाठ बोल कर सोने की आज्ञा माँगे। फिर प्रवचन करे। जहाँ सोने का स्थान हो वहाँ जाए। उपकरणों पर जो धौर बाँधी हुई हो उसे खोलें। संस्तार-वट्ट और उत्तर-वट्ट का प्रसिद्धन कर उन्हें उक (साधल) पर रख दे। फिर खोले की भूमि का प्रसिद्धन और प्रमाजन करे। वहाँ संस्तार-वट्ट बिछाए, उस पर उत्तर-वट्ट बिछाए। मुख-वाशिका से उपरले शरीर का और रजोहरण से निचले शरीर का प्रमाजन करे। उत्तरीय बस्त्र को बाएँ पाद में रख दे। बिछोने पर बैठना हुआ पास में बँडे हुए ज्येष्ठ साधुओं की आज्ञा ले, फिर तीन बार सामायिक पाठ का उच्चारण कर सोए। बाँह का सिरहाना करे। बाएँ पाद से सोए। पैर पसारे तब मुर्गी की अँति पहले आकाश में पसारे, वैसे न रह सके तब भूमि का प्रमाजन कर पैर नीचे रख दे। पैरों को सपेटे तब ऊँ-संधि का प्रमाजन करे।

श्लोक १२

६-प्रहर (पौरिसि क) :

पौखी के प्रकरण में 'पुख' शब्द के दो अर्थ हैं—(१) पुख-शरीर और (२) शंकु। पुख के द्वारा उमका माप होता है, इसलिए उसे 'पौखी' कहा जाता है। शंकु २४ अंगुल प्रमाण का होता है और पैर से जानु तक का प्रमाण भी २४ अंगुल होता है। जिस दिन वस्तु की छाया उसके प्रमाणोपेत होती है, वह दिन दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है। युग के प्रथम वर्ष (सूर्य-वर्ष) के श्रावण वदी १ को शंकु की छाया, शंकु के प्रमाण २४ अंगुल पड़ती है। १० अंगुल प्रमाण का एक पाद होने से शंकु की छाया दो पाद होती है।

१-बृहद् कल्प, ५।६।

२-औचनिर्युक्ति भाष्य, भाष्य १४९ :

एवंपि अपरिचस्ता, काले सवजे अ असुपुुरिसे य ।

कालो जिन्हो उ नवे, जमणो वा पढमविइएहि ॥

३-औचनिर्युक्ति, गाथा ६६० :

सज्जेवि पढमजावै, होमि उ ससना उ जाइमा जाना ।

तइमो होइ गुण्णं, सउत्तमो होइ सज्जेसि ॥

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३८, ५३९।

५-काल लोकप्रकाश, २८।९९२।

शंकुः पुखसाम्बेन, स्वाध्वेह. पुखस्य वा ।

मिथम्या पुखवात् तस्मात्, पौखीत्यपि सिद्धयति ॥

६-वही, २८।१०११ :

अनुचितसंयुक्तस्य, शंकोरुक्ताया यथोचिता ।

अनुचितसंयुक्तस्य, जानोरपि तथा नवेत् ॥

७-वही, २८।१११३ :

स्वप्रमाणं ज्येष्ठ्याया, यथा सर्वस्य वस्तुनः ।

तथा स्वात् पौखी, साम्या-यान्त्व प्रथमे दिने ॥

मूल के प्रथम चतुर्दश वर्षों में भाषण कधी १ की दो पग प्रमाण कक्षा होती है और मास कधी ७ की बाद पग प्रमाण ।

दूसरे चतुर्दश वर्षों में भाषण कधी १३ से वृद्धि प्रारम्भ और मास सुधी ४ से हानि प्रारम्भ है ।

तीसरे वर्षों में भाषण सुधी १० से वृद्धि प्रारम्भ और मास कधी १ से हानि प्रारम्भ ।

चौथे वर्षों में भाषण कधी ७ से वृद्धि प्रारम्भ और मास कधी १३ से हानि प्रारम्भ । पाँचवें वर्षों में भाषण सुधी से वृद्धि प्रारम्भ और मास सुधी १० से हानि प्रारम्भ ।

पौखी का कालमान

पौखी का कालमान एक नहीं है । यह दिन चापेक्ष होता है । जब दिन का कालमान बढ़ता है तब पौखी का कालमान भी बढ़ता है । दिन का कालमान घटने से वह भी घट जाता है । दिन का ३ मास पौखी (ग्रह) होता है । दिन का कालमान जबन्य १२ मूर्त का होता है और उत्कृष्ट में १८ मूर्त का । इसलिए ग्रह का कालमान जबन्य $१२ \div ४ = ३$ मूर्त और उत्कृष्ट में $१८ \div ४ = ४\frac{३}{४}$ मूर्त का होता है ।^१

प्रतिदिन $३\frac{३}{४}$ मूर्त पौखी बढ़ती व घटती है ।^२ और एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं । इसलिए एक अयन में $\frac{१८३ \times ३}{४} = १३६\frac{३}{४}$ मूर्त कालमान बढ़ता है । जबन्य तीन मूर्त + $१\frac{३}{४} = ४\frac{३}{४}$ मूर्त ।

पौखी का उत्कृष्ट कालमान एक अयन में $४\frac{३}{४}$ ही होगा । दिन की पौखी बढ़ने से रात्रि की पौखी घटती है । जब दिन की पौखी $४\frac{३}{४}$ मूर्त की होती है तब रात्रि की पौखी का कालमान तीन मूर्त का होता है । रात्रि की पौखी बढ़ने से दिन की पौखी घटती है । जब रात्रि की पौखी $४\frac{३}{४}$ मूर्त की होती है तब दिन की पौखी का कालमान तीन मूर्त का होता है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

एक वर्ष में दो अयन होते हैं—(१) दक्षिणायन और (२) उत्तरायण । दक्षिणायन भाषण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण मास मास में ।

एक मास में छाया ४ अंगुल प्रमाण बढ़ती है ।^३ उत्तरायण के प्रथम दिन तक वह ४ पाद प्रमाण हो जाती है । उत्तरायण के बाद वह उसी क्रम से घटती हुई दक्षिणायन के प्रथम दिन तक वापस दो पाद प्रमाण हो जाती है । इस गणित से चैत्र और भाद्रपद में तीन पाद प्रमाण छाया होती है ।

१-विश्वेश्वरचक्र भाष्य, गाथा २०७० ।

पौरुषीमात्रमभिव्यं, विषय मिसा बुद्धि हानि भाषणो ।

हीनं तिमि मुहुत्तद्वयममाणमुच्छोत् ॥

२-बही, गाथा २०७१ :

बुद्धी बाधीमुत्तर-सय भागोपद्विषं मुहुत्तस ।

एवं हाणी विमया, अयन दिन भागणो नेवा ॥

३-(क) बोधनिर्मुक्ति, गाथा २८३ ।

(ख) समवायान, समवाय ३० ।

(ग) कप्रप्रसति, प्राकृत १०, ११ ।

१३ मास की चौथी राधा का प्रमाण

समय	पाद अंगुल	समय	पाद-अंगुल
ज्याष्ठ पूर्णिमा	२-०	पौष पूर्णिमा	४-०
साधन पूर्णिमा	२-४	माघ पूर्णिमा	३-८
भाद्रपद पूर्णिमा	२-८	फाल्गुन पूर्णिमा	३-४
आश्विन पूर्णिमा	३-०	चैत्र पूर्णिमा	३-०
कार्तिक पूर्णिमा	३-४	वैशाख पूर्णिमा	२-८
मृगशिर पूर्णिमा	३-८	ज्येष्ठ पूर्णिमा	२ ४

श्लोक १४

८-श्लोक १४ :

सात दिनों में एक अंगुल, पक्ष में दो अंगुल और मास में चार अंगुल प्रमाण छाया को बढ़ना माना है, वह व्यवहार या स्कूल-दृष्टि से है। वहाँ पूर्ण दिन ग्रहण किया है। शेष दिन की विवक्षा नहीं की है। जयाचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तराध्यायन की जोड़ में लिखा है—“सात दिनों में दो पग से एक अंगुल अधिक छाया नब बढ़ती है जब कि पक्ष १४ दिनों का हो। यदि पक्ष १५ दिनों का हो तो ७३ दिन-रात में एक अंगुल छाया बढ़ती जाती है।”^१

सूर्य-वर्ष के एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं। एक अयन में दो पाद अर्थात् २४ अंगुल छाया बढ़ने से एक अहोरात्र में $\frac{२४}{१८३}$ अंगुल बढ़ती है। एक अंगुल छाया बढ़ने में उसे $\frac{१८३}{२४}$ अर्थात् ७ $\frac{३}{४}$ दिन लगते हैं। ओषनिर्घृति में भी एक दिन में अंगुल के सातवें भाग से कम वृद्धि मानी है।^२ ज्योतिष्करण्डक में एक तिथि में $\frac{५}{३४}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती हुई मानी गई है।^३ लोक-प्रकाश में और ज्योतिष्करण्डक के फलित में कोई अन्तर नहीं है। केवल विवक्षा का भेद है। पहले में अहोरात्र की अपेक्षा से है और दूसरे में तिथि की अपेक्षा से। अहोरात्र की उत्पत्ति सूर्य से होती है और तिथि की उत्पत्ति चन्द्रमा से।^४

१-उत्तराध्यायन जोड़, २६।५१,५२ :

तेह ककी दिन सातरे बे पग आंगुल अधिक ।
पोहर दिवस तब सात रे, दिन जबवे नो पक्ष तब ॥
जो पनरे दिन नो पक्ष रे, तो साढ़ा सात अहोनिवे ।
हुबे पौरिसी लक्ष रे, बे पग हक आंगुल अधिक ॥

२-ओषनिर्घृति, गाथा २८४ वृत्ति

दिवसे दिवसे अंगुलस सप्तमो भागो किंचिपूजो बद्ध ।

३-काल लोक प्रकाश, २८।१०२६ :

यत्तु ज्योतिष्करण्डादौ, वृद्धिहास्यो निरूपिताः ।
क्षत्वारोऽत्रांगुलस्यांसा, एकत्रिंशत् समुद्रमवा ॥

४-वही, २८।७६५,७६६ :

यहवेकोऽप्यहोरात्र, सूर्यजातो द्विवाकृतः ।
दिनरात्रिभिर्भेदेन, संज्ञाभेदप्रकल्पनात् ॥
तत्रैव तिथिरैकापि, रात्रिजाता द्विवा कृता ।
दिनरात्रिभिर्भेदेन, संज्ञाभेदप्रकल्पनात् ॥

६१ अहोरात्र से ६२ तिथियाँ होती हैं।^१ ६२ तिथियों में ६१ अहोरात्र होने से एक तिथि में $\frac{1}{2}$ अहोरात्र होते हैं। प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{1}{2}$ भाग प्रवेश करता है। अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वीं तिथि समा जाती है।

१ अहोरात्र में $\frac{1}{2}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती है। इसलिए ६१ अहोरात्र में $\frac{1}{2} \times ६१ = ८$ अंगुल।

१ तिथि में $\frac{1}{2}$ अंगुल प्रमाण छाया बढ़ती है इसलिए ६२ तिथियों में $\frac{1}{2} \times ६२ = ८$ अंगुल।

इस प्रकार ८ अंगुल छाया बढ़ने में ६१ अहोरात्र या ६२ तिथियों का कालमान लगता है। ६१ अहोरात्र ६२ तिथियों के समान होने से दोनों के फलित होने में कोई अन्तर नहीं है।

श्लोक १५

१-श्लोक १५ :

साधारणतया एक मास में ३० अहोरात्र होते हैं और एक पक्ष में १५ अहोरात्र। किन्तु आषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में १ अहोरात्र कम होता है। अतः इनका पक्ष १४ अहोरात्र का ही होता है। एक वर्ष में ६ रात्रियाँ अवम होती हैं। लोकप्रकाश में भी ऐसा ही माना है।^२ इसका कारण यह है कि एक अहोरात्र के कालमान से $\frac{1}{2}$ भाग कम तिथि का कालमान है, अर्थात् $\frac{1}{2}$ अहोरात्र में एक तिथि पूरी होती है। इस प्रकार ६१ अहोरात्र में ६२ तिथियाँ होती हैं। प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{1}{2}$ भाग प्रवेश करता है। अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वीं तिथि समा जाती है।^३ इस गणित से ३६६ अहोरात्रों में ६ तिथियाँ क्षय हो जाती हैं।

लौकिक व्यवहार के अनुसार वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आषाढ मास में होता है। इसे प्रधानता देकर ६१ वें अहोरात्र अर्थात् भाद्र कृष्ण पक्ष में तिथि का क्षय माना है। इस प्रकार ६१-६१ अहोरात्र से होने वाला तिथि-क्षय भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास में होता है। ज्योतिष्करणक में भी वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आषाढ मास से मानकर तिथि-क्षय का वर्णन है।

१-काल लोकप्रकाश, २८।७८३ वृत्ति

द्वाषष्टिधा हि तिथिभिः परिपूर्णा एकषष्टिरहोरात्रा भवन्ति ।

२-काल लोकप्रकाश, २८।७८४, ७८५

सुतोऽन्वयमरात्राणां, एकस्य किञ्चिदुच्यते ।

ममंति ते च षड् वर्षे, तथा त्रिसदयुगेऽपि ॥

एकोऽस्मिन्महोरात्रे, एको द्वाषष्टिकल्पितः ।

सम्यक्तेऽन्वयमरात्राणां एकषष्टिधा यथोत्तरम् ॥

३-वही, २८।८०० :

एवं च द्वाषष्टितमि, प्रविष्टा निमित्ता तिथिः ।

एक षष्टिभागत्वा नैकषष्टितमे विने ॥

लोककाल में युग के प्रथम वर्ष के प्रथम मास आश्विन को प्रधान माना है। उसके अनुसार आश्विन, मृगशिरा, माघ, चैत्र, ज्येष्ठ और आश्विन मास में तिथि-व्यय होता है। युग के पौर्णमासी वर्षों का वंश इस प्रकार है—

युग पूर्वार्ध

दि०	प्रथम चंद्र वर्ष							द्वि० चंद्र वर्ष				अर्धअभिषिक्त			
	आश्वि० मार्ग० माघ चैत्र ज्येष्ठ श्रा० आ० मार्ग०							माघ चैत्र ज्येष्ठ श्रा०				आ०	मार्ग०	पोष	
पक्ष	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	
अवस्य तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	२	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

युग पश्चिमार्ध

वर्ष	अर्धअभिषिक्त			चंद्र वर्ष					अभिषिक्त वर्ष						
	चैत्र	ज्येष्ठ	श्रा०	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	श्रा०	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	आषाढ
पक्ष	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०
अवस्य तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	१	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

श्लोक १६

१०—श्लोक १६ :

पौष्णी के पाद अर्थात् ३ भाग कम को पादोन-पौष्णी कहते हैं। पौष्णी की छाया में यत्र निर्दिष्ट अंगुल जोड़ने से पादोन पौष्णी की छाया का मान होता है। सरलता के लिए १२ महीनों के तीन-तीन मास के चार त्रिक किए गए हैं—

पहला त्रिक— ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावण।

दूसरा त्रिक— भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक।

तीसरा त्रिक— मृगशिरा, पोष और माघ।

चतुर्थ त्रिक— फाल्गुन, चैत्र और वशाख।

प्रथम त्रिक के मासों के पौष्णी प्रमाण में ६ अंगुल जोड़ने से उन मासों के पादोन-पौष्णी का छाया-प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे त्रिक के मासों में ८ अंगुल, तीसरे त्रिक के मासों में १० अंगुल और चौथे त्रिक के मासों में ८ अंगुल बढ़ाने से उन-उन मासों का पादोन-पौष्णी छाया-प्रमाण आता है। यंत्र इस प्रकार है—

पौष्णी छाया प्रमाण			पादोन-पौष्णी छाया प्रमाण			
पाद	अंगुल		अंगुल		पाद	अंगुल
२	४	+	६	=	२	१०
२	०	+	६	=	२	६
२	४	+	६	=	२	१०
२	८	+	८	=	३	४
३	०	+	८	=	३	८
३	४	+	८	=	४	०
३	८	+	१०	=	४	६
४	०	+	१०	=	४	१०
३	८	+	१०	=	४	६
३	४	+	८	=	४	०
३	०	+	८	=	३	८
२	८	+	८	=	३	४

यह श्लोक ओषधिर्युक्ति में ज्यो का स्यो प्राप्त है।

११—ज्येष्ठ (जेठामूले क) :

यहाँ 'जेठामूले' शब्द में दो नक्षत्रों का योग है। जो नक्षत्र चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक पहुँचाता है, वह जब आकाश के चतुर्थ भाग में आता है, उस समय प्रथम पौष्णी का कालमान होता है। इसी प्रकार वह नक्षत्र जब सम्पूर्ण क्षेत्र का अन्वेषण कर लेता है, तब चारों प्रहर बीत जाते हैं।

जो नक्षत्र पूर्णिमा को उदित होता है और चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक पहुँचाता है, उसी नक्षत्र के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं। श्रावण और ज्येष्ठ मास इसके अपवाद हैं। जम्बूद्वीप प्रकृति में इसका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन है।

प्रथम मास श्रावण को ४ नक्षत्र पार लमाते हैं।

उत्तराषाढ नक्षत्र श्रावण के १४ दिन रात तक।

अभिजित् नक्षत्र ७ दिन-रात।

श्रवण नक्षत्र ८ दिन-रात।

अश्लेषा नक्षत्र १ दिन-रात।

भाद्रपद मास को ४ नक्षत्र।

अश्लेषा १४ दिन-रात।

सतभिषग् ७ दिन-रात।

पूर्वाभाद्र पक्ष ८ दिन-रात।

उत्तराभाद्रपद १ दिन-रात।

१—ओषधिर्युक्ति, पाया २८६।

उत्तरज्येष्ठ (उत्तराश्वयुज)

१६१

अश्वयुज २६ : प्रलोक १६

आशोष मास को ३ नक्षत्र ।

उत्तराशाढपद १४ दिन-रात ।

रेवति १५ दिन-रात ।

अश्लेषा १ दिन-रात ।

कार्तिक मास को ३ नक्षत्र -

अश्लेषा १४ दिन-रात ।

भरणी १५ दिन-रात ।

कृत्तिका १ दिन-रात ।

मृगशिर मास को तीन नक्षत्र

कृत्तिका १४ दिन-रात ।

रोहिणी १५ दिन-रात ।

मृगशिर १ दिन-रात ।

पौष मास को ४ नक्षत्र

मृगशिर १४ दिन-रात ।

आर्द्रा ८ दिन-रात ।

पुनर्वसु ७ दिन-रात ।

पुष्य १ दिन-रात ।

माघ मास को ३ नक्षत्र

पुष्य १४ दिन-रात ।

अश्लेषा १५ दिन-रात ।

मघा १ दिन-रात ।

फाल्गुन मास को ३ नक्षत्र

मघा १४ दिन-रात ।

पूर्वा फाल्गुनी १५ दिन-रात ।

उत्तरा फाल्गुनी १ दिन रात ।

चैत्र मास को ३ नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी १४ दिन रात ।

हस्त १५ दिन-रात ।

चित्रा १ दिन-रात ।

वैशाख मास को ३ नक्षत्र :

चित्रा १४ दिन-रात ।

स्वाति १५ दिन-रात ।

वैशाखा १ दिन-रात ।

ज्येष्ठ मास को ५ नक्षत्र

विशाखा १४ दिन-रात ।

अनुराधा ८ दिन-रात ।

ज्येष्ठा ७ दिन-रात ।

मूल १ दिन-रात ।

आषाढ मास को ३ नक्षत्र

मूल १४ दिन-रात ।

पूर्वाषाढा १५ दिन-रात ।

उत्तराषाढा १ दिन-रात ।

श्लोक १६, २०

१२-श्लोक १९, २० :

इन दो श्लोकों में काल-ग्रहण की विधि बतलाई गई है । मुनि की दिन-चर्या का यह प्रमुख सूत्र है कि वह सब कार्य ठीक समय पर करे—'काले कालं समायरे' (दशवैकालिक ५।२।४) । जिस प्रकार वैदिक परम्परा में काल-विज्ञान का मूल यज्ञ है वैसे ही जैन-परम्परा में उसका मूल साधुओं की दिनचर्या है ।

रात के चार भाग है—

(१) प्रादोषिक ।

(२) अर्द्धरात्रिक ।

(३) वैरात्रिक ।

(४) प्राभातिक ।

प्रादोषिक और प्राभातिक इन दो प्रहणों में स्वाध्याय किया जाता है । अर्द्धरात्रि में ध्यान और वैरात्रिक में शयन किया जाता है ।

१-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वस ७ सूत्र १६२ ।

२-(क) ओषनिर्मुक्ति, गाथा ६५८ वृत्ति, पत्र २०५ :

कालानां चतुष्कं कालचतुष्कं तत्रैकः प्रादोषिकः द्वितीयोऽर्द्धरात्रिकः तृतीयो वैरात्रिकः चतुर्थः प्राभातिकः काल इति, एतस्मिन् कालचतुष्के नामास्वं प्रवर्त्यते, तत्र प्रादोषिककाले सर्व एव समकं स्वाध्यायं प्रस्थापयन्ति, शेषेषु तु त्रिषु कालेषु समकं एककालं स्वाध्यायं प्रस्थापयन्ति विषमं वा—न युगपद्वा स्वाध्यायं प्रस्थापयन्तीति ।

(ख) ओषनिर्मुक्ति गाथा, ६६२, ६६३

पाजोसिय अर्द्धरते, उत्तरविति पुष्ये हेतु कालं ।

वेरसियंमि अयथा, पुष्यविसा पञ्चमे काले ॥

सञ्जायं काज्जं, पञ्चमवितिवानु दोषु जागरण ।

अन्नं वापि मुचंती, मुचंति कायन्ति वाज्जुद्धे ॥

श्लोक २१, २२

१३-श्लोक २१, २२ :

'पुत्रित्वमि चउभ्राए' यहाँ 'आइच्चमि समुष्टि' इतना शेष है।^१ तथा 'पोरिसीए चउभ्राए' यहाँ 'अशिश्यमाण' इतना शेष है।^२ 'अपठिदमिता कालस' यहाँ कायोःसर्ग मिए दिना ही पात्र-प्रतिलेखना का विधान है। उसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ पौष्पी में फिर स्वाध्याय करना है। कायोःसर्ग एक कार्य की समाप्ति पर ही किया जाता है।^३

श्लोक २३

१४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में पात्र सम्बन्धी तीन उपकरणों—(१) मूल-वस्त्रिका, (२) गोच्छग और (३) वस्त्र (पटल) का उल्लेख है। ओषनियुक्ति में पाच सामन्थी मात उपकरणों का उल्लेख मिलता है—(१) पात्र, (२) पात्र-बन्ध, (३) पात्र-स्थापन, (४) पात्र-केशरिका, (५) पटल, (६) रजस्त्राण और (७) गोच्छग।

इन्हे पात्र-नियोग (पात्र-परिकर) कहा जाता है।^४ पात्र को बाँधने के लिए पात्र बन्ध, उसे रज आदि से बंधाने के लिए पात्र-स्थापन रखा जाता है।^५ पात्र-केशरिका का अर्थ 'पात्र की मूल-वस्त्रिका' है।^६ इससे पात्र की प्रतिलेखना की जाती है।^७

भिक्षाटन काल में श्कन्ध और पात्र को ढाँकने के लिए तथा पुष्प-फल, रज-रेणु आदि से बचाव करने के लिए पटल रखा जाता है।^८

१-कृत्स्व वृत्ति, पत्र ५४० :

'पूर्वस्मिन्चतुर्नागे' प्रथमपौष्पीलक्षणे प्रक्रमाद् दिनस्य प्रमुखेक्ष्य 'माशुक्क' प्राव्यट्चर्वाकल्पादि उपधिनादित्योदय-समय इति शेषः ।

२-वही, पत्र ५४०

द्वितीयसूत्रे च पौष्प्याश्चतुर्नागेऽवशिष्यमाण इति गम्यते, ततोऽयमर्थः पात्रोत्पौष्प्यां भाजन प्रतिलेखयेदिति सम्बन्धः ।

३-वही, पत्र ५४० :

स्वाध्यायाद्युपरतश्चेत्कालस्य प्रतिक्रम्यैव कृत्यान्तरमारब्धव्यमित्याशङ्क्येतात आह—अप्रतिक्रम्य कालस्य, तत्प्रतिक्रमार्थं कायोःसर्गमविधाय, चतुर्थपौष्प्यामपि स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात् ।

४-ओषनियुक्ति, गाथा ६७४ :

पत्सं पस्तावधो, पायद्वेषण च पायकेसरिया ।

पठलाद् रयसाधं च, गोच्छधो पायनिज्जोयो ॥

५-वही, गाथा ६९५ .

रयमाहिरपक्षमद्वा, पतद्वेषणं जिषेहि पन्नतं ।

६-वही, गाथा ६९६ वृत्ति—

'केसरिकाऽपि'—पात्रक-मूलवस्त्रिकाऽपि ।

७-वही, गाथा ६९६ .

पाय-पमजगहेर्धं, केसरिया ।

८-(क) वही, गाथा ७०१ वृत्ति—

स्कन्धः पात्रकं चाच्छाद्यते यावता तत्प्रामाण पटलानामिति ।

(ख) वही, गाथा ७०२ .

पुष्प-फलोदय-रथरेणु-सज्जण-परिहार-पाय-रक्षमद्वा ।

लिगस्त य संवरणे, वेदोद्ययरक्षणे पठला ॥

पूहों तथा अन्य जीव-जन्तुओं, बरसात के पानी आदि से बचाव के लिए-रजस्राव रखा जाता है।^१ पटलों का प्रमार्जन करने के लिए गोमूत्र ही होता है।^२ इनमें पात्र-स्थापन और गोमूत्र ऊन के तथा मुस-वस्त्रिका कपास की होती है।^३

श्लोक २४-२८

१५—श्लोक २४-२८ :

प्रतिलेखना के तीन अंग हैं—

- (१) प्रतिलेखना—बस्त्रों को बाँसों से देखना ।
- (२) प्रस्फोटना—भटकाना ।
- (३) प्रमार्जना—प्रमार्जन करना, बस्त्र पर जीव-जन्तु हों, उन्हें हाथ में लेकर यतना-पूर्वक एकान्त में रखा देना ।

२५वें श्लोक में अनर्तित आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे स्वानाग (६।५०३) के अनुसार अप्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार हैं। इनमें 'अमोसली' शब्द मुशल से उत्पन्न है। अनाज कूटले समय मुशल जैसे ऊार, नीचे और तिरछे में जाता है वैसे बस्त्र को नहीं ले जाना चाहिए। 'पुरिम' (पूर्व) शब्द का रूढ अर्थ है—'बस्त्र के दोनों ओर तीन-तीन विभाग कर उसे भटकाना'।

'खोटक' का अर्थ है—'प्रमार्जन'। वे प्रत्येक पूर्व में तीन-तीन बार किए जाते हैं। इस प्रकार एक भाग में नौ खोटक होते हैं, दोनों में अठारह।

२६ वें श्लोक में आरभटा आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे स्वानाग (६।५०३) के अनुसार प्रमाद प्रतिलेखना के प्रकार हैं। इनमें वेदिका के पाँच प्रकार हैं—

- (१) उर्ध्ववेदिका—दोनों जानुओं पर हाथ रखकर प्रतिलेखना करना।
- (२) अधोवेदिका—दोनों जानुओं के नीचे हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (३) तिर्यग्-वेदिका—दोनों जानुओं के बीच में हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (४) उभय-वेदिका—दोनों जानुओं को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (५) एक-वेदिका—एक जानु को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।

दृष्टि डालना, छह पूर्व करना—छह बार भटकाना और अठारह खोटक करना—अठारह बार प्रमार्जन करना—इस प्रकार प्रतिलेखना के (१+६+२८) २५ प्रकार होते हैं।^४

१—ओषधिर्युक्ति, शाखा ७०४ .

मूसयरजजकरे, बासे सिन्हा ए ए रक्कटा ।

होंसि गुवा रक्ताचि, पावे पावे म एकैकं ॥

२—श्री, शाखा ६९५ .

होइ पमजजहेउं तु, गोमूत्रो माज-कपास ।

३—श्री, शाखा ६९४, वृत्ति—

जत्र म पात्रस्थापनकं गोमूत्ररज एते हे अपि ऊर्ध्वोऽधो वेदित्तये, मुसवस्त्रिका खोमिया ।

४—(क) वृहत् वृत्ति, पत्र ५४०-५४२ ।

(ख) स्वानाग, ६।५०३ वृत्ति ।

अठारहवें श्लोक के अनुसार प्रतिलिखना के आठ विकल्प होते हैं। उनमें पहला प्रशस्त है, शेष सभी अप्रशस्त—

(१) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	प्रशस्त
(२) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	अप्रशस्त
(३) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
(४) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"
(५) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	"
(६) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	"
(७) न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
(८) न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"

१६—वस्त्र (वस्त्रं च) :

यहाँ 'वस्त्र' शब्द उत्तरीय आदि वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है। इससे पहले तेईसवें श्लोक में जो वस्त्र शब्द है वह पात्र के उपकरण—पटल के अर्थ में प्रयुक्त है।^१ इन सबकी प्रतिलिखना का प्रकार एक जैसा ही है।

श्लोक ३२

१७—श्लोक ३२ :

इस श्लोक में छह कारणों से मुनि को आहार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है—

- १) क्षुधा की वेदना उत्पन्न होने पर।
- २) बंध्यावृत्त्य के लिए।
- ३) ईर्ष्या-पथ के क्षोषण के लिए।
- ४) समय-यात्रा के निर्वाह के लिए।
- ५) अहिंसा के लिए।
- ६) धर्म-विस्तार के लिए।

मिलावट—स्वामांग, १।५००

१—कृष्ण कृत्ति, पत्र ५४२।

२—श्री, पत्र ५४० :

'वस्त्रं' वस्त्रकर्म, आराधककर्म, वस्त्रकर्मैऽपि सामान्यवाचकवस्त्रवाभिधानं वर्धासत्वात्तदनुपेक्षयाप्राग्व्यनेव विधिरिति व्याख्यायते ।

भूलाचार में तीसरे कारण 'इरियद्वाए' के स्थान पर 'किरियद्वाए' पाठ मिलता है । उसका अर्थ 'क्रिया के लिए—वडावश्यक आदि क्रिया का प्रतिपालन करने के लिए' किया गया है ।^२

यह अन्तर यदि लिपि-दोष के कारण न हुआ हो तो यही मानना होगा कि उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तीसरे कारण से आचार्य वट्टकेर सहमत नहीं हैं । बौद्ध-ग्रन्थों में आहार लेने या करने की मर्यादा का उल्लेख करते हुए कहा गया है—भिक्षु क्रीडा के लिए, मद के लिए, मण्डन करने के लिए, विभूषा के लिए—आहार न करे । परन्तु शरीर को कायम रखने के लिए, रोग के उपशमन के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए (शासन-ब्रह्मचर्य और मार्ग-ब्रह्मचर्य के लिए) इस प्रकार आहार करता हुआ मैं भूल से उत्पन्न वेदना को क्षीण करूँगा और नई वेदना को उत्पन्न नहीं करूँगा, ऐसा करने से मेरी यात्रा (समय-यात्रा या शारीरिक यात्रा) और प्राणु विहार-चर्या भी चलती रहेगी ।^३

१८-वेदना (वेयण क)

भूल के समान कोई कष्ट नहीं है । भूला आदमी बेधावृत्त्य (सेवा) नहीं कर सकता , ईर्यों का शोधन नहीं कर सकता , प्रेक्षा आदि समय-विधियों का पालन नहीं कर सकता , उसका बल क्षीण हो जाता है ; गुणन और अनुप्रेक्षा करने में वह अशक्त हो जाता है इसलिए भगवान् ने कहा कि वेदना की शांति के लिए मुनि आहार करे ।^४

श्लोक ३४

१६-श्लोक ३४ :

इस श्लोक में छह कारणों से आहार नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है—

- (१) आतक—ज्वर आदि आकस्मिक हो जाने पर ।
- (२) राजा आदि का उपमर्ग हो जाने पर ।
- (३) ब्रह्मचर्य की नितिक्षा—सुरक्षा के लिए ।
- (४) प्राणि-दया के लिए ।
- (५) तपस्या के लिए ।
- (६) शरीर का व्युत्सर्ग करने के लिए ।

मिलाइए—स्थानाग ६।५००

ओषनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २६३, २६४

१-भूलाचार, ६।६० :

वेणयवेजावण्णे किरियाठाणे य संजवद्वाए ।

तथ पाणधम्मचिंता कुञ्जा एरेहिं आहारं ॥

२-भूलाचार, ६।६० वृत्ति ।

क्रियार्थं वडावश्यकक्रिया मम भोजनमन्तरेण न प्रवर्तन्ते इति ताः प्रतिपालयामीति भुञ्जते ।

३-विशुद्धिचर्या १।१।३१, पाठ टिप्पण ८ .

पटिसंवा भोजितो पिण्डवातं पटिसेवति, नेव वपाय, न मवाय, न मण्डनाय, न विदुसमाय, पावसेव इतरस्य कायसस तितिया यापनाय विहितुपरतिया ब्रह्मचर्याकुगहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिह्वामि, नवं च वेदनं च उप्यावेस्सवमि, यात्रा च मे भविससति कासुविहारो चासि ।

४-ओषनिर्युक्ति, भाष्य, गाथा २९०, २९१ :

नत्विं छुहाए सरिसवा, वेयण भुंजेज तण्य-समण्डा ।

छाओ वेयावण्णं, न तरह काउं अओ भुंजे ॥

इरियं नविं तोहिं, पैहाहिं च संजमं काउं ।

जामो वा परिहायइ, गुणजुप्येहासु य अस्ततो ॥

श्लोक ३५

२०—श्लोक ३५ :

मुनि जब भिक्षा के लिए जाए तब अपने सब उपकरणों को साथ ले जाए—यह 'ओत्सर्गिक विधि' है। यदि सब उपकरणों को साथ ले जाने में असमर्थ हो तो आचार-भण्डक लेकर जाए—यह 'आपवादिक विधि' है।

निम्नलिखित छ आचार-भण्डक कहलाते हैं—

- (१) पात्र ।
- (२) पटल ।
- (३) रजोहरण ।
- (४) दण्डक ।
- (५) दोकल्प—एक ऊनी और एक सूनी पछेवडी ।
- (६) मात्रक ।^१

इस श्लोक का निर्युक्ति व भाष्य-काल में जो अर्थ था, वह टीका-काल में बदल गया।

शान्त्याचार्य ने अवशेष का अर्थ केवल 'पात्रोपकरण' किया है। वैकल्पिक रूप में अवशेष का अर्थ 'समस्त उपकरण' भी किया है किन्तु उन्हें भिक्षा में साथ ले जाना चाहिए, इसकी मुख्य रूप से चर्चा नहीं की है।^२

२१—प्रदेश तक (विहारं च) :

शान्त्याचार्य ने विहार का अर्थ 'प्रदेश' किया है।^३ व्यवहार-भाष्य की वृत्ति में विहार-भूमि का अर्थ 'भिक्षा-भूमि' मिलता है।^४ 'विहारं विहारणं'—इसका अर्थ है—'भिक्षा के निमित्त पर्यटन करे'।

१—ओधनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २२७ और वृत्ति ।

सम्बोधगरणमाया, असह आचारसंज्ञकेण सह ।

तत्रोत्सर्गतं सर्वोपकरणमादाय भिक्षावशेषणां करोति, अथासौ सर्वेण गृहीतेन भिक्षामटितुमसमर्थस्तत आचारभण्डकेन सम, आचारभण्डकं—पात्रकं पटलानि रजोहरणं दण्डकः कल्पद्वयं—और्णिकः कौमिकश्च मात्रकं च, एतद्गृहीत्वा याति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५४४

'अवशेषं' भिक्षाप्रक्रमात्पात्रनिर्योगोद्धरितं, च शब्दस्य गम्यमानत्वावशेषं च पात्रनिर्योगनेष, यद्वापगतं शेषमवशेषं, कोऽर्थः ?—समस्तं, भण्डकम् उपकरणं 'गिञ्ज' ति गृहीत्वा क्लृप्ता प्रत्युपेक्षेत, उपलक्षणत्वात्प्रतिलेखयेत्, इह च विशेषत इति गम्यते, सामान्यतो ह्यप्रत्युपेक्षितस्य ग्रहणमपि न युज्यत एव यतीनाम्, उपलक्षणत्वञ्चास्य तदावाय ।

३—बृही, पत्र ५४४

विहारणत्वस्मिन् प्रदेश इति विहारस्तम् ।

४—व्यवहार-भाष्य, ४।४० और वृत्ति ।

गृह्णीति विहारभूमौ, विहारभूमौ च सुलभमिति च ।

सुकृता वसन्ती च अर्हि, जहण्यर्थं वासवेत्तं तु ॥

अत्र च गृह्णीति विहारभूमिर्भिक्षानिमित्तं परिभ्रमणभूमिः... ।

अध्ययन ३७

खलुंकिज्जं

श्लोक १

१-(धेरो क, गणहरे क, गर्गो क, पडिसंघए ष) :

'धेरो'—शान्त्याचार्य ने 'धिरकरणा पुण धेरो' के आधार पर इसका अर्थ 'धर्म में अस्विर व्यक्तियों को स्थिर करने वाला' किया है।^१ दशवैकालिक (६।४।१) की बूर्णि में स्वविर का अर्थ 'गणधर' किया गया है।^२ परन्तु यहाँ यह अर्थ नहीं है क्योंकि इसका अगला शब्द 'गणहरे' है। साधारणतः जो मुनि प्रव्रज्या और वय में वृद्ध होते हैं उन्हें 'स्वविर' कहा जाता है। मुनि के लिए 'स्वविर कल्प' नामक आधार विशेष का भी उल्लेख आया है जिसका अर्थ है 'गच्छ में रहने वाले मुनियों का आधार'।

'गणहरे'—इसके प्रमुख अर्थ दो हैं—(१) तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य और (२) अनुपम ज्ञानादि के धारक अचार्य।^३ यहाँ द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है।

'गर्गो'—इसके दो संस्कृत रूप होते हैं—गर्ग और गार्ग्य। गर्ग व्यक्तिवाची शब्द है और गार्ग्य गोत्र सम्बन्धी। शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप गार्ग्य देकर इसका अर्थ 'गर्गसगोत्र' किया है। नेमिचन्द्र ने इसे 'गर्ग' शब्द मानकर 'गर्गनामा' ऐसा अर्थ किया है।^४ स्थानांग सूत्र में गौतम-गोत्र के अन्तर्गत गर्ग-गोत्र का उल्लेख हुआ है।^५ इसलिए शान्त्याचार्य वाला अर्थ ही संगत लगता है। सरपेण्टियर ने लिखा है—यह गर्ग शब्द अति प्राचीन है और वैदिक-साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसके निकट के शब्द गार्गी और गार्ग्य भी ब्राह्मण युग में सुविदित रहे। संभव है कि उस समय में गर्ग नाम वाला कोई ब्राह्मण मुनि रहा हो और जैनों ने उस नाम का अनुकरण कर अपने साहित्य में उसका प्रयोग किया हो। उत्तराध्ययन में आए हुए 'कपिल' आदि शब्द के विषय में भी ऐसा ही हुआ है।^६ किन्तु ब्राह्मण लोग जैन-शासन में प्रवृत्त होते थे, इसलिए ब्राह्मण मुनि के नाम का अनुकरण कर यह अध्ययन लिखा गया। इस अनुमान के लिए कोई पुष्ट आधार प्राप्त नहीं है।

'पडिसंघए'—शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'कर्माद्य से नष्ट हुई अधिनीत शिष्यों की समाधि का पुनः संधान करना—जोड़ना'^७ और

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५०।

२-अगस्त्य बूर्णि :

धेरो पुण गणहरो ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :

गर्गं—गुणसमूहं धारयति—आत्मव्यवस्थापयतीति गणधरः ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :)

'गार्ग्यः' गर्गसगोत्र ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१६ :

गर्गं गर्गनामा ।

५-स्थानांग, ७।५।१ :

जे गौयमा ते सप्तविधा प० सं०-ते गौयमा, ते गन्ना, ते नारदा, ते धंघिरसा, ते सकराभा, ते मन्धाराम, ते अयस्तामा ।

६-The Uttarādhyayana Sūtra, p 372।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५० :

'अस्तिंघते' कर्माद्व्याप्नुवित्तमपि संघट्टयति, तथाविधकिञ्चान्नास्ति कल्पते ।

नेमिकन्द्र ने 'विष्यो' द्वारा तोड़ी गई समाधि का पुनः अपने आप में संभान करना^१ किया है। इस अध्ययन की दृष्टि से दोनों अर्थ उचित हैं।

श्लोक ३

२-अयोग्य बलों को (खलुके क) :

'खलुक' और 'खलुक'—ये दोनों रूप प्रचलित हैं। नेमिकन्द्र ने इसका अर्थ 'दुष्ट बल' किया है।^२ स्थानांग वृत्ति में भी खलुक का अर्थ 'अविनीत' किया गया है।^३ खलुक का अर्थ 'घोटा' भी होता है।^४

सरपेण्टियर ने लिखा है—संभव है यह शब्द 'खल' से सम्बन्धित रहा हो और प्रारम्भ में 'खल' शब्द के भी ये ही—वक्र, दुष्ट आदि अर्थ रहे हों। परन्तु इसकी प्रामाणिक व्युत्पत्ति अज्ञात ही है। अनुमानतः यह शब्द 'खलोक्ष' का निकटवर्ती रहा है। जैसे—खल-विह्वल का दुष्ट पक्षी के अर्थ में प्रयोग होता है, वैसे ही खल-उक्ष का दुष्ट बल के अर्थ में प्रयोग हुआ हो।^५

'खलुक' शब्द के अनेक अर्थ निर्युक्ति की गाथाओं (४८६-४९४) में मिलते हैं—

(१) जो बल अपने जुए को तोड़कर उत्पथगामी हो जाते हैं, उन्हें खलुक कहा जाता है—यह गाथा ४८६ का भावार्थ है।

(२) ४९० वीं गाथा में खलुक का अर्थ वक्र, कुटिल, जो नमाया नहीं जा सकता आदि किया गया है।

(३) ४९१ वीं गाथा में हाथों के अकुचा, करमदी, गुल्म की लकड़ी और लालवृन्त के पंखे आदि को खलुक कहा गया है।

(४) ४९२ वीं गाथा में दस, मरक, जौक आदि को खलुक कहा गया है।

(५) ४९३ और ४९४ वीं गाथाओं में गृह के प्रत्यनीक, शबल, असमाधिकर, पियान, दूसरों को संतप्त करने वाले, अविश्वस्त आदि विषयों को खलुक कहा गया है।^६

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट, वक्र आदि के अर्थ में 'खलुक' शब्द का प्रयोग होता है। जब यह मनुष्य या पशु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ होता है—दुष्ट मनुष्य या पशु, अविनीत मनुष्य या पशु और जब यह लता, गुल्म, वृक्ष आदि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ वक्र लता या वृक्ष, टूट, गाँठों वाली लकड़ी या वृक्ष होता है।

श्लोक ४

३-(एगं डसह पुच्छंमि क) :

शान्त्याचार्य और नेमिकन्द्र ने इसका सम्बन्ध क्रुद्ध गाड़ी-वाहक—सारथि से किया है।^७ परन्तु प्रकरण की दृष्टि से यह संगत नहीं लगता। डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका सम्बन्ध दुष्ट बल के साथ जोड़ा है।^८ क्योंकि अगला सारा प्रकरण बलों से सम्बन्धित है। अतः यह ठीक है।

१-सुक्तबोधो, पत्र ३१६.

'प्रतिस्वयते' कुत्सित्यैस्त्रोटितनपि सङ्गृह्यति आत्मन इति गम्यते।

२-श्री, पत्र ३१६.

खलुकान् गलिकृषमान्।

३-स्थानांग, ४।३।३२७ वृत्ति, पत्र २३८.

खलुको—गलिरविनीत।

४-अभिधानव्यपीपिका, ३७०.

घोटको, (गु) खलुको (घ)।

५. The Uttarādhyaṇa Sūtra, p 372

६-श्रीवृत्ति, पत्र ५४८-५५०।

७-(क) श्रीवृत्ति, पत्र ५५१।

(ख) सुक्तबोधो, पत्र ३१७।

८-The Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyaṇa, p. 150, Foot note 2.

श्लोक ५

४-तरुण गाय की ओर (बालगवी ऋ) :

शाक्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) युवा गौय और (२) दुष्ट बेल ।^१ प्रथम अर्थ संगत लगता है ।

श्लोक ७

५-छिनाल (छिन्नाले ऋ) :

'छिन्नाले' का अर्थ है 'अर' । भारतवर्ष में बोडा-गाडी-बाहक इसका बहुधा प्रयोग करते हैं । यह गाली वाचक शब्द है । इसका स्त्रीलिङ्ग में भी प्रयोग होता है, यथा—छिनाली, छिनाल स्त्री, छिन्ना आदि ।^२ पुश्चली को छिनाल कहते हैं ।

छिनालिया-पुत्र की संस्कृत छाया 'पुश्चलिपुत्रक' दी है—ऐसा सरपेन्टियर ने लिखा है ।^३ टीकाकार इसका अर्थ 'तथाविधपुष्टजाति' करते हैं ।^४

६-रास को (सेलिं ऋ) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है 'रज्जु' ।^५ सम्भव है इस शब्द का सम्बन्ध अपत्रंश शब्द 'सेल्लु' से हो, जिसका उल्लेख हेमचन्द्राचार्य ने प्राकृत-व्याकरण (४।३.८) में किया है । पिशाल ने 'सेल्लु' का अर्थ हल किया है । सरपेन्टियर ने इस अर्थ के आधार पर यह अनुमान किया है कि यह हल का कोई भाग होना चाहिए ।^६ देशीनाममाला में 'सेल्लु' के दो अर्थ किए गए हैं—(१) मृग-शिशु और (२) बाण ।^७

श्लोक ९

७-(इड्डीगारबिए ऋ, रसगारवे ऋ, सायागारबिए ऋ) :

देखिए—३।१।४ का टिप्पण ।

श्लोक १०

८-श्लोक १० :

डॉ० हरमन जेकोबी ने इस श्लोक के विषय में यह अनुमान किया है कि मूलतः यह श्लोक 'आर्या' छन्द में था परन्तु कालान्तर में इसे 'अनुष्टुप छन्द' में बदलने का प्रयत्न किया गया ।^१ टीकाओं में इस विषयक कोई उल्लेख नहीं है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

(क) 'बालगवी ऋ'ति 'बालगवीम्' अष्टुदां गाम् ।

(ख) यद्विवाऽर्थात्वाहालगवीति ध्यालगवो—पुष्टचलीवद ।

२-देशीनाममाला, ३।२७, पृ० १४० ।

३-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

'छिनालः' तथाविधपुष्टजाति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१ .

'सिलिं' ति रविं संयमनरज्जुमितिवाचत् ।

६-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

७-देशीनाममाला, ८।५७ .

मिगसिपुलरेषु सेल्लो ।

८-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६—अपमान-भीरु (ओमाणभीरु ऋ) :

इसका तात्पर्य है कि जिस किसी के घर में वह शिक्षा के लिए नहीं जाता क्योंकि उसे प्रतिफल अपमानित होने का भय रहता है।^१ शान्त्याचार्य ने 'ओमाणभीरु' का वैकल्पिक अर्थ 'प्रवेश-भीरु' किया है।^२

श्लोक १३

१०—(पलिउंचन्ति ऋ) :

इसका तात्पर्यार्थ समझाने हुए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि आदेश के अनुसार कार्य न होने पर गुरु अपने शिष्य को इसका कारण पूछते हैं तब शिष्य कहता है—“आपने हमें इस कार्य के लिए कब कहा था ?” अथवा वह यों कह देता है—“हम वहाँ गए थे परन्तु वह वहाँ नहीं मिली।” यह अपलाप करना है।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इस अर्थ को मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ है 'आदेशानुसार कार्य नहीं किया।'^४ मूल वाक्य को देखते हुए परिकुच का अर्थ मायापूर्ण प्रयोग या अपलाप ही होना चाहिए।

११—राजा की बेगार (रायवेष्टि ऋ) :

'रायवेष्टि' का अर्थ है 'राजा की बेगार'।^५ राजस्थान में इसे 'बेठ' कहते हैं। (विट्टि>वेष्टि>बेठ) यह देवी शब्द है। देवीनाममाला में इसका अर्थ 'प्रेषण' किया है।^६ उपदेशरत्नाकर (६।११) में इसका अर्थ 'बेगार' किया है। प्राचीन समय में यह परम्परा थी कि राजा या जमींदार गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते थे। बारी-बारी से सबको कार्य करना पड़ता था। इसी की ओर यह शब्द संकेत करता है। डॉ० हरमन जेकोबी 'विट्टि' का अर्थ 'भाड़ा'—'किराया' करते हैं।^७ किन्तु यहाँ यह उपयुक्त नहीं है।

श्लोक १५

१२—खिन्न होकर (समागओ ऋ) :

'समागओ' के अर्थ में नेमिचन्द्र का मत शान्त्याचार्य से भिन्न है। शान्त्याचार्य ने समागत का अर्थ 'श्रमागत' (श्रम-प्राप्त) किया है^८ और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'संयुक्त' किया है।^९

१—सुखबोधा, पत्र ३१७

अपमानभीरु' शिक्षां भ्रमन्नि न यश्च तस्यैव गृहे प्रवेष्टुमिच्छति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२ .

'ओमाण' ति प्रवेश स च स्वपक्षपरपक्षयोस्तद्भीरुर्गुह्यप्रतिबन्धेन मा मां प्रविशन्तमवलोक्यान्वे साधवः सौगतादयो वाऽत्र प्रवेक्ष्यन्तीति ।

३—बही, पत्र ५५३

'पलिउंचन्ति' ति तत्प्रयोजनानिष्पादने पृष्टाः सन्तोऽप्यहं युवते—वच बधमुक्ता ?, गता वा तत्र वध, न त्वसौ दृष्टेति ।

४—The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p. 151.

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३ :

'राजवेष्टिमिष' नृपतिहृठप्रवर्षितकुर्यामिष ।

६—देवीनाममाला, २।४३, पृ० ६६ ।

७—The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p. 151, foot Note No 3

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३ .

अर्थ—वेदमागतः—प्राप्तः श्रमागत ।

९—सुखबोधा, पत्र ३१७ :

समागताः—संयुक्ताः ।

अध्ययन २८ मोक्षमार्गगङ्गा

श्लोक २

१-श्लोक २ :

इस श्लोक में मोक्ष के चार मार्ग—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र्य और (४) तप—का नाम निर्देश है। 'तप' चारित्र्य का ही एक प्रकार है किन्तु इसके कर्म-क्षय करने की विशिष्ट शक्ति होने के कारण इसे यहाँ स्वतंत्र स्थान दिया गया है।^१ उमास्वामि ने "सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग" ^२—इस सूत्र में तपस्या को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार मोक्ष-मार्ग की संख्या के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्राप्त हैं। इनमें केवल अवेधा-मद है। तप को चारित्र्य के अन्तर्गत मान लेने पर मोक्ष के मार्ग तीन बन जाते हैं और इसे स्वतंत्र मान लेने पर चार।

बौद्ध-साहित्य में अष्टांगिक-मार्ग को मुक्ति का कारण माना गया है। (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सङ्कल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्रतयाप, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि—ये अष्टांगिक-मार्ग कहलाते हैं।^३

श्लोक ४

२-श्लोक ४ :

इस श्लोक में ज्ञानदर्शनाभिमत पाँच ज्ञानो—(१) श्रुतज्ञान, (२) आभिनवोधिकज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन ज्ञान (मन पर्यव ज्ञान) और (५) केवलज्ञान—का उल्लेख हुआ है। इसी ग्रन्थ (३३।४) में ज्ञानावरण के भेदों में इन पाँच ज्ञानों का उल्लेख हुआ है। वहाँ भी यही क्रम है। साधारण ज्ञान के उल्लेख का क्रम है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल। परन्तु इस श्लोक में श्रुत के बाद आभिनवोधिक (मति) का उल्लेख हुआ है। टीकाकारों ने इसका कारण बताते हुए कहा है कि श्रुत मनी ज्ञानो (मति, अवधि, मा पर्यव और केवल) का स्वरूप-ज्ञान एव श्रुतज्ञान से ही होता है। अतः इसकी प्रधानता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है।^४ इसकी पुष्टि अनुयोगद्वार सूत्र में भी होती है।^५ यह भी सम्भव है कि छः की गणना से ऐसा किया गया हो।

१ बृहद् वृत्ति, पत्र ५५६

इह च चारित्र्यभेदत्वेऽपि तपसः पृथगुपादानमस्यैव क्षयणं प्रत्यसाधारणहेतुत्वमुपदर्शयितुं, तथा च वक्ष्यति—'तवसा (उ) विमुक्तम्'।

२-तरवार्थ सूत्र १।१।

३-संयुक्तिकाय (३४।३।५।१), भाग २, पृ० ५०५।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५७।

(ख) सुखबोध, पत्र ३१९।

५-अनुयोगद्वार, सूत्र २ :

तप चत्तारि नाणाह ठप्पाइ ठवणिसज्जाइ णो उहिससि णो समुहिससि णो अगुणविसज्जंति, सुयनाणस्स उहेसो सपुहेसो अगुणना अणुओणो य पवत्तइ ।

‘आभिनिबोधिकज्ञान’ मतिज्ञान का ही पयोयवाची है। नन्दी सूत्र में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है।^१ अनुयोगद्वार में केवल ‘आभिनिबोधिक’ का ही प्रयोग है। नदी में ईहा, उपोह, विमर्त, मार्गणा गवेसणा, संज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा को आभिनिबोधिक ज्ञान माना है।^२ तत्त्वार्थ (१।१३) में मति, स्मृति, मजा, चि ना और आभिनिबोध को एकार्थक माना गया है।

मति और श्रुत अन्योन्याश्रित है—‘जथाभिनिबोहियमाण तस्य सुधनाण, ज थ सुधनाण तस्याभिनिबोहियमाण’—यहाँ मति है, वहाँ श्रुत है और जहाँ श्रुत है, वहाँ मति है।^३

श्रुतज्ञान मति-पूर्वक ही होता है, परन्तु मतिज्ञान श्रुत-पूर्वक नहीं होता।^४ सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में भी इसी मन का समर्थन है।^५ श्रुतज्ञान मति पूर्वक ही होता है, जबकि मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुत-पूर्वक ही हो।^६ जिनभद्र कहते हैं कि जो ज्ञान श्रुतानुसारी है, वह भाव श्रुत है ज्ञेय मति है।^७

मतिज्ञान दो प्रकार का है—(१) श्रुत-निश्चित और (२) अश्रुत-निश्चित।^८

श्रुत निश्चित के चार भेद हैं—(१) अवग्रह, (२) ईहा, (३) अत्राय और (४) धारणा।^९ इन्हें सात्त्विक-वैश्वानर-प्रथम भी कहा गया है।^{१०}

अश्रुत-निश्चित के चार भेद हैं—(१) औत्पत्तिकी, (२) वैनयिकी, (३) कर्मज्ञा और (४) पारिणामिकी।^{११}

पाँच इन्द्रिय और मन के साथ अवग्रह आदि का गुणन करने से मतिज्ञान २८ प्रकार का होता है। चतु और मन का व्यंजनावग्रह नती होता।^{१२} तालिका इस प्रकार होती है

१ नन्दी सूत्र (संगोधित प्रति), सूत्र ३४, ३५।

२-वही, गाथा ७७ :

ईहा अपोह बीमसा, मग्गणा य गवेसणा।

सन्ना सई मई पन्ना, सव्वं आभिनिबोहियम् ॥

३-वही, सूत्र ३५।

४-वही, सूत्र ३५।

५-सर्वार्थसिद्धि, १।३० तत्त्वार्थ राजवार्तिक, १।६।

६ नत्त्वार्थ सूत्र १।३१ भाष्य

श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियत सहभाव तत्पूर्वकत्वान्। यस्य श्रुतज्ञान तस्य नियतं मतिज्ञानं, यस्य तु मतिज्ञानं तस्य श्रुतज्ञानं म्याद वा न वेत्ति।

७-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १००।

इन्द्रिय मणो निमित्तं, ज विष्णाण भुयाणुसारेण।

निययत्पुत्तिसमस्य स नावलुय मई इयरा ॥

८-नन्दी सूत्र (संगोधित प्रति), सूत्र ३७।


९-वही, सूत्र ३६।

१०-जेन तर्कभाषा, पृ० = १।

११-नन्दी सूत्र (संगोधित प्रति), गाथा ५= ७१।

१२-वही, सूत्र ४०-४२।

आभिनिबोधिक [मति] ज्ञान



सिद्धसेन विवाकर श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से भिन्न नहीं मानते। उनके अनुसार इनको भिन्न मानने से वैयर्थ्य और अनिप्रसंग दोष आते हैं।^१

सिद्धसेन विवाकर की यह मान्यता निराधार नहीं है। क्योंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—दोनों की कारण-सामग्री एक है। इन्द्रिय और मन दोनों के साधन हैं तथा श्रुतज्ञान मति के ही आगे की एक अवस्था है। श्रुत मति-पूर्वक ही होता है—इन सभी अपेक्षाओं से श्रुत का अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रुत 'शाब्द-ज्ञान' है। इसकी अपनी विधेयता है। कारण-सामग्री एक होने पर भी मतिज्ञान केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। परन्तु श्रुतज्ञान का विषय 'त्रैकालिक' है। इसका विशेष सम्बन्ध 'मन' में रहता है। साग आगम-ज्ञान श्रुतज्ञान है। इस अपेक्षा से इसका भिन्न निरूपण भी युक्ति-मग्न है।

प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—इन दोनों का परोक्ष में समावेश किया गया है और शेष तीनों—अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान का प्रत्यक्ष में।^२

परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क अनुमान और आगम।^४

इनमें प्रथम चार मतिज्ञान के प्रकार हैं और आगम श्रुतज्ञान है। 'वस्तुतः' ज्ञान एक ही है—केवलज्ञान। शेष सभी ज्ञान की अविकसित अवस्था के द्योतक हैं। सभी का अन्तर्भाव केवलज्ञान में सहज ही हो जाता है।

एक अपेक्षा से ज्ञान दो प्रकार का है—इन्द्रिय-ज्ञान और अतीन्द्रिय-ज्ञान। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय ज्ञान हैं। अवधि, मन पर्यव और केवल—अतीन्द्रिय-ज्ञान हैं।

अथवा ज्ञान तीन है—(१) मति-श्रुत, (२) अवधि-मन पर्यव, (३) केवलज्ञान।

मति-श्रुत की एकात्मकता के बारे में पहले लिखा जा चुका है। अवधि और मन पर्यव भी विषय की दृष्टि से एक हैं, इसीलिए इस अपेक्षा से उन्हें एक विभाग में मान लेना अयुक्त नहीं है। केवलज्ञान की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही।

श्रुतज्ञान

आप्त पुण्य द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं अथवा वाच्य, सकेत आदि से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है अथवा वाच्य और वाचक के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान साक्षर होने के साथ-साथ वचनात्मक होता है।

१—प्रत्येक के श्रोत्र, घ्राण, रस, स्पर्श और मोहन्द्रिय-मन ये छ भेद हैं।
 २—वैयर्थ्यनिप्रसंगाभ्यां, न मत्थम्यधिकं श्रुतम्।
 ३—मंठी सूत्र (संगोष्ठित मति), सूत्र ३, ६, ३३।
 ४—प्रमाणव्यतरत्वात्सोक, ३।२।

मतिज्ञान साक्षर हो सकता है, वचनात्मक नहीं श्रुत ज्ञान नैकालिक होता है, उसका विषय प्रत्यक्ष नहीं होता। शब्द के द्वारा उसके वाच्यार्थ को जानना और शब्द के द्वारा शात अर्थ को फिर से प्रतिपादित करना—यही इसकी समर्पता है। मति और श्रुत में कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है। मति कारण है और श्रुत कार्य। श्रुतज्ञान का वास्तविक कारण श्रुत-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। मतिज्ञान उसका बहिरंग कारण है।

श्रुतज्ञान के दो प्रकार हैं—अंग-बाह्य और अंग-प्रविष्ट।

तीर्थङ्कर द्वारा उपदिष्ट और गणधरों द्वारा प्रणीत शास्त्र अंग-प्रविष्ट कहलाते हैं। स्वविर या आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्र अंग-बाह्य कहलाते हैं। अंग-प्रविष्ट के बारह भेद हैं।^१ अंग-बाह्य के कालिक, उत्कालिक आदि अनेक भेद हैं।^२

आवश्यक निर्मुक्ति में कहा गया है कि जितने अक्षर हैं और उनके जितने विविध संयोग हैं, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं।^३ इसके मुख्य भेद १४ हैं—

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| (१) अक्षर श्रुत | (८) अनावि श्रुत |
| (२) अनक्षर श्रुत | (९) सपर्यवसित श्रुत |
| (३) संज्ञी श्रुत | (१०) अपर्यवसित श्रुत |
| (४) असंज्ञी श्रुत | (११) गमिक श्रुत |
| (५) सम्यक् श्रुत | (१२) अगमिक श्रुत |
| (६) मिथ्या श्रुत | (१३) अंग-प्रविष्ट श्रुत |
| (७) सादि श्रुत | (१४) अनग-प्रविष्ट श्रुत। ^४ |

विशेष विवरण के लिए देखिए—नंदी सूत्र (संगोपित प्रति), सूत्र ५१-६७।

अवधिज्ञान

यह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष-ज्ञान का एक प्रकार है।^१ यह मूर्त द्रव्यों को साक्षात् जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवधियों से यह बंधा रहता है, अतः इसे अवधिज्ञान कहते हैं।

इसके दो प्रकार हैं—भव-प्रत्ययिक और क्षायोपशामिक।

देव और नारक को होने वाला अवधिज्ञान 'भव-प्रत्ययिक' कहलाता है। यह जन्म-जात होता है अर्थात् देवगति और नरकगति में उत्पन्न होते ही यह ज्ञान हो जाता है। तिर्यञ्च और मनुष्य को उत्पन्न होने वाला अवधिज्ञान 'क्षायोपशामिक' कहलाता है। दोनों में आवरण का क्षयोपशम तो होता ही है।^२ अन्तर केवल प्राप्ति के प्रकार में होता है। भव-प्रत्ययिक में जन्म ही प्रधान निमित्त होता है और क्षायोपशामिक में वर्तमान साधना ही प्रधान निमित्त होती है। अवधिज्ञान के छह प्रकार हैं—

- (१) अनुगामी—जो सर्वत्र अवधिज्ञानी का अनुगमन करे।
- (२) अननुगामी—उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जो न रहे।

१-नंदी सूत्र (संगोपित प्रति), सूत्र ६६।

२-वही, सूत्र ६८-७३।

३-आवश्यक निर्मुक्ति, शाखा १७ :

पस्तेयमन्तराहं, अक्षरसंज्ञोगा जलियालोए।

एवइया सुयमाधे, पयबीओ होति मायब्बा ॥

४-नंदी सूत्र (संगोपित प्रति), सूत्र ५५।

५-वही, सूत्र ६।

६-वही, सूत्र ७-८।

- (३) वर्द्धमान—उत्पत्ति-काल से जो क्रमशः बढ़ता रहे ।
 (४) हीयमान—जो क्रमशः घटता रहे ।
 (५) प्रतिपाती—उत्पन्न होकर जो वापस चला जाए ।
 (६) अप्रतिपाती—जो आजोवन रहे अथवा केवलज्ञान उत्पन्न होने तक रहे ।^१

विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—नदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ४-२२ ।

मन पर्यवज्ञान

यह मन के पर्यायो को साक्षात् करने वाला ज्ञान है । इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति ।

यह द्रव्य की अपेक्षा से मन रूप में परिणत पुद्गल को, क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र तक, काल की अपेक्षा से अतस्थ काल तक के अतीत और भविष्य को और भाव की अपेक्षा से मनोवर्गणा की अनन्त अवस्थाओं को जानता है ।^२

मन पर्यव के विषय में दो परम्पराएँ हैं । एक परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी चिन्तित अर्थ का प्रत्यक्ष कर लेता है ।^३ दूसरी परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी मन की विविध अवस्थाओं का तो प्रत्यक्ष करता है, किन्तु उनके अर्थ को अनुमान से जानता है ।^४ आधुनिक भाषा में इसे मनोविज्ञान का विकसित रूप कहा जा सकता है ।

अवधि और मन पर्यव

दोनों ज्ञान रूपी द्रव्य तक भीमिन हैं, अपूर्ण हैं । उन्हें विकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । चार दृष्टियों से दोनों में भिन्नता है—

(१) विषय की दृष्टि से—मन पर्यवज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्मता से और विशदता से जानता है । अवधिज्ञान का विषय सभी रूपी द्रव्य है, मन पर्यवज्ञान का विषय केवल मन है ।

(२) क्षेत्र की दृष्टि से—अवधिज्ञान का विषय अणु के असह्यातवर्ग भाग से लेकर सारा लोक है, मन पर्यव का विषय मनुष्य लोक पर्यन्त है ।

(३) स्वामी की दृष्टि से—अवधिज्ञान का स्वामी देव, नारक, मनुष्य और निर्यज्ञ कोई भी हो सकता है, मन पर्यवज्ञान का अधिकारी केवल मुनि ही हो सकता है ।

उक्त विवेचन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों एक ही ज्ञान की दो अवस्थाएँ हैं । मति-श्रुत की तरह इन्हें भी कथंचित् ह् मान लेना अयुक्त नहीं है ।

केवलज्ञान

यह पूर्ण ज्ञान है । इसे सकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । इसका विषय है—सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय । केवलज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान एक ही रह जाता है ।

श्लोक ६

३- जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है (गुणाणमासओ द्रव्य क) :

जो गुणों का आश्रय—अनन्त गुणों का अवण्ड शिष्ट है, वह द्रव्य है । यह आगम-कालीन परिभाषा है ।

१-नदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ९ ।

२-वही, सूत्र २४-२५ ।

३-सर्वार्थसिद्धि, १९ ।

४-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१७ वृत्ति, पत्र २६४ ।

उत्तरवर्ती साहित्य में द्रव्य को जो परिभाषा हुई, उसमें कुछ अधिक जुड़ा है। वह दो प्रकार से प्राप्त होती है—

(१) जो गुण-पर्यायवान् है, वह द्रव्य है।^१

(२) जो सत् है (या उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यारमक है), वह द्रव्य है।^२

वाचक उमास्वाति ने 'पर्याय' शब्द और अधिक जोड़ा है, उसकी तुलना महर्षि कणाद के 'क्रिया' शब्द से होती है।^३ दूसरी परिभाषा जैन-परम्परा की अपनी मौलिक है।

जैन-साहित्य में 'द्रव्य' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

द्रव्य—विसर्ग पूर्व रूप का प्रलय और उत्तर रूप का निर्माण होना रहता है।

द्रव्य—सत्ता का अवयव।

द्रव्य—सत्ता का विकार।

द्रव्य—गुण-समूह।

द्रव्य—भावी पर्याय के योग्य।

द्रव्य—भूत पर्याय के योग्य।^४

वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिसमें 'क्रिया और गुण हो और जो समवायी कारण हो', उसे द्रव्य कहते हैं।^५ उनके द्वारा सम्मन चक्र पदार्थों में 'द्रव्य' एक पदार्थ है। 'द्रव्य' आश्रय है, गुण और कर्म उस पर आश्रित हैं। वैशेषिकों ने द्रव्य नौ माने हैं^६ और उनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) प्राकृत— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश।

(२) अप्राकृत—अचेतन—काल और देश।

(३) चेतन— आत्मा और मन।^७

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने पाँच परमम—जातियाँ मानी हैं—(१) द्रव्य, (२) अन्यत्व, (३) विभिन्नता, (४) गति और (५) अगति।^८ इनकी संगति जैन पारिभाषिक शब्दों में इस प्रकार है—अन्यत्व अस्तित्व का सूचक है। विभिन्नता नास्तित्व का सूचक है। गति उत्पाद और व्यय की तथा अगति ध्रौव्य की सूचक है।

१-तत्त्वार्थ सूत्र, ५।३७ .

गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ।

२-(क) तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२९ :

उत्पादव्ययध्रौव्यसंयुक्तं सत् ।

(ख) पञ्चास्तिकाय, १० .

द्रव्यं सत्त्वस्वभावियं, उत्पादव्ययध्रौव्यसंयुक्तं ।

गुणपञ्चायास्य वा, तं जं मज्जति सत्त्वम् ॥

३-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५ ।

४-विशेषावयवक भाष्य, गा० २८ ।

५-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५ .

क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ।

६-वही, १।१।१५ ।

७-दर्शन संग्रह, पृ० १६३ ।

८-वही, पृ० १६० ।

अस्तू ने दस परतम—जातिओं मानी है—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) भावा, (४) सम्बन्ध, (५) क्रिया, (६) आक्रान्ता, (७) देश, (८) काल, (९) स्वात्मत्व और (१०) स्थिति ।^१

स्पिनोजा ने कहा—सारी सत्ता एक द्रव्य ही है । उसमें अनन्त गुण हैं, परन्तु हम अपनी सीमाओं के कारण केवल दो गुणों—चिन्तन और विस्तार से—परिचित हैं । चिन्तन क्रिया है और विस्तार गुण ।^२ इस तरह यह बेंसेपिक दर्शन के निबट बा जाता है । द्रव्य के लिए स्पिनोजा ने 'सब्सटेन्स' (Substance) शब्द का प्रयोग किया है ।^३ इसका अर्थ है—नीचे लखा होने वाला, सहारा देने वाला । आशय यह है कि सब्सटेन्स गुणों का सहारा या आलम्बन है । उसके अनुसार द्रव्य या सत् के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित है । सत् या द्रव्य एक ही है और जो कुछ भी है इसके अन्तर्गत आ जाता है ।

कुमारिल के अनुसार 'जिसमें क्रिया और गुण हों', वह द्रव्य है । उनके अनुसार द्रव्य के ११ भेद हैं—(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) आकाश, (६) दिक्, (७) काल, (८) आत्मा, (९) मन और (१०) अन्धकार तथा (११) शब्द ।

डेकार्ट ने दो द्रव्य माने हैं—आत्मा और प्रकृति ।^४ इन्हीं को उन्होंने सत् की दो परमगतियों कहा है । आत्मा—चेतन है और विस्तार रहित है । प्रकृति—अचेतन है और विस्तार इसका तत्त्व है ।

४—जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे गुण होते हैं (एगदध्वस्सिया गुणा ल) :

'जो एक द्रव्य के आश्रित होते हैं, वे गुण कहलाते हैं'—यह गुण की आगम-कालीन परिभाषा है । तत्त्वार्थ-सूत्रकार ने 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा'^५ जो द्रव्य में रहते हैं तथा स्वयं निर्गुण हों, वे गुण हैं—ऐसी परिभाषा की है । इसमें 'निर्गुण' शब्द अधिक आया है । इसकी तुलना महर्षि कणाद के 'अगुणवान्' शब्द से की जा सकती है ।^६ द्रव्य के आश्रय में रहने वाला वही 'गुण' गुण है जिसमें दूसरे गुणों का सद्भाव न हो अपवा जो निर्गुण हो । अन्यथा घट में रहा हुआ पानी भी घट द्रव्य का गुण बन जाता है ।

यह माना जाता है कि प्राचीन युग में 'द्रव्य' और 'पर्याय' ये दो शब्द ही प्रचलित थे । तार्किक युग में 'गुण' शब्द पर्याय के भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ ऐसा जान पड़ता है । कई आगम-ग्रन्थों में गुण और पर्याय शब्द भी मिलते हैं । परन्तु गुण 'पर्याय' का ही एक भेद है । अतः दोनों का अन्वय मानना भी अयुक्त नहीं है । सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य हेमचन्द्र, उपाध्याय यशोविजयजी आदि मनीषी विद्वानों ने गुण और पर्याय के अन्वय का समर्थन किया है । उनका तर्क है कि आगमों में गुण-पद का यदि पर्याय-पद से भिन्न अर्थ अभिप्रेत होता तो जैसे अगवान् ने द्रव्याधिक और पर्यायधिक दो प्रकार से देशना की है, वैसे ही तीसरी गुणाधिक देशना भी करते । किन्तु ऐसा नहीं किया गया इसलिए प्राचीनतम परम्परा में 'गुण' पर्याय का अर्थ-वाची रहा है । उत्तराध्ययन में पर्याय रक्षण गुण से पृथक् किया गया है । इसे उत्तरकालीन विकास माना जा सकता है । द्रव्य के दो प्रकार के धर्म होते हैं—(१) सहभावी और (२) क्रमभावी ।

सहभावी धर्म 'गुण' कहलाता है और क्रमभावी धर्म 'पर्याय' । 'गुण' द्रव्य का व्यवच्छेदक धर्म होता है, अन्य द्रव्यों से पृथक् सत्ता स्थापित करता है । वह दो प्रकार का होता है—

(१) सामान्य और (२) विशेष ।

१—वर्णन सप्तह, पृ० १६१ ।

२—वही, पृ० १६१ ।

३—तत्त्वज्ञान, पृ० ४३ ।

४—वही, पृ० ४७ ।

५—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।४० ।

६—बेंसेपिक दर्शन, १११।१६ :

द्रव्याध्वस्यगुणवान् संयोगविभागेऽप्यकारणमनवेक्ष इति गुणलक्षणम् ।

सामान्य गुण छह हैं—(१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) प्रदेयत्व और (६) अगुणत्व।

विशेष गुण सोलह हैं—(१) गति-हेतुत्व, (२) स्थिति-हेतुत्व, (३) अवगाह-हेतुत्व, (४) वर्तना-हेतुत्व, (५) स्वर्ध, (६) रस, (७) गन्ध, (८) कर्ष, (९) ज्ञान, (१०) वर्सान, (११) सुख, (१२) वीर्य, (१३) चेतनत्व, (१४) अचेतनत्व, (१५) मूर्तत्व और (१६) अमूर्तत्व।

द्रव्य छह हैं—(१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) काल, (५) पुङ्गलास्तिकाय और (६) बीजास्तिकाय। इन छहों में द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, नित्यत्व आदि सामान्य धर्म पाए जाते हैं। ये इनके सामान्य गुण हैं। ये द्रव्य के लक्षण नहीं बनते। इन छहों प्रयोगों में एक-एक व्याख्येयक-धर्म—विशेष-धर्म भी है। जैसे—धर्मास्तिकाय का—गति-हेतुत्व गुण, अधर्मास्तिकाय का—स्थिति-हेतुत्व गुण, आकाशास्तिकाय का—अवगाहना-हेतुत्व गुण आदि-आदि।

बौद्धिक मत में ससार की सब वस्तुएँ सात विभागों में बाँटी गई हैं। उनमें 'गुण' भी एक विभाग है। उनका मत है कि कार्य का असम्भवादि कारण 'गुण' है अर्थात् अनपेक्ष होने पर भी जो कारण नहीं बनता, वह 'गुण' है। ये गुण चौबीस हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्वर्ध, (५) संख्या, (६) परिणाम, (७) पृथक्त्व, (८) सयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, (१२) गुह्यत्व, (१३) द्रवत्व, (१४) स्नेह, (१५) शब्द, (१६) ज्ञान, (१७) सुख, (१८) दुःख, (१९) दृच्छा, (२०) द्वेष, (२१) प्रयत्न, (२२) धर्म, (२३) अधर्म और (२४) संस्कार।

गुण द्रव्य ही में रहते हैं। वे दो प्रकार के हैं—(१) विशेष और (२) साधारण। रूप, रस, गन्ध, शब्द, ज्ञान, सुख आदि विशेष गुण हैं। प्रभाकर २१ गुण मानते हैं। बौद्धिक मत के २४ गुणों में से संख्या, विभाग, पृथक्त्व तथा द्वेष के स्थान पर 'बिग' का समावेश किया गया है।

भट्ट मत में १३ गुण माने गए हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्वर्ध, (५) परिणाम, (६) पृथक्त्व, (७) सयोग, (८) विभाग, (९) परत्व, (१०) गुह्यत्व, (११) अपरत्व, (१२) द्रवत्व और (१३) स्नेह।^१

साम्य मत में सत्त्व, रजस् और तमस्—ये तीन गुण माने गए हैं। उनका मत है कि इन्हीं तीन गुणों के संस्थान-भेद से वस्तुओं में भेद होता है। सत्त्व का स्वरूप है—प्रकाश तथा हलकापन, तमस् का धर्म है—अवरोध, गौरव, आवरण आदि और 'रजस्' का धर्म है—सतत क्रियाशील रहना।

५—पर्याय का (पञ्जवाण ग) :

जो द्रव्य और पर्याय दोनों के आश्रित होता है, उसे 'पर्याय' कहा जाता है। विशेष के दो भेद हैं—गुण और पर्याय।

द्रव्य का जो 'सहभावी-धर्म' है, वह 'गुण' है और जो 'क्रमभावी-धर्म' है, वह 'पर्याय' है।^२ इसे 'पर्यव' भी कहा जाता है। न्यायालोक की तत्त्वप्रभा विवृति में पर्याय की परिभाषा करते हुए लिखा है—“जो उत्पन्न होता है, विपत्ति (विनाश) को प्राप्त होता है अथवा जो समस्त द्रव्य को व्याप्त करता है, उसे 'पर्याय' (पर्यव) कहते हैं।”^३ नयप्रदीप में भी यही व्याख्या दी गई है।^४ वादिवेताल शॉलि सूरि के अनुसार समस्त द्रव्यो और समस्त गुणों में जो व्याप्त होते हैं, उन्हें 'पर्यव' कहा जाता है।^५

न्यायालोक की परिभाषा का प्रथम अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है और द्वितीय अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है।

१—फणानाच का, पूर्व सीमांता, पृ० ६५।

२—प्रभाकरस्तत्त्वालोक, ५१७-८।

३—न्यायालोक, तत्त्वप्रभा विवृति, पत्र २०३ :

पर्येत्युत्पत्तिं विपत्तिं व्याप्नोति, पर्यवति वा ध्याप्नोति तत्सत्त्ववि द्रव्यमिति पर्यायः पर्यवो वा।

४—नयप्रदीप, पत्र ९९ :

पर्येति उत्पादमुत्पत्तिं विपत्तिं वा प्राप्नोतीति पर्यायः।

५—सूत्र कृति, पत्र ५५७ :

परि—सर्वत—द्रव्येषु गुणेषु सर्वेष्वविति—गच्छन्तीति पर्यवाः।

परिवर्तन जीव में भी होता है और अजीव में भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) जीव-पर्याय और (२) अजीव-पर्याय।

परिवर्तन स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) व्यञ्जन-पर्याय और (२) अर्ध-पर्याय। स्थूल और कालान्तरस्वायी पर्याय को 'व्यञ्जन-पर्याय' कहते हैं तथा सूक्ष्म और वर्तमानकालवर्ती पर्याय को 'अर्ध-पर्याय' कहते हैं।

परिवर्तन स्वभाव से भी होता है और पर-निमित्त से भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) स्वभाव-पर्याय और (२) विभाग-पर्याय। अणुलघुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक हैं और मनुष्य, देव, नारक आदि वैभाविक पर्याय हैं। इन प्रत्येक का अनन्त, अर्धस्थाय और संस्थात भाग गुण-वृद्धि से तीन, तथा अनन्त, अर्धस्थाय और अनन्त भाग गुण-हानि से तीन—यों छह-छह प्रकार करने से पर्याय के बारह भेद हो जाते हैं।

प्रथम कोटि के दो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन करते हैं। परिवर्तन जीव और अजीव दोनों में होता है। यह विश्व जीव-अजीवमय है। इसलिए कहना होगा कि समूचा विश्व परिवर्तन का क्षेत्र है।

द्वितीय कोटि के दो रूप परिवर्तन के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं। परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार का होता है।

तृतीय कोटि के दो रूपों में परिवर्तन के दो कारणों का निर्देशन है।

एकत्व, पृथक्त्व, सत्त्वा, सत्त्वान, सयोग, विभाग आदि पर्याय के लक्षण हैं।^१

कहा है कि लोक का सामर्थ्य ही ऐसा है कि उसके अन्त तक पहुँचते ही जीव-पुद्गल की गति स्थलित हो जाती है। अतः धर्म और अधर्म का फल ही क्या है ?

आचार्य सिद्धसेन की उक्ति में तार्किकता है पर दर्शन की परिपूर्णता नहीं है। उन्होंने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत नहीं किया कि धर्म और अधर्म को माने बिना लोक और अलोक का विभाजन कैसे होगा ? वस्तुतः ये दो ही द्रव्य लोक-अलोक की सीमा-रेखाएँ हैं।

ये द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य हैं, क्षेत्र की दृष्टि से समूचे लोक में व्याप्त हैं; काल की दृष्टि से अनादि-अनन्त हैं, भाव की दृष्टि से अमूर्त हैं, गुण की दृष्टि से धर्म—गति-सहायक हैं और अधर्म—स्थिति-सहायक।

वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (medium of motion) को स्वीकार किया। प्रसिद्ध गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है। उन्होंने कहा—'लोक परिमित है, लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति—द्रव्य—का अभाव है जो गति में सहायक होता है।'^२ वैज्ञानिक गति-तत्त्व को 'ether' (ईथर) कहते हैं। इस ईथर के स्वरूप और उसकी उपयोगिता के विषय में सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं।^३

इलोक ७

६-इलोक ७ :

इस इलोक में 'लोक' क्या है, इसका समाधान दिया गया है। जैन-दृष्टि से जो धर्म, अधर्म, आकाश, काक, पुद्गल और जीवमय है, वह लोक है। इसी आगम के अन्य स्थलों में तथा दूसरे आगमों में भी 'लोक' की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ आई हैं। कहीं धर्मास्तिकाय को लोक

१-उत्तराध्ययन, २८।१३।

२-Cosmology Old and New, pp 43-44.

३-विशेष जानकारी के लिए देखिए—(1) The Short History of Science (by Dempuyan), (2) The Nature of the Physical World (by Sir Eddington) and (3) Mysterious Universe (by Sir James Jeans).

कहा गया है, ' तथा कहीं जीव और अजीव को लोक कहा गया है ।^१ कहीं कहा है—लोक पंचास्तिकायमय है ।^२ इन परिभाषाओं का निरुक्त्य अपेक्षा-भेद से किया गया है, अतः इन सबमें कोई विरोध नहीं है ।

७—धर्म-अधर्म (धम्मो अहम्मो क) :

जैन-साहित्य में जहाँ धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्वतंत्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता है । यहाँ उनका प्रयोग द्रव्य के अर्थ में है । धर्म अर्थात् गति-तत्त्व, अधर्म अर्थात् स्थिति-तत्त्व । तीर्थे' श्लोक में इनकी परिभाषा करते हुए कहा है—
धर्म का लक्षण है गति और अधर्म का लक्षण है स्थिति ।^४ भगवती में भी यह संक्षिप्त परिभाषा मिलती है ।^५ वहाँ इनके कार्य पर प्रकाश डालने वाला एक संवाद भी है—

गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् । धर्मास्तिकाय से क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम । जीवों के गमन, आगमन, भाषा, उन्मेष, मन-वचन और कामा के योगों की प्रवृत्ति तथा इसी प्रकार के दूसरे चल-भाव धर्मास्तिकाय से ही होते हैं ।”^६

जीवों की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्व-भाव तथा इसी प्रकार के अन्य चिर-भाव अधर्मास्तिकाय से होते हैं ।^७

सिद्धसेन दिवाकर इन्हे स्वतंत्र द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं समझते । वे लिखते हैं—

प्रयोगचिन्ताकर्म, तदभाषस्थितिस्तथा ।

लोकानुभावभृतास्त, किं धर्माधर्मयो कल्पम् ॥^८

इसका तात्पर्यार्थ है—गति दो प्रकार की होती है—(१) प्रायोगिक और (२) स्वाभाविक । जीव और पुद्गल में दोनों प्रकार की गति होती है । अन गति के लिए धर्मास्तिकाय की कोई उपयोगिता नहीं रहती । उसी प्रकार गति का अभाव ही स्थिति है । उसमें भी अधर्मास्तिकाय का कोई उपयोग नहीं है । यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि यदि गति-स्थिति स्वतंत्र है तो फिर जीव या पुद्गल अलोक में क्यों नहीं जा सकते ? इसका समाधान भी उक्त श्लोक में आ गया है ।

श्लोक ८

८—श्लोक ८ :

मत्स्या की दृष्टि से द्रव्यों के दो वर्गीकरण हैं—(१) एक संख्या वाला और (२) अनेक संख्या वाला । धर्म, अधर्म और आकाश

१—भगवती, २।१० ।

२—(क) उत्तराध्ययन, ३६।२ ।

(ख) स्वात्मोप, २।४।१३० ।

३—(क) भगवती, १३।४ ।

(ख) लोक-प्रकाश, २।३ ।

४—उत्तराध्ययन, २८।९ :

गहलकसणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलकसणो ।

५—भगवती, १३।४ ।

गहलकसणो धम्मत्थिकाए ।

ठाणलकसणेणं अधम्मत्थिकाए ॥

६—वही, १६।४ ।

७—वही, १३।४ ।

८—विश्वयुद्धाभिनिका, श्लो० २४ ।

संख्या से एक हैं तथा पुद्गल और जीव संख्या से अनेक । यह विभाग निष्कारण नहीं है । जो व्यापक होता है वह एक ही होता है, उसमें विभाग नहीं होते । 'एकं ब्रह्म'—मानने वाले ब्रह्म को व्यापक मानते हैं । उसी प्रकार धर्म-अधर्म सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं तथा आकाश लोक और अलोक दोनों में । अतः व्यक्तित्व ये एक द्रव्य हैं ।

श्लोक १०

१—काल का (कालो क) :

काल छह द्रव्यों में एक द्रव्य भी है और जीव-अजीव की पर्याय भी है ।^१ ये दोनों कथन सापेक्ष हैं, विरोधी नहीं । निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है । उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है । वह परिणाम का हेतु है, यही उसका उपकार है । इसी कारण वह द्रव्य माना जाता है । काल के समय (अविभाज्य-विभाग) अनन्त है ।^२

काल को जीव-अजीव की पर्याय या स्वतंत्र द्रव्य मानना—ये दोनों मत आगम-ग्रन्थों में तथा उत्तरवर्ती-साहित्य में पाए जाते हैं । प्रस्तुत श्लोक के अनुसार काल का लक्षण है वर्तना है—'वृत्तणालक्षणो कालो ।' उमास्वानि ने काल का लक्षण—'वर्तना परिणाम क्रिया परश्वापरत्वे च कालस्य' (तत्त्वार्थ ५।२) दिया है । इसकी आशिक तुलना वैशेषिक दर्शन के 'अपरस्मिन्नपरं, युगपच्छिर क्षिप्रमिति काललिंगानि' (२।२।२६)—इस सूत्र से की जा सकती है ।

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार व्यावहारिक-काल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है और औपचारिक द्रव्य है । नैश्चयिक-काल लोक-अलोक प्रमाण है ।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार 'काल' लोकव्यापी और अणुरूप है ।^३ काल को स्वतंत्र न मानने की परम्परा प्राचीन मान्य पड़ती है । क्योंकि लोक क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में एक-सा ही है कि 'लोक पञ्चास्तिकायमय है ।'^४ जनेन दर्शनों में काल के सम्बन्ध में नैश्चयिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष मिलते हैं । नैश्चयिक और वैशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं ।^५ सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन काल को स्वतंत्र द्रव्य न मान कर उसे प्रकृति-पुरुष का ही रूप मानते हैं । पहला पक्ष व्यवहार मूलक है और दूसरा निश्चय-दृष्टि मूलक ।

श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पाँच हैं—
(१) वर्तना, (२) परिणाम, (३) क्रिया, (४) परत्व और (५) अपरत्व ।^६

१—स्वामाय, २।४।९५

समयाति वा, जाबलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पबुचति ।

२—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।४० ।

सोऽनन्तसमयः ।

३—द्रव्यसंग्रह, २० :

लोगाणासपवेसे, एकेके जे छिया हु एकेका ।

रवकाय रासी हव, ते कालानू असंखयव्याधि ॥

४—(क) भगवती, १३।४ ।

(ख) पञ्चास्तिकाय, भाषा ३ ।

(ग) तत्त्वार्थ, भाष्य ३।६ ।

५—(क) व्यापकारिका, ४५

अध्यानां जनक. कालो, जगतामाधयो मत ।

(ख) वैशेषिक दर्शन, २।२।६-१० ।

६—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२२ ।

नैयायिकों के अनुसार परत्व, अपरत्व आदि काल के लिंग हैं।^१ और वे बौद्धिकों द्वारा प्रस्तुत काल सम्बन्धी वर्णन को मान्य करते हैं।^२ बौद्धिक दर्शन ने पूर्व, अपर, युगपत्, अयुगपत्, चिर और क्षिप्र—ये काल के लिंग माने हैं।^३ काल सम्बन्धी यह पहला सूत्र है। इसके द्वारा वे काल-तत्त्व को स्वतंत्र अर्थात् इतिहास करते हैं और आगे के तीन सूत्रों से इसको द्रव्य, निश्चय, एक और समस्त कार्यों के निमित्त रूप से वर्णित करते हैं।^४

नैयायिकों ने काल को निश्चय माना है परन्तु मध्वाचार्य ने काल का प्रकृति से उत्पन्न होना और उसी में लय होना माना है।^५ प्रलय-काल में भी काल की उत्पत्ति मानी जाती है और इसीलिए काल का आठवाँ हिस्सा 'प्रलय-काल' कहलाता है।^६ काल में भी काल होता है—जैसे, 'इदानीं प्रातः कालः'। यहाँ इदानीं काल-वाचक है।^७ काल सदाका आधार है। अनित्य होने पर भी काल का प्रवाह निश्चय है। यह सब कार्यों की उत्पत्ति का कारण भी है।^८

पूर्व मीमांसा के समर्थ व्याख्याकार पार्श्वसार्थ द्विष शारददीपिका की युक्तिस्नेहप्रपूर्णी सिद्धान्तचन्द्रिका में काल तत्त्व विषयक मान्यता को स्पष्ट करते हुए बौद्धिक दर्शन की मान्यता को स्वीकार करते हैं। केवल एक बात में भेद है—बौद्धिक काल को परोक्ष मानते हैं, मीमांसक प्रत्यक्ष मानते हैं।

साध्य दर्शन में 'काल' नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं। उनके अनुसार काल प्राकृतिक परिणाम मात्र है। जब जगत् प्रकृति का विकार है। इस विकार और परिणाम के आधार पर ही साध्यों ने विषयगत समस्त काल-साध्य व्यवहारों की उत्पत्ति मानी है।^९

डॉ० आइंस्टीन के अनुसार आकाश और काल कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं हैं। ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं। उन्होंने बम्बु का अस्तित्व चार दिशाओं में—लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और ऊँचाई—माना है। बरतु का रेखागणित (ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई) में प्रसार आकाश है और उसका अन्तर्गत प्रसार काल है। काल और आकाश दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं। ज्यो-ज्यो काल बीतता है, त्यों-त्यों वह लम्बा होता जा रहा है। काल आकाश-साक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों बस्तु धर्म हैं।^{१०} काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसका स्क्व या तिर्यक् प्रचय नहीं होता। काल के असीत समय नष्ट हो जाते हैं, उनागत समय अनुत्पन्न होते हैं इसलिए उसका स्क्व नहीं होता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए उसका तिर्यक-प्रचय नहीं होता।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालाणुओं की सख्या लोकाकाश के तुल्य है।^{११}

१—न्यायकारिका, ४६ :

परापरत्वधीहेतुः कथाधिः स्यात्पुपाधितः ।

२—पंचाध्यायी, पृ० २५४ :

बिन्दुकाकालाकाशेव्यैवं प्रसंग

३—बौद्धिक, सूत्र २।२।६।

४—वही, सूत्र २।२।७, ८, ९।

५—पदार्थसंग्रह, पृ० ६३।

६—मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ६३।

७—वही, पृ० ६५।

८—पदार्थसंग्रह, पृ० ६५।

९—सांख्य प्रवचन, २।१२ :

विद्यालाकाशाधिभ्यः ।

१०—मानव की कहानी, पृ० १२४५।

११—द्वयसंग्रह, २२।

काल के विभाग

काल चार प्रकार का होता है—

- (१) प्रमाणकाल—पदार्थ मापने का काल ।
 - (२) यथायुर्निवृत्तिकाल—
 - (३) मरणकाल—
- } जीवन के अवस्थान को यथायुर्निवृत्ति काल और उसके 'अन्त' को मरणकाल कहते हैं ।
- (४) अन्वयाकाल— सूर्य, चन्द्र आदि की गति से सम्बन्धित काल ।^१

काल के अन्य विभागों की जानकारी के लिए देखिए—अनुयोगद्वार, सूत्र १३४-१४० ।

१०—जीव का लक्षण है उपयोग (जीवो उचओगालक्षणे च)

संक्षेप में जीव का लक्षण 'उपयोग है' । उपयोग का अर्थ है—चेतना की प्रवृत्ति । चेतना के दो भेद हैं—(१) ज्ञान और (२) दर्शन । इनके आधार पर उपयोग के दो रूप होते हैं—(१) साकार और (२) अनाकार ।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—(१) जड़ और (२) चेतन । इन दोनों में भेद करने वाला गुण 'उपयोग' है । जिसमें उपयोग है—ज्ञान, दर्शन की प्रवृत्ति है, वह जीव है और जिसमें यह नहीं है, वह अजीव है ।

इसके अगले श्लोक में जीव के लक्षण का विस्तार से निरूपण हुआ है । उसमें कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में बाँट सकते हैं । यह कहा जा सकता है कि जीव के लक्षण दो हैं—(१) वीर्य और (२) उपयोग । ज्ञान और दर्शन का उपयोग में समावेश हो जाता है तथा चारित्र और तप का वीर्य में । इस प्रकार अपेक्षा-भेद से दोनों श्लोकों में जीव के लक्षण का निरूपण किया गया है ।

गति, घटना, बढना, फँसना आदि चेतन के लक्षण नहीं बन सकते । ये सभी क्रियाएँ चेतन और अचेतन दोनों में होती हैं । ज्ञान-दर्शन की प्रवृत्ति ही उनकी भेद-रेखा हो सकती है ।

श्लोक १२

११—श्लोक १२ :

इस श्लोक में पुद्गल के १० लक्षण गिनाए गए हैं । उनमें चार—वर्ण, रस, गंध और स्पर्श—पुद्गल के गुण हैं और शेष छह—संज्ञ, अंधकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप—पुद्गल के परिणाम या कार्य हैं । लक्षण दोनों ही बनते हैं । गुण सदा साथ ही रहते हैं, कार्य निमित्त मिलने पर अभिव्यक्त होते हैं । ये चारों गुण परमाणु और स्कन्ध—दोनों में विद्यमान रहते हैं परन्तु शब्द आदि कार्य स्कन्धों के ही होते हैं ।^२

१२—शब्द (सद् क) :

जैन-दर्शन के अनुसार शब्द पौद्गलिक, मूर्त और अनित्य है ।^३ यह पुद्गल का लक्षण या परिणाम माना जाता है ।^४ शब्द का अर्थ है—पुद्गलों के सघात और विघात में होने वाले ध्वनि-परिणाम ।^५

१—स्वामिनि, ४।१।२६४ ।

२—सत्त्वार्थ सारवार्तिक, पृ० २३४ ।

स्पष्टीकरण: परमाणुनां स्कन्धानां च भवन्ति, शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिलक्षणेन भवन्ति ।

३—मनवती, १३।७ :

कधी भेति । ज्ञासा, कधी भासा ? मोक्षमा ! कधी भासा नो कधी भासा ।

४—नवतत्त्व-साहित्य संग्रह, भाग २, पृ० २२ ।

शब्दात्मकारोद्योतप्रभाच्छायातपवर्णकण्ठरसस्पर्शा एते पुद्गलपरिणामाः पुद्गललक्षणं वेति भावः ।

५—स्वामिनि, २।३ द१ । -


काय-योग के द्वारा शब्द-प्रायोग्य पुद्गलों का ग्रहण होता है और वे शब्द-रूप में परिणत होते हैं। परन्तु जब वे वाक्-प्रयत्न द्वारा मुख से बोले जाते हैं तभी उन्हें 'शब्द' संज्ञा से व्यवहृत किया जाता है। जब तक उनका वाक्-योग के द्वारा विसर्जन नहीं हो जाता तब तक उन्हें शब्द नहीं कहा जाता।

शब्द के तीन प्रकार हैं—(१) जीव-शब्द, (२) अजीव-शब्द और (३) मिश्र-शब्द। जीव-शब्द वाक्-प्रयत्न का परिणाम है और वाक् भाषा या संकेतमय होता है। अजीव-शब्द केवल अव्यक्त ध्वन्यात्मक होता है। मिश्र दोनों के संयोग से होता है।

तत्त्वार्थ भाष्य के अनुसार शब्द के छह प्रकार हैं—(१) तत, (२) वितत, (३) घन, (४) शृषिर, (५) संघर्ष और (६) भाषा।^१

शब्द के दस प्रकार हैं—(१) निर्हीरी, (२) विडम्बि, (३) रूक्ष, (४) भिन्न, (५) पार्श्वित, (६) दीर्घ, (७) ह्रस्व, (८) पृथक्त्व, (९) काकिणी और (१०) किकिणीस्वर।^२

शब्द जीव के द्वारा भी होता है और अजीव के द्वारा भी होता है। अजीव का शब्द अनञ्जरात्मक ही होता है। जीव का शब्द साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार का होता है। इनके वर्गीकरण के लिए निम्न यंत्र देखिए—



शब्द की उत्पत्ति पुद्गलों के संघात-विघात और जीव के प्रयत्न—इन दोनों हेतुओं से होती है। इसलिए प्रकारान्तर से इसके दो वर्ग बनते हैं—(१) वैलसिक और (२) प्रायोगिक।

(१) वैलसिक—पुद्गलों के संघात-विघात से होने वाला।

(२) प्रायोगिक—जीव के प्रयत्न से होने वाला।

शब्द प्रसरणशील है। उससे दो व्यक्ति सम्बन्धित होते हैं—वक्ता और श्रोता। इसलिए इन दोनों की मीमांसा आवश्यक होती है कि वक्ता कैसे बोलता है और श्रोता उसे कैसे सुनता है? पुद्गलों की अनेक वर्गणाएँ हैं। उनमें एक भाषा-वर्गणा है। कोई भी प्राणी जब बोलने का प्रयत्न करता है, तब वह सबसे पहले भाषा-वर्गणा के परमाणु-स्कन्धों को ग्रहण करता है, उन्हें भाषा के रूप में परिणत करता है और उसके पश्चात् उनका विसर्जन करता है। इस विसर्जन को 'भाषा' कहा जाता है।^३

शब्द गतिशील है, इसलिए वह वक्ता के मुँह से निकलते ही लोक में फेरने लगना है। वक्ता का प्रयत्न तीव्र होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध भिन्न होकर फँसते हैं और यदि उसका प्रयत्न मंद होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध अभिन्न होकर फँसते हैं। जो भिन्न होकर फँसते हैं, वे सूक्ष्म हो जाते हैं और दूसरे-दूसरे अनन्त परमाणु-स्कन्धों को प्रभावित कर लोकान्त तक फैल जाते हैं। जो अभिन्न होकर फँसते हैं, वे असंख्य योजन तक पहुँच कर नष्ट हो जाते हैं—भाषा रूप से व्युत्पन्न हो जाते हैं।^४

१—सरभार्य, सूत्र ५।२४, भाष्य पृ० ३५६।

२—स्वामिनीय, १०।७०५।

३—मणवली, १३।७।

भाषाशास्त्राधीन भाषा।

४—प्रभाषणा, पृ० ११।

१३-अन्धकार (अन्धकार क) :

जैन-दृष्टि के अनुसार अन्धकार पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि इसमें गुण है। जो-जो गुणवान् होता है वह-वह द्रव्य होता है, जैसे आलोक आवि ।^१ वह प्रकाश की तरह भावात्मक द्रव्य है, अभावात्मक नहीं। जिस प्रकार प्रकाश का भास्कर रूप और ऊष्ण स्पर्श प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अन्धकार का कृष्ण रूप और वीत स्पर्श प्रसिद्ध है।

गणधर गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! क्या दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ गौतम ! दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है।”

“ऐसा क्यों होता है भगवन् ?” गौतम ने पूछा।

भगवान् ने कहा—“गौतम ! दिन में शुभ-पुद्गल शुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं और रात्रि में अशुभ-पुद्गल अशुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं। इसलिए दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है।”^२

अन्धकार पुद्गल का लक्षण है—कार्य है, इसलिए वह पौद्गलिक है।^३ वह पुद्गल का एक पर्याय है।^४ वैद्यक शास्त्र में भी अन्धकार को स्वतंत्र मान कर उसके गुण का उल्लेख किया है। अन्धकार समस्त रोगों को करने वाला होता है।^५ अन्धकार भयावह, तिक्त और दृष्टि के तेज का आधारक होता है।^६ बौद्धिकरणों ने अन्धकार को अनुरूप माना है।^७ कई अन्य दार्शनिक भी अन्धकार को द्रव्य मानते हैं।^८

मध्वाचार्य ने अन्धकार को स्वतंत्र द्रव्य माना है। वे कहते हैं—यह तेज का अभाव नहीं है। यह प्रकाश का नाशक है। नील रूप तथा चलन रूप क्रिया के आश्रय होने के कारण ‘अन्धकार’ मूर्त द्रव्य है।^९

१-म्यामकुमुदचन्द्र, पृ० ६६६।

२-मगधती, ५।९।२२०।

३-(क) स्वाहावर्णनटीका (कारिका ५) :

न च तमसः पौद्गलिकत्वमसिद्धम्, चाक्षुषत्व ऽप्यथानुपपत्ते प्रदीपालोकयत रूपवस्वाच्च स्पर्शवस्वमपि प्रतीयते वीतस्पर्श-प्रत्ययजनकत्वात्।

(ख) रत्नाकराचरितारिका, पृ० ६९ :

तमः स्पर्शवत्, रूपवत्त्वात्, पृथिवीवत् न च रूपवत्त्वमसिद्धं अन्धकार कृष्णोद्यमिति कृष्णाकारप्रतिभासात्।

४-द्रव्यसंग्रह, भाषा १६।

५-राजनिघण्टु कोष, सत्पात्रिकेकविंशतर्गः, ३८।

आतपः कटुको रक्तः, छाया मधुररसितला।

त्रिदोषकामनी ज्योत्स्ना, सर्वथाधिकरं तमः ॥

६-राजवल्लभकोष, ५।२२

तमो भयावहं तिक्तं, दृष्टितैजोबरोधनम्।

७-भाष्यश्रीय, १।१११ :

अन्धः सर्वशक्तिवाद् भेदसंसर्गवृत्तयः।

छायातपतमः सञ्जानेन परिचामिनः ॥

८-(क) विधिविधेकव्यायकर्मिका, टीका, पृ० ६९-७९।

(ख) मानमैशोदय, पृ० १५२

गुणकर्जाक्षिप्त्वाभावावस्तीति प्रतिभासातः।

प्रतियोग्यात्मृत्तस्त्वैव भावरूप ध्रुव तम ॥

(ग) तत्त्वश्रीपिका चित्तुकी, ५।५।२८ :

तमाल स्यात्तल ज्ञाने निर्वाच जागृति स्फुटे।

द्रव्यान्तरं तम कस्मात्कस्मात्तमस्यते ॥

(घ) प्रतस्तपाव भाष्य की ज्योत्सनी टीका, पृ० ४९।

(ङ) स्वाहाव रत्नाकर, पृ० ८५।१-८५५।

९-मज्ज सिद्धान्तसार पृ० ६०।

अन्धकार अङ्ग प्रकृति रूप उत्पादान से उत्पन्न होता है और वह इतना घनीभूत हो जाता है^१ कि दूसरे कठोर द्रव्य के समान वह भी हथियार से काटा जाता है।^२ महाभारत के युद्ध में जब सूर्य चमक रहा था, उसी समय श्रीकृष्ण ने अन्धकार को उत्पन्न किया। भाव रूप द्रव्य होने के कारण ही इन्द्रा ने इसका पान किया था। स्वतंत्र रूप से इसकी उपलब्धि लोगों को होती है और वह अन्य वस्तुओं को ढाँक देता है, इसलिए इसका भाव रूप होना निश्चित है।^३

कुमारिल भट्ट ने अन्धकार को 'अभावात्मक' माना है।^४

संक्षेप में नैयायिक, वैशेषिक^५ और प्रभाकर दर्शन-प्रणाली में अन्धकार को अभावात्मक माना गया है। जैन, भर्तृहरि, भाट्ट और सांख्य-दर्शन उसे भावात्मक मानते हैं। आयुर्वेद-शास्त्र सांख्य से प्रभावित है, इसलिए उसके प्रणेताओं ने अन्धकार को भावात्मक माना है। विज्ञान में मानी जाने वाली इन्द्रा अल्ट्रा रेज (Intra ultra rays) और अन्धकार में कुछ साम्य सभव है।

१४-छाया (छाया ल) :

प्रत्येक स्थूल पौद्गलिक पदार्थ चय-उपचयधर्मक और रश्मिवान् होता है। इसका तात्पर्य है कि पौद्गलिक वस्तु का प्रति समय चय-उपचय होता रहता है और उसमें से तदाकार रश्मियाँ निकलती रहती हैं। यथायोग्य निमित्त मिलने पर ये रश्मियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं। इस प्रतिबिम्ब को 'छाया' कहते हैं।

छाया के दो प्रकार हैं—(१) तद्दर्शनीदिविकार और (२) प्रतिबिम्ब। दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में जो त्यों का त्यों आकार देखा जाता है, उसे तद्दर्शनीदिविकार छाया कहते हैं और अन्य द्रव्यों पर अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र पडना प्रतिबिम्ब रूप छाया है।

मीमांसाकार यह मानते हैं—दर्पण में छाया नहीं पडती, किन्तु नेत्र की किरणें दर्पण से टकरा कर वापिस आती हैं और अपने मुख को देखती हैं।^६

राजवल्लभकोष (५।२०) में 'छाया दाहश्चमन्वेदहरा मधुरशीतला' कहा गया है। यही बात राजनिघण्टुकोष में भी कही गई है।

न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका (पृ० ३४५) में छाया को 'अभावरूप' माना गया है। विशेष विवरण के लिए देखिए—न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ६६७-६७२।

कुमारिल भट्ट प्रतिबिम्ब को अभावरूप मानते हैं।^७

१-मध्व सिद्धान्तसार, पृ० ६१।

२-पदार्थसंग्रह, पृ० ६१।

३-वही, पृ० ६१।

४-मीमांसा श्लोकवार्तिक न्यायवार्तिककाराख्या टीका, पृ० ७५०।

किमिदं तमो नाम ? द्रव्यगुणनिष्पत्तिवैधर्म्याद् अभावरूपम् इति।

५-(क) वैशेषिक, सूत्र ५।२।१९

द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद् अभावरूपम् ।

(ख) वैशेषिक सूत्रोपस्कार, ५।२।२०

उद्भूतत्वात्तदभावात्तेज संतर्पणभावरूपम् ।

६-मीमांसा श्लोकवार्तिक, १८०-१८१।

अत्र तमो यथा तावज्जले सौर्येण तेजसः ।

स्फुरता चाक्षुष तेज प्रतिप्लोत प्रवर्तितम् ॥

स्ववेगमेव गृह्णाति सञ्चितारमनेकधा ।

भिन्नवृत्तिर्विधायात्रं तदाश्यानेकता कुत ॥

७-तत्त्वसंग्रहव्याख्या, पृ० ४१८, ६९७

.. अतो नास्त्येव किञ्चिद् वस्तु मूतं प्रतिबिम्बक नाम ।

श्लोक १४

१५-श्लोक १४ :


इस श्लोक में नौ तत्त्वों का उल्लेख हुआ है। वस्तुवस्था तत्त्व दो हो हैं—(१) जीव और (२) अजीव।

नौ तत्त्व इन दो विभागों में समाविष्ट हो जाते हैं। यथा—जीव, आलव, संज्ञ, निर्जरा और मोक्ष—जीव में। अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—अजीव में।

आलव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम हैं और पुण्य, पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीव के ही विशेष परिणाम हैं। जिस प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए छद्म द्रव्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह को जानने के लिए नौ तत्त्व उपयोगी हैं। इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास की प्रक्रिया बुद्धिगम्य नहीं हो सकती।

दिगम्बर-ग्रन्थों में नौ तत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्व माने गए हैं। पुण्य-पाप को बन्ध के अन्तर्गत माना गया है। दोनों मान्यताएँ आपेक्षिक हैं, उनमें स्वरूप-भेद कुछ भी नहीं है।

नौ तत्त्व तथा उनके भेद-प्रभेद




आसव

आसव—सुभ-असुभ कर्म को ग्रहण करने वाला और का अन्वयसाय, परिणाम एवं प्रवृत्ति को 'आसव' कहा जाता है।


सांख्य-योग में वर्णित 'केश' आसव के अति निकट है। महर्षि पतञ्जलि ने कहा है—'कर्म वासना का मूल केश है।' बौद्ध-दर्शन में अविद्या को अनादि दोष माना है। इस अविद्या के जो विभिन्न आशु-परिणामों के प्रेरक बनते हैं, उन्हें 'आसव' कहा जाता है। आसव का अर्थ है—प्रद उत्पन्न करने वाला रस। ये आसव चार हैं—(१) काम-आसव, (२) भ्रम-आसव, (३) दृष्टि-आसव और (४) अविद्या आसव।

- (१) काम-आसव — वाग्दादि विषयों को प्राप्त करने की इच्छा-वासना या राग।
- (२) भ्रम-आसव— जीवन की अभिलाषा।
- (३) दृष्टि-आसव— बौद्ध-दृष्टि से विपरीत दृष्टि का सेवन।
- (४) अविद्या-आसव— अनित्य पदार्थों में नित्यता की बुद्धि।


आसव (१)



आसव (२)



संवर (आसव-निरोध) (१)



संवर (२)




१—जीमदानी, २।१२ :

कलेशशूलः कर्मसिद्धौ ह्यष्टाह्यष्टास्यवेदनीयः ।

निर्जरा (तप)

निर्जरा—तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर जो आत्मा की निर्मलता होती है, उसे 'निर्जरा' कहते हैं। निर्जरा के साधन को भी निर्जरा कहा जाता है। उसके आधार पर इसके बाह्य भेद होते हैं—



मोक्ष—जैन-दृष्टि के अनुसार 'समस्त कर्मों का क्षय कर अपने आत्म-स्वभाव में रमण करना' मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव है—ज्ञान, दर्शन और पवित्रता। इन तीनों की पूर्णता ही मोक्ष है। जैन-दृष्टि के अनुसार मुक्त-जीवों के वास-स्थान को भी मोक्ष कहा गया है। सिद्धालय, मुक्ति, ईशत् प्रागभारा पृथ्वी आदि उसके अपर नाम हैं। यह स्थान मनुष्य क्षेत्र के बराबर लम्बा-चौड़ा है। इसके मध्य भाग की मोटाई आठ योजन की है और अन्तम भाग मक्खी के पर से भी अधिक पतला है और वह लोक के अग्रभाग में स्थित है। उसका आकार सीधे छत्ते जैसा है और वह ध्वेन स्वर्णमयी है।

बौद्ध-दर्शन में तृष्णा के आत्यन्तिक क्षय को 'मोक्ष' कहा है। धम्मदिन्ना नामक भिक्षुणी ने निर्वाण के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर विशाल को इस प्रकार उत्तर दिया—

विशाल—आर्ये ! विद्या का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—विमुक्ति० ।

विशाल—विमुक्ति का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—निर्वाण० ।

विशाल—और निर्वाण का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना —विशाख ! ब्रह्मचर्य निर्वाण पर्यंत है, निर्वाण-नरायण है, निर्वाण-पर्यवसान है ।^१

भाट्टमत के अनुसार भोगायनन—शरीर, भोग-पावन—इन्द्रियों और भोग्य-विषय—इन तीनों के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा गया है ।^२ अथवा 'प्रपञ्च सम्बन्ध के विलय' को मोक्ष कहा गया है। मोक्षावस्था में जीव में न सुख है, न आनन्द और न ज्ञान है—'तस्मात् निःसम्बन्धो निरामन्दवच मोक्षः'^३ मुक्तावस्था में आत्मा में 'ज्ञानशक्तिमात्र' ज्ञान रहता है। साथ ही साथ उसकी सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि धर्म तो उसमें रहते ही हैं। यही आत्मा का निजी-स्वरूप है, जिससे वह मोक्ष में स्थित रहता है—

'यदस्य स्वं नैज रूपं ज्ञानशक्तिसत्ताद्रव्यत्वादि तस्मिन्नवतिष्ठेत् ।'^४

१—मज्झिमनिकाय, बूल्लवेवहल्ल सुत्त (१।५।४), पृ० १८३ ।

२—शास्त्रदीपिका, पृ० १२५ ;

त्रिविधस्यापि बन्धास्वात्यन्तिको विलयो मोक्षः ।

३—बहो, पृ० १२५-१३० ।

४—बहो, पृ० १३० ।

प्रभाकर कर्म तथा अकर्म का सम्पूर्ण नाश होने से वेह के आत्मलिक उच्छेद को 'मोक्ष' कहते हैं।^१ इनका मन है कि आत्म-ज्ञान के द्वारा कर्माकर्म का नाश होता है और वही मुक्ति है। मुक्तावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है।^२

भास्कर वेदान्त के अनुसार उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण करना मोक्ष है। इसके दो भेद हैं— (१) सद्योमुक्ति और (२) क्रम-मुक्ति। जो साक्षात् कारण-स्वरूप-ब्रह्म की उपासना करने पर मुक्ति पाते हैं, वह 'सद्योमुक्ति' है और जो कार्य-स्वरूप-ब्रह्म के द्वारा मुक्ति पाते हैं, उनकी मुक्ति 'क्रम-मुक्ति' है अर्थात् वे देवयान मार्ग से अनेक लोकों में घूमते हुए मुक्त होते हैं।^३ मुक्त-जीव मन के द्वारा मुक्ति में आनन्द का अनुभव करता है। मुक्त-दशा में 'सम्बोध' या 'ज्ञान' आत्मा में रहना ही है। ध्यान, धारणा और समाधि मुक्ति के साधन हैं।

रामानुजाचार्य ने तीन प्रकार की जीवात्माएँ मानी हैं— (१) बद्ध, (२) मुक्त और (३) नित्य। उनके अभिमतानुसार सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जीव ईश्वर के पास जाता है, तब उसमें सब तरह के, सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान् के प्रति सेवक-भाव तथा स्नेह आविर्भूत हो जाता है और इन सबका अनुभव जीव को होने लगता है। ऐसे 'जीव' मुक्त कहलाते हैं। ये 'मुक्त जीव' ब्रह्म के समान भोग करते हैं। ये भी अनेक हैं तथा सब लोकों में अपनी इच्छा से विचरण करते हैं।^४ मुक्तावस्था में मुक्त-पुरुषों का ज्ञान कभी-कभी व्यापक रहता है।^५

निम्बार्काचार्य ने दो प्रकार के मुक्त-जीव माने हैं—नित्य-मुक्त और दूसरे वे जो सत्कर्म करते हुए पूर्व-जन्म के कर्मों का भोग सम्पन्न कर संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर ये सब अर्चिरादि मार्ग से 'पर ज्योति' स्वरूप को पा कर अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और पुनः संसार में नहीं जाते। इनमें से कई केवल आत्म-साक्षात्कार करके ही तृप्त हो जाते हैं और कई ईश्वर तुल्य बन जाते हैं। इनके अनुसार मुक्त-जीव भी भोग भोगते हैं।^६

मध्वाचार्य के अनुसार मुक्त-जीव अपनी इच्छा से शृद्ध सत्त्वमय देह धारण कर यथेष्ट भोग का अनुभव करते हैं और पुनः स्वेच्छा से उसे त्याग देते हैं। किसी-किसी के मन में मुक्त-जीव पाँच भौतिक शरीर के द्वारा भी भोग कर सकता है। यह शरीर उसका 'स्वेच्छा-स्वीकृत शरीर' कहलाता है।^७ इसके अनुसार संसार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्था में जीवों में भी परस्पर भेद है। परमात्मा इन सबसे भिन्न है।^८ ज्ञान की तरतमता के कारण परम आनन्द की अनुभूति में भी तारतम्य रहता है।

साख्य के अनुसार प्रकृति का वियोग हो जाना ही मोक्ष है अथवा विवेक-स्थिति या विवेक-बुद्धि को प्राप्त करना मुक्ति है। मोक्षावस्था में भी प्रकृति का सात्त्विक अंश रहता है। मुक्ति में मुक्त-जीवों की संख्या अनन्त है।^९

वैष्णव तन्त्र

मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव को भगवद्-भक्ति द्वारा धारणागति प्राप्त करनी चाहिए।^{१०} मुक्त-दशा में जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है और उसका पुनरावर्तन नहीं होता।^{११} 'ब्रह्मभावापत्ति' मुक्ति का अपर नाम है।

१-प्रकरणपंचिका, पृ० १५६ :

आत्मलिकस्तु वेहोच्छेदो मोक्षः ।

२-वही, पृ० १५६-१५७ ।

३-भास्कर भाष्य ।

४-वृत्तिवृत्तिसंघिका, पृ० ३२-३६ ।

५-सत्त्वमयभाष्य, पृ० ३५-३६ ।

६-वेदान्तपरिभाषा सौरभ, ४।४।१३, १५ ।

७-मध्वाचार्यानुसार, पृ० ३६-३७ ।

८-परार्थसंग्रह, पृ० ३२ ।

९-सांख्यकारिका, ७० की माठर वृत्ति ।

१०-वृत्तिवृत्तिसंघिका, ३।४।२७-३१ ।

११-वही, ६।२७-२८ ।

श्रीव तंत्र

'क्रिया' मुक्ति का साधन है, 'ज्ञान' नहीं। अनुग्रह शक्ति द्वारा जीव संसार के बन्धन से छूट सकता है।^१

शाक्त तंत्र

'भोगात्मक-साधना' से मुक्ति प्राप्त होती है।^२ भोग और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है। इस मत में माता, यमिनी और पुत्री का भोग करने वालों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा विधान है।^३

वैशेषिक

द्रव्य, गुण आदि षट्पदार्थों में ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।^४ 'धर्म' मोक्ष का साधन है, इससे तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।^५

न्याय-दर्शन

प्रमाण-प्रेम आदि सोलह पदार्थों के ज्ञान से मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो जाता है। तदनन्तर राग-द्वेष और मोह का नाश होता है। इससे धर्म-अधर्म रूप प्रवृत्ति का नाश होता है। इससे जन्म का क्षय होता है और इससे दुःख क्षय होता है। दुःख का अत्यन्त क्षय ही मुक्ति है—अपवर्ग है।^६ मुक्तावस्था में बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है।^७

इस प्रकार भारतीय तत्त्व-चिन्तन में मोक्ष विषयक अनेक मान्यताएँ प्राप्त होती हैं।

श्लोक १६

१६-श्लोक १६ :

इस श्लोक में दस रुचियों का उल्लेख हुआ है। रुचि का अर्थ है—सत्य की श्रद्धा।^८ इन दस रुचियों में विभिन्न अपेक्षाओं से होने वाले सम्यक्त्व के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया गया है। स्थानाग में वन्हें 'सराग सम्भम्-दर्शन' कहा है।^९ तत्त्वार्थ राजवार्तिक में दस प्रकार के दर्शन-आर्य बतलाए गए हैं।^{१०}

१-सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० १७४-१८९।

२-श्री गृह्यसमाजतंत्र, पृ० २७

बुद्धेरनियमैस्तीक्ष्णैः, सेष्यमानो न सिद्धयति।

सर्वकामोपभोगैस्तु, सेष्यमवायु सिद्धयति ॥

३-वही, अध्याय ५।

४-वैशेषिक सूत्र, १।१।४।

५-वही, १।१।२।

६-न्यायसूत्र, १।१।२२।

७-जयसम्बन्धायसंज्ञरी, पृ० ५०८।

८-बृहद्बृत्ति, पत्र ५६३।

९-स्थानाग, १०।७।५।

१०-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०१।

ये दस दर्शन-आर्य दस रचियों से कुछ समान और कुछ भिन्न हैं—

उत्तराध्यायन	तत्त्वार्थ शास्त्रार्थिक
(१) निरुप-रचि	आज्ञा-रचि दर्शन-आर्य—वीतराग की आज्ञा में विश्वास होने के कारण जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(२) उपदेश-रचि	मार्ग-रचि दर्शन-आर्य—भोज-मार्ग सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(३) आज्ञा-रचि	उपदेश-रचि दर्शन-आर्य—तीर्थङ्कर आदि के पवित्र आचरण के उपदेश को सुन कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(४) सूत्र-रचि	सूत्र-रचि दर्शन-आर्य—आचारांग आदि सूत्रों को सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(५) बीज-रचि	बीज-रचि दर्शन-आर्य—बीज पदों के निमित्त से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(६) अभिगम-रचि	संक्षेप-रचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के संक्षिप्त निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(७) विस्तार-रचि	विस्तार-रचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के विस्तृत निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(८) क्रिया-रचि	अर्थ-रचि दर्शन-आर्य—वचन विस्तार के बिना केवल अर्थ-ग्रहण से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(९) संक्षेप-रचि	अवगाह-रचि दर्शन-आर्य—आचारांग आदि बारह अंगों (द्वादशांगी) में जिनका श्रद्धान् अति हृद हो ।
(१०) धर्म-रचि	परम-अवगाह दर्शन-आर्य—परम अवधि, केवल ज्ञान, दर्शन से प्रकाशित जीव आदि पदार्थों के ज्ञान से जिनकी आत्मा निर्मल हो ।

श्लोक ३१

१७-श्लोक ३१ :

सम्यग्-दर्शन का अर्थ है—सत्य की आस्था, सत्य की रचि । वह दो प्रकार का होता है—(१) नैश्चयिक और (२) व्यावहारिक । नैश्चयिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध केवल आत्मा की आन्तरिक शुद्धि या सत्य की आस्था से होता है । व्यावहारिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध संघ, गण या सम्प्रदाय से भी होता है ।

सम्यग्-दर्शन के आठ अंगों का निरूपण इन दोनों दृष्टियों को सामने रख कर किया गया है । सम्यग्-दर्शन के आठ अंग ये हैं—(१) निःसंशय, (२) निष्काशित, (३) निर्विकल्पा, (४) अमूढ-दृष्टि, (५) उपबृंहण, (६) स्थिरीकरण, (७) वास्तव्य और (८) प्रभावना ।

सम्यग्-दर्शन के पाँच अतिचार हैं—(१) शंका, (२) काष्ठा, (३) विकल्पिता, (४) पर-पाषण्ड-प्रशंसा और (५) पर-पाषण्ड-संस्तव ।

आचार का उल्लंघन अतिचार होता है और 'अतिचार' का वर्जन आचार । आचार के अंग आठ हैं और अतिचार के पाँच । इस संख्या-भेद पर सहज ही प्रबन्ध होता है ।

श्रुतसागर सूरि ने इसका समाधान किया है । उनके अनुसार, व्रत और शीलों के पाँच-पाँच अतिचार बतलाए हैं । अतः अतिचारों के वर्जन में सम्यग्-दर्शन के पाँच ही अतिचार बतलाए गए हैं । शेष तीन अतिचारों का मिथ्यादृष्टि-प्रशंसा और मिथ्यादृष्टि-संस्तव में अन्तर्भाव हो जाता है । जो मिथ्या-दृष्टियों की प्रशंसा और स्तुति करता है, वह मूढ-दृष्टि तो है ही । वह उपबृंहण नहीं करता, स्थितिकरण नहीं करता ।

उससे वात्सल्य और प्रभावना भी सम्भव नहीं है।^१ इस भावना के अनुसार सम्यग्-दर्शन के अष्ट आध्यात्मिक और अष्ट अतिचारारम्भक अंग होते हैं।

(१) निःशङ्कित और शंका

शंका का अर्थ सदेह भी होता है और भय भी। इन दोनों अर्थों के आचार पर इसकी व्याख्या हुई है। शान्त्याचार्य, हरिभद्र सूरि, अभयदेव सूरि, हेमचन्द्राचार्य, नेमिचन्द्राचार्य, स्वामी समन्तभद्र और शिवकोट्याचार्य ने शंका का अर्थ 'सदेह' किया है।^२ आचार्य कुन्दकुन्द ने शंका का अर्थ 'भय' किया है।^३ श्रुतसागर सूरि ने दोनों अर्थ किये हैं।^४ संक्षेप में—

(१) जिन भाषित-तत्त्व के प्रति जो सदेह होता है, वह शंका है।

(२) जिसका मन सात प्रकार के भयों से व्यथित होता है—वह शंका है। यह सम्यग्-दर्शन का अतिचार है। निःशङ्कित सम्यग्-दर्शन का आचार है। सम्यग्-दृष्टि को अर्शदिग्ध और अभय होना चाहिए।

(२) निष्काङ्क्षित और काङ्क्षा

काङ्क्षा के दो अर्थ मिलते हैं—(१) एकान्त-दृष्टि वाले दर्शनों के स्वीकार की इच्छा^५ और (२) धर्माचरण के द्वारा सुख-समृद्धि पाने की इच्छा^६।

विजयोदया के अनुसार भोग और सुख-संपदा की जो इच्छा है, वह सम्यग्-दर्शन का अतिचार नहीं है। किन्तु दर्शन, व्रत आदि के द्वारा भोग प्राप्ति की इच्छा करना अनिचार है।^७ निष्काङ्क्षित सम्यग्-दर्शन का आचार है।

१—सत्त्वार्थ, ७।२३, श्रुतसागरीय वृत्ति, पृ० २४८।

२—(क) बृहद्बृत्ति, पत्र ५६७।

साङ्गत् शङ्कित—वेदासर्वाङ्गात्मकं तस्याभावो निःशङ्कितम्।

(ख) आशकधर्मप्रकरण, वृत्ति पत्र २०

मगधवर्तमानोत्प्रेषु धर्माधर्माकाशाधिष्वत्यन्तगहनेषु मतिनाङ्गाधिष्योऽनधर्माधर्मणेषु सशय इत्यर्थः किमेव त्यात् ? नैवम् इति।

(ग) स्थानांग, ३।४।२२३, वृत्ति पत्र १७६।

शङ्कितो—वेदतः सर्वतो वा संशयवान्।

(घ) योगशास्त्र, २।१७।

(ङ) प्रवचनसारोद्धार, पत्र ६९।

(च) रत्नकरंभ आशकाचार, १।११।

(छ) मूलाराधना, १।४४ विजयोदया।

शंका—संशयप्रत्यय किंत्विदित्यनवधारणात्मक।

३—समयसार, भाषा २२८।

सम्भविद्भि जीवा, निस्तका ह्येति निःशयतेन।

सत्समयविष्यमुक्ता, जम्हा तम्हा ह्य निस्तका ॥

४—सत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति :

तत्र शंका—यथा निर्मन्थानां मुक्तिस्तथा तत्रा सप्रव्याप्तानपि गृहस्थादीनां किं मुक्तिर्भवति इति शंका। उदया, यद्यप्रकृति शंका।

५—पुस्तार्थसिद्ध्युपाय, २४।

इह जन्मनि विमवादीम्यमुत्र अस्तिवकेशवत्वादीन्।

एकान्तमाद्बुधिसपरसमयानपि च नाकांक्षेत् ॥

६—सत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति

इत्यपरलोकमोगाकांक्षणं शंका।

७—मूलाराधना, १।४४ विजयोदया :

न काङ्क्षामात्रमस्तीचारः किन्तु इत्यन्तद् व्रताहानाहेषुजायाससपराध अस्तेन पुण्येन इमेव क्लृप्तं, कथं, द्विष्टं, रक्षीषुजायित, कान्तुसर्वान्, स्वीत्वं, पुंस्त्वं वा सात्त्विक्यं स्वाचिति कांक्षा इह गृहीता, एवा अतिचारो धर्मान्त्य।

(३) निर्विकल्पिकता और विधिकल्पिता

विधिकल्पिता के भी दो अर्थ मिलते हैं—(१) धर्म के फल में संदेह और (२) जुगुप्सा—घृणा ।^१

आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार भ्रूष-व्यास, शीत-उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों तथा मल आदि पदार्थों में घृणा नहीं करनी चाहिए ।^२

स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में स्वभावतः अपवित्र किन्तु रत्नत्रयी से पवित्र वारीर में क्लानि न करना, गुणों में प्रीति करने का नाम निर्विकल्पिकता है ।^३

अमितगति आचकाचार में तीसरा अतिचार निन्दा है ।^४ हेमचन्द्राचार्य ने भी विधिकल्पिता का वैकल्पिक अर्थ 'निन्दा' किया है ।^५

(४) अमूर्त-दृष्टि और पर-पाषण्ड-प्रशंसा, पर-पाषण्ड-संस्तव—

मूर्तना का अर्थ है—मोहमयी दृष्टि । स्वामी समन्तभद्र ने उसे तीन भागों में विभक्त किया है

- (१) लोक-मूर्तता—नदी स्नान आदि में धार्मिक विश्वास ।
- (२) देव-मूर्तता—राग-द्वेष-वशीभूत देवों की उपासना ।
- (३) पाषण्ड मूर्तता—हिंसा में प्रवृत्त साधुओं का पुरस्कार ।^६

१—ब्रह्मसामोहकार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

विधिकल्पिता—मतिविभ्रम दुःखयागमोपपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति सम्मोह ।

२—बही, २६८ वृत्ति, पत्र ६४ .

यद्वा विद्वज्जुगुप्सा—मलमलिना एते इत्यादिसाधुज्जुगुप्सा ।

३—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २५ :

धुनतृष्णाशीतोष्णप्रभृतिसु नामाधिधेषु माधेषु ।

ब्रह्मेषु पुरीषादिसु, विधिकल्पिता नैव करणीया ॥

४—रत्नकरण्डक आचकाचार, १।१३

स्वभावतोऽगुणौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विकल्पिकता ॥

५—अमितगति आचकाचार, ७।१६ :

शंकाकांक्षा निन्दा, परशंसासंस्तवा मला पंच ।

परिहृतव्या सदुमि, सत्यत्वविशोषमि सततम् ॥

६—योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

यद्वा विधिकल्पिता निन्दा सा च सदाचारमुनिविषयया यथा अस्मान्नेन प्रस्वेदजलक्लिन्नमलत्वाद् दुर्गन्धिवपुष एत इति ।

७—रत्नकरण्डक आचकाचार, १।२२, २३, २४ .

आपणासाधरस्नानमुच्यते: सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढ निगद्यते ॥

बरोपलिप्तथाशावान् राणद्वेषमलीमताः ।

देवता धनुपासीत, देवतामूढमुच्यते ॥

सधन्वारम्भहिसानां, संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पाषण्डिनां पुरस्कारो, ज्ञेय पाषण्डिमोहनम् ॥

आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकात्मवादी तीर्थिकों की विमूर्ति देख कर जो मोह उत्पन्न होता है, उसे 'मूर्खता' कहा जाता है।^१ मिथ्या दृष्टि की प्रवांसा और उसका संस्तव ये दोनों मूर्खता के ही परिणाम हैं।

स्वामी समन्तभद्र ने मूर्खता का अर्थ 'कृपयणामियों का सम्पर्क और उनकी स्तुति' किया है।^२

मूलाराधना में 'पर-पाषण्ड-संस्तव' के स्थान पर 'अनायतन-सेवा' का प्रयोग किया गया है। अनायतन के छह प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) मिथ्या-दृष्टि, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) मिथ्या-ज्ञानी, (५) मिथ्या-चारित्र्य और (६) मिथ्या-चारित्र्यी। इनकी सेवा को 'अनायतन-सेवा' कहा जाता है।^३ प्रबचन सारोद्धार में इसे 'परतीर्थिकोपसेवन' कहा है।^४

आचार्य हेमचन्द्र ने संस्तव का अर्थ परिचय किया है।^५ परिचय और सेवा ये लगभग समान हैं।

श्रुतसागर सूरि ने संस्तव का अर्थ स्तुति किया है। उनके अनुसार मानसिक श्लाघा—प्रवांसा और वाचिक श्लाघा—संस्तव है।^६

(५) उपवृ हण

सम्यग्-दर्शन की पुष्टि करने को 'उपवृ हण' कहा जाता है। बभ्रुनन्दि ने 'उपवृ हण' के स्थान पर 'उपगूहन' माना है। उसका अर्थ है—प्रमादवशतः नृप दोषों का प्रचार न करना व अपने गुणों का गोपन करना।^७

१-भाष्यकथमन्विधि प्रकरण, ५८-६०।

इह्दीओ गेगविहा, विज्जाजनिवा तथोमवाओ य ।

वेडविद्यलद्विकया, नहामगाई य इट्ठुणं ॥

पूयं च असमपाणाइवत्थपसाइएहि विधिहेहि ।

परपासइत्थाण, सक्कोल्लयाइण इट्ठुण ॥

धिजाईयगिहीण, पासत्वाईण वापि इट्ठुण ।

अस्स न मुज्झइ विट्ठी, अमूढविट्ठिं तय विति ॥

२-रत्नकरण्डक भाष्यकाचार, १।१४

कापथे पथि दु-सानां, कापथस्येऽप्यसम्मति ।

असमृक्तिरुत्कीर्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते ॥

३-मूलाराधना, १।४४

सम्मत्तादीचारा, सका कजा तहेव विविगिछा ।

परविट्ठीण पससा, अनायतनसेवणा चेष ॥

विजयोवया—

अनायतनसेवणा चेष —अनायतनं षड्विध मिथ्यात्वं, मिथ्यादृष्टय, मिथ्याज्ञानं, तद्वन्त, मिथ्याचारित्र्यं मिथ्याचारित्र्यवन्त इति ।

४-प्रबचनसारोद्धार, २७३ वृत्ति, पत्र ७०

सका कसा य सहा, विविगिछा अन्वतिस्थियपसंसा ।

परतिस्थिओवसेवणमइयारा पथे सम्मत्ते ॥

'परतीर्थिकोपसेवन'—परतीर्थिके सह एकत्र संवासात् परस्परालापादिजनित परिचयः ।

५-योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

तैर्मिथ्यादृष्टिनिरेकत्र सवासात्परस्परालापादिजनित परिचयः संस्तवः ।

६-तत्त्वार्थ वृत्ति (श्रुतसागरी), ७।२३

मिथ्यादृष्टोनां मनसा ज्ञानचारित्र्यगुणोद्भावनं प्रवांसा, विद्यमानानामविद्यमानानां मिथ्यादृष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तव उच्यते ।

७-बभ्रुनन्दि भाष्यकाचार, ४८ :

पिसंहा विरंजा, विविगिछा अमूढविट्ठी य ।

उपगूहन विविचरणं, मच्छल पहावणा चेष ॥

आचार्य अमृतकान्त ने उपवृहण को उपवृहण का ही एक प्रकार माना है। उनके अनुसार अपने बाल्य-गुणों (मृदुता आदि) की वृद्धि करना तथा परतए दोषों का निगूहन करना—ये दोनों उपवृहण के अंग हैं।^१

(६) स्थिरीकरण

धर्म-मार्ग या न्याय-मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उसी मार्ग में स्थिर करना यह 'स्थिरीकरण' या 'स्थितिकरण' है।^२

(७) वात्सल्य

मोक्ष के कारणभूत धर्म, अहिंसा और साधर्मिकों में बल-भाव रखना, उनकी यथायोग्य प्रतिपत्ति रखना, साधर्मिक साधुओं की आहार, वस्त्र आदि देना, गुरु, भ्रान्त, तपस्वी, शंभ, पाहुने साधुओं की विशेष सेवा करना—यह वात्सल्य है।^३

(८) प्रभावना

तीर्थ की उन्नति हो बैसेरी चेष्टा करना, रत्नत्रयी—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन-शासन की महिमा बढ़ाना—यह 'प्रभावना' है।^४ आठ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं—

- (१) प्रबचनी—द्वादशांगी घर, युगप्रधान आगम पुरुष ।
- (२) धर्मकथी—धर्म-कथा-कुशल ।
- (३) वादी—वाद-विद्या में निपुण ।
- (४) नैमित्तिक—निमित्तविद् ।
- (५) तपस्वी—तपस्या करने वाला ।
- (६) विद्याधर—प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं का पारगामी ।
- (७) मिद्ध—सिद्धिप्राप्त ।
- (८) कवि—कवित्व-शक्ति-सम्पन्न ।^५

१—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २७ .

धर्मोऽन्विष्यर्जनीय, सदात्मनो मादवादिमाधनया ।
परदोषनिगूहनमपि विधेयमुपवृहणगुणार्थम् ॥

२—(क) प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

स्थिरीकरणं तु धर्माद्विषोदतां तत्रैव चाटुवचनचातुर्यादवस्थापनम् ।

(ख) पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २८

कामक्रोधमदादिषु, चलचित्तुचित्तुषु बर्त्मनोऽप्याय्यात् ।
श्रुतमात्मन परस्य च, युषत्या स्थितिकरणमपि कार्यम् ॥

(ग) रत्नकरण्डक आधकाचार, १।१६ .

वर्शनाशरणाद्वापि, चलतां धर्मवत्सले ।
प्रत्यवस्थापनं प्राप्ते स्थितिकरणमुच्यते ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ५६७ .

बलसलमायो वात्सल्य—साधर्मिकजनस्य भक्तमानादिनोचितप्रतिपत्तिकरणम् ।

४—वही, पत्र ५६७ .

प्रभावना च—तथा तथा स्वतीर्थोऽन्विहेतुचेष्टासु प्रवर्तनात्मिका ।

५—योगशास्त्र, २।१६ वृत्ति, पत्र ६५ ।

आचार्य हरिभद्र ने सिद्ध के स्थान में अतिशय-ऋद्धि-सम्पन्न और कवि के स्थान में राजाओं द्वारा समस्त व्यक्ति को प्रभावक माना है।^१

सम्यक्त्व के पाँच भूषण माने जाते हैं—(१) स्वैर्य, (२) प्रभावना, (३) भक्ति, (४) जिन-शासन में कौशल और (५) तीर्थ-सेवा।^२

स्वैर्य, प्रभावना और भक्ति क्रमशः स्थिरीकरण, प्रभावना और वात्सल्य हैं। जिन-शासन में कौशल और तीर्थ-सेवा भी वात्सल्य के विविध रूपों का स्पष्ट करते हैं।

सम्यग्-दर्शन के आठों अंग सत्य की आस्था के परम अंग हैं। कोई भी व्यक्ति शंका (भय या संदेह), काक्षा (आसक्ति या वैचारिक अस्थिरता), विचित्रिस्ता (दृष्टा या निन्दा), मूढ-दृष्टि (अपनी नीति के विरोधी विचारों के प्रति सहमति) से मुक्त हुए बिना सत्य की आराधना कर नहीं सकता और उसके प्रति आस्थावान् रह नहीं सकता। स्व-सम्मत धर्म या साधर्मिकों का उपवृ हण, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना किए बिना कोई व्यक्ति सत्य की आराधना करने में दूसरों का सहायक नहीं बन सकता। इस दृष्टि से ये आठों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

श्लोक ३२-३३

१८-श्लोक ३२-३३ :

जिससे कर्म का व्यय रिक्त होना है, वह चारित्र है। यह 'चारित्र' शब्द का निरुक्त है। ३५वें श्लोक में बनाया गया है—चारित्र ने निग्रह होता है। रिक्त करना और निग्रह करना वस्तुतः एक नहीं है। प्रश्न होता है यह भेद क्यों ?

शास्त्राचार्य ने इसके समाधान में लिखा है—तपस्या भी चारित्र के अन्तर्गत है, इसलिए चारित्र के दो कार्य होने हैं—(१) कर्म का निग्रह और (२) कर्म-व्यय का रिक्तीकरण।^३

(१-२) सामायिक और छेदोपस्थापनीय—

चारित्र के पाँच प्रकार बनलाए गए हैं। वस्तुतः वह एक ही है। ये भेद विशेष दृष्टियों से किए गये हैं। सर्व मावद्य प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, वह सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापनीय आदि चारित्र इसी के विशेष रूप है।^४ बाईस तीर्थङ्करों ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया था। छेदोपस्थापनीय का उपदेश भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर ने दिया था।^५

१-आवकधर्मविधि प्रकरण श्लोक ६७

अइसेसइद्धि धम्मकहिवाइआयरियसवगनेमिसि ।

विउजारायागणसम्मया य तित्थं पमावेति ॥

२-योगशास्त्र, २।१६ .

स्वैर्य प्रभावना भक्ति, कौशल जिनशासने ।

तीर्थसेवा च पंचास्य, भूषणानि प्रवक्षते ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५६९ .

'एतद् अनन्तरोक्तं सामायिकादि चमस्य—राशे प्रस्तावात्कर्मणां रिक्तं—विरेकोऽभाव इतियावन् तत्करोतीत्येवशील व्यरिक्तकरं चारित्रमिति नेरुक्तो विधि, आह—वक्ष्यति—“अरित्तेण निगिष्ठाति तवेण य वि (परि) दुष्कति' ति" कथं न तेनास्य विरोधः?, उच्यते, तपसोऽपि तत्त्वतश्चारित्रान्तर्गतत्वात् ।

४-सर्वार्थ राजवार्तिक ९।१८

सर्वसावधानिष्ठितिलक्षणसामायिकापेक्षया एक व्रतं, भेदपरसंश्लेषोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।

५-(क) मूलाचार, ७।३६

बाबीसं तिस्रयवरा, सामादधं सजसं उचविसंति ।

छेदोपस्थापनीय पुण, प्रथमं उसहो य कीरो य ॥

(ख) आवकधर्म निर्मुक्ति, १२४६ ।

सामायिक-चारित्र्य दो प्रकार का होता है—

(१) इत्थर—भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर के शिष्यों के यह इत्थर—अल्पकाल के लिए होता है। इसकी स्थिति सात दिन, चार मास या छह मास है। तत्पश्चात् इसके स्थान पर छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य स्वीकार किया जाता है।

(२) यावत्कथिक—छोष बाईस तीर्थङ्करों के शिष्यों के सामायिक-चारित्र्य यावज्जीवन के लिए होता है।^१

श्रुतसागर सूरि ने तत्त्वार्थ वृत्ति में इसके दो भेद—परिमित-काल और अपरिमित-काल—किए हैं। स्वाध्याय आदि के समय जो सामायिक किया जाता है, वह परिमित-काल-सामायिक होता है। ईर्ष्यापथ आदि में अपरिमित-काल-सामायिक होता है।^२

पूर्व पर्वीय (सामायिक-चारित्र्य) का छेद कर महाव्रतों में उपस्थित करने को 'छेदोपस्थापनीय' कहा जाना है।^३ सामायिक-चारित्र्य स्वीकार करते समय सर्व सावद्य योग का त्याग किया जाता है, सावद्य योग का विभागशः त्याग नहीं किया जाता। छेदोपस्थापनीय में विभागशः त्याग किया जाता है। पाँच महाव्रतों का पृथक्-पृथक् त्याग किया जाता है, इसलिए आचार्य वीरनन्दि ने छेद का अर्थ भेद या विभाग किया है।^४ पूज्यपाद के अनुसार तीन गुप्ति (मनो-वाक-काय), पाँच समिति (ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग) तथा पाँच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह)—इन तेरह भेद वाले चारित्र्य का निरूपण भगवान् महावीर ने किया था। उनके पूर्ववर्ती तीर्थङ्करों ने ऐसे विभागात्मक चारित्र्य का निरूपण नहीं किया था।^५

श्रुतसागर सूरि ने सकल्प-विकल्प के त्याग को भी छेदोपस्थापनीय माना है।^६ छेदोपस्थापनीय के दो प्रकार होते हैं—

(१) मानिचार—श्रेय मेवन करने वाले मुनि को पुनः महाव्रतों का अंगोपण कराया जाता है, वह मानिचार-छेदोपस्थापनीय होता है।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ५६८

एतच्च द्विधा—इत्थरं यावत्कथिकं च, तत्रोत्तरं भरतेरावतयो प्रथमभरमतीर्थकरतीर्थयोस्तथापनार्थां छेदोपस्थापनीयचारित्र्यमात्रेण तत्र तदुपवेशनाभावात्, यावत्कथिकं च तयोरेव मध्यमतीर्थकरतीर्थेषु महाविदेहेषु छेदोपस्थापनाया अभावेन तदुपवेशस्य यावज्जीवमपि सम्भवात्।

२—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

तत्र सामायिकं द्विविधकारम्—परिमितकालमपरिमितकालश्चेति। स्वाध्यायादौ सामायिकग्रहणं परिमितकालम्। ईर्ष्यापथादा-
कपरिमितकालं चैवित्तव्यम्।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ५६८।

४—आचारसार, ५।६-७

व्रत-समिति-गुप्त्यै, पञ्च पञ्च त्रिभिर्मतैः।

छेदे भेदे रूपेत्यर्थे, स्थापन स्वस्थितिप्रिया ॥

छेदोपस्थापनं प्रोक्तं, सर्वसावद्यवर्जने।

व्रतं हिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्म सरोऽवसागम ॥

५—चारित्र्यनस्ति, श्लोक ७ :

स्तिः ससमगुलस्य स्तनुमनोभाषामिमितोदया'।

पचेर्षादित्तमाध्ययाः समित्यः पञ्चव्रतानीत्यपि ॥

चारित्र्योपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न विष्टं परै-

राचारं परमैष्ठिनो जिनपते बोरान् तमामो वयम् ॥

६—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

संकल्पविकल्पविशेषो वा छेदोपस्थापना सवति।

(२) निरतिचार—शोक (नव-दीक्षित) मुनि सामायिक-चारित्र के पश्चात् अथवा एक तीर्थङ्कर के तीर्थ में से दूसरे तीर्थङ्कर के तीर्थ में वीक्षित होने वाले मुनि, जो छेदोपस्थापनीय-चारित्र स्वीकार करते हैं, वह निरतिचार होता है ।^१

(३) परिहार विगुडि— यह दो प्रकार का होता है—(१) निर्बिद्यमानक और (२) निर्बिद्यकायिक ।

इसकी आराधना नौ साधु मिल कर करते हैं । इसका काल-मान अठारह मास का है । प्रथम छह माही में चार साधु तपस्या करते हैं, चार साधु सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य (गृहस्थानीय) रहता है । दूसरी छह माही में तपस्या करने वाले सेवा और सेवा करने वाले तपस्या में मलग्न हो जाते हैं । तीसरी छह माही में वाचनाचार्य तप करते हैं, एक साधु वाचनाचार्य हो जाता है, गेष सेवा में संलग्न होते हैं । तपस्या में संलग्न होते हैं वे 'निर्बिद्यमानक' और जो कर चुकते हैं वे 'निर्बिद्यकायिक' कहलाते हैं । उनकी तपस्या का क्रम इस प्रकार है—

जषम्य	मध्यम	उरुष्ट
(१) ग्रीष्म—उपवास	बेला	तेला
(२) शिशिर—बेला	तेला	चोला
(३) वर्षा—तेला	चोला	पचोला

पारणा में आचामाम्ल (आम्ल-रस के साथ एक अन्न व जल लेकर) तप किया जाता है । जो तप में संलग्न नहीं होते, वे सवा आचामाम्ल करते हैं । उनकी चारित्रिक विगुडि बिबिध होती है । परिहार का अर्थ 'तप' है । तप से विशेष गृह्णित प्राप्त की जाती है ।^२

श्रुतसागर सूरि ने परिहार का अर्थ 'प्राण-वष की निवृत्ति' किया है । जिसमें अहिंसा की विशिष्ट साधना हो, वह परिहार-विगुडि-चारित्र है । उनके अनुसार जिस मुनि की आयु बत्तीस वर्ष की हो, जो बहुत काल तक तीर्थङ्कर के चरणों में रह चुका हो, प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व में कहे गए सम्पक् आचार को जानने वाला हो, प्रमाद-रहित हो और तीनों सध्याओं को छोड़ कर केवल दो गभृति (चार मील) गमन करने वाला हो, उस मुनि के परिहार-विगुडि-चारित्र होता है । तीर्थङ्कर के पाद-मूल में रहने का काल वर्ष-वृत्तव (तीन वर्ष से अधिक और नौ वर्ष से कम) है ।^३

(४।५) सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात

सामायिक या छेदोपस्थापनीय-चारित्र की आराधना करते-करते क्रोध, मान और माया के अगु उरशान्त या क्षीण हो जाते हैं, लोभाणुओं का सूक्ष्म रूप में वेदन होता है, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'सूक्ष्म-संपराय चारित्र' कहा जाता है ।^४ चौदह गुणधानों में सूक्ष्म संपराय नामक दसवाँ गुणस्थान यही है । जब क्रोध, मान, माया और लोभ सर्वथा उरशान्त या क्षीण हो जाते हैं, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'यथाख्यात चारित्र' कहा जाता है । यह वीतगग-चारित्र है । गुणस्थानों में यह चारित्र दो भागों में विभक्त है । 'उरशमात्मक-यथाख्यात चारित्र' उपशान्त-मोह नामक ग्यारहवें और 'क्षयात्मक-यथाख्यात चारित्र' क्षीण-मोह नामक बारहवें आदि गुणस्थान में समाते हैं ।

१—गृह्य वृत्ति, पत्र ५६८ ।

छेदः—सातिचारस्य यतेनिरतिचारस्य वा शिक्षकस्य तीर्थान्तरसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तरं प्रतिपद्यमानस्य पूर्वपर्यायणवच्छेदस्य-स्तद्यु कोपस्थापना महाव्रतारोपणरूपा यस्मिस्तच्छेदोपस्थापनम् ।

२—(क) स्थानांश ५।५२८ वृत्ति, पत्र ३२४ ।

(ख) प्रवचनसारांश, ६०२-६१० ।

३—सप्तमार्ग, १।१८ वृत्ति :

परिहरं परिहार प्राणिव्यनिवृत्तिरित्यर्थ । परिहारेण विगुडि गृह्णितः कर्ममत्कलङ्कप्रजाकर्म यस्मिन् चारित्र्ये तत्परिहार-विगुडि चारित्रमिति वा विग्रहः । तद्वृत्तं यथा—द्वारिगतद्वर्जातस्य बहुकालतीर्थंकरपादसेविनः प्रत्यक्षयाननामवेयनवन-पूर्वश्रोतसम्पगाचारवेचिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कलवर्षानुष्ठायिनस्तिष्ठतः सध्या यजेप्रित्वा द्विगभृतिगाभिधो मुने परिहार-विगुडिचारित्रं भवति ।... त्रिजर्वाभुपरि नववर्षान्मन्तरे वर्षवृत्तवन्नुच्यते ।

४—गृह्य वृत्ति, पत्र ५६८ :

सूक्ष्मः—किट्टीकरणतः संपर्षेति—पर्यटसि जनेन संसारमिति संपरायो—लोनाख्यः कथायो यस्मिस्तत्सूक्ष्मसंपरायम् ।

अध्ययन २६

सम्मत्तपरकमे

सूत्र १,२

१-सवेग (मोक्ष की अभिलाषा) से...निर्वेद से (सवेगेणं...निर्वेद्येणं) :

सम्यग्-दर्शन के पाँच लक्षणों में सवेग दूसरा और निर्वेद तीसरा है। सवेग का अर्थ है 'मोक्ष की अभिलाषा'^१ और निर्वेद का अर्थ है 'संसार-त्याग की भावना या काम-भोगों के प्रति उदासीन-भाव'^२।

श्रुतसागर सूत्र ने निर्वेद के तीन अर्थ किए हैं—(१) संसार-वैराग्य, (२) शरीर-वैराग्य और (३) भोग-वैराग्य।^३

प्रस्युत दो सूत्रों में कहा गया है कि सवेग से घम-श्रद्धा उत्पन्न होती है और निर्वेद से विषय-विरक्ति। इन परिणामों के अनुसार सवेग और निर्वेद की उक्त परिभाषाएँ समीचीन हैं। कई आचार्य सवेग का अर्थ 'भद्र-वैराग्य' और निर्वेद का अर्थ 'मोक्षाभिलाषा' भी करते हैं। किन्तु इस प्रकरण में वे फलित नहीं होते।

विशुद्धिमण दीपिका के अनुसार जो मनोभाव उत्तम-वीर्य वाली आत्मा को वेग के साथ कुशलाभिमुख करता है, वह 'सवेग' कहलाता है।^४ इसका अभिप्राय भी मोक्षाभिलाषा से भिन्न नहीं है।

सवेग और घम-श्रद्धा का कार्य-कारण-भाव है। मोक्ष की अभिलाषा होती है तब घम से रुचि उत्पन्न होती है और जब घम में रुचि उत्पन्न हो जाती है तब मोक्ष की अभिलाषा विशिष्टतर हो जाती है। जब सवेग विशिष्टतर होता है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ क्षीण हो जाते हैं, दर्शन विशुद्ध हो जाता है।

जिमका दर्शन विशुद्ध हो जाता है, उसके कर्म का बन्ध नहीं होता। वह उसी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। 'कम्म न बधई' इस पर शान्तिाचार्य ने लिखा है कि अशुभ-कर्म का बन्ध नहीं होता।^५ सम्यग्-दृष्टि के अशुभ-कर्म का बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अशुभ-योग की प्रवृत्ति छूटे गुणस्थान तक हो सकती है और कषाय जनित अशुभ-कर्म का बन्ध दसवें गुणस्थान तक होता है। इसलिए इसे इस रूप में समझना चाहिए कि जिमका दर्शन विशुद्ध हो जाता है, अनन्तानुबन्धी चतुष्क सर्वथा क्षीण हो जाता है, उसके नये स्तिरे से मिथ्या-दर्शन के कर्म-परमाणुओं का बन्ध नहीं होना। वह उसी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसका सम्बन्ध दर्शन की उत्कृष्ट आराधना में है। जय-य और मध्यम आराधना वाले अधिक जन्मों तक संसार में रह सकते हैं। किन्तु उत्कृष्ट आराधना वाले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७

सवेगेणो—पुण्यमिलाष ।

२-वही, पत्र ५७८

'निर्वेदेन' सामान्यतः—संसारविषयेण कषाऽनौ त्यज्यामीत्येवंल्लेषेण ।

३-बट्ट प्राभृत, पृ० ३६३, मोक्ष प्राभृत ८२ टीका

निर्वेदः संसार-शरीर-भोग-विरागता ।

४-विशुद्धिमण दीपिका ८, पृ० ६८ :

'सवेगे' ति उत्तमविरियं यं पुमानं वेगेन कुशलाभिमुख करोति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७ :

'कर्म' प्रस्तावाद्यशुभप्रकृतिकं 'न बध्नाति' ।

तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते। यह तथ्य भगवती (८।१०) से भी समर्थित है। गोतम ने पूछा—“भगवन् ! उत्कृष्ट दर्शनी कितने जन्म में सिद्ध होता है ?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! वह उसी जन्म में ही सिद्ध हो जाता है और यदि उस जन्म में न हो तो तीसरे जन्म में अवश्य हो जाता है।”

जेन साधना-पद्धति का पहला सूत्र है—मिथ्यात्व-विसर्जन या दर्शन-विषुद्धि। दर्शन की विशुद्धि का हेतु संवेग है, जो नैसर्गिक भी होता है और आधिगमिक भी। साधना का दूसरा सूत्र है—प्रवृत्ति-विसर्जन या आरम्भ-परित्याग। उसका हेतु निर्वेद है। जब तक निर्वेद नहीं होता, तब तक विषय-विरक्ति नहीं होती और उसके बिना आरम्भ का परित्याग नहीं होता। दशबकालिक नियुक्ति में भिक्षु के सतरह लिङ्ग बताए गए हैं, वहाँ संवेग और निर्वेद को प्रथम स्थान दिया गया है।

सूत्र ४

२—श्लाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा (वण्णसंजलणमत्तिबहुमाणयाए) :

वर्ण, सञ्ज्वलन, भक्ति और बहुमान—ये चारों विनय-प्रतिपत्ति के अंग हैं। वर्ण का अर्थ है 'श्लाघा'।^१ कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक—ये चारों पर्याय-शब्द हैं। इनमें कुछ अर्थ-भेद भी है।^२

सञ्ज्वलन का अर्थ है 'गुण-प्रकाशन'।^३

भक्ति का अर्थ है 'हाथ जोड़ना, गुरु के आने पर खड़ा होना, आसन देना आदि-आदि'।^४

बहुमान का अर्थ है 'आन्तरिक अनुराग'।^५

दशबकालिक वर्ण में भक्ति और बहुमान में जो अन्तर है, उसे एक उदाहरण द्वारा समझाया है।^६

सूत्र ५

३—माया, निदान और मिथ्या-दर्शन-शल्य को (मायानियाणमिच्छादमणसल्लाणं) :

जो मानसिक वृत्तियाँ और अध्यवसाय जग्य (अन्तर्गण) की तरह क्लेशकर होते हैं, उन्हें 'शल्य' कहा जाता है। वे तीन हैं—

(१) माया।

(२) निदान—तप के फल की आकांक्षा करना, भोग की प्रार्थना करना।^७

(३) मिथ्या-दर्शन—मिथ्या-दृष्टिकोण।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

वर्ण—श्लाघा।

२—इमवेआलिय (भाग २), सार्थ सट्ठिप्पण, पृ० ५०९।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

सञ्ज्वलनं—गुणोद्भासनम्।

४—बही, पत्र ५७९

भक्ति—अञ्जलिप्रणहादिका।

५—बही, पत्र ५७९

बहुमानम्—आन्तरप्रीतिविशेष।

६—दशबकालिक, जिनवास खूणं, पृ० ९९।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

निदानं—समातस्तप प्रभृत्यादेरिदं स्यात् इति प्रायनात्मकम्।

ये तीनों मोक्ष-मार्ग के विभिन्न और अनन्त सत्कार के हेतु हैं। स्वानाग (१०।७३३) में कहा है—आलोचना बही व्यक्ति कर सकता है, जो मायावी नहीं होता।

सूत्र ६

५—परिणाम-धारा को (करणगुणसेटि) :

संक्षेप में 'करण-सेटि' का अर्थ है 'क्षय-श्रेणि'। मोह-विलय की वो प्रक्रियाएँ हैं। जिसमें मोह का उपवास होते-होते वह सर्वथा उपशान्त हो जाता है, उसे 'उपवास-श्रेणि' कहा जाता है। जिसमें मोह क्षीण होते-होते पूर्ण क्षीण हो जाना है, उसे 'क्षय-श्रेणि' कहा जाता है। उपवास-श्रेणि से मोह का सर्वथा उद्घात नहीं होता, इसलिए यहाँ क्षय-श्रेणि ही प्राप्त है।^१ करण का अर्थ 'परिणाम' है। क्षय-श्रेणि का प्रारम्भ आठवें गुणस्थान से होता है। वहाँ परिणाम-धारा बंसी शूद्र होती है, जैसे पहले कभी नहीं होती। इसलिए आठवें गुणस्थान को 'अपूर्व-करण' कहा जाता है। अपूर्व-करण से जो गुण-श्रेणि प्राप्त होती है, उसे 'करण-गुण-श्रेणि' कहा जाता है।^२ यह जब प्राप्त होती है तब मोहनीय-कर्म के परमाणुओं की स्थिति अल्प हो जाती है और उनका विपाक मन्द हो जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कर्म निर्बीज बन जाता है।

सूत्र ७

५—अनादर को (अपुरस्कारं) :

यहाँ 'अपुरस्कारं'-अपुरस्कार का अर्थ 'अनादर' या 'अवज्ञा' है। यह व्यक्ति गुणवान् है, कभी भूल नहीं करता—इस स्थिति का नाम पुरस्कार है। अपने प्रमादाचरण को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने वाला इससे विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, वही अपुरस्कार है।

६—अनन्त-विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों की परिणतियों को (अणन्तघाहपञ्चवे) :

आत्मा के चार गुण अनन्त हैं—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) वीतरागता और (४) वीर्य। इनके आवारक परमाणुओं को ज्ञानावरण और दर्शनावरण, सम्मोहक प्रमाणुओं को मोह तथा विघातक प्रमाणुओं को अन्तराय-कर्म कहा जाता है। उनकी अनन्त-परिणतियों से आत्मा के अनन्त गुण आवृत्त, सम्मोहित और प्रतिहत होते हैं।

सूत्र १२

७—कायोत्सर्ग—ध्यान की मुद्रा से (काउस्सगोणं) :

सामान्यतया-अध्ययन में कायोत्सर्ग को 'सर्व-दुःख विमोचक' कहा है।^३ शान्त्याचार्य ने कायोत्सर्ग का अर्थ—'आगमोक्त-नीति के अनुसार शरीर को त्याग देना' किया है।^४ क्रिया-विसर्जन और ममत्व-विसर्जन ये दोनों आगमोक्त-नीति के अंग हैं।

१—गृह्य सूत्र, पत्र ५८० .

प्रक्रमात्क्षयकश्रेण्येव गृह्यते ।

२—गृही, पत्र ५७९

करणेन—अपूर्वकरणेन गुणहेतुका श्रेणि. करणगुणश्रेणिः ।

३—उत्तराध्ययन, २६।३८, ४१, ४६, ४९ ।

४—गृह्य सूत्र, पत्र ५८१ :

कायः—शरीरं तस्योत्सर्गः—आगमोक्तनीत्या पत्न्यागः कायोत्सर्गः ।

सूत्र १४

८-स्तव और स्तुति (यवधुह) :

सामान्यत 'स्तुति' और 'स्तव' इन दोनों का अर्थ 'मन्त्र और कृष्णानुपूर्व श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना' है। किन्तु साहित्य-शास्त्र की विशेष परम्परा के अनुसार एक, दो या तीन श्लोक वाली श्रद्धाञ्जलि को 'स्तुति' और तीन से अधिक श्लोक वाली श्रद्धाञ्जलि को 'स्तव' कहा जाता है। कुछ लोग सात श्लोक तक की श्रद्धाञ्जलि को भी स्तुति मानते हैं।^१

सूत्र १५

९-काल-प्रतिलेखना...से (कालप्रतिलेखनवाच) :

श्रमण की दिन-चर्या में काल-अर्थात् का बहुत बड़ा स्थान रहा है। दशवैकालिक में कहा है—“यह सब काम ठीक समय पर करे।”^२ यही बात सूत्ररत्नाम में कही गई है।^३ व्यवहार में बताया गया है—अन्त्याध्याय में स्वाध्याय न किया जाए।^४ काल-काल के प्राचीन साधनों में 'दिक्-प्रतिलेखन' और 'नक्षत्र अबलोकन' भी प्रमुख थे। मुनि स्वाध्याय से पूर्व काल की प्रतिलेखना करते थे। जिन्हें नक्षत्र-विद्या का कुशल ज्ञान होता, वे इन कार्य के लिए निरुक्त होते थे। यांत्रिक षडिओं के अभाव में इस कार्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। विशेष विवरण के लिए देखिए—श्रीधनिर्युक्ति, गा० ६४१-६५४।

सूत्र १६

१०-मार्ग (सम्यक्त्व) (मार्ग) :

सांख्योपनिषद् ने मार्ग के तीन अर्थ किये हैं—(१) सम्यक्त्व,^५ (२) सम्यक्त्व एवं ज्ञान^६ और (३) मुक्ति-मार्ग।^७

मार्ग-फल का अर्थ 'ज्ञान' किया गया है।^८ उत्तरार्धभाष्य (२८।२) में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चारों को 'मार्ग' कहा है। प्रायश्चित्त के प्रकरण में मार्ग का अर्थ सम्यक्त्व अधिक उल्लेखित है। प्रायश्चित्त तपस्या-मय होता है, इसलिये तप उसका परिणाम नहीं हो

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८१ :

एगबुगतिसिलोगा (यद्ब्रजो) अन्नेसि जाय वृत्ति सत्तेव ।

देविदत्तवचनार्थं तेन परं चतुत्तमा होति ॥

२-दशवैकालिक, ५।२।४

काले कालं समाचरे ।

३-सूत्ररत्नाम, २।१।१५

अन्न अन्नकाले, पाण पाणकाले, बन्ध बन्धकाले, लेज लेजकाले, समर्थ समर्थकाले ।

४-व्यवहार सूत्र, ७।१०६ -

नो कथ्यद् निगमंवाण वा निगमंवीज वा असञ्जाए सञ्जायं करितए ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८३ -

मार्ग—इह ज्ञानप्राप्तिहेतु सम्यक्त्वम् ।

६-बही, पत्र ५८३ :

यद्वा मार्ग — चारित्र्यप्राप्तिनिबन्धनतया दर्शनज्ञानाख्यम् ।

७-बही, पत्र ५८३ :

अथवा 'मार्ग' च मुक्तिमार्ग आध्यात्मिकवर्तमानादि ।

८-बही, पत्र ५८३ :

तरफलं च ज्ञानम् ।

सकता ।' चारित्र (आचार-बुद्धि) इसी सूत्र में आगे प्रतिपादित है । बोध-ज्ञान और दर्शन (सम्यक्त्व) दो रहते हैं । उनमें दर्शन 'मार्ग' है और उसकी विबुद्धि से ज्ञान विबुद्ध होता है, इसलिए वह 'मार्ग-फल' है ।

आचार्य बट्टकेर ने श्रद्धान (दर्शन) को प्रायश्चित्त का एक प्रकार माना है ।^१ बृहत्संहिता में उसीके दो अर्थ किए हैं—(१) तंत्र-रहि का परिणाम और (२) क्रोध आदि का परित्याग ।^२

सूत्रकार का आशय यह है कि प्रायश्चित्त से दर्शन की विशिष्ट विबुद्धि होती है । इसलिये ज्ञान और दर्शन को प्रायश्चित्त भी माना जा सकता है और परिणाम भी ।

सूत्र १७

११-सूत्र १७ :

सत्य की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है, जो अभय होता है । भय के हेतु हैं—राग और द्वेष । उनसे वर-विरोध बढ़ता है । वर-विरोध होने पर आत्मा की सहज प्रसन्नता नष्ट हो जाती है । सब जीवों के साथ मैत्री-भाव नहीं रहना । मन भय से भर जाता है । इस प्रकार व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है ।

जो सत्य को पाना चाहता है, उसके मन में राग-द्वेष की गॉंठ हीन नहीं होती । वह सबके साथ मैत्री-भाव रखता है । उसकी आत्मा सहज प्रसन्नता से परिपूर्ण होती है ।^३ उससे प्रमादवश कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है तो वह तुरन्त उसके लिए अनुताप प्रकट कर देता है—क्षमा माँग लेता है । जिस व्यक्ति में अपनी भूल के लिए अनुताप व्यक्त करने की क्षमता होती है, उसी में सहज प्रसन्नता, मैत्री और अभय—ये सभी विकसित होते हैं ।

सूत्र १८

१२-सूत्र १८ :

स्वाध्याय^४ के पाँच प्रकार हैं—

- (१) वाचना—अभ्यापन करना ।^५
- (२) प्रतिपृच्छा—अज्ञात-विषय की जानकारी या ज्ञात-विषय की विशेष जानकारी के लिए प्रश्न करना ।
- (३) परिवर्तना—परिचित-विषय को स्थिर रखने के लिए बार-बार दोहराना ।^६
- (४) अनुप्रेक्षा—परिचित और स्थिर विषय पर चिन्तन करना ।^७
- (५) धर्म-कथा—स्थिरीकृत और चिन्तित-विषय का उपदेश करना ।

१६वें से लेकर २३वें सूत्र तक स्वाध्याय के इन्हीं पाँच प्रकारों के परिणाम बतलाए गए हैं ।

१-सूलाचार, पंचाचाराधिकार, गाथा १६४ ।

पायच्छिस्त त्त तथो, जेण तिसुक्कदि ह्व पुब्बकययावं ।

२-वही, गाथा १६५ ।

३-वही, गाथा १६५ वृत्ति ।

श्रद्धान तस्व-रुचो परिणाम क्रोधादिपरित्यागो वा ।

४-सूचना कीजिए—योग-दर्शन, समाधि-पाठ ३३ ।

मैत्रीकथामुचितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनासंविद्यसंप्रसादनम् ।

५-उत्तराध्ययन, ३०।३४ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८४ :

वाचना—पाठनम् ।

७-वही, पत्र ५८४ :

परावर्तना—गुणनम् ।

८-वही, पत्र ५८४ :

अनुप्रेक्षा—चिन्तनिका ।

सूत्र १६

१३-तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है (तित्थधम्मं अवलम्बइ) :

शान्साचार्य ने तीर्थ के दो अर्थ किए हैं—(१) गणधर और (२) प्रवचन । भगवती में चतुर्विध संघ को 'तीर्थ' कहा गया है ।

गौतम ने पूछा—“अति । तीर्थ को तीर्थ कहा जाता है या तीर्थंकर को तीर्थ कहा जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम । अहंत् तीर्थ नहीं होते, वे तीर्थंकर होते हैं । चतुर्वर्ण श्रमण-संघ—साधु, साध्वी, भ्रातृक और भ्रातृकाओं का संघ—तीर्थ कहलाता है ।”^३

आवश्यक निर्युक्ति में प्रवचन का एक नाम तीर्थ है ।^३ इस प्रकार तीर्थ के तीन अर्थ हुए । इनके आधार पर तीर्थ-धर्म के तीन अर्थ होते हैं—

(१) गणधर का धर्म—शास्त्र-परम्परा को अविच्छिन्न रखना ।^३

(२) प्रवचन का धर्म—स्वाध्याय करना ।^४

(३) श्रमण-संघ का धर्म ।

यहाँ अध्यापन के प्रकरण में प्रथम अर्थ ही उपयुक्त लगता है ।

तीर्थ शब्द की विशेष जानकारी के लिए देखिए—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १०३२-१०५१ ।

सूत्र २०

१४-काङ्क्षा-मोहनीय-कर्म (कस्सामोहणिज्जं कम्म) :

शान्साचार्य ने काङ्क्षा-मोहनीय का अर्थ 'अनाभिग्रहिक-मिथ्यात्व' किया है ।^५ अमयदेव सूरि के अनुसार इसका अर्थ है—मिथ्यात्व मोहनीय ।^५

सत्य की व्याख्या करने वाले अनेक मतवाद हैं । उनके जाल में फँस कर मनुष्य मिथ्या-दृष्टिकोणों की ओर झुक जाता है । इस झुकाव का मुख्य कारण काङ्क्षा-मोहनीय-कर्म होता है । विवाद जानकारी के लिए देखिए—भगवती, १।३ ।

१-भगवती, २०।८

तित्थं अति । तित्थं तित्थगरे तित्थं ? गोयमा । अरहा ताव नियम तित्थगरे, तित्थं पुण चाउक्खमाइन्ने समण सधे, तं जहा समणा समणीओ सावणा साविद्याओ ।

२-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १०४

सुय धम्म तित्थं मग्गो. पावयणं पवयणं च एगट्ठा ।

सुत्तं तंतं गंधो, पादो सत्यं च एगट्ठा ॥

३-बृहद् बृत्ति, पत्र ५८४

तीर्थमिह गणधरस्तस्य धर्म — आचार. श्रुतधर्मप्रदानलक्षणरतीर्थधर्म ।

४-बही, पत्र ५८४

यदि वा तीर्थ—प्रवचनं श्रुतमित्यर्थस्तद्वर्ष.—स्वाध्याय ।

५-बही, पत्र ५८४

काङ्क्षामोहनीय कर्म अनाभिग्रहिकमिथ्यात्ववत् ।

६-भगवती, १।३ बृत्ति :

मोहयतीति मोहनीय कर्म, तच्च चारित्रमोहनीयमपि भवतीति विशेष्यते—काङ्क्षा—अन्याः यवर्षानपह, उक्तलक्षणवाच्यत्वात्
महाविपरिह, ततः काङ्क्षाया मोहनीयं काङ्क्षामोहनीयम्—मिथ्यात्वमोहनीयमित्यर्थ ।

सूत्र २१

१५—व्यंजन-लब्धि को (वंजणलब्धि) :

बृहद् वृत्ति में व्यंजन-लब्धि की कोई व्याख्या नहीं है। 'वंजण-लब्धि च'—इस 'च'कार को वहाँ 'पदानुसारिता-लब्धि' का सूचक बतलाया गया है।^१ एक पद के अनुसार शेष पदों की प्राप्ति हो जाए, उस शक्ति का नाम 'पदानुसारिता-लब्धि' है। इसी प्रकार एक व्यंजन के आधार पर शेष व्यंजनों को प्राप्त करने वाली शक्ति का नाम 'व्यंजन-लब्धि' होना चाहिए।

सूत्र २५

१६—सूत्र २५ :

इस सूत्र में एकाग्र मन की स्थापना (मन को एक अग्र—आलम्बन पर स्थित करने) का परिणाम 'चित्त-निरोध' बतलाया गया है। तिरपनमें सूत्र में बतलाया गया है कि मन-गुप्ति से एकाग्रता प्राप्त होती है। इससे मन की तीन अवस्थाएँ फलित होती हैं—(१) गुप्ति, (२) एकाग्रता और (३) निरोध।

मन को चञ्चल बनाने वाले हेतुओं से उसे बन्धना—सुरक्षित रखना 'गुप्ति' कहलाती है। ध्येय-विषयक ज्ञान की एकतानता 'एकाग्रता' कहलाती है। मन की विकल्प-शून्यता को 'निरोध' कहा जाता है।

महाषि पतञ्जलि ने चित्त के चार परिणाम बतलाए हैं—(१) व्युत्थान, (२) समाधि-प्रारम्भ, (३) एकाग्रता और (४) निरोध। यहाँ एकाग्रता और निरोध तुलनीय हैं।^२

सूत्र २६-२८

१७—सूत्र २६-२८ :

स्थानांग में उपासना के दस फल बताए गए हैं। उनमें से सयम और अनास्रव (अनाश्रव), तप और व्यवधान तथा अक्रिया और सिद्धि का काय-कारण-माला के रूप में उल्लेख है। बौद्ध-दर्शन में बाईस इन्द्रियों मानी गई हैं। उनमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा—इन पाँच इन्द्रियों तथा अज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञाताबीन्द्रिय—इन तीन अन्तिम इन्द्रियों से विद्याद्धि का लाभ होता है, इसलिए इन्हें व्यवधान का हेतु माना गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के बल से क्लेश का विष्कम्भन और आर्य-मार्ग का आवाहन होता है। अन्तिम तीन इन्द्रिय-अनास्रव हैं। निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलम्भ में इनका आधिपत्य है।^३ व्यवधान का अर्थ 'कर्म-क्षय' या 'विद्याद्धि' है। यहाँ निर्जरा के स्थान में इसका प्रयोग हुआ है।

सूत्र २९

१८—सूत्र २९ :

उत्सुकता, निर्दयता, उद्धत मनोभाव, शोक और चारित्र-विकार—इन सबका मूल सुख की आकाङ्क्षा है। उसे छोड़ कर कोई भी व्यक्ति अनुरसुक, दयालु, उपशान्त, अशोक और पवित्र आचरणवाला हो सकता है। उत्सुकता आदि सुख की आकाङ्क्षा के परिणाम हैं। वे कारण के रहते परिस्थित नहीं होते। आवश्यक यह है कि कारण के त्याग का प्रयत्न किया जाए, परिणाम अपने आप त्यक्त हो जाएँगे।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८४ :

वशाब्दाद् व्याजानसमुदायात्मकत्वाद्वा पवस्य सल्लब्धि च पदानुसारितात्मकामुत्पाद्ययति ।

२—पातञ्जल योगदर्शन, ३।९, ३।१२ ।

३—बौद्ध चर्य-दर्शन, पृ० ३२८-३२९ ।

सूत्र ३०

१६—सूत्र ३० :

संग और असंग—ये दो शब्द समाज और व्यक्ति के सूचक हैं। अध्यात्म की भाषा में समुदाय-जीवी वह होता है, जिसका मन संग-सक्त (अनेकता में लित) होता है और व्यक्ति-जीवी या बकेला वह होता है, जिसका मन असंग होता है—फिरी भी बस्तु या व्यक्ति में लित नहीं होता। इसी तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि असंग मन वाला समुदाय में रह कर भी बकेला रहता है और संग-लित मन वाला अकेले में रह कर भी समुदाय में रहता है।

कहा जाता है चित्त चंचल है, अनेकाग्र है। वह किसी एक अग्र (लक्ष्य) पर नहीं टिकता। किन्तु इस मान्यता में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चित्त अपने आप में चंचल या अनेकाग्र नहीं है। उसे हम अनेक विषयों में बाँध देते हैं, तब वह संग-लित बन जाता है और यह संग-लितता ही उसकी अनेकाग्रता का मूल है। अनासक्त मन कभी चंचल नहीं होता और आसक्ति के रहते हुए कभी उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि जितनी आसक्ति उतनी अनेकाग्रता। जितनी अनासक्ति उतनी एकाग्रता। पूर्ण अनासक्ति मन का अस्तित्व समाप्त।

सूत्र ३१

२०—विविक्त-शयनासन (विविक्तसयणासन) :

बाह्य-तप का छठा प्रकार विविक्त-शयनासन है। तीसरे अध्ययन में बताया गया है—एकान्त, आवागमन-रहित और स्त्री-पशु-वर्जित स्थान में शयनासन करने का नाम विविक्त-शयनासन है।^१ बौद्ध-साहित्य में विविक्त स्थान के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—(१) अरण्य, (२) वृक्ष-मूल, (३) पर्वत, (४) कन्दरा, (५) गिरि-गुहा, (६) समान, (७) वन-प्रस्थ, (८) अस्यवकाश और (९) पलाल-पुञ्ज।^२

एकान्त शयनासन करने वाले का मन आत्म-लीन हो जाता है, इसलिए इसे 'संलीनता' भी कहा जाता है।^३ बौद्ध-पिटकों में एकान्तवास के लिए 'प्रति-संलयन' भी प्रयुक्त होता है।^४ औपपातिक में विविक्त-शयनासन के लिए 'प्रतिसंलीनता' का प्रयोग हुआ है।^५ इस प्रकार प्राचीन-साहित्य में एकान्त स्थान या कामोत्तेजक इन्द्रिय-विषयों से वर्जित स्थान के लिए विविक्त-शयनासन-संलीनता, प्रति-संलयन और प्रति-संलीनता—ये शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं।

सूत्र ३२

२१—सूत्र ३२ :

प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दो सापेक्ष शब्द हैं। प्रवर्तन का अर्थ है 'करना' और निवर्तन का अर्थ है 'करने से दूर होना'। जो नहीं करता—मन, बन्धन और काया की प्रवृत्ति नहीं करता, वही व्यक्ति पाप-कर्म नहीं करने के लिए तत्पर होता है। जहाँ पाप-कर्म का कारण नहीं होता, वहाँ पूर्व-अर्जित कर्म स्वयं क्षीण हो जाते हैं। बन्धन आश्रय के साथ ही टिकता है। मंवर होते ही वह टूट जाता है। इसीलिए पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा—ये दोनों सहवर्ती होते हैं।

१—उत्तराध्ययन, ३०।२८।

२—विशुद्धिमग्न बीपिका, पृ० १५५।

'विविक्तमासनं' ति अरञ्जं एककपुल ति आदि नवविधं सेनासनं।

३—उत्तराध्ययन, ३०।८।

४—बुद्धचर्या, पृ० ४६९।

५—औपपातिक, सूत्र १९।

सूत्र ३३

२२—सम्भोग-प्रत्याख्यान (मण्डली-भोजन) का त्याग (संभोगपचक्ष्णोणं) :

श्रमण-संघ में सामान्य प्रथा मण्डली-भोजन (सह-भोजन) की रही है। किन्तु साधना का अग्रिम लक्ष्य है—आत्म-निर्भरता। मुनि प्रारम्भिक व्रता में सामुदायिक-जीवन में रहे और दूनरों का आलम्बन भी प्राप्त करे। फिर भी उसे इस बात की विस्मृति नहीं होनी चाहिए कि उसका अग्रिम लक्ष्य स्वावलम्बन है। स्थानाग में इस जीविका-पम्बन्धी स्वावलम्बन को 'सुख-शय्या' कहा है। उसका संकेत इसी सूत्र में प्राप्त है। चार सुख-शय्याओं में यह दूसरी सुख-शय्या है। उसका स्वरूप दस प्रकार है—कोई व्यक्ति मुण्ड हो कर अगर से अनगारस्व में प्रव्रजित हो कर अपने लाभ से सतुष्ट होता है, दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता; वह दूसरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता हुआ, स्पृहा नहीं करता हुआ, प्रार्थना नहीं करता हुआ, अभिलाषा नहीं करता हुआ, मन में समता को धारण करना हुआ घर्म में स्थिर हो जाता है।^१

सूत्र ३४

२३—उपधि (वस्त्र आदि उपकरणों) के प्रत्याख्यान से (उवहियपचक्ष्णोणं) :

मुनि के लिए वस्त्र आदि उपधि रखने का विधान किया गया है। किन्तु विकास-क्रम की दृष्टि से उपधि-परित्याग को अधिक महत्त्व दिया गया है। उपधि रखने में दो बाधाओं की सम्भावना है—(१) परिमन्य और (२) संक्लेश। उपधि-प्रत्याख्यान से ये दोनों सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं। परिमन्य—उपधि की प्रतिलेखना से जो स्वाध्याय-ध्यान की हानि होती है, वह उपधि के परित्याग से समाप्त हो जाती है।^२ संक्लेश—जो उपधि का प्रत्याख्यान करता है उसके मन में 'मेरा वस्त्र पुराना हो गया है, फट गया है, सूई मॉँग कर लाऊँ, उसे सौँवूँ'—ऐसा कोई संक्लेश नहीं होता। असंक्लेश का यह रूप आचारांग में प्रतिपादित है।^३ मूलाराधना में इसे 'परिकर्म-वर्जन' कहा गया है।^४

सूत्र ३५

२४—आहार-प्रत्याख्यान से (आहारपचक्ष्णोणं) :

आहार-प्रत्याख्यान के दो अर्थ हो सकते हैं—(१) जीवन-पर्यन्त अनशन और (२) निश्चित अवधि-पर्यन्त अनशन।

शान्त्याचार्य ने आहार-प्रत्याख्यान का अर्थ 'अनेषणीय (अयोम्य) भक्त-पान का परित्याग' किया है।^५ किन्तु इसके परिणामों को देखते हुए इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो सकता है।

१—स्थानाग, ४।३।३२५।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८ :

परिमन्यः—स्वाध्यायाविभक्तित्वात्तदभावोऽपरिमन्यः।

३—आचारांग, १।६।३ :

जे अचेले परिबुत्तिए, तत्स जं निवबुत्स को एषं भवह—परिबुत्तो मे बत्वे बत्वं जाइस्तामि, सुत्तं जाइस्तामि, सुद्धं जाइस्तामि, संभित्तामि, सीधित्तामि, उक्कसित्तामि, बुक्कसित्तामि, परिहित्तामि, पाउचित्तामि।

४—मूलाराधना, २।८३ धिजयोवया

याचमतीकमशोबयप्रभात्मनिरनेको हि व्यापारः स्वाध्यायध्यानविज्जकारो अचेलेकस्य सत्त तथेति परिकर्मविचर्ममम्।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८।

आहार-प्रत्याख्यान के दो परिणाम हैं—(१) जीवन की आकाङ्क्षा का विच्छेद और (२) आहार के बिना संकल्प प्राप्त न होना—बाधा का अनुभव न करना । ये परिणाम आहार-त्याग की साधना से ही प्राप्य हैं । एषणीय आहार नहीं मिलने पर उसका जो प्रत्याख्यान किया जाता है, उसमें भी आत्मा का स्वतंत्र भाव है । किन्तु वह योग्य आहार की अप्राप्ति से होने वाला तप है । ममत्व-हानि तथा शरीर और आत्मा के श्रेय-ज्ञान को विकसित करने के लिए जो आहार-प्रत्याख्यान किया जाता है, वह योग्य आहार की प्राप्ति की स्थिति में किया जाने वाला तप है । उससे जीवन के प्रति निर्ममत्व और आहार के अभाव में संकल्प रहित मनोभाव—ये दोनों सहज ही सब जाते हैं । इसलिए आहार-प्रत्याख्यान का मुख्य अर्थ 'साधना के विशेष दृष्टिकोण से तप करना' होना चाहिए ।

सूत्र ३६

२५—कषाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) के प्रत्याख्यान से (कषायपच्चवखाणेषु) :

आत्मा विजातीय रंग में रगी हुई होती है, उसी का नाम 'कषाय' है । कषाय के प्रत्याख्यान का अर्थ है 'आत्मा से विजातीय रंग का धूल जाना' । आत्मा की कषाय-मुक्त स्थिति का नाम है 'बीतरागता' । कषाय और विषमता—इन्हें पर्यायवाची कहा जा सकता है । कषाय से विषमता उत्पन्न होती है, इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि कषाय और विषमता दोनों साथ-साथ उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार बीतरागता और समता भी एक साथ उत्पन्न होती हैं । सुख-दुःख आदि बाहरी स्थितियों में आत्मा की जो विषम अनुभूति होती है, उसका हेतु कषाय है । उसके दूर होते ही आत्मा में बाह्य-स्थिति विषमता उत्पन्न नहीं करती । इस स्थिति को 'बीतरागता' या 'आत्मा की बाह्य वातावरण से मुक्ति' कहा जा सकता है ।

सूत्र ३७-३८

२६—सूत्र ३७-३८ :

इन दोनों सूत्रों में 'अयोगि-दशा' और 'मुक्त-दशा' का निरूपण है । पहले प्रवृत्ति-मुक्ति (योग-प्रत्याख्यान) होनी है फिर शरीर-मुक्ति (शरीर-प्रत्याख्यान) । यहाँ 'योग' शब्द समाधि का वाचक नहीं किन्तु मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का वाचक है । मुक्त होने के क्रम में पहले अयोगि-दशा प्राप्त होती है । उससे नये कर्मों का बन्ध समाप्त हो जाता है—पूर्ण संवर हो जाता है और पूर्व-संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं । कर्म के अभाव में आत्मा शरीर-मुक्त हो जाती है और शरीर-मुक्त आत्मा में अतिशय गुणों का विकास हो जाता है । वह सर्वथा अवर्ण, अगन्ध, अरस और अस्पर्श हो जाती है—अरूपी सत्ता में अवस्थित हो जाती है । अगुरु-लघु, स्थिर-अचगाहना और अघ्नाबाध (सहज सुख)—ये गुण प्रकट हो जाते हैं । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त वीर्य—ये पहले ही प्राप्त हो चुके होते हैं । प्रवृत्ति और शरीर के बन्धन से बंधी हुई आत्मा इसस्तत भ्रमण करती है । किन्तु उन बन्धनों से मुक्त होने पर वह ऊर्ध्व-लोक के अन्तिम छोर पर पहुँच कर अवस्थित हो जाती है, फिर उसके पास गति का माध्यम नहीं होता ।

सूत्र ३९

२७—सहाय-प्रत्याख्यान (दूसरों का सहयोग न लेने) से (सहायपच्चवखाणेषु) :

जो साधु 'गण' या 'सब' में दीक्षित होते हैं, उनके लिए दूसरे साधुओं से सहयोग लेना वर्जित नहीं है । सहाय-प्रत्याख्यान का जो विधान है, वह एक विशेष साधना है । उसे स्वीकार करने के पीछे दो प्रकार का मानस हो सकता है । एक वह जो अपने पराक्रम से ही अपनी जीवन-धर्या का निर्वाह करना चाहता है, दूसरे सहायक का सहारा लेना नहीं चाहता—पराबलम्बी होना नहीं चाहता । दूसरा वह जो सामुदायिक

जीवन के संभावितों में अपनी समाधि को सुरक्षित नहीं पाता। सामुदायिक-जीवन में कलह, क्रोध आदि कषाय और तुर्मतुम—बोझा-सा अपराध होने पर 'तू ने पहले ही ऐसा किया था, तू सदा ऐसा ही करता है', इस प्रकार बार-बार टोकना—ये हो जाते हैं। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी प्रमादवश वे ऐसा कर लेते हैं। इन स्थिति में मानसिक-समाधि उत्पन्न हो जाती है। जो मुनि संघ में रहते हुए भी स्वावलम्बी हो जाता है, किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह समुदाय में रहते हुए भी अकेले का जीवन जीता है। उसे कलह, क्रोध आदि कषाय और तुर्मतुम आदि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इसमें समय और संवर बढ़ता जाता है। मानसिक-समाधि अभंग हो जाती है। सामुदायिक-जीवन में रहते हुए भी अकेला रहने की साधना बहुत बड़ी साधना है।

सूत्र ४०

२८—भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से (भक्तपचचक्राणोणं) :

भक्त-प्रत्याख्यान आमरण-अनशन का एक प्रकार है। इसका परिणाम जन्म-परम्परा का अस्वीकरण है। इसका हेतु आहार-त्याग का दृढ़-अध्यवसाय है।^१ देह का आधार आहार और आहार-विषयक आसक्ति है। आहार की आसक्ति और आहार—दोनों के त्याग से केवल स्थूल देह का ही नहीं, अपितु सूक्ष्म देह का भी बन्धन विधिल हो जाता है। फलतः सहज ही जन्म-मरण की परम्परा अत्य हो जाती है।

सूत्र ४१

२९—सद्भाव-प्रत्याख्यान (पूर्ण संवर रूप शैलेशी) से (सम्भावपचचक्राणोणं) :

सद्भाव-प्रत्याख्यान का अर्थ 'परमार्थ रूप से होनेवाला प्रत्याख्यान' है।^२ इस अवस्था को पूर्ण संवर या शैलेशी, जो चौदहवें गुणस्थान में अयोधो केवली के होती है, कहा जाता है। इससे पूर्ववर्ती सब प्रत्याख्यान इसलिए अपूर्ण होते हैं कि उनमें और प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता जेष रहती है। इस भूमिका में परिपूर्ण प्रत्याख्यान होता है। उसमें फिर किसी प्रत्याख्यान की अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए इसे 'पारमार्थिक-प्रत्याख्यान' कहा गया है। इस भूमिका को प्राप्त आत्मा का फिर से आसव, प्रवृत्ति या बन्धन की भूमिका में प्रवेश नहीं होता, इसलिए इसके परिणाम को 'अनिवृत्ति' कहा गया है। 'अनिवृत्ति' अर्थात् जिस स्थिति से निवर्तन नहीं होता—लौटना नहीं पड़ता।^३ यह शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण है। इस अनिवृत्ति ध्यान की दशा में केवली के जो चार अध्यात्मकर्म विद्यमान रहते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं—यह 'चत्वारि केवलिकम्मसे खवेद्' का भावार्थ है। 'केवलिकम्मसे' शब्द का प्रयोग इस सूत्र के अतिरिक्त अट्ठावनवें और इकसठवें सूत्र में भी हुआ है। 'कम्मसे' शब्द इकहत्तरवें और बृहत्तरवें सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। 'कम्मसे' में जो 'जस' शब्द है, उसका अर्थ कर्म-ग्रन्थ की परिभाषा के अनुसार 'सत्'—विद्यमान है।^४

१—दृढ़-वृत्ति, पत्र ५८९ :

तथाविषयक्याध्यवसायसत्ता संसारस्यत्यागान्नात् ।

२—शैली, पत्र ५८९ :

तत्र सद्भावेन—सर्वथा पुनःकरजासंनवात्परमार्थेन प्रत्याख्यानं सद्भावप्रत्याख्यानं सर्वसंवरक्या शैलेशीतिवाचत् ।

३—शैली, पत्र ५८९ :

न विद्यते निवृत्तिः—नृत्तिमप्राप्य निवर्तनं यस्मिंस्तद् अनिवृत्ति शुक्लध्यानं चतुर्थमेवम्य जनयति ।

४—शैली, पत्र ५८९ :

'कम्मसे' सि कार्मप्रतिकपरिभाषया ऽभाष्यस्य सत्यव्यक्त्यात् सत्कर्माणि केवलिसत्कर्माणि—अयोध्याशैलीनि ज्ञपयति ।

सूत्र ४२

३०—सूत्र ४२ :

शान्त्याचार्य के अनुसार 'प्रतिरूप' वह होता है, जिसका वेश स्वविर-कल्पिक मूनि के सरीखा हो और 'प्रतिरूपता' का अर्थ है 'अधिक उपकरणों का त्याग'।^१ इस सूत्र में अप्रमत्त, प्रकट-लिङ्ग, प्रशस्त-लिङ्ग, विशुद्ध-सम्यक्त्व, समाप्त-सत्त्व-समिति, सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों में विश्वसनीय रूप, अप्रतिलेख, जितेन्द्रिय और विपुलतप-समिति-समन्वागत—ये महत्वपूर्ण पद हैं। बताया गया है कि प्रतिरूपता का परिणाम लाघव है। जो लघुभूत होता है, वह अप्रमत्त आदि हो जाता है। शान्त्याचार्य के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार है—

अप्रमत्त—	प्रमाद के हेतुओं का परिहार करने वाला ।
प्रकट-लिङ्ग—	स्वविर-कल्पिक मूनि के रूप में समझा जाने वाला ।
प्रशस्त-लिङ्ग—	जीव-रक्षा के हेतुभूत रजोहरण आदि को धारण करने वाला ।
विशुद्ध-सम्यक्त्व—	सम्यक्त्व की विशुद्धि करने वाला ।
समाप्त-सत्त्व-समिति—	सत्त्व (पराक्रम) और समिति (सम्यक् प्रवृत्ति) को प्राप्त करने वाला ।
सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों में विश्वसनीय रूप—	किसी को भी पीडा नहीं देने के कारण सबका विश्वास प्राप्त करने वाला ।
अप्रतिलेख—	उपकरणों की अल्पता के कारण अल्प प्रतिलेखन वाला ।
जितेन्द्रिय—	इन्द्रियों को बश में रखने वाला ।
विपुलतप-समिति-समन्वागत—	विपुलतप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला । ^२

प्रतिरूपता के परिणामों को देखते हुए 'प्रतिरूप' का अर्थ 'स्वविर-कल्पिक के सदृश वेश वाला' और 'प्रतिरूपता' का अर्थ 'अधिक उपकरणों का त्याग' सही नहीं लगता। मूलाराधना में अचेल्त्व को 'जिन-प्रतिरूप' कहा है।^३ 'जिन' अर्थात् तीर्थाङ्कर अचेल होते हैं।

'जिन' के समान रूप (लिङ्ग) धारण करने वाले को 'जिन-प्रतिरूप' कहा जाता है। प्रवचनसारोद्धार के अनुसार गच्छ में रहते हुए भी जिन-कल्पिक जैसे आचार का पालन करने वाला 'जिन-कल्पिक-प्रतिरूप' कहलाता है।^४ यहाँ भी प्रतिरूप का अर्थ यही—'जिन के समान वेश

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८९ .

प्रति — सादृश्ये, तत्. प्रतीति — स्वविरकल्पिकादिसदृशं रूपं—वेधो यस्य स तथा तद्भावस्तथा तथा—अधिकोपकरणपरिहार-रूपया ।

२-बही, पत्र ५८९-५९० :

'अप्रमत्तः' प्रमादहेतुना परिहारत इतरेषां चाधीकरणतः, तथा 'प्रकटलिङ्ग' स्वविरादिकल्पिकेण प्रतीति विज्ञायमानत्वात्, 'प्रशस्तलिङ्ग' जीवरक्षणहेतु. रजोहरणादिधारकत्वाद्, 'विशुद्धसम्यक्त्व' तथाप्रतिपत्त्या सम्यक्त्वविशोधनात्, तथा 'सत्त्वं च'—आपत्त्ववैकल्पिकरमध्यवसानकर च, 'समितयवच'—उक्तत्वात्, 'समाप्ता'—परिपूर्णा यस्य स समाप्तसत्त्वसमिति, सूत्रे निष्ठान्तस्य प्राकृतस्वात्परनिपात्, तत् एव सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु विश्वसनीयत्वेन. तत्पीडापरिहारित्वात्, 'अप्रतिलेख' स्ति अल्पार्थे नञ्, ततोऽप्रत्युपेक्षित इत्यल्पोपकरणत्वात्प्रत्युपेक्ष. पठ्यते च—'अल्पपत्रिलेहि' स्ति जित्तानि—बलीकृतानि यत्तिरुम्भितिसत्यपात्कचिद्-परिणामाभ्यायारवेऽपीन्द्रियाणि येन स तथा, विपुलेन—अनेकमेवतया विस्तीर्णनं तस्य स समितिरिन्द्रिय सर्वविषयानुगतत्वेन विपुलानिरेव समन्वागतो—युक्तो विपुलतप.समितिसमन्वागतश्चापि भवति ।

३-मूलाराधना, २।६५ .

जिन पत्रिकम् बीरियायारो ।

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५४०, वृत्ति पत्र १२७ .

जिनकल्पिकप्रतिरूपो गच्छे ।

बाला' यानि जिन-कल्पिक होना चाहिए। अप्रमत्त आदि सारे विशेषणों पर विचार किया जाए तो यही अर्थ संगत लगता है। मूलाराधना में अचेलकता के जो गुण बतलाए हैं वे इस सूत्र के अप्रमत्त आदि विशेषणों के बहुत निकट हैं—

उत्तराध्ययन	मूलाराधना
(१) प्रतिरूपता का कल—लाघव	अचेलकता का एक गुण—लाघव ^१
(२) अप्रमत्त	विषय और देह सुखों में अनादर ^२
(३) प्रकट-लिङ्ग	तन्मता-प्राप्त ^३
(४) प्रशस्त-लिङ्ग	प्रशस्त-लिङ्ग ^४ (अचेलकता उगी के लिए विहित है जिसका लिंग प्रशस्त है)
(५) विशुद्ध-सम्यक्त्व	रागादि दोष-परिहरण ^५
(६) समाप्त-सत्त्व-समिति	वीर्याचार ^६
(७) सर्व प्राण-भूत-जीव-मत्त्वों में विश्वसनीय रूप	विश्वासकारी रूप ^७
(८) अप्रतिलेख	अप्रतिलेखन ^८
(९) जितेन्द्रिय	सर्व-समित-करण (इन्द्रिय) ^९
(१०) विपुलतप समिति-समन्वागत	परीषह-सहन ^{१०}

उक्त तुलना से प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेलता' ही प्रमाणित होता है। अचेर को सचेल की अपेक्षा बहुत अप्रमत्त रहना होता है। उसके पास विकार को छिपाने का कोई साधन नहीं होता। जो अचेर होता है, उसका लिङ्ग सहज ही प्रकट होता है। अचेल उगी को होना चाहिए, जिसका लिङ्ग प्रशस्त हो—विकृत आदि न हो। अचेल व्यक्ति का सम्यक्त्व—देह और आत्मा का भेद-ज्ञान—विशुद्ध होता है। समाप्त-सत्त्व-समिति—अचेल सत्त्व प्राप्त होता है अर्थात् अभय होना है। इसको तुलना मूलाराधना (२।८३) के 'गन-भयत्वं' शब्द से भी हो सकती है। समिति का अर्थ 'विविध प्रकार के आसन करने वाला' हो सकता है। अचेर को निर्विकारना प्रशस्त होती है, इसलिए वह सबका विश्वासपात्र होता है। अप्रतिलेखन अचेलता का महज परिणाम है। अचेलता से जितेन्द्रिय होने की प्रवृत्ति प्रेरणा मिलती है। अचेल होना एक प्रकार का तप है। तन्मता, शीत, उष्ण, दश-मशक— ये परीषह सचेल की अपेक्षा अचेल को अधिक सहने होने हैं, इसलिए उनके विपुल तप होता है। इस प्रकार सारे पदों में एक शृङ्खला है। उनसे अचेलकता के साथ उनकी कड़ी जुड़ जाती है। यहाँ मूलाराधना (२।७३ में ८६ तक) की गाथाएँ और उनकी विजयोद्घा वृत्ति मननीय है।

स्थानांग में पाँच कारणों—(१) अप्रतिलेखन, (२) प्रशस्त लाघव, (३) वैश्वासिक रूप (४) तप-उत्तारण-सलीनता और (५) महान् इन्द्रिय-निग्रह से अचेलक को प्रशस्त कहा है।^{११}

ये पाँचों कारण प्रतिरूपता के परिणामों में आए हुए हैं। उन प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेलकता' करने में बहुत बड़ा आधार प्राप्त होता है।

१—मूलाराधना, २।८३।

२—वही, २।८४।

३—वही, २।८६।

४—वही, २।७७।

५—वही, २।८५।

६—वही, २।८५।

७—वही, २।८४।

८—वही, २।८३।

९—वही, २।८६।

१०—वही, २।८५।

११—स्थानांग, ५.४५५।

पंचहिं ठाणेहिं अचेलए पसत्वे भवति, तः—अप्या पडिलेहा, लाघविए पसत्वे, कवे वेसासिए, तवे अगुन्नाते, चिउले इचियनिगहे।

सूत्र ४३

३१-सूत्र ४३ :

तीर्थस्नान-पव-प्राप्ति के नीचे हेतु बतलाए गए हैं। उनमें एक वैशाख-सेवा भी है। देखिए—जाताधर्मकथा, अध्ययन ८।

सूत्र ४४

३२-सर्व-गुण-सम्पन्नता से (सर्वगुणसंपन्नयाए) :

आत्म-मुक्ति के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र—ये तीन गुण प्रयोजनीय होते हैं। जब तक निरावरण ज्ञान, पूर्ण दर्शन (क्षायिक सम्यक्त्व) और पूर्ण चारित्र (सर्व संवर) की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सर्वगुण-सम्पन्नता उपलब्ध नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है कि कोरे ज्ञान, दर्शन या चारित्र की पूर्णता से मुक्ति नहीं होती। किन्तु जब तीनों परिपूर्ण होते हैं, तभी वह होती है। पुनरावर्तन, शारीरिक और मानसिक दुःख—ये सब गुण-विकलता के परिणाम हैं। सर्व-गुण-सम्पन्नता होने पर ये नहीं होते।

सूत्र ४५

३३-सूत्र ४५ :

'बीतराग' स्नेह और तृष्णा की बंधन-परम्परा का विच्छेद कर देता है। पुत्र आदि में जो प्रीति होती है, उसे स्नेह और घन आदि के प्रति जो लालसा होती है, उसे 'तृष्णा' कहा जाता है। स्नेह और तृष्णा की परम्परा जनरोत्तर बढ़ती रहती है, इसलिए इनके बंधन को अनुबन्धन कहा गया है।

सूत्र ४६

३४-क्षमा से (खन्तीए) :

शान्त्याचार्य ने क्षान्ति का अर्थ 'क्रोध-विजय' किया है।^१ इस अर्थ के अनुसार यहाँ उन्हीं परीषहों पर विजय पाने की स्थिति प्राप्त है जो क्रोध-विजय से संबंधित हैं।^२ क्रोधी मनुष्य गाली, बध आदि को नहीं सह सकता। क्रोध पर विजय पाने वाला उन्हें सह लेता है। शान्ति का अर्थ यदि 'सहिष्णुता' किया जाए तो परीषह-विजय का अर्थ व्यापक हो जाता है। सहिष्णुता से सभी परीषहों पर विजय पाई जा सकती है। केवल गाली और बध पर ही नहीं।

सूत्र ४८

३५-सूत्र ४८ :

माया और असत्य तथा ऋजुता और सत्य का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इस सूत्र में ऋजुता के चार परिणाम बतलाए गए हैं—
(१) काया की ऋजुता, (२) भाव की ऋजुता, (३) भाषा की ऋजुता और (४) अधिमंवादन।

ऋजुता का परिणाम ऋजुता कैसे हो सकता है, सहज ही यह प्रश्न होता है। उसका समाधान स्थानाग के एक सूत्र में मिलता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९० .

क्षान्तिः—क्रोधजयः ।

२-बही, पत्र ५९० :

'परीषहाय' अर्थात् बधाहीन अवति ।

वहाँ कहा गया है—सत्य के चार प्रकार होते हैं—(१) काया की ऋजुता, (२) भाषा की ऋजुता, (३) भाव की ऋजुता और (४) अविसंवादन योग ।^१

काया की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली काया की प्रवृत्ति । वेष-परिवर्तन, अंग-विकार आदि का अकरण ।

भाषा की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली वाणी की प्रवृत्ति । उपहास आदि के निमित्त वाणी में विकार न लाना ।

भाव की ऋजुता— जैसा मानसिक चिन्तन हो वैसा ही प्रकाशित करना ।

अविसंवादन-योग— किसी कार्य का संकल्प कर उसे करना । दूसरों को न ठगना ।

इस सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋजुता का परिणाम सत्य है ।

सूत्र ४९

३६-सूत्र ४९ :

शान्ति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव—ये चारो क्रमशः क्रोध, लोभ, माया और मान की विजय के परिणाम हैं । देखिए—सूत्र ६७-७० ।

जिसमें मार्दव का विकास होता है, वह जानि, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य—इन आठ मद-हेतुओं पर विजय पा लेता है ।

सूत्र ५०-५२

३७-सूत्र ५०-५२ :

भाव-मत्य का अर्थ अन्तरात्मा की सचाई है । सत्य और शुद्धि में कार्य-कारण-भाव है । भाव की सचाई से भाव की विशुद्धि होती है । बाबनवे सूत्र में योग-सत्य का उल्लेख है । उसका एक प्रकार मन-सत्य है । सहज ही भाव और मन का भेद समझने की जिज्ञासा होती है । इन्द्रिय से सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म भाव (आत्मा का आन्तरिक अध्यवसाय) होता है । मन के परिणाम को भी भाव कहा जाता है किन्तु प्रकरण के अनुसार यहाँ इसका अर्थ अन्तर-आत्मा ही सगन है ।

करण-सत्य का सम्बन्ध भी योग-मत्य से है । करने का अर्थ है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति । फिर भी करने की विशेष स्थिति को लक्ष्य कर उसे योग-सत्य से पृथक् बनलाया गया है । करण-सत्य का अर्थ है विहित कार्य को सम्यक् प्रकार से और तन्मय होकर करना । योग-सत्य का अर्थ है—मन, वचन और काया को अवितथ स्थिति में रखना ।

इन तीन सूत्रों में विशेष चर्चनीय पद 'परलोकधम्मस्स आराहए' और 'करणसत्ति' हैं । परलोक-धर्म की आराधना का अर्थ यह है कि भाव-सत्य से आगामी जन्म में भी धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है ।

करण-शक्ति का अर्थ है—वैसा कार्य करने का सामर्थ्य जिसका पहले कभी अध्यवसाय या प्रयत्न भी न किया गया हो । करण-सत्यता और करण-शक्ति के अभाव में ही कथनी और करनी में अन्तर होता है । उन दोनों के विकसित होने पर मनुष्य 'यथावादी तथाकारी' बन जाता है ।

१-स्थानांग, ४।१।२५४ ।

वउज्जिहे सक्के पं० सं०— काउउज्जुयया, नाउउज्जुयया, भाउउज्जुयया, अविसंवायणाओगे ।

सूत्र ५३-५५

३८—सूत्र ५३-५५ :

इन तीन सूत्रों में गुप्ति के परिणामों का निरूपण है। गुप्तियों तीन हैं—(१) मन-गुप्ति, (२) वचन-गुप्ति, और (३) काय-गुप्ति।

जो समित (सम्यक्-प्रवृत्त) होता है, वह नियमन गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित हो भी सकता है और नहीं भी। अक्रुशल मन का निरोध करने वाला मनोगुप्त ही होता है और कुशल मन की प्रवृत्ति करने वाला मनोगुप्त भी होता है और समित भी। इसी प्रकार अक्रुशल वचन और काया का निरोध करने वाला वचो-गुप्त और काय-गुप्त ही होता है तथा कुशल वचन और काया की प्रवृत्ति करने वाला वचन-गुप्त और काय-गुप्त भी होता है और समित भी।

अक्रुशल मन का निरोध और कुशल मन की प्रवृत्ति का परिणाम एकाग्रता है। एकाग्रता में चित्त का निरोध नहीं होता किन्तु उसकी प्रवृत्ति अनेक आलम्बनों से हटकर एक आलम्बन पर टिक जाती है। जब एकाग्रता का अभ्यास पूर्ण परिपक्व हो जाता है तब चित्त का निरोध होता है। देखिए—सूत्र २५।

अक्रुशल वचन के निरोध और कुशल वचन की प्रवृत्ति का परिणाम निर्विकार—विक्रिया से मुक्त होना है। 'निर्विकार' का अर्थ यदि निर्विचार किया जाए तो वचन-गुप्ति का अर्थ मौन करना चाहिए। बोलने की इच्छा से विचार उत्तेजित होते हैं और मौन से विचार-शून्यता प्राप्त होती है और आत्म-लीनता बढ़ती है।

काय-गुप्ति का परिणाम सबर बतलाया गया है। यहाँ प्रकरण के अनुसार सबर का अर्थ 'अक्रुशल कायिक प्रवृत्ति से संपुष्प आलस्य का निरोध' होना चाहिए। जब अक्रुशल आलस्य का संवरण होता है तब हिंसा आदि पापात्म्य निवृत्त होने लग जाते हैं। प्रवृत्ति का मुख्य केन्द्र काया है। इसलिए आलस्य और सबर का भी उसके साथ गहरा सम्बन्ध है।

जिनभद्रगणि के अनुसार मुख्य योग एक ही है। वह है काय-योग।^१ वचन-योग और मनोयोग के योग्य-मुद्गलों (भाषावर्गणा और मनोवर्गणा) का ग्रहण काय-योग से ही होता है। उसके स्थिर होने पर सहज ही संवर हो जाता है। काया की चञ्चलता या आलस्यभिमूलता के बिना वचन-व्यापार और मन की चञ्चलता स्वयं समाप्त हो जाती है।

सूत्र ५६-५८

३९—सूत्र ५६-५८ :

इन तीन सूत्रों में समाधारणा का निरूपण है। समाधारणा का अर्थ है—सम्यग्-व्यवस्थापन या सम्यग्-नियोजन। उसके तीन प्रकार हैं—(१) मन-समाधारणता—मन का ध्यान में व्यवस्थापन या नियोजन^२, (२) वच-समाधारणता—वचन का स्वाध्याय में व्यवस्थापन या नियोजन^३ और (३) काय-समाधारणता—काया का चारित्र्य की आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन^४।

१—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३५९ :

किं पुन तणुसंरंभेण जेण मुंचह स बाहओ जोगो ।

मण्णह य स माणसिओ, तणुजोगो खेप य च्चिन्तो ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९९ :

मनसः समिति—सम्यग् आङ्गिति—मर्यादयाऽगमानिहितभाषाभिख्याख्याऽवधारणा—व्यवस्थापनं मन-समाधारणा तथा ।

३—बही, पत्र ५९२ .

'धामसमाधारणया' स्वाध्याय एव चाग्निवेशमारिमकथा ।

४—बही, पत्र ५९२ ।

'कायसमाधारणया' संयमयोगेऽनु शरीरस्य सन्मन्यवस्थापनरूपया ।

मन को ज्ञान (तत्त्वोपासना) में लीन करने से एकाग्रता उत्पन्न होती है। उससे ज्ञान-पर्यव (ज्ञान के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर रूप) उचित होते हैं। उन ज्ञान-पर्यवों के उदय से सम्यग् दृष्टिकोण प्राप्त होता है और मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होता है। वचन को स्वाध्याय (शब्दोपासना) में लगाने से प्रज्ञापनीय दर्शन पर्यव विशुद्ध बनते हैं—अन्यथा निरूपण नहीं हो पाता। दर्शन की विशुद्धि ज्ञान-पर्यवों के उदय से हो जाती है। इसीलिए यहाँ वाक्-साधारण अर्थात् वचन के द्वारा प्रतिपादनीय-दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि ही अभिप्रेत है। वाक्-साधारण दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि से सुलभ-बोधिता प्राप्त और दुर्लभ-बोधिता क्षीण होती है।

काया को सयम की विविध प्रवृत्तियों (चारित्र्योपासना) में लगाने से चारित्र के पर्यव विशुद्ध होते हैं। उनकी विशुद्धि होते-होते वीतराग-चारित्र्य प्राप्त होता है और अन्त में मुक्ति।

सूत्र ५९-६१

४०—सूत्र ५९-६१ :

पूर्ववर्ती तीन सूत्रों में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के पर्यवों की शुद्धि की समाधारणा का परिणाम बतलाया गया है और इन तीन सूत्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न होने का परिणाम बतलाया गया है।

ज्ञान-सम्पन्नता—यहाँ ज्ञान का अर्थ 'श्रुत (शास्त्रीय) ज्ञान' है। श्रुत-ज्ञान से सब भावों का अधिगम (ज्ञान) होता है। इसका समर्थन नदी से भी होता है।^१

'संघायणिज्जे'—जो श्रुत-ज्ञान-सम्पन्न होता है, उसके पाम स्व-समय और पर-समय के विद्वान् व्यक्ति आते हैं और उनसे प्रश्न पूछकर अपने सहाय उच्छिन्न करते हैं। इसी दृष्टि से श्रुत-ज्ञानी को 'संघातनीय'—जन-मिलन का केन्द्र कहा गया है।^२

शैलेशी—शैलेशी शब्द शिला और शील इन दो रूपों से व्युत्पन्न होता है

(१) 'शिला' से शील और 'शैल+ईश' में शैलेश होता है। शैलेश अर्थात् मेघ-पर्वत। शैलेश की भाँति अत्यन्त स्थिर अवस्था को शैलेशी कहा जाता है। 'शैलेशी' का एक संस्कृत रूप शैलेशि भी किया गया है। जो ऋषि शैल की तरह सुन्धिय होता है, वह शैलेशि कहलाता है।

(२) शील का अर्थ समाधान है। जिस व्यक्ति को पूर्ण समाधान मिल जाता है—पूर्ण सबर की उपलब्धि हो जाती है, वह 'शील का ईश' होता है। शील+ईश=शैलेश। शैलेश की अवस्था को शैलेशी कहा जाता है।^३ शैलेशी का प्रयोग इकतालिसवें सूत्र में भी आ चुका है।

सूत्र ७१

४१—सूत्र ७१ :

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विराधना राग, द्वेष और मिथ्या-दर्शन से होती है। इन पर विजय प्राप्त करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य की आराधना स्वयं प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करता है, वह आठ कर्मों में जो कर्म-ग्रन्थि—धाति-कर्म का समुदय है, उसे तोड़ डालता है। वह सर्वप्रथम मोहनीय-कर्म की अठाईय प्रकृतियों को क्षीण करता है। क्षीण करने का क्रम इस प्रकार है—वह सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के बहुल भाग को अन्तर्मूर्त में एक-साथ क्षीण करता है और उसके अनन्तर्व भाग

१—नेदी, सूत्र ५७.

तस्य वचनो जं सुयमाणी उचउत्ते सखदग्वाहं जाणइ पासइ, जित्तओ जं सुयमाणी उचउत्ते सख केत्तं जाणइ पासइ, कालओ जं सुयमाणी उचउत्ते सख कालं जाणइ पासइ, भावओ जं सुयमाणी उचउत्ते सखे भावे जाणइ पासइ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५१३

स्वसमयपरसमययो. संघातनीयः—प्रमाणपुरुषतया मीलनीय स्वसमयपरसमयसंघातनीयो भवति, इह च स्वसमयपरसमयतन्वाभ्यां तद्वेदिनः पुरुषा उच्यन्ते, तेज्जेष सहायादिव्यवच्छेदाय मीलनसमवात्।

३—विशेषाचार्यक भाष्य, ३६८३-३६८५।

को मिथ्यात्व के पुद्गलों में प्रक्षिप्त कर देना है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ मिथ्यात्व के बहुल भाग को क्षीण करता है और उसके अंश को सम्यग्-मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ सम्यक्-मिथ्यात्व को क्षीण करता है। इसी प्रकार सम्यग्-मिथ्यात्व के अंश सहित सम्यक्त्व-मोह के पुद्गलों को क्षीण करता है। तत्पश्चात् सम्यक्त्व-मोह के अवशिष्ट पुद्गलों सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान-चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) को क्षीण करना शुरु कर देता है। उसके क्षय-काल में वह दो गति (तरक गति और तिर्यंच गति), दो आनुपूर्वी (नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी), जाति-चतुष्क (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) आतप, उद्योत, स्वावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण, अपर्याप्त, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला और सत्यानादि को क्षीण करता है। फिर इनके अपशेष को नपुंसक-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशेष को स्त्री-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशिष्ट अंश को हास्यादि-षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा) में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। मोहनीय-कर्म को क्षीण करने वाला यदि वह पुरुष होता है तो पुरुष-भेद के दो खण्डों को और यदि स्त्री या नपुंसक होता है तो वह अपने-अपने वेद के दो-दो खण्डों को हास्यादि षट्क के अवशिष्ट अंश सहित क्षीण करता है। फिर वेद के तृतीय खण्ड सहित संज्वलन क्रोध को क्षीण करता है। इसी प्रकार पूर्वांश सहित संज्वलन मान, माया और लोभ को क्षीण करता है।^१

यंत्र देखिए—

क्षय	अवशिष्ट अंश का प्रशेष
(१) अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ)	मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(२) पूर्वांश सहित मिथ्यात्व	सम्यग्-मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(३) पूर्वांश सहित सम्यग्-मिथ्यात्व	सम्यक्त्व के पुद्गलों में
(४) पूर्वांश सहित सम्यक्त्व	अप्रत्याख्यान-चतुष्क और प्रत्याख्यान-चतुष्क में
(५) पूर्वांश सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क	नपुंसक-वेद में
(६) पूर्वांश सहित नपुंसक वेद	स्त्री-वेद में
(७) पूर्वांश सहित स्त्री-वेद	हास्यादि षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा) में
(८) पूर्वांश सहित हास्यादि षट्क	पुरुष-वेद के दो खण्डों में
(९) पूर्वांश सहित पुरुष-वेद के दो खण्ड	तृतीय खण्ड के संज्वलन क्रोध में
(१०) पूर्वांश सहित संज्वलन क्रोध	संज्वलन मान में
(११) पूर्वांश सहित संज्वलन मान	संज्वलन माया में
(१२) पूर्वांश सहित संज्वलन माया	संज्वलन लोभ में
(१३) पूर्वांश सहित संज्वलन लोभ	□

संज्वलन लोभ के फिर सख्येय खण्ड किए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक अन्तर्मुहूर्त में क्षीण किया जाता है। उनका क्षय होते-होते उनमें से जो चरम खण्ड बचना है उसके फिर असख्य सूक्ष्म खण्ड होते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समय में क्षीण किया जाता है। उनका चरम खण्ड भी फिर अमंथ्य सूक्ष्म खण्डों की रचना करता है। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक एक समय में क्षीण किया जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। उसके क्षीण होने पर यथास्थित या बीतराग-चारित्र्य की प्राप्ति होती है। वह अन्तर्मुहूर्त तक रहता है। उसके अन्तिम दो समय जब शेष होते हैं, तब पहले समय में निद्रा, प्रचला, देव-गति, आनुपूर्वी, वैक्रिय-शरीर, वज्र-ऋषभ को छोड़कर शेष सब सहनन, संस्थान, तीर्थङ्कर-नाम कर्म और आहारक-नाम कर्म क्षीण होते हैं। चरम समय में जो क्षीण होता है वह सूत्र में प्रतिपादित है, जैसे— पंचविध ज्ञानावरणीय, नव-विध दर्शनावरणीय और पंच-विध अन्तराय—ये सारे एक ही साथ क्षीण होते हैं। इस प्रकार चारो घाति-कर्मों के क्षीण होते ही निरावरण ज्ञान—केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन का उदय हो जाता है।

केवली होने के पश्चात् मबोपग्राही (जीवन चारण के हेतुभूत) कर्म शेष रहते हैं, तब तक वह इस संसार में रहता है। इसकी काल-समीक्षा अकथ्यतः अन्तर्भूत और उत्कृष्टतः वेद-ऊन (नौ वर्ण कर्म) करोड पूर्व की है। इस अवधि में केवली जब तक सयोगी (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति युक्त) रहता है, तब तक उसके 'ईयापथिक-कर्म' का बन्ध होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है। उसका बन्ध गाढ़ नहीं होता—निश्चल और निकाशित बन्धस्थायें नहीं होतीं। इसीलिए उसे 'बद्ध और स्पृष्ट' कहा है। जिस प्रकार घटा आकाश से स्पृष्ट होता है, उसी प्रकार ईयापथिक-कर्म केवली की आत्मा से बद्ध-स्पृष्ट होता है। जिस प्रकार चिकनी भिलि पर फेंकी हुई धूलि उससे स्पृष्ट मात्र होती है, उसी प्रकार ईयापथिक-कर्म केवली की आत्मा से स्पृष्ट मात्र होता है। प्रथम समय में वह बद्ध-स्पृष्ट होता है और दूसरे समय में वह उदीरित^२—उदय-प्राप्त और वेदित—अनुभव-प्राप्त होता है। तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है और चौथे समय में वह अकर्म बन जाता है—फिर वह उस जीव के कर्म-रूप में परिणत नहीं होता।

सूत्र ७२-७३

४२—सूत्र ७२-७३ :

केवली का जीवन-काल जब अन्तर्भूतं मात्र शेष रहता है, तब वह योग-निरोध (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध) करता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—शुक्ल-ध्यान के नृतीय चरण (सूक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपालि) में वर्तता हुआ वह सर्व प्रथम मनोयोग का निरोध करता है। प्रति समय मन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर वचन-योग का निरोध करता है। प्रति समय वचन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर उच्छ्वास-निश्वास का निरोध करता है। प्रति समय काय-योग के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असंख्य समयों में उसका पूर्ण (उच्छ्वास-निश्वास सहित) निरोध कर पाता है। औपपातिक में उच्छ्वास-निश्वास-निरोध के ध्यान पर काय-योग के निरोध का उल्लेख है।^३

मुक्त होने वाला जीव शरीर की अवगाहना का तीसरा भाग जो पोला होता है, उसे पूरित कर देता है^४ और आत्मा की शेष दो भाग जितनी अवगाहना रह जाती है।^५ यह क्रिया काय-योग-निरोध के अन्तराल में ही निष्पन्न होती है।^६

योग-निरोध होते ही अयोगी या ईश्वरी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसे 'अयोगी गुणस्थान' भी कहा जाता है। न बिलम्ब से और न शीघ्रता से, बिना मध्यम-भाव से पाँच लक्ष-वृक्षों (—अ, इ, उ, ऋ, लृ) का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय तक

१—विशेष जानकारी के लिए देखिए—सूत्रवृत्तांग, २।२, शेषवर्ष क्रिया स्थान।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९६

उदीरित का अर्थ उदय-प्राप्त है। किन्तु उदीरणा के द्वारा उदय-प्राप्त नहीं है। क्योंकि वहाँ उदीरणा होती ही नहीं—'उदीरणाया स्तप्राप्तमवात'।

३—औपपातिक, सूत्र ४३।

४—विशेषाद्ययक भाष्य, गाथा ३६३६

वेहतिमागो सुसिरं, त्पूरवओ तिमागहीणोसि।

से ओगनिरोहेष्विष्य, जाओ सिद्धोषि तववत्थो ॥

५—(क) उत्तराध्यायन, ३६।६४।

(ख) औपपातिक, सूत्र ४३।

६—(क) विशेषाद्ययक भाष्य, गाथा ३६६१ :

'वेह तिमागं व मुंचवतो'।

(ख) वही, गाथा ३६६२

'सन्मई त काय-योग'।

अयोगी-अवस्था रहती है। उस अवस्था में शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण—'सबुद्धिमान-क्रिय-अनिवृत्ति' नामक ध्यान होता है। यहाँ चार अभ्यास या मनोपग्राही-कर्म एक साथ क्षीण हो जाते हैं। उसी समय औद्योगिक, तंत्रज्ञ और कार्यम शरीर को सर्वथा छोड़ कर ऊर्ध्व-लोकान्त तक चला जाता है।

यहाँ मूलपाठ में 'ओरासिय-कम्माद्' इतना ही है। तेजस का उल्लेख नहीं है। बृहद् वृत्तिकार ने उल्लेख से उसका स्वीकार किया है १^१ औपपातिक में तंत्रज्ञ-शरीर का प्रत्यक्ष ग्रहण है १^२

गति दो प्रकार की होती है—(१) ऋजु और (२) बक। मुक्त-जीव का ऊर्ध्व-गमन ऋजु योगी (ऋजु आकाश प्रवेश की गति) से होता है, इसलिए उसकी गति ऋजु होती है। वह एक क्षण में ही सम्पन्न हो जाती है।

गति के पाँच भेद बतलाए गए हैं—(१) प्रयोग गति, (२) तल गति, (३) बन्धन-छेदन गति, (४) उपपन्न गति और (५) विहायो गति। विहायो गति १७ प्रकार की होती है। उसके प्रथम दो प्रकार हैं—(१) स्पृशद् गति और (२) अस्पृशद् गति।^३ एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गलों व स्क्वों का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को 'स्पृशद् गति' कहा जाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु पुद्गलों व स्क्वों का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को 'अस्पृशद् गति' कहा जाता है।^४

मुक्त-जीव अस्पृशद् गति से ऊपर जाता है। शान्त्याचार्य के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह नहीं है कि वह आकाश-प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता, किन्तु उसका अर्थ यह है कि वह मुक्त जितने आकाश-प्रदेशों में अवगाढ़ होता है, उतने ही आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता है। उनसे अतिरिक्त प्रदेशों का नहीं^५, इसलिए उसे 'अस्पृशद् गति' कहा गया है।

अभ्यवेद सूत्र के अनुसार मुक्त-जीव अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चला जाता है। यदि अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता हुआ वह ऊपर जाए तो एक समय में वह यहाँ पहुँच ही नहीं सकता।^६ इसके आधार पर अस्पृशद् गति का अर्थ होना—'अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना मोक्ष तक पहुँचने वाला'।

आवश्यक चूर्ण के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह होगा कि मुक्त-जीव दूसरे समय का स्पर्श नहीं करता, एक समय में ही मोक्ष स्थान तक पहुँच जाता है।^७ किन्तु 'एग समएणं अविगहेणं' पाठ की उपस्थिति में यह अर्थ यहाँ अविश्रित नहीं है।

शान्त्याचार्य और अभ्यवेद सूत्र द्वारा कृत अर्थ इस प्रकार है—(१) मुक्त-जीव स्वावगाढ़ आकाश-प्रदेशों से अतिरिक्त प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता हुआ गति करता है और (२) अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही गति करता है। ये दोनों ही अर्थ घटित हो सकते हैं।

उपयोग दो प्रकार का होता है—(१) साकार और (२) अनाकार। जीव साकार-उपयोग अर्थात् ज्ञान को धारा में ही मुक्त होता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९७

औद्योगिककर्मणो शरीरे उपलक्षणस्यासौजस च।

२-औपपातिक, सूत्र ४३।

३-प्रज्ञापनापद, १६।

४-वही, १६।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९७ :

अस्पृशद्गतिरिति, नायमर्थो यथा नायमाकाशप्रदेशान् स्पृशति अपि तु यास्तु जीवोऽवगाहस्वावस एव स्पृशति न तु ततोऽ-तिरिक्तमेकमपि प्रदेशान्।

६-औपपातिक, सूत्र ४३, वृत्ति पृ० २१६

अस्पृशती—सिद्धयन्तरालप्रदेशान् गतिर्यस्य सोऽस्पृशद्गतिः, अन्तरालप्रदेशस्पर्शाने हि नैकेन समयेन सिद्धिः, इत्यन्ते च तत्रैव एव समयः, य एव चायुष्काधिकर्मणा कयसमयः स एव निर्वाणसमयः, अतोऽन्तराले समयान्तरस्थाआकाशान्तरालप्रदेशानामसंस्पर्शानिति

७-आवश्यक चूर्णं .

अकृतमावगती वितियं समयं न कुसति (अभिधान राजेश, भाग १, पृ० ६७५)।

अभ्ययन ३०

तवमग्गई

श्लोक ७

१—बाह्य और आभ्यन्तर (बाहिरम्भन्तरो ष) :

स्वरूप और सामग्री के आधार पर तप को दो भागों में विभक्त किया गया है—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । बाह्य-तप—
अनशन आदि—निम्न कारणों से बाह्य-तप कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा होती है—अथान आदि द्रव्यों का त्याग होता है,
- (२) वे सर्व-साधारण के द्वारा तपस्या के रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर अधिक होता है और
- (४) वे मुक्ति के बहिरंग कारण होते हैं ।^१

मूलाग्घना के अनुसार जिसके आचरण से मन दुःकृत के प्रति प्रवृत्त न हो, आंतरिक-तप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और पूर्वगृहीत योगो (—स्वाध्याय आदि योगों या व्रत विशेषों) की हानि न हो, वह 'बाह्य-तप' होता है ।^२

आभ्यन्तर-तप—प्रायश्चित्त आदि—निम्न कारणों से ऐसे कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा नहीं होती,
- (२) वे विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही तप-रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःकरण में होता है और
- (४) वे मुक्ति के अन्तरंग कारण होते हैं ।^३

महर्षि पतञ्जलि ने भी योग के अंगों को अन्तरंग और बहिरंग—इन दो भागों में विभक्त किया है । धारणा, ध्यान और समाधि—
ये पूर्ववर्ती यम आदि पाँच साधनों की अपेक्षा अन्तरंग हैं । निर्बीज-योग की अपेक्षा वे बहिरंग भी हैं ।^४ इसका फलितार्थ यह है कि यम आदि
पाँच अंग बहिरंग हैं और धारणा आदि तीन अंग अन्तरंग और बहिरंग दोनों हैं । निर्बीज-योग केवल अन्तरंग हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०० ।

२—मूलाराधना, ३।२३६

सो नाम बाहिरतपो, जेण मणो बुक्क ण उट्टेहि ।

जेण य सद्धा जायहि, जेण य जोगा ण हायति ॥

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०० ।

'बाह्य' बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् प्रायो मुक्त्यवाप्तिर्बाहिरङ्गत्वाच्च 'अभ्यन्तर' तद्विपरीतं, यद्विवा 'लो कप्रतीतत्वात्कुतीर्थिकैश्च स्वाभि-
प्रायेभासिष्यमानत्वाद्बाह्य' तदितरत्वाभ्यन्तरम्, उक्तञ्च—

'लोके परसमयेषु च यत्प्रथितं तत्तपो मयति बाह्यम् ।

आभ्यन्तरमप्रथितं कुशलजनेनैव तु प्राह्यम् ॥'

अथे स्वाम् —'प्रायेभान्त-करणक्यापाररूपमेवाभ्यन्तरं, बाह्यं त्वन्यथे' ति ।

४—पातञ्जल योगदर्शन, ३।७-८

अभ्यन्तरङ्गः पूर्वोच्यः । तदपि बाहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥

बाह्य-तप के प्रकार

बाह्य-तप के छह प्रकार हैं—(१) अनशन, (२) अबसौदर्य, (३) वृत्ति-संश्लेष, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेश और (६) विविक्त-शय्या ।

बाह्य-तप के परिणाम

बाह्य-तप के निम्न परिणाम होते हैं—

- (१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है ।
- (२) शरीर कृश हो जाता है ।
- (३) आत्मा संवेग में स्थापित होती है ।
- (४) इन्द्रिय-दमन होना है ।
- (५) समाधि-योग का स्वर्ग होता है ।
- (६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है ।
- (७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है ।
- (८) संकलेश-रहित दुःख-भावना (कष्ट-सहिष्णुता) का अभ्यास होता है ।
- (९) देह, रस और सुख का प्रतिबन्ध नहीं रहना ।
- (१०) कषाय का निग्रह होता है ।
- (११) विषय-भोगों के प्रति अनादर (उदासीन भाव) उत्पन्न होता है ।
- (१२) समाधि-भरण का स्थिर अभ्यास होता है ।
- (१३) आत्म-दमन होना है । आहार आदि का अनुराग क्षीण होता है ।
- (१४) आहार-निरासना-आहार की अभिलाषा के त्याग का अभ्यास होता है ।
- (१५) अष्टाङ्गि बढ़ती है ।
- (१६) लाभ और अलाभ में मग्न रहने का अभ्यास सधना है ।
- (१७) ब्रह्मचर्य सिद्ध होना है ।
- (१८) निद्रा-विजय होती है ।
- (१९) ध्यान की दृढता प्राप्त होती है ।
- (२०) विमुक्ति (विशिष्ट त्याग) का विकास होता है ।
- (२१) दर्प का नाश होता है ।
- (२२) स्वाध्याय-योग की निर्विघ्नता प्राप्त होती है ।
- (२३) सुख-दुःख में सम रहने की स्थिति बनती है ।
- (२४) आत्मा, कुल, गण, शासन—सबकी प्रभावना होती है ।
- (२५) आलस्य त्यक्त होता है ।
- (२६) कर्म-मल का विरोधन होता है ।
- (२७) दूसरों को मवेग उत्पन्न होता है ।
- (२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी सौम्यभाव उत्पन्न होता है ।
- (२९) मुक्ति-मार्ग का प्रकाशन होता है ।

- (३०) तीर्थंकर की आज्ञा की आराधना होती है ।
 (३१) देह-लाभ प्राप्त होता है ।
 (३२) शरीर-स्नेह का क्षोषण होता है ।
 (३३) राग आदि का उपशम होता है ।
 (३४) आहार की परिमितता होने से नीरोगता बहती है ।
 (३५) सतोष बढ़ता है ।^१

बाह्य-तप के प्रयोजन—

- (१) अतश्चन के प्रयोजन (क) संयम-प्राप्ति, (ख) राग-नाश, (ग) कर्म-मल विशोधन, (घ) सद्बुद्धि की प्राप्ति और (ङ) शास्त्राभ्यास ।
 (२) अवमौदर्य के प्रयोजन (क) समय में मावधानता, (ख) बात, पित्र, श्लेष्म आदि दोषों का उपशमन और (ग) ज्ञान, ध्यान आदि की सिद्धि ।
 (३) वृत्ति-संक्षेप के प्रयोजन (क) भोजन-सम्बन्धी आशा पर अंकुश प्रीर (ख) भोजन-सम्बन्धी संकल्प-विकल्प और चिन्ता का नियन्त्रण ।
 (४) रस-परित्याग के प्रयोजन (क) इन्द्रिय-निग्रह, (ख) निद्रा-विजय और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (५) विविक्त शय्या के प्रयोजन (क) बाधाओं से मुक्ति, (ख) ऋद्धचर्य-सिद्धि और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (६) काय-क्लेश के प्रयोजन (क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास, (ख) शारीरिक मुख को बाध्छा से मुक्ति और (ग) जैन-धर्म की प्रभावना ।^२

आभ्यन्तर-तप के प्रकार--

आभ्यन्तर-तप के छह प्रकार हैं— (१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्सर्ग ।

आभ्यन्तर-तप के परिणाम—

भाव-शुद्धि, चञ्चलता का अभाव, शल्य-मुक्ति, धार्मिक-दृढता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम हैं ।^३

ज्ञान-लाभ, आचार-विशुद्धि, सम्यक्-आराधना आदि विनय के परिणाम हैं ।^४

चित्त-समाधि का लाभ, श्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्मल्य आदि वैयावृत्य के परिणाम हैं ।

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट सवेग का उदय, प्रवचन की अविचित्रता, अनिचार-विशुद्धि, सदेह-नाश, मिथ्या-वादियों के भय का अभाव आदि स्वाध्याय के परिणाम हैं ।^५

कषाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुःखों से बाधित न होना । सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शरीर को प्रभावित करने वाले कष्टों से बाधित न होना ध्यान के परिणाम हैं ।^६

१—मूलाराधना, ३।२३७-२४४ ।

२—सरथार्थ, ९।२०, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

३—वही, ९।२२, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

४—वही, ९।२३, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

५—वही, ९।२४, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

६—वही, ९।२५, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

७—ध्यानशास्त्र, १०५-१०६ ।

निर्ममत्व, निर्ममता, जीवन के प्रति अनासक्ति, दोषों का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में तत्परता आदि द्युत्सर्ग के परिणाम हैं।^१ आभ्यान्तर-तप के प्रयोजन स्पष्ट हैं।

श्लोक ६

२-इत्वरिक (इत्तिरिया क) :

औपपातिक (सूत्र १६) में इत्वरिक के चौदह प्रकार बतलाए गए हैं—

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| (१) चतुर्थ-भक्त— | उपवास १ | (८) अर्धमासिक-भक्त— | १५ दिन का उपवास । |
| (२) षष्ठ-भक्त— | २ दिन का उपवास । | (९) मासिक-भक्त— | १ मास का उपवास । |
| (३) अष्टम-भक्त— | ३ दिन का उपवास । | (१०) द्वैमासिक-भक्त— | २ मास का उपवास । |
| (४) दशम-भक्त— | ४ दिन का उपवास । | (११) त्रैमासिक-भक्त— | ३ मास का उपवास । |
| (५) द्वादश-भक्त— | ५ दिन का उपवास । | (१२) चतुरमासिक-भक्त— | ४ मास का उपवास । |
| (६) चतुर्दश-भक्त— | ६ दिन का उपवास । | (१३) पञ्चमासिक-भक्त— | ५ मास का उपवास । |
| (७) षोडश-भक्त— | ७ दिन का उपवास । | (१४) छहमासिक-भक्त— | ६ मास का उपवास । |

इत्वरिक-तप कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक ६ मास तक का होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में इत्वरिक-तप छह प्रकार का बतलाया गया है—(१) श्रेणि तप, (२) प्रतर तप, (३) घन तप, (४) वर्ग तप, (५) वर्ग-वर्ग तप और (६) प्रकीर्ण तप।

(१) श्रेणि तप—उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप किया जाता है, उसे श्रेणि तप कहा जाता है। इसकी अनेक अवान्तर श्रेणियाँ होती हैं। जैसे—उपवास, बेडा—यह दो पदों का श्रेणि तप है। उपवास, बेडा, तेला, चोला—यह चार पदों का श्रेणि तप है।

(२) प्रतर तप—एक श्रेणि तप को जितने क्रम-प्रकारों से किया जा सकता है, उन सब क्रम-प्रकारों को मिलाने में प्रतर-तप होता है। उदाहरण स्वल्प उपवास, बेला, तेला और चोला—इन चार पदों की श्रेणि लें। इनके निम्नलिखित चार क्रम-प्रकार बनते हैं—

क्रम प्रकार	१	२	३	४
१	उपवास	बेला	तेला	चोला
२	बेला	तेला	चोला	उपवास
३	तेला	चोला	उपवास	बेला
४	चोला	उपवास	बेला	तेला

यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि को श्रेणि-पदों से गुणा करने से बनता है।

(३) घन तप—जितने पदों की श्रेणि है, प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घन तप बनता है। यहाँ चार पदों की श्रेणि है। अन उपयुक्त प्रतर तप को चार से गुणा करने से अर्थात् उसे चार बार करने से घन तप होता है। घन तप के ६४ पद बनते हैं।

१—तत्सार्थ, १।२६, श्रुतसागरीय वृत्ति।

उत्तराध्ययन (उत्तराध्ययन)

२५५ अध्ययन ३० : श्लोक ६, ११, १२, १३

(४) वर्ग तप—घन को घन से गुणा करने पर वर्ग तप बनता है अर्थात् घन तप को ६४ बार करने से वर्ग तप बनता है। इसके $६४ \times ६४ = ४०९६$ पद बनते हैं।

(५) वर्ग-वर्ग तप—वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्ग तप बनता है अर्थात् वर्ग तप को ४०९६ बार करने से वर्ग-वर्ग तप बनता है। इसके $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ पद बनते हैं।

(६) प्रकीर्ण तप—यह पद श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। यह अनेक प्रकार का है।

शान्त्याचार्य ने नमस्कार-सहिता आदि तथा यवमध्य, वज्रमध्य, चन्द्र-प्रतिमा आदि तपो को प्रकीर्ण तप के अन्तर्गत माना है।^१

श्लोक ११

३-नाना प्रकार के मनोवाञ्छित फल देने वाला (मणइच्छियचित्तथो ग) :

टीकाकार से इसका अर्थ 'मनो-वाञ्छित विचित्र प्रकार का फल देने वाला' किया है।^२ फल-प्राप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए, टीकाकार का अर्थ इस भाव्यता का विरोधी नहीं है। 'मणइच्छियचित्तथो' यह वाक्य तप के गौण फल का सूचक है। आगम-साहित्य में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इसका अर्थ 'मन इच्छित विचित्र प्रकार से किया जाने वाला तप' भी हो सकता है।

श्लोक १२-१३

४-श्लोक १२-१३ :

इन दो श्लोकों में मरण-काल-भावी अनशन का निरूपण है। औपवातिक में उसके दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) पादपोषगमन और (२) भक्त-प्रत्याख्यान।^३

पादपोषगमन नियमन अप्रतिकर्म है और उसके दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

भक्त-प्रत्याख्यान नियमन सप्रतिकर्म है और उसके भी दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

समवायाग में इस अनशन के तीन प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) भक्त-प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और (३) पादपोषगमन।^४

प्रस्तुत अध्ययन में मरण-काल भावी अनशन के प्रकारों (भक्त-प्रत्याख्यान आदि) का उल्लेख नहीं है। केवल उनका सात विधाओं से विचार किया गया है।

१-बृहत् बृत्ति, पत्र ६०१

सक नमस्कारसहितादि पूर्वपुण्याचरित यवमध्यवज्रमध्यचन्द्रप्रतिमादि च ।

२-बही, पत्र ६०१

मनस —चित्तस्य ईप्सिति—इष्टचित्रः—अनेकप्रकारोऽर्थ —स्वर्गापवर्गादिस्तेजोलेखादिर्भा यस्मात्सगमनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति ।

३-ओपवातिक, सूत्र १६ ।

४-समवायाग, समवाय १७ ।

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| (१) सविचार
हृलन-चलन सहित | (२) तपरिकर्म ^१
शुश्रूषा या सलेखना-सहित | (३) निर्हारि
उपाश्रय से बाहर गिरी कंदरा आदि एकान्त स्थानों में
किया जाने वाला । |
| (४) अविचार
स्थिरता युक्त | (५) अपरिकर्म
शुश्रूषा या सलेखना-रहित | (६) अनिर्हारि
उपाश्रय में किया जाने वाला । |

भक्त-प्रत्याख्यान में जल-वर्जित त्रिविध आहार का भी प्रत्याख्यान किया जाता है और चतुर्विध आहार का भी । इंगिनी और पादपोषगमन—इन दोनों में चतुर्विध आहार का परित्याग किया जाता है ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा सकता है । इंगिनी अनशन करने वाला नियत प्रदेश में इधर-उधर आ-जा सकता है, किन्तु उससे बाहर नहीं जा सकता है । पादपोषगमन अनशन करने वाला वृक्ष के समान निश्चेष्ट होकर लेटा रहता है—या जिस आसन में अनशन प्रारम्भ करता है, उसी आसन में स्थिर रहता है—हृलन-चलन नहीं करता ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला स्वयं भी अपनी शुश्रूषा करता है और दूसरों से भी करवाता है । इंगिनी अनशन करने वाली दूसरों से शुश्रूषा नहीं करवाता, किन्तु स्वयं अपनी शुश्रूषा कर सकता है । पादपोषगमन अनशन करने वाला अपने शरीर की शुश्रूषा न स्वयं करना है और न किसी दूसरे से करवाता है ।

शान्त्याचार्य ने निर्हारि और अनिर्हारि—ये दोनों पादपोषगमन के प्रकार बनलाए हैं ।^२ किन्तु स्थानाग में ये दो प्रकार भक्त-प्रत्याख्यान के भी किए गए हैं ।^३

दिगम्बर आचार्य शिवकोटि और अनशन

१-भक्त-प्रत्याख्यान :

उनके अनुसार भक्त-प्रत्याख्यान अनशन के दो प्रकार हैं—(१) सविचार और (२) अविचार ।^४

जो उस्ताह—बलयुक्त है, जिमकी मृत्यु तत्काल होने वाली नहीं है, उम मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'सविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है ।^५ इसका अर्थ, लिग आदि ४० प्रकरणों द्वारा विचार किया गया है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०२-६०३ :

सह परिकर्मणा—स्थाननिषेधनस्यार्त्तनादि विद्यामणादिना च वर्त्तते यस्तत्सपरिकर्मअपरिकर्म च तद्विपरीतम्—यद्वा परिकर्म—सलेखना सा यत्रास्ति तत्सपरिकर्म, तद्विपरीत त्वपरिकर्म ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०३

एतच्च प्रकारद्वयमपि पादपोषगमनविषय, तत्रस्ताव एवागमेऽस्थानिधानान ।

३-स्थानाग, २।४।१०२ :

पादपोषगमने द्विविधे प० त०—जीहारिमे चैव अजीहारिमे चैव नियमं अवधिक्रमे

असपञ्चकसाणे द्विविधे प० त०—जीहारिमे चैव अजीहारिमे चैव नियमं सपञ्चकमे :

४-पुलाराधना, २।६५ :

दुबिहं तु असपञ्चकसाणं सविचारमथ अविचारं ।

५-बही, २।६५

सविचारमथागाडे, मरथे सपञ्चकमस्त हवे ।

६-बही, २।६६ :

सविचारमसपञ्चकसाणस्तिथयो उपपन्नयो होई ।

तत्त्व य सुसपञ्चकं, अताल होति जेबाई ॥

मृत्यु की आकस्मिक समाधान होने पर जो भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसे 'अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है।^१ उसके तीन प्रकार हैं

(१) निरुद्ध : जो रोग और आतंक से पीडित हो, जिसका जबाबल क्षीण हो और जो दूसरे गण में जाने में असमर्थ हो, उस मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'निरुद्ध अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है।^२

जब तक उसमें बल-वीर्य होता है, तब तक अपना काम स्वयं करता है और जब वह असमर्थ हो जाता है, तब दूसरे मुनि उसकी परिचर्या करते हैं।^३ जबाबल क्षीण होने पर अन्य गण में जाने में असमर्थ होने के कारण जो मुनि अपने गण में ही निरुद्ध रहता है, उसके भक्त-प्रत्याख्यान को 'अनिर्हारि' भी कहा जाता है।^४ इसमें अनियत बिहार आदि की विधि नहीं होती, इसलिए उसे 'अविचार' कहा जाता है।^५

निरुद्ध दो प्रकार का होता है—(१) जन-ज्ञात और (२) जन-अज्ञात।^६

(२) निरुद्धतर . मृत्यु का तात्कालिक कारण (सर्प-दश, अग्नि आदि) उपस्थित होने पर तत्काल भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसका नाम निरुद्धतर है। बल-वीर्य की तत्काल हानि होने पर वह पर-गण में जाने में अत्यन्त असमर्थ होता है, इसलिए उसका अनशन 'निरुद्धतर' कहलाता है। यह अनिर्हारि होता है।^७

(३) परमनिरुद्ध : सर्प-दश आदि कारणों में जब वाणी रुक जाती है, उस स्थिति के भक्त-प्रत्याख्यान को 'परमनिरुद्ध' कहा जाता है।^८

२-इंगिनी :

इस अनशन की अधिकांश विधि भक्त-प्रत्याख्यान के समान होती है। केवल इतना विशेष होता है कि इंगिनी अनशन करने

१-मूलाराधना, ७।२०।१।

तस्य अविचारमत्त-पद्म्या मरणम्नि होइ आगाढो । अपरकर्मस्त मुनिषो, कालम्नि असंपुष्टम्नि ॥

२-वही, ७।२०।३।

तस्स निरुद्धं मणिदं, रोगादकेहि जो सममिभूदो । जबाबलपरिहीणो, परगणगमनम्नि ण समत्थो ।

३-वही, ७।२०।४।

जावय बलविरियं से, सो बिहरवि ताव निष्पडीयारो ।

पच्छा बिहरति पडिजगिज्जतो तेण समणेण ॥

४-वही, ७।२०।५।

इय सज्जिद्धमरणं, अणिय अणिहारिम अवीचारं ।

सो वेव जबाजोमं, पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥

५-वही, ७।२०।५।

६-वही, ७।२०।६।१७।

दुविधं सं पि अणीहारिमं, पणास च अप्पणास च ।

जज्जाव च पणासं, इवर च जणेण अणावं ॥

सवयस्स चित्तसारं, चित्तं काल पडुक्ख सज्जणं वा ।

अण्णम्मि य तारिसयम्मि, कारणे अप्पणास तु ॥

७-वही, ७।२०।२१।

एवं निरुद्धवरय, विविधं अणिहारिय अवीचार ।

सो वेव जबाजोमो, पुब्बुत्तविधी हवदि तस्स ॥

८-वही, ७।२०।२२।

बालादिर्हि जइया, अत्तिस्ता होज मिक्खुणो वाया ।

तइया परमनिरुद्ध, मणिदं मरणं अविचारं ॥

भक्त-प्रत्याख्यान के निरुद्धतर और परमनिरुद्ध की तुलना औपपातिक के पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान के एक प्रकार — व्याघात-सहित से होती है। व्याघात-सहित का अर्थ है—सिद्ध, दावानल आदि का व्याघात उत्पन्न होने पर किया जाने वाला अनशन।^१

औपपातिक के अनुसार पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान दोनों अनशनों के दो-दो प्रकार होते हैं—(१) व्याघात-सहित और (२) व्याघात रहित।


इससे यह फलित होता है कि अनशन व्याघात उत्पन्न होने पर भी किया जाता है और व्याघात न होने पर भी किया जाता है। सूत्रकृतांग के अनुसार शारीरिक बाधा उत्पन्न होने या न होने पर भी अनशन किया जाता है।^२

अनशन का हेतु शरीर के प्रति निर्ममत्व है। जब तक शरीर-ममत्व होता है, तब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है और जब वह शरीर-ममत्व से मुक्त होता है, तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अनशन को देह-निर्ममत्व या अभय की साधना का विशिष्ट प्रकार कहा जा सकता है। मृत्यु अनशन का उद्देश्य नहीं, किन्तु उसका गौण परिणाम है। उसका मुख्य परिणाम है—आत्म-लीनता। इसी प्रकार का एक अनुभव है—“मुझे मालूम होता है कि किसी कारण से आदमी को मरना ही हो अथवा मालूम हो जाए कि मरना है, तो जाए हुए से उपवास करके मरना कहीं बहकर है अथवा इन दोनों का मुकाबला ही उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि जाए हुए मरने से वृत्ति कैसी रहती होगी पर जान पड़ता है कि अच्छी तो नहीं रहती होगी और उपवास में वृत्ति का क्या पूछना है? जान पड़ता है ब्रह्मानन्द में लीन है।”^३

तात्कालिक व्याघात या बाधा उत्पन्न न होने पर किया जाने वाला अनशन सलेखना-पूर्वक होता है।

आगम-सूत्रों में मरण एवं अनशन के भेद इस प्रकार हैं—

(१) उत्तराध्ययन, ३०।६-१३



१—औपपातिक वृत्ति, पृ० ७१

व्याघातवत्—सिंहबावानलाद्यभिभूतो यत् प्रतिपद्यते।

२—(क) सूत्रकृतांग, २।२।३८

ते जं एतेषां विहारेण विहरमाणा बहू इ वासाइ सामन्परियागं पाउर्जति, २ सा आबाहंसि उप्पन्नसि वा अगुप्पन्नसि वा बहू इ भसाइ पक्कक्खन्ति।

(ख) वही, २।२।३९

ते ज एयाक्खेण विहारेण विहरमाणा बहू इ वासाइ समजोवासनपरियागं पाउर्जति, २ सा आबाहंसि उप्पन्नसि वा अगुप्पन्नसि वा बहू इ भसाइ अणसणाए पक्कक्खायन्ति।

३—उपवास से लाभ, पृ० १' ७।


उत्तराभ्यास (उत्तराभ्ययन)

२६१

अ


(२) औपपातिक, सूत्र १६--

अनशन




(३) स्थानाग, ३।४।१०२—

मरण




(४) भगवतो, ३।१—


मरण



(५) भगवती, २५/७—



(६) समवायाङ्ग, १७—



उपर्यक्त नाम स्थानाङ्ग और भगवती से कुछ निम्न है । इनमें अनशन के तीन प्रकार हैं—(१) भक्त-प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और

(३) पादपोषगमन ।

मूलाराधना में अनशन के अधिकारी का वर्णन है । इसके अधिकारी वे होने हैं—

- (१) जो दुष्टिककित्त्य व्याधि (सयम को छोड़ बिना जिसका प्रतिकार करना संभव न हो) से पीड़ित हो ।
- (२) जो प्राणप्य-योग की हानि करने वाली जरा से अभिभूत हो ।
- (३) जो देव, मनुष्य या तिर्यञ्च मन्वन्धी उपसर्गों से उाहुत हो ।
- (४) जिसके चारित्र-विनाश के लिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो ।
- (५) दुष्काल में जिसे दृढ़ भिक्षा न मिले ।
- (६) जो गहन अटवी में दिग्मूढ हो जाए और मार्ग हाथ न लगे ।
- (७) जिसमें चक्षु और श्रोत्र दुर्बल तथा जघाबल क्षीण हो जाए और जो विहार करने में समर्थ न हो ।

उक्त व उन जैसे अन्य कारण उपस्थित होने पर व्यक्ति अनशन का अधिकारी होता है ।^१

जिस मुनि का चारित्र निर्गन्धार पल रहा हो, सलेखना कराने वाले आचार्य (निर्णायक आचार्य) भविष्य में मुक्त हो, दुर्भिक्ष का भय न हो, वैसी स्थिति में वह अनशन का अनधिकारी है । विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हुए बिना जो अनशन करे तो समझना चाहिए कि वह चारित्र से विरत है ।^२

सलेखना

आचाराग में बताया गया है कि जब मुनि को यह अनुभव हो कि इस शरीर को धारण करने में मैं खान हो रहा हूँ, तब वह क्रम से आहार का संकोच करे, सलेखना करे—आहार संकोच के द्वारा शरीर को कृश करे ।^३

१—मूलाराधना, २।७१-७४ ।

२—वही, २।७५-७६ ।

३—आचाराग, १।८।६, १।८।७ ।

सलेखना के काल—

सलेखना के तीन काल हैं—(१) जबन्य—द्वइ मास का काल, (२) मध्यम—एक वर्ष का काल और (३) उत्कृष्ट—१२ वर्ष का काल ।

उत्कृष्ट सलेखना के काल में प्रथम चार वर्षों में दूध, घी आदि विकृतियों का त्याग अथवा आचाम्ल किया जाता है । सूत्र में प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप करने का उल्लेख नहीं है । किन्तु ज्ञान्याचार्य ने निरुथ चूर्ण के आधार पर इसका अर्थ यह किया गया है कि सलेखना करने वाला विचित्र तप के पारण में विकृतियों का परित्याग करे ।^१ प्रवचनमारोद्धार में भी यही क्रम है । प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है और उसके पारण में यथेष्ट भोजन किया जाता है । दूसरे चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है, किन्तु पारण में विकृति का परित्याग किया जाता है ।^२ आगे का क्रम समान है ।

उत्तराध्ययन (३६।२५५-२५५) के अनुसार इस सलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है—

प्रथम चार वर्ष—	विकृति परित्याग अथवा आचाम्ल ।
द्वितीय चार वर्ष—	विचित्र-तप- उपवास, बेला, तेल आदि और पारण में यथेष्ट भोजन । ^३
तीसरे और दसवें वर्ष—	एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल ।
ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही—	उपवास या बेला ।
ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही—	विकृष्ट तप— तेल चोला आदि तप ।
दसवें ग्यारहवें वर्ष में पारण के दिन—	आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल के दिन ऊठोदरी की जाती है ^४ और दूसरी छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया जाता है । ^५
त्रारहवें वर्ष में—	मोटि-मल्लि आचाम्ल अर्थात् निरन्तर आचाम्ल अथवा प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । ^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६ ।

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६७५-६७७ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

द्वितीये वर्षचतुर्के 'विचित्रं तु' इति विचित्रमेव चतुर्थवशात्प्राप्त्यादिरूपं तपसवरेण, अत्र च पारणके सम्प्रदाय —“उपवासविमुक्तं सः कल्पयिष्यति पारैति ।”

४-प्रवचनसारोद्धार, वृत्ति पत्र २५४

विकृष्ट—अष्टमवशमद्वादशादिकं तप कर्म भवति ।

५-वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु परिमितं—किंचिदूनोदरतासम्पन्नमाचाम्ल करोति ।

६-वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु सा शीघ्रमेव मरण यासिष्यति कृत्वा परिपूर्णध्याया आचाम्ल करोति, न पुनरूनोदरतेति ।

७-बृहद् वृत्ति पत्र ७०६

कोट्यौ—अग्रे प्रत्याख्यानाद्यन्तकोणरूपे सहिते—मिलिते यस्मिस्तकोटीमहित, किमुक्त भवति ?—विबक्षितविने प्रातराचाम्लं प्रत्याख्याय तच्चाहोरात्रं प्रतिपास्य, पुनर्द्वितीयेऽह्नि आचाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो द्वितीयस्यारम्भकोटिराद्यस्य तु पर्यन्तकोटिदमे अपि मिलिते भवति इति तत्कोटीसहितमुच्यते, अन्ये त्वाहुः—आचाम्लमेकस्मिन् विने कृत्वा द्वितीयदिने च तपोऽन्तरमनुष्ठाय पुनस्तृतीयदिने आचाम्लमेव कुर्वत कोटीसहितमुच्यते ।

बारह वर्ष के अन्त में—

अर्द्ध-मासिक या मासिक अन्धान, भक्त-परिज्ञा आदि ।^१ निशीथ चूर्ण के अनुसार बारहवें वर्ष में क्रमशः आहार की इस प्रकार कमी की जाती है जिससे आहार और आयु एक साथ ही समाप्त हो । उस वर्ष के अन्तिम चार महीनों में मुँह में तैल भर कर रखा जाता है । मुख्यतः विसवादी न हो—नमरकार मत्र आदि का उच्चारण करने में अममर्ष न हो, यह उसका प्रयोजन है ।^२

सलेखना का अर्थ है छीलना—कृषा करना । शरीर को कृषा करना—यह द्रव्य (बाह्य) सलेखना है । कषाय को कृषा करना—यह आन्तरिक सलेखना है ।^३

आचार्य शिवकोटि ने छह प्रकार के बाह्य-तप को बाह्य-सलेखना का साधन माना है ।^४ सलेखना का दूसरा क्रम एक दिन उपवास और दूसरे दिन वृत्ति-परिसंस्थान तप है ।^५ बारह भिक्षु-प्रतिमाओं को भी सलेखना का साधन माना है ।^६ शरीर-सलेखना के इन अनेक विकल्पों में आचाम्ल तप उत्कृष्ट साधन है । सलेखना करने वाला बेला, तेला, चौला, पचौला आदि तप करके पारण में मित और हल्का आहार (बहुधा आचाम्ल अर्थात् काँजी का आहार—'आयबिल्ल—काजिकाहार' मूलाराधना ३।२५१, मूलाराधना दर्पण) करना है ।

भक्त-परिज्ञा का उत्कृष्ट काल १२ वर्ष का है ।^७ उसका क्रम इस प्रकार है—

- (१) प्रथम चार वर्षों में विचित्र अर्थात् अनियत काय-क्लेशों के द्वारा शरीर कृषा किया जाता है ।
- (२) दूसरे चार वर्षों में विकृतियों का परित्याग कर शरीर को सुखाया जाता है ।^८
- (३) नौवें और दसवें वर्ष में आचाम्ल और विकृति-वर्जन किया जाता है ।
- (४) ग्यारहवें वर्ष में केवल आचाम्ल किया जाता है ।
- (५) बारहवें वर्ष की प्रथम छमाही में अतिकृष्ट तप—उपवास, बेला आदि किया जाता है ।^९
- (६) बारहवें वर्ष की दूसरी छमाही में विकृष्ट तप—तेला, चौला आदि किया जाता है ।

दोनों परम्पराओं में सलेखना के विषय में थोड़ा क्रम-भेद है, किन्तु यह विचारणीय नहीं है । आचार्य शिवकोटि के शब्दा में सलेखना

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६ ७०७

'संवत्सरे' वर्षे प्रकृताद् द्वाबरो मुनि.' साधु 'मास' ति सूत्रत्वान्मास भूतो मासिकस्तेनैवमाह्वमासिनेन 'आहारेण'ति उपलक्षण-त्वाद्वाहारत्यागेन, पाठान्तरतपश्च क्षयणेन 'तप' इति प्रस्ताबाद्भक्तपरिज्ञानाधिकमनशानं 'चरेत्' ।

२—समाख्य निशीथ चूर्ण, भाग ३, पृ० २९४ ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

सलेखन—द्रव्यतः शरीरस्य मासतः कषायाणां कृशताऽऽपादनं सलेखना, सलेखनेति ।

(क) मूलाराधना, ३।२०६ ।

४—(क) मूलाराधना, ३।२०८ ।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२०८, पृ० ४३५ ।

(ग) मूलाराधना, ३।२४६ ।

५—वही, ३।२४७ ।

६—वही, ३।२४९ ।

७—वही, ३।२५०-२५१ ।

८—वही, ३।२५२ ।

९—(क) मूलाराधना, ३।२५३ ।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२५४, पृ० ५७५

निर्विकृतिः रसव्यजनाविषर्जितमव्यतिकीर्णमोहनादि भोजनम् ।

१०—वही, ३।२५४ ।

उत्तरजम्भयणं (उत्तराध्ययन)

२६५ अध्ययन ३० : श्लोक १२-१३, १४, १६

के लिए वही तप या उसका क्रम अंगीकार करना चाहिए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और शरीर-वायु के अनुकूल हो ।^१ सलेखना का जो क्रम बतलाया गया है, वही क्रम है ऐसा नियम नहीं है । जिस प्रकार शरीर का क्रमशः संलेखन (तनूकरण) हो, वही प्रकार अंगीकरणीय है ।

रत्नकरण्डक श्रावकाचार में उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और अमाध्य रोग उत्पन्न होने पर धर्म की आगमना के लिए शरीर त्यागने को 'सलेखना' कहा गया है ।^२

श्लोक १४

५-अवमौदर्य (उन्नोदरिका) (ओमोयगियं क) :

यह ब्राह्मण-तप का दूसरा प्रकार है । इसका अर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार-मात्रा है, उमसे कम खाना' । यहाँ इसके पाँच प्रकार किए गए हैं—(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौदर्य, (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य, (३) बाल की दृष्टि से अवमौदर्य, (४) भाव की दृष्टि से अवमौदर्य और (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदर्य ।

औपपातिक में इनका विभाजन भिन्न प्रकार से है—(१) द्रव्यत अवमौदर्य और (२) भावत अवमौदर्य । द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार हैं—(१) उपकरण अवमौदर्य और (२) भक्त-पान अवमौदर्य । भक्त-पान अवमौदर्य के अनेक प्रकार हैं—(१) आठ ग्राम खाने वाला अल्पाहारी होना है, (२) बारह ग्राम खाने वाला अपाद्वं अवमौदर्य होना है, (३) सोलह ग्राम खाने वाला अर्द्ध अवमौदर्य होता है, (४) चौबीस ग्राम खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है और (५) द्वादश ग्राम खाने वाला किञ्चित् अवमौदर्य होता है ।^३

यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है । पुरुष के आहार की पूर्ण मात्रा बत्तीस ग्राम और स्त्री के पूर्ण आहार की मात्रा अट्ठार्वीस ग्राम है ।^४ 'ग्राम का परिमाण मुर्गी के अण्डे' अथवा हजार चावल जितना' बतलाया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि जितनी भूख हो, उमसे एक कबल तक कम खाना भी अवमौदर्य है । क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह आदि को कम करना भावत अवमौदर्य है ।^५ निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम-सयम और इन्द्रिय-विजय—ये अवमौदर्य के फल हैं ।^६

श्लोक १६

६-श्लोक १६ :

ग्रामे—जो गणों को प्रसिन करे अथवा जहाँ १८ प्रकार के कर लगते हो, वह 'ग्राम' कहलाता है ।^१ 'ग्राम' का अर्थ 'समूह' है । जहाँ जहाँ जन-समूह रहता था, उसका नाम ग्राम हो गया ।

१-मूलाराधना, ३।२५५ ।

२-रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १२२

उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसि रुजाया च नि.प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाह सलेखनाभार्या ॥

३-औपपातिक, सूत्र १९ ।

४-मूलाराधना, ३।२११ ।

५-औपपातिक, सूत्र १९ ।

६-मूलाराधना वपण, पृ० ४२७

ग्रामो श्राधि सहस्रतंबुलमित ।

७-औपपातिक, सूत्र १९ ।

८-मूलाराधना, ३।२११, अमितगति, पृ० ४२८ ।

९-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

प्रसति गुणान् गन्धो वाऽष्टादशानां करणामिति ग्राम ।

नगरे—जहाँ किसी प्रकार का कर न लगता हो, उसे 'नगर' कहा जाता है।^१ बर्ध-शास्त्र में राजधानी के लिए 'नगर' या 'दुर्ग' और साधारण कस्बों के लिए 'ग्राम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किन्तु प्रस्तुत श्लोक में राजधानी का प्रयोग भी हुआ है, इससे जान पड़ता है कि नगर बड़ी बस्तियों का नाम है, भले फिर वे राजधानी हों या न हों।

निगमे—व्यापारियों का गाँव, वह बस्ती जहाँ बहुत व्यापारी रहते हैं।^२

आगरे—खान का समीपवर्ती गाँव।^३

पल्ली—बीहड़ म्यान में होने वाली बस्ती, चोरों का गाँव।^४

श्लोक २५

७—भिक्षाचर्या (भिक्खायरियं ष)

यह ब्राह्म-तप का तीसरा प्रकार है। इस का दूसरा नाम 'वृत्ति-संज्ञा'^१ या 'वृत्ति-परिमंथयान' है।^२ अष्ट प्रकार के गोचराश्रमों, सात एषणाश्रमों तथा अन्य विविध प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा भिक्षा-वृत्ति को संक्षिप्त किया जाता है। गोचराश्रम के आठ प्रकार हैं—

(१) पेटा—पेटा की भौंति चतुष्कोण घूमते हुए (बीच के घरों को छोड़ चारों दिशाओं में समतरेण स्थित घरों में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम पेटा है।^३

(२) अद्वं-पेटा—अद्वं-पेटा की भौंति द्विकोण घूमते हुए (दो दिशाओं में स्थित गृह-श्रेणियों में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम अद्वं-पेटा है।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

नात्र करोऽस्तीति नकरम् ।

२—वही, पत्र ६०५ -

निगमयन्ति तस्मिन्नेकविधमाव्यानीति निगमः—प्रभूततरवणिजां निवास ।

३—वही, पत्र ६०५ :

आकुर्वन्ति तस्मिन्नित्याफरो—हिरण्याद्युत्पत्तिस्थानम् ।

४—वही, पत्र ६०५ :

'पल्लि' ति सुधमस्यपात् पात्यन्तेऽनया बुभुक्षुविधापिनो जना इति परलो, नैहक्तो विधि, वृक्षगहनाद्याभिन प्रान्तजननिवास ।

५—समवायांग, समवाय ६ ।

६—मूलाराधना, ३।२।१७ ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

'पेडा' पेडिका इव षडकोणा ।

(ख) प्रबन्धनसारोद्धार, गाथा ७४८ -

जडविति सेवीममणे, मन्के मुचकंसि मन्नेए पेडा ।

८—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

'अद्वपेडा' इमीए खेव अद्वसंठिया घरपरिवाडी ।

(ख) प्रबन्धनसारोद्धार, गाथा ७४८ -

विसिपुगसंबद्वस्तेभिभिक्खणे अद्वपेडलि ।

(३) गो-मूत्रिका—गो-मूत्रिका की तरह बलखाते हुए (बाएँ पाश्र्व के घर से दाएँ पाश्र्व के घर में और दाएँ पाश्र्व से बाएँ पाश्र्व के घर में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम गो-मूत्रिका है ।^१

(४) पतंग-वीथिका—गतिगा जैसे अनियत क्रम से उड़ता है, वैसे अनियत क्रम से (एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़ फिर किसी घर में) मुझे भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस प्रकार संकल्प से भिक्षा करने का नाम पतंग-वीथिका है ।^२

(५) शबूकावर्ता—शंख के आवर्तों की तरह भिक्षाटन करने को शबूकावर्ता कहा जाता है । इसके दो प्रकार हैं—(१) आभ्यन्तर शबूकावर्ता और (२) बाह्य शबूकावर्ता ।

(क) शंख के नाभि-क्षेत्र से प्रारम्भ हो बाहर आने वाले आवर्त की भौंति गाँव के भीतरी भाग से भिक्षाटन करते हुए बाहरी भाग में आने को 'आभ्यन्तर शबूकावर्ता' कहा जाता है ।

(ख) बाहर से भीतर जाने वाले शंख के आवर्त की भौंति गाँव के बाहरी भाग में भिक्षाटन करते हुए भीतरी भाग में आने को 'बाह्य शबूकावर्ता' कहा जाता है ।^३

स्थानाग वृत्ति के अनुसार (क) बाह्य शबूकावर्ता की व्याख्या है और (ख) आभ्यन्तर शबूकावर्ता की व्याख्या है ।^४

किन्तु इन दोनों व्याख्याओं की अपेक्षा पचाशकवृत्ति की व्याख्या अधिक हृदय-स्पर्शी है । उसके अनुसार दक्षिणावर्त शंख की भौंति दाँडें ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम आभ्यन्तर शबूकावर्ता है । इसी प्रकार वामावर्त शंख की भौंति बाँडें ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस संकल्प से भिक्षा करने का नाम बाह्य शबूकावर्ता है ।^५

(६) आयन-गत्वा-प्रत्यागता—सीधी मगल गली के अन्तिम घर तक जाकर वापिस आते हुए भिक्षा लेने का नाम आयन-गत्वा-प्रत्यागता है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'गोमुत्तिया' बकाबलिया ।

(ख) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४७

वामाओ दाहिणगिहे निदिसरज्जइ दाहिणाओ वामंमि ।

जोए सा गोमुत्ती ॥

२ (क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'पयंगविही' अणियया पयगुड्डाणसरिसा ।

(ख) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४७

अडुमियड्डा पयगविही ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'सबुक्कावट्टं' ति शम्भूकः—शङ्खस्तस्यावर्तं शम्भूकावर्तस्तद्वर्तवर्तों यस्या सा शम्भूकावर्ता, सा च द्विविधा—यत्. सम्प्रदायः—
"अन्वितरसबुक्का बाहिरसबुक्का य, तस्य अवन्तरसबुक्काए सखनानिसेत्तोवमाए आगिहए अतो आढवति बाहिरओ सणियट्टइ,
इयरीए विषज्जओ ।"

(ख) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६ ।

४—स्थानाग, ६।५।१४ वृत्ति, पत्र ३४७

यस्यां शोत्रबहिर्भागाच्छङ्खवृत्तस्यगत्याऽटन् शोत्रमध्यभागमायाति साऽऽभ्यन्तरसबुक्का, यस्यां तु मध्यभागाद् बहिर्याति सा बहिःसम्भुक्केति ।

५—प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६ वृत्ति, पत्र २१७ :

पञ्चाशकवृत्तौ तु शम्भूकावृत्ता—'शङ्खवट्टवृत्तसागमनं, सा च द्विविधा—प्रवक्षितोऽप्रवक्षितवत्त्वे' त्युक्तम् ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५ :

अत्रायतं—वीथं प्राञ्जलमित्यर्थं, तथा च सम्प्रदाय —'तस्य उज्जुयं गत्तुष निघट्टइ' ।

उन्नीसवीं गाथा में ये छह प्रकार निर्दिष्ट हैं और प्रस्तुत श्लोक में गोचराग्र के आठ प्रकारों का उल्लेख है। वे आयत-गत्वा-प्रत्यागता से पृथक् मानने पर तथा शंबूकावर्ता के उक्त दोनों प्रकारों को पृथक्-पृथक् मानने पर बनते हैं।^१

मूलाराधना में गोचराग्र के छह प्रकार हैं—(१) गत्वा प्रत्यागता, (२) ऋजु-वीथि, (३) गो-मूत्रिका, (४) पेलबिया, (५) शंबूकावर्ता और (६) पतगभीषि।^२

जिस मार्ग से भिक्षा लेने जाए उसी मार्ग में लौटते समय भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह गत्वा (गन) प्रत्यागता का अर्थ है।^३

प्रबचनसारोद्धार के अनुसार गली की एक पंक्ति में भिक्षा करता हुआ जाना है और लौटते समय दूसरी पंक्ति में भिक्षा करता है।^४

सरल मार्ग से जाते समय यदि भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह ऋजु-वीथि का अर्थ है।^५

प्रबचन सारोद्धार के अनुसार ऋजु मार्ग से भिक्षाटन करते हुए जाना है, वापस आते समय भिक्षा नहीं करता।^६

इन गोचराग्र की प्रतिमाओं में ऊनीदरी होती है, इसलिए इन्हें 'क्षेत्रन अबमोदयं' भी कहा गया है।^७

सात स्रष्टाण्यं—

- (१) सस्रष्टा— खाद्य वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (२) अस्रष्टा— भोजन-जात में अलिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (३) उद्धृता— अपने प्रयोजन के लिए, रोंधने के पात्र से दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेना।
- (४) अल्पलेपा— अल्पलेप वाली अर्थान् चना, चिउडा आदि रूखी वस्तु लेना।
- (५) अव्यहीता— खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना।
- (६) प्रव्यूहीता— परसने के लिए कडछी या चम्मच से निकाला हुआ आहार लेना।
- (७) उज्जिभनघर्मा— जो भोजन अमनोत्त होने के कारण परित्याग करने योग्य हो, उमने लेना।^८

मूलाराधना में वृत्ति-संक्षेप के प्रकार भिन्न रूप में प्राप्त होते हैं—

- (१) संस्रष्ट—शाक, कुल्माष आदि धान्यों से सस्रष्ट आहार।
- (२) फलिहा—मध्य में ओदन और उसके चारों ओर शाक रखा हो, ऐसा आहार।
- (३) परिखा—मध्य में अन्न और उसके चारों ओर व्यजन रखा हो, वैसा आहार।
- (४) पुष्पोपहित—व्यजनों के मध्य में पुष्पो के समान अन्न की रचना किया हुआ आहार।

१-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४५।

२-मूलाराधना, ३।२१८।

३-बही, ३।२१८, विजयोबया

गसापल्वागबं। यथा बीष्यागत पूर्व तथैव प्रत्यागमन कुव-यादि लभते भिक्षां गृह्णाति नायथा।

४-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६।

५-मूलाराधना, ३।२१८, विजयोबया

उज्जुबीहिं ऋजुव्या बीध्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा।

६-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७४६।

७-गृह्य वृत्ति, पत्र ६०५-६०६ :

नम्यत्र गोचरस्थावाद्भिक्षाकर्षात्स्वमेवासा तत्कथमिह क्षेत्रावमौदार्यरूपतोक्ता ?, उच्यते, अवमौदार्यं ममास्तिवायमितम्बन्धिना विधीयमानत्वाद्भवमौदार्यव्यपदेशोऽप्यनुष्ट एव, दृश्यते हि भित्तिसमेदादेकत्रापि देववत्तादौ पितृपुत्राद्यनेकव्यपदेशः, एवं पूर्वत्र प्रामादिविधिव्यस्तोत्तरत्र कालाविविधयस्य च नैयतयाभिग्रहत्वेन भिक्षाकर्षात्स्वप्रसङ्गे नृहमेवोत्तर बाध्यम्।

८-(क) प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७३९-७४३।

(ख) स्थानांग, ७।५४५, वृत्ति पत्र ३८६।

- (१) शृङ्गगोपहित— निष्पाव आदि धान्य मे अभिश्रित शाक, व्यञ्जन आदि ।
 (६) लेपकृत— हाथ के चिपकने वाला आहार ।
 (७) अलेपकृत-- हाथ के न चिपकने वाला आहार ।
 (८) पानक — द्राक्षा आदि मे शोधित पानक—चाहे वह मिस्र-सहित हो या गिराव-रहित ।'

अमृक द्रव्य अमृक क्षेत्र मे, अमृक काल मे व अमृक अवस्था मे मिले तो वें अन्यथा नहीं—उग प्रकार अनेक अभिग्रहो के द्वारा वृत्ति का संक्षेप किया जाता है ।^२

औषधपानिक मे वृत्ति-संक्षेप के तीस प्रकार बतलाए गए हैं--

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (१) द्रव्याभिस्रहचरक | (१६) अमृगटचरक |
| (२) क्षेत्राभिस्रहचरक | (१७) तज्जानगमृगटचरक |
| (३) बालाभिस्रहचरक | (१८) अज्ञानचरक |
| (४) भावाभिस्रहचरक | (१९) मोतचरक |
| (५) उक्षिप्तचरक | (२०) टण्डुलाभिक |
| (६) निक्षिप्तचरक | (२१) अहरट्याभिक |
| (७) उक्षिप्त-निक्षिप्तचरक | (२२) एण्ड्याभिक |
| (८) निक्षिप्त-उक्षिप्तचरक | (२३) अण्ड्याभिक |
| (९) परिक्रियमाणचरक | (२४) भिक्षालाभिक |
| (१०) मर्हियमाणचरक | (२५) अभिलाभिक |
| (११) उपनीतचरक | (२६) अन्नग्यायक |
| (१२) अपनीतचरक | (२७) श्रौतनिचक |
| (१३) उन्नत अपनीतचरक | (२८) परिमर्णापण्डपानक |
| (१४) अन्नोन्नत-उपनीतचरक | (२९) शङ्खपणिक |
| (१५) मृगटचरक | (३०) मृगयादन्तिक |

मूलाराधना मे पाटक, निवसन धि रा-परिमाण और दात परिमाण भी वृत्ति-मक्षेप के प्रकार बतलाए गए हैं ।^३

१-मूलाराधना ३।२२०, विजयोदया

ससिद्ध—शाककुन्माधादिससृष्टमेव ; फलिहा—समतादवस्थितशाक स यावस्थितौवन । परिखा ध्यजन्म-यावस्थितान् ।
 पुष्कोवहिदं—च ध्यंजनमध्ये पुष्पबलिरिव अवस्थिसिद्धय । सुद्रुगोर्वाहद शुद्धेन निष्पावार्दभिरर्मिभ्रैणाग्नेन उद्यहिद ससृष्ट शाक-
 ध्यजनादिक । लेवडं—हस्तलेपकारि । अलेवडं यच्च हस्ते न सजाति । पाणग-- पान च कीदृक् ? णिमित्यगर्ममित्य भिष्यगर्हित
 पान तत्सहित च ।

२-(क) बृहद् वृत्ति पत्र ६०७ ।

(ख) मूलाराधना, ३।२२ ।

३-औषधपानिक, सूत्र १९ ।

४-मूलाराधना, ३।२१९ ।

श्लोक २६

८—रस-विवर्जन तप (रसविवर्जनं ष) :

रस-विवर्जन या रस-परित्याग बाह्य-तप का चतुर्थ प्रकार है। मूलाराधना में वृत्ति-परिस्थया चतुर्थ और रस-परित्याग तृतीय प्रकार है।^१ उत्तराध्ययन में रस-विवर्जन का अर्थ है—(१) दूध, दही, घी आदि का त्याग और (२) प्रणोत (स्निग्ध) पान-भोजन का त्याग।

औपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध हैं—

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (१) निर्विकृति— | विकृति का त्याग। |
| (२) प्रणोत रस-परित्याग— | स्निग्ध व गरिष्ठ आहार का त्याग। |
| (३) आचामाम्ल— | अम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार। |
| (४) आयाम-सिक्थ-भोजन— | ओसामण से मिश्रित अन्न का आहार। |
| (५) अरस आहार | हींग आदि से असंस्कृत आहार। |
| (६) विरस आहार— | पुराने धान्य का आहार। |
| (७) अक्त्य आहार— | बत्ल आदि लुच्छ धान्य का आहार। |
| (८) प्रान्त्य आहार— | ठण्डा आहार। |
| (९) रुक्ष आहार— | रूखा आहार। ^२ |

इस तप का प्रयोजन है 'स्वाद-विजय'। इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विकृति, सरस व स्वादु भोजन नहीं खाना।

विकृतियों नौ हैं—(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मांस।^३ इनमें मधु, मद्य, मांस और नवनीत—ये चार महाविकृतियाँ हैं।^४

जिन वस्तुओं से जीभ और मन विकृत होते हैं—स्वाद-लोलुप या विषय-लोलुप बनते हैं, उन्हें 'विकृति' कहा जाता है। पंडित आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए हैं—

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (१) गोरस विकृति— | दूध, दही, घृत, मक्खन आदि। |
| (२) इक्षु-रस विकृति— | गुड, चीनी आदि। |
| (३) फल-रस विकृति— | अंगूर, आम आदि फलों के रस। |
| (४) धान्य-रस विकृति— | तैल, मीठ आदि। ^५ |

स्वादुष्ट भोजन को भी विकृति कहा जाता है।^६ इसलिए रस-परित्याग करने वाला शाक, व्यञ्जन, नमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधना के अनुसार दूध, दही, घृत, तैल और गुड—इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना 'रस-परित्याग' है तब 'अवगाहिष विकृति' (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का त्याग भी रस-परित्याग है।^७

१—मूलाराधना, ३।२०८।

२—औपपातिक, सूत्र १९।

३—स्थानांग, ६।६७४।

४—(क) स्थानांग, ४।१।२७४।

(ख) मूलाराधना, ३।२१३।

५—सागारधर्माश्रित, ५।३५, टीका।

६—दही, ५।३५, टीका।

७—मूलाराधना, ३।२१५।

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है—

- | | |
|------------------|--|
| (१) अरस आहार— | स्वाद-रहित भोजन । |
| (२) अन्यवेलाकृत— | ठंडा भोजन । |
| (३) शूद्धीवन— | शाक आदि से रहित कोरा भात । |
| (४) रूखा भोजन— | गृत-रहित भोजन । |
| (५) आचामाम्ल— | अम्ल-रस-सहित भोजन । |
| (६) आयामोवन— | जिममे थोड़ा जल और अधिक अन्न-भाग हो, ऐसा आहार अथवा ओसामण-सहित भात । |
| (७) विकटोदन— | बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म-जल मिखा हुआ भात । ^१ |

जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बानें फलित होती हैं—(१) संनोष की भावना, (२) ब्रह्मचर्य को आगवना और (३) वैराग्य ।^२

श्लोक २७

९-श्लोक २७ :

'काय-क्लेश' बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है । प्रस्तुत अध्ययन में काय-क्लेश का अर्थ 'बीरासन आदि कठोर आमन करना' किया गया है । स्थानाग में काय-क्लेश के ७ प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) स्थान—कायोत्सर्ग, (२) ऊरुह आमन, (३) प्रतिमा आमन, (४) वीरगपन, (५) निषद्या, (६) दण्डायन आसन और (७) लगभ्र-शयनासन ।^३ इनकी सूचना 'वीरगसर्गाईया' इस वाक्यांश में है ।

औपपातिक में काय-क्लेश के दस प्रकार बतलाए गए हैं—(१) म्यान—कायोत्सर्ग, (२) ऊरुह आमन, (३) प्रतिमा आमन, (४) वीरासन, (५) निषद्या, (६) आतापना, (७) वस्त्र-त्याग, (८) अरुण्डयन—चात्र न करना, (९) अतिष्ठीवन -थूफने का त्याग और (१०) मर्वं गात्र परिक्रमं विभूया का वर्जन—देह परिक्रमं की उपेक्षा ।^४

आचार्य वसुनन्दि के अनुसार आचार्य, निर्विकृति, एकस्थान, उन्वास, वशा आदि के द्वारा शरीर को कृत करना 'काय-क्लेश' है ।^५

यह व्याख्या उक्त व्याख्याओं से भिन्न है । वंशे तो उन्वास आदि करने में काया को क्लेश होता है, किन्तु भोजन से मध्वनिधन—अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-संश्लेष और रस-परित्याग—चारों बाह्य-तपों से काय-क्लेश का लक्षण भिन्न होना चाहिए । इन दृष्टि से काय-क्लेश की व्याख्या उन्वास-प्रधान न होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए । शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उसे प्राप्त करने के लिए आसन आदि माधना, उसको सवारने से उदासीन रहना—यह काय-क्लेश का मूल-स्पर्शी अर्थ होना चाहिए ।

द्वितीय अध्ययन में जो परीषह बतलाए गए हैं, उनसे यह भिन्न है । काय-क्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट होता है ।^६

१-मूलाराधना, ३।२।१६ ।

२-मूलाराधना, ३।२।१७, अमितगति

सतोषो भाषितः सम्यग्, ब्रह्मचर्यं प्रपातितम् ।

वर्णित स्वस्य वैराग्यं, कुर्वाणेन रमोऽभ्यनम् ॥

३-स्थानाग, ७।५।५४ ।

४-औपपातिक, सूत्र १९ ।

५-वसुनन्दि आचकाचार, श्लोक ३५१

आयं बिल निध्वियसी, एषट्पाण छट्टभाइस्वषणेहि ।

ज कीरुह तणुताव, कायकिलेसो मुणेयध्वो ॥

६-तत्त्वार्थ, ९।१९, क्षुत्सागरीय वृत्ति

यदृच्छया समागत परीषहः, स्वयमेव कृत काय-क्लेशः इति परीषहकायक्लेशयोर्विशेषः ।

श्रुतसागर गणि के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में यम में, गीत ऋतु में खुले स्थान में और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे सोना, ताना प्रचार की प्रतिमाएँ और आसन करना 'काय-क्लेश' है।^१

मूलाराधना में काय-क्लेश के पाँच विभाग किए गए हैं -

(१) गमन योग

- (क) जनम्य गमन - कहीं या में पूर्व से पश्चिम की ओर जाना ।
- (ख) प्रनिर्म्य गमन -- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना ।
- (ग) ऊत्रमूर्ग गमन — मध्याह्न मर्ग में गमन करना ।
- (घ) नियंक्सूर्य गमन— सूर्य निरुद्धा हो तब गमन करना ।
- (ङ) उद्भ्रमक गमन — अवस्थित ग्राम में भिक्षा के लिए दूसरे गाँव में जाना ।
- (च) प्रत्यागमन— दूसरे गाँव जाकर पुन अवस्थित गाँव में लौट आना ।

(२) स्थान योग

स्वताम्बर-साहित्य में 'ठाणाज्य' पाठ मिलता है और कहीं-कहीं 'ठाणायत' । 'ठाणायत' की अपेक्षा ठाणाज्य अधिक उर्ध्वगुणक है । बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में स्थान के साथ लोभ आदि शब्द का निपीदन व शयन का गृहक बनाया गया है।^२

औपचारिक में भी यहाँ प्रकरण में 'ठाणाज्य' है । उनका भी स्थान अर्थ उल्लेख नहीं है । साधारणता का उल्लेख वे महत्त्व ही महत्त्व प्राप्त होता है कि आदि शब्द स्थान के पर्यायों का गृहक है । उनके अनुसार मान या उर्ध्वगमन के मान प्रकार हैं -

- (क) साधारण - नन्म या भित्ति का गृहण लेकर खड़े होना ।
- (ख) सविचार— पूर्वावस्थित स्थान से उस स्थान में जाकर पदों दिवस जाति तक खड़े रहना ।
- (ग) मनिच्छ - स्व-स्थान में खड़े रहना ।
- (घ) व्युत्सर्ग - तपस्या करना ।
- (ङ) समपाद— पदों को मटा कर खड़े रहना ।
- (च) एक पाद — एक पैर में खड़े रहना ।
- (छ) गच्छा ज्ञान - आराधना में उचित समय और स्थान में जाकर खड़ा होना है ।

(३) आसन योग

- (क) पर्यंक— दोनी जघामो न असायां का डाला गया पर 'दृश्य' कर बैठना ।
- (ख) निपद्य — विजय प्रचार में बैठना ।
- (ग) नमपद — जघा और कर्ण जघा में समान कर बैठना ।
- (घ) गोशहिम — गाय व. इत्यादि सम्यक् जगत् जायते बैठने हे, उन जानत में बैठना ।
- (ङ) उ कुटिका— उर्ध्व उर्ध्व — गीत में कुत्ता को गंधार रखना बैठना ।

१-तत्त्वार्थ, १/१९, श्रुतसागराय वृत्ति ।

२-मूलाराधना, ३/२२२ ।

३-बही, ३/२२३ ।

४-बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९१३, वृत्ति

स्थानायत नाम उर्ध्व स्थानरूपमायत स्थान तत्र यस्यामग्निना स्थानायतिका । ते खिले 'ठाणाज्यात्' इति पठन्ति तत्रायमर्थ सर्वेषां निषीदनादीनां स्थानानां आदिभूतमूर्ध्वस्थानम्, अतः स्थानानामादौ पच्छतीति ध्युत्पत्त्या स्थानादिनां तद उच्यते ।

(च) मकरमुख—	मगर के मुँह के समान पावों की आकृति बना कर बैठना ।
(छ) हस्तिशुद्धि—	हाथी की सूँड की भाँति एक पैर को फैला कर बैठना ।
(ज) गो-निषद्या—	दोनो जघाओं को सिकोड़ कर गाय की तरह बैठना ।
(झ) अर्धपर्यङ्ग—	एक जघा के अधोभाग को एक पैर पर टिका कर बैठना ।
(ञ) वीरासन—	दोनों जंघाओं को अन्तर से फैला कर बैठना ।
(ट) दण्डायत —	दण्ड की तरह पैरो को फैला कर बैठना । ^१

(४) शयन योग—

(क) ऊर्ध्व शयन—	ऊँचा होकर सोना ।
(ख) लगड शयन—	दण्ड काठ की भाँति एटियों और शिर को भूमि से सटा कर शरीर को ऊपर उठा कर सोना अथवा पीठ को भूमि से सटा कर शरीर को ऊपर उठा कर सोना ।
(ग) उत्तान शयन—	सीधा लेटना ।
(घ) अवमस्तक शयन—	औंधा लेटना ।
(ङ) एकपार्श्व शयन—	दाईं या बाईं करवट लेना ।
(च) मृतक शयन—	शवासन ।

(५) अपरिक्लम योग—

(क) अत्रावकाश शयन—	खुले आकाश में सोना ।
(ख) अनिठीवन—	नहीं थूकना ।
(ग) अकण्डयन—	नहीं खुजलाना ।
(घ) नृण-फलक-शिला-भूमि-शय्या—	घास, काठ के फलक, शिला और भूमि पर सोना ।
(ङ) केश लोच—	बालों को हाथ से नोँचना ।
(च) अम्युत्थान—	रात में जागना ।
(छ) अस्नान—	स्नान नहीं करना ।
(ज) अदन्तघावन—	दंतों नहीं करना ।
(झ) शीत-उष्ण, आस्तापना, गर्मी और घृष सहन करना । ^२	

स्थान (आसन)-तालिका

उत्तराध्ययन, स्थानाग और औपपातिक के स्थान-शब्द का विवरण मूलाराधना के स्थान-योग में मिलता है । स्थानाग में ७, औपपातिक में ८, बृहदारण्यक में १२ और दशाष्टुत-श्व-घ में १० आसनों का उल्लेख मिलता है । मूलाराधना में इक्कीस, ज्ञानार्णव में सात, योग-शास्त्र में नौ, प्रवचनसारोद्धार में दस तथा अमितगति श्रावकाचार में पाँच आसनों का उल्लेख है—

स्थानाङ्गः (७।५५४)

कामोत्सर्ग, उत्कटकासन, प्रतिभासन, वीरासन, निषद्या, दण्डायतासन और लगण्डशयनासन ।

१-मूलाराधना, ३।२२४-२५ ।

२-बृहदारण्यक, ३।२२६-२२७ ।

औपपातिक, (१९)

कायोत्सर्ग, उत्कटुकासन, प्रतिमासन, वीगसन, निषद्या, दण्डायन, लगण्डशयन और आतापनासन ।

बृहत्कल्प, (५१९-३०)

समपादिका, कायोत्सर्ग, प्रतिमासन, निषद्या, उत्कटुकासन, वीरासन, दण्डायन, लगण्डशयन, अधोमुखामन, उत्तानशयन, आस्रकुम्भिका

और एकपादशयन ।

दशभुतरकन्ध, (७)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निषद्या, दण्डायनासन, लगण्डशयन, उत्कटुकासन, कायोत्सर्ग, गो-दोहिकासन, वीरासन और आस्रकुम्भिकासन ।

मूकाराधना

व्युत्सर्ग, समपाद, एकाद, द्वादोद्गोन, पर्यङ्क, निषद्या, ममाद, गो-दोहिका, उत्कटिका, मकरमुख, हस्तिशुडि, गो-निषद्या, अर्धपर्यङ्क, वीरासन, दण्डायनशयन, ऊर्ध्वशयन, लगण्डशयन, उत्तानशयन, अत्रमन्त्रकशयन, एकादशशयन और मृत्क-शयन -शकामन ।

ज्ञानार्णव, (३८१:०)

पर्यङ्कासन, अर्धपर्यङ्कामन, वज्रासन, वीगसन, मुखामन पद्मासन और कायोत्सर्ग ।

योगशास्त्र, (४१९२४)

पर्यङ्कासन, वीगसन, वज्रामन, पद्मासन, भद्रामन, दण्डामन, उत्कटुकासन, गो-दोहिकासन और कायोत्सर्ग ।

प्रवचनसारोद्धार, (५८३-५८५)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निषद्या, कायोत्सर्ग, उत्कटुक, लगण्डशयन, दण्डायनासन, गो-दोहिकासन, वीगसन और आस्रकुम्भ ।

अमिलगति श्रावकाचार, (८१४५-४८)

पद्मासन, पर्यङ्कासन, वीगसन, उत्कटुकासन और गत्रामन ।

निषद्या के भेद निम्न प्रकार उपलब्ध हैं


स्थानाङ्ग (५१४००)

उत्कटुका
गो दोहिका
ममपादपुता
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

बृहत्कल्प भाष्य (५९५३)

समपादपुता
गो-निषद्या
हस्तिशुडिका
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

औपपातिक (१९) में आतापनासन के भेदोपभेद इस प्रकार मिलते हैं -



श्लोक २८

१०-श्लोक २८ :

इस श्लोक में छठे बाह्य-तप की परिभाषा की गई है। आठवें श्लोक में बाह्य-तप का छद्म प्रकार 'संलीनता' बताया गया है और इस श्लोक में उमका नाम 'विविक्त-शयनासन' है। भगवती (२५।७।०२) में छद्म प्रकार 'प्रतिमलीनता' है। तत्त्वार्थ सूत्र (६-१६) में विविक्त-शयनासन बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है। मूलाराधना (३।२०८) में विविक्त-शय्या बाह्य-तप का छद्म प्रकार है। इस प्रकार कुछ ग्रन्थों में संलीनता या प्रतिसंलीनता और कुछ ग्रन्थों में विविक्त-शयनासन या विविक्त-शय्या का प्रयोग मिश्रण है। किन्तु औरशाक्तिक के आचार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिसंलीनता' है। विविक्त-शयनासन उसी का एक अवान्तर भेद है।

प्रतिमलीनता चार प्रकार की होती है—(१) इन्द्रिय-प्रतिमंलीनता, (२) कषाय-प्रतिमंलीनता, (३) योग-प्रतिमंलीनता और (४) विविक्त-शयनासन-सेवन ।^१

प्रस्तुत अध्ययन में संलीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रू में की गई, यह आश्चर्य का विषय है। हो सकता है मूल-कार इसी को महत्त्व देना चाहते हों।

तत्त्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती-ग्रन्थों में इसी का अनुसरण हुआ है।^२ विविक्त-शयनासन का अर्थ मूत्राशय में स्पष्ट है।

मूलाराधना के अनुसार शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श के द्वारा चित्त-विक्षोभ नहीं होना, स्वाध्याय और ध्यान में श्यामात नहीं होना, वह विविक्त-शय्या है। जहाँ स्त्री-पुरुष और नरुसक न हों, वह विविक्त-शय्या है। भले फिर उनके द्वार खुले हों या बंद, उनका प्रयोग सम हो या विषम, वह गाँव के बाह्य-भाग में हो या मध्य भाग में, शीत हो या ऊष्ण।

विविक्त-शय्या के कुछ प्रकार ये हैं—गन्ध-गृह, गिरि-गुफा, वृक्ष-मूत्र, आगन्तुक-आगार (विश्राम-गृह), देव-कुल, अकृत्रिम-शिला-गृह, और कूट-गृह।

विविक्त-शय्या में रहने से इनने दोषों से सहज ही बचाव हो जाता है—(१) कन्ध, (२) बोल (शब्द बहुलता), (३) मंभा (सक्तेग), (४) व्यामोह, (५) सांकर्य (असंप्रमियों के साथ मिश्रण), (६) ममत्व और (७) ध्यान तथा स्वाध्याय का व्याधान।^३

श्लोक ३१

११-श्लोक ३१ :

प्रायश्चित्त आभ्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दस प्रकार हैं—

- | | |
|-----------------------|--|
| (१) आलोचना-योग्य— | गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। |
| (२) प्रतिक्रमण-योग्य— | किण्ण हुए पापों से निवृत्त होने के लिए 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' 'मेरे सब पाप निष्कृत हों'—ऐसा कहना, कायोद्दमर्ग आदि करना तथा भविष्य में पाप-कार्यों से दूर रहने के लिए सावधान रहना। |

१-औपपातिक, सूत्र १९

से किं त पतिसंलीनया ? २-अजविहा पणसता, तजहा—इंद्रियपतिसंलीनया कसायपतिसंलीनया जोगपतिसंलीनया विचित्त-सयनासनसेवनया।

२-तत्त्वार्थ, सूत्र १।१९ :

अनशानावमौर्द्धयवृत्तिपरिसंस्थानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायबलेशा बाह्य तप।

३-मूलाराधना, ३।२०८-२९, ३१, ३२।

(३) तदुभय-योग्य—	पाप से निवृत्त होने के लिए ध्यालोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना ।
(४) विवेक-योग्य—	आए हुए अशुद्ध-आहार आदि का उत्सर्ग करना ।
(५) ध्युत्सर्ग-योग्य—	चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना ।
(६) तप-योग्य—	उपवास, बेला आदि करना ।
(७) छेद-योग्य	पाप-निवृत्ति के लिए संयम-काल को छेद कर कम कर देना ।
(८) मूल-योग्य -	पुन व्रतों में आरोपित करना— नई दीक्षा देना ।
(९) अनवस्थापना-योग्य -	तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना ।
(१०) पारान्तिक-योग्य—	भस्मना एवं अबहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना । ^१

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२२) में प्रायश्चित्त के प्रकार ६ ही बतलाए गए हैं । पारान्तिक का उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ३२

१२-श्लोक ३२ :

विनय आभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है । प्रस्तुत श्लोक में उसके प्रकारों का निर्देश नहीं है । स्थानाग (७।५८५), भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं—

(१) ज्ञान-विनय—	ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना ।
(२) दर्शन-विनय—	गुरु की शिष्या करना, आशातना न करना ।
(३) चारित्र-विनय—	चारित्र का यथोक्त प्ररूपण और अन्तान करना ।
(४) मनो-विनय—	अकुशल-मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(५) वचन-विनय—	अकुशल-वचन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति
(६) काय-विनय—	अकुशल-काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(७) लोकोपचार-विनय—	लोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना ।

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२३) में विनय के प्रकार चार ही बतलाए गए हैं—(१) ज्ञान-विनय, (२) दर्शन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय ।

श्लोक ३३

१३-श्लोक ३३ :

वैयावृत्य आभ्यन्तर तप का तीसरा प्रकार है । स्थानाग (१०।७१) के आधार पर उसके दस प्रकार हैं—(१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) स्वयं का वैयावृत्य, (४) तपस्वी का वैयावृत्य, (५) श्लान का वैयावृत्य, (६) शैल (नव-दीक्षित) का वैयावृत्य, (७) कुल का वैयावृत्य, (८) गण का वैयावृत्य, (९) मघ का वैयावृत्य और (१०) साधर्मिक का वैयावृत्य ।^२

१-(क) स्थानाग, १०।७३३ ।

(ख) भगवती, २५।७।८०१ ।

(ग) औपपातिक, सूत्र २० ।

२-औपपातिक सूत्र २० की वृत्ति से निम्न परिभाषाएँ हैं -

कुल—कुलों का समुदाय (कुल गणसमुदाय) ।

गण—कुलों का समुदाय (गण कुलानां समुदाय) ।

संघ—गणों का समुदाय (संघो गणसमुदाय) ।

साधर्मिक—समान धर्मा—समान धर्म वाले साधु-साध्वी (साधर्मिकः साधुः साध्वी वा) ।

अणवती (२५।७।५०२) और औपपातिक (सूत्र २०) के वर्गीकरण का क्रम उरर्ध्वतः क्रम से कुछ भिन्न है। वह इस प्रकार है : (१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) शैक्ष का वैयावृत्य, (४) ग्लान का वैयावृत्य, (५) तपस्वी का वैयावृत्य, (६) स्वविर का वैयावृत्य, (७) सार्धमिक का वैयावृत्य, (८) कुल का वैयावृत्य, (९) गण का वैयावृत्य और (१०) संघ का वैयावृत्य।

तत्त्वार्थ सूत्र (१।२४) में ये कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं—(१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) तपस्वी का वैयावृत्य, (४) शैक्ष का वैयावृत्य, (५) ग्लान का वैयावृत्य, (६) गण का वैयावृत्य (गण—श्रुत-स्वविरों की परम्परा का संस्थान)^१, (७) कुल का वैयावृत्य (एक आचार्य का साधु-समुदाय 'गच्छ' कहलाता है। एक जातीय अनेक गच्छों को 'कुल' कहा जाता है।)^२, (८) संघ का वैयावृत्य (संघ अर्थात् साधु, साध्वी, भावक और भ्रातृका)^३, (९) साधु का वैयावृत्य और (१०) समनोज्ञ का वैयावृत्य। (समान सामाचार्यी बाले तथा एक मण्डली में भोजन करने वाले साधु 'समनोज्ञ' कहलाते हैं)।^४

इस वर्गीकरण में स्वविर और सार्धमिक—ये दो प्रकार नहीं हैं, उनके स्थान पर साधु और समनोज्ञ—ये दो प्रकार हैं। गण और कुल की भौति संघ का अर्थ भी साधु-परक ही होना चाहिए। ये दसों प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदों या रूपों से सम्बद्ध हैं।

श्लोक ३४

१४-श्लोक ३४ :

स्वाध्याय आभ्यन्तर-तप का चौथा प्रकार है। उसके पाँच भेद हैं—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मोपदेश।

देखिए—२६।१८ का टिप्पण।

तत्त्वार्थ सूत्र (१।२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्न है—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय और (५) धर्मोपदेश।

इनमें परिवर्तना के स्थान में 'आम्नाय' है। आम्नाय का अर्थ है 'शुद्ध उच्चारण पूर्वक बार-बार पाठ करना'।^१

परिवर्तना या आम्नाय को अनुप्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित लगता है। स्वाध्याय के प्रकारों में एक क्रम है—आचार्य शिष्यों को पढाते हैं, यह वाचना है। पढते समय या पढने के बाद शिष्य के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है, यह प्रच्छना है। आचार्य से प्राप्त श्रुत को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ करता है, यह परिवर्तना है।

१-तत्त्वार्थसिद्धि सूत्र, १।२५, भाष्यानुसारीटीका

गण—स्वविरसन्ततिसंस्थितिः। स्वविरप्रवृत्तेन श्रुतस्वविरपरिग्रहः, न वयसा पर्यायेण वा, तेषां सन्ततिः—परम्परा तस्या-संस्थानं—वर्तनं अद्यापि मयम संस्थितिः।

२-वही, १।२५

कुलमाचार्यसन्ततिसंस्थितिः। एकाचार्यप्रणेयसाधुसमूहो गच्छः।

बहूनां गच्छानां एकजातीयानां समूहः कुलम्।

३-वही, १।२५

सङ्घःस्ववृत्तिः—साधु-साध्वी-भावक-भ्रातृकाः।

४-वही, १।२५

हाववाचिसम्भोगभाजः समनोज्ञानवर्धनधारित्राधि मनोज्ञानि सह मनोज्ञैः समनोज्ञाः।

५-वही, १।२५, कुलानुसारीटीका वृत्तिः

अष्टस्थानोच्चारणविशेषेण गच्छद्वयं धोषनं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः कथ्यते।

परिचित ध्रुव का मर्म समझने के लिए वह उसका पर्यालोचन करता है, यह अनुप्रेक्षा है। पठिन, परिचित और पर्यालोचित ध्रुव का वह उपदेश करना है, यह धर्मकथा है। इस क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुप्रेक्षा से पहले प्राप्त होता है।

सिद्धसेन गणि के अनुसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है 'ग्रन्थ और अर्थ का मानसिक अभ्यास करना'। इसमें वर्णों का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णों का उच्चारण होता है यही इन दोनों का अन्तर है।^१ अनुप्रेक्षा के उक्त अर्थ के अनुसार उसे आम्नाय से पूर्व रखना भी अनुचित नहीं है।

आम्नाय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गुणन और रूपादान—ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द हैं।^२

अर्थोपदेश, व्याख्यान, अनुयोग-वर्णन, धर्मोपदेश—ये धर्मोपदेश या धर्मकथा के पर्यायवाची शब्द हैं।^३

श्लोक ३५

१५-श्लोक ३५ :

ध्यान आश्चर्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है। तत्त्वार्थ सूत्र के अनुसार व्युत्सर्ग पाँचवाँ और ध्यान छठा प्रकार है।^४ ध्यान से पूर्व व्युत्सर्ग किया जाता है, इस दृष्टि से यह क्रम उचित है और व्युत्सर्ग ध्यान के बिना भी किया जाता है।^५ उमका स्वतंत्र महत्व भी है, इसलिए उसे ध्यान के बाद भी रखा जा सकता है।

ध्यान की परिभाषा

चेतना की दो अवस्थाएँ होती हैं—(१) चल और (२) स्थिर। चल चेतना को 'चित्त' कहा जाता है। उसके तीन प्रकार हैं—

- (१) भावना— भाव्य विषय पर चित्त को बार-बार लगाना।
- (२) अनुप्रेक्षा— ध्यान से विरत होने पर भी उससे प्रभावित मानसिक चेष्टा।
- (३) चिन्ता— सामान्य मानसिक चिन्ता।

स्थिर चेतना को 'ध्यान' कहा जाता है।^६ जैसे अपरिस्पन्दमान अग्नि-उबाला 'शिखा' कहलानी है, वैसे ही अपरिस्पन्दमान ज्ञान 'ध्यान' कहलाता है।^७

१-तत्त्वार्थसिद्धि सूत्र, १।२५, माज्जानुसारी टीका ·

सन्नेहे सति ग्रन्थार्थयोर्मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा । न तु बहिर्बर्णोच्चारणमनुधावनीयम् । आम्नायोऽपि परिवर्तन उवासाविपरिशुद्धमनु-
धावनीयमभ्यासविशेषः ।

२-तत्त्वार्थ सूत्र, १।२५, भा३ध

आम्नायो घोषविशुद्धं परिवर्तनं गुणन, रूपादानमित्यर्थः ।

३-बही, १।२५ ·

अर्थोपदेशो व्याख्यानं अनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम् ।

४-बही, १।२० ।

५-बही, १।२२ ।

६-ध्यानशास्त्रक, श्लोक २

ज चिरमञ्जलसागं, त भागं जं चलं तयं चित्तं ।

तं हुज्ज मावथा वा, अणुपेहा वा अहव चित्ता ॥

७-तत्त्वार्थ सूत्र, १।२७, धृतसागरीय वृत्ति ·

अपरिस्पन्दमानं ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते । किंतु ? अपरिस्पन्दमानाग्निउबालाशब्दः । यथा अपरिस्पन्दमानाग्निउबाला शिखा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्देनावभासमानं ज्ञानमेव ध्यानमिति तात्पर्याच्चः ।

एकाग्र-चिन्तन को भी ध्यान कहा जाता है। चित्त अनेक वस्तुओं या विषयों में प्रवृत्त होता रहना है, उसे अन्य वस्तुओं या विषयों से निवृत्त कर एक वस्तु या विषय में प्रवृत्त करना भी ध्यान है।^१

मन, वचन और काया की स्थिरता को भी ध्यान कहा जाता है। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर ध्यान के तीन प्रकार होते हैं—

- (१) मानसिक-ध्यान— मन की निश्चलता—मनो-गुप्ति।
- (२) वाचिक-ध्यान— मौन—वचन-गुप्ति।
- (३) कायिक-ध्यान— काया की स्थिरता—काय-गुप्ति।^२

छद्मस्थ व्यक्ति के एकाग्र-चिन्तनात्मक-ध्यान होता है और प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली के होता है। छद्मस्थ के प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली जितना विशिष्ट भले हो न हो, किन्तु अशून्य होता ही है।

ध्यान के प्रकार

एकाग्र-चिन्तन को 'ध्यान' कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होते हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) धर्म्य और (४) शुक्ल।

(१) आर्त्त-ध्यान

चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र-परिणति को 'आर्त्त-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) कोई पुरुष अमनोज्ञ संयोग से समुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के वियोग का चिन्तन करता है—यह पहला प्रकार है।
- (ख) कोई पुरुष मनोज्ञ संयोग से समुक्त है, वह उस (मनोज्ञ विषय) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह दूसरा प्रकार है।
- (ग) कोई पुरुष आर्त्तक (=मद्योषानी रोग) के संयोग में समुक्त होने पर उस (आर्त्तक) के वियोग का चिन्तन करता है—यह तीसरा प्रकार है।
- (घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के संयोग में समुक्त है, वह उस (काम-भोग) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह चौथा प्रकार है।

आर्त्त-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- (क) आक्रन्द करना।
- (ख) शोक करना।
- (ग) आँसू बहाना।
- (घ) विलाप करना।

(२) रौद्र-ध्यान

चेतना की क्रूरतामय एकाग्र-परिणति को 'रौद्र-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) हिंसानुबन्धी— जिसमें हिंसा का अनुबन्ध—हिंसा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ख) मृषानुबन्धी— जिसमें मृषा का अनुबन्ध—मृषा में सतत प्रवर्तन हो।
- (ग) स्तेनानुबन्धी— जिसमें चोरी का अनुबन्ध—चोरी में सतत प्रवर्तन हो।
- (घ) संरक्षणानुबन्धी— जिसमें विषय के साधनों के संरक्षण का अनुबन्ध—विषय के साधनों के संरक्षण में सतत प्रवर्तन हो।

१—ध्यानशतक, श्लोक ३

अंतोमुहुत्तमितं, चित्तावस्थानमेगवस्थुम्भि ।

छद्मस्थानं भाण, जोगमिरोहो जिगाणं तु ॥

२—लोकप्रकाश, ३०।४२१-४२२ .

यथा मानसिकं ध्यानमेकाग्र निश्चल मनः ।

यथा च कायिकं ध्यानं, स्थिरः कायो निरञ्जनः ॥

तथा यतनया भाषां भाषमाणस्य शोभनाम् ।

दृष्टां वर्जयतो ध्यानं वाचिकं कथितं जिनै ॥

रौद्र-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- | | |
|-------------------|---|
| (क) अनुपरत दोष— | प्रायः हिंसा आदि से उपरत न होना । |
| (ख) बहु दोष— | हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में संलग्न रहना । |
| (ग) अज्ञान दोष— | अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना । |
| (घ) आमरणान्त दोष— | मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुत्थाप न होना । |

ये दोनों ध्यान पापाश्रव के हेतु हैं, इसलिए इन्हें 'अप्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है। इन दोनों को एकाग्रता की दृष्टि से ध्यान की कोटि में रखा गया है, किन्तु माधना की दृष्टि से आसं और रौद्र परिणतिमय एकाग्रता विघ्न ही है।

मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही हैं—(१) धर्म्य और (२) शुक्ल^१। इनमें आश्रव का निरोध होता है, इसलिए इन्हें 'प्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है।

(३) धर्म्य-ध्यान

वस्तु-धर्म या सत्य की गवेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता को 'धर्म्य-ध्यान' कहा जाता है। इसके चार प्रकार हैं—

- | | |
|-------------------|---|
| (क) आज्ञा-विषय— | प्रवचन के निर्णय में संलग्न चित्त । |
| (ख) अपाय-विषय— | दोषों के निर्णय में संलग्न चित्त । |
| (ग) विपाक-विषय— | कर्म-फलों के निर्णय में संलग्न चित्त । |
| (घ) संस्थान-विषय— | विविध पदार्थों के आकृति-निर्णय में संलग्न चित्त । |

धर्म्य-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- | | |
|------------------|--|
| (क) आज्ञा-रुचि— | प्रवचन में श्रद्धा होना । |
| (ख) निसर्ग-रुचि— | सहज ही मत्स्य में श्रद्धा होना । |
| (ग) सूत्र-रुचि— | सूत्र-पठन के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होना । |
| (घ) अवगाढ-रुचि— | विस्तार में सत्य की उपलब्धि होना । |

धर्म्य ध्यान के चार आलम्बन हैं—

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| (क) वाचना— | पढाना । |
| (ख) प्रतिप्रच्छना— | शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना । |
| (ग) परिवर्तना— | पुनरावर्तन करना । |
| (घ) अनुप्रेक्षा— | अर्थ का चिन्तन करना । |

धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| (क) एकत्व-अनुप्रेक्षा— | अकेलेपन का चिन्तन करना । |
| (ख) अनिरय-अनुप्रेक्षा— | पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना । |
| (ग) अक्षरण-अनुप्रेक्षा— | अक्षरण-दशा का चिन्तन करना । |
| (घ) संसार-अनुप्रेक्षा— | संसार-परिश्रमण का चिन्तन करना । |

१-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२९।

(४) शुक्ल-ध्यान

चेतना की सहज (उपधि-रहित) परिणति की 'शुक्ल-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी,
- (ख) एकत्व-वितर्क-अविचारी,
- (ग) सूक्ष्म-क्रिय-अनिवृत्ति और
- (घ) समुच्छिन्न-क्रिय-अप्रतिपाति।

ध्यान के विषय द्रव्य और उसके पर्याय हैं। ध्यान दो प्रकार का होता है—(१) सालम्बन और (२) निरालम्बन। ध्यान में सामग्री का परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता। वह दो दृष्टियों से होता है— भेद-दृष्टि से और अभेद-दृष्टि से।

जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियों—नयों से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एवं मन, वचन और काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी' कहा जाता है।

जब एक द्रव्य या किसी एक पर्याय का अभेद-दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा जहाँ शब्द, अर्थ एवं मन, वचन और काया में से एक दूसरे में संक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क-अविचारी' कहा जाता है।

जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता—स्वासोच्छ्वास जंसी सूक्ष्म-क्रिया शेष रहती है, उस अवस्था को 'सूक्ष्म-क्रिय' कहा जाता है। इसका निवर्तन (ह्रास) नहीं होता, इसलिए यह अनिवृत्ति है।

जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को 'समुच्छिन्न-क्रिय' कहा जाता है। इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है।

शुक्ल-ध्यान के चार लक्षण —

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| (क) अव्यथ— | क्षोभ का अभाव। |
| (ख) असम्मोह - | सूक्ष्म-पदार्थ-विषयक मूढता का अभाव। |
| (ग) विवेक— | शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान। |
| (घ) व्युत्सर्ग | शरीर और उपधि में अनासक्त-भाव। |

शुक्ल-ध्यान के चार आलम्बन -

- (क) धान्ति—क्षमा, (ख) मुक्ति—निर्लोभता, (ग) मार्दव मृदुता और (घ) आजंघ -सरलता।

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षार्यें —

- | | |
|--------------------------------|---|
| (क) अनन्तवृत्तता-अनुप्रेक्षा - | संसार-परम्परा का चिन्तन करना। |
| (ख) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा - | वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन करना। |
| (ग) अवाप्त-अनुप्रेक्षा | पदार्थों की अवाप्तता का चिन्तन करना। |
| (घ) अपाय-अनुप्रेक्षा -- | दोषों का चिन्तन करना। |

श्लोक ३६

१६—श्लोक ३६ :

व्युत्सर्ग आन्त्यन्तर-रूप का छठा प्रकार है। भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सू० २०) के अनुसार व्युत्सर्ग दो प्रकार का होता है—

- (१) द्रव्य-व्युत्सर्ग और
- (२) भाव-व्युत्सर्ग।

द्रव्य-व्युत्सर्ग के चार प्रकार—

(क) शरीर-व्युत्सर्ग—	शारीरिक चञ्चलता का विसर्जन ।
(ख) गण-व्युत्सर्ग—	विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन ।
(ग) उपधि-व्युत्सर्ग—	वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन ।
(घ) भक्त-दान-व्युत्सर्ग—	भोजन और जल का विसर्जन ।

भाव-व्युत्सर्ग के तीन प्रकार—

(क) कषाय-व्युत्सर्ग—	क्रोध आदि का विसर्जन ।
(ख) ससार-व्युत्सर्ग—	परिभ्रमण का विसर्जन ।
(ग) कर्म-व्युत्सर्ग—	कर्म-पुद्गलों का विसर्जन ।

प्रस्तुत श्लोक में केवल काय-व्युत्सर्ग की परिभाषा की गई है। इसका दूसरा नाम 'कायोत्सर्ग' है। कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का उत्सर्ग- त्याग' ।

प्रश्न होता है कि आयु पूर्ण होने से पहले काया का उत्सर्ग कैसे हो सकता है? यह सही है जब तक आयु शेष रहनी है, तब तक काया का उत्सर्ग—त्याग नहीं किया जा सकता। किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, दोषपूर्ण है, अमार है, दुःख-हेतु है, इसमें ममत्व रखना दुःख का मूल है—इस बोध से भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह मोक्षना है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ। न भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। इस प्रकार का संकल्प करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है। इस स्थिति का नाम है 'कायोत्सर्ग'। एक घर में रहने पर भी पति द्वारा अनादर पत्नी 'परित्यक्ता' कहलाती है। जिस वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में अनादर-भाव होता है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है। जब काया में ममत्व नहीं रहना, आदर-भाव नहीं रहना तब काया परित्यक्त हो जाती है।

कायोत्सर्ग-विधि

जो कायोत्सर्ग करना चाहे, वह काया से निम्न होकर खम्बे की भाँति सीधा खड़ा हो जाए। दोनों बांहों को घुटनों की ओर फेंका दे, प्रदान्त-ध्यान में निम्न हो जाए। काया को न अकड़ा कर खड़ा हो और न झुका कर भी। परीषह और उरगर्षों को महन करे। जीव-जन्तु-रहित एकान्त स्थान में खड़ा रहे और कायोत्सर्ग मुक्ति के लिए करे।^१

कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का काया से वियोजन। काया के साथ आत्मा का जो संयोग है, उसका मूल है प्रवृत्ति। जो इनका वियोग चाहना है अर्थात् आत्मा के सान्निध्य में रहना चाहता है, वह ध्यान, भजन और ध्यान के द्वारा "स्व" का व्युत्सर्ग करता है।

स्थान—	काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—काय-गुप्ति।
मान	वाणी की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—वाक्-गुप्ति।
ध्यान	मन की प्रवृत्ति का एकाग्रिकरण—मनो-गुप्ति।

कायोत्सर्ग में श्वासोच्छ्वास जमी मूलम प्रवृत्ति होती है, शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है।^२

१—मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

काय शरीरं तस्य उत्सर्गस्त्यागः । तत्र शरीरनि स्पृह, स्थाणुरिषोर्द्ध्वकायः प्रलंबितमुज, प्रशस्तध्यानपरिणतोऽनुभूयमानत-
कायः, परीषहानुपसर्गश्च सहमान तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभिलाषी विविक्ते द्वेषे ।

२—योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०

कायस्य शरीरस्य स्थानमौनध्यानक्रियाव्यतिरेकेण अग्र्यत्र उच्छ्वसितादिभ्यः क्रियान्तराध्यासमधिकृत्य य उत्सर्गस्त्यागो 'नमो अरहंतार्यं' इति वचनात् प्राक्स कायोत्सर्गः ।

कायोत्सर्ग के प्रकार

कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है—

- (१) उत्थित-उत्थित—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है और धर्म्य या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से भी उन्नत होता है और ध्यान से भी उन्नत होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उत्थित-उत्थित' कहा जाता है।
- (२) उत्थित-उपविष्ट—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है, किन्तु आर्त्त या रौद्र ध्यान से अवनत होता है, इसलिए उसके ध्यान को 'उत्थित-उपविष्ट' कहा जाता है।
- (३) उपविष्ट-उत्थित—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और धर्म्य या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से बंठा हुआ होता है और ध्यान से खड़ा होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उत्थित' कहा जाता है।
- (४) उपविष्ट-उपविष्ट—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और आर्त्त या रौद्र ध्यान में लीन होता है, वह काया और ध्यान—दोनों से बंठा हुआ होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उपविष्ट' कहा जाता है।

इनमें प्रथम और तृतीय अगीकरणीय हैं और शेष दो त्याज्य हैं।

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार कायोत्सर्ग खड़े, बैठे और सोते—इन तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। इस भाग में कायोत्सर्ग और 'स्थान' दोनों एक बन जाते हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो प्रकार हैं—

- (१) चेष्टा-कायोत्सर्ग— अतिचार शुद्धि के लिए जो किया जाता है।
- (२) अभिनव-कायोत्सर्ग— विंगेप विशुद्धि या प्राप्त कष्ट को मूहने के लिए जो किया जाता है।^३

१-(क) अमितगति-श्रावकाचार, ८।५७-६१

त्यागो देहममत्वस्य, तनूत्सृतिस्वाहता । उपविष्टोपविष्टादि-विभेदेन चतुर्विधा ॥
 आर्त्तरौद्रद्वय यस्यामुपविष्टेन चित्यते । उपविष्टोपविष्टास्या, कथ्यते सा तनूत्सृति ॥
 धर्मशुक्लद्वय यस्यामुपविष्टेन चित्यते । उपविष्टोत्थितां सतस्ता वदति तनूत्सृतिम् ॥
 आर्त्तरौद्रद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते । तामुत्थितोपविष्टाह्वा निगदति महाधिप ॥
 धर्मशुक्लद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते । उत्थितोत्थितनामानं, सं भाषते द्विपरिचय ॥

(ख) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १४५९-१४६०

उत्तिउरिसओ अ तह, उत्तिसओ अ उत्तिसयनिसन्नओ चेष ।
 निसनुत्तिसओ निसन्नो, निस्तन्नगनिसन्नओ चेष ।
 निबणुत्तिसओ निबन्नो, निबन्ननिबन्नगो अनायवओ ।

(ग) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

२-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० :

स च कायोत्सर्ग उच्छ्रितनिषण्णशयितभेदेन त्रेधा ।

३-(क) आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १४५२ :

सो उस्तन्नो वुविहो चिट्ठाए अमिमवे य नायवओ ।
 निवसायरियाइ पढमो उवत्सगमिजुंजणे विहओ ॥

(ख) बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५८ :

इह द्विधा कायोत्सर्ग—चेष्टायाममिमवे च ।

(ग) योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० .

तत्र चेष्टा कायोत्सर्गोऽपि—पञ्चविंशति—सप्तविंशति—त्रिंशती—पञ्चशती अष्टोत्तरसहस्रोच्छ्वासान् यावदभवति ।
 अमिमवकायोत्सर्गस्तु मुहूर्त्तद्वारभ्य सवत्सरं यावद्वाहृबलेरिव भवति ।

(घ) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

अतर्मुहूर्त्तः कायोत्सर्गस्य जघन्य कालः, षष्ठमुत्कृष्टः । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा भवति । रात्रिबिन्-पक्ष-
 मासचतुष्टय-संवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापेक्षया । सायाह्ने उच्छ्वासात्कं, प्रत्युषसि पंचाशत्, पक्षे त्रिंशत्तानि,
 चतुर्षु मासेषु चतुःशतानि, पंच शतानि संवत्सरे उच्छ्वासानां । प्रत्युषसिप्राणिबधाविषु पञ्चस्वतिचारेषु अऽशानोच्छ्वासात्तत्रः
 कालः कायोत्सर्ग ।

चेष्टा-कायोत्सर्ग का काल उच्छ्वास पर आधृत है। विभिन्न प्रयोजनों से वह आठ, पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सौ और एक हजार आठ उच्छ्वास तक किया जाता है।

अभिनव-कायोत्सर्ग का काल जषन्यत अन्तर्मुहूर्न और उत्कृष्टत एक वर्ष का है। बाहुबलि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था।

अतिचार-वृद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के अनेक विकल्प होते हैं—

- (१) देवसिक-कायोत्सर्ग।
- (२) रात्रिक-कायोत्सर्ग।
- (३) पाक्षिक-कायोत्सर्ग।
- (४) चातुर्मासिक-कायोत्सर्ग।
- (५) साम्बत्सरिक-कायोत्सर्ग।

कायोत्सर्ग आवश्यक का पाँचवाँ अंग है। ये उक्त कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण के साथ किए जाते हैं। इन (कायोत्सर्ग) से चतुर्विंशस्तव का ध्यान किया जाता है। उसके सात श्लोक और अट्ठाईस चरण हैं। एक उच्छ्वास में एक चरण का ध्यान किया जाता है। कायोत्सर्ग-काल में सातवें श्लोक के प्रथम चरण 'चन्देसु निम्मलयरा' तक ध्यान किया जाता है। इस प्रकार एक 'चतुर्विंशस्तव' का ध्यान पच्चीस उच्छ्वासों में सम्पन्न होता है। प्रवचनसारोद्धार और विजयोदया के अनुसार इनके ध्येय-परिमाण और काल-मान डम प्रकार है—

	प्रवचनसारोद्धार ^२				विजयोदया ^३			
	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(१) देवसिक	४	२५	१००	१००	४	२५	१००	१००
(२) रात्रिक	२	१२	५०	५०	२	१२	५०	५०
(३) पाक्षिक	१०	७५	३००	३००	१०	७५	३००	३००
(४) चातुर्मासिक	२०	१२५	५००	५००	१६	१००	४००	४००
(५) साम्बत्सरिक	४०	२५०	१०००	१०००	२०	१२५	५००	५००

अमितगति-श्रावकाचार के अनुसार देवसिक-कायोत्सर्ग में १०० तथा रात्रिक-कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वास तक ध्यान किया जाता है और अन्य कायोत्सर्ग में २७ उच्छ्वास तक। २७ उच्छ्वासों में नमस्कार-मंत्र की ती आठवटियाँ की जाती हैं अर्थात् तीन उच्छ्वासों में एक नमस्कार-मंत्र पर ध्यान किया जाता है—संभव है प्रथम दो-दो वाक्य एक-एक उच्छ्वास में और पाँचवाँ वाक्य एक उच्छ्वास में। अथवा 'एसो

१—योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २१५।

पंचविंशत्युच्छ्वासाश्च चतुर्विंशतिस्तवेन चन्देसु निम्मलयरा इत्यन्तेन चिन्तितेन पूर्वन्ते, पायसमा उक्ताता इति वचनात्।

२—प्रवचनसारोद्धार, गाथा १८३-१८५।

कस्तारि दो दुषालस बीस कसा य हृति उज्जोया।

देसिय राहम पफिसय चाउम्मासे य वरित्ते य ॥

पणबीस अट्ठतेरस सलोग पन्सरी य बोद्धया।

सकमेणं पणबीस वे वावण्णा य वरिसंमि ॥

साय सयं नोसद्धं तिन्नेव सया ह्वंति पक्कमि।

पंच य चाउम्मासे वरित्ते अट्ठोत्तरसहस्सा ॥

३—मूलारावणा, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८।

पंच णमोवकारो' सहित नौ पदों की तीन आवृत्तियाँ भी हो सकती हैं—प्रत्येक पद की एक-एक उच्छ्वास में आवृत्ति होने से सत्ताईस उच्छ्वास होते हैं ।^१ अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्सर्गों की सारी संख्या अट्ठाईस मानी है ।^२ वह इस प्रकार है—

(१) स्वाध्याय-काल में—	१२
(२) वन्दना-काल में—	६
(३) प्रतिक्रमण-काल में—	८
(४) योग-भक्ति-काल में—	२
	२८

पाँच महाव्रतों के अतिक्रमणों के लिए १०८ उच्छ्वास का कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^३

कायोत्सर्ग करते समय यदि उच्छ्वासों की रूखा विरभृत हो जाए अथवा मन विचलित हो जाए तो आठ उच्छ्वास वा अनिश्चित कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^४

कायोत्सर्ग के दोष प्रवचनसारोद्धार में १६^५, योगशास्त्र में २१^६ और विजयोदया में १६^७ बतलाए गए हैं ।

१-अमितगति श्रावकाचार, ८।६८-६९ :

अष्टोत्तरशतोच्छ्वास, कायोत्सर्ग प्रतिक्रमे ।
साध्ये प्रामातिके चार्द्धमन्यस्तत् सप्तविंशति ॥
सप्तविंशतिश्च्छ्वासा, सप्तारोन्मूलनक्षदे ।
संति पञ्चनमस्कारे, नवधा चिन्तिते सति ॥

२-वही, ८।६६-६७ -

अष्टविंशतिसंख्यानाः, कायोत्सर्गा मता जिनै ।
अहोरात्रगता सर्वे, षड्वाक्यकारिणाम् ॥
स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञैर्बन्धनायां षड्विरिता ।
अष्टौ प्रतिक्रमे योगमक्तौ तौ द्वाभुवाहृतौ ॥

३-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

४-वही, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ :

कायोत्सर्गं कृते यदि शक्यत उच्छ्वासस्य स्तूलनं वा परिणामस्य उच्छ्वासात्कमधिकं स्यात्तध्यम् ।

५-प्रवचनसारोद्धार, गाथा २४७-२६२ ।

६-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०-२५१ ।

७-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७९ ।

अध्ययन ३१

चरणविही

श्लोक ४

१-दण्डों का (दण्डाणं क) :

दण्ड दो प्रकार के होते हैं—(१) द्रव्य-दण्ड और (२) भाव-दण्ड ।

कोई अपराध करने पर राजा या अन्य निर्धारित व्यक्तियों के द्वारा वध, बन्धन, ताड़ना आदि के द्वारा दण्डित करने को 'द्रव्य-दण्ड' कहा जाता है ।

जिन अव्यवसायो या प्रवृत्तियो से आत्मा दण्डित होती है, उसे 'भाव-दण्ड' कहा जाता है । वे तीन हैं—

- (१) मनो-दण्ड— मन का दुष्प्रणिधान ।
- (२) वचो-दण्ड— वचन की दुष्प्रयुक्तता ।
- (३) काय-दण्ड— जागीरक दुष्प्रवृत्ति ।

भगवान् महावीर मन, वाणी और काया—इन तीनों को ही दण्ड मानते थे, केवल काया को नहीं । फिर भी इस विषय का लेकर मज्झिमनिकाय में एक कथा प्रकण लिखा गया है । बौद्ध-साहित्य की शैली के अनुसार उसमें बुद्ध का उत्कर्ष और महावीर का आकर्ष दिखाने का प्रयत्न किया गया है । उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

ऐसा मैंने सुना—

एक समय भगवान् नालन्दा में प्रावारिक के आश्रम में विहार करते थे । उस समय निर्गठ नात पुत्र निर्गठो (= जैन माधुओ) की बड़ी परियद् (= जमात) के साथ नालन्दा में विहार करते थे । तब दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ (= जैन-साधु) नालन्दा में भिक्षाचार कर, पिडपात खतम कर, भोजन के पश्चात्, वहाँ प्रावारिक-आश्रम में भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान् के साथ संमोदन (कुशल-प्रश्न पूछ) कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ का भगवान् ने कहा—

“तपस्वी ! आसन मौजद है, यदि इच्छा हो तो बठ जाओ ।”

ऐसा कहते पर दीर्घ तपस्वी निर्ग्रन्थ एक नीचा आसन ले एक ओर बैठ गया । एक ओर बंटे दीर्घ-तपस्वी निर्ग्रन्थ से भगवान् बोले—

“तपस्वी ! पाप कर्म के करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निर्ग्रन्थ ज्ञातुपुत्र कितने कर्मों का विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गौतम ! ‘कम’ ‘कर्म’ विधान करना निर्ग्रन्थ ज्ञातुपुत्र का कायदा (= आचिण्ण) नहीं है । आवुस ! गौतम ! ‘दण्ड’ ‘दण्ड’ विधान करना निर्ग्रन्थ ज्ञातुपुत्र का कायदा है ।”

“तपस्वी ! तो फिर पाप कर्म के करने के लिए = पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निर्गठ नात-पुत्र कितने दण्ड विधान करते हैं ?”

“आवुस ! गौतम ! पाप-कर्म के हटाने के लिए ० निर्गठ नात-पुत्र तीन दण्डों का विधान करते हैं । जैसे — काय-दण्ड, वचन-दण्ड, मन-दण्ड ।”

“तपस्वी ! तो क्या काय-दण्ड दूसरा है, वचन-दण्ड दूसरा है, मन-दण्ड दूसरा है ?”

“आवुस ! गौतम ! (हाँ) ? काय-दण्ड दूसरा ही है, वचन-दण्ड दूसरा है, मन-दण्ड दूसरा ही है ।”

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दण्डों में निर्गठ नात-पुत्र, पाप-कर्म करने के लिए, पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए, किस दण्ड को महादोष-युक्त विधान करते हैं । काय-दण्ड को, या वचन-दण्ड को, या मन दण्ड को ?”

“आवुस । गौतम । इस प्रकार भेद किए, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दण्डों में निगठ नात-पुत्र, पाप-कर्म करने के लिए० काय-दण्ड को महादोष-युक्त विधान करते हैं, वंसा वचन-दण्ड को नहीं, वंसा मन-दण्ड को नहीं ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

“तपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?”

“आवुस । गौतम । काय-दण्ड कहता हूँ ।”

इस प्रकार भगवान् ने दीर्घ-तपस्वी निगठ को इस कथा-वस्तु (=बान) में तीन बार प्रतिष्ठापित किया ।

ऐसा कहने पर दीर्घ-तपस्वी निगठ ने भगवान् से कहा—

‘तुम आवुस । गौतम । पाप-कर्म के करने के शिष्ट० कितने दण्ड-विधान करने हो ?’

‘तपस्वी । ‘दण्ड’ ‘दण्ड’ कहना तथागत का कायदा नहीं है, ‘कर्म’ ‘कर्म’ कहना तथागत का कायदा है ।’

‘आवुस । गौतम । तुम० कितने कर्म विधान करते हो ?’

‘तपस्वी । मैं० तीन कर्म बतलाना हूँ—जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कर्म ।’

‘आवुस । गौतम । काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।’

‘तपस्वी । काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म दूसरा ही है ।’

‘आवुस । गौतम ।० इस प्रकार विभक्त० इन तीन कर्मों में, पाप कर्म करने के लिए० किमको महादोषी ठहराते हो—काय-कर्म को या वचन-कर्म को या मन-कर्म को ?’

‘तपस्वी ।० इस प्रकार विभक्त० इन तीनों कर्मों में मन-कर्म को मैं० महादोषी बतलाना हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाना हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाता हूँ ।’

‘आवुस । गौतम । मन-कर्म बतलाते हो ?’

‘तपस्वी । मन-कर्म बतलाता हूँ ।’

इस प्रकार दीर्घ-तपस्वी निगठ भगवान् को इस कथा-वस्तु (=विवाद विषय) में तीन बार प्रतिष्ठापित करा, आसन में उठ जहाँ निगठ नात-पुत्र थे, वहाँ चला गया ।’

२-गौरवों का (गारवाणं क) :

गौरव का अर्थ है—‘अभिमान से उत्तम चित्त की अवस्था’ । वह तीन प्रकार का है—

- (१) ऋद्धि-गौरव— तेष्वर्य का अभिमान ।
- (२) रस-गौरव— रसो का अभिमान ।
- (३) सात-गौरव— सुखो का अभिमान ।

३-शक्तियों का (सल्लानं ख) :

जैसे काँटा चुभने पर मनुष्य सर्वाङ्ग वेदना का अनुभव करता है और उसके निकल जाने पर वह मुक्त की साँस लेता है, वैसे ही दोष रूपी काँटा चुभ जाता है, तब माधक की आत्मा दुःखित हो जाती है और उसके निकलने पर उसे आनन्द का अनुभव होता है।^१ शक्त्य का अर्थ है 'अन्तर में घुसा हुआ दाप' अथवा 'जिसमें विकास बाधित होता है, उसे शक्त्य कहते हैं'।^२ वे तीन हैं—

- | | |
|--------------------------|--|
| (१) माया-शक्त्य | माया-पूर्ण आचरण । |
| (२) निदान-शक्त्य | ऐहिक या पागलौकिक उपलब्धि के लिए धर्म का विनियम । |
| (३) मिथ्या-दर्शन-शक्त्य— | आत्मा का मिथ्यात्वमय दृष्टिकोण । |

जो निःशक्त्य होता है, वही व्यक्ति ब्रह्मी या महावनी बन सकता है।^३

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

इस श्लोक में तीन प्रकार के उपमर्गों (कष्टों) का कथन है

- (१) दिव्य—देवताओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । देवता हास्यवश, प्रद्वेषवश या परीक्षा के निमित्त हमसे जो कष्ट देते हैं ।
- (२) तंत्रश्च पशुओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । पशु भय, प्रद्वेष या आहार के लिए तथा अपनी मानान या स्थान के संरक्षण के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं ।
- (३) मानव—मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । मनुष्य हास्य, प्रद्वेष, विमर्श या कुसीन का रोवन करने के लिए हमसे जो कष्ट देते हैं ।

श्लोक ६

५-विकथाओं (त्रिगहा क) :

यहाँ कथा का अर्थ 'चर्चा' या 'आलोचना' है । वर्जनीय कथा को 'विकथा' कहा जाता है । वह चार प्रकार की है

- (१) स्त्री-कथा— स्त्री सम्बन्धी कथा करना ।
- (२) भक्त-कथा भोजन सम्बन्धी कथा करना ।
- (३) देश-कथा— देश सम्बन्धी कथा करना ।
- (४) राज-कथा- राज्य सम्बन्धी कथा करना ।

१-मूलाराधना, ४।५।३६ ५।३७

जह कंठेण विद्धो, सव्वगे वेदणुद्धो होदि ।

तस्मिं दु समुद्धिसेतो, गिस्सलो गिण्णुवो होवि ॥

एवमणुद्धवोसो, माहलो तेण बुक्खिदो होइ ।

सो चेव वववोसो, सुक्खिमुद्धो गिण्णुवो होइ ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६।१२

शक्त्यते—अनेकार्थत्वाद्वाध्यते जन्तुरेभिरिति शक्त्यानि ।

३-(क) तत्त्वार्थ, सूत्र ७।१३ .

नि शक्त्यो व्रती ।

(ख) मूलाराधना, ६।१२।१०

गिस्सल्लस्सेव पुणो, महव्ववाइ हव्वति सव्वाइं ।

ववमुवहम्मवि तीहि, दु गिदाणमिच्छलमायाहि ॥

मूलाराधना में कथा के कुछ और अधिक प्रकार बतलाए गए हैं—(१) भक्त-कथा, (२) स्त्री-कथा, (३) राज-कथा, (४) जनपद-कथा, (५) काम-कथा, (६) अर्थ-कथा, (७) नाट्य-कथा और (८) नृत्य-कथा ।^१

६—संज्ञाओं (सन्नाणं क) :

सज्ञा का अर्थ है 'आत्तनि' या 'मूर्च्छना' । वह चार प्रकार की है—

- (१) आहार-सज्ञा,
- (२) भय-सज्ञा,
- (३) भेषुन-सज्ञा और
- (४) परिग्रह-सज्ञा ।

विशेष विवरण के लिए देखिए—स्थानांग, ४।४।३५६ ।

७—आर्त्त और रौद्र इन दो ध्यानों का (भाणाणं च द्वयं ख) :

ध्यान चार हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) धर्म्य और (४) शुक्ल ।

चार की संख्या का प्रकरण है इसलिए यहाँ उनका उल्लेख है । किन्तु उनमें वर्जनीय ध्यान दो ही हैं, इसलिए 'भाणाणं च द्वयं' कहा गया है ।^२

विशेष विवरण के लिए देखिए—३।०।३५ का टिप्पण । मिलाट्ट— ३।४।३१ ।

श्लोक ७

८—व्रतों के (वणमु क) :

यहाँ व्रत का प्रयोग 'महाव्रत' के अर्थ में हुआ है । वे पाँच हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य और (५) अपरिग्रह । देखिए - २।१।१२ ।

९—क्रियाओं के (क्रियासु ख) :

स्थानांग (२।१।६०) में अनेक प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख है । यहाँ उनमें से पाँच क्रियाओं का ग्रहण किया गया है । वे इस प्रकार हैं—(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) प्राद्वेषिकी, (४) पारितापनिकी और (५) प्राणानिपातिकी ।^३

श्लोक ८

१०—छह लेश्याओं में (लेसामु क) :

देखिए अध्ययन ३४ ।

१—मूलाराधना, ४।६।५१ :

मस्तिस्त्रिराजजयणव-कंदप्यत्थणउणट्टियकहाओ ।

वजिस्ता विकहाओ, अजकप्यविराधणकरीओ ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६।१३ :

'भाणाणं ख' सि प्राकृतत्वाद् ध्यानयोष्व द्विकमार्त्तरौद्ररूरा तथा यो मिधु 'वर्जयति' परिहरति, चतुर्विधत्वाच्च ध्यानस्यात्र प्रस्तापेऽभिधानम् ।

३—वही, पत्र ६।१३ :

क्रियासु—कायिकयाधिकरणिकीप्राद्वेषिकीपारितापनिकीप्राणानिपातिकीसु ।

११-आहार के (विधि-निषेध के) छह कारणों में (छक्के आहारकारणे ख) :

साधु को छह कारणों से आहार करना चाहिए और छह कारणों से नहीं करना चाहिए । देखिए—२६।३२, ३४ ।

श्लोक ९

१२-(पिण्डोग्रहपडिमासु क) :

विशेष प्रतिमाधर मुनि आहार और अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी सात प्रकार के अभिग्रह धारण करते थे । जैसे—

आहार-ग्रहण सम्बन्धी अभिग्रह—सात एषणाएँ । देखिए—३०।२५ का टिप्पण ।

अवग्रह (स्थान) सम्बन्धी अभिग्रह । अवग्रह-प्रतिमा का अर्थ है 'स्थान के लिए प्रतिज्ञा या मकल्प' । वे सात हैं—

- (१) मैं अमुक प्रकार के स्थान में रहूँगा, दूसरे में नहीं ।
- (२) मैं दूसरे साधुओं के लिए स्थान की याचना करूँगा । दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में मैं रहूँगा । यह गच्छान्तरण साधुओं के होती है ।
- (३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में नहीं रहूँगा । यह यथालब्धिक साधुओं के होती है ।
- (४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में रहूँगा । यह जिनकल्पदशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के होती है ।
- (५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरों के लिए नहीं । यह जिनकल्पिक साधुओं के होती है ।
- (६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पलाल आदि का सस्तरक प्राप्त हो तो लूँगा अन्यथा ऊरुडू या नैषधिक आसन में बँटे-बँटे रात बिताऊँगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है ।
- (७) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ ही सहज बिछे हुए सिलापट्ट या काण्ठपट्ट प्राप्त हो तो लूँगा अन्यथा ऊरुडू या नैषधिक-आसन में बँटे-बँटे रात बिताऊँगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुओं के होती है ।^१

१३-(भयट्ठाणेषु सत्तमु ख) :

भय के स्थान सात हैं—

- (१) इहलोक-भय— मजानीय से भय—जैसे मनुष्य को मनुष्य से भय, देव को देव से भय ।
- (२) परलोक-भय— विजानीय से भय—जैसे मनुष्य को देव, निर्पंच आदि का भय ।
- (३) आदान-भय— धन आदि पदार्थों के अपहरण करने वाले से होने वाला भय ।
- (४) अकस्मात्-भय— किसी बाह्य निमित्त के बिना ही उत्पन्न होने वाला भय, अपने ही विकल्पों से होने वाला भय ।
- (५) वेदना-भय— पीडा आदि से उत्पन्न भय ।
- (६) मरण-भय— मृत्यु का भय ।
- (७) अवलोक-भय— अक्रान्ति का भय ।

देखिए—स्थानांग, ७।५४६ ।

१—स्थानांग, ७।५४५, वृत्ति, पत्र ३८६-३८७ ।

२—समवायान (समवाय ७) में वेदना-भय के स्थान पर आक्रान्ति-भय का उल्लेख है ।

श्लोक १०

१४-आठ मद-स्थानों में (मयेसु क) :

आठ मद-स्थान इस प्रकार हैं—

- | | |
|--------------|------------------|
| (१) जाति-मद, | (५) तपो-मद, |
| (२) कुल-मद, | (६) धृत-मद, |
| (३) बल-मद, | (७) लाभ-मद और |
| (४) रूप-मद, | (८) ऐश्वर्य-मद । |

देखिए—स्थानाग, ८।६०६, समवायाग, समवाय ८ ।

१५-ब्रह्मचर्य की नौ गुणियों में (ब्रम्भगुत्तीसु क) :

ब्रह्मचर्य की रक्षा के साधन को 'गुति' कहते हैं । वे नौ हैं । देखिए—सोलहवाँ अध्यायन, स्थानाग, ९।६६३, समवायाग, समवाय ९ ।

१६-दस प्रकार के भिक्षु-धर्म में (भिक्षु धर्ममि दसविहे ख) :

देखिए—२।०६ का टिप्पण ।

श्लोक ११

१७-उपामकों की ग्यारह प्रतिमाओं में (उवामगाणं पडिमासु क) :

उपामक—श्रावक की प्रतिमाएँ ग्यारह हैं—

- | | |
|---|---------------------------------|
| (१) दर्शन-श्रावक, | (७) सचित्त-परित्यागी, |
| (२) कृत-व्रत श्रावक, | (८) आरम्भ-परित्यागी, |
| (३) कृत-सामायिक, | (९) प्रेव्य-परित्यागी, |
| (४) पौषधोषवास निरत, | (१०) उद्दिष्ट-भक्त-परित्यागी और |
| (५) दिन में ब्रह्मचारी और रात्रि में परिमाण करने वाला, | (११) श्रमण-भूत । |
| (६) दिन और रात में ब्रह्मचारी, स्नान न करने वाला, दिन में भोजन करने वाला और कच्छ न बाँधने वाला, | |

देखिए—समवायाग, समवाय ११ ।

१८-भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं में (भिक्षूण पडिमासु ख) :

भिक्षु की प्रतिमाएँ बारह हैं

- | | |
|---------------------------------|---|
| (१) एक मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (७) सात मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, |
| (२) दो मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (८) तत्तश्चात् प्रथम सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, |
| (३) तीन मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (९) दूसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, |
| (४) चार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (१०) तीसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, |
| (५) पाँच मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (११) एक अहोरात्र की भिक्षु-प्रतिमा और |
| (६) छह मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (१२) एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा । |

देखिए—समवायाग, समवाय १२ ।

श्लोक १२

१९-तेरह क्रियाओं में (किरियासु क) :

कर्म-बन्ध की हेतुभूत चेष्टा को 'क्रिया' कहा जाता है। वे तेरह हैं—

(१) अर्थ-दण्ड—	शरीर, स्वजन, धर्म आदि प्रयोजन में की जाने वाली हिंसा।
(२) अनर्थ-दण्ड—	बिना प्रयोजन मौज—शौक के लिए की जाने वाली हिंसा।
(३) हिंसा-दण्ड—	दमने मुझे मारा था, मारता है, मारगा—इस प्रणिधान से हिंसा करना।
(४) अकस्मान्-दण्ड—	एक के बंध की प्रवृत्ति करने हुए अकस्मात् दूसरे की हिंसा कर डालना।
(५) दृष्टि विपर्यास-दण्ड—	मति-भ्रम में होने वाली हिंसा अथवा मित्र आदि को अमित्र बुद्धि से मारना।
(६) मृषावाद-प्रत्यय—	स्व, पर या उभय के लिए मृषावाद में होने वाली हिंसा।
(७) अदत्तादान-प्रत्यय—	स्व, पर या उभय के लिए अदत्तादान में होने वाली हिंसा।
(८) आध्यात्मिक—	बाह्य निमित्त के बिना, मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली हिंसा।
(९) मान-प्रत्यय—	जानि आदि के भेद से होने वाली हिंसा।
(१०) मित्र-द्वेष-प्रत्यय—	माता-पिता या दास-दासी के रूप अपराध में भी बड़ा दण्ड देना।
(११) माया-प्रत्यय—	माया से होने वाली हिंसा।
(१२) लोभ-प्रत्यय—	लोभ से होने वाली हिंसा।
(१३) वेर्षा-पथिक	केवल योग (मन, वचन और काया की पवृत्ति) में होने वाला कर्म-बन्धन।

विशेष विवरण के लिए देखिए—सूत्रकृताग, २।२, ममवायाग, ममवाय १३।

२०-चौदह जीव समुदायों में (भृगुगामेसु क) :

प्राणियों के समूह १४ हैं। जैसे—

१,२ सूक्ष्म एकेन्द्रिय	—अपर्याप्त	- पर्याप्त
३,४ बादर एकेन्द्रिय	अपर्याप्त	—पर्याप्त
५,६ द्वीन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
७,८ त्रीन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
९,१० चतुरिन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
११,१२ असंज्ञीपचेन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त
१३,१४ मज्ञीपचेन्द्रिय	—अपर्याप्त	—पर्याप्त

देखिए—ममवायाग, ममवाय १४।

२१-पन्द्रह परमाधार्मिक देवों में (परमाहम्मिगसु क) :

सम्पूर्ण रूप में जो अधार्मिक हैं, उन्हें 'परमाधार्मिक' कहा जाता है। इसी कारण देवों की एक जाति की सज्ञा भी यही हो गई है। परमाधार्मिक देव १५ हैं।

देखिए—१६।४७-४३ का टिप्पण, पृ० १४७-१४८।

श्लोक १३

२२—गाथा-षोडशक (सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों) में (गाहासोलसएहिं क) :

सूत्रकृतांग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। पहले श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन हैं। सोलहवें अध्ययन का नाम 'गाथा' है। जिसका सोलहवाँ अध्ययन गाथा है उसे 'गाथा-षोडशक' कहा जाता है। यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का बाचक है।

देखिए—३१।१६ का प्रथम टिप्पण, समवायाग, समवाय १६।

२३—सतरह प्रकार के सयम में (अस्मंजमस्मि ख) :

असंयम १७ प्रकार का है—

(१) पृथ्वीकाय-असयम	(११) प्रेक्षा-असयम	अप्रतिलेखन या अविधि प्रतिलेखन से होने वाला असयम।
(२) अपकाय-असयम	(१२) उपेक्षा-असयम	सयम की उपेक्षा और असयम में व्यापार।
(३) तेजस्काय-असयम	(१३) अपहृत्य-असयम	उच्चार आदि का अविधि से परिष्ठापन करने में होने वाला असयम।
(४) वायुकाय-असयम	(१४) अप्रमार्जन-असयम	पात्र आदि का अप्रमार्जन या अविधि में प्रमार्जन करने में होने वाला असयम।
(५) वनस्पतिकाय-असयम	(१५) मन-असयम	अकुशल मन की उद्दीरणा।
(६) द्वीन्द्रिय-असयम	(१६) वचन-असयम	अकुशल वचन की उद्दीरणा।
(७) त्रीन्द्रिय-असयम	(१७) काय-असयम	अकुशल काया की उद्दीरणा।
(८) चतुरिन्द्रिय-असयम		
(९) पंचेन्द्रिय-असयम		
(१०) अजीवकाय असयम		

देखिए समवायाग, समवाय १७।

श्लोक १४

२४—अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य में (बम्भग्मि क) :

ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार ये हैं—

औदारिक (मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी) काम-भोगों का (१) मन से सेवन न करे, (२) मन से सेवन न कराए और (३) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (४) वचन से सेवन न करे, (५) वचन से सेवन न कराए और (६) सेवन करने वाले का वचन से अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (७) काया से सेवन न करे, (८) काया से सेवन न कराए और (९) सेवन करने वाले का काया से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य (देव-सम्बन्धी) काम-भोगों का (१०) मन से सेवन न करे, (११) मन से सेवन न कराए और (१२) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य-काम-भोगों का (१३) वचन से सेवन न करे, (१४) वचन से सेवन न कराए और (१५) सेवन करने वाले का वचन से अनुमोदन भी न करे।

१—गृह्य सूत्र, पत्र ६१४

गाथाध्ययनं षोडशं येषु तानि गाथाषोडशकानि।

दिध्य-काम-भोगो का (१६) काया से सेवन न करे, (१७) काया से सेवन न कराए और (१८) सेवन करने वाले का काया से अनुमोदन भी न करे ।

देखिए—समवायांग, समवाय १८ ।

२५—उन्नीस ज्ञाता अध्ययनों में (नायज्जयणोसु क) :

ज्ञाता के १९ अध्ययन ये हैं -

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| (१) उत्क्षिप्त-ज्ञात, | (६) तुल्य, | (११) दासद्रव, | (१६) अवरकका, |
| (२) संघाट, | (७) रोहिणी, | (१२) उदक-ज्ञात, | (१७) आकीर्ण, |
| (३) अण्ड, | (८) मल्ली, | (१३) मंडूक, | (१८) सुसमा और |
| (४) कूर्म, | (९) माकन्दी, | (१४) तेत्तली, | (१९) पुण्डरीक-ज्ञात । |
| (५) सेलक, | (१०) चन्द्रिका, | (१५) नन्दी-फन, | |

देखिए—समवायांग, समवाय १९ ।

२६—बीस असमाधि-स्थानों में (ठाणोसु यऽसमाहिण्य ष) :

यहाँ जिन बीस असमाधि-स्थानों का वर्णन है, वे निम्न प्रकार हैं—

- (१) धम-धम करते चलना ।
- (२) प्रमार्जन किए बिना चलना ।
- (३) अविधि से प्रमार्जन कर चलना ।
- (४) प्रमाण से अधिक शय्या, आसन आदि रखना ।
- (५) रात्रिक साधुओं का पराभव—तिरस्कार करना, उनके सामने मर्यादा-रहित बोलना ।
- (६) स्थविरों का उपघात करना ।
- (७) प्राणियों का उपघात करना ।
- (८) प्रतिक्षण क्रोध करना ।
- (९) अत्यन्त क्रोध करना ।
- (१०) परोक्ष में अवर्णवाद बोलना ।
- (११) बार-बार निश्चयकारी भाषा बोलना ।
- (१२) अनुत्पन्न नए-नए कलहों को उत्पन्न करना ।
- (१३) उपशमित और क्षपित पुराने कलहों की उदीरणा करना ।
- (१४) सरजस्क हाथ-पैरों का व्यापार करना ।
- (१५) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (१६) कलह करना ।
- (१७) रात्रि में जोर से बोलना ।
- (१८) भ्रंक्षा (खटपट) करना ।
- (१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार-बार भोजन करना ।
- (२०) एषणा-समिति रहित होना ।

देखिए—समवायांग, समवाय २०, दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १ ।

श्लोक १५

२७- इक्कीस प्रकार के शबल दोषों में (एगवीसाण् मबले क) :

शबल (चारित्र्य को धर्मों से युक्त करने वाले) दोष इक्कीस हैं—

- (१) हस्त-कर्म करना ।
- (२) मैथुन का प्रतिसेवन करना ।
- (३) रात्रि-भोजन करना ।
- (४) आषा-कर्म आहार करना ।
- (५) सागारिक (शय्यातर) पिंड खाना ।
- (६) औद्देशिक, क्रीन या सामने लाकर दिया जाने वाला भोजन करना ।
- (७) बार-बार प्रत्याभ्यान कर खाना ।
- (८) एक महीने के अन्दर एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाना ।
- (९) एक महीने के अन्दर तीन उदक-लेप लगाना ।
- (१०) एक महीने में तीन बार माया का सेवन करना ।
- (११) राज-पिण्ड का भोजन करना ।
- (१२) जान-बूझ कर प्राणातिपात करना ।
- (१३) जान-बूझ कर मृषावाद बोलना ।
- (१४) जान-बूझ कर अदत्तादान लेना ।
- (१५) जान-बूझ कर अन्तर-रहित (सचित्त) पृथ्वी पर स्थान या निषद्या करना ।
- (१६) जान-बूझ कर सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त शिला पर, घुग वाले काष्ठ पर शय्या अथवा निषद्या करना ।
- (१७) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उत्तम महित, लीलन फूजन, कोचड तथा मकड़ो के जात्र वाली तथा इसी प्रकार की अन्य पृथ्वी पर बँठना, सोना और स्वाध्याय करना ।
त्वक् का भोजन, प्रवाल का भोजन, पुष्प का भोजन, फूल का भोजन करना ।
- (१८) जान-बूझ कर मूल का भोजन, कन्द का भोजन, हरित का भोजन करना ।
- (१९) एक वर्ष में दस उदक-लेप लगाना ।
- (२०) एक वर्ष में दस बार माया-स्थान का सेवन करना ।
- (२१) सचित्त जल से लिप्त हाथों से बार-बार अशन, पान, स्वाद्य और स्वाद्य को लेना तथा उन्हें खाना ।

देखा—समवायाग, समवाय २१, दशाश्रुतस्कन्ध, दशा २ ।

२८-बाईस परीषहों में (बावीसाण् परीसहे ख) :

देखा—अध्ययन २ ।

श्लोक १६

२९-सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों में (तेवीसह सूत्रगडे क) :

सूत्रकृतांग के दो विभाग है—(१) प्रथम श्रुत स्कन्ध में १६ अध्ययन है और (२) दूसरे श्रुतस्कन्ध में ७ अध्ययन है। तेईस अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं -

(१) समय,	(१३) यथातथ्य,
(२) वैतालिक,	(१४) ग्रन्थ,
(३) उपसर्ग-परिज्ञा,	(१५) यमक,
(४) स्त्री-परिज्ञा,	(१६) गाथा
(५) नरक-विभक्ति,	(१७) पृङ्गीक,
(६) महावीर-मृत्ति,	(१८) क्रिया-स्थान,
(७) कुशील-परिभाषिन,	(१९) आहार-परिज्ञा,
(८) वीर्य	(२०) अप्रत्याख्यान-परिज्ञा,
(९) धर्म,	(२१) अतगार-श्रुत,
(१०) समाधि,	(२२) आर्द्रकुमारीय और
(११) मार्ग,	(२३) नालदीय ।
(१२) समवमरण,	

देखिए समवायाग, समवाय २३ ।

३०-चौबीस प्रकार के देवों में (रूवाहिणसु सुरेसु ख) :

यहाँ रूप का अर्थ 'एक' है। रूपाधिक अर्थात् पूर्वाक्त सख्या में एक अर्थक। पूर्व कथन में सूत्रकृतांग सूत्र के २३ अध्ययन ग्रन्थ किए गए हैं। अब यहाँ २४ की सख्या प्राप्त है। वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या दो प्रकार में की है। प्रथम व्याख्या के अनुसार २४ प्रकार के देव ये हैं—

१० प्रकार के भवनपति देव ।

८ प्रकार के व्यन्तर देव ।

५ प्रकार के ज्योतिष देव ।

१ ब्रह्मनािक देव । (समस्त ब्रह्मनािक देवों को एक ही प्रकार में गिना है, भिन्नता की विवक्षा नहीं का है।)

दूसरी व्याख्या के अनुसार यहाँ ऋषभदेव आदि २४ तीर्थङ्करों का ग्रहण किया गया है। समवायाग में द्वितीय व्याख्या मान्य रही है—

(१) ऋषभ,	(९) सर्वाङ्ग,	(१७) कुन्ध,
(२) अजित	(१०) गीनल	(१८) अर,
(३) शम्भव,	(११) श्रेयाम,	(१९) मल्लि,
(४) अभिनन्दन,	(१२) बामृपूज्य,	(२०) मृत्ति मृत्त,
(५) मृत्ति,	(१३) त्रिमल,	(२१) तामि,
(६) पद्मप्रभ,	(१४) अनन्त,	(२२) नेमि,
(७) सुपाश्व,	(१५) धर्म	(२३) पाश्व और
(८) चन्द्रप्रभ,	(१६) शान्ति,	(२४) वज्रमान ।

देखिए—समवायाग, समवाय २४ ।

१-श्रुहद् वृत्ति, पत्र ६१६

ममणवणजोहवेमाणिया य वस अट्ट पच एगविहा ।

इति चउबीसं देवा केई पुण वेत्ति अरहता ॥

२-वही, पत्र ६१६ .

ऋषभाधित्तिर्यकरेषु ।

श्लोक १७

३१—पच्चीस भावनाओं में (पणवीसभावनाहिं क) :

भावना का अर्थ है—'बहु क्रिया जिससे आत्मा को संस्कारित, वासित या भावित किया जाता है'। वे २५ हैं। आचारांग, समवायांग तथा प्रश्नव्याकरण में उनका वर्णन है, किन्तु उनके क्रम तथा नामों में भेद है। जैसे—

आचारांग (२।१५) के अनुसार	समवायांग (समवाय २५) के अनुसार	प्रश्नव्याकरण (संवरद्वार) के अनुसार
	(१) अहिसा महात्रत की भावना	
(१) ईर्ष्या-समिति	ईर्ष्या-समिति	ईर्ष्या-समिति
(२) मन-परिज्ञा	मनो-गुप्ति	अपाप-मन (मन-समिति)
(३) वचन-परिज्ञा	वचन-गुप्ति	अपाप-वचन (वचन-समिति)
(४) आदान-निक्षेप-समिति	आलोक-भाजन-भोजन	एषणा-समिति
(५) आलोकित-पान भोजन	आदान-भाडामत्र-निक्षेपणा-समिति	आदान-निक्षेप-समिति
	(२) सत्य महात्रत की भावनार्यं	
(६) अनुवीचि-भाषण	अनुवीचि-भाषणता—विचार पूर्वक बोलना	अनुवीचि-भाषण
(७) क्रोध-प्रत्याख्यान	क्रोध-विवेक—क्रोध का प्रत्याख्यान	क्रोध-प्रत्याख्यान
(८) लोभ-प्रत्याख्यान	लोभ-विवेक—लोभ का त्याग	लोभ-प्रत्याख्यान
(९) अभय (भय-प्रत्याख्यान)	भय-विवेक—भय का त्याग	अभय-(भय-प्रत्याख्यान)
(१०) हास्य-प्रत्याख्यान	हास्य-विवेक—हास्य का त्याग	हास्य-प्रत्याख्यान
	३—अचौर्य महात्रत की भावनार्यं	
(११) अनुवीचि-मितावग्रह-याचन	अवग्रहानुज्ञापना	विविक्त-वास-वसति
(१२) अनज्ञापित-पान-भोजन	अवग्रहसीमा परिज्ञान	अभीक्षण-अवग्रह-याचन
(१३) अवग्रह का अवघाटण	स्वयं ही अवग्रह की अनुग्रहणता	शय्या-समिति
(१४) अभीक्षण-अवग्रह-याचन	साधमिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग	साधारण-पिण्ड-पात्र लाभ
(१५) साधमिक के पास से अवग्रह-याचन	साधारण भोजन का आचार्य आदि को बना कर परिभोग करना	विनय-प्रयोग
	४—ब्रह्मचर्य महात्रत की भावनार्यं	
(१६) स्त्रियो में कथा का वर्जन	स्त्री, पशु और नपुंसक से संसक्त शयन और आसन का वर्जन करना	असंसक्त-वास-वसति
(१७) स्त्रियो के अंग-प्रत्यगो के अबलोकन का वर्जन	स्त्री-कथा का विवर्जन करना	स्त्री-जन में कथा-वर्जन
(१८) पूर्व-भुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन	स्त्रियो के इन्द्रियो के अबलोकन का वर्जन करना	स्त्रियों के अंग-प्रत्यग और चष्टाओं के अबलोकन का वर्जन
(१९) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन	पूर्व-भुक्त तथा पूर्व-क्रोडित काम-भोगों का स्मरण नहीं करना	पूर्व-भुक्त भोग की स्मृति का वर्जन
(२०) स्त्री आदि से संसक्त शयनासन का वर्जन	प्रणीत-आहार का विवर्जन करना	प्रणीत-रस-भोजन का वर्जन

५—अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ

(२१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव	श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव
(२२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव	चक्षुर्द्वय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव
(२३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध में समभाव	घ्राणेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ गन्ध में समभाव
(२४) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव	रसनेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव
(२५) मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव	स्पर्शनेन्द्रिय रागोपरति	मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव

३२—(उद्देशेसु दशाङ्गं च) :

यहाँ दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार—इन तीनों सूत्रों के २६ उद्देशों का उल्लेख किया गया है। यहाँ 'उद्देश' शब्द के द्वारा उद्देशन-काल का ग्रहण किया गया है।^१ एक दिन में जितने श्रुत की वाचना (अध्यापन) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन-काल' कहा जाता है। इन तीन सूत्रों के २६ उद्देशन-काल हैं—

दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देशन-काल।

कल्प (बृहत्कल्प) के ६ उद्देशन-काल।

व्यवहार-सूत्र के १० उद्देशन-काल।

श्लोक १८

३३—माधु के सत्ताईस गुणों में (अणगाग्गुणेहिं क) :

माधु के २७ गुण हैं। जैसे—

(१) प्राणानिपात में विरमण,	(१४) लोभ-विवेक,
(२) मृषावाद से विरमण,	(१५) भाव-सत्य,
(३) अदत्तादान में विरमण,	(१६) करण-सत्य,
(४) मैथुन में विरमण,	(१७) योग-सत्य,
(५) परिग्रह से विरमण,	(१८) क्षमा,
(६) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह,	(१९) विरागता,
(७) चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह,	(२०) मन-समाधारणता,
(८) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह,	(२१) वचन-समाधारणता,
(९) रसनेन्द्रिय-निग्रह,	(२२) वाय-समाधारणता,
(१०) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह,	(२३) ज्ञान-सम्पन्नता,
(११) क्रोध-विवेक,	(२४) दर्शन-सम्पन्नता,
(१२) मान-विवेक,	(२५) चारित्र-सम्पन्नता,
(१३) माया-विवेक,	(२६) वेदना-अधिसहन और
	(२७) मारणान्तिक-अधिसहन।

देखिए—समवायाग, समवाय २७।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१६ :

'उद्देशेऽपि' न्युपलक्षणत्वाद् उद्देशनकालेषु दशाधीनां—दशाश्रुतस्कन्धकल्पव्यवहारानां षड्विंशतिसङ्ख्येष्वपि शेषः, उक्तं हि—

"वस उद्देशनकाला दशाण कल्पस्त होति छज्जेव ।

वस जेव य व्यवहारस्त हति सन्धेऽपि छज्जेतं ॥"

वृत्तिकार ने २७ गुण भिन्न प्रकार से माने हैं—

- | | |
|------------------------------|--|
| (१) अहिमा, | (१५) विरागता, |
| (२) सत्य, | (१६) मनो-निरोध, |
| (३) अचौर्य, | (१७) वचन-निरोध, |
| (४) ब्रह्मचर्य, | (१८) काय-निरोध, |
| (५) अपरिग्रह, | (१९) पृथ्वीकाय-मयम्, |
| (६) रात्रि-भोजन-विरति, | (२०) अप्काय-सयम्, |
| (७) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह, | (२१) तेजस्काय-मयम्, |
| (८) चक्षु इन्द्रिय-निग्रह, | (२२) वायुकाय-सयम्, |
| (९) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह, | (२३) वनस्पतिकाय मयम्, |
| (१०) रसानेन्द्रिय-निग्रह, | (२४) त्रमकाय-सयम्, |
| (११) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह, | (२५) योग-युक्तता, |
| (१२) भाव-मत्य, | (२६) वेदना अधिगहन और |
| (१३) करण-मत्य, | (२७) मार्णान्तिक अधिमहन । ^१ |
| (१४) क्षमा, | |

३८—अठारह आचार-प्रकल्पों में (पकृष्णमि क) :

प्रकल्प का अर्थ है 'वह शास्त्र जिसमें मनि के कल्प-व्यवहार का निरूपण है' । आचाराग का दूसरा नाम 'प्रकल्प' है ।^२

निर्देशीय सूत्र सति आचाराग को 'आचार-प्रकल्प' कहा जाता है । मूल आचाराग के शास्त्र-परिज्ञा आदि नौ अध्ययन हैं और दूसरा श्रुतस्कन्ध उसकी चूडा (शिखा) है । उसके १६ अध्ययन हैं । निशीथ के तीन अध्ययन हैं और वह भी आचाराग की ही चूडा है ।

आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन हैं—

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|
| (१) शास्त्र-परिज्ञा, | (४) सम्यक्त्व, | (७) विमोह |
| (२) लोक-विजय, | (५) आर्षनी, | (८) उपनयन-श्रुत और |
| (३) शीतोष्णीय, | (६) धुत, | (९) महापरिज्ञा । |

आचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सातह अध्ययन हैं—

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (१) पिड्येपणा, | (६) पात्रेपणा, |
| (२) शय्या, | (७) अवग्रह-प्रतिमा, |
| (३) ईर्ष्या, | (१४) सप्तसप्तिका, |
| (४) भाषा, | (१५) भावना और |
| (५) वस्त्रेपणा, | (१६) विमुक्ति । |

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१६ :

'वयच्छक्तिमिदियाणं च, निगहो भाव करणसञ्च च ।

खमया विरागयाविय, मजमाईण निरोहो य ॥

कायाणच्छक्जोगम्मि, जुत्तया वेयणाहियासणया ।

तह मारणंतिथ हियासणया एएऽणगारगुणा ॥'

२—बहो, पत्र ६१६

प्रकल्पः कल्पो—यतिष्यवहारो यस्मिन्नसौ प्रकल्प, स चेहारागाराङ्गमेव शास्त्रपरिज्ञाद्यःऽऽविशत्यः-पथनात्मकम् ।

निम्नीय के तीन अध्ययन हैं—

- (१) उद्घात, (२) अनुद्घात और (३) आरोपण ।

समवायांग में आचार-प्रकल्प के अठारह-प्रकार इस प्रकार हैं—

- (१) एक महीने की आरोपणा
- (२) एक महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (३) एक महीने और दस दिन की आरोपणा
- (४) एक महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (५) एक महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (६) एक महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (७) दो महीने की आरोपणा
- (८) दो महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (९) दो महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१०) दो महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (११) दो महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१२) दो महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१३) तीन महीने की आरोपणा
- (१४) तीन महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (१५) तीन महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१६) तीन महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (१७) तीन महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१८) तीन महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१९) चार महीने की आरोपणा
- (२०) चार महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (२१) चार महीने और दस दिन की आरोपणा
- (२२) चार महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (२३) चार महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (२४) चार महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (२५) उपघातिकी आरोपणा
- (२६) अनुपघातिकी आरोपणा
- (२७) कृत्स्ना आरोपणा और
- (२८) अकृत्स्ना आरोपणा^१

श्लोक १६

३५—उनतीस पाप-श्रुत प्रसंगों में (पावसुयपसगेसु क) :

पाप के उपादानकारणभूत जो शास्त्र हैं, उन्हें 'पाप-श्रुत' कहते हैं। उन शास्त्रों का प्रसंग अर्थात् अभ्यास—पाप-श्रुत प्रसंग है।

वे २६ हैं—

- | | |
|----------------|--|
| (१) भौम— | भूकम्प आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (२) उत्पान— | स्वाभाविक उत्पातों का फल बनाने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (३) स्वप्न | स्वप्न के शुभाशुभ फल को बनाने वाला निमित्त शास्त्र। |
| (४) अंतर्िक्ष— | आकाश में उत्पन्न होने वाले नक्षत्रों के युद्ध का फलाफल बनाने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (५) अग— | अग-स्फुरण का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (६) स्वर | स्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (७) व्यञ्जन — | तिल, ममा आदि के फल को बनाने वाला निमित्त-शास्त्र। |
| (८) लक्षण— | अनेक प्रकार के लक्षणों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र। |

इन आठों के तीन-तीन प्रकार होते हैं—(१) सूत्र, (२) वृत्ति और (३) वास्तिन। इस तरह २४ पाप-श्रुत प्रसंग हुए। अवशेष निम्न

प्रकार हैं।

- | | |
|---------------------------------|--|
| (२५) विकथानुयोग— | अथ और काम के उपायों के प्रतिपादक ग्रन्थ। जैसे—कामन्दक, वात्स्यायन, भार्गव आदि। |
| (२६) विद्यानुयोग — | रोहिणी आदि विद्या की सिद्धि बनाने वाला शास्त्र। |
| (२७) मन्त्रानुयोग -- | मन्त्र शास्त्र। |
| (२८) योगानुयोग— | वशीकरण-शास्त्र, हर-मेखलादि शास्त्र। |
| (२९) अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग | अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित शास्त्र। |

देखिए—ममवायाग, समवाय २६।

बृहद् वृत्ति (पत्र ६५७) में ये कुछ भिन्न प्रकार में मिलते हैं।

३६—तीस मोह के स्थानों में (मोहद्वारणसु ख) :

मोह-कर्म के परमाणु व्यक्ति का मूढ बनाने हैं। उनका संग्रह व्यक्ति अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करता है। यहाँ महामोह उत्पन्न करने वाली तीस प्रवृत्तियों का उल्लेख है। वे इस प्रकार हैं—

- (१) बस-प्राणी को पानी में डुबो कर मारना।
- (२) मिर पर चर्म आदि बाँध कर मारना।
- (३) हाथ से मुँह बन्द कर मिसकते हुए प्राणी को मारना।
- (४) मण्डप आदि में मनुष्यों को घेर, वहाँ अग्नि जला, धुँए की घुटन से उन्हें मारना।
- (५) संक्लिष्ट नित्त से सिर पर प्रहार करना, उसे फोड़ डालना।
- (६) निश्वासघात कर मारना।
- (७) अनाचार को छिपाना, माया को माया से पराजित करना, की हुई प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करना।
- (८) अपने द्वारा कृत हत्या आदि महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना।

- (६) यथार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मित्र-प्राचा बोलना—सत्यांश की ओट में बड़े झूठ को छिपाने का यत्न करना और कलह करते ही रहना ।
- (१०) अपने अधिकारी की स्त्रियों या अर्थ-व्यवस्था को अपने अधीन बना उसे अधिकार और भोग-सामग्री से वंचित कर डालना, लूटे पावों में उसकी भर्त्सना करना ।
- (११) बाल-ब्रह्मचारी न होने पर भी अपने आपको बाल-ब्रह्मचारी कहना ।
- (१२) अन्नहारी होते हुए भी अपने आपको ब्रह्मचारी कहना ।
- (१३) जिसके सहारे जीविका चलाए, उसी के घन को हड़पना ।
- (१४) जिस ऐश्वर्यवाली व्यक्ति या जन-समूह के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी के भोगों का विच्छेद करना ।
- (१५) सर्पिणी का अपने अण्डों को निगलना ; पोषण देने वाले व्यक्ति, सेनापति और प्रशास्ता को मार डालना ।
- (१६) राष्ट्र नायक, निगम-नेता (ध्यापारी-प्रमुख) सुपसिद्ध सेठ को मार डालना ।
- (१७) जो जनता के लिए द्वीप और त्राण हो, बैसे जन-नेता को मार डालना ।
- (१८) संयम के लिए तत्पर मृमुञ्जु और सयमी साधु को संयम से विमुख करना ।
- (१९) अनन्त ज्ञानी का अवर्णवाद बोलना—सर्वज्ञता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना ।
- (२०) मोक्ष-मार्ग की निन्दा कर जनता को उससे विमुख करना ।
- (२१) जिन आचार्य और उपाध्याय से शिक्षा प्राप्त की हो उन्हीं की निन्दा करना ।
- (२२) आचार्य और उपाध्याय की सेवा और पूजा न करना ।
- (२३) अबहुभ्रुत होते हुए भी अपने आपको बहुभ्रुत कहना ।
- (२४) अतपस्वी होते हुए भी अपने आपको तपस्वी कहना ।
- (२५) ग्लान साधर्मिक को 'उसने मेरी सेवा नहीं की थी' इस कलुषित भावना से सेवा न करना ।
- (२६) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का विनाश करने वाली कथाओं का बार-बार प्रयोग करना ।
- (२७) अपने मित्र आदि के लिए बार-बार निमित्त, बशीकरण आदि का प्रयोग करना ।
- (२८) माननीय या पारलौकिक भोगों की लोगों के सामने निन्दा करना और छिपे-छिपे उनका सेवन करने जाना ।
- (२९) देवताओं की ऋद्धि, धृति, यश, बल और बोध का मलोल करना ।
- (३०) देव-दर्शन न होने पर भी मुझे देव-दर्शन हो रहा है—ऐसा कहना ।

उक्त विवरण समवायाग (समवाय ३०) के आधार पर है । दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ६) में प्रथम पाँच स्थान कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं—

समवाय	दशाश्रुतस्कन्ध
१	१
२	५
३	२
४	३
५	४

श्लोक २०

३७-सिद्धों के इकतीस आदि (अतिशायी) गुणों में (सिद्धाङ्गुण क) :

सिद्धों के ३१ आदि-गुण इस प्रकार हैं—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| (१) आभिनिबोधिक ज्ञानावरण का क्षय, | (१७) दर्शन-मोहनीय का क्षय, |
| (२) श्रुत ज्ञानावरण का क्षय, | (१८) चारित्र-मोहनीय का क्षय, |
| (३) अबधि ज्ञानावरण का क्षय, | (१९) नैरयिक आयुष्य का क्षय, |
| (४) मन पर्यव ज्ञानावरण का क्षय, | (२०) तिर्यञ्च आयुष्य का क्षय, |
| (५) केवल ज्ञानावरण का क्षय, | (२१) मनुष्य आयुष्य का क्षय, |
| (६) चतुर् दर्शनावरण का क्षय, | (२२) देव आयुष्य का क्षय, |
| (७) अचक्षु दर्शनावरण का क्षय, | (२३) उच्च गोत्र का क्षय, |
| (८) अबधि दर्शनावरण का क्षय, | (२४) नीच गोत्र का क्षय, |
| (९) केवल दर्शनावरण का क्षय, | (२५) शुभ नाम का क्षय, |
| (१०) निद्रा का क्षय, | (२६) अशुभ नाम का क्षय, |
| (११) निद्रा-निद्रा का क्षय, | (२७) दानान्तराय का क्षय, |
| (१२) प्रचला का क्षय, | (२८) लाभान्तराय का क्षय, |
| (१३) प्रचला-प्रचला का क्षय, | (२९) भोगान्तराय का क्षय, |
| (१४) सत्यानर्द्धि का क्षय, | (३०) उपभोगान्तराय का क्षय और |
| (१५) सातावेदनीय का क्षय, | (३१) वीर्यान्तराय का क्षय । |
| (१६) असातावेदनीय का क्षय । | |

देखिए—समवायोंग, समवाय ३१ ।

आचार्याग में सिद्धों के गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं^१ -

पाँच संस्थान से रहित । संस्थान ये हैं— (१) दीर्घ-हृम्ब, (२) वृत्त, (३) त्र्यम्ब, (४) चतुर्ग्व और (५) परिमण्डल ।

पाँच वर्ण से रहित । वर्ण ये हैं— (६) कृष्ण, (७) नील, (८) लोहित, (९) हारिद्र और (१०) शुक्ल ।

दो गंध से रहित । गंध ये हैं— (११) सुरभि गंध और (१२) दुरभि गंध ।

पाँच रस से रहित । रस ये हैं— (१३) तिक्त, (१४) कटुक, (१५) कषाय, (१६) आम्ल और (१७) मवूर ।

आठ स्पर्श से रहित । स्पर्श ये हैं— (१८) कर्कश, (१९) मृदु, (२०) लघु, (२१) गुरु, (२२) शीत, (२३) ऊष्ण,

(२४) स्निग्ध, (२५) रुक्ष, (२६) अकाय, (२७) अरूह और (२८) असङ्ग ।

तीन वेद से रहित । वेद ये हैं— (२९) मन्त्री वेद, (३०) पुण्य वेद और (३१) नपुंसक वेद ।

शान्त्याचार्य ने दोनों प्रकार मान्य किए हैं ।^२

१-आचार्याग, १।५।६।१२६-१३४

से न बीरे, न हस्ते, नट्टे न ।

न तंसे, न चउरसे, न परिमंडले ।

न किष्ठी, न नीले, न लोहिते, न हारिद्रे, न सुकिस्से ।

न सुभिगंधे, न दुरभिगंधे ।

न तिक्ते, न कटुए, न कषाए, न अंबिले, न मवूरे ।

न कषसडे, न मउए, न गरुए ।

न लघुए, न सीए, न ऊष्णे, न निदुधे, न सुकसे ।

न काऊ । न रुहे । न तंगे ।

न इरुबी, न पुचिते, न अन्महा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६११ ।

३८-बत्तीस योग-संग्रहों में (जोगेसु क) :

मन, वचन और काया के व्यापार को 'योग' कहते हैं। यहाँ प्रशस्त योगों का ही ग्रहण किया गया है। योग-संग्रह का अर्थ है 'प्रशस्त योगों का एकत्रीकरण'। वे बत्तीस हैं—

- (१) आलोचना शिष्य द्वारा गुरु के पास अपने दोषों को निवेदन करना।
- (२) शिष्य द्वारा आलोचित दोषों को प्रकट न करना।
- (३) आपत्ति में दृढ-धर्मता।
- (४) अनिश्चितोपधान—दूसरो की सहायता के बिना ही तप-कर्म करना।
- (५) शिक्षा—शास्त्रों का पठन-पाठन।
- (६) निष्प्रनिकर्मता—शरीर की सार सभाल नही करना।
- (७) अज्ञातना अपनी तपस्या आदि को गुप्त रखना।
- (८) अलोभता।
- (९) तितिक्षा—परीसह आदि पर विजय।
- (१०) आर्जव—ऋजुभाव।
- (११) शृद्धि—सत्य और समय।
- (१२) सम्यग्-दृष्टि—सम्यग्-दर्शन की शुद्धि।
- (१३) समाधि—चित्त-स्वास्थ्य।
- (१४) आचारोपगत—माया-रहित होना।
- (१५) विनयोपगत मान-रहित होना।
- (१६) श्रुतिमति—अदीनता।
- (१७) सवेग—मोक्ष की अभिलाषा।
- (१८) प्रणिधि- माया-शाल्य से रहित होना।
- (१९) मुविधि- मद्-अनुष्ठान।
- (२०) मवर—आश्रय-निरोध।
- (२१) आत्मदोषोपसंहार—अपने दोषों का निरोध।
- (२२) सर्वकाम-विरक्तता—समस्त विषयों से विमल्वता।
- (२३) प्रत्याख्यान—मूल गुण विषयक।
- (२४) प्रत्याख्यान—उत्तर गुण विषयक।
- (२५) व्युत्सग—कायोत्सर्ग।
- (२६) अप्रमाद।
- (२७) लबालब- क्षण-क्षण सामाचारी का पालन करना।
- (२८) ध्यान संवर-योग।
- (२९) मारणान्तिक उदय—मरण के समय अक्षुब्ध रहना।
- (३०) सग का त्याग—ज्ञ-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग करना।
- (३१) प्रायश्चित्त करना और
- (३२) मारणान्तिक आराधना— शरीर और कषाय को क्षीण करने के लिए तपस्या करना।

देखिए—समवायाग, समवाय ३०।

३९-तेतीस आशातनाओं में (तैत्तिरीसासाध्यासु) :

आशातना का अर्थ है—सदिनय, अशिष्टता या अशुभ व्यवहार । दैनिक व्यवहारों के आधार पर उसके तैत्तिरीस विभाग किए गए हैं—

- (१) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे चलना ।
- (२) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में (बराबर) चलना ।
- (३) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर चलना ।
- (४) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे खड़ा रहना ।
- (५) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में खड़ा रहना ।
- (६) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर खड़ा रहना ।
- (७) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे बैठना ।
- (८) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में बैठना ।
- (९) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर बैठना ।
- (१०) छोटे साधु का बड़े साधु से पहले (एक जल-पात्र हो, उम स्थिति में) आचमन करना—शुचि लेना ।
- (११) छोटे साधु द्वारा स्थान में आकर बड़े साधु से पहले गमनागमन की आलोचना करना ।
- (१२) जिस व्यक्ति के साथ बड़े साधु को वार्तालाप करना है, उसके साथ छोटे साधु का पहले ही वार्तालाप करना ।
- (१३) बड़े साधु द्वारा यह पूछने पर कि कौन जागना है, कौन सो रहा है ? छोटे साधु का जागते हुए भी उत्तर नहीं देना ।
- (१४) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु के पास आलोचना करना—कहाँ से क्या, कैसे प्राप्त हुआ—यह बनलाना । फिर बड़े साधु के पास आलोचना करना ।
- (१५) गृहस्थ के घर में भिक्षा ला पहले छोटे साधु को दिखाना फिर बड़े साधु को ।
- (१६) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को निमंत्रित करना फिर बड़े साधु को ।
- (१७) गृहस्थ के घर में भिक्षा ला बड़े साधु को पूछे बिना अपने प्रिय-प्रिय माधुओं को प्रचुर-प्रचुर दे देना ।
- (१८) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला बड़े साधु के साथ भोजन करते हुए सरस आहार खाने की उतावल करना ।
- (१९) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर मुना अनसुना करना ।
- (२०) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर अपने स्थान पर बैठे हुए उत्तर देना ।
- (२१) बड़े साधु को अनादर-भाव में 'क्या कह रहे हो'—इस प्रकार कहना ।
- (२२) बड़े साधु को तू कहना ।
- (२३) बड़े साधु को या उसके समक्ष अन्य किसी को रूखे शब्द से आमंत्रित करना या जोर-जोर से बोलना ।
- (२४) बड़े साधु की—उसी का कोई शब्द पकड़—अवज्ञा करना ।
- (२५) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'यह ऐसे नहीं किन्तु ऐसे है'—इस प्रकार कहना ।
- (२६) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'आप भूल रहे हैं'—इस प्रकार कहना ।
- (२७) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय अन्यमनस्क होना ।
- (२८) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही परिषद् को भंग करना ।
- (२९) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही कथा का विच्छेद करना—विभ्र उपस्थित करना ।
- (३०) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय उसी विषय में अपनी व्याख्या देने का बार-बार प्रयत्न करना ।
- (३१) बड़े साधु के उपकरणों के पर लग जाने पर विनम्रता पूर्वक क्षमा-याचना न करना ।
- (३२) बड़े साधु के बिछौने पर खड़े रहना, बैठना या सोना ।
- (३३) बड़े साधु से ऊँचे या बराबर के आसन पर खड़े रहना, बैठना या सोना ।

आशातनाओ का यह विवरण दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ३) के आधार पर दिया गया है। समवायग (ममवाय ३३) में ये कुछ क्रम-भेद से प्राप्त हैं। आवश्यक (चतुर्थ आवश्यक) में ३३ आशातनाएँ भिन्न प्रकार से प्राप्त हैं—

- (१) अर्हन्तो की आशातना ।
- (२) मिद्धो की आशातना ।
- (३) आचार्यों की आशातना ।
- (४) उपाध्यायो की आशातना ।
- (५) साधुओ की आशातना ।
- (६) साध्वियों की आशातना ।
- (७) श्रावकों की आशातना ।
- (८) श्राविकाओं की आशातना ।
- (९) देवों की आशातना ।
- (१०) देवियों की आशातना ।
- (११) इहलोक की आशातना ।
- (१२) परलोक की आशातना ।
- (१३) केवलीप्रज्ञप्त धर्म की आशातना ।
- (१४) देव, मनुष्य और अमुर महित लोक की आशातना ।
- (१५) सर्व प्राण, भूत, जीव और सन्वों की आशातना ।
- (१६) काल की आशातना ।
- (१७) धृत की आशातना ।
- (१८) श्रुत-देवता की आशातना ।
- (१९) वाचनाचार्य की आशातना ।
- (२०) व्याघ्रिद्ध -- वर्ण-विन्यास में विपर्यास करना—कहो के अक्षरों को नहीं बोलना ।^१
- (२१) व्यत्यासं डित—उच्चार्यमाण पाठ में दूसरे पाठों का मिश्रण करना ।^२
- (२२) हीनाक्षर— हीन अक्षरों का उच्चारण करना ।
- (२३) अत्यक्षर—अधिक अक्षरों का उच्चारण करना ।
- (२४) पदहीन—हीन पदों का उच्चारण करना ।
- (२५) विनयहीन—विराम-रहित उच्चारण करना ।
- (२६) घोषहीन—उदात्त आदि घोष-रहित उच्चारण करना ।
- (२७) योगहीन—सम्बन्ध-रहित उच्चारण करना ।
- (२८) शृष्टुदत्त—योग्यता से अधिक जान देना ।
- (२९) दुष्पु-प्रतीच्छित- -ज्ञान को मध्यगुभाव से ग्रहण करना ।
- (३०) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (३१) काल में स्वाध्यायन करना ।
- (३२) अस्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय करना ।
- (३३) स्वाध्याय की स्थिति में स्वाध्याय न करना ।

१-विशेषावश्यक भाष्य, पाथा ८५६ :

वाङ्मयस्वरभेदं, वच्चासियवच्यविष्णासं ।

२-वाही, पाथा ८५८ :

विधिहस्तपल्लवचिभित्सं ।

अध्ययन ३२

पमायट्टाणं

श्लोक १

१—(अच्यन्तकालस्म ममूलगस्स क) :

'अच्यन्तकालस्म'—अनादि-कालीन । अन्त का अर्थ है 'छोटा' । वस्तु के दो छोर होते हैं—आरम्भ और समाप्ति । यहाँ आरम्भ क्षण का ग्रहण किया गया है । इसका गह्वरार्थ है—जिसका आरम्भ न हो वेमा काल अर्थात् अनादि-काल ।^१

'ममूलगस्म'—मूल-मार्ग । दुःख का मूल कर्पाय और अविरति है । इसीलिय उमे 'मगूळक' अर्थात् कषाय अविरति मूलक कहा गया है ।^२

श्लोक ३

२-गुरु और वृद्धों की (गुरुचिद्ध क) :

गुरु का अर्थ है 'शास्त्र को यथावत् बताने वाला' । वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं (१) श्रुत-वृद्ध, (२) पर्याय-वृद्ध और (३) वयो-वृद्ध ।^३

श्लोक ५

३-श्लोक ५ :

मिच्छादा—दशकालिक चूलिका, २।१० ।

श्लोक १०

४-श्लोक १० :

इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मचारी को घी, दूध, दही आदि रसों का अतिमात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए । यहाँ रम-सेवन का प्रात्यनिक निषेध नहीं है, किन्तु अतिमात्रा में उनके सेवन का निषेध है ।

जन-आगम भोजन के सम्बन्ध में ब्रह्मचारी को जो निर्देश देने हैं, उनमें दो ये हैं—

(१) वह रसों को अतिमात्रा में न खाए और

(२) वह रसों को बार-बार या प्रतिदिन न खाए ।

इसका फलित यह है कि वह वायु आदि के क्षाम का निवारण करने के लिए रसों का सेवन कर सकता है । अकारण उनका सेवन नहीं कर सकता ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ६२१

अन्तमतिक्रान्तोऽयन्तो, अनादि कालो यस्य सोऽयमत्यन्तकालस्तस्य ।

२—बही, पत्र ६२१

सह मूलैः—कषायाविरतिरूपेण वर्तते इति समूलकः (क) प्राग्वत्तस्य, उक्तं हि—“मूलं संसारस्त उ वृत्ति कताया अविरती य” ।

३—बही, पत्र ६२२

गुरुषु यथावच्छास्त्राभिधायका वृद्धाश्च श्रुतपर्यायाविवृद्धा ।

उत्तरजभयणं (उत्तराध्ययन)

३०८ अध्ययन ३२ : श्लोक १०, ३७, ५०, १०७

एक मुनि ने अपने प्रश्नकर्ता को यही बताया था—“मैं अति आहार नहीं करता हूँ, अतिस्निग्ध आहार से विषय उदीप्त होते हैं, इसलिए उनका भी सेवन नहीं करता हूँ। स्वामी जीदन की यात्रा चलाने के लिए खाता हूँ, वह भी अतिमात्रा में नहीं खाता।”^१

दूध आदि का सर्वथा सेवन न करने से शरीर शुष्क हो जाता है, बल घटता है और ज्ञान, ध्यान या स्वाध्याय की यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उनका प्रतिदिन व अतिमात्रा में सेवन करने से विषय की वृद्धि होती है, इसलिए आचार्य की चाहिए कि वह अपने शिष्यों को कभी स्निग्ध और कभी ह्रस्वा आहार दे।

श्लोक ३७

५-(मृगे ग) :

‘मृग’ शब्द के अनेक अर्थ हैं—६शु, मृगशीप नक्षत्र, हाथी की एक जाति, कुलग आदि। यहाँ मृग का अर्थ ‘पशु’ है।^२

श्लोक ५०

६- औषधियों (ओमहि ग) :

वृत्तिकार ने औषधि को ‘नागदमनी’ आदि औषधियों का सूचक माना है।^३

श्लोक १०७

७-अपने रागद्वेषात्मक...मंकल्प करता हूँ (समंकल्पविकल्पणासु क) :

‘मंकल्प’—मे कल्प शब्द का अर्थ ‘अध्यवसाय’ है और ‘विकल्प’ से कल्प शब्द का अर्थ ‘छेदन’ है। कल्प शब्द के अनेक अर्थ हैं—सामर्थ्य, वर्णन, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास।^४

८-समता (समयं ख) :

समता का अर्थ है—‘मध्यस्थ भाव अथवा ऐसी अवस्था जिसमें अध्यवसायों की तुल्यता रहती हो’। साथ-साथ इसके दो अर्थ और हैं—‘समक’—एक साथ, ‘समय’—मिद्वान्त।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६२५ .

‘रसा’ औराविबिहृतय ‘प्रकामम्’ अत्यर्थ ‘न निषेधितव्या’ नोपभोक्तव्या, प्रकामग्रहण तु वातादिकोभनिवारणाय रसा अपि निषेधितव्या एव, निष्कारणनिषेधणस्य तु निषेध इति ख्यापनार्थम् उक्तं च—

“अन्नाहारो न सहे, अतिनिद्रेण विसया उद्विजति ।

जायामायाहारो, तं पि पगामं न मुजामि ॥’

२-बही, पत्र ६३४

मृगः सर्वोऽपि पशुश्च्यते, यदुक्तम्—“मृगशीर्षे हस्तिजातौ, मृग पशुकुरङ्गयोः ।”

३-बही, पत्र ६३४ .

सौषधियो - नागदमन्यादिका ।

४-बही, पत्र ६३८ .

स्वसङ्ख्यानाम्—आत्मसम्बन्धिनां रागाद्यवसतायाना दिवत्पना—दिशेषेण छेदनं स्वसङ्ख्यादिवापना, दस्यते हि छेदवाच्यमपि कल्पशब्द, यथोक्तम्—

“सामर्थ्ये वर्णनायां च, छेदने करणे तथा ।

औपम्ये वाधिवासे च, कल्पशब्द विदुर्बुधा ॥,

५-बही, पत्र ६३७-६३८ ।

अध्ययन ३३

कम्मपयडी

श्लोक ११

१-श्लोक ११ :

चारित्र-मोहनीय कर्म के दो रूपा है—(१) कपाय-मोहनीय और (२) नो-कपाय-मोहनीय। कपाय-मोहनीय कर्म के १६ प्रकार हैं—

- अनन्तानुबन्धी— (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।
अप्रत्याख्यानो— (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया और (८) लोभ ।
प्रत्याख्यानो— (९) क्रोध, (१०) मान, (११) माया और (१२) लोभ ।
सञ्चलन (१३) क्रोध, (१४) मान, (१५) माया और (१६) लोभ ।

जो साधन मूलभूत कषायो को उत्तेजित करते हैं, वे 'नो-कषाय' कहलाते हैं। उनकी गणना दो प्रकार से हुई है। एक गणना के अनुसार वे नो हैं— (१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) पुरुष-वेद, (८) स्त्री-वेद और (९) नपुंसक-वेद। दूसरी गणना के अनुसार वे मात हैं— (१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा और (७) वेद।^१

श्लोक १४

२-श्लोक १४ :

गोत्र का अर्थ है 'कुलक्रमागत आचरण'। उच्च आचरण को 'उच्चगोत्र कर्म' और नीच आचरण को 'नीचगोत्र कर्म' कहा जाता है।^२ वे आठ प्रकार के हैं। ये प्रकार उसके बधनों के आधार पर माने गए हैं।

उच्च गोत्र कर्म बध के आठ कारण हैं—

- (१) जाति का अमद, (२) कुल का अमद, (३) बल का अमद, (४) तपस्या का अमद,
(५) ऐश्वर्य का अमद, (६) धृत का अमद, (७) लाभ का अमद और (८) रूप का अमद।

नीच गोत्र कर्म बन्ध के आठ कारण हैं—

- (१) जाति का मद, (२) कुल का मद, (३) बल का मद, (४) तपस्या का मद,
(५) ऐश्वर्य का मद, (६) धृत का मद, (७) लाभ का मद और (८) रूप का मद।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६४३।

२-गोस्मटसार, कर्मकाण्ड, १३।

संतापकमेवागम्यजीवायरक्षस्त गोदमिदि सच्चा।

उच्चं नीचं धरणं उच्चं नीचं हवे गोवं॥

श्लोक १५

३—भोगान्तराय, उपभोगान्तराय (भोगे य न, उपभोगे च) :

जो पदार्थ एक बार काम में आते हैं, वे 'भोग' कहलाते हैं । जैसे—पुष्प, आहार आदि ।
जो बार-बार काम में आते हैं, वे 'उपभोग' कहलाते हैं । जैसे—मन, स्त्री आदि ।'

श्लोक १७

४—श्लोक १७ :

इस श्लोक में एक समय में बंधने वाले कर्म-रूढ़ियों का प्रदेशात् (परमाणु-परिमाण) बतलाया गया है । आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म-वर्गणाएँ बिपकी रहती हैं । किन्तु जो कर्म-वर्गणाएँ एक क्षण में आत्म-प्रदेशों से अस्किष्ट होती हैं, उनका परिमाण यहाँ विवक्षित है ।

ग्रन्थिक-सत्त्व का अर्थ है 'अभ्य जीव' । इनकी राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि अभेद्य होती है, इसलिए इन्हें 'ग्रन्थिक' कहा जाता है । सिद्ध अर्थात् मुक्त जीव । ग्रन्थिक जीव जघन्य-युत्तान्त (अनन्त का चोषा प्रकार) होते हैं और सिद्ध अनन्तान्त होते हैं । एक समय में बंधने वाले कर्म-परमाणु ग्रन्थिक जीवों से अनन्त गण अधिक और सिद्धों के अनन्तों आग जितने होते हैं । गोप्तसार (कर्मकाण्ड) में इसकी संवादी गाथा जो है, वह इस प्रकार है—

सिद्धाणसिद्धानां, अनन्तसिद्धाणतपुण्येषु ।
समयपण्ड बचदि, जोगवसादो दु चिसरित्त्वं ॥४॥

१—सूक्तं कृति, पत्र ६४४-६४५ .

मुक्तये—सकृत्पुण्यस्त इति भोगः—सकृत्भोगः पुण्याहाराविविधस्तत्र च, तथा उपेति—अभ्यधिकं पुन पुनरुपपुण्यमाप्तया
पुण्यस्त इत्युपभोग—पुनः पुनरुपभोगमवसादनाविविधम्, उक्तं हि—

“सति पुण्यसि मोनो, सो पुन आहारपुण्यमाईनो ।
उपभोगो उ पुनो पुन, उपपुण्यसि च भवन्वविवाई ॥”

अध्ययन ३४

लेसज्भयणं

श्लोक ४५-४६

१-श्लोक ४५-४६ :

४५वें श्लोक में क्षुब्ध-लेश्या का वर्जन और ४६वें श्लोक में क्षुब्ध-लेश्या का प्रतिपादन—दोनों केवली की अपेक्षा से हैं ।

श्लोक ५२

२-श्लोक ५२ :

यहाँ मूलपाठ में श्लोक-व्यत्यय है । ५२वें के स्थान पर ५३वाँ और ५३वें के स्थान पर ५२वाँ श्लोक होना चाहिए । क्योंकि ५१वें श्लोक में आगमकार भवनवति, वाणध्वत्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजोलेश्या के कथन की प्रतिज्ञा करते हैं, किन्तु ५२वें श्लोक में निरूपित तेजोलेश्या केवल वैमानिक देवों की अपेक्षा से है, जबकि ५३वें श्लोक में प्रतिरादित लेश्या का कथन चारों प्रकार के देवों की अपेक्षा से है ।

अध्ययन ३५

अणगारमग्गई

श्लोक ४

१—(सकनाडं ग) :

महात्मा बुद्ध ने किवाट वाले कोठो में न रहने को अपनी पूजा का कारण मानने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है—“उदायी । ० जंसे तंसे शयनासन मे सत्तुट्ट, ० मत्तुएटता-प्रशसक ०” इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ० ; तो उदायी । मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (=वृक्ष के नीचे सदा रहने वाले), अभ्योकासिक (=अध्यवकाशिक=सदा चौड़े में रहने वाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षा के चार मास छोड़) छत के नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी । कभी-कभी लिये-पोते वायु-रहित, किवाड खिडकी-बन्द कोठो (=कटागागे) में भी विहरता हं । ०।”

श्लोक ६

२—श्लोक ६ :

बौद्ध-भिक्षुओं के लिए तेरह धुनाङ्गों का विधान है। उनमें नौवाँ धुनाङ्ग वृक्ष-मूलिकाग और ग्यारहवाँ धुनाङ्ग इमजानिकाग है। विद्यादि मार्ग में कहा है—

वृक्ष-मूलिकाग भी- ‘छाये हुए का त्यागना है, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता है” उनमें से किसी एक वाक्य में ग्रहण किया होता है। उस वृक्षमूलिक को (सघ—) मीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चतुः पर के वृक्ष, गोद के पेड़, फले हुए पेड़, चर्मगाँवडों वाला पेड़, घोधड़ वाला पेड़, विहार के बीच लड़े पेड़—उन पेड़ों को छोड़ कर विहार में दूर वाले पेड़ को ग्रहण करना चाहिए। यह इमका विधान है।

प्रभेद में यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट रुचि के अनुसार पेड़ ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता। गिर हुए पत्तों का परो में हटा कर उभे रहना चाहिए। मध्यम उमर म्यान का आग हुए आदमियों में साफ-सुथरा करा सकता है। मृत्तु को मृठ के श्रावणों को बुला कर साफ करवा, बराबर करके बालू छिड़वा, चहारदीवारी में घेरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिए। पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठ कर दूसरी जगह आड़ में बैठना चाहिए। उन तीनों का धुनाग छाये हुए (म्यान) में वाम करने में क्षण टूट जाता है। “जान कर छाये हुए (म्यान) में अण्णोदय उगाने पर” अगुत्तर-भागक कहते हैं। यह भेद (=विनाश) है।

यह गुण है—“वृक्ष मूल वाले शयनासन के सहारे प्रव्रज्या है।” इस वाक्य से निष्चय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना। “वे थोड़े किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं।” भगवान् द्वारा प्रशंसित हान का प्रत्यय, हर समय पेड़ की पत्तियों के बिकारों को देखने से अनिन्द्य का स्थाल पैदा होना, शयनासन की कज्मी और (नाना) काम में जुटे रहने का अभाव देवताओं के साथ रहना, अत्येच्छता आदि के अनुसार वृत्ति।

वर्णिणतो बुद्धसेट्टेन निस्सपोत्ति च भासितो ।

निवासो पविचित्तस्स हस्समूल समो कुतो ॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्चय कहे गए एकान्त निवास के लिए वृक्षमूल के समान दूसरा क्या है ?]

आवासमच्छेद हरे बेवता परिपालिते ।

पविचित्ते बसन्तो हि हस्समूलमिह सुव्वतो ॥

अनिरसानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च ।

पस्सन्तो तत्पण्णानि निव्वसज्ज पनुवत्ति ॥

[मृठ (सम्बन्धी) कज्मी दूर हो जाती है। देवताओं द्वारा प्रतिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहना हुआ, शीलवान् (भिक्षु) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के स्थाल को छोड़ देता है।]

तस्मा हि बुद्धबायञ्ज भावनाभिरतालय ।
विविक्त वातिमञ्जयेय्य स्वसामूलं विचयस्वणो ॥

[इसलिए बुद्ध-दायाद, भावना में लगे रहने के बालय और एकांत वृक्षमूल की बुद्धिमान (भिधु) अबहेलना न करे] ।^१

निदान कथा (जातकट्ट कथा, पृष्ठ १३, १४) में वृक्ष-मूल में रहने के दस गुण बतलाए हैं ।

स्मशानिकांग भी—'स्मशान को नहीं त्यागूँगा, स्मशानिकांग को ग्रहण करता हूँ', इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण विषा होता है । उस स्मशानिक को, जो कि आदमी गाँव बसाते हुए "यह स्मशान है" मानते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहिए । क्योंकि बिना मुर्दा जलाया हुआ (स्थान) स्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (वह) स्मशान ही है ।

उसमें रहनेवाले को चक्रमण, मण्डप आदि बनना, चारपाई-चौकी बिछा कर, पीने के लिए पानी रख घर्म बाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह धुताग बहुत कठिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए संघ-स्थविर (=संघ के बड़े भिक्षु) या राजकर्मचारी को बना कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए । चक्रमण करते समय, आश्री आँख में मुर्दा-घाटी (=मुर्दा जलाने के स्थान) को देखते हुए चक्रमण करना चाहिए । स्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन में ही मालम्बन को भलीभाँति देखकर (मन में) बंठा लेना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होंगी । अमनुष्यों के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । स्मशान नित्य जाना चाहिए । (रात्री के) बिचले प्रहर को स्मशान में बिता कर पिछले प्रहर में लौटना चाहिए ।^२ ऐसा अगुत्तर भाणक कहते हैं । अमनुष्यों के प्रिय तिल की पिट्टी (=तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=बिचडी), मछली, मांस, दूध, तेल, गूँड आदि खाद्य भोज्य को नहीं खाया चाहिए । (लोगों के) घरों में नहीं जाना चाहिए । यह स्मका विधान है ।

प्रभेद में यह भी तीन प्रकार का होता है उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाए जाते हैं, हमेशा मुर्दे पड रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (लगा) रहता है, वहाँ बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । मृदु के लिए उक्त प्रकार से स्मशान को पाने मात्र पर । इन तीनों का भी धुताग अ-स्मशान (=जो स्मशान न हो) में वास करने से टूट जाता है । 'स्मशान को नहीं जाने के दिन' (ऐसा) अगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (=वनाश) है ।

यह गुण है—मरने का स्थाल बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, सवेग का अधिकता, आरोग्यता, आदि घमण्डों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का गौरवनीय होना, अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

सोसानिकं हि मरणानुसत्तिप्यमावा ।
मिहागतस्मि न फुसन्ति पमादबोसा ॥
सम्यस्ततो च कुणपानि बहूनि तस्त ।
कामानुराग वसगम्यि न होति चित्त ॥

[स्मशानिक को मरणानुस्मृति के प्रभाव से साते हुए भी प्रमाद से प्राप्त होने वाले दोष नहीं छू पाते और बहुत से मुर्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराग के भी बशीमूल नहीं होता ।]

सवेगमेति बिगुल न मवं उपेति ।
सम्मा अबो घटति मिग्गुत्तमेसमानो ॥
सोसानिकज्जमिति नेकपुणाबहूसा ।
मिक्खाममिन्न ह्वयेम मिसेविसम्भं ॥

[बहुत सवेग उत्पन्न होता है । घमण्ड नहीं आता । वह शान्ति (=निर्वाण) को खोजते हुए भलीभाँति उद्योग करता है, इसलिए अनेक गुणों को कमाने वाले स्मशानिकांग का निर्वाण की ओर मुँके हुए हृदय से सेवा करना चाहिए] ।^३

१-विशुद्धि जार्न, भाग १, पृ० ७१-७४ ।

२-वही, भाग १, पृ० ७५-७६ ।

अध्ययन ३६ जीवाजीवविभक्ती

श्लोक २

१—यह लोक जीव और अजीवमय है (जीवा चैत्र अजीवा य ऋ, एस लोए वियाहिए ष) :

जंन-आगमों में 'लोक' की परिभाषा कई प्रकार से मिलती है। धर्मास्तिकाय लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय है। जो आकाश षड्-द्रव्यात्मक है, वह लोक है। यहाँ जीव और अजीव को लोक कहा गया है। इन सब में कोई विरोध नहीं है। केवल अपेक्षा-भेद से इनका प्रति-पादन हुआ है। धर्म द्रव्य लोक-परिमित है इसलिए उमे लोक कहा गया है। काल समूचे लोक में व्याप्त नहीं अथवा वह वास्तविक द्रव्य नहा, इसलिए लोक को पञ्चास्तिकायमय बताया गया है।

सब द्रव्य छह हैं। उनमें आकाश सब का आधार है। इसलिए उसके आश्रय पर ही दो विभाग किए गए हैं—(१) लोकाकाश और (२) अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं। व्यवहारिक काल सिक्के मनुष्य लोक में है किन्तु वह है लोक में ही, इसलिए 'अंशम्यापि क्वचित् पूर्णत्वेन व्यपदेश' के अनुसार लोक को षड्द्रव्यात्मक मानना ही युक्ति-सिद्ध है। कहा भी है—'द्रव्याणि षट् प्रनीतानि, द्रव्य-लोक स उच्यते।' मक्षित दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अचेतन उभयरूप माना गया है वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया गया है।

२—जहाँ अजीव का एक देश—आकाश ही है, उसे अलोक कहा गया है। (अजीवदेशमागासे ग, अलोए से वियाहिए ष) :

अजीव के चार भेद हैं—(१) धर्मानिकाय, (२) अधर्मानिकाय, (३) आकाशास्तिकाय और (४) पुद्गलास्तिकाय। अलोक में जीव तो होते ही नहीं, अजीव में भी केवल आकाश होता है। इसलिए अलोक को आकाशमय कहा गया है। इसी आशय से वृहद् वृत्ति (पत्र ६७१) में कहा है—

धर्मादीनां वृत्तिर्द्रव्याणा मवति यत्र तत् क्षेत्रम् ।

तेर्द्रव्यै सह लोकस्तद् विपरीतं ह्यलोकाख्यम् ॥

जहाँ धर्मास्तिकाय आदि छद्म द्रव्य होते हैं वह लोक है। जो इससे विपरीत केवल आकाशमय है, वह अलोक है।

श्लोक ३

३—श्लोक ३ :

भगवान् महावीर का दर्शन अनेकान्-दर्शन है। अनेकात् का अर्थ है 'वस्तु में अनन्त स्वभावों का होना'। सारे स्वभाव अपनी-अपनी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। जितने स्वभाव हैं उतने ही कथन-प्रकार हैं। अतः उनका एक साथ कथन असम्भव है। भगवान् ने प्रमुख रूप से पदार्थ-ज्ञान की चार दृष्टियाँ दीं—(१) द्रव्य, (२) क्षेत्र, (३) काल और (४) भाव।

(१) द्रव्य-दृष्टि— इससे द्रव्य की व्यक्तियों का परिमाण जाना जाता है।

(२) क्षेत्र-दृष्टि— इससे वस्तु कहीं पाई जाती है, यह जाना जाता है।

(३) काल-दृष्टि— इससे द्रव्य की काल मर्यादा जानी जाती है।

(४) भाव-दृष्टि— इससे द्रव्य के पर्याय—रूपपरिवर्तन—जाने जाते हैं।

चार दृष्टियों से द्रव्य विचार—

द्रव्य	द्रव्य-दृष्टि	क्षेत्र-दृष्टि	काल-दृष्टि	नाम-दृष्टि
वर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अस्वी
अवर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अस्वी
आकाश—	एक	लोक-अलोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अस्वी
काल—	अनन्त	समय-क्षेत्र-व्यापी	अनादि-अनन्त	अस्वी
पुद्गल—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	रूपी
जीव—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अस्वी

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

पदार्थ दो रूप से ग्राह्य होता है—खंड-रूप से और अवड-रूप से। वस्तु के सबसे छोटे भाग को, जिसके फिर दा टुकड़े न हो सकें, परमाणु कहते हैं। परमाणु सूक्ष्म और किसी एक रस, गंध, वर्ण तथा दो स्वर्णों सहित होता है। वे परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं तब उन्हें स्कन्ध कहा जाता है। दो परमाणुओं से बनने वाले स्कन्ध को द्वि-प्रदेशी स्कन्ध कहते हैं। इसी प्रकार स्कन्ध के त्रि-प्रदेशी, दश-प्रदेशी, सन्धेय-प्रदेशी, असन्धेय-प्रदेशी, अनन्त प्रदेशी आदि अनन भेद होते हैं। स्कन्ध के बुद्धि-कल्पित अंश को देश कहते हैं। वह जब तक स्कन्ध से संलग्न रहता है तब तक देश कहलाता है। अलग हो जाने के बाद वह स्वयं स्कन्ध बन जाता है। स्कन्ध के उन छोटे से छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं, जिसके फिर दो भाग न हो सकें। प्रदेश भी तब तक ही प्रदेश कहलाता है जब तक वह स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अलग हो जाने के बाद वह परमाणु कहलाता है।

धर्मास्तिकाय आदि चार अस्तिकायों के स्कन्ध देश, तथा प्रदेश—ये तीन ही भेद होने हैं। केवल पुद्गलास्तिकाय के ही स्कन्ध, देश, प्रदेश तथा परमाणु—ये चार भेद होते हैं। ये स्रोत हैं। धर्मास्तिकाय आदि को स्वस्व-चर्चा उत्तराध्ययन के अठारहवें अध्ययन के आठवें और नौवें श्लोक की टिप्पणियों में की गई है।

श्लोक ६

५-(अद्वासमर्ण) :

स्थानाग में काल चार प्रकार का बनाया गया है। वहाँ एक नाम 'अद्वा-काल' भी आया है। बुद्धिकार ने बताया है कि काल शब्द, रग, प्रमाण, काल आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। समय-वाचो काल शब्द को रग और प्रमाण-वाचो काल शब्द से पृथक् करने के लिए उसके पीछे 'अद्वा' विशेषण जोड़ा गया है।^१ यहाँ उसी अर्थ में अद्वा समय है।

यह सूर्य की गति से सम्बद्ध रहता है। दिन-रात आदि का काल-मान केवल मनुष्य-क्षेत्र में ही होता है। उससे बाहर ये भेद नहीं होते। अतः अद्वा-काल केवल मनुष्य-क्षेत्र (अद्वाई द्वीप) में ही होता है।^२

१-स्थानाग, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

कालाशब्दो हि वर्णप्रमाणकालाविषयि वर्तते, ततोऽद्वाशब्देन विशिष्यत इति, अयं च सूर्यक्रियाविशिष्टो मनुष्यक्षेत्रान्तर्गती समयविषयोऽवसेयः।

२-बहो, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

श्लोक ७

६-समय-क्षेत्र (मनुष्य लोक) में (समयस्त्रैचित्ते ष) :

समय क्षेत्र वह क्षेत्र है, जहाँ समय, प्राबलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का काल-विभाग परिज्ञात होता है। समय-क्षेत्र से बाहर उपर्युक्त काल-विभाग नहीं होता। समय क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है। क्योंकि जन्मत मनुष्य केवल समय-क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र-फल की दृष्टि से इसकी व्याख्या यह है—जम्बू-द्वीप, धातकी-खण्ड तथा अर्ध-पुष्कर—इन अर्ध-द्वीपों की सजा मनुष्य क्षेत्र या समय क्षेत्र है।

सूर्य और चन्द्रमा भेद-पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं अतः उनकी गति समय-क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। उससे आगे यद्यपि असह्य सूर्य और चन्द्रमा हैं पर वे आने स्थान पर अवस्थित हैं अतः उनसे काल का विभाग नहीं होता।

श्लोक १३-१४

सख्या आठ प्रकार की बतलाई हैं। उसमें एक भेद है गणना। गणना के मुख्य तीन भेद हैं—सह्य, असह्य और अनन्त। इनके अबान्तर भेद बीस होते हैं। यथा—

सह्य के तीन भेद हैं—(१) जघन्य, (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट।

असह्य के नौ भेद हैं—(१) जघन्य परीत असह्येय, (२) मध्यम परीत असह्येय, (३) उत्कृष्ट परीत असह्येय, (४) जघन्य युक्त असह्येय, (५) मध्यम युक्त असह्येय, (६) उत्कृष्ट युक्त असह्येय, (७) जघन्य असह्येय-असह्येय, (८) मध्यम असह्येय-असह्येय एवं (९) उत्कृष्ट असह्येय-असह्येय।

अनन्त के आठ भेद हैं—(१) जघन्य परीत अनन्त, (२) मध्यम परीत अनन्त, (३) उत्कृष्ट परीत अनन्त, (४) जघन्य युक्त अनन्त, (५) मध्यम युक्त अनन्त, (६) उत्कृष्ट युक्त अनन्त, (७) जघन्य अनन्त-अनन्त तथा मध्यम अनन्त-अनन्त एवं (८) उत्कृष्ट अनन्त-अनन्त। असद्विभाव होने से यह भेद गणना में नहीं लिया गया है।

जघन्य सह्येय सख्या दो हैं। एक सख्या गणना पद्या में नहीं आती। क्योंकि लेनदेन के व्यवहार में अत्यन्त होने के कारण एक की गणना नहीं होती। 'सख्यायते इति सख्या' अर्थात् जो विभक्त हो सके, वह सख्या है। इस दृष्टि में जघन्य सख्या दो से प्रारम्भ होनी है।

जघन्य सख्या दो है और अंतिम सख्या अनन्त है। सख्या के सारे विकल्पों को कल्पना के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं—

चार प्याले हैं—अनवस्थित, शालाका, प्रतिशालाका और महाशालाका। चारों प्याले एक लाख योजन लम्बे, एक लाख योजन चौड़े, एक हजार योजन गहरे, गोलाकार और जम्बूद्वीप की जगति प्रमाण ऊंचे हैं। पहले अनवस्थित प्याले को सरसों के दाने से दाना भरें कि एक दाना उसमें और डालें तो वह न टहर सके। उस प्याले का पहला दाना जम्बूद्वीप में, दूसरा लवणसमुद्र में, तीसरा धातकीखण्ड में—इस प्रकार द्वीप और समुद्र में क्रमशः दाने गिराते चले जाएँ। (जम्बूद्वीप एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है, लवणसमुद्र उसमें दूना और धातकीखण्ड उससे दूना है, इस प्रकार द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप एक-दूसरे से दूना है)। असह्य द्वीप और असह्य समुद्र है। अंतिम दाना जिस समुद्र या द्वीप में गिराएँ, उस प्रमाण का दूगरी बार अनवस्थित प्याला बनाएँ। फिर उससे आगे उसी प्रकार अनवस्थित प्याले का एक-एक दाना गिराते जाएँ। (एक बार अनवस्थित प्याला खाली हो जाए तो एक दाना शालाका प्याले में डालें)। इस क्रम से एक-एक दाना डाल कर शालाका प्याले को भरें। शालाका प्याला इतना भर जाए कि उसमें एक दाना भी और डालें तो वह उसमें न टिक सके। एक बार शालाका प्याला भरने पर प्रतिशालाका में एक दाना डालें। जब इस क्रम से प्रतिशालाका प्याला भर जाए तो एक दाना महाशालाका प्याले में डालें। इस क्रम से महाशालाका प्याला भरने के बाद प्रतिशालाका भरें, फिर शालाका प्याला भरें, फिर अनवस्थित प्याला भरें। दूसरे रूप में इसे सरलता से इस प्रकार समझ सकते हैं—

अनवस्थित प्याला—	एक दाना शालाका
शालाका प्याला—	एक दाना प्रतिशालाका
प्रतिशालाका प्याला—	एक दाना महाशालाका

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

३१७ अध्ययन ३६ : श्लोक १३-१४, १५, ४८-५०

चारों प्यालों के भर आने के बाद सब दानों का एक ढेर करें। उस राशि में से दो दाने हाथ में लें। शेष ढेर मध्यम संख्यात है। हाथ का एक दाना मिलाने से उत्कृष्ट संख्यात होता है। हाथ का दूसरा दाना मिलाने से अधन्य परीत असंख्यात होता है।

अधन्य परीत असंख्येय की राशि को अधन्य परीत असंख्येय की राशि से अधन्य परीत असंख्येय बार गुणा करें। जो राशि आए, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत असंख्येय होता है। एक और मिलाने से उत्कृष्ट परीत असंख्येय होता है। एक और मिलाने से अधन्य युक्त असंख्येय होता है। अधन्य युक्त असंख्येय की राशि को, अधन्य युक्त असंख्येय की राशि से अधन्य युक्त असंख्येय बार से गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकालने पर शेष राशि मध्यम परीत असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत असंख्येय होता है।

अधन्य असंख्येय असंख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असंख्येय होती है। एक और मिलाने से अधन्य असंख्येय असंख्येय होता है।

अधन्य असंख्येय असंख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असंख्येय असंख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असंख्येय असंख्येय होती है। एक और मिलाने से अधन्य परीत अनन्त होता है।

अधन्य परीत अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से अधन्य युक्त अनन्त होती है।

अधन्य युक्त अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से अधन्य अनन्त अनन्त होती है। अधन्य अनन्त अनन्त से आगे की संख्या सब मध्यम अनन्त अनन्त होती है। क्योंकि उत्कृष्ट अनन्त अनन्त नहीं होता।

श्लोक १५

७-संस्थान की अपेक्षा से (संठाणओ ग) :

पुद्गल के जो कसाधारण घर्म हैं, उनमें से संस्थान भी एक है। उसके दो भेद हैं—(१) इत्यस्य और (२) अनित्यंरथ। जिसका त्रिकोण, चतुर्कोण आदि आकार नियत हो, उसे 'इत्यस्य' कहा जाता है तथा जिसका कोई निर्णीत आकार न हो, उसे 'अनित्यंरथ' कहते हैं।

इत्यस्य के पाँच प्रकार हैं—(१) परिमंडल—चूड़ी की तरह गोल, (२) वृत्त—गेंद की तरह वर्तुळाकार, (३) व्यंज—त्रिकोण, (४) चतुरस्र—चौकोन और (५) बायत—रस्ती की तरह लम्बा।

श्लोक ४८-५०

८-श्लोक ४८-५० :

सिद्ध होने के बाद सब जीव समान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें कोई उपाधि-जनित भेद नहीं रहता। फिर भी पूर्व-व्यवस्था की दृष्टि से उनके भेद किए गए हैं—

(१) स्त्री सिद्ध

(२) पुरुष सिद्ध

(३) नपुंसक सिद्ध

(४) स्व-लिङ्ग सिद्ध

(५) अन्य-लिङ्ग सिद्ध

(६) गृहि-लिङ्ग सिद्ध

(७) उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध

(८) अधन्य अवगाहना वाले सिद्ध

(९) मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध

(१०) कंबी दिशा में होने वाले सिद्ध

(११) नीची दिशा में होने वाले सिद्ध

(१२) तिरछी दिशा में होने वाले सिद्ध

(१३) समुद्र में होने वाले सिद्ध

(१४) नदी आदि में होने वाले सिद्ध

ये जीवह प्रकार हैं। इनमें पहले तीन प्रकार लिङ्ग की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री, पुंस्य और नपुंसक (इत नपुंसक) ये तीनों सिद्ध हो सकते हैं।

अगले तीन प्रकार वेश की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैन-साधुओं के वेश में, अन्य साधुओं के वेश में और गृहस्थ के वेश में भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

तीसरे त्रिक के तीन प्रकार शरीर की लम्बाई की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निर्दिष्ट अवगाहना वाले जीव ही सिद्ध होते हैं।

‘जोगाहणा’—शरीर की ऊँचाई की ‘अवगाहना’ कहते हैं। सिद्ध होने वाले जीवों की अधिक से अधिक ऊँचाई ५०० योजन की होती है। कम से कम ऊँचाई २ हाथ की होती है। दो हाथ से अधिक और ५०० योजन से कम ऊँचाई की ‘मध्यम अवगाहना’ कहते हैं। सिद्धों की अवगाहना जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम—तीनों ही प्रकार की होती है।

अन्तिम पाँच प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीव कदाचित् विशेष संयोगों में ऊँचे लोक (नौ सौ योजन से ऊपर), नीचे लोक (नौ सौ योजन से नीचे) और जलाशय आदि में भी सिद्ध हो सकते हैं।

‘उर्ध्व’—जैन-साहित्य में लोक को तीन भागों में विभक्त किया गया है—ऊर्ध्व-लोक, अधो-लोक और तिर्यक्-लोक। यद्यपि मूल पाठ में ‘ऊर्ध्व’ शब्द का ही प्रयोग किया गया है, पर प्रकरण से उसका अर्थ ‘ऊर्ध्व-लोक’ होता है। ऊँचाई की दृष्टि से सारा लोक १५ रज्जू-प्रमाण है। ऊर्ध्व-लोक की ऊँचाई ७ रज्जू से कुछ कम है। साधारणतया जीव तिर्यक्-लोक में सिद्ध होते हैं, पर यदा कदा मेहरवत की चूलिका पर से भी जीव सिद्ध हो जाते हैं। मेहरवत की ऊँचाई एक लाख योजन परिमाण है अतः वह ऊर्ध्व-लोक की सीमा में आ जाता है। इसीलिए वहाँ पर से मुक्त होने वाले जीवों का ‘सिद्धि-क्षेत्र’ ऊर्ध्व-लोक ही होता है।^१

‘अधो’—अधो-लोक के क्षेत्र की लम्बाई सान रज्जू से कुछ अधिक है। साधारणतया वहाँ मुक्ति नहीं होती, पर महाविदेह की दो विजय मेरु के रुचक प्रदेशों से हजार योजन नीचे तक चली जाती है। तिर्यक्-लोक की सीमा नौ सौ योजन है। उससे आगे अधो-लोक की सीमा आ जाती है। उच्च सौ योजन की भूमि में जीव कर्म-मुक्त होते हैं।^२

‘तिर्य्यक्’—तिर्यक्-लोक ‘मनुष्य-क्षेत्र’ को ही कहते हैं। अढ़ाई द्वीप प्रमाण तिरछे और अठारह सौ योजन प्रमाण लम्बे इस सू-भाग में कहीं से भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

नदी (सूत्र २१) में सिद्धों के पन्द्रह प्रकार निर्दिष्ट हैं—

- | | |
|------------------------|---|
| (१) तीर्थ सिद्ध— | अरिहन्त के द्वारा तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो मोक्ष पाते हैं। |
| (२) अतीर्थ सिद्ध— | तीर्थ-स्थापना से पहले मुक्त होने वाले। |
| (३) तीर्थङ्कर सिद्ध— | तीर्थङ्कर-अवस्था में मुक्त होने वाले। |
| (४) अतीर्थङ्कर सिद्ध— | तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मुक्त होने वाले। |
| (५) स्वयंमुद सिद्ध— | अपने आप—किसी बाहरी निमित्त की प्रेरणा के बिना—दीक्षित होकर मुक्त होने वाले। |
| (६) प्रत्येकमुद सिद्ध— | किसी एक निमित्त से दीक्षित होकर मुक्त होने वाले। |
| (७) बुद्धबोधित सिद्ध— | उपदेश से प्रतिबोध पाकर दीक्षित हो मुक्त होने वाले। |
| (८) स्त्रीलिङ्ग सिद्ध— | स्त्रीलिङ्ग में मुक्त होने वाले। |
| (९) पुरुषलिङ्ग सिद्ध— | पुरुषलिङ्ग में मुक्त होने वाले। |

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६८३ :

‘ऊर्ध्व’ विस्यू-लोक के वैश्वलिकावो सिद्धाः।

२—बही, पत्र ६८३ :

‘अधो’ अधो गोकेऽर्धवोऽतीर्थिकान्कथेऽपि सिद्धाः।

- (१०) नपुंसकलिङ्ग सिद्ध— जो जन्म से नपुंसक नहीं, किन्तु किसी कारण वश नपुंसक बने हों, उस स्थिति में मुक्त होने वाले ।
 (११) स्वलिङ्ग सिद्ध— जैन-साधुओं के बेश में मुक्त होने वाले ।
 (१२) अन्यलिङ्ग सिद्ध— अन्य-साधुओं के बेश में मुक्त होने वाले ।
 (१३) गृहलिङ्ग सिद्ध— गृहस्थ के बेश में मुक्त होने वाले ।
 (१४) एक सिद्ध— एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, वह ।
 (१५) अनेक सिद्ध— एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं (उत्कृष्टत १०= हो सकते हैं), वे ।

वर्तमान अवस्था में आत्म-विकास की दृष्टि से सिद्ध जीव सर्वथा समान होते हैं, केवल उनकी अवगाहना में भेद होता है । सिद्ध जीव समूचे लोक में व्याप्त नहीं होते, किन्तु उनकी आत्मा एक परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है । पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना (पाँच सौ धनुष्य की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा, तीन सौ तैत्तिस धनुष्य और एक हाथ आठ अंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^१ पूर्वावस्था में मध्यम अवगाहना^२ (दो हाथ से अधिक और पाँच सौ धनुष्य से कम अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा अपने अस्तिम शरीर की अवगाहना से त्रिभागहीन क्षेत्र में अवस्थित होती है ।

पूर्वावस्था में जघन्य अवगाहना (दो हाथ की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा एक हाथ आठ अंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^३

सिद्धों के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए—ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा १-२२ तथा आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६५६-६८८ ।

श्लोक ५७

९-ईषत्-प्राग्भारा (ईसीपम्भार ग) :

ओपपातिक (सूत्र ४३) में सिद्धशिला के बारह नाम बतलाए गए हैं । उनमें यह दूमरा नाम है ।

श्लोक ७१-७७

१०-श्लोक ७१-७७ :

इन श्लोकों व गाथाओं में मृदु पृथ्वी के सात और कठिन पृथ्वी के ३६ प्रकार बतलाए गए हैं । उनमें से कुछ एक विशेष शब्दों के अर्थ और कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं—

१-ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ५ :

तिग्नि स्या तेसीसा, धनुस्तिभागो व होइ बोद्धव्या ।
 एसा सलु सिद्धानं, उक्कोसोगाह्या मधिमा ॥

२-आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरीय वृत्ति, पत्र ५४५ :

हस्तद्वयाधूर्त्वं पञ्चधनुःसतेभ्योऽर्वाक् सर्वत्रापि मध्यमावगाहनाभावात् ।

३-ओपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ७ :

एवका व होइ रयणी, साहोया अंगुलाइं अहु नवे ।
 एसा सलु सिद्धानं, अह्वणभोगाह्या मधिमा ॥

'पणगमट्टिया'—अत्यन्त सूक्ष्म रजोमयी मृत्तिका ।^१ कुछ आचार्य इसका मर्यादित (पपडी) करते हैं ।^२ लोक प्रकाश के अनुसार नदी आदि के प्रवाह के बले जाने पर पीछे जो कीचड़ के रूप में कोमल और चिकनी मिट्टी रहती है, वह 'पनक-मृत्तिका' है ।^३

'उबले'—वृत्त पाषाण, गोल पत्थर ।

'बहरे'—बछमणि, हीरा । उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके अनेक भेद होते हैं । जैसे—

- (१) सभा राष्ट्रक— विदर्भ—बरार देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (२) मध्यम राष्ट्रक— कोशल देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (३) काश्मीर राष्ट्रक— काश्मीर में उत्पन्न होने वाला ।
- (४) मणिमत्तक— उत्तर की ओर के मणिमत्तक नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (५) श्रीकटनक— श्रीकटन नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (६) इन्द्रवानक— कलिंग देश में उत्पन्न होने वाला ।^४

इन उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान हैं, जहाँ पर हीरा उत्पन्न होता है, जैसे— खान, विशेष जल-प्रवाह और हाथी दाँत की जड़ आदि ।^५

हीरा अनेक रंगों का होता है, जैसे—

- (१) मार्जार्राक्षक— मार्जार की आँख के समान ।
- (२) शिरीष पुष्पक— शिरीष के फूल के समान ।
- (३) गोमूत्रक— गोमूत्र के समान ।
- (४) गोमेदक— गोरोचना के समान ।
- (५) शूद्र स्फटिक— अत्यन्त श्वेत वर्ण स्फटिक के समान ।
- (६) मुलाटीपुष्पक वर्ण— मुलाटी के फूल के समान ।^६

उत्तम हीरा निम्नोक्त गुणों वाला होता है—मोटा, चिकना, भारी चोट को सहने वाला, बराबर कोनों वाला, पानी से भरे हुए पीतल आदि के बर्तन में हीरा डाल कर उस बर्तन के हिलाए जाने पर बर्तन में लकीर डालने वाला, तकड़े की तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा प्रशस्त माना जाता है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

२—बही, पत्र ६८९ ।

३—लोकप्रकाश, सर्ग ७।५ ।

नद्याविपुराणमे देवो, तत्रातिविच्छित्ते ।

शृणुस्त्वया पकस्या, ससमी पनका त्रिधा ॥

४—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

सभाराष्ट्रकं मध्यमराष्ट्रकं कश्मीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमत्तकं मणिमत्तकं इन्द्रवानकं च बछम् ।

५—बही, २।१।२९ :

खनि. ज्ञोतः प्रकीणकं च योमय ।

६—बही, २।१।२९ .

मार्जार्राक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गोमेदकं शूद्रस्फटिकं मुलाटीपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामन्यतमवर्णमितिवचनवर्णाः ।

७—बही, २।१।२९ :

स्थूलं रिक्तं गुह्यं प्रहारसह समकोटिकं नाजमलेकितं कुभामि आजिप्यु च प्रशस्तम् ।

'नष्टकोण'—अर्थात् शिखर-रहित (कोनों से रहित), अश्रि-रहित (तीक्ष्ण कोने से रहित) तथा एक ओर अधिक निकले हुए कोनों वाला हीरा अप्रशस्त माना जाता है ।^१

'सासग'—हरित वर्ण वाला घातु ।^२

'प्रवाल'—प्रवाल, विद्रुम, भूंगा । इसे नौ रत्नों में एक रत्न माना है, पर ज-सु-विशेषज्ञों के अन्वेषण के आधार पर 'प्रवाल' (भूंगा) एक समुद्री वनस्पति-जीव है, जिसके फंकाल के टुकड़े करके आभूषण बनाए जाते हैं ।^३ भूंगों की अनेक जातियाँ हैं, जिनकी शकल-सूरत में काफी भेद रहता है । उनके शरीर की भीतरी बनावट एक जंती ही होती है और सबके ऊपरी हिस्से पर इनका खुला हुआ मुख-छिद्र रहता है । मुख-छिद्र के चारों ओर अँगुलियों की शकल के पतले-पतले अङ्गक रहते हैं, जो इनके शर्बा-इन्द्रियों, हाथ तथा आत्मरक्षा के लिए ढंक हैं । ये अपने शरीर के चारों ओर कड़ी खोल की रचना करते हैं, जिसके भीतर इनका नरम शरीर सुरक्षित रहता है । इनमें कुछ नली के आकार के होते हैं तो कुछ पेड़-पौधों की तरह अपनी टेढ़ी शाखाएँ फैलाए रहते हैं । कुछ की बनावट मनुष्य के भेजे जैसी होती है तो कुछ कुकुरमुत्ते की शकल के होते हैं । कुछ देखने में पत्थी से लगते हैं तो कुछ अँगुलियों से और इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लाखों भरखों वर्षों के निरन्तर संगठन से बड़ी-बड़ी चट्टानों तथा मीलों लम्बे प्रवाल-द्वीपों का रूप ग्रहण कर लिया है । सभ्य है इन द्वीपों में खुदाई के द्वारा प्राप्त होने के कारण इसे पृथ्वीकाय के भेदों में सम्मिलित किया गया हो ।

आचार्य हेमचन्द्र ने प्रवाल के पर्यायवाची नाम 'रक्त-कद' और 'हेम-कदल' दिए हैं ।^४ उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं—(१) आलकंदक—आलकंद नाम का श्लेच्छ देशों में समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला और (२) वैवर्णिक—यूनान देश के समीप विवर्ण नामक समुद्र का एक भाग है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला ।^५ भूंगा (प्रवाल) लाल तथा पद्म के समान रंग वाला होता है ।

'अंजण'—समीरक ।

'गोमेज्जण'—गोमेदक माणक की उपजातियों में गिना जाता है । माणक केवल लाल रंग का होता है, पर इसमें लाल के साथ पीत रंग का भी आभास होता है ।^६ किन्तु कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह 'वैडूर्य' का एक प्रकार है ।^७ मूलाचार में 'गोमज्जण' (सं० गोमध्यक) शब्द है । इसका अर्थ कर्कतन मणि किया गया है ।^८ किन्तु 'गोमध्यक' शब्द मूल से कुछ दूर हो गया, ऐसा प्रतीत होता है ।

१—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ .

नष्टकोणं निरश्रि पाश्चात्पवृत्तं चाप्रशस्तम् ॥

२—मूलाचार, ५।१०, वृत्ति .

सस्यकं हरितरूपम् ।

३—समुद्र के जीव-जगत्, पृ० १४ ।

४—अभिधान चिन्तामणि, ४।१३२ :

रक्ताकोरक्त कंदशक, प्रवालं हेमकंदल ।

५—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ :

प्रवालकमालकस्यकं वैवर्णिकं च रक्तं पद्मरागं च ।

६—सिरि रयणपरिचक्षा, पयरण ५३ :

सिरिनाथ कुलधरे वम वेसे तह जम्मल नई मज्जे ।

गोमय इंदगोवं, सुसणेह पंडुरं पीयं ॥

७—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ ।

८—मूलाचार, ५।११, वृत्ति ।

'रुयगे'—रुचक— राजवतकं ।

'कलिहे'—स्फटिक मणि । रयणपरिक्रमा के अनुसार स्फटिक मणि नेपाल, कवमीर, चीन, काबेरी और यमुना तट पर तथा विंध्य पर्वत में उत्पन्न होता है ।^१ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार वह चार प्रकार का होता है—

- | | |
|------------------|--|
| (१) शुद्धस्फटिक— | अत्यन्त शुक्ल वर्ण वाला, |
| (२) मूलाटवर्ण— | मक्खन निकाले हुए दही (तक्र) के समान रंग वाला, |
| (३) शीतवृष्टि— | चन्द्रकान्त—चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघल जाने वाला और |
| (४) सूर्यकान्त— | सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला । ^२ |

'लोहियक्खे'—फिनारों की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला । इसका एक नाम 'लोहिनक' भी मिलता है ।^३ मूलाचार में इसका नाम 'लोहितांक' मिलता है ।^४

'मरगय'—मरकत ।^५

'मसारगल्ले'—मसण पाषाण मणि (चिकनी धातु) । इसका वर्ण विद्रुम जंसा होता है ।

'भुयमोयग'—मूलाचार में केवल 'मोय' शब्द है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'कदली वर्णोंकार नील मणि' किया है ।^६ मरपेन्टियर ने इसका अर्थ 'सर्प के विष से रक्षा करने वाला मणि विणोप' किया है ।^७

१—सिरि रयणपरिक्रमा, पथरण ५४

नयथालेक समीरे, चीणे काबेरी जउण नइकूले ।

विंभनगे उप्पजइ, कलिह अहनिम्मलं सेय ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

शुद्धस्फटिक- मूलाटवर्ण- शीतवृष्टि- सूर्यकान्त इति मणय ।

३—वही, २।१।२९ ।

४—मूलाचार, ५।११ ।

५—सिरि रयणपरिक्रमा, पथरण ३८-४२

अवणिह-मलय-पण्य-वम्भरवेसेसु उयहितीरे य ।

गयस्सय कंठ उरे हवंति मरगय-महामणिणो ॥

गयवोवगार पठमा, कीरउठी वीय तइअ मुंगडनी ।

वासवई अ अउरथी, धूलि मरीई य पणजाई ॥

गयवोवगार रठमा, नीला अइकोमला य विसहरणा ।

कीउउठि सुह सुहमण्णा, मुनइउ कीउस्स पंतसमा ॥

मुंगडनी सु सणेहा नील हरिय कीरकठ सारिण्णा ।

कठिणा अमला हरिया, वासवई होइ विसहरणा ॥

धूलि मराइ गय्या, वण्णा वणनीलकण्ण सारिण्णा ।

मुल्ले वीरविसोवा इहइ वह पंच बुन्निफणे ॥

६—मूलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

७—The Uttarādhyayan Sūtra, p 402

'इन्दनोले'—इन्दनील (नीलम) । इसका वर्ण नीला (हरा) होता है । कहीं-कहीं इसकी उत्पत्ति विषय द्वीप में बनाई गई है ।^१ यह आठ^२ प्रकार का होता है—

- (१) नीलाबलीय— रंग सफेद होने पर भी जिसमें नीले रंग की धाराएँ हों ।
- (२) इन्दनील— मोर के पंख की तरह नीले रंग वाला ।
- (३) कलायपुष्पक— मटर के फूल सदृश रंग वाला ।
- (४) महानील— भौरे के समान गहरे काले रंग वाला ।
- (५) जाम्बवाम— आमून के समान रंग वाला ।
- (६) जीमूतप्रभ— मेघ के समान रंग वाला ।
- (७) नदक— भीतर से सफेद और बाहर से नीला ।
- (८) स्रवन्मध्य— जिसमें से जल-प्रवाह के मथान किरणें बहती हो ।^३

'चन्दन'—चन्दन जैसी गंध वाला मणि ।^४

'गिरुव'—इसका अर्थ 'इषिराक्ष' है । इसका वर्ण गेरु जैसा होता है ।^५

'हंसगर्भ'—मूलाचार में 'वक' नामक मणि का उल्लेख है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'वक के रंग का पुष्परंग' किया है ।^६ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार 'पुष्परंग' वैदूर्य का एक प्रकार है । 'वक' बगुले का रंग भी हंस जैसा होता है, इसलिए हंसगर्भ का यही अर्थ सभ्य है । मरपेन्टियर ने 'हंस' का अर्थ सूर्य कर इसको 'सूर्यगर्भ' नाम का मणि माना है ।^७

'पुल' पुलक । यह बीच में काला होता है । कौटलीय अर्थशास्त्र (२।११।२९) में मणियों की अठारह अवान्तर जानियाँ बताई गई हैं—

- (१) विमलक सफेद और हरे रंग से मिश्रित ।
- (२) सस्यक— नीला ।
- (३) अञ्जनमूलक— नीला और काला मिश्रित ।
- (४) गोपित्तक— गाय के पित्त के समान रंग वाला ।
- (५) सुलमक— सफेद ।
- (६) लोहिताक्ष— किनारों की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला ।
- (७) मृगाक्षक— सफेद और काला मिला हुआ ।

१—सिरि रयणपरिक्ला, पथरण ४९ :

नीलवण मोरकण्ड अलसीगिरिकलि कुसुम सकासा ।

ऐतेया सुसन्नेहा सिंघलदीवन्मि नीलमणी ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ .

नीलाबलीय इन्दनीलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवामो जीमूतप्रभो नदकः स्रवन्मध्यः ।

३—मूलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

४—वही, ५।१२, वृत्ति ।

५—वही, ५।१२, वृत्ति ।

६—वही, ५।१२, वृत्ति ।

७—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ ।

८—The Uttarādhyayana Sūtra, p 403

(८) ज्योतिरसक—	सफेद और लाल मिला हुआ ।
(९) मैत्रेयक—	शिगरफ के समान रंग वाला ।
(१०) अहिच्छत्रक—	फीके रंग वाला ।
(११) कर्म—	खुद्रा—जिसके ऊपर छोटी-छोटी बूँद-सी उठी हुई हो ।
(१२) प्रतिकूर्म—	दागी—जिस पर धब्बे लगे हुए हों ।
(१३) सुगन्धिकूर्प—	मूँग के समान रंग वाला ।
(१४) क्षोरपक—	दूध के समान वर्ण वाला ।
(१५) क्षुत्तिकूर्णक—	चित्रित—मिले हुए कई रंगों वाला ।
(१६) शिला-प्रवालक—	प्रवालक—अर्थात् मूँगे के समान रंग वाला ।
(१७) पुलक—	जो बीच में काला हो ।
(१८) क्षुक्पुलक—	जो बीच में सफेद हो ।

'सौगन्धिक' (सं० सौगन्धिक)—माणिक्य । कौटलीय अर्थशास्त्र में माणिक्य की पाँच जातियाँ बतलाई गई हैं । उनमें यह प्रथम जाति का है । सौगन्धिक नामक कमल के समान कुछ नीलेपन को लिए हुए लाल रंग का होने के कारण इसे 'सौगन्धिक' कहा जाता है ।^१

'वेदूर्य'—वेदूर्य । यह आठ प्रकार का होता है—

(१) उत्पलवर्ण—	लाल कमल के समान रंग वाला,
(२) शिरीषपुष्पक—	सिरस के फूल के समान रंग वाला,
(३) उदकवर्ण—	जल के समान स्वच्छ रंग वाला,
(४) वंशराग—	बाँस के पत्ते के समान रंग वाला,
(५) शुक्रपत्रवर्ण—	तोते के पत्तों की तरह हरे रंग वाला,
(६) पुष्पराग—	हल्दी के समान पीले रंग वाला,
(७) गोमूत्रक—	गोमूत्र के समान रंग वाला और
(८) गोमेदक—	गोरोचन के समान रंग वाला । ^२

रयणपरिचक्षा में भी इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है ।^३ पाणिनि भाष्य के अनुसार यह बालवायु पर्वत में होता था । विदूर-नगर के मणिकार उमें तराशते थे, इसलिए वह 'वेदूर्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ ।^४

'जलकन्ते'—जलकान्त । इसका अर्थ 'उदक वर्ण' है ।^५ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह वेदूर्य का एक प्रकार है ।^६

१—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

सौगन्धिक पद्मरागोऽनवच्छरागा पारिजातपुष्पको बालसूर्यकः ।

२—वही, २।१।२९ .

वेदूर्य उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वंशराग शुक्रपत्रवर्ण पुष्परागो गोमूत्रको गोमेदकः ॥

३—सिरि रयणपरिचक्षा, पयरण ५१ .

रयणायरस्स मरुक्के, कुब्बियगयनामजण अउतात्थ ।

अःसुरनगे जायइ, अइइज्जं वसपत्तासं ॥

४—पाणिनि भाष्य, ४।३।८४ ।

५—मूलाचार, ५।११ ।

६—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

'सूरकन्ते'—सूर्यकान्त । सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला मणि । कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसे स्फटिक का ही एक भेद माना गया है ।^१

प्रज्ञापना में कठिन पृथ्वी को चालीस श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।^२ उत्तराध्ययन में उसकी छत्तीस श्रेणियाँ बतलाई गई हैं । शान्त्याचार्य के अनुसार लोहिताक्ष और वसारगह्व, क्रमशः स्फटिक और मरकत तथा गेरुक और हृमगर्भ चन्दन के उपभेद हैं ।^३ वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर वज्र तक के चौदह प्रकार तथा हरिताल से लेकर आम्रबालुका तक के आठ प्रकार स्पष्ट माने हैं । गोमेदक से लेकर शेष सब चौदह प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं । इनमें से चार वस्तुओं का दूसरों में अन्तर्भाव होता है । वृत्तिकार इस विषय में पूर्णरूपेण असंदिग्ध नहीं हैं कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।^४

श्लोक ८५

११-श्लोक ८५ :

इस श्लोक में अप्काय के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं तथा प्रज्ञापना (पद १) में इसके अधिक प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) शुद्धोदक
- (२) अवश्याय
- (३) हरतनु— भूमि को भेद कर निकला हुआ जल-बिन्दु
- (४) महिका— कुहासा
- (५) हिम

प्रज्ञापना

- (१) अवश्याय
- (२) हिम
- (३) महिका
- (४) करक—ओला
- (५) हरतनु
- (६) शुद्धोदक
- (७) शीतोदक
- (८) ऊष्णोदक
- (९) क्षारीयदक
- (१०) खट्टोदक
- (११) अन्होदक
- (१२) लवणोदक
- (१३) वारुणोदक
- (१४) क्षीरोदक
- (१५) घृतोदक
- (१६) क्षौद्रोदक
- (१७) रसोदक

१-कौटिलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

२-प्रज्ञापना, पद १ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

४-वही, पत्र ६८९ :

इह च पृथिव्यावयवस्तुर्बरा हरितालाद्योऽट्टीगोमेरुकादयश्च क्वचिद्विश्वकित्वा यच्चिदन्तर्भावास्तुर्दोःयमीमीहित्वा षट्त्रिंशद् भवन्ति ।

श्लोक ६३-६६

१२-श्लोक ६३-६६ :

वनस्पति के मुख्य वर्ग दो हैं—

(१) साधारण-शरीर— जिसके एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं, उसे 'साधारण-शरीर' कहा जाता है ।

(२) प्रत्येक-शरीर— जिसके एक-एक शरीर में एक-एक जीव होता है, उसे 'प्रत्येक-शरीर' कहा जाता है ।

सूत्रकार ने साधारण-शरीर से पूर्व प्रत्येक-शरीर वनस्पति के बारह प्रकार बतलाए हैं—

(१) वृक्ष— एक बीज वाले नीम आदि, अनेक बीज वाले बेल आदि ।

(२) गुच्छ— जिसमें केवल पत्तियाँ या पतली टहनियाँ फँसी हों, वह पौधा । जैसे—बेंगन, तुलसी आदि ।

(३) गुल्म— जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले, वह पौधा । जैसे—कटसरैया, कबैर आदि ।

(४) लता— पृथ्वी पर या किसी बड़े पेड़ पर लिपट कर ऊपर फैलने वाला पौधा । जैसे—माषबी, अतिमुक्तक आदि ।

(५) बल्ली— ककड़ी आदि की बेल ।

(६) तृण— घास ।

(७) लता-बलय— नारियल, खजूर, केला आदि । इनके दूधरी शाखा नहीं होती । इसलिए इन्हें 'लता' और इनको डाल बलयाकार होती है, इसलिए इन्हें 'बलय' (संयुक्त रूप में लता-बलय) कहा गया है ।

(८) पर्वज— ईख आदि ।

(९) कुट्टण— भूमि को फोड़ कर निकलने वाला पौधा । जैसे—सर्पच्छत्र, कुकुरमुत्ता आदि ।

(१०) जलरुह— जलज वनस्पति—कमल आदि ।

(११) औषधि तृण— एक फसला पौधा—रोहूँ आदि ।

(१२) हरितकाय— पालक, बधुवा आदि ।

जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों, उसे 'साधारण वनस्पतिकाय' कहते हैं । सब प्रकार के कन्द, मूल तथा अन्तः-कायिक साधारण वनस्पति जीव हैं । आलू, मूली, अदरक आदि सब इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं ।

'कंदली' (६७।४) लता विशेष । यह वर्षा ऋतु में होती है । इसका कंद स्निग्ध, पुंशु लाल और पत्ते हरे होते हैं । इसे 'भूकंदली' और 'द्रोणपर्णी' भी कहा जाता है ।^१

'कन्द' (६८।३) बिना रसे वाली गुद्दर जड़ । भूमि में रहने वाला वृक्ष का अवयव ।^२

'हलिदा' (६९।३) (सं० ह्रिदा) हल्दी पीत और सोने के रंग की होती है ।^३ इसका नाम है—'बरवर्णिनी' अर्थात् अच्छा वर्ण करने वाली । प्राचीन समय में हल्दी का तेल बहुतायत से लगाया जाता था । मद्रास की तरफ अब भी अपना वर्ण सुवारने के लिए स्त्रियाँ इसका प्रयोग करती हैं । यह वात-रोग, हृदय-रोग, प्रमेय आदि रोगों के लिए अति उत्तम मानी जाती है । सुश्रुत (वि०, अ० ६) में तो कहा है कि इससे कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाता है । वस्तुतः यह रक्त शुद्ध करने वाला है, इसी दृष्टि से पीडी तथा आहार में इसका महत्वपूर्ण स्थान है ।^४

१-शाब्दार्थव .

द्रोणपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दली वृक्षवनस्पति ।

२-प्रवचनसारोद्धार, पृ० ५७ ।

३-अभिधान चिन्तामणि कोश, ३ :

ह्रिदा कांचनी पीता गिताख्या बरवर्णिनी ।

४-संस्कृत साहित्या ना वनस्पति, पृ० ४५१ ।

उत्तरज्झयणं (उत्तराध्ययन)

३२७ अध्ययन ३६ : श्लोक १०६-११०, ११८-११६

श्लोक १०६-११०

१३-श्लोक १०९-११० :

उत्तराध्ययन की अपेक्षा प्रज्ञापना (पद १) में अग्नि के प्रकार अधिक प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) अंगार— जलता हुआ कोयला
- (२) मुर्मुर— भस्म मिश्रित अग्नि-कण
- (३) अग्नि— लोहृदि में प्रविष्ट तेजस्
- (४) अर्चि— प्रदीप्त अग्नि से विच्छिन्न अग्नि-शिखा
- (५) ज्वाला— प्रदीप्त अग्नि से प्रतिबद्ध अग्निशिखा
- (६) उत्का
- (७) विद्युन्

प्रज्ञापना

- (१) अंगार
- (२) ज्वाला
- (३) मुर्मुर
- (४) अर्चि
- (५) आलात—जलता हुआ टूट
- (६) शुद्धाग्नि
- (७) उत्का
- (८) अशानि—वज्रगत की अग्नि
- (९) निर्घात
- (१०) संघर्षं समुत्थित
- (११) सूर्यकान्त मणि निस्तृत

श्लोक ११८-११६

१४-श्लोक ११८-११६ :

यहां वायु के पाँच प्रकारों का निर्देश तथा अन्य प्रकारों का संकेत किया गया है। प्रज्ञापना (पद १) में इसके उन्नीस प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) ऊत्कलिकावात— मिश्रित पवन
- (२) मण्डलिकावात— बर्बंडर
- (३) घनवात— ठोस पवन
- (४) गुंजावात— गुंजने वाला पवन
- (५) शुद्धवात— मन्द पवन
- (६) संवर्तकवात— प्रलयकारी पवन

प्रज्ञापना

- (१) प्राचीनवात— पूर्वी पवन
- (२) प्रतीचीनवात— पश्चिमी पवन
- (३) दक्षिणवात— दक्षिणी पवन
- (४) उदीचीनवात— उत्तरी पवन
- (५) ऊर्ध्ववात— ऊर्ध्वमुखी पवन
- (६) अधोवात— अधोमुखी पवन
- (७) तिर्यग्वात— क्षैतिज पवन
- (८) विदिग्वात— चौबाई
- (९) वातोद्भ्रम— अनियमित पवन
- (१०) वातोत्कलिका— समुद्री पवन
- (११) वातमण्डली— अनिर्धार्य पवन
- (१२) उत्कलिकावात
- (१३) मण्डलिकावात
- (१४) गुंजावात
- (१५) भ्रंशावात— वर्षायुक्त पवन
- (१६) संवर्तकवात
- (१७) घनवात
- (१८) तनुवात— विरल पवन
- (१९) शुद्धवात

श्लोक २५६

१५—श्लोक २५६ :

इस श्लोक में पाँच सविल्लट भावनाओं का उल्लेख है। उनके लक्षण और प्रकार २६३ से २६७ तक के श्लोको में बतलाए गए हैं। उत्तरवर्ती साहित्य में भी इनका निरूपण होता रहा है। यहाँ हम उत्तराध्ययन के साथ-साथ मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में चर्चित इन भावनाओं का अध्ययन करेंगे। वे उत्तराध्ययन से पूर्णतः प्रभावित हैं।

उत्तराध्ययन	मूलाराधना	प्रवचनसारोद्धार
भावना नाम—		
(१) कान्दर्पी,	(१) कान्दर्पी,	(१) कान्दर्पी,
(२) आभियोगी,	(२) कित्त्विकी,	(२) कित्त्विकी,
(३) कित्त्विकी,	(३) आभियोगी,	(३) आभियोगी,
(४) आसुरी और	(४) आसुरी और	(४) आसुरी और
(५) सम्मोहा ।	(५) सम्मोहा । ^१	(५) सम्मोहा । ^२

१—कान्दर्पी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन	मूलाराधना	प्रवचनसारोद्धार
(१) कान्दर्प,	(१) कान्दर्प,	(१) कान्दर्प,
(२) कौत्कुच्य और	(२) कौत्कुच्य,	(२) कौत्कुच्य,
(३) तथा-प्रकार के लोल-स्वभाव, हास्य और विकथाओं से दूसरों को विस्मित करना ।	(३) चल-शीलता, (४) हास्य-कथा और (५) दूसरों को विस्मित करना । ^३	(३) दुःशीलता, (४) हास्य-करण और (५) दूसरों को विस्मित करना । ^४

कान्दर्प—वाणी का असम्य प्रयोग ।^५ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके पाँच अर्थ होते हैं (१) ठहाका मार कर हँसना, (२) गुरु आदि के साथ वयम में बोलना, (३) काम-कथा करना, (४) काम का उपदेश देना और (५) काम की प्रशंसा करना ।^६

१—मूलाराधना, ३।१७९

कव्यपदेवकिञ्चित्त, अभिभोगा आसुरी य सम्मोहा ।
एसा ह्नु सक्लिट्टा, पंचविहा भावणा भणित् ॥

२—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४१

कव्यपदेव किञ्चित्त, अभिभोगा आसुरी य सम्मोहा ।
एसा ह्नु अप्पसत्था, पंचविहा भावणा तत्थ ॥

३—मूलाराधना, ३।१८०

कव्यपुक्कुआइय, चलसीला गिच्चहासणकहो य ।
विनाचित्तो य परं, कव्यप्य भावण कुण्ह ॥

४—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४२

कव्ये कुक्कुइए, दोसीलसे य हासकरणे य ।
परिचिन्हित्तज्जणो, ऽपि य कव्योऽणेगहा तह य ॥

५—मूलाराधना विजयोदया, पृ० ३९८

रागोत्रेकात्प्रहाससम्मिभोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कान्दर्प ।

६—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

कान्दर्प—अहुट्टहासहसन्नु अभिभूतालापाश्च गुर्वादिनाऽपि सह निष्ठुरवक्तोऽपि विरथा. कामकथोपदेशप्रवृत्ताश्च कान्दर्पः ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

कौत्सुच्य—काया का असम्य प्रयोग ।^१ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके दो प्रकार हैं—(१) काय-कौत्सुच्य—भौं, आँख, मुँह आदि अवयवों का इस प्रकार बनाव करना जिससे दूसरे लोग हँस पड़े । (२) वाक्-कौत्सुच्य—विविध जीव-जन्तुओं की, ऐसी बोली बोलना, सिट्टी बजाना, जिससे दूसरे लोग हँस पड़े ।^२ उत्तराध्ययन में तथाप्रकार के शील म्यभाव, हास्य तथा विक्रिया में दूसरों को विस्मित करना यह एक ही प्रकार है ।^३

मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में इसके स्थान पर तीन-तीन प्रकार हैं—

(१) चलशीलता—कन्दर्प और कौत्सुच्य का बार-बार प्रयोग करना ।^४

(२) दुःशीलता—बिना विचारे तत्काल बोलना, शरत्-काल में दर्प से उद्भूत बेल की तरह शीघ्र चलना, बिना सोचे समझे काम करना ।^५

(३) हास्य-कथा या हास्य-करण—वेश परिवर्तन आदि के द्वारा दूसरों को हँसाना ।

दूसरों को विस्मित करना—इन्द्रजाल, मन्त्र, प्रहेलिका आदि कुतूहल के द्वारा विस्मय उत्पन्न करना ।^६

७—आभियोगी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) मन्त्रायोग और

(१) मन्त्राभियोग,

(१) कौतुक,

(२) भूति-कर्म ।

(२) कौतुक और

(२) भूति-कर्म,

(३) भूति-कर्म ।^७

(३) प्रश्न,

(४) प्रश्नाप्रश्न और

(५) निमित्त ।^८

१—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

अशिष्टकायप्रोग कौत्सुच्यम् ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९ :

कौत्सुच्य द्विधा—कायकौत्सुच्य वाक्कौत्सुच्य च, तत्र कायकौत्सुच्य यस्त्वयमहसन्नेव भू नयनवचनादि तथा करोति यवाज्ज्यो हसति तच्छजल्पति येनान्यो हसति तथा नानाविधजोषविस्तानि मुखातोऽपवादितां च विधते तद्वाक्कौत्सुच्यम् ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

तथा यच्छील च—फलनिरपेक्षा वृत्ति स्वभावश्च-परविस्मयोत्पादनानिसन्धिनेव तत्तन्मुखाधिकारादिक हसनं च—ब्रह्मट्टहासादि विकाराश्च-परिनिस्त्रायकविधियोत्सापरुष्याः शीलस्वभावहसननिकवास्ताभि 'विस्त्राययन्' सविस्मय कुर्वन् ।

४—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

मवतो मातरं करोमीति कर्षकौत्सुच्यधाम्या चलशील ।

५—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

६—(क) मूलाराधना वर्णन, पृ० ३९८

विभाषितो मंत्रेन्द्रजालादिकुतूहकप्रदर्शनेन विस्मयं नयन् ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० :

इन्द्रजालप्रवृत्तिभिः कुतूहलैः प्रहेलिकाकुहेटिकादिभिश्च तथा विधिवाम्यलोकप्रसिद्धैर्पात्सवयमविस्मयमानो बालिशप्रायस्य जगस्य मनोविभ्रममुत्पादयति तत्परविस्मयजननम् ।

७—मूलाराधना, ३।१८२ :

मंतामिजोगकोटुगशूरीयम् पउजदे जो ह ।

इन्द्ररससाबहेदु, अमिजोमं मावणं कुण्ड ॥

८—प्रवचनसारोद्धार, भाषा ६४४ ।

कोटय चूर्धकम्पे, पसिजेहि तह य पसिजपसिजेहि ।

ताहय निमित्तं, चिय पंचविद्यया नजे ता य ॥

मन्त्रायोग—मन्त्र का प्रयोग करना ।^१

मन्त्राभियोग—कुमारी आदि पात्रों में भूत का आवेश उत्पन्न करना ।^२

भूति-कर्म—राख, मिट्टी अथवा धागे के द्वारा मकान, बारीर आदि का परिवेष्टन करना ।^३ बच्चों को रक्षा के लिए भूति का प्रयोग करना अथवा भूतों को क्रीडा दिखाना भी भूति-कर्म कहलाता है ।^४

कौतुक—अकाल-वृष्टि आदि आश्चर्यकारी करतब दिखलाना अथवा बशीकरण आदि का प्रयोग करना ।^५ बच्चों तथा अन्य किसी की रक्षा के लिए स्नान, हाथ फेरना आदि क्रियाएँ करना ।^६

प्रश्न—दूसरों के पास लाभ-अलाभ आदि के विषय में प्रश्न करना अथवा स्वयं भ्रूमुष्ट, वर्षन आदि में भूत या भविष्य को जानने का यत्न करना ।^७

प्रश्नाप्रश्न—स्वप्न में विद्या द्वारा कथित शुभाशुभ दूसरों को बतलाना ।^८

निमित्त—निमित्त का प्रयोग करना ।

३ —किल्बिषिकी भावना के प्रकार —

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(१) ज्ञान की वञ्चना और अवर्णवाद,

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(२) केवली की वञ्चना और अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य की वञ्चना और अवर्णवाद और

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(४) सध का अवर्णवाद और

(४) सवमाधुओं की वञ्चना और अवर्णवाद ।^९

(४) सध का अवर्णवाद और

(५) माया ।

(५) माया ।^{१०}

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ७५० .

गन्त्रा —प्रागुक्तस्थास्तेषामायोगो— व्याकरण मन्त्रायोगस्त 'कृत्वा' ।

२—मूलाराधना वर्णन, पृ० ४००

मन्त्राभियोग कुमार्यादिपात्रे सूतावेशकरणम् ।

३—(क), बृहद् वृत्ति, पत्र ७१० .

'सूत्या' मस्मनोपलक्षणस्वान्मृदा सूत्रेण वा कम—रक्षार्थं बसत्यादे परिवेष्टनं सूतिकर्म ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१ ।

४—मूलाराधना वर्णन, पृ० ४००

सूदीकर्मनं बालादीनां रक्षार्थं सूतिकर्म सूतिक्रीडनक वा ।

५—मूलाराधना वर्णन, पृ० ४०० :

कोदुग्-अकालवृष्ट्यादिकौतूहलोपदर्शनं, बशीकरणादिकं वा ।

६—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१

सत्र बालादीनां रक्षादिकरणनिमित्तं स्नपनतरभ्रमणाभिमन्त्रणथुकरणधूपबानादि यत्क्रियते तत्कौतुकम् ।

७—बहरी, पत्र १८१

यत्परस्य पार्श्वे लामालाभादि पृच्छयते स्वयं वा अगुःदर्पणकज्जस्तोयादिषु दृश्यते स प्रश्नः ।

८—बहरी, पत्र १८१, १८२ .

स्वप्ने स्वयं विद्यया कथितं घण्टिकाद्यशतीर्जदेवतया वा कथितं सत् पदस्यस्मै शुभानुमन्नीवितनरणादि परिकल्पयति स प्रश्नाप्रश्नः ।

९—मूलाराधना, ३।१८१ :

जाणस्य केवलीणं, धम्मादरियाणं सम्बसाहणं ।

माहय अवण्णवादी, किम्बिसिय मावण कुणह ॥

१०—प्रवचनसारोद्धार, पाया ६४३ :

सुपलाय केवलीणं, धम्मादरियाणं संघ साहणं ।

माहं अवण्णवाहं, किम्बिसिय मावणं कुणह ॥

शास्त्र-ग्रहण—शास्त्र-ग्रहण आदि कार्यों से उन्मार्ग की प्राप्ति और मार्ग की हानि होती है। यह सम्मोहा भावना है।^१

उन्मार्ग-देशना—मिथ्या दर्शन व अग्रत का उपदेश।

मार्ग-दूषण—मार्ग में दोष दिखलाना, जैसे—ज्ञान से ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र से क्या ? चारित्र में ही मोक्ष होता है, ज्ञान से क्या ?^२

मार्ग-विप्रतियस्ति—ज्ञान, दर्शन और चारित्र मोक्ष के मार्ग नहीं—ऐसा मानना या उन तीनों के प्रतिकूल आचरण करना।^३

मोह—गूढतम तत्त्वों में मूढ़ हो जाना अथवा चारित्र-शून्य तीर्थिकों का ऐश्वर्य देखकर ललचा जाना।^४

मोह-जगन—स्वभाव की विचित्रता या कपटवत्ता दूसरे व्यक्तियों में मोह उत्पन्न करना।^५

उत्तराध्ययन में इन पाँच भावनाओं के प्रकार कुछ कम हैं, मूलाराधना में उनमें अधिक हैं और प्रवचनसारोद्धार में पूरे पच्चीस के अर्थात् प्रत्येक भावना के पाँच-पाँच प्रकार हैं।

पाद-टिप्पण में उद्धृत मूलाराधना की गाथाओं से यह बहुत स्पष्ट होता है कि प्राग्भ-काल में इवेनाम्बर और दिगम्बर साहित्य में अत्यधिक सामीप्य रहा है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ७११

संश्लेषजनकत्वेन शास्त्रग्रहणादीनामनस्तमवहेतुत्वात्, अनेन धोत्रमार्गप्रतिपत्त्या मार्गविप्रतिपत्तिराक्षिप्त, तथा चार्थतो मोही भावनोक्ता।

२—मूलाराधना, विजयोब्धया, पृ० ४०२

मार्गस्य दूषण नाम ज्ञानादेव मोक्ष कि दर्शनचारित्राभ्या ? चारित्रमेवोपाय कि ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषको भवति।

३—वही, पृ० ४०२

मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्न एव न मुक्तेर्मार्ग इति यस्तद्विरुद्धाचरण।

४—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८३

निकाममुपहृतमतिः सन्नतिगहनेषु ज्ञानादिचिन्तारेषु यन्मुह्यतियच्च परतीर्थिकसम्बन्धिनी नानाविधा समृद्धिमालोषय मुह्यति स तन्मोहः।

५—वही, पत्र १८३

तथा स्वभावेन कपटेन वा दर्शनान्तरेषु परस्य मोहभ्रूत्वावयति तन्मोहजननम्।

परिशिष्ट-१

शब्द-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक ४

१—(सव्वसो ष, मुहरी ष) :

'सव्वसो'—सभी स्थानों में से^१, सभी प्रकार से^२, सभी अवस्थाओं में^३।

'मुहरी'—यह 'मुखर' शब्द का प्राकृत रूप है। शाक्याचार्य ने इसे सौत्रिक (आर्य) प्रयोग बतलाया है।^४ उन्होंने इसके 'मुत्तारि' और 'मुत्तारि'—ये दो रूप और दिए हैं, किन्तु उनमें 'मुखर' की सी सहजता नहीं है।^५

श्लोक ५

२—(दुस्सीले, मिए ष)

'दुस्सीले'—चूर्ण में इसका अर्थ 'दु शील का भाव' किया गया है।^६

'मिए' मृग—का अर्थ—पशु या हिरण हो सकता है। यहाँ समास प्रक्रिया के अनुसार इसका अर्थ है 'बहु पुरुष जो पशु या हिरण की भाँति अज्ञानी हो'।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ .

'सव्वसो' ति सर्वत सर्वेभ्यो गोपुरगृहाङ्गणादिभ्यः ।

२—बही, पत्र ४५

(क) सर्वान् वा हतहतेत्याविबिभृक्षवचनलतालकुटलेट्टुघातादिकान् प्रकारानाश्रित्य 'छाबोवत् सूत्राणि भवन्ती'ति छात्रसाक्षात् सूत्रे शस्त्रप्रत्ययः ।

(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७ .

'सव्वसोति' सव्वपागारं ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७

सव्वसोति सर्वावस्थासु वा ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ :

सूत्रत्वाद्वा 'मुहुरि' ति मुखरो—वाचाटो ।

५—बही, पत्र ४५ .

मुत्तारिमावहति मुत्तमेव वेहपरलोकापकारित्वाऽरिरय मुद्देव वा कार्यं विनेवारयो यस्यासौ मुत्तारिमुत्तारिर्वा— बहुविधासम्बद्धमाथी ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७ ;

दु-शीलभावो दौ शील्यं तस्मिन् दौस्सीत्ये ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ :

मृग इव मृगः अज्ञत्वादिनीत इति प्रक्रमः ।

श्लोक ६

३-दुःशील मनुष्य के (नरस्स ल) :

यहाँ 'नर' शब्द उपमेय है, 'साण' और 'सूर्य'—ये उपमान हैं। शान्त्याचार्य ने उपमावाची 'इव' शब्द को गम्यमान कहा है।^१

श्लोक १०

४-(कालेण ग) :

चूर्णि में 'कालेण' को सप्तमी तथा दोनों वृत्तियों में तृतीया विभक्ति मान कर इसकी व्याख्या की गई है।^२

श्लोक ११

५-(आहृच्च क) :

बृहद् वृत्ति में 'आहृच्च' का संस्कृत रूप 'आहृत्य' और उसका अर्थ 'कदाचित्' किया गया है।^३ चूर्णि में 'कदाचित्' और 'सहसा'—ये दो अर्थ प्राप्त हैं।^४

पिशेल ने इसको अर्धमागधी का शब्द मान कर इसका संस्कृत रूप 'आहृत्य' किया है।^५ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'अत्यर्थ' किया गया है।^६ शौरसेनी में यह शब्द 'अहृणिञ' के रूप में मिलता है। प्रस्तुत प्रकरण में 'सहसा' अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।

श्लोक २०

६-(बाह्न्तो क) :

'बाह्न्तो'—चूर्णि और दोनों वृत्तियों में 'बाह्न्तो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^७ उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'बाह्न्तो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिशेल ने इसका संस्कृत रूप 'व्याक्षित' किया है।^८ पर 'व्याक्षित' का प्राकृत रूप 'वक्षित्त' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नहीं।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६ .

'साणस्स' स्ति प्राकृतस्वाधिवेत्यस्य गम्यमानत्वात् शून्या इव 'सूर्यस्य' उस्तथायेन शूकरोपमस्य नरस्य ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९ .

यो हि यस्य अध्ययनस्य कालः कालिकस्येतरस्य वा तस्मिन् काले ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

कालः अध्ययनाद्यनंतरः प्रथमपौरुष्याविस्तेन ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ३ :

'कालेण' प्रथमपौरुष्याविलक्षणेन ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८ .

'आहृत्य' कदाचित् ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

आहृच्चेति कदाचित्, यद्विह नाम कदाचिन्निग्रह परस्यापि स्तः सहसा . ।

५-पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा ५९१, पृ० ८३६ ।

६-देशीनाममाला, १।६२ .

आहृच्चं अत्यर्थं ।

७-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५

बाह्न्तो वा सहितो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'बाह्न्तो' स्ति व्याहृतः—शब्दितः ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८ ।

८-पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा २८६, पृ० ४०६ ।

श्लोक ३३

७-(अइकमे ष) :

इसका धातुगत अर्थ है 'अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना' । परन्तु प्रकरण की दृष्टि से इसका अर्थ 'प्रवेश करना' ही संगत लगता है, कारण कि इससे पूर्व 'लघिया' शब्द (जिसका अर्थ है—नोध कर) आ चुका है ।

श्लोक ३८

८-(खड्हुया क) :

'खद' धातु का अर्थ है—नोडना, एकान्त, फाडना (धातुशाठ, ३२।१४) । खड्—पृड्नाति (हेमशब्दानुशासन, ४।१२६) ।

श्लोक ४१

९-(पत्तिण् ष, पंजलिउडो ग) :

'पत्तिण्'—शास्त्राचार्य के अनुसार इसके मस्कृत रूप दो होते हैं—(१) प्रातीतिकेन और (२) प्रीत्या । प्रातीतिक के दो अर्थ किए गए हैं—(१) शपथ और (२) प्रतीति उत्पादक वचन ।^३ उन्होंने मुख्य अर्थ 'प्रातीतिक' किया है । नेमिचन्द्र ने इसका मुख्य अर्थ 'प्रीत्या'—प्रेम से किया है ।^३

'पंजलिउडो'—शास्त्राचार्य के अनुसार इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं—(१) प्रकृताञ्जलि और (२) प्राञ्जलिउट ।^४ नेमिचन्द्र ने दूसरे रूप को मान्य किया है ।^५

श्लोक ४२

१०-(धम्मज्जिय क) :

चूर्ण के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'धर्मजीतम्' होता है । ईकार का ह्रस्व करने पर 'धम्मज्जियं' पाठ बन गया है ।^६ बृहद् वृत्ति और सुखबोधा के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'धर्माजितम्' होता है ।^७

इस श्लोक के तीसरे चरण में 'तत्' शब्द का प्रयोग है । यत् और तत् का निरय सम्बन्ध होता है । इन आधार पर शास्त्राचार्य ने 'धम्मज्जियं', 'व्यवहार' और 'बुद्धेहायरियं'—इन तीन शब्दों की द्वितीया विभक्ति के स्थान में प्रथमा विभक्ति भी मानी है ।^८

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६० .

'अतिक्रामेत्' प्रविशेत् ।

२-बही, पत्र ६३ :

'पत्तिण्' ति आर्षेत्वात् प्रतीति प्रयोजनस्येति प्रातीतिकं—शपथादि, '...सर्वमपि वा प्रतीत्युत्पादकं वचः प्रातीतिकं तेन प्रसादयेत्, यद्वा 'पत्तिण्' ति प्रीत्या साम्बैव ।

३-सुखबोधा, पत्र १४

पत्तिण्ं ति प्रीत्या साम्बैव ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ६३ ।

५-सुखबोधा, पत्र १४ ।

६-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ४३ .

धार्मिकं जीतं—धम्मजीतं, व्यवहारस्य ह्रस्वत्व कारणं ।

७-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६४ :

धर्मेण—शास्त्राचार्येणाजितम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १४ ।

८-बृहद् वृत्ति, पत्र ६४ :

यद्वा—वसवोर्नित्यामिसम्बन्धात् सुख्यत्वमात्रं धर्माजितो बुद्धराचरितस्य यो व्यवहारस्तमाचरन् ।

अध्ययन २

श्लोक १

१—(भे ष) :

'भे'—इसका अर्थ है—आपका 'भवताम्' । पिशेल ने (पैरा ४२२) इसे 'तुम्हे' 'तुम्हे' का संक्षिप्त माना है । बेबर तथा ल्यूमेन ने इसे संस्कृत 'भो' नहीं मान कर 'भवताम्' के अर्थ में ही स्वीकार किया है ।^१

श्लोक १०

२—(समरेव ल) :

चूणिकार ने 'समरे' का अर्थ 'युद्ध' किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार मूल शब्द 'सम-एव' है । परन्तु प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से 'ए' का 'रेफ' हो जाने पर 'समरेव' शब्द बना है ।^३ वे वैकल्पिक रूप में चूणिकार का अनुगमन कर 'समरे' को 'संगाम सीसे' का विशेषण मानते हैं ।^४

श्लोक १५

३—(आय-रक्षित् ल) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप देकर दो भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं—

(१) आत्म-रक्षित — जिसने आत्मा की रक्षा की है ।

(२) आय-रक्षित — जिसने ज्ञानादि लाभ की रक्षा की है ।

'ब्राह्मिताग्यादिषु के द्वारा 'रक्षित' का परनिपात हुआ है ।^५

श्लोक २०

४—(अकुक्कुओ ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—(१) अकुक्कुच और (२) अकुक्कुच । इनके क्रमशः अर्थ हैं—अशिष्ट चेष्टा-रहित और अस्पन्दमान ।^६

१—पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ६२१-६२२ ।

२—उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ५८ ।

३—कृहद् वृत्ति, पत्र ९१

'समरे व' स्ति 'एबोदुरलोपा विसर्जनीयस्ये' ति रेफात्, तत् सम एव—तद्वगणनया स्पृष्टास्पृष्टावस्थयोस्तुस्य एव ।

४—बही, पत्र ९१ :

यद्वा समस्तावरय — शत्रवो यस्मिस्तत्समर तस्मिन्निति सप्रामशितो विशेषणम् ।

५—बही, पत्र ९१ .

आत्मा रक्षित बुर्गतिहेतोरपध्यानावेनेनेत्यात्मरक्षित, ब्राह्मिताग्यादिषु दर्शनात् क्तास्तस्य परनिपात, आयो वा—ज्ञानादि-लाभो रक्षितोऽनेनेत्यायरक्षित ।

६—बही, पत्र १०९ :

अकुक्कुचः अशिष्टचेष्टारहितो यद्वा 'अकुक्कुए' स्ति अकुक्कुच — कुक्कुवादि विराचनाभयार्क्यबन्धहेतुत्वेन कुत्सितं हस्त-पादादिभिरस्पन्दमान ।

श्लोक ३३

३-(संचिक्ल ळ) :

संस्कृत में इसके दो रूप होते हैं—(१) संतिष्ठेत^१ और (२) समीक्ष्य ।^२

श्लोक ३६

६-(सायं नो परिदेव्य ष) :

यहाँ 'सायं' में द्वितीया विभक्ति है। चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'साता को न बुलाए' किया है।^३ इसका तात्पर्य है कि परीषद् उल्लान होने पर मुनि सुख के लिए प्रलाप न करे।

टीकाकार ने इसका अर्थ 'सात का आश्रय लेकर' किया है।^४ अतः इसमें चतुर्थी विभक्ति का अर्थ निहित है।

श्लोक ४०

७-(से ऋ) :

'से' शब्द 'अथ' अर्थवाची मागधी शब्द है।^५ चूर्णिकार ने इसे 'पूरण' या 'आराम-निर्देशवाची' माना है।^६

श्लोक ४२

८-(सक्लं ग) :

'सक्लं'—इसका अर्थ है 'साक्षात्'।^७ यही शब्द इसी ग्रन्थ के १२।३।७ में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चूर्णिकार ने 'समक्ल' पाठ मान कर उसका अर्थ 'साक्षात्' किया है।^८

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७ :

सम्यक् तिष्ठते संचिक्ले ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ४६ :

'संचिक्ले' समाधिना तिष्ठेत, न कृत्स्नकरायतादि कुर्यात् ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

'समीक्ष्य' स्वकमफलमेवेत् न भुज्यत इति पर्यालोच्य, यद्वा 'संचिक्ल'सि 'अर्चा' सन्धि लोरो बहुलम्' इत्येकारलोपे 'संचिक्ले' समाधिना तिष्ठेत, न कृत्स्नकरायतादि कुर्यात् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८० :

परिवेषद नाम सातमाह्वयति ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १२३ :

'सात' सुखम्, आश्रित्येति शेष 'नो परिदेवेत्' न प्रलपेत्—कथं कदा वा समेवं मलविष्वक्वेहस्य सुखानुभव स्यात् ?

५-बही, पत्र १२६ :

से शब्दो मागधप्रसिद्ध्याऽवशाद्वार्थ उपन्यासे ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८२ :

से इति पूरणे आत्मनिर्देशे वा ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र १२८ :

'सक्लं' साक्षात् ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८४

'समक्ल' नाम सहस्राक्षिण्यां साक्षात् समकं तो साक्षात् ।

अध्ययन ३

श्लोक २

१-(विस्संभिया ष) :

प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'अनुस्वार' को अलाक्षणिक मान कर इसका संस्कृत रूप 'विस्व-भृद्' किया गया है।^१ इसका संस्कृत रूप 'विश्रम्भित' भी हो सकता है।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि समचे त्रिष्व मे ऐमा कोई भी स्थान नहीं जहाँ जीव उत्पन्न न हुआ हो, न मरा हो। इसी वाक्य की पुष्टि करते हुए शाक्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है—

जस्थि किर सो पएत्तो, लोए बालगकोट्टिमित्तोऽपि ।
जम्मणमरणाबाहा जत्थ जिएहि न संपत्ता ॥^२

श्लोक ६

२-(अमानुसासु ग) :

चूर्ण और सुखबोधा के अनुसार इसका सम्भूत रूप 'अमानुषीषु'^३ और बृहद् वृत्ति के अनुसार 'अमानुष्याषु'^४ बनना है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों शुद्ध हैं।

श्लोक १३

३-(पक्कमई ग) :

'पक्कमई'—इस श्लोक के प्रथम दो चरणों में मध्यम पुण्य की क्रिया है और अन्तिम चरण में प्रथम पुण्य की। हमने जान पड़ना है कि प्रथम दो चरणों में उपदेश है और अन्तिम दो चरणों में सामान्य निरूपण है।

शाक्त्याचार्य के अनुसार 'ऐमा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़ कर ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है' इस अर्थ के आगे इतना और जोड़ देना चाहिए—'इसलिए तू भी ऐमा कर ।'^५

श्लोक १४

४-(विसालिसेहिं क) :

यहाँ 'र' के स्थान में 'ल' का प्रयोग है। उसे टीकाकारों ने मगधदेशीय भाषा का शब्द माना है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १८१-१८२ ।

'विस्संभिया' ति त्रिन्दोरलाक्षणिकत्वाद् विषयं—जगद् विभ्रति—पूरयन्ति वप्रचिरकथाविदुस्त्वया सर्वजगद्ग्यापयेन विषयकृतः ।

२-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६७ ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९७ ।

मानुषाणामिय मानुषी न मानुषी अमानुषी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६८ ।

अमानुषीषु ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १८३ ।

मनुष्याणामिमा मानुष्या न तस्याऽमानुष्याः, तासु ।

५-बही, पत्र १८६ ।

यथा सोपस्काररथाद् सूत्राचामेवं नीयते—यत एवं कुर्गन् मय्यत्राणुर्गन् विंसं प्रकामति तत्रःत्रयतिदशयेन इत्यविष्णं च कुर्वित्युपविश्यते ।

६-बही, पत्र १८७ ।

'विसालिसेहिं' ति मगधदेशीयभाषया विसहयोः—इत्यश्वादिभ्योहोनीयकर्मस्योपसमापेक्षया विजिन्नेः ।

अध्ययन ४

श्लोक ४

१—(ते ग)

चूर्णिकार और टीकाकारों ने इसको 'तव' मान कर व्याख्या की है। परन्तु 'ते बांधवा'—ऐसे भी हो सकता है।^१

अध्ययन ५

श्लोक १

१—(दुरुत्तरं ल) :

चूर्णिकार ने इसको क्रिया विशेषण माना है।^२ शात्याचार्य ने विभक्ति व्यत्यय के द्वारा इसे 'अणव' का विशेषण और विकल्प में क्रिया विशेषण भी माना है।^३ नेमिचन्द्र केवल 'अणव' का ही विशेषण मानते हैं।^४

श्लोक ७

२—(होक्त्वामि क

'होक्त्वामि' शब्द का चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने संस्कृत रूप 'भविष्यामि' किया है।^५ शात्याचार्य ने 'भविष्यामि' और 'भोक्ष्यामि'—ये दो रूप किए हैं।^६

इस प्रकरण में 'भोक्ष्यामि' रूप भी संगत हो सकता है, किन्तु 'भविष्यामि' अधिक उपयुक्त है। २।१२ में 'होक्त्वामि' और 'होक्स्व' दोनों भविष्यामि के अर्थ में प्रयुक्त हैं।^७

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११३।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०९।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८२।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३० :

दुक्खं उत्तरिज्जतीति दुरुत्तरं।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४१ -

'दुरुत्तरं' ति विभक्तिव्यत्ययाद्दुरुत्तरे—दु खेनोत्तरितु शक्ये, दुरुत्तरमिति क्रियाविशेषणं वा।

४—सुखबोधा, पत्र १०१ :

'दुरुत्तरं' ति विभक्तिव्यत्ययाद्—'दुरुत्तरे' दुःखोत्तारे।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३२ :

'भविष्यामि'।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०३ :

भविष्यामि।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र २४४ :

जनो—लोकस्तेन 'साढ' सह भविष्यामि' यद्वा 'होक्त्वामि' ति भोक्ष्यामि।

७—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६०।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२।

(ग) सुखबोधा, पत्र २२।

अध्ययन ६

श्लोक २

१—(कप्पए ष) :

इसका संस्कृत रूप है—'कल्पयेत्' । 'कल्प' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । जैसे—

सामर्थ्ये वर्णनायां ष, छेदने करणे तथा ।

औपम्ये चाधिवासे च, कल्प शब्द विदुर्बुधा ॥

प्रस्तुत प्रसंग में 'कल्प' शब्द 'करण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'कप्पए' अर्थात् करे ।

अध्ययन ७

श्लोक १७

१—(आवर्द्धं ष वहमूलिया ष) :

'आवर्द्धं'—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'आपदा' या 'आपत्' प्राप्त होना है ।^१ शान्त्याचार्य ने मूलतः इसकी क्रिया मान कर आगच्छति, आपपति—किया है और विकल्प में 'आपत्' भी किया है ।^२

'वहमूलिया'—चूर्णिके अनुसार इसका संस्कृत रूप 'व्यधमूलिका' और बृहद् वृत्ति व सुखबोधा के अनुसार 'वधमूलिका' होता है । 'व्यध' का अर्थ प्रमारण या ताडन और 'वध' का अर्थ प्राणिघात, विनाश या ताडन किया गया है ।^३

१—उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० १४६-२५० ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० १६४

शीतोष्णाद्या व्याधयश्च आवर्ती ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२०

'आवर्द्धं' ति आपत् ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

'आवर्द्धं' ति आगच्छत्यापति 'आवर्द्धं' ति आपत् ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० १६४ .

व्यधस्तु प्रमारण ताडनं वा, मूलहेतु वा जादौ व्यध इत्यर्थः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २८०

वध - प्राणिघात, उपलक्षणत्वान्महारण्यमहापरिग्रहानृतमाधनमायावयश्च मूल- कारण दृष्ट्या सा वधमूलिका, वधो विनाशस्ताडनं वा मूलम्—आधिर्यस्या सा वधमूलिका ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १२०

वधः—विनाशो वा ताडन मूलं—आधिर्यस्या सा ।

अध्ययन ६

श्लोक १

१—(सरई ष) :

'सरई' वर्तमान काल का रूप है। शान्त्याचार्य ने 'स्म' को 'शेष' माना है।^१ 'स्मरतिस्म' अर्थात् याद किया—स्मृति हुई। नेमिचन्द्र और कमलसंयम ने उस समय की अपेक्षा से वर्तमान का रूप माना है।^२

श्लोक २

२—(सहसंबुद्ध ष) :

'सहसंबुद्ध'—स्वय-संबुद्ध। शान्त्याचार्य ने 'सह' का अर्थ 'स्वयं' कि या है।^३ इसका संस्कृत रूप 'स्वक' होता है।^४ स्वकेन संबुद्ध = सह-संबुद्ध अर्थात् अपने आप प्रतिबुद्ध। 'सह' का वैकल्पिक रूप 'सहसा' भी किया है। 'सहसा' के स्थान में 'सह' को आर्ष-प्रयोग माना है। 'सहसा संबुद्ध सहसंबुद्ध' अर्थात् जाति-स्मृति के बाद सुरप्त प्रतिबुद्ध।^५

श्लोक ३

३—(देवलोगसरिसे क) :

यहाँ 'भोग' शब्द लुप्त है। देवलोक-सदृश अर्थात् देवलोक के भोगों के सदृश।^६

श्लोक ५

४—(भूयं क) :

इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) जात (हुआ) और (२) सदृश।^७ यहाँ 'भूत' का 'जात' अर्थ है, यहाँ 'भूत' शब्द का परनिपात प्राकृत के नियमानुसार हुआ है।

१—शृहृद् वृत्ति, पत्र ३०६ :

'स्मरति' क्लिप्तपति, स्मेति शेष, वर्तमाननिर्देशो वा आण्वत् ।

२—(क) सुजाबोधा, पत्र १४५

वर्तमाननिर्देशः सर्वत्र तत्कालविक्रमया ।

(ख) सर्वासिद्धि, पृ० २०४ :

वर्तमानत्वं तत्कालावेक्षया ।

३—शृहृद् वृत्ति, पत्र १०६ :

सहसि—स्वयमात्मनेव सम्बुद्धः—सम्यग्गतसस्वः सहसम्बुद्धो, नाम्नेन प्रतिबोधित इत्यर्थः ।

४—पादप्रसहसहस्रबोधो, पृ० ११०९ ।

५—शृहृद् वृत्ति, पत्र १०६ :

अथवा 'सहसा' सि आर्षत्वात् सहसा—जातिस्मृत्यन्तरं अगिधेव बुद्धः ।

६—श्री, पत्र ३०६ :

'देवलोगसरिसे' सि देवलोकभोगैः सदृशा देवलोकसदृशाः, मयूरप्यंशकादित्वात्प्रःअप्यलोपी समासः ।

७—श्री, पत्र ३०७ ।

श्लोक ६

५—(पञ्चज्जाठाणमुत्तमं ख) :

यहाँ 'प्रति' शेष है। उत्तम स्थान के प्रति अथवा समी के स्थान में प्राकृत में द्वितीया है।^१

श्लोक २८

६—(आमोसे क) :

इस श्लोक में आमोष आदि को द्वितीया का बहुवचन मान कर व्याख्या की है, वहाँ 'उत्प्राद्य' का 'अव्याहार' किया है और बैकल्पिक रूप में सप्तमी का एकवचन मान कर भी व्याख्या की है। आमोष आदि का उत्पादन कर—निग्रह कर अथवा आमोष आदि के होते हुए नगर जो अशान्त है, उसे शान्त बना तुम मुनि बन जाना।^२

श्लोक ३२

७—(नराह्निवा ! ख) :

यह सम्बोधन है। प्राकृत में ह्रस्व के स्थान में दीर्घ भी हो जाता है, इसलिए 'नराह्निव' का रूप 'नराह्निवा' हुआ है।^३ हेमचन्द्र के अनुसार ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व समास में ही होता है।^४

श्लोक ३५

८—(एहए ष) :

'एष्' धातु अकर्मक है। इसका अर्थ है 'वृद्धि होना'। धातु अनेकार्थक होते हैं—इस न्याय में इसका अर्थ 'प्राप्त करना' भी होता है। 'सुहमेहए' अर्थात् सुख को प्राप्त करता है। शुभ को बड़ाता है—यह इसका बैकल्पिक अर्थ है।^५

श्लोक ५१

९—(अब्भुदए क) :

इसका संस्कृत रूप 'अभ्युदये' होना चाहिए। शान्तिाचार्य ने बैकल्पिक रूप में ऐसा किया भी है।^६ पर मुख्यतया उन्होंने इसका संस्कृत रूप 'अद्भुतकान्' किया है।^७ व्याकरण की दृष्टि से 'अद्भुत' की अपेक्षा 'अभ्युदय' ही संगत है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०७ :

प्रव्रज्यास्थान, प्रतीति शेष., 'उत्तम' प्रधानं, सुख्यस्येन सहस्यर्थे वा द्वितीया, तत प्रव्रज्यास्थान उत्तमे।

२—ब. १, पत्र ३१२-३१३।

३—बही, पत्र ३१३ :

'नराह्निवा' इत्यत्र अकारो 'ह्रस्ववर्धा मिष' इतिलक्षणान्।

४—हेमशब्दानुशासन, ८।१।४

दीर्घ-ह्रस्वौ निधोवृत्तौ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१४ :

'सुखम्' ऐकान्तिकात्यन्तिकमुक्तिसुखारमकम् 'एषते' इत्यनेकार्थत्वाद्वाङ्मानी प्राप्नोति, अथवा 'सुहमेहए' सि शुभं—युध्यमेवते—अन्तर्भावितव्यर्थत्वात् वृद्धि नयति।

६—बही, पत्र ३१७।

'अभ्युदय' सि अभ्युदये, ततस्व यवभ्युदयेऽपि भोगास्त्वं अहासि तवास्वर्थं वर्तते।

७—बही, पत्र ३१७।

'अब्भुदए' सि अद्भुतकान् आस्वर्थक्यात्।

अध्ययन १०

श्लोक २०

१—(कामगुणेहि मुच्छ्रिया ग) :

'कामगुणेहि' का अर्थ सप्तमी और तृतीया दोनों विभक्तियों के द्वारा किया जा सकता है—'कामगुणों में मुच्छ्रित' अथवा 'कामगुणों के द्वारा मुच्छ्रित' ।^१

श्लोक २१

२—(परिजूरइ क) :

इसका संस्कृत रूप 'परिजीर्यति' होता है और प्राकृत में 'निद्'^२ और 'स्विद्'^३ धातु को 'जूर' आदेश होता है, इसलिए 'परिजूरइ' का अनुवाद 'जोण हो रहा है' के अतिरिक्त 'आने आरको कोस रहा है' या 'खिल हो रहा है' भी हो सकता है ।

अध्ययन ११

श्लोक ७

१—(अभिवखणं क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप 'अभीक्षण' और 'अभिक्षण'—ये दो बनते हैं । 'अभीक्षण' का अर्थ—'बार-बार' और 'अभिक्षण' का अर्थ 'निरन्तर' है ।^४

श्लोक ३१

२—(समुद्गम्भीरसमा क) :

व्याकरण की दृष्टि से यह 'समुद्समगम्भीरा' होना चाहिए था, किन्तु छन्द-रचना की दृष्टि से 'गम्भीर' का पूर्व निपात हुआ है । बृहद् वृत्ति के अनुसार 'गाम्भीर्य' के स्थान में 'गम्भीर' का आर्ष-प्रयोग हुआ है ।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७ ।

२—बही, पत्र ३३८ ।

यद्वा 'परिजूरइ' ति 'निवेर्जूर' इति प्राकृतलक्षणात् परिनिन्वतीषाऽऽत्मानमिति गम्यते, यथा-- धिगां कीदृश जातमिति ।

३—हेमचन्द्रानुशासन, ८।४।१३३

स्विदेर्जूरविसूरी ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

'अभीक्षणं' पुनः पुनः, यद्वा—क्षणं क्षणमपि अभिक्षणम्—अनवरतम् ।

५—बही, पत्र ३५३

'समुद्गम्भीरसमा' ति आर्षत्वाद्गाम्भीर्येण—अलक्ष्यमभ्यारमकेन पुणेन सत्वा गाम्भीर्यसमा. समुद्स्य गाम्भीर्यसमा समुद्-गाम्भीर्यसमा ।

अध्ययन १२

श्लोक २

१-(समिईसु ञ) :

यह एकवचन के स्थान पर बहुवचन है। 'समित' शब्द मध्य में स्थित है, इसलिए यह 'ईया' आदि सबके साथ जुड़ जाता है। पहले और दूसरे चरण का समास करने से यह बहुवचन भी हो सकता है। समास करने पर 'मासाए' का 'ए' अलाक्षणिक मानना चाहिए।^१

श्लोक ७

२-(कखलाहि ष) :

शात्याचार्य ने 'खल' श्रातु को देशी-पद माना है। इसका अर्थ है—'अपसरण करना', 'घाँसों से परे हो जाना'^२, 'अवज्ञापूर्वक चले जाना'^३

श्लोक १५

३-(उच्चावयाई ण) :

इसके संस्कृत रूप दो बन सकते हैं—(१) उच्चावचानि और (२) उच्चव्रतानि। 'उच्चावच' का अर्थ है—'ऊँच-नीच घर' या 'नाना प्रकार के तप'। 'उच्चव्रत' अर्थात् दूसरे व्रतों की अपेक्षा से महान् व्रत—महाव्रत।^४ मुनि ऊँच-नीच घरों में भिक्षा के लिए चरण करते हैं जबकि नाना प्रकार के तपों और महाव्रतों का प्राचरण करते हैं।

श्लोक १७

४-(अज ष) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) अज (=आज) और (२) आर्य।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७ :

'उच्चारसमिईसु' ति एकलेशेऽपि बहुवचनं सुव्रतत्वात्, समितिसाख्यश्च मध्यम्यवस्थितो उमस्कनगिरिवास्तयोरेपि सङ्घटते, ततश्च ईयासमित्तोषणासमितौ भाषासमित्ताद्यानमित्तोषणसमित्ताचिति योज्यं, यद्वा ईयेषणाभाषोच्चारसमित्तिज्जिद्येकमेव पद, 'मासाए' इति च एकारोऽलाक्षणिकः।

२-बही, पत्र ३५९ :

'खलाहि' ति देशीपदमपसरत्येत्यार्ये वर्तते।

३-उत्तराख्ययन चूर्ण, पृ० २०४।

४-(क) उत्तराख्ययन चूर्ण, पृ० २०६।

उच्चावचं नाम नानाप्रकारं, नानाविधानि तर्पति, अहवा उच्चावचानि शोभनीयानि।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६२-६३ :

'उच्चावयाई' ति उच्चावचानि—उत्तमावचानि दुर्ग्यस्वरन्ति—भिक्षानिमित्तं पर्यटन्ति गृहानि, यद्विचोच्चावचानि—विदुष्ट्याविदुष्टतया नानाविधानि, तर्पतीति गम्यते, उच्चव्रतानि वा शेषव्रतापेक्षया महाव्रतानि।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३ :

'अज' ति अज ये यज्ञास्तेषामिवानीमारब्धयज्ञानां, यद्वा 'अज' ति हे आर्या।

श्लोक १८

५—(खत्ता क) :

'खत्ता' के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—(१) क्षत्रा और (२) क्षता । क्षत्र का अर्थ 'क्षत्रिय' और क्षता का अर्थ 'वर्णसङ्कर' है ।^१

श्लोक २४

६—(जवखा ष) :

यक्ष के परिवार में अनेकों सदस्य थे, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है ।^२

श्लोक २७

७—(महेसी क) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) महेशी और (२) महर्षि । महेशी का अर्थ है 'मोक्ष की सोच करने वाला' और महर्षि का अर्थ है 'महान् ऋषि' ।

बृहद् वृत्तिकार को दोनों अर्थ अभिमत हैं ।^३ चूर्णिकार को पहला अर्थ अभिमत है ।^४

श्लोक ३२

८—(अत्थि ख) :

'अत्थि' (अस्ति) अर्थात् है । उसके उपलक्षण से 'था' और 'होगा' का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।^५

श्लोक ३४

९—(ते क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार प्रथम और द्वितीय चरण में जो 'ते' है, वह 'बन्ती' विभक्ति का एकवचन है और वैकल्पिक रूप से विभक्ति का व्यत्यय करने पर द्वितीया विभक्ति का एकवचन है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३

'क्षत्रा.' क्षत्रियजातयो वर्णसङ्करोत्पन्ना वा ।

२—बही, पत्र ३६५ .

यक्षा; यक्षपरिवारस्य बहुत्वात् बहुवचनम् ।

३—बही, पत्र ३६६ .

'महेति' लि महान्—बृहन् शेषस्वर्गाद्येजया मोक्षस्तमिच्छति—अनिलवतीति महेशी महर्षिर्वा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८ .

महांतं एसतीति महेशी, निर्वाणमित्यथ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८ :

अस्तीत्युपलक्षणत्वादासीत् अभिव्यति च ।

६—बही, पत्र ३६८-६९ ।

श्लोक ३६

१०-(कुरुं क) :

प्रथम चरण के कुरा आदि जो कर्म हैं, उनके लिए 'परिग्रहणस्त.' क्रिया शेष है ।'

श्लोक ४५

११-(सन्तितित्थे क) :

चूर्ण और बृहद् वृत्तिकार ने 'सन्ति' का अर्थ—'शान्ति' या 'सन्ति' (अस् वातु का बहुवचन) किया है । इसका अर्थ शान्ति मानने पर 'तीर्थ' में एकवचन है । 'सन्ति' क्रिया मानने पर बहुवचन है ।' बृहद् वृत्ति के अनुसार तीर्थ का अर्थ 'पुण्यक्षेत्र' या 'संसार-समुद्र को तैरने का उपायभूत घाट' है । चूर्ण के अनुसार तीर्थ के दो भेद हैं—(१) द्रव्यतीर्थ और (२) भावतीर्थ । प्रभास आदि 'द्रव्यतीर्थ' कहलाते हैं और ब्रह्मचर्य 'भावतीर्थ' या 'शान्तितीर्थ' कहलाता है ।'

श्लोक ४६

१२-(बन्धे सन्तित्थे क) :

मान्याचार्य के अनुसार इसका एक अर्थ यह होता है कि 'ब्रह्मचर्य शान्तितीर्थ' है । दूसरा अर्थ 'मनु' प्रत्यय का लोप तथा ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी का अभेद मान लेने पर यह होता है कि 'ब्रह्मचारी' तीर्थ है । इस अर्थ में 'बन्धे' में बचन-व्यत्यय माना जाएगा ।'

१३-(अत्तपसन्नलेसे ख) :

इसका संस्कृत रूप 'आत्मप्रसन्नलेश्य' या 'आत्मसन्नलेश्य' होता है । यहाँ लेश्या का अर्थ 'मानसिक परिणाम' है । लेश्या दो प्रकार की होती है—(१) प्रसन्न (धर्म) और (२) अप्रसन्न (अधर्म) । आत्मा को प्रसन्न—पर्वथा अहलुपि लेश्या जहाँ होती है, उसे 'प्रसन्न-लेश्य' कहा गया है । आत्म पुरुष के द्वारा प्रसन्न-लेश्या का निरूपण हो अथवा जहाँ प्रसन्न लेश्या प्राप्त हो, उस धर्म या शान्तितीर्थ को 'आत्म-प्रसन्न-लेश्य' कहा गया है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७० :

सबत्र परिग्रहण इति ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २१२ .

'सन्तित्थे'ति शान्तिः, शान्तिरेव तीर्थं, अथवा सन्तिति विद्यते, कतरानि सति तित्थाणि ?

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

'सन्तित्थे' ति किं च ते—सब शान्तये—पापोपशमननिमित्तं तीर्थं—पुण्यक्षेत्रं शान्तितीर्थम्, अथवा 'कानि च' शिखाणि 'ते' सब 'सन्ति' विद्यन्ते 'तीर्थानि' संसारोपचित्तदोषायुक्तानि ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २१२ :

तित्थं बुद्धिह—इत्थं तत्त्व मासत्थं च, प्रमाणादिति द्रव्यतीर्थानि, जोशानानुरोधकारोतीतिहःवा न शान्तितीर्थानि नन्ति, यस्तु आत्मन परेषां च शान्तये तदभवतीर्थं सति ब्रह्म एव शान्तितीर्थम् ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

ब्रह्मेति—ब्रह्मचर्यं शान्तितीर्थं, अथवा 'ब्रह्मेति ब्रह्मचर्यं कस्तो मनुस्त्रोपादनेशोवकाराहा सायव उच्यते, बुद्ध्यापयाचयेकवचनं, 'सन्ति' विद्यन्ते तीर्थानि सन्ति गम्यते ।

'आत्मप्रसन्न-लेश्य' यह धर्म और शास्त्रिणी दोनों का विशेषण है ।^१

श्लोक ४७

१४—(जर्हिसि ग) :

बूर्णि के अनुसार यह सतमी विभक्ति है ।^२ बृहद् वृत्तिकार ने विभक्ति का व्युत्पन्न कर इसे तृतीया माना है ।^३

अध्ययन १३

श्लोक १२

१—(वयणप्यभूया क) :

इसका संस्कृत रूप 'वचनाऽभूता' यम 'वचनान्भूता' होता है और दोनों का अर्थ है 'अलापर बाली' ।^४

२—(शीलगुण ग) :

शील और गुण—इन दो शब्दों का अर्थ 'अपृथक्' और 'पृथक्' दोनों का से किना जा सकता है ।

शीलगुण—चारित्र्य रूप गुण । शील अर्थात् चारित्र्य, गुण अर्थात् श्रुत ।^५

३—(अज्जयन्ते घ) :

यह क्रिया है । बृहद् वृत्तिकार ने 'अज्जयते' (अर्जयन्ति) या जयते (यत ते)—इस दोनों की व्याख्या की है ।

'अर्जयन्ति' अर्थात् पठन, श्रवण और अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करते हैं ।

'यतन्ते'—क्रिया मानने पर तीसरे चरण का अनुवाद होगा—मिसे सुन कर चारित्र्यगुणयुक्त भिक्षु जिन-प्रवचन में यत्न करते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० २१२ :

आत्मनः, प्रज्ञान्तोपशान्तलेसो, पीतशुक्लाद्या लेश्या, आत्मनः प्रहृणं न शरीरस्य तीर्थः, शरीरलेश्यासु हि अशुद्धानि आत्मलेश्या शुद्धा भवन्ति, शुद्धा अपि शरीरलेश्या भवन्तीया, अथवा अस्त—इति वा इत्था, तावच्च पीताद्याः, तावच्च शुद्धाः, अ निष्ठास्तु अणस्ताजो, उक्तं हि—'अस्ता इत्था कता पिया मणुष्याः, अस्त एव प्रसन्ना, अस्ताश्च प्रसन्नाश्च अस्तपसन्तसे ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३ :

आत्मनो—जो ब्रह्म प्रसन्ना—मनागप्यकलुषा पीताद्यन्तरा लेश्या यस्मिन्तदात्मप्रसन्नलेश्यं तस्मिन्, अथवा आसा-प्राथिन्यामिह परत्र च हिता प्रासा वा तैरेव प्रसन्नलेश्या—उक्तं च यस्मिन्तदात्मप्रसन्नलेश्यं तस्मिन्नेवंविधे धर्महृदे, ब्रह्मात्मता श्रित्तोर्ये च, यदा ब्रह्मसाधनेन ब्रह्मवर्षवन्त उच्यन्ते तस्यो वचनविपरिणामेन विशेषणत्वं व्याख्येयम् ।

२—उत्तराध्ययन बूर्णि, पृ० २१३ :

जर्हिसि गृहता जर्हिसि बिलक्षणे चम्पे हरते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३७४ :

'जर्हिसि' ति सुब्यत्ययाद्येन ।

४—बर्ही, पत्र ३८५ :

'वयणप्यभूव' ति वचनेन अभूता अल्पभूता वा—अत्यल्पं प्रासा वचनाल्पभूता वचनाल्पभूता वा स्तोकाक्षरेतियावन ।

५—बर्ही, पत्र ३८५ :

शीलं—चारित्र्यं तदेव गुणः, यद्वा गुणः पृथगेव जानय् ।

६—बर्ही, पत्र ३८५ :

'अज्जयते' ति अर्जयन्ति पठनश्रवणश्रवणानुष्ठानादिभिरावर्जयन्ते । यद्वा 'ज भिक्षुणो' इत्यत्र ध्रुवेति शेषः, ततो वा ध्रुत्वा 'जयते' ति 'इह' अस्मिन् जिनप्रदक्षो 'यत्नः' अत्ययन्तो भवन्ति ।

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

१६ अ० १३ : श्लो० १३, २०, २२, ३३; अ० १४ : श्लो० ४

श्लोक १३

४—(य क) :

'मध्य' का नाम गुरुपाठ में नहीं है। यह 'च' शब्द के द्वारा प्रतिपादित है।'

श्लोक २०

५—(दाणि सिं क) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'सि' को पद-पूर्ति के लिए माना है और वैकल्पिक रूप में 'दाणिसि' को देवी भाषा का शब्द माना है।'

श्लोक २२

६—(अंसहरा ष) :

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं—(१) अंशधर और (२) अंशहर। 'अंशधर' का अर्थ है 'अपने जीवन का अंश देकर मरते हुए को बचाने वाला'। 'अंशहर' का अर्थ है 'दुःख में भाग बंटाने वाला'।'

श्लोक ३३

७—(मोहं ग) :

मोह का अर्थ है—'व्यर्थ'। इसका संस्कृत रूप 'मोह' भी हो सकता है।'

अध्ययन १४

श्लोक ४

१—(कामगुणे ष) :

'कामगुणे' का संस्कृत रूप विभक्ति-व्यत्यय न किया जाए तो विषय के अर्थ में समीचीनता का एकवचन 'कामगुणे' भी हो सकता है।'

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३८५ :

अथावशात्तन्मध्यो ।

२—बही, पत्र ३८७ .

'इदानीम्' अस्मिन् काले 'सि' सि पूरणे यथा 'दाणिसि' ति देवीयभाषायेदानीम् ।

३—(क) उत्तराध्ययन सूक्ति, पृ० २१८

अगो नाम दुःखभागः तस्य न हरति, अहवा स्वजीवितानेन न सं मरतं धारयति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३८८, ८९ .

अंशं—प्रक्रमाज्जीवितव्यभागं धारयन्ति—मृत्युना नीयमानं रक्षन्तीत्यंशधरा ... अंशवाऽगो—दुःखभागस्तं हरन्ति—
अपनयन्ति ये तेषां शहरा न्वन्तीति ।

४—उत्तराध्ययन सूक्ति, पृ० २१९

मोहो नामानर्थक एव ।

५—बृहद् वृत्ति पत्र ३९२ :

'मोहं' ति मोहं निष्कल मया नयति एवं, मुख्यतयाद्वा मोहो—किं कसो मोहेन वा—पूर्वजाग्नि मम आताऽऽतीविति स्नेह-
लक्षणेन ।

६—बही, पत्र ३९७

'कामगुणे' ति मुख्यतयात् 'कामगुणेभ्य' शब्दादिभ्यो, विषयसत्तमी वा ।

श्लोक १२

२-(भुक्ता क) :

िजनका अन्तर्भाव होने के कारण इसका रूप होगा 'भोजिता' अर्थात् भोजन कराए हुए ।'

३-(तमं तमेणं क) :

'तम' का अर्थ 'नरक' है । 'तमेणं' का एक अर्थ 'अज्ञान' है और 'तमंतमेणं' को एक शब्द तथा सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति मानी जाए तो इसका अर्थ 'अतिरोद्रोरवादि नरक में' होता है ।'

श्लोक १४

४-(अन्नप्रमत्ते ग) :

'अन्न' के संस्कृत रूप दो होते हैं—(१) अन्न और (२) अन्न । अन्य-प्रमत्त—मित्र-स्वजन आदि के लिए प्रमाद में फंसा हुआ । अन्न-प्रमत्त—भोजन या जीविका के लिए प्रमाद में फंसा हुआ ।'

श्लोक ३७

५-(तं ग) :

इसका अर्थ है 'जो कुछ पुरोहित ने छोड़ा, उसको लेते हुए (राजा) को' । यहाँ 'लेते हुए' ऊपर से अध्याहृत है ।'

श्लोक ४०

६-(इहेह ष) :

'इह' शब्द का दुबारा होने वाला प्रयोग सम्भ्रम का सूचक है ।'

अध्ययन १५

श्लोक २

१-(सव्वदंसी ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) सर्वदंशी—प्राणी मात्र को आत्मवत् देखने वाला अथवा सर्व वस्तुओं को समदृष्टि से देखने वाला और

(२) सदंशी—सर्व आहार को खाने वाला, जेप-मात्र भी नहीं छोड़ने वाला ।'

१-बृहद् कृति, पत्र ४०० :

'भुक्ता' ति अन्तर्भावितव्यत्वाद् भोजिताः ।

२-बही, पत्र ४०० :

समोक्ष्यत्वात्समो—नरकरतसमसा—अज्ञानेन यद्वा समसोऽपि यत्समस्तस्मिन्—अतिरोद्रे रौरवादिनरके ।

३-बही, पत्र ४००-४०१ :

अन्ये—सुहृत्स्वजनादयः, अथवाऽन्न—भोजनं तदर्थं प्रमत्तः—तद्वृत्त्यासक्तचेता अन्यप्रमत्तः अन्नप्रमत्तो वा ।

४-बही, पत्र ४०८ :

'तदि' ति यत्पुरोहितेन त्वत्सं गृह्णन्तमिति शेषः ।

५-बही, पत्र ४०९ :

'इहेहे' ति भीष्मानिधानं सम्भ्रमव्यापनार्थम् ।

६-बही, पत्र ४१४-१५ :

'सर्व' समस्तं गन्धमानत्वात्प्राधिगंधं पश्यति—आत्मवात्प्रेषत इदेवशीलः, अथवाऽभिसूय रागद्वेषौ सव वस्तु समतया पश्यती-
त्येवशीलः सर्वदंशी, यद्विधा सर्वं ददाति—अस्यतीत्येवशीलः सर्वदंशी, उक्तं हि—

"पद्विगहं संलिहिता ण, सेवमापाद्य संभ्रए । बुलांघं वा सुगंघं वा, सव्वं भुंजे ण छहए ॥"

श्लोक ५

२-(आयगवेसए ष) :

शान्त्याचार्य ने 'आय' शब्द के तीन संस्कृत रूपों की कल्पना की है—

- (१) आत्म-गवेषक— आत्मा के शुद्ध स्वरूप की गवेषणा करने वाला ।
- (२) आय-गवेषक— सम्यग्-दर्शन आदि के आय (लाभ) की गवेषणा करने वाला ।
- (३) आयत्त-गवेषक— मोक्ष की गवेषणा करने वाला ।^१

अध्ययन १६

सूत्र १

१-(संजमबहुले) :

इसमें 'बहुल' शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूर्व-पद में होना चाहिए—'बहुलसंजमे'। इसी प्रकार 'संवरबहुत' और 'समाहितबहुत' भी हैं।

वृत्तिकार ने इसका समाधान 'प्राकृतस्त्रात्' कह कर दिया है।^२ संयम, संवर और समाधि का अर्थ चूर्ण और वृत्तियों में भिन्न है—

चूर्णि	बृहद् वृत्ति	सुखबोधा
(१) संयम— पृथ्वीकाय आदि का संयम ।	(१) संयम— आश्रय-विरमण ।	(१) संयम— संयम ।
(२) संवर— पाँच महाव्रत ।	(२) संवर— आश्रयद्वार-निरोध ।	(२) संवर— इन्द्रिय-संवरण ।
(३) समाधि—ज्ञान आदि । ^३	(३) समाधि—समाधि-चित्त की स्वस्थता । ^४	(३) समाधि—चित्त की स्वस्थता । ^५

अध्ययन १७

श्लोक १२

१-(अत्तपन्नहा ञ) :

शान्त्याचार्य ने इसके तीन संस्कृत रूप दिये हैं—

- (१) आत्मप्रवणहा ।
- (२) आत्तप्रजाहा ।
- (३) आत्तप्रज्ञाहा ।

जो आत्मा सम्बन्धी प्रश्नों का वाचालता से हलन कर देता है, वह 'आत्मप्रवणहा' कहलाता है। जो अपनी या दूसरों की बुद्धि का कृतकों के द्वारा हलन करता है, वह 'आत्तप्रजाहा' कहलाता है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ ।

२-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४१ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२२-४२३ ।

५-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४-३५ ।

श्लोक १६

२-(अभिक्खणं क) :

अभिक्षण का शाब्दिक अर्थ 'पुन पुन' होता है। चूनि और वृत्ति में इनका भावार्थ 'प्रतिदिन' दिया गया है। पुन पुन आहार करना है अर्थात् प्रतिदिन आहार करता है। इसका मूल अर्थ 'बार बार खाता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाता रहता है'—रोना चाहिए। इसका सम्बन्ध 'एगभत्त च भोयणं' (दशमकालिक, ६।२२) से होना चाहिए।

अध्ययन १८

श्लोक १६

१-(हृदुत्तु ष) :

बाहर से पुत्रकित होने को 'हृष्ट' और मानसिक प्रीति का अनुभव करने को 'तुष्ट' कहा जाता है।^३

श्लोक ३०

२-(सन्नत्था ग) :

इसके दो संस्कृत रूप किए गये हैं—

(१) सर्वाधी — हिंसा आदि अशेष विषय।

(२) सर्वत्र—आकार को अलाक्षणिक मानने पर 'सन्नत्था' का संस्कृत रूप 'सर्वत्र' भी हो सकता है।^४

श्लोक ४०

३-(अरयं ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) अरतम्।

(२) अरजम्।

नेमिचन्द्र ने केवल 'अरजस्' माना है।^५

श्लोक ४६

४-(अणट्टा ख) :

शान्त्याचार्य ने मूल में 'अणट्टा' शब्द मान कर उसे आर्थ-प्रयोग कहा है।^६

१-(क) उत्तराध्ययन चूनि, पृ० २४६ :

नित्यमाहारयति, यदि मान कश्चिन्नबोधयति किमिति ननु आहारं नित्यमाहारयति न चतुषशष्ठादि कश्चिन्नि करोति ?

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ४३५ :

अभिक्षणं ... प्रातरारम्य सन्ध्यां यावत्पुनः पुनर्मुक्ते, पविश... 'अभिक्षणं' पुन पुनः, दिने दिने इत्युक्तं नवति।

२-वृहद् वृत्ति, पत्र ४४१ :

हृष्टः— बहिः पुलकादिमन्तः, तुष्टः—आन्तरप्रीतिमात्र।

३-वही, पत्र ४४६ :

'सर्वाधी'— अशेषहिंसाबधो . यद्वा 'सर्वत्र' त्वाकारस्थालाक्षभिरुत्थासर्वत्र क्षेत्रादौ ।

४-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ४४८ :

'अरयं' ति रतस्य रजसो वाऽऽभावकल्पमरतवरजो वा ।

(ख) मुक्ताबोधो, पत्र २४६ ।

५-वृहद् वृत्ति, पत्र ४४८ :

'अणट्टा...' ति, आर्थश्चाद् ।

अध्ययन १६

श्लोक ३६

१—(अग्निशिखा दित्ता क) :

इस श्लोक के प्रथम चरण में 'अग्निशिखा' और 'दीप्ता' में द्वितीया के स्थान में प्रथमा विभक्ति है। दूसरे चरण में 'सुसुक्कर' में लिङ्ग व्यत्यय मान सुसुक्करा विया जाए और 'करोति' चातु सव घात्वर्षवाची होता है, अतः उसे वाक्ति के अर्थ में माना जाए तो अग्निशिखा को प्रथमा मान कर भी व्याख्या की जा सकती है।^१

श्लोक ५७

२—(विव ख) :

यह 'इव' अर्थ में अध्यय है। विव, निव, विव और वा—ये चारों अध्यय 'इव' अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।^२

श्लोक ८१

३—(मृगचारियं ग) :

'मृग (या मिय) चारिय' शब्द पाँच बार आया है—श्लोक ८१, ८२, ८४ और ८५ में।

शान्त्याचार्य ने 'मृगचारिया' के दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) मृगचर्या— हिरणों की इधर उधर उल्लखन की चर्या।

(२) मितचारिता — परिमित-भक्षण रूप चर्या। हिरण स्वभाव से ही मितहारि होते हैं।^३

'चर्या' का प्राकृत रूप 'चरिया' बनता है, इसलिए 'चारिया' का संस्कृत रूप 'चारिका' या 'चारिता'—दोनों हो सकते हैं। 'अर्थ-संपत्ति की दृष्टि से मितचारिता की अपेक्षा मृगचारिका अधिक उपयुक्त है।

श्लोक ८१ के चतुर्थ चरण में मृगचारिका का प्रयोग जहाँ हिरण स्वतन्त्र पूर्वक बैठें, उस भूमि के लिए किया गया है।^४ शेष चार स्थानों में मृगचारिका का अर्थ है 'मृग की तरह स्वतन्त्र विचरण करना'।

श्लोक ६२

४—(अणसणे घ) :

'अण्' के दो अर्थ होते हैं—(१) अभाव और (२) कुत्सा। यहाँ 'अणसणे' का अर्थ है, 'भोजन न मिलने' अथवा 'खराब भोजन मिलने पर'।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२७ .

'अग्निशिखा' अग्निज्वाला 'दीप्ते' सुसुक्करा ज्वालाकराला वा, द्वितीयायै चात्र प्रथमा, ततो यथाऽग्निशिखां दीप्तां पातुं सुसुक्करं, मृगिचित्ति गम्यते, यच्चिवा लिङ्गव्यत्ययात् सर्वभास्वर्षत्वाच्च करोते: 'सुसुक्करा' सुसुक्करा यथाऽग्निशिखा दीप्ता पातुं भवतीति योगः, एकमुत्तरत्रापि भावना।

२—वही, पत्र ४६०।

३—वही, पत्र ४६२ :

मृगणां चर्या—इतद्येत्तस्मिन्मलवमात्मकं चरणं मृगचर्या तां, 'मितचारितां' वा परिमितभक्षणारिकां 'चरित्वा' जातेष्व परिमिताहारा एव हि स्वरूपेणैव मृगा भवन्ति।

४—वही, पत्र ४६२-६३ :

मृगणां चर्या—केटा स्वात्तन्त्र्योपवेशनादिका यस्यां सा मृगचर्या—मृगाभयवृत्ताम्।

५—वही, पत्र ४६५ :

मन्नाऽनाद्ये कुत्सायां वा, तत्तन्वाकलस्य—भोजनस्याभावे कुत्सितारामभावे वा।

अध्ययन २०

श्लोक २३

१-(यथाहितं च) :

इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं—

- (१) यथाहितं और
- (२) यथाऽपीतं ।

यहूँ का अर्थ है 'जैसे मेरा हित हो वैसे' और दूसरे का अर्थ है 'अपने गुण या परम्परा से ज्ञात विधि के अनुसार' ।^१

श्लोक २८

२-(अनुव्रया च) :

इस शब्द के दो संस्कृत रूप दिए गए हैं—

- (१) अनुव्रता— पतिव्रता ।
- (२) अनुवया— समान वय वाली ।^२

अध्ययन २१

श्लोक ८

१-(वज्रमगं च) :

इहृद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप दो होते हैं—

- (१) वाह्यमं ।
- (२) वध्यमं ।

'वाह्यम' का अर्थ है 'नगर से बाहर ले जाया जाता हुआ' ।

'वध्यम' का अर्थ है 'वध्य-भूमि में ले जाया जाता हुआ' ।^३

श्लोक ११

२-(कसिणं च) :

संस्कृत में इसके दो रूप बनते हैं—(१) कृत्स्न और (२) कृष्ण । कृत्स्न का अर्थ है 'सम्पूर्ण' और कृष्ण का अर्थ है 'कृष्णलेश्या के परिणाम वाला' ।^४

१-इहृद् वृत्ति, पत्र ४७५ :

'यथाहितं' ति 'यथाहितं' हितानरिप्रद्रेण यथाऽपीतं वा—गुरुसंग्रहायागसमनविरेकविकारिणाम् ।

२-वही, पत्र ४७६ :

'अनुव्रया' ति अन्विति—कुलादुह्य ददम्—आचारोऽस्या अनुव्रता पतिव्रतेति यावत्, वयोऽनुवया वा ।

३-वही, पत्र ४८३ :

वाह्यं—अगरवर्हिर्वातिप्रदेशं परदहीति वाह्यरत्नं, कोऽर्थः ?—वर्हिर्निष्कामर्त्तं, यथा 'वध्यम' इह वध्यमन्निपचाराह्वय-भूमिषक्ता ।

४-वही, पत्र ४८५ :

'कसिणं' ति कृत्स्नं कृष्णं वा कृष्णलेश्यापरिणामहेतुत्वेन ।

श्लोक १८

३-(अकुक्कुओ ग) :

उत्तराख्ययन १।३० में 'आकुक्कुओ' शब्द प्रयुक्त है। १।३० की वृत्ति में आःयाच र्भ ने 'कुक्कु' का अर्थ 'कोक्कुव' अर्थात् चञ्चल किया है। ३।२।२३ में 'कोक्कुव' का अर्थ 'कोक्कुव' लिखा है। प्रःपु। २।३।२३ में कुक्कुओ ने अकुक्कुओ का अर्थ उक्त दानों अर्थात् से मिल किया है। अकुक्कुओ (सं० अकुक्कुव) अर्थात् आक्रन्दन करने वाला।^३

यहाँ भी 'कुक्कुव' शब्द 'कोक्कुव' के अर्थ में हो सकता है, फिर भी वृत्तिहार ने इसका अर्थ वह क्यों नहीं किया ? यह विपर्यन्तीय है।

श्लोक २०

४-(संजए ग) :

'संजए' में अनुस्वार अनाक्षरिण है। आत्याचार्य ने रूमा ओर गृहों के बाद 'संज' शब्द खर माना है और संज का भूनालीन अर्थ 'संजए' किया है।^४

श्लोक २१

५-(छिन्नसोए घ) :

इसका संज्ञा का 'छिन-सोए' या 'छिन-सोए' हो सकता है। चिन का शोक छिन हो गया हो, वह 'छिन-सोए' और जिस कर्मों के शोक—विध्यात्वं आदि छिन हो गए हों, वह 'छिन-सोए' कहनाता है।^५

श्लोक २३

६-(ओभासई घ) :

आत्याचार्य ने ११ वें श्लोक में यहाँ तक जो धातु प्रयोग हैं, उन्हें प्रतीत कान के अर्थ में स्वीकृत किया है।^६

१-वृहत् वृत्ति, पत्र ५८ ५९ :

अगार - वा।, कुक्कु। ति कोक्कुवं—हरवरनञ् अगारतत्त्वेऽपानकनस्येऽपकोक्कुवः ।

२-वृही, पत्र ७०९ :

कोक्कुव द्विधा—तायहोक्कुव्य वाकोक्कुव्यं च ।

३-वृही, पत्र ५८६ :

'अकुक्कुओ' ति वाःयाच कुक्कुव कृत्वति—तीतिव सञ्जाक रति कुक्कुओ न तरेऽपकुक्कुवः ।

४-वृही पत्र ५८७ :

'संजए' ति न चापि पूर्वा गृहों च प्रतीति सेव 'संजए' सङ्ग' विहितवान् ।

५-वृही पत्र ५८७ :

'छिन्नसोए' ति छिन्नसोः छिन्नानि वा ओषांसोच आतांसि—विध्यात्वंनाहोनि देनासो छिन्नसोः ।

६-वृही, पत्र ५८५ ।

अध्ययन २२

श्लोक ५

१—(लक्षणस्वरसंज्ञो ऋ ऋ) :

षार्षं प्राकृत के अनुसार-‘सर’ और ‘लक्षण’ का व्यत्यय है। ‘सरलक्ष्म’ के स्थान में ‘लक्षणस्वर’ पाठ है

श्लोक ७

२—(विज्जुसोयामणिप्यभा ष ष) :

शान्त्याचार्य ने ‘विद्युत् सोदाभिनी’ का अर्थ ‘वमकतो हुई विद्युत्’ अथवा ‘अग्नि व विजलो’ किया है।

मत्तान्तर के अनुसार सोदाभिनी का अर्थ ‘प्रधान मणि होता है’।^२

श्लोक १६

३—(एए ष ष) :

शान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बताने के लिए हुआ है कि वे अत्यन्त दयादर्-हृदय थे और उनके मन में क्व प्राणियों का चिन्तन बार-बार उत्पन्न होता था।^३

नेमिचन्द्र ने बताया है कि इसका प्रयोग बड़ा-बड़ा बताने के लिए हुआ है।^४

श्लोक १८

४—(साणुकोसे जिएहि उ ष ष) :

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्राचार्य ने इसका अर्थ ‘जीवों में दया सहित’ किया है। ‘उ’ (तु) पाद-पूर्ति के लिए है।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८६,

‘लक्षणस्वरसंज्ञो’ स्ति प्राकृतप्रशास्त्रस्य यानि लक्षणानि—सोऽर्थात्तन्मीर्यादोनि तेः संयुतः स्वरलक्षणसंयुतः।

२—बृहद्, पत्र ४९० :

‘विज्जुसोयामणिप्यभा’ स्ति विशेष्य छोटले—दीप्यत इति विद्युत् सा वासो सोदाभिनी च विद्युत्सोदाभिनी, अथवा विद्युत्सोदाभिनी च तद्विद्, अथे तु सोदाभिनी प्रधानमणिरित्याह।

३—बृहद्, पत्र ४९१ :

एते इति पुनरभिधानमतिताग्रहणतया पुनः पुनस्त एव अथगतो हृदि विपरिचरत इति व्यापनार्थम्।

४—सुखबोधा, पत्र २८२ :

‘एते’ इति पुनरभिधान सम्प्रत्ययापनार्थम्।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४९१ .

‘साणुकोसः’ लक्षणः, केसु ?—‘जिएहि उ’ स्ति बोधेषु ‘तु’ पूरणे।

(ख) सुखबोधा, पत्र २८२ :

‘साणुकोसः’ लक्षणो बोधेषु ‘तु’ पूरणे।

श्लोक २०

५—(पणामए ष) :

यहाँ 'अर्ष' धातु को 'पणाम' आवेश हुआ है' और इसका अर्थ है 'देना' ।^१

श्लोक २१

६—(वे ष) :

'वे' शब्द निपात है और पाद-पूर्ति के लिए है ।^२

श्लोक ३१

७—(लहुं लहुं ष) :

यहाँ संज्ञम स्थापन के लिए 'लघु' का दो बार प्रयोग किया गया है ।^३

अध्ययन २७

श्लोक २

१—(बहूमानस्स ग) :

नेमिचन्द्र ने इसको 'बिहन्त्' का रूप मान कर इसका संस्कृत रूप 'बाह्यमानस्य' किया है और शात्याचार्य ने 'बहूमा'—'देशा' किया है ।^४ यही अधिक संमत समता है ।

श्लोक ३

२—(विहम्मणो ङ) :

शात्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप 'विहन्त्', नेमिचन्द्र ने 'विध्यमान' और सरपेण्डियर ने 'विध्यमान' किया है । उन्होंने टिप्पण करते हुए इस शब्द के स्थान पर 'विहम्ममाण' शब्द को स्वीकार करने का मत प्रकट किया है । 'हन्' धातु का 'हम्मा' रूप बनता है । विहम्मण को आर्षे प्रयोग मान कर उसका संस्कृत रूप 'विहन्त्' किया जा सकता है । जेकोबी ने भी यही अर्थ किया है ।^५

१—हेमचन्द्रानुशासन, पृ. ४३९ :

अर्षेः हिल्लिष्यन्नुप्य पणामाः ।

२—बृहद् सूत्र, पत्र ४९२ ।

३—बहो, पत्र ४९२ :

'वे' इति निपातः पूरणे ।

४—बही, पत्र ४९३ :

'लघु लघु' स्थिति स्थितिं, संज्ञमे द्विष्यन्तम् ।

५—(क) सुकबोधा, पत्र ३१६ :

"बहूमानस्स" इति अस्तर्नावित्प्यर्थतया बाह्यमानस्यः 'बाह्यमानस्य' प्रवर्तयतः ।

(ख) बृहद् सूत्र, पत्र ५५० :

'बहूमा-स्य' सम्बन्धप्रवर्तमानस्य ।

६—बृहद् सूत्र, पत्र ५५० :

'विहूमाणो' इति सूत्रत्वाद् विशेषेण 'हन्' तावद्यत् ।

७—सुकबोधा, पत्र ३१६ :

'विहूमाणो' इति सूत्रत्वाद् 'विध्यमानः' तावद्यत् ।

८—The Uttarādhyayan Sūtra, p. 373

९—The Sacred Books of the East, Vol. XLV, Uttarādhyayana, p. 150.

श्लोक ४

३—(विन्धइ ञ) :

इसका संस्कृत रूप है 'विन्धति' । सरपेण्टियर इस शब्द के स्थान पर 'छिदइ, निदइ' मानने का मत प्रकट करते हैं ।^१ यह अनावश्यक लगता है । 'विधइ' का अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है । क्योंकि जब बँक आपस में लड़ते हैं, तब एक दूसरे को सींगों से बाँधते हैं ।

श्लोक ५

४—(उष्किडई ग) :

हेमचन्द्राचार्य के अनुसार 'भ्र'श धातु को 'किड' आदेश होता है ।^२ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'मण्डूकवत्प्लवते'—मण्डूक की तरह फुदकना—किया है ।^३ स्थलित होना और फुदकना—ये दोनों अर्थ भिन्न अपेक्षाओं से यहाँ सगत हो सकते हैं ।

श्लोक १०

५—(अणुसासम्मी ग) :

कई प्रतियों में 'अणुससम्मि' पाठ मिलता है ।^४ जेकोबी ने इस पाठ का समर्थन किया है ।^५ डॉ० पिशेल ने जेकोबी के मत को भ्रामक कहा है ।^६ नेमिचन्द्र इस शब्द का कोई उद्घोष प्रस्तुत नहीं करते । वे इसका संस्कृत रूप 'अनुशास्मि' देते हैं ।^७ शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप दो माने हैं—(१) अनुशास्ति, और (२) अनुशास्मि ।^८ 'अनुशास्ति' रूप प्रकरण सगत लगता है ।

अध्ययन ३४

श्लोक ३

१—(पम्हा ञ) :

इसका संस्कृत रूप 'पधम' होगा । यहाँ 'पउम' या 'पम्म' (सं० पद्म) शब्द का प्रयोग होना चाहिए था ।

१—The Uttarādhyayana, p 373

२—हेमशब्दानुशासन, ८।४।१७७ :

अ शोः किड-फिट-फुड-फुट-बुड मुळा ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१ :

'उष्किडई' सि मण्डूकवत्प्लवते ।

४—उत्तराध्ययन, पृ० ३७४ ।

५—The Sacred Books of the East, Vol. 45, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६—प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनुबाबू डॉ० हेमचन्द्र जोशी, पृ० ७३२ ।

७—मुसुबोवा, पत्र ३१७ :

'अणुसासम्मि' सि अनुशास्मि ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२ :

'अणुसासंमि' सि आर्षतवावमुत्तारित गुणरिति गम्यते, यदा त्वाचार्य आत्मनः समाधिं प्रतिसंघते इति व्याख्या तदाऽनुशास्मीति व्याख्येयम् ।

श्लोक २८

२—(वज्रभीरु क) :

'वज्र' और 'अवज्र'—ये दो शब्द हैं। 'वज्र' का संस्कृत रूप 'वर्ज' और 'अवज्र' का 'अवय' है। दोनों का अर्थ एक-सा है। टीकाकार ने 'वज्र' को 'अवज्र' मान उसके आकार का लोप माना है।' किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 'वज्र' (वर्ज) ही अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है।

अध्ययन ३६

श्लोक ७७

१—(एगविहमणात्ता ग) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और 'एकविह' में बहुवचन होना चाहिए था, उसके स्थान पर विभक्ति का लोप है।

परिशिष्ट-३

पाठान्तर-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक २०

१—(बाह्विन्तो क ... पसायपेही ग) :

बाह्विन्तो—चूर्णि और दोनों वृत्तियों में 'बाह्विन्तो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^१ उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'बाह्वितो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिरोल ने इसका संस्कृत रूप 'व्याहित' किया है।^२ पर 'व्याहित' का प्राकृत रूप 'वमिहित' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नहीं है।

'पसायपेही'—शान्स्याचार्य ने इसके स्थान पर 'प्रसायपेही' (प्रसायार्थी) पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'शुद्ध की प्रसन्नता का अभिलाषी' किया है।^३

अध्ययन २

श्लोक ४

१—(लज्जसंजए ख) :

चूर्णिकार और शान्स्याचार्य ने मूल पाठ 'लज्जसंजमे' मान कर उसका अर्थ 'जिसने समय प्राप्त कर लिया है' किया है।^४

चूर्णिकार ने 'लज्जसंजते' पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'लज्जा से संयम करने वाला' किया है।^५

शान्स्याचार्य ने दो बौद्धिक पाठ माने हैं—(१) 'लज्जसंजमे' और (२) 'लज्जसंजए'। क्रमशः इनका अर्थ—लज्जा और संयम के द्वारा आत्मस्थ तथा लज्जा से सम्यग् यत्न करने वाला—किया है।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५ :

बाह्विन्तो नाम सहितो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'बाह्विन्तो' सि व्याहृतः—वामिहितः ।

(ग) सुक्तबोधा, पत्र ८ ।

२—पिरोल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा २८९, पृ० ४०९ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५ :

'प्रसायार्थी' वा सुस्वरितोवाभिलाषी ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ :

लज्जो संजमो जेव स भवति लज्जसंजमः ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ८६ :

लज्जः—अवाहः संयमः—पञ्चाववाविविरमकारमको वेन ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ :

पठ्यते च 'लज्जसंजते' लज्जा एव संजमो, लज्जाते वा अतंजमं काजं, तथा लज्जया संजमतीत्यर्थः ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ८६ :

पाठान्तरं वा 'लज्जसंजमेति' लज्जा—प्रतीता समयः—उच्छ्रय एताभ्यां स्वभ्यस्तथा सात्वीभावसमुपस्थाभ्यामन्य इति स एव लज्जासंयमः, पठ्यते च 'लज्जासंजए'ति, स च लज्जया सम्यग्यत्ते—कृत्यं प्रत्याहृतो भवतीति लज्जासंयतः ।

श्लोक ३५

२—(तन्तुजं ष) :

शूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक पाठ 'तंतज' मान कर उसका अर्थ 'करवा, तकली आदि उपकरणों से होने वाला बन्ध, कंबल आदि' किया है।^१ तात्पर्यार्थ में 'तंतुजं' और 'तंतज' दोनों एक हैं।

श्लोक ३६

३—(रसेसु ग) :

शूर्णिकार ने मूल में 'रसिणु'^२ और शान्त्याचार्य ने 'सरसेसु'^३ पाठ माना है। दोनों का अर्थ 'रस वाले पदार्थ' होता है।

अध्ययन ३

श्लोक ६

१—(कम्मसंगेहिं क) :

शूर्ण ने मूल पाठ 'कामसंगेहिं' मान कर व्याख्या की गई है।^४

श्लोक १०

२—(नो एणं ष)

शान्त्याचार्य ने 'नो य णं'—पाठ मान कर उसके दो अर्थ किए हैं। पहला 'नो'—नहीं, 'य'—च और 'ण' को वाक्यालंकार माना है। दूसरा 'नो'—नहीं, 'एणम्'—उसे, किया है।^५

नेमिचन्द्र ने दूसरा अर्थ ही स्वीकार किया है।^६

१—(क) उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० ७६ :

तनोत्थसौ तन्यते वा तन्तु, तन्तुभ्यो जात 'तंतुजं', अथवा तन्यत इति तंत्रं—वेमबिलेखनछानिकादि तत्र जातं तंत्रजं, तन्तुवस्त्रं कंबलो वा।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १२२ :

पठ्यते च—'तस्य' ति तत्र तन्त्रं—वेमबिलेखन्याञ्छानिकादि तस्मात्प्रातं तन्त्रजम्, उतपत्र वस्त्रं कम्बलो वा।

२—उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० ८१ :

रससहिताणि रसियाणि तेषु रसिणुषु।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १२५ :

सरसेषु—रसवत्स्वोदनादिषु, पाठान्तरतो—'रसेषु वा' मधुरादिषु।

४—उत्तराध्ययन शूर्णि, पृ० ९७ :

सप्यते यत्र स संग, पञ्चादयो ब्रह्मसंगः, कामसंगस्तु कामभोगानिलाषः।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १८५ :

नो वेति च शब्दस्वैवकारार्थत्वात्नैव 'न' मिति वाक्यालंकारे अथवा 'नो य णं' ति सूत्रस्याग्नौ एतश्च।

६—सुखबोध, पत्र ७६।

अध्ययन ४

श्लोक २

१—(अमर्षं च) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने विकल्प में 'अमर्ष' पाठ मान कर उसका अर्थ 'नास्तिक आदि मत' किया है ।^१

श्लोक ३

२—(पेच्छ ग) :

चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'परलोक' किया है ।^२ शान्त्याचार्य ने यहाँ 'पेच्छ' पाठ मान कर उसका अर्थ 'हेलो' किया है ।^३

अध्ययन ५

श्लोक १८

१—(विप्पसणमणाघायं ग) :

चूर्णिकार ने 'सुप्पसन्नेहि अक्खात' और शान्त्याचार्य ने 'सुप्पसणमणक्खाय' मूल पाठ माना है ।

'सुप्पसन्नेहि अक्खात'— इसका अर्थ है 'धीतराग के द्वारा आख्यात' ।^४

'सुप्पसणमणक्खाय'— इसका अर्थ है 'सुप्रसन्न मन वाले मुनियों के वह ख्यात है—स्वसवेदन से प्रसिद्ध है' ।^५

स्वीकृत पाठ 'विप्पसणमणाघायं' है । चूर्णि और बृहद् वृत्ति में इसे पाठान्तर माना गया है । सुखबोधा में यह मूल पाठ के रूप में व्याख्यात है । आदर्शों से भी प्रायः यही पाठ मिलता है ।

'विप्पसणमणाघायं'— इसका आशय यह है, पण्डित मुनि मरण-काल में भी अनाकुलित-चित्त और मोह-रहित होते हैं । विविध भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका मरण विप्रसन्न होता है ।^६ पण्डित-मरण में अपने व दूसरे के प्राणों का आघात नहीं होता, इसलिए वह अनाघात होता है ।^७

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११० :

पठ्यते च 'अमर्षं गहाये' अगोभनं मतं अमत्त अवचनवन् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

पठ्यते च—'अमर्षं गहाये' ति अगोभन मतममत्त—नास्तिकाविर्वाणम् ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १११ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ८१

'प्रेत्य' परलोकै ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २०८ :

'पेच्छ' ति प्रेक्षः च, प्राकृतत्वाद्वाचनव्यत्यय ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६

सुज्जु प्रसन्ना. सुप्रसन्ना धीतरागा हरयर्थः, अजातककागमा दाववा ह्रवा इव सुप्रसन्ना, ततोऽनतरागतमर्थं गणधराः सूत्रीकुर्वन्तः एवमाहुः, सुप्पसन्नेहि अक्खातं ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २४८ :

सुज्जु प्रसन्नं मरणसमयेऽप्यकसुखं कथायकासुज्जापगमान् मनः—चेतो येषां ते सुप्रसन्नमनसः महामुनयस्तेषां ख्यातं—स्वसवेदनतः प्रसिद्धं सुप्रसन्नमनःख्यातम् ।

६—सुखबोधा, पत्र १०५ :

विचिधैर्नाचिनादिभिः प्रकारैः प्रसन्ना.—मरणेऽपि अयगतमोहृतया अनाकुलचेतसो विप्रसन्नाः तस्मिन्निधि मरणमपि विप्रसन्नम् ।

७—वही, पत्र १०५ :

न विद्यते आघातः तथाविषयतमयाऽन्यप्राणिनामात्मनश्च विविधस्तस्मिन्नितरारीरतया यस्मिन्स्तद् अनाघातम् ।

अध्ययन ७

श्लोक ५

१—(कण्डुहरे ष) :

चूर्ण में पाठ है 'किन्नुहरे', बृहद् वृत्ति में 'कण्डुहरे' और सुखबोधा में 'कन्नुहरे'। तीनों का अर्थ एक है—'किसका घन हरण कर्त्तुं या करूँगा ? इस प्रकार सोचने वाला'। 'किण्णु' अव्यय है। इसके अर्थ हैं—प्रयत्न, विवेक, विकल्प, स्थान-स्पर्श और सादृश्य। 'कण्डु' कोई खरद नहीं है। संभव है यह 'कण्डुश्' (क्वचित्) का संक्षिप्त रूप हो।

उक्त तीनों शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं। उनका अर्थ—'तेणे' स्तेन में समा जाता है।^१ यह पाठ 'किण्णुहरे' या 'कन्नुहरे' हो तो एक विशेष अर्थ प्राप्त होता है। 'किण्णु' का अर्थ है—'सूक्ष्म' या 'बढ़िया वस्त्र'।^२ 'किण्णुहरे' अर्थात् वस्त्र-चोर; 'कन्नुहरे' अर्थात् कन्याओं को उठाने वाला।

राजगृह में एक परिभ्राजक था। वह विद्या-शक्ति सम्पन्न था। वह जिस मुन्दरी को देखता था, उसका अपहरण कर लेता था।^३

अध्ययन ८

श्लोक २

१—(दोसपओसेहिं) :

शान्ताचार्य ने इसके स्थान पर 'दोसपएहिं' (सं० दोषपदे) पाठ माना है। दोष-पद का अर्थ है—'अपराध-पद'।^४

अध्ययन १२

श्लोक २३

१—(महाणुभागो क) :

'भाग' का अर्थ है—'प्रचिन्त्य-शक्ति'। जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो, उसे 'महाभाग' (महाप्रभावशाली) कहा जाता है।^५ चूर्णकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका अर्थ है, 'अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ'।^६

१—सुखबोधा, पत्र ११७ :

'स्तेन' शौर्येणैषोपकल्पितवृत्तिः

२—देशीनाममाला, २।५९ :

कासिअकिण्णु सण्हे वत्थे सह सेअवण्णम्मि ।

३—सुब्रह्मसाम, २।२।३९, वृत्ति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९० :

'दोषपदे' अपराधस्थाने ।

५—(क) विशेषभाष्यक भाष्य, १०६३ :

भागोऽभितासती, स महानापो मह्यभावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५ :

महाणुभागः—अतिशयचिन्त्यशक्तिः ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०० :

अणुभाव भाव भाषानुग्रहसामर्थ्यम् ।

श्लोक ३२

२-(पुर्वि च इर्षि च अजागयं च क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'पुर्वि च पञ्चा व तहेव मज्जे' है। इसका अर्थ है 'प्रतापन के पहले, पीछे या प्रतापन के समय'।^१

श्लोक ३७

३-(सोवागपुत्ते हरिणससाहू ग) :

बृहद् वृत्ति के पाठान्तर में 'सोवागपुत्तं हरिणससाहू' को कर्म मान कर 'पश्यत' क्रिया को शेष माना है।^२

श्लोक ४६

४-(सुसीलभूओ ष) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'सुसीलभूओ' है। राग भावि की उत्पत्ति रुक जाने से जो शीतल बन गया हो, वह 'सुसीलभूत' कहलाता है और अच्छे चारित्र्य वाला 'सुसीलभूत' कहा जाता है।^३

अध्ययन १३

श्लोक १३

१-(चित्त ग) :

सुखबोधा में 'चित्त' पाठ माना है। चूर्णि में 'वित्त' पाठ है।

बृहद् वृत्ति में मूल पाठ 'वित्त' है और 'चित्त' पाठान्तर।

चित्त का अर्थ—'आवचर्य' या 'अनेक प्रकार' है।^४

चूर्णि के अनुसार 'वित्त' का अर्थ है 'सब लोगों के उाभोग में जाने योग्य नौ महानिधियों से लाया हुआ'।^५

बृहद् वृत्ति में 'वित्त' का अर्थ है 'प्रतीत'। यहाँ प्रभूत शब्द का पूर्व निपात हुआ है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८ :

पठन्ति च 'पुर्वि च पञ्चा व तहेव मज्जे' तत्र च पूर्वं वा परवादेति विहेठनकालायेतं तथैव मध्ये विहेठनकाल एव, न च कुमार-
बहेठनाविधर्शनात्प्रत्यक्षविरुद्धता शङ्कनीया।

२-वही, पत्र ३७० :

पठ्यते च—'सोवागपुत्तं हरिणससाहू'न्ति, अत्र च पश्यतेति शेषः।

३-वही, पत्र ३७३ :

'सुसीलभूओ' ति सुसीलभूतो रागाद्युत्पत्तिविरहतं सुष्ठु शैत्यं प्राप्तं, पठ्यते च—'सुसीलभूओ' ति सुष्ठु—शोभनं शीलं—
समाधानं चारित्र्यं वा सूतः—प्राप्तः सुसीलभूतः।

४-सुखबोधा, पत्र १९९ :

चित्रम्—अनेकप्रकारम्।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१६ :

वित्तं तथैव सर्वलोकोपभोग्यं नवभ्यो महानिधियो जानीतम्।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६ :

वित्तं—प्रतीतं तन्त्रं तद्धनं च—हिरण्यं च तेनोपेतं—पुस्तं वित्तधनोपेतं, पठन्ति च 'वित्तवचन्यसूत्र' ति, तत्र प्रभूतं—बहु
चित्रम्—आवचर्यमनेकप्रकारं वा धनमस्मिन्निति प्रभूतचित्रधनं, सूत्रे तु प्रभूतशब्दस्य वरनिपातः।

श्लोक १४

२-(परिवारयन्तो ऋ) :

बृहद् वृत्ति में 'परिवारयन्तो' पाठान्तर का उल्लेख है और इसका अर्थ है 'सेवन करता हुआ' ।^१

३-(श्लोक १७) :

इस श्लोक की चूर्णिकार ने व्याख्या नहीं की है ।

शान्त्याचार्य को यह श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध हुआ, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या की है ।^२

श्लोक २०

४-(आयाणहेतुं अभिणिक्त्वमाहि ष) :

चूर्णिके अनुसार 'आदानमेवं अणुचितयाहि' मूल पाठ है और यह वैकल्पिक पाठ है ।^३ 'आदानहेतु' का अर्थ है 'चारित्र के लिए' ।

श्लोक २७

५-(अहं पि जाणामि जहेह साह क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'अहंपिजाणामि जो एत्थ सारो' है और इसका अनुवाद है—'मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य-जीवन में चारित्र-धर्म ही सार है' ।^४

अध्ययन १४

श्लोक १०

१-(लोलुप्यमाणं ष) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'लोलुप्यमाण' पाठ और इसका संस्कृत रूप 'लोलुप्यमान' मान कर व्याख्या की है और चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'लालप्यमान' दिया है—ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है ।^५ 'लोलुप्यमान' अर्थात् वियोग की शका से द्विज होता हुआ । 'लालप्यमान' अर्थात् बहुत बोलता हुआ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३८६ -

'परिवारयन्' परिवारीकृषन्, पठ्यते ऋ—'परिवारयन्तो' स्ति प्रविचारयन् सेवमानोः ।

२-वही, ३८७ :

बालेत्याविसृष्टं चूर्णिकृता न व्याख्यात, क्वचित्तु दृश्यते इत्यस्मात्सिद्धीतम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णिके, पृ० २१८

आदानमेवं अणुचितयाहि, अथवा आयाणहेतु अभिणिक्त्वमाहि, आदान नाम चारित्त, तद्धेतुम् ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३९० ।

५-वही, पत्र ३६६-४०० .

लोलुप्यमानं तद्वियोगशङ्कावशोरपन्नसु क्षपरसु निरतिशयेन हृदि सिद्धमानं, वृद्धास्तु व्याचलते—'लोलुप्यमाणं' स्ति लालप्यमानं—अरणयोपवनकुलसंतापेसु य तुग्ने 'मविस्सह' स्ति ।

श्लोक ४३

२-(एवमेव क) :

शान्त्याचार्य ने 'एवमेव' पाठ स्वीकृत किया है और किन्दु को अलाक्षणिक माना है ।^१

श्लोक ५१

३-(धम्मपरायणा क) :

शान्त्याचार्य ने 'धम्मपरंपरा'—इस पाठान्तर का उल्लेख किया है । इसका आशय यह है कि इन छहों व्यक्तियों को धर्म की प्राप्ति परम्परा से हुई थी । साधुओं को देख कर दोनों कुमारों को प्रतिबोध मिला, उनके सम्बादों से पुरोहित और उसकी पत्नी, फिर कमलावती और उसके पश्चात् इषुकार को प्रतिबोध मिला ।^२

अध्ययन १७

श्लोक ११

१-(पमुहरे क) :

प्रथम अध्ययन के चतुर्थ श्लोक में 'मुहरी' तथा आठवें श्लोक में 'अमुहरी' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यहाँ कुछ प्रतियों में 'पमुहरी' शब्द मिलता है, किन्तु अधिकत 'पमुहरे' मिलता है । 'पमुहरे' मुहरी या पमुहरी की अपेक्षा संस्कृत के 'मुखर' या 'प्रमुखर' शब्द के अधिक निकट है । 'मुहरी' और 'पमुहरे' इन दोनों का अर्थ 'मुखर,—वाचाल' है ।^३

सूत्रिकार ने 'पमुहरे' का अर्थ 'ऐसा बोलने वाला, जिसकी वाणी सुनने मात्र से सभी शत्रु बच जाए' किया है ।^४

अध्ययन १८

श्लोक ४४

१-[नमी नमेइ अप्पाणं सवखं ससक्केण चोइओ । चइउण गेहं चइदेही सामण्णे पज्जुवट्ठओ ॥] :

यह श्लोक प्रसिद्ध मालूम पड़ता है । इस निर्णय के अनेक कारण हैं—

- (१) यह नौवें अध्ययन (१।६१) में आ चुका है ।
- (२) शान्त्याचार्य ने अपनी टीका में इसकी व्याख्या नहीं की है ।
- (३) इससे अश्वत्थी श्लोक में नमीराज का उल्लेख आया है ।
- (४) शान्त्याचार्य ने 'सूत्राणि सप्तदश'—ऐसा उल्लेख किया है ।

'एय पुणपय सोच्चा' (३४) से 'तहेवुगं तवं किच्चा' (५०) तक १७ श्लोक होते हैं । उनमें 'नमि नमेइ अप्पाणं' तथा 'करकंड'

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०९ :

'एवमेव' ति बिन्दोरलाक्षणिकत्वादेवमेव ।

२-वही, पत्र ४११ :

पठ्यते च—'धम्मपरंपर' ति परम्परया धर्मो देवां तानि परम्पराधर्माणि, प्राकृतत्वाच्च परम्परासम्बन्ध परनिपातः, तथा हि—सा सुवर्शनाकुमारद्वयोः कुमारवचनासुत्पिप्रोस्तद्वलोकनात्मलाभायारस्ततोऽपि च राज्ञ इति परम्परयैव धर्मप्राप्तिः ।

३-वही, पत्र ४३४ :

प्रकर्षेण मुखरः प्रमुखरः ।

४-उत्तराध्ययन सूत्रि, पृ० २४५ :

प्रकर्षेण मुखेन अरिमाचहृतीति मुखरी, सादृशं भावते येन सर्व एव अरिर्भवति ।

उत्तरजम्बयणं (उत्तराध्ययन)

३४ अ० १८ : श्लो० ४४, ५०; अ० १६ : श्लो० ८;
अ० २० : श्लो० ४४; अ० २१ : श्लो ६

कलिंगेसु' श्लोकों की व्याख्या बृहद् वृत्ति में नहीं है। दोनों को प्रक्षिप्त मानने से 'सूत्राणि सप्तदश' की बात नहीं बँटती और 'करकंडू कलिंगेसु' को प्रक्षिप्त मानना भी युक्तियुक्त नहीं लगता। क्योंकि 'नमि नमेद् अप्पाणं' इसकी तो पुनरावृत्ति हुई है और 'करकंडू कलिंगेसु' यह श्लोक पहली बार आया है। अतः 'नमी नमेद् अप्पाणं' को ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए।^१

श्लोक ५०

२-(अदाय सिरसा सिरं ष) :

शास्त्राचार्य ने यहाँ 'आदाय सिरसो सिरि' इस पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका अर्थ होता है 'सिर की श्री' अर्थात् सर्वोत्तम केवल-लक्ष्मी (केवल ज्ञान) को प्राप्त कर। यहाँ परिनिवृत्त को उन्होंने शेष माना है।^२ इसका अर्थ होगा—ये परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

अध्ययन १६

श्लोक ८

१-श्लोक ८ :

कई आदर्शों में निम्न श्लोक भी है—

देवल्लोप चुभो संतो, माणुसं नबन्नामवो ।

सम्मिज्जाणे समुप्यण्णे, जाइं सरद्द पुराण्यं ॥

परन्तु शास्त्राचार्य ने "आई-सरणे समुप्यण्णे" —इस श्लोक को टीका की है। "देवल्लोप चुभो" यह श्लोक या तो प्रक्षिप्त है या दूसरी परम्परा का है। दोनों श्लोकों का वाक्य एक-सा ही है। कहीं-कहीं पर शब्द साम्य भी है। जैसे—

जाइ सरद्द पुराण्यं— सरई पोराणियं जाइं ।

सम्मिज्जाणे समुप्यण्णे— जाई-सरणे समुप्यण्णे ॥

अध्ययन २०

श्लोक ४४

१-(पीयं क) :

शास्त्राचार्य ने 'पिबन्ति' पाठ मान कर आर्ष प्राकृत के अनुसार उसका अर्थ 'पीत'—पिया किया है।^३

अध्ययन २१

श्लोक ६

१-(संविग्गो क) :

'संविग्गो' यह समुद्रपाल का विशेषण है। बृहद् वृत्ति में 'संवेग' पाठ है और वह चोर के लिए प्रयुक्त है।

'संवेग' का अर्थ है 'संसार के प्रति उदासीनता और मोक्ष की अभिलाषा' अर्थात्—वैराग्य। यहाँ वैराग्य के हेतुभूत मध्य पुद्ग को संवेग माना है।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४७-४४८ ।

२-वही, पत्र ४४९ :

पठ्यते च—'आदाय सिरसो सिरि' ति, अथ च 'आदाय' गृहीत्वा 'सिरःशिरं' सर्वोत्तमां केवललक्ष्मीं परिनिवृत्त इति शेषः ।

३-वही, पत्र ४७८ :

शिरं पिबन्तीति आर्षत्वात् पीतम् ।

४-वही, पत्र ४८३ :

संवेगः—संसारवैमुक्त्यतो मुक्त्यभिलाषस्तद्वैमुक्त्यात्तोऽपि संवेगस्तम् ।

परिशिष्ट-२ : पाठान्तर-विमर्श

३५ अ० २१ : श्लो० ११, १६; अ० २३ :
श्लो० ४५; अ० २३ : श्लो० ४५; अ० २५ : श्लो० १८

श्लोक ११

२-(संगं क) :

शास्त्राचार्य ने मूल में 'सगण्य' शब्द मान कर प्राकृत के अनुसार बिन्दु का लोप माना है और विकल्प में 'सयं' पाठ स्वीकार किया है ।^१

हमने विकल्प का पाठ मान्य किया है ।

श्लोक १६

३-(इह क) :

शास्त्राचार्य ने यहाँ 'मिह' मान कर मकार को अलाक्षणिक माना है ।^२

अध्ययन २२

श्लोक ४५

१-(भण्डवालो क) :

बृहद् वृत्ति में इसका पाठान्तर 'दण्डपाल' है । उसका अर्थ है 'कोट्टपाल' ।^३

अध्ययन २३

श्लोक ४५

१-(विसभक्खीणि ग) :

टोकाकार ने यहाँ 'विसभक्खीण' पाठ माना है । आर्थ बचन के अनुसार उसका अर्थ 'विषभक्ष्य'—विषोपम दिया है ।^४

अध्ययन २५

श्लोक १८

१-(गूढा सज्झायतवसा ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'गूढा सज्झायतवसा' पाठ माना है । उन्होंने 'सज्झायतवसा' को तप्तमो विभक्ति मान कर उसका अर्थ 'स्वाध्याय और तप में मूढ' किया है ।^५ 'गूढा सज्झायतवसा'—यह उनके अनुसार पाठान्तर है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८५ :

संरचासो ग्रन्थस्य सद्ग्रन्थ, प्राकृतस्याद्विन्दुलोपस्त, पठन्ति च—'अहित्त्वं संगं वसि जहाय संगं च' ।

२-वही, पत्र ४८६ :

'मिह' ति मकारोऽलाक्षणिकः ।

३-वही, पत्र ४९५ :

'साण्डवालो वा' यः परकीयानि माण्डानि भाटकादिना पालयति, पठ्यते च—'दण्डपालो वा' नगररत्नको वा ।

४-वही, पत्र ५०६ :

'विसभक्खणं' ति सुव्यत्ययाद् विषभक्षणाद्—विषभक्षणाभ्यवहारोपमात् ।

५-वही, पत्र ५२६ :

उत्तराञ्जयणं (उत्तराध्ययन)

३६ अ० २५ : श्लो० ३४; अ० २६ :
श्लो० ३५ ; अ० २६ : सू० २०, २३, ३४

श्लोक ३४

२-(समुदाय तयं तं तु ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने इसके स्थान पर—'संज्ञान्तो तयो तं तु'—यह पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है 'यह वही मेरा भाई है, ऐसे पहचानता हुआ' ।^१

अध्ययन २८

श्लोक ३५

१-(निगिण्हाइ ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने यहाँ 'न गिण्हाइ' को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ 'बहु कर्मों को ग्रहण नहीं करता' किया है ।^२

अध्ययन २९

सूत्र २०

१-(अणासायणाए बृहए) :

यहाँ बृहद् वृत्तिकार ने 'अणुसञ्जणाए बृहए' को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ—'(श्रुत का) 'अनुवर्तन करता है' अर्थात् उसका अव्ययच्छेद करता है—किया है ।^३

सूत्र २३

२-(असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ—'साया वेयणिज्जं च णं कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ' पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है 'सात-वेदनीय का बार-बार उपचय करता है' । मूल पाठ निषेधात्मक और यह विध्यात्मक है ।^४

सूत्र ३४

३-(नो आसाएइ) :

बृहद् वृत्तिकार को यह पाठ नहीं मिला। उन्होंने लिखा है—'जब इसी सूत्र में आगे 'अणासायमाणे' हैं तथा स्थानाङ्ग में दूसरी

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२९ .

केचिरवनन्तरसूत्रे तृतीय पादमेवं पठन्ति—'संज्ञान्तो तयो तं तु' अत्र च 'संज्ञान्' स एवायं मम सौभवं इति प्रत्यभिज्ञानम् ।

२-वही, पत्र ५६९ :

पठ्यते च—'न गिण्हाइ' ति, तत्र 'न गृह्णाति' वाचसे कर्मेति धम्यते ।

३-वही, पत्र ५८४ :

पठन्ति च—'अणुसञ्जणाए बृहए' तत्रानुवृत्तः (अ)-नमनुवर्तनं तत्र वर्तते ।

४-वही, पत्र ५८५ :

सुखकाम्या के वर्णन में 'नो आसाए'ति पाठ है तो यहाँ भी 'नो आसाएइ' पाठ होना चाहिए। किन्तु वह नहीं है। सम्भव है गम्यमान होने के कारण उसका निर्देशन न किया हो या लेखक की दृष्टि-भ्रम के कारण वह छूट गया हो, क्या नहीं है।^१

सूत्र ३६

२—(जीवियासंसप्यओगं) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'जीवियास विप्यओगं' पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है—'जीवन की आशा से किए जाने वाले विविध प्रयोगों को'^२।

सूत्र ७४

३—सूत्र ७४ :

बृहद् वृत्तिकार का अभिमत है—'कई एक प्रतियों में कुछ पाठ भेदों के साथ थोड़े ही प्रश्न मिलते हैं, किन्तु बहुत सारी प्रतियों में इतने सारे प्रश्न मिले हैं। अतः इन सब को व्याख्या की गई है'।

वे लिखते हैं—'वृत्तिकार ने यहाँ एक पाठ और माना है—'सैलेसीएण भते । जीवे किं जणयइ ? अकम्मयं जणति, अकम्मयाए जीवा सिज्झन्ति'। दूसरा अर्थ है—'भन्ते । शैलेसी से जीव क्या प्राप्त करना है ? जीव अकर्मता उत्पन्न करता है। उससे जीव सिद्ध होते हैं'^३।

वृत्तिकार ने यह पाठ इस प्रकार है—'सैलेसी ण भते । किं जणयति ? अकम्मताए जीवा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिनिव्वारयन्ति सक्क-दुक्खाणं अतं करेति'^४।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८ :

नो आसाएति नो तक्केइ नो पीहेइ नो पत्थेइ नो अभिल्लसेति, से णं परस्स लामं अणासाएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अभिल्लसमाणे नो णं उच्चावय नियच्छति नो विविधायमावजाइ' ति इह च 'अणासाएमाणे' इत्युत्तरत्र वचनान् स्थानान् च वर्तान्त, पूर्वत्रापि 'नो आसाएइ' इति वचनमनुमीयते, तच्च गम्यतया न निर्दिष्टं लेखकदोषेण वा न दृश्यत इति न विद्मः ।

२—वही, पत्र ५८८ ।

३—वही, पत्र ५९७-५९८ :

इह च वृत्तिकृता—'सैलेसीए ण भते ! जीवे किं जणइ ? अकम्मय जणति, अकम्मयाए जीवा सिज्झन्ति' इति पाठः, पूर्वत्र च वचनिकविधित्वात्शेवनात्पा एव प्रश्ना आभिताः, अस्मान्निस्तु सूयस्तीषु प्रतिषु यथाक्यात्पातपाठवर्तनाविस्वमुक्तमिति ।

४—उत्तराध्ययन वृत्ति, पृ० २७३ ।

उत्तराध्यायन (उत्तराध्यायन)

३८

अध्याय ३२ : श्लोक १०७

अध्याय ३२

श्लोक १०७

१-(अत्ये य संकल्पयतो ग) :

बृहद् ब्रह्मिकार ने 'अत्ये अमंकल्पयतो' पाठान्तर माना है । इसका अर्थ होगा—'जो विषयों का संकल्प नहीं करता, उसके ।'^१
प्रकरण की दृष्टि से पाठान्तर मूल पाठ की अपेक्षा अधिक संगत है ।

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
अंगविज्ञा	सं० मुनि श्री पुण्यविजयजी अग्नेजी अनु० डॉ० मोतीचन्द्र	प्रथम	प्राकृत टेक्सट सोसाइटी, बनारस
अंगुत्तरनिकाय (१-४)	सं० भिक्षु जगदीस कस्तपो	सन् १९६०	पालि पकाशन मण्डल, बिहार राज्य
अंगुत्तरनिकाय (भाग १-३)	अनु० भद्रन्त आनन्द कोमल्यायन	सन् १९५७, ६३, ६६	महाबोधि समा, कलकत्ता
अगस्त्य चूर्ण (दशवैकालिक)	मुनि अगस्त्यसिंह	अप्रकाशित	
अनगार धर्माभूत	प० आशाधर	स० १९७६	माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई
अनुयोगद्वार	आचार्यरक्षितसूरि	स० १९८०	आगमोदय समिति, मेहसाणा
अनेकार्थ कोष	आचार्य हेमचन्द्र सूरि		
अन्तकृद्दशा (अंतगडदसाओ)	स० एम सी मोदी एम ए एल एल-बी	सन् १९३२	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
अन्तकृद्दशा (अंतगडदसाओ) वृत्ति	" "	सन् १९३२	" " "
अभिधान चिन्तामणि	हेमचन्द्राचार्य, विवेचनकार- आचार्य श्री विजयकस्तूर सूरि	स० २०१३	जैन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद
अभिधानपदीपिका	स० मुनि जिनविजयजी	प्रथम	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
अमितगति श्रावकाचार	आचार्य अमितगति	सन् १९७६	मुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, कालबादेवी रोड, बम्बई
अष्टागहृदय	वाग्भट, स० वैद्य लालचन्द्र	प्रथम	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
अहिर्बुध्न्यमहिता			
आचाराग		सं० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य समिति, बम्बई
आचाराग चूर्ण	जिनदासगणि	सं० १९६८	ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नपुर (भालवा)
आचाराग निर्युक्ति	भद्रबाहु	सं० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई
आचाराग वृत्ति	शीलांकाचार्य	स० १९६१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, बम्बई
आचार सार			
आवश्यक निर्युक्ति	भद्रबाहु	सन् १९२८	आगमोदय समिति, बम्बई
आवश्यक वृत्ति	मलयगिरि	सन् १९२८	आगमोदय समिति, बम्बई
इतिवृत्तक (सुद्धनिकाय)	सं० भिक्षु जयदीस कस्तपो	सन् १९५६	पालि पकाशन मण्डल, बिहार-राज्य
इतिवृत्तक (अनुवाद)	अनु० भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६	महाबोधि समा, सारनाथ
उत्तरपुराण	जिनसेनाचार्य सं० फन्नालाल जैन	सं० २००८	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वाराणसी
उत्तराध्ययन चूर्ण (उत्तराध्यानालि) श्री गोपालगणि महत्तर शिष्य		सं० १९८६	ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नपुर (भालवा)

(उत्तराध्ययन) उत्तराध्ययन

२

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
उत्तराध्ययन जोड	आचार्य जीतमलजी	अप्रकाशित	
उत्तराध्ययन निर्युक्ति (भाग १-३) भद्रबाहु		सं० १९७२, ७३	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भाण्डालार संस्था, बम्बई
उपवास के लाभ	विट्ठलदास मोदी	सन् १९४७	नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर
उपासकदशा (वृत्ति सहित)	सं० पं० भगवानदास	सं० १९६२	जैन सोसाइटी, नं० १५, अहमदाबाद
श्रुत्येद (भाग १-५)	भा० सायण	सन् १९२६, ४१, ४६, ५१	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना
ऐतरेय आरण्यकम् (सभाष्य)	भा० सायण	सन् १९५९	आनन्दाश्रम, पूना
ऐतरेय ब्राह्मण			
ओषनिर्युक्ति	भद्रबाहु	सं० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
ओषनिर्युक्ति भाष्य	पूर्वाचार्य	सं० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
औपपातिक		सं० ६६६४	पं० भूरालाल कालीदास, सूरत
औपपातिक	सं० त्यूमेन	सन् १८८३	Leipzig
औपपातिक वृत्ति	अभयदेव सूरि (दोगाचार्य द्वारा शोधित)	सं० १९६४	पं० भूरालाल कालीदास, सूरत
ओषवाह्य सुत	सं० एन जी सुर एम ए	सन् १९३९	अहंत् मत प्रभाकर कार्यालय, पूना
कल्पसूत्र	भद्रबाहु	सं० २००८	साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद
कल्पसूत्र शूर्णि (कल्पसूत्र)	पूर्वाचार्य, सं० श्री पुण्यविजयजी	सं० २००८	साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद
कल्पसूत्र टिप्पणक (कल्पसूत्र)	श्री पृथ्वीचन्द्र सूरि सं० श्री पुण्यविजयजी	सं० २००८	" "
कालीदास का भारत (भाग १-२)	श्री भगवतशरण उपाध्याय	प्रथम संस्करण	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
कौटिलीयम् अर्थशास्त्र (भाग १-३) कौटिल्याचार्य		सन् १९६०	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
	सं० आर. पी. कागले		
गच्छाचारपथना	पूर्वाचार्य	सन् १९४५	श्री भूपेन्द्र सूरि जैन साहित्य समिति, आहोरा (भारवाड)
" (वृत्ति)			
गीता	महर्षि वेदव्यास	सं० २०१६	गीताप्रेस, गोरखपुर
गीता रहस्य (कर्मयोग शास्त्र)	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अनु० माधवराव जी सप्रे	सन् १९५५	लोकमान्य तिलक मन्दिर, गायकवाडवाडा, पूना-२
चन्द्रप्रज्ञप्ति		हस्तलिखित	
चरक संहिता (भाग १-२)	महर्षि अभिवेश एव चरक	सन् १९५४	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
चारित्र भक्ति	पूज्यपाद		
छान्दोग्योपनिषद्	भा० शङ्कर	सं० २०१३	गीताप्रेस, गोरखपुर
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति		सं० १९७६	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वृत्ति	वृत्तिकार वात्तिकन्द	सं० १९७६	" "
जयस्तन्यायमञ्जरी			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

३

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
कातक	सं० भिक्खु जगदीस कत्सपो	सन् १९५६	पालि पब्लिकेशन बोर्ड (बिहार गवर्नमेन्ट)
कातक (१-६)	अनु० अदन्त आनन्द कोसल्यायन	प्रथम संस्करण	द्विन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
जैन दर्शन भाषा	महोपाध्याय श्री यशोविजयगणि	सं० १९६४	सिंधी जैन ग्रन्थमाला
	सं० पं० सुखलालजी संघवी		
ज्योतिषकरणकानि		सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम
तत्त्व-ज्ञान	डॉ० दीवानचन्द	६न् १९५६	प्रकाशन ग्पूरो, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
तत्त्व प्रदीपिका (चित्सुधी)			
तत्त्वसंग्रह पञ्जिका			
तत्त्व	लोकाचार्य, भाष्य० श्रीमद् बरवर मुनि		चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी
तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका	सिद्धसेन गणी	सन् १९२६	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
	सं० हीरालाल रसिकलाल कापडिया		
तत्त्वार्थ राजवार्तिक (भाग १-२)	मट्ट अकलकदेव	सं० २००६,	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पुर्णाकुण्ड रोड, बनारस-४
	सं० पं० महेंद्रकुमार जैन एम ए	सं० २०१४	
तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरीय)	श्रुतसागर सूरि	सं० २००५	" " "
	सं० प्रो० महेंद्रकुमार जैन		
तत्त्वार्थ सूत्र(समाध्य तत्त्वार्थविगमसूत्र)	उमास्वाति	सं० १९८६	सेठ मणीलाल रेवाशंकर जगजीवन जोहरी, बम्बई-२
दर्शन संग्रह	डॉ० दीवानचंद		
दशबेकालिक चूर्णि	अगस्त्यसिंह स्वबिर	अप्रकाशित	
दशबेकालिक चूर्णि	जिनदास महत्तर	सं० १९८४	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी पेढी, रतलाम
दशबेकालिक टीका	हरिभद्र सूरि	सं० १९१८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, बम्बई
			देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार संस्था, बम्बई
दशबेकालिक निर्युक्ति	भद्रबाहु	सन् १९१८	
दशबेकालिक सार्थ सटिप्पण	वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी	सं० २०२०	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-१
	सम्पा० मुनि नथमल		
दसवेआलियं तह उत्तरज्जयणाणि	वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी	सं० २०२३	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-१
	सम्पा० मुनि नथमल		
दशाभूतस्कंध		सं० २०११	श्री मणिविजय गणि ग्रंथमाला, भावनगर
दीचनिकाय	सं० भिक्खु जगदीस कत्सपो		पालि पकासन मण्डल, बिहार राज्य
दीचनिकाय	अनु० राहुल सांक्रत्यायन	सन् १९३६	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
देशीनाममाला	आचार्य हेमचन्द्र	सन् १९३८	बम्बई संस्कृत सिरीज
द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्र अर्चाय	सन् १९२६	जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय
धनञ्जय नाममाला	महाकवि धनञ्जय	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
	भाष्यकार अमर कीर्ति		

उत्तररत्नकरणं (उत्तराध्ययन)

४

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
चम्पव	अ० बर्मानंद कौसम्बी अ० रामनारायण वि० पाठक	सन् १९२४	गुजरात पुरातत्त्व मंदिर, अहमदाबाद
धर्म सग्रहणी	हरिभद्र सूरि	सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केवरीमलजी स्वैताम्बर संस्था, रत्नाम
ध्यान शास्त्र (संस्कृत टीका सह)	जिनभद्र गणि		
नवतत्त्व-साहित्य सग्रह	संयोजक उदयविजय गणि	सं० १९७८	माणकलाल मनसुलभाई, अहमदाबाद
नन्दी सूत्र (चूर्ण, हारिभद्रीय वृत्तियुक्त)	देववाचक क्षमाश्रमण	सं० १९८८	रूपचन्द्र नवलमल, इन्दौर
नन्दी सूत्र (मल्लियगिरी वृत्ति युक्त)	" "	सं० १९८०	वाममोदय समिति
नय प्रदीप	गङ्गसहाय		
निदान-कथा (जातकबद्धकथा)	सं० प्रो० एच० के० भागवत	सन् १९५३	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
निशीथ चूर्ण	जिनदास महत्तर	सन् १९५७	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निशीथ भाष्य	जिनदास महत्तर	"	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निश्चय द्वात्रिंशिका	सिद्धसेन दिवाकर		
नेमिनाथचरित	कीर्तिराज		
न्यायकारिका			
न्यायकमुच्यन्त (१-२)	सं० महेन्द्रकुमार		
न्याय दर्शन भाष्य	वात्स्यायन		
न्यायसूत्र	गौतम		
न्यायालोक (तत्त्वप्रभावृत्ति)	उपाध्याय यशोविजय		
पंचाध्यायी	कविवर पं० राजमल, टीकाकार वी० सं० २४७६ देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री		श्री गणेश वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी
पंचाशक प्रकरण	हरिभद्राचार्य	सं० १९२८	श्री ऋषभदेवजी केवरीमलजी स्वैताम्बर संस्था, रत्नाम
पंचास्ति हाय	आचार्य कुन्दकुन्द सं० पन्नालाल बाकलीवाल	सं० १९७२	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
पद्मपुराण भाग (१-५)	कृष्णद्वैपायन व्यास	सन् १९५७, ५९	मनसुलराय शोर, ५ कलाइब रो, कलकत्ता-१
पदार्थ-संग्रह			
पाद्मसह-महर्षणवो	पं० हरिगोविन्ददास त्रिकमचन्द सेठ द्वितीय संस्करण सं० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल सन् १९६३ पं० लक्ष्मणभाई मालवाणिया		प्राकृत ग्रंथ परिषद, वाराणसी ५
पाणिनि अष्टाध्यायी	पाणिनी		निर्भय सागर प्रेस, बम्बई
पाणिनिकाशीन भारतवर्ष	वासुदेवशरण अग्रवाल	सं० २०१२	मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
पाणिनि भाष्य			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

५

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
पातञ्जल योगदर्शन	महर्षि पतञ्जलि, सं० व्या० यशोविजयजी	सन् १९२२	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल, आगरा
पातञ्जल योगदर्शन	पतञ्जलि	सं० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
गुरुवार्यद्विमुपाय	अमृतचन्द्र सूरि, सं० अजितप्रसाद एम०, ए० एल० एल० बी०	सन् १९३३	सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ
पूर्वमीमांसा	महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा	सन् १९६४	बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी
प्रकरण पञ्जिका	शालिकनाथ, व्या० नारायण मट्ट		चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
प्रज्ञापना (१-४)	श्यामाचार्य	सं० १९७४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रज्ञापना वृत्ति (१-४)	मलयगिरि	सन् १९४४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रमाणनयतत्त्वालोक	वादिदेव सूरि सं० हिमाशुविजय	सं० १९८६	विजयधर्म सूरि ग्रथमाला, उज्जैन
प्रवचनसारोद्धार	नेमिचन्द्र सूरि	सं० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रवचनसारोद्धार वृत्ति	नेमिचन्द्र सूरि	सं० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रशास्तपाद भाष्य व्यामती टीका			
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण	रिचर्ड पिशल, अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्	सं० २०१५	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह			
बुद्ध और बौद्ध साधक	भरतसिंह उपाध्याय	सन् १९५०	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
बुद्धचर्या	राहुल सांकृत्यायन	सन् १९५२	महाबोधि सभा (सारनाथ), बनारस
बौद्ध धर्म दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव		
बौद्धायन धर्मशास्त्रम्	सं० F E Hultsch, Ph D	सं० १९८४	Leipzig
भगवती सूत्र	अनु० बेचरदास दोशी	सन् १९२१ सं० १९८८	आगमोदय समिति, मेहसाणा जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
भगवती वृत्ति	अभयदेव सूरि		आगमोदय समिति, मेहसाणा
भगवत (महापुराण) दो खण्ड		सं० २०१८	गीता प्रेस गोरखपुर
भारतीय इतिहास की रूपरेखा	डॉ० बलराम श्रीवास्तव	सं० १९४८	
भारतीय संस्कृति और अहिंसा	रत्तिभानु सिंह नाहर धर्मानन्द कोसम्बी अनु० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकर		हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई
भास्कर भाष्य			
अभिन्ननिकाय	सं० अमरसु अगदीस कस्तपो	सं० २०१५	बिहार राजकीय पालि पकासन मण्डल
अभिन्ननिकाय (अनुवाद)	अनु० राहुल सांकृत्यायन	सन् १९३३	महाबोधि सभा 'सारनाथ', बनारस

उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन)

६

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक संस्करण	प्रकाशक
भस्व पुराण	कृष्णदेवायण व्यास सन् १९५४	नन्दलाल मोर, ६ ग्लाइव रो, कलकत्ता-१
भाष्य सिद्धान्तसार		
मनुस्मृति	मनु० सं० नारायणराम आचार्य सन् १९४६ काव्यतीर्थ	निर्णय नागर प्रेस, बम्बई,
महाभारत (१-६ खण्ड)		गीताप्रेस, गोरखपुर
महावस्तु	स० राधानोबिन्द बसाक	
माध्यमकारिका		
साध्यमिककारिका	नागार्जुन	चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मानमेयोदय	नारायण	
मानव की कहानी		
मीमांसा बलोकमार्तिक (न्यायरत्नाकराख्या टीका)	कुमारिल भट्ट, टीकाकार पारथ साखी मिश्र	चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मूलाधार (सटीक)	वेङ्कटेश्वर, टीकाकार वसुनन्दि सं० १९७७	माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
मूलाधार	कुन्दकुन्दाचार्य, हि० अनु०- वीर सं० २४८४ जिनदास पार्श्वनाथ फडकले, शास्त्री, न्यायतीर्थ	श्रुत भाण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति, पलटन (उत्तर सितारा)
मूलाराधना	शिबार्थ सन् १९६५	बोलापुर
मूलाराधना	शिबार्थ सन् १९६५	बोलापुर
"	सं० अनु० अमितगति	
मूलाराधना-वर्षण	पं० आशाधर सन् १९६५	बोलापुर
मूलाराधना (विजयोदया वृत्ति)	अपराजित सूरि	"
मेषवृत्त	टीकाकार मल्लिनाथ	
यत्पतिमत्तदीपिका	जनार्दन शास्त्री	मोतीलाल बनारसी दास
याज्ञवल्क्यस्मृति	महर्षि याज्ञवल्क्य सन् १९४६	निर्णय सागर प्रेस, बम्बई
योगविशिका	हरिभद्र सूरि, सं० प्रज्ञाचक्षु सन् १९२२ पं० सुखलाल सिंघवी	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा
रत्नकरण्य श्रावकाधार (सटीक)	स्वामी समस्तभद्र सं० १९८२	माणिकचन्द्र वि० जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
रत्नाकरावतारिका	टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्य	
राजनिषष्टु कोष		
राजप्रश्नीय वृत्ति	सं० एन० भी० वैद्य, एम० ए० सन् १९३८	सादयत बुक डिपो, अहमदाबाद
राजवल्लभ कोष		
रामायणकालीन संस्कृति	डॉ०	
लोकप्रकाश भाग (१-२)	बिनयविजय गणि, अनु०मोतीलाल सन् १९२६ बोधवज्री साह	आगमोदय समिति, बम्बई

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

७

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
लोकप्रकाश (भाग १-२)	मिनबविशय गणि	सन् १९३२	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बम्बई
बसुनन्दि श्रावकाचार	आचार्य बसुनन्दि, सं० प० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री	सं० २००६	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पुर्णकुण्ड रोड, बनारस-४
वाक्यपदीय	भर्तृहरि, टीका० पुष्कराजा		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वाल्मीकीय रामायण (१-२)	महर्षि वाल्मीकि	सं० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
वास्तुसार	ठक्कर फेरु, ज्ञान० भगवानदास		
विधिविवेक न्यायकर्मिका			
विनयपिटक	ज्ञान० राहुल साकृत्यायन	सन् १९३५	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
विशुद्धिमन्त्र दीपिका			
विशुद्धिमार्ग (भाग १-२)	आचार्य बुद्धघोष, अनु० त्रिपिटका- चार्य भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६-५७	महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी
विशेषावश्यक भाष्य	जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण	वीर सं० २४८६	दिग्गदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद
विष्णुपुराण	महर्षि वेदव्यास, अनु० गिरिजाशंकर मायाशंकर शास्त्री	सं० २०२०	सन्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद
बृहत्सत्त्व भाग्य	भद्रबाहु, सं० पुण्यविजयजी	सन् १९३३ से १९३८	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
बृहदारण्यकोपनिषद्		सं० २०१४	गीता प्रेस, गोरखपुर
बृहद् वृत्ति उत्तराध्ययन	बादिशेताल श्री शांतिसूरि	सं० १९७२-७३	श्री देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भाष्णागार संस्था, बम्बई
वेदान्तपरिजात सौरभ			
वैदिक संस्कृत का विकास	पं० लक्ष्मण शास्त्री		
वैदिक साहित्य	पं० रामगोविन्द त्रिवेदी	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
वैराग्यशातक	भर्तृहरि ; सं० डॉ० रामधन शर्मा शास्त्री	सं० १९५६	पब्लिकेशन्स डिबीजन, दिल्ली
वैशेषिक दर्शन	महर्षि कणाद		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वैशेषिक सूत्र	सं० मुनि बम्बूविजय		
व्यवहार भाष्य	सं० मुनि माणिक	सं० १९६४	बकील कैलाशलाल प्रेमचन्द, भावनगर
व्यवहार सूत्र	भद्रबाहु द्वितीय	सं० १९८२	जैन एवेताम्बर संघ, भावनगर
सतपथ ब्राह्मण	भा० सायण		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
शब्दार्णव चन्द्रिका	श्रीधरदेव सूरि		भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, काशी
शास्त्रदीपिका			
शेषनाममाला			
श्रावक धर्मविधि प्रकरण	हरिभद्र सूरि	सन् १९२४	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
संयुक्तिकाय पालि (१-४)	वृत्तिकार श्रीमान् देव सूरि		
	मिक्कु जगदीश कस्तपो	सं० १९५६	पालि प्रकाशन अण्डाल, बिहार

उत्तराध्ययनं (उत्तराध्ययन)

८

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
संयुक्तनिकाय अनुवाद (१-२) संस्कृत ईम्प्लिस डिक्शनरी	मिस्तु जगदीश काश्यप सर मोनियर विलियम्स एम ए के. सी आ ई.	सं० १९५४ सन् १९६३	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस श्रीश्रीलाल बनारसीदास, दिल्ली
संस्कृत साहित्य मां वनस्पति समयसार	कुदकुंदाचार्य, सं० ब्रह्मचारी शोतलप्रसाद	वीर सं० २४४४	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
समवायांग समवायांग वृत्ति सर्वदर्शन संग्रह	अनु० शास्त्री जेठालाल हीराभाई अभयदेव सूरि सामण भाषवाचार्य, टीका० महामहोपाध्याय प्राच्यविद्या शास्त्री अभयकर	सं० १९९५ सन् १९१८ सन् १९२४	मूलचन्द कितनदास कापडिया, सूरत श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर आगमोदय समिति, मेहसाणा सशोषण मंदिर, पूना
सर्वार्थसिद्धि	सं० आचार्य पूज्यपाद, सं० पं० फूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री	सं० २०१२	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मुर्गाकुण्ड, बनारस
समुद्र के जीव-जन्तु सांख्यप्रबचन सांख्यकारिका (माठर वृत्ति) सागर धर्माश्रित	ईश्वरकृष्ण, टीका० माधवाचार्य पं० आशाधर ; टीका० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री	वीर सं० २४६६	चौलम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी मूलचन्द कितनदास कापडिया, सूरत
सिरिरयणपरिकक्षा प्रकरण सुखबोधा (उत्तराध्ययन की टीका) सुखबोधिका सूत्रकृतांग सूत्रकृतांग भूमि	नेमिबन्ध्याचार्य, सं० विजययोग सूरि यिनदा व गणि	वीर सं० २४६७ सं० १९७३ सं० १९६८	पुण्यचन्द्र लेमचन्द्र बलाद, वाया अहमदाबाद आगमोदय समिति, मेहसाणा ऋषभदेवजी केसरीमलजी इत्रेताम्बर संस्था, रत्नपुर (मालवा)
सूत्रकृतांग वृत्ति स्थानाम		सं० १९७३ सं० १९९४	आगमोदय समिति, मेहसाणा शेठ मणिकलाल चूनीलाल, शेठ कान्तिलाल चूनीलाल, अहमदाबाद
स्थानांग वृत्ति		सं० १९९४	शेठ मणिकलाल चूनीलाल, शेठ कान्तिलाल चूनीलाल, अहमदाबाद
स्याद्वादमञ्जरी	भक्तिषेण सूरि अनु० जगदीश चन्द्र एम ए	सं० १९३५	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
षड्प्राश्रित स्याद्वाचरक्ष्णाकर श्री गुप्त समाप्तसं हिलुस्लान की पुरानी सम्यता हिन्दू सम्यता	डॉ० वेणीप्रसाद डॉ० राधाकुमुद मुलर्जी, अनु० बासुदेवसरण अग्रवाल आचार्य हेमचन्द्र टीकाकार अभयदेव सूरि	वीर सं० २४५३ सं० १९६२ सं० १९१९	मोतीलाल लाबाजी, पूना शेठ मनसुखदाई पोरवाड़, अहमदाबाद आगमोदय समिति, बम्बई

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

६

Ancient Indian Historical Tradition India and Central Asia Mysterious Universe Pūrva Mīmāṃsā	F. E. Pargiter, M. A. P. C. Bagchi Sir James Jeans Mahāmahopādhyāya Dr Sir Ganganath Jha	1962 1966	Motilal Banarsidass, Delhi Benaras Hindu university.
Sacred Books of the East, Vol. XLV - do - , Vol XXII	Translated by Hermann Jacobi - do -	1895 1884	Oxford Oxford.
The History of Science The Nature of the Physical world The Uttarādhyayana Sūtra	Dempayan Eddington JARL Charpentier, Ph. D.		

शुद्धि-पत्रम्

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	१२	गा	या
६	४	चण्डालिय	चण्डालियं
६	१२	हो	ही
७	३	बाला—	बाला । गली—
७	१३	पट्	पट्ट
२४	६	शक्ति-योगज विभूति	शक्ति योगज-विभूति
२६	१२	देवों की	वैमानिक देवों की
४८	१४	समय	समय
५४	११	पञ्चेन्द्रिय,	पञ्चेन्द्रिय
५६	२	परिणामे	परिमाणे
६७	१२	बोध्यत्ये	बोध्यत्ये
६४	६	×	भाव-बपल. .करने वाला ।*
६४	१२	भाव-बपल.. करने वाला ^१ ।	×
१४८	१७	अगणित	×
१६३	५	महावत	महावत
१६५	२	कहा	कहा है
१६८	१०	प्रसंसा	पसंसा
१७०	६	गया	×
१७२	६	'कौक्केटिक'	'कौक्कुटिक'
१७८	१४	आवश्यक	आवश्यक
१८०	१२	या ^५ ।	या ।
१८०	१४	या ।	या ^५ ।
१८१	१०	२ घड़ी	२ घड़ी—
१८२	१५	अर्थ	अर्थ है—
१८६	१३	४ ^३	४ ^३ मुहूर्त
१८८	१२	जाती है । ^१	जाती है ^३ ।
१८६	१४	पात तिथि १	पात तिथि २
१९६	१४	आकस्मिक हो	आकस्मिक रोग हो
१९९	१२	तालवृन्त	तालवृन्त
२०३	२	उपोह	अपोह

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०४	३	कमजा	कर्मजा
२०४	३	परिवाककी	पारिणामिकी
२०८	२२	पर्याय लक्षण	पर्याय का लक्षण
२१०	७	अनन्त	संख्यात
२१०	१४-२३	×	ये पंक्तियाँ पृ० २११ पर सातवें टिप्पण के अन्त में जुड़ेंगी
२१२	६	लक्षण है	लक्षण
२१६	१२	अनुरूप	अणु रूप
२१८	२१	माया मृषा	मायामृषा
२२०	७	प्रायश्चित्त	प्रायश्चित्त
२३३	१३	अनन्त	आत्मा के अनन्त
२३३	१४	ज्ञानावर्ण	ज्ञानावरण
२३३	१५	दर्शनावर्ण	दर्शनावरण
२३३	१५	प्रमाणुओं	परमाणुओं
२३३	१६	आहुत	आहुत
२३७	१५	काय-कारण	कार्य-कारण
२४५	१८	करने	करण
२४५	१८	करने	करण
२४८	८	पुरुष-वेद	पुरुष-वेद
२५०	११	स्पर्श	अस्पर्श
२५४	१	आम्यन्तर	आम्यन्तर
२५४	६	चतुरमासिक	चातुर्मासिक
२५४	२६	१६	१६
२६०	१८	श्रेणितप	श्रेणितप
२६१	५	चतुरमासिक	चातुर्मासिक
२८१	२	उपधि	उपाधि
२८१	१३	संक्रमण किया	संक्रमण नहीं किया
२८२	१	व्युत्सर्ग	व्युत्सर्ग
२८२	३०	१६।४७-४३	१६।४३-४७
२८३	५	सयम	असयम
३०२	२७	समवाय	समवायांग
३०५	१	तेतीसा.....	तेतीसा . .
३०५	२	सबिनय	अबिनय

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३०६	२२	नहीं	कहीं
३०६	३१	ग्रहण करना	ग्रहण न करना
३१४	१७	हल्लोकाख्येम्	हल्लोकाख्यम्
३१६	१४	तथा	(=)
३१६	१४	अतन्त	अतन्त
३१६	१४	(=)	X
३१७	६	परीत	युक्त
३१७	६	परीत	असंख्य
३१७	१४	परीत	युक्त
३१७	१४	परीत	युक्त
३१७	२६, २७, २८	दिशा	लोक
३२३	१	इन्दनीले	इन्दनीले
३२४	४	कूर्म	कूर्प
३२४	५	प्रतिकूर्प	प्रतिकूर्प
३२४	७	क्षीरपक	क्षीरपक
३२६	१६	तथा	X
३२६	२०	जीब	X
३३०	७	दर्पण	दर्पण
३३०	१४	वञ्चना	वञ्चना
३३१	१	सपय	साय
३३१	१७	स्वर्ग	स्वर्ग
३३२	५	विप्रतियत्ति	विप्रतिपत्ति

पाद-टिप्पण

पृष्ठ	पाद-टिप्पण सख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४	१	श्रावक	श्रावक
६	८	णंडली	मंडली
१२	५	भुक्ते	भुक्ते
३८	४	पत्र २४२	पत्र २४३
५७	१	अस्य	अस्य
६०	२ (ख)	ताम्	ताम्
६५	५	तेसि	तेसि
७१	२	विशुद्धिमाग	विशुद्धिमाग
१०७	१	पत्र ३६१	पत्र २६०
३१७	५	नुष्ठानस्य	नुष्ठानस्य

पृष्ठ	पाद-टिप्पण सख्या	अनुद्ध	शुद्ध
१४१	१	पत्र ४४७	पत्र ४४६
१४२	६	चेतत्	चेतत्
१५०	५	कदाचित्तस्येत्	कदाचित् पस्येत्
१६१	१	दनारार्ण	दसाराणं
१७१	५	त्वेनकतया	त्वेनकतया
१८०	५	अच्छणे अवस्थाने	X
१८२	३	गाथा २६३	गाथा २६४
१८५	५	सिद्धयति	सिद्धयति
१८५	७	पौरुषी,	पौरुषी
१८८	३	प्रविष्टा	प्रविष्टा
१९३	८	प्रमाणं	प्रमाणं
१९४	१	रयताणे	रयताणे
२००	४	तथाविधि . .	तथाविधि . .
२१४	४	वेत्ति	वेत्ति
२२४	५	एकान्तवाद्	एकान्तवाद
२२४	७	दर्शनाद्	दर्शनाद्
२२७	१	माववादि	मार्ववादि
२५०	६	संस्पर्शन	संस्पर्शन
२५५	२	ईप्सिति	ईप्सित
२५८	६	कुणदि	कुणदि
२६८	७	अवमौदार्य	अवमौदायं
२६८	७	नैयतरयाभि	नैयतस्याभि
२७८	७	तात्पर्यार्थ	तात्पर्यार्थ
२८२	१	. सर्गादच	सर्गादच
२८३	३ (ब)	वर्षमुत्कृष्ट	वर्षमुत्कृष्ट
२८३	३ (ब)	भवति	भवन्ति
३१६	२	शतेभ्यो	शतेभ्यो
३२०	५	प्रकीर्णक	प्रकीर्णकं
३२०	७	भ्राजिष्णु	भ्राजिष्णु
३२१	४	रक्त कदम्ब	रक्तकदम्ब
३२२	२	श्चेति	श्चेति
३२८	६	कन्दर्प	कन्दर्प
३२६	१	प्रोग	प्रयोग
३२६	२ (क)	विधत्ते	विधत्ते
३२६	३	पत्र ७०६ .	पत्र ७०६, ७१० .
३२६	३	परिधिस्मापक	परिधिस्मापक
३२६	३	विधिषो	विधिषो
३२६	६	नयन	नयन्
३३०	१०	प्रवचनमारोद्धार	प्रवचनसारोद्धार
३३१	४	क्षमणाक्षयपि	क्षमणादायपि

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २२
लेखक उमेश
शीर्षक कात्यायन उल्लास
खण्ड २ क्रम संख्या ६२७३

